ग्राम डिघवट जिला बाँदा के ग्रामीण गुटवाद का समाजशास्त्रीय अध्ययन

(A SOCIOLOGICAL STUDY OF RURAL FACTIONALISM IN DIGHWAT—
A VILLAGE IN THE DISTRICT OF BANDA.)

शोध ग्रन्थ

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी

को

पी० एच० डी० (समाज शास्त्र)

(कला संकाय)

की उपाधि हेतु

सादर समर्पित

१ मार्च १९८७

रमाशंकर विश्वकर्मा

प्रवक्ता— शिक्षाशास्त्र

परम हंस श्री रणछोड़दास इण्टर मीडिएट कालेज

खपटिहा कलाँ (बाँदा) उ० प्र०

DR. V. N. SETH
M. A., M. Phil., Ph. D.
Department of Sociology
Christ Church College,
Kanpur

U. G. C. Teacher Fellow
Deptt. of sociology, Delhi University 1975-76
U. G. C. Teacher Fellow
Punjab University, Chandigarh 1977-81
Research Fellow, Deptt. of Humanities and Social Sciences. I. I. T., Kanpur 1965-66
Reader & Head Deptt. of Sociology
Pt. J. N. College, Banda 1970-81
President Bundelkhand University Teacher's Association 1977-79
Jt. Secry.. FUPUCTA 1971-74
Member Executive Council
Bundelkhand University Jhansi 1981-83
CONVENER Board of Studies in Sociology, Kanpur University 1985-
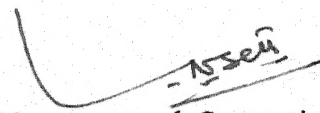
Phones Resi. : 68774
College : 69366

17/3, MALL ROAD,
KANPUR - 208001.

Date 1st March 1987

Certified tnat Shri Rama Shankar Vishwakarma has worked for his Ph.D. Thesis on the topic " ग्राम डिघवट जिला बाँदा के ग्रामीण गुटवाद का समाज शास्त्रीय अध्ययन" (A Sociological Study of Rural Factionalism in Dighwat - a Village in the District of Banda) under my supervision and this research study is his original work.

Signature of Supervisor

[Dr. V. N. Seth]

आभार

मैं अपने समाजशास्त्रीय ग्रामीण दलवाद के शोध कार्य में सहायक एवं प्रोत्साहन देने वाले इष्ट मित्रों में श्री प्रफुल्ल चन्द्र तायल , श्री चन्द्र मोहन श्रीवास्तव, शिक्षक बन्धुओं में प्रो० जसवन्त प्रसाद नाग , प्रो० शिव शरन गुप्त ,प्रो० रणजीत , प्रो० चन्द्रिका प्रसाद जी "ललित" एवं सम्भ्रान्त महानुभावों में बाबू केदार नाथ जी अग्रवाल , श्री भीष्मदेव जी दुबे तत्कालीन एम०पी० बांदा, श्री परशुराम जी विश्वकर्मा प्रभारी अधिकारी शिक्षा विभाग जालौन एवं जिलाधिकारी मधुकर गुप्त , श्री जयनारायण विश्वकर्मा योजना आयुक्त उत्तर प्रदेश , सचिवालय लखनऊ एवं अपने सुविज्ञ समाजशास्त्री डॉ वी० एन० सेठ का हृदय से परम कृतज्ञ हूँ , जिन्होने मेरे ग्रामीण दलवाद के समाजशास्त्रीय शोध अध्ययन में सतत् समस्याओं के निराकरण हेतु समाजशास्त्रीय अन्तर्दृष्टि -लक्ष्य के अन्वेषण हेतु प्रोत्साहन , धैर्य एवं अन्वेषणात्मक तर्क प्रश्न जो शोध की विषय वस्तु के माध्यम न्यायसंगत समस्या के हल खोजने एवं मार्ग प्रशस्त करने में सार्थक रहे ।

मैं पं० जवाहर लाल नेहरु महाविधालय के मूर्धन्य विद्वान प्राचार्य डॉ०गोरखनाथ जी द्विवेदी जी के सौहार्द्रपूर्ण आत्मीय प्रात्साहनयुक्त सतत् भावनाओं केप्रति परम कृतज्ञ हूँ इसी श्रंखला में उपप्राचार्य डॉ०एस०सी०चतुर्वेदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ ।

इस अवसर में मैं आदर्श बजरंग इण्टर कालेज बांदा के प्रधानाचार्य श्री राम सेवक जी पाण्डेय जिन्होने सतत् अजस्र सहयोगी भावना द्वारा प्रगतिशील प्रोत्साहन एवं स्नेह प्रदान किया । इसी श्रंखला में मैं अपनी संस्था के तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री चक्रपाणि श्रीवास्तव एवं विधालय के प्रबन्धक श्री बाबूराम जी गुप्त का भी हृदयसे आभार प्रकट करता हूँ , जिन्होने शोध कार्य के दौरान आवश्यकतानुसार अवकाश स्वीकृत कर शोध कार्य पूर्ति हेतु सुअवसर प्रदत्त किया है । साथ ही मेरे उन समस्त सहशिक्षक जिन्होने शोध कार्य के अन्तराल में अपनाचैारिक सहयोग प्रदान किया जिनमें श्री राम मनोहर बाजपेई, गणित शिक्षक , श्री निवास मगरोठिया , इतिहास शिक्षक , श्री चन्द्र भूषण द्विवेदी ,प्रसार शिक्षक, परमहंस ए०ड०ा०इ० कालेज, खापटिहा कलाँ

एवं पं० जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज के प्रो० बी० एन० राय ॥इतिहास व्याख्याता॥ प्रो० वी०के०त्रिपाठी, बी०एड० विभाग, प्रो० आर०पी०राय, प्रो० अवधेश कुमार, भूगोल एवं श्री जगदीश प्रसाद सिंह साहब, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सम्भ्रान्त महानुभाव श्री रामेश्वर भाई, अध्यक्ष कांग्रेस आई० बांदा एवं श्री रामनाथ दुबे, भूतपूर्व एम० पी० बांदा का हृदय से कृतज्ञ हूँ ।

मैं अपनी संस्था के आज्ञाकारी उन शिष्यों का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिनमें रमेश चन्द्र सैनी एवं कैलाश चन्द्र सैनी प्रमुख हैं, जिन्होने सन्दर्भित अध्ययन ग्राम के वासी होने के कारण सूचना सेलन में सूचनादाताओं की भ्रान्तियां दूर कर यथार्थ सूचनायें संकलन काल में बड़ी शिष्टता एवं शालीनता के बर्ताव द्वारा जनमानस को अनुसन्धान कार्य के प्रति रुचिकर एवं आकर्षक भूमिका निभानेके का कार्य किया है ।

मैं मेरठ विश्वविद्यालय के उच्चतर समाजशास्त्र केन्द्र के विभागाध्यक्ष डॉ० बृजराज सिंह जी चौहान का भी अत्यन्त हृदयसे कृतज्ञ हूँ, जिन्होने समाजशास्त्रीय अनुसन्धान कार्य को प्रगतिशील बताते हुये सहृदय धान्यवाद, विशेष प्रोत्साहन एवं भावी सहयोग का आमंत्रण दिया ।

मैं शोध ग्राम के उन समस्त सूचनादाताओं को भी आभार प्रकट करना अपना कर्तव्य सममता हूँ, जिन्होने ग्राम के उन दोनो दलों प्रथम आर्थिक साधन एवं सुविधा विहीन हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के सूचनादाताओं एवं द्वितीय सवर्ण सुविधा एवं साधन सम्पन्न सूचनादाताओं को जिन्होने यथार्थ ग्रामीण अध्ययन के तारतम्य में सूचना प्रदत्त कर अध्ययन को अग्रसर बनाने में सहयोग प्रदान किया है ।

अन्ततोगत्वा मैं सचिव, इण्डियन काउन्सिल आफ सोशल साइन्स रिसर्च 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110 001, का हृदय से कृतज्ञ हूँ जिसके आर्थिक सहयोग द्वारा यह ग्रामीण समाजशास्त्र अनुसन्धान कार्य टाइपबद्ध साकार रूप लेकर सार्थक हो सका ।

इसी तारतम्य में मैं अपने शोधग्रन्थ के टाइपिस्ट बन्धुओं का क्रमशः श्री रामपाल निषाद, चुनाव कार्यालय, बांदा, श्री गौरी शंकर श्रीवास्तव एवं श्रीराम आसरे पाण्डेय, शिक्षक, डी०ए०वी० कालेज, बांदा को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ ।

शोधकर्ता ॥समाजशास्त्र॥
रमाशंकर विश्वकर्मा, प्रवक्ता शिक्षाशास्त्र
परमहंस श्री रणछोड़ दास इण्टर कालेज,
खापटिहा कलां॥बांदा॥उ०प्र०

1/3/1987.

विषय-सूची

<u>तृतीय अध्याय</u> :

<u>सामाजिक स्तरण</u> -

<u>चतुर्थ अध्याय</u> :

<u>पंचम अध्याय</u> :

षष्ठम अध्याय :

जाति वर्ग और दल -

सप्तम अध्याय :

।3। अत्याचार ~~प~~ की प्रकृति :

अष्टम अध्याय :

उपसंहार । निष्कर्ष ।

तालिकाओं की सूची

=====

मानचित्र

=====

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना

उद्देश्य एवं सिद्धान्त :-

प्रस्तुत अध्ययन बाँदा जनपद के ग्रामीणअंचल में गुटवाद के समाजशास्त्रीय अध्ययन पर आधारित है। आज भारत के अनेक गाँवों में जाति-तनाव विशेषरूप से देखने को मिलता है। क्या इस जाति-तनाव का कारण जाति का अलगाव व विषमता है? अथवा इस तनाव के पीछे राजनैतिक तथा आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण है? देश के विभिन्न भू-भागों से सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के समाजवैज्ञानिकों के इस संदर्भ में किये गये अधिकांश शोध ग्रामीण गुटवाद का आधार-भूत कारक जाति, तत्पश्चात् सहायक अन्य को मान्यता देते रहे हैं।

संदर्भित गाँव के समाजशास्त्रीय अध्ययन में डा० बी०एन०सेठ द्वारा लिखित शोधग्रन्थ " सोशियालाजिकल स्टडी आफ हरिजन प्रोटेस्ट"(बी०एन०सेठ, पी०एच०डी०शोध ग्रन्थ, 1982 अप्रकाशित)में जिन दो गाँवों में हरिजनों पर अत्याचार का तुलनात्मक अध्ययन किया था, उनमें एक गाँव डिघवट भी था, जिसे प्रस्तुत अध्ययन में चुना गया है। इस गाँव के अध्ययन में यह पता लगाया कि राजनैतिक गतिशीलता हरिजनों की स्थिति सुधार हेतु एक प्रभावकारी कारक है और विभिन्न जातियों के जातिसमूहों में तनाव आर्थिक सुविधाओं और राजनैतिक शक्ति के असमान वितरण के कारण है। वे अपनी स्थिति का सुधार राजनैतिक गतिशीलता द्वारा राजनैतिक और आर्थिक शक्तियों को अर्जित करके कर सकते हैं।

अब यह शोध इसी संदर्भित ग्राम के समाज शास्त्रीय गुटवाद के कारणों के अन्वेषण का परीक्षण करता है।

एम०एन०श्रीनिवास(1959,1-11) ने "रामपुरा में प्रभुजाति में सवर्ण-ब्राह्मण और उनके विरुद्ध अन्य हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के मध्य गुटबन्दी के

उदाहरण अपने अध्ययनों के आधार पर अनेक प्रान्तों के प्रस्तुत किये। मद्रास में ब्राह्मणों के विरुद्ध अन्य हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के मध्य, गुजरात में — बनिया-ब्राह्मणों के विरुद्ध, पट्टीदार, राजस्थान में राजपूतों के विरुद्ध, बिहार में कायस्थों के विरुद्ध राजपूत, आंध्र में कम्मा के विरुद्ध रेड्डी जातियों का, केरल में नायरों के विरुद्ध इरावास राजनैतिक ध्रुवीकरण के कारण इन जातियों ने शीघ्र ही आन्दोलन एवं संघर्ष करके अपनी स्थिति में आशातीत सुधार किये। दो प्रभु-जातियों के मध्य — जैसे पट्टीदार और कायस्थों के मध्य गुजरात में, महाराष्ट्र में, मराठा और महर जातियों के मध्य। मैसूर में लिंगायत और ओक्कालिंगायत इन जातियों ने आर्थिक और राजनैतिक शक्ति का संगठन करके यथाशीघ्र दमन चक्र को दूर करके अपना आशातीत विकास किया और राज्य स्तर में पुनर्गठित हुई।

ए0आर0देसाई (1969: 29) ने अपनी पुस्तक के अध्याय "ग्रामीण शक्ति संरचना जाति शक्ति एकाधिकार" के अनुसार —" अनेक शोध छात्रों द्वारा भारतीय लोगों के सामाजिक जीवन का निरीक्षण किया जा चुका है। हिन्दू सामाजिक अध्यादेश के स्तरीकरण में जाति स्थिति के मध्य गहन सह सम्बन्ध है। इसके सदस्यों की सम्माननीय स्थिति आर्थिक स्थिति क्रम में धन सम्पन्न वर्ग स्थिति, राजनैतिक शक्ति, शिक्षा सुविधायें और सांस्कृतिक संवृद्धि कुछ हिन्दू समाज के प्रबुद्ध छात्रों द्वारा इस ओर इंगित किया जा चुका है, और भारत में एक दो दर्जन से भी अधिक जाति के लोग आर्थिक, राजनैतिक शक्तियों और शैक्षिक और सांस्कृतिक सुविधाओं को प्राप्त कर चुके हैं। अधिक संख्या में कृषक, मजदूर, सुविधा विहीन जो अछूत स्थिति से तथा कुछ पिछड़ा वर्ग के, कुछ अनुसूचित जन-जाति के आये हैं।"

ग्रामीण समाज में गुट निर्मित होने का कारण हिन्दू जाति व्यवस्था में स्तरीकरण भी है, जो उच्च एवं निम्न जाति के सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण उनके संस्कार और प्रथाओं में अन्तर उच्च एवं हीन भावना हिन्दू समाज में उत्पन्न करता है।

पवित्रता- अपवित्रता(ड्रमाण्ड 1970: 43) और अस्पृश्यता को उद्भूत करती है, जिससे परस्पर मानव सम्बन्धों में दूरी एवं अलगाव आता है।" कुओं से पीने का पानी लेने में भी अछूतजातियों को अपने निजी कुओं का निर्माण अथवा गाँव से बाहर के कुओं से पानी भरना पड़ता है, वे उच्च जाति के कुओं से पानी स्वयं नहीं भर सकते।" यह निषेध आज्ञा विशेषकर बुन्देलखण्ड के जनपदों में सामान्यतया पाई जाती है।

(ग्राम सर्वेक्षण द्वारा)

डी०एन०मजूमदार(1969: 82-85) ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि "चमारों को निम्न जाति के रूप में स्वीकार किया जाता है, और उन्हें अछूत, अस्पृश्यता की श्रेणि माना जाता है। वे ठाकुर व्यक्तियों तथा उनके बर्तनों को छू नहीं सकते, इसी तरह कोरी की स्थिति है।"

"चमार अपने वर्तमान इस अमानुषिक अपमानित समाज में अपनी स्थिति से बहुत असंतुष्ट है। उनसे अक्सर बेगार(जबरन श्रम लेना) ठाकुर एवं भू-स्वामियों द्वारा लिया जाता है। गतवर्ष गोकरन चमार नाली खोदने हेतु काम में लाया गया। जो एक ठाकुर जसकरन सिंह ने दो रुपया प्रतिदिन की मिट्टी खोदाई की दर से पूरे दिन काम कराने हेतु खेत में ले गया और शाम को आठ आने पैसे दिये। उनका हर प्रकार का शोषण उनकी निम्न आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के कारण किया जाता है।

यह निम्न जाति का अछाय पूर्ण दृष्टिकोण उच्च जातियों द्वारा बनाया गया है, वे हमेशा जब अवसर मिलता है, उन्हें अमानुषिक रूप से प्रताड़ित करते हैं।"

भारत के हरिजनों ने भारतीय जाति व्यवस्था की यथार्थता को स्वीकार किया एवं वृहत संख्या में बौद्ध, ईसाई में बदल गये। मुसलमान एवं सिख धर्म को उन्होंने स्वीकार किया।

अस्पृश्यता के विरोध में अछूत उद्धार के नेता डा० अम्बेडकर ने स्वयं हिन्दू धर्म को छोड़कर बहुत लोगों की बड़ी संख्या के साथ बुद्ध धर्म को स्वीकार किया

उन्होंने जाति व्यवस्था के व्युत्क्रम एवं भयंकर रूप को निम्न शब्दों में व्यक्त किया(कूबर 1973 में उद्धृत। डा0बी0एन0सेठ 1982: 7)।

"अस्पृश्यता की जड़ जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था की जड़ वर्ण और आश्रम से संबंधित है : वर्णाश्रम की जड़ ब्राह्मण वादी धर्म है: और ब्राह्मण धर्म अधिनायकवादी या राजनैतिक शक्ति से संयुक्त है।"

डा0घुरये (1950) ने अपनी पुस्तक " व्यवसाय और जाति"(241-250) में लिखा है —" भारतीय जन जीवन परम्परा से ही विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, इस विभाजन को खण्डात्मक विभाजन कहा है, भारतीय ग्रामों और नगरों में भी एक से अधिक जातियाँ रहती हैं। ये जाति खण्ड केवल सामाजिक विभेदीकरण को ही व्यक्त नहीं करते, बल्कि शक्ति संरचना से ही सम्बन्ध रखते हैं। वे अपने सदस्यों के हितों की रक्षा तथा सम्पूर्ण जाति के हितों की रक्षा के लिए संगठित होते हैं। अतः राजनैतिक दृष्टि से 'दबाव समूह' के रूप में भी संगठित हो जाते हैं। अतः भारतीय समाज का जातिगत विभाजन गुटबाद का ही परम्परागत स्वरूप है।"

एच0एस0डिसो (1955) ने अपने मैसूर के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत हाजीपुर गाँव के दलबाद व नेतृत्व संबंध में सामुदायिक मूल्यांकन योजना के अंतर्गत अध्ययन करके अपने विचार व्यक्त किये। आपने बताया कि गाँव में उपस्थित दलों को जन्म देने वाले कारकों में केवल जाति ही मुख्य नहीं है। बल्कि अनेक अन्य कारक भी हैं। हाजीपुर गाँव में दलों को जन्म देने वाले कारक केवल नातेदारी व्यवस्था की श्रेष्ठ स्थिति थी, जिन कारकों की उपस्थिति के कारण गाँव दो दलों में विभक्त था सामुदायिक विकास योजनाओं के सफल संचालन व क्रियान्वयन में उपरोक्त दो कारकों ने व्यवधान उत्पन्न किया। जिससे ग्राम जीवन की सुख सुविधा व स्वतन्त्रता का हनन होने लगा। इसके इन दलों का नेतृत्व करने वाले नेता भी प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय स्थिति वाले थे। प्रथम व द्वितीय स्थिति वाले नेताओं की स्थिति काफी मात्रा में श्रेष्ठ थी: एवं तृतीय

स्थिति वाले नेता निम्न स्थिति वाले है। वे केवल चार या पाँच परिवारों का ही नेतृत्व करते है। ये नेता उच्च आर्थिक व सामाजिक स्थितियों एवं उच्च आयु के आधारपर बने।

आस्कर लेविस(1955) ने अपने अध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट किया है, कि वर्तमान समय में विभिन्न जातियों के अन्तर्गत एक से अधिक गुटों का भी निर्माण हो रहा है। उदाहरण के लिये रामपुरा गाँव में 78 परिवारों वाले जाट समुदाय में 6 गुट तथा 31 हरिजन परिवारों में 4 गुट विद्यमान है, इससे स्पष्ट होता है कि राम पुरा गाँव में समस्त परिवार विभिन्न गुटों में विभक्त हैं तथा प्रत्येक जाति में एक से अधिक गुट देखने को मिलते हैं, इस दृष्टिकोण में ग्रामीण समुदाय में जातीय आधार पर बनने वाले गुटों को देखकर यह निष्कर्ष किया जा सकता है कि भारतीय ग्रामीण लघु समुदाय एक गुट समान है।

एम०एन०श्रीनिवास (1959 : 1-16) ने अपने अध्ययन में बताया कि "भारत के विभिन्न गाँव में एक ग्रामीण जीवन में भूस्वामि जाति में भी प्रभुजाति है। एक जाति के प्रभु होने के लिए स्थानीय क्षेत्र में पर्याप्त निजी भूमि, जनसंख्यात्मक शक्ति और स्तरीयकरण के उच्च पद सोपान होना चाहिए। जब एक जाति प्रभु जाति के समस्त गुण रखती है, तब वह अपने पद सोपान से निम्न जातियों से सेवा लेती है, अक्सर एक गाँव में एक या अधिक प्रभु जाति पाई जाती है और बहुत समय पहले से प्रभु जाति ने अन्य जातियों का मार्गदर्शन किया है, विगत 80 या 50 वर्ष से प्रभुत्व को प्रभावित करने वाले नये कारक निकले गये हैं, पश्चिमी शिक्षा, प्रशासन में नौकरी और शहरी आय के स्रोत, ये समस्त तत्व ग्राम में जाति व शिक्षा विशेष की प्रतिष्ठा और शक्ति को योगदान प्रदत्त करते हैं।"

ए०आर०देसाई(1969: 111) में अंकित किया है कि भारत में हिन्दू जातियों ने एक सर्वोच्च सम्पत्ति आर्थिक संसाधनों का, राजनैतिक शक्ति और शिक्षा और सांस्कृतिक सुविधाओं की प्राप्ति.................... में एकाधिकार रखते हैं, यह भी समस्या

उठती है। वास्तव में बिना आर्थिक संरचना में मौलिक परिवर्तनों के साधनों का प्रयोग किये, क्या ? जाति व्यवस्था और जातिय स्तरीकरण का उन्मूलन सम्भव होगा।

गेराल्ड बैरेमैन — एक सर्वोत्तम पहुँचों में जाति का निकटतम विचार उनमें से हमें बैरमैन ने दिया है। बैरेमैन(1960, 1962, 1966, 1967 अ, ब कोटेड इन डा0 बी0एन0सेठ, 1982: पी0एच0डी0शोध ग्रन्थ अप्रकाशित) जो जाति को शक्ति और सुविधाओं की एक व्यवस्था के रूप में विचार करता है और जातियों के मध्य संघर्ष को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में विचार करता है। बैरेमैन जातियों के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए सबल तर्क एवं पैरवी करता है, जैसे मिश्रित संस्कृति, एक विश्वास इस यौगिक शब्द के लिए कारण है कि समाज विज्ञानें, अनिवार्य रूप से पैतृकता से तुलनात्मक है। बैरेमैन के अनुसार जाति व्यवस्था सुविधाओं की स्थिति को स्थायित्व प्रदान करती है। जब समूह स्तरीकरण का स्थान प्राप्त कर चुका है, तब स्थायित्व समूह की शक्तिशाली द्वारा होना चाहिए, जो इसके स्तर के साथ स्थायित्व से सम्मानित करता है।"

''जाति व्यवस्था में परिवर्तन शक्ति संबंधों में परिवर्तन के परिणाम हैं। उच्चतर सुविधा समूह समाज आदेश को स्थायित्व प्रदान करती है। निम्नतर अपने स्तर में प्रगति हेतु संघर्ष करता है।" जो समूह शक्तिशाली है, वे स्थायित्व रखते हैं, जो समूह कमजोर बल संगठन में शक्तिशाली समूह के समान संघर्षशील नहीं हैं, अतः वे कमजोर है। शक्ति सम्बन्ध मजबूती प्रदान करते हैं और स्थायित्व प्रदान करते हैं। (वही, 1967: 39)

मार्क्स के अनुसार उत्पत्ति के साधन के सम्बन्ध में ही वर्गों के विरोधी चरित्र को निर्धारित करता है। जब एक वर्ग जो उत्पादन तो नहीं कर रहा, पर उत्पादन के मुख्य साधनों का स्वामित्व करता है, जब दूसरा जो वास्तविक रूप में उत्पादन कर रहा है, उत्पादन के साधनों पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, ऐसी स्थिति वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष उत्पादन की प्रक्रिया में ही

विकसित होता है। मार्क्स ने स्वतः में स्वतः" के लिए वर्ग को दो भागों में विभाजित किया है। जिसमें मार्क्स की अवधारणा वर्ग द्वन्द्व में निहित है, बहुत पहले से सभी वर्ग अपने समान आर्थिक लाभ के लिए संयुक्त है, लेकिन दमित अचेत विरोधी संघर्ष के साथ जुड़ा है। उन्होंने स्वतः में एक वर्ग को सम्बन्धित किया है"स्वतः के लिए" एक ऐसा वर्ग है, जिसमें दूसरों के साथ द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध होते हुए भी अपने उद्देश्यों के लिए हर तरह से सचेत है और इस प्रकार आवश्यक कार्य और विकसित चेतना से अपने हितों की रक्षा करते हैं।(सिन्धीवुड 1977 : 113 : कोटिड डा0वी0एन0सेठ)

कार्ल मार्क्स की यह बात ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने वर्ग के बाह्य और अन्तः भाग पर जोर दिया है। यह केवल समान आर्थिक हित नहीं है, लेकिन दमित वर्ग के द्वारा एक चेतना भी है, जो सामूहिक रूप से दमन कार्यों के विरोध में कार्य करती है जो चेतन वर्ग का प्रमाणिक तत्व है।मार्क्स 'दा पावरटी आफ फिलासफी' में लिखते हैं कि " एक दमित वर्ग प्रत्येक समाज के अस्तित्व की एक अवस्था है,जो वर्ग संघर्ष के रूप में चली आ रही है। इस प्रकार समाज के नए निर्माण के साथ दमित वर्ग की स्वतंत्रता की आवश्यकता उत्पन्न होती है।" "अपने दा कम्युनिस्ट मेनीफस्टो' में वे लिखते हैं —(मार्क्स एण्ड ऐंजिल्स 1948)'अब तक के सम्पूर्ण इतिहास में स्थापित समाज वर्ग संघर्ष का इतिहास है।"

मैक्स वेबर (1947) ने स्तरीकरण को वर्ग, स्थिति और शक्ति के नामों से व्याख्या की है। बेते(1965) ने जाति, वर्ग और शक्ति इन तीन वर्गीकरण का प्रयोग किया है।

वेबर के अनुसार वर्ग :— व्यक्तियों का कोई समूह उसी वर्ग, स्थिति परिस्थिति या व्यक्ति की एक संख्या जो सामान्य जीवन परिवर्तन और वस्तुओं के प्रति समान आर्थिक रुचि, आमदनी और परिश्रम का बाजार लगता है।(मैक्स वेबर1968:27)।

आन्द्रे बेते के अनुसार 'वर्ग'(1968:4) वर्ग से मेरा तात्पर्य 'उत्पादन

व्यवस्था में एक व्यावसायिक श्रेणी के व्यक्ति जो एक विशेष स्थान रखते हैं।"

प्रो0रामकृष्ण मुकर्जी (1969:281) ने अपने अध्ययन के आधार पर ग्रामीण भारत में पाये जाने वाले तीन प्रमुख वर्गों का उल्लेख किया है। जिनके आधार पर सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है।

1-प्रथम वर्ग :— भूस्वामी एवं निरीक्षण करने वाले किसान।

2-द्वितीय वर्ग :— आत्म निर्भर कृषक, जिनमें स्वयं कृषि करने वाले कृषक, दस्तकार तथा व्यापारी सम्मिलित हैं।

3-तृतीय वर्ग :— साझेदारी में कृषि करने वाले, कृषक मजदूर, नौकरी करने वाले, तथा अन्य लोग।

प्रो0 आर0के0मुकर्जी(1969:281) ने अपने अध्ययन के आधार पर भारत के ग्रामों में वर्गगत स्तरीकरण का जो उपर्युक्त स्वरूप प्रस्तुत किया है, उसमें जातिगत स्तरीकरण की विशेषताओं को भी समाहित करने का प्रयास किया गया है। इस वर्गीकरण के अनुसार प्रथम वर्ग के अन्तर्गत उच्च हिन्दू जातियों का विशेष स्थान है। दूसरे वर्ग में निम्न हिन्दू जातियों एवं सैयद मुसलमानों की प्रधानता है, जबकि तीसरे वर्ग का निर्माण मुख्यतः अनुसूचित जातियों और जनजातियों के परिवारों द्वारा होता है। वास्तविकता यह है कि इस वर्गीकरण को सम्पूर्ण भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता है। विस्तृत दृष्टिकोण से गाँवों की वर्गीय संरचना को केवल दो मुख्य भागों में ही विभाजित किया जा सकता है। कृषक वर्ग और अकृषक वर्ग। यह वर्गीकरण इतना विस्तृत है कि इनमें से दोनों वर्गों के अन्तर्गत भी अनेक उपवर्ग पाये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कृषक वर्ग के अन्तर्गत बड़े कृषक, मध्यम कृषक, छोटे कृषक और सीमान्त कृषक जैसे उपवर्गों का समावेश है।

इसी प्रकार अकृषक वर्ग में भूमिहीन श्रमिक, साहूकार, दस्तकार, व्यापारी और नौकरी करने वाले उपवर्ग आते हैं। इनमें से किसी भी वर्ग को जाति व्यवस्था के

आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक वर्ग और उपवर्ग में अधिक या कम संख्या में सभी जातियों के लोग समावेश हैं। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि हम ग्रामीण वर्गव्यवस्था की विवेचना निम्नांकित तीन प्रमुख वर्गों के आधार पर करें, जिससे गांवों की वर्गीय संरचना के आधार पर वहाँ सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप को समझा जा सके।

1- जमींदार तथा व्यापारी वर्ग

2- कृषक वर्ग।

3- भूमिहीन श्रमिकवर्ग।

<u>ग्रामीण स्तरीकरण में जाति तथा वर्ग की अन्तर्निर्भरता</u> :-

भारत में ग्रामीण स्तरीकरण की विवेचना न तो पूर्णतया जातिगत संस्तरण को आधार मानकर की जा सकती है और न ही केवल वर्ग व्यवस्था को आधार मान कर। यही कारण है कि अनेक विद्वानों ने केवल जाति अथवा वर्ग व्यवस्था को ही ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण के लिए पर्याप्त न मानकर इन दोनों के समन्वित आधार पर ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण की विवेचना की है। ऐसे विद्वानों का विचार है कि गांव में जाति, आर्थिक स्थिति, जीवन की सांस्कृतिक शैली तथा व्यावसायिक परिस्थिति आदि ऐसे महत्वपूर्ण आधार हैं, जिनको संयुक्त रूप से समझ कर ही गांवों में स्तरीकरण के रूप को स्पष्ट किया जा सकता है। ऐसे विद्वानों द्वारा किये गये अध्ययन सामाजिक स्तरीकरण के क्षेत्र में बहुविमीय(मल्टीडाइमेन्शनल) अध्ययन कहलाते हैं।

कैथलीन गफ -(कास्ट इन ए तन्जोर विलेज इ0आर0लीच 'एस्पेक्ट आफ कास्ट इन साउथ इंडिया,सीलोन एण्ड नार्थ वेस्ट पाकिस्तान पृष्ठ 11-60) ने तन्जोर में किए गये अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि सामाजिक स्तरीकरण के रूप में यहाँ की वर्गीय संरचना जाति व्यवस्था से पृथक नहीं है। तन्जोर में अधिकांश कृषक भूमिहीन श्रमिकों के रूप में हैं। तथा सामाजिक स्तरीकरण में उनकी स्थिति सबसे निम्न

है, यद्यपि इनकी निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति को जातिगत निर्योग्यताओं से जोड़ दिया जाता है- लेकिन वास्तविकता यह है कि भूमिहीन श्रमिकों की आर्थिक कठिनाइयों का कारण जाति व्यवस्था से सम्बद्ध नियम न होकर यहाँ कृषि से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियम है। यहाँ भूमिसे सम्बन्धित विधानोंने बहुत से छोटे किसानों को उनकी भूमि से बेदखल करा दिया। इसके परिणाम स्वरूप भूस्वामियों, काश्तकारों तथा भूमिहीन श्रमिकों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई इसकी प्रतिक्रिया के रूप में विभिन्न जातियों के भूस्वामियों ने संगठित होकर किसानों और भूमिहीन श्रमिकों का विरोध करना आरम्भ कर दिया। निम्न जातियों के किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों में उत्पन्न असंतोष और विद्रोह की वर्तमान प्रवृत्ति इसी दशा का परिणाम है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण को केवल जाति अथवा वर्ग के आधार पर ही नहीं समझा जा सकता, बल्कि यह कि इन दोनों दशाओं का संयुक्त परिणाम है।

प्रो० योगेन्द्र सिंह (1969 : 669-688) ने उत्तर प्रदेश के 6 गांवों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष दिया कि भारतीय ग्रामों में सामाजिक स्तरीकरण के निर्माण में जाति एवं वर्ग साथ साथ चलते हैं, तथा वर्ग निर्माण की प्रक्रिया में आज भी उच्च जातियों का निम्न जातियों पर यह एक स्पष्ट प्रभाव है।

बेती ने अपने अध्ययन के द्वारा उन कारणों का भी उल्लेख किया है, जिनके प्रभाव से परम्परागत भूस्वामि वर्ग की आर्थिक शक्ति आज गांवों मेंबहुत कम हो गई है, उसका विचार है कि पुराने जमींदारों ने अपने भूमि का बड़ा भाग अन्य जातियों के व्यक्तियों को बेच दिया है, जिसके फलस्वरूप गांव में परम्परगत जातीय संस्तरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न हो गये हैं, इसके फलस्वरूपआज बड़े भूस्वामियों के उच्च वर्ग में निम्न (जातियों का समावेश हो गया है जबकि वर्गव्यवस्था केदृष्टिकोण से अनेक उच्च जातियों के लोग निम्न वर्गों के सदस्य हो गये हैं।बेती महोदय के उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज में आर्थिक हितों में समानता के विचार से जातीय

समूहों से वर्गों की उत्पत्ति हुई।

आन्द्रे बेते (1968:1-18) "कास्ट क्लास एण्ड पावर" — में तंजौर जिले में श्रीपुरम गाँव का अध्ययन करके यह तथ्य स्पष्ट किया कि ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरणमें आज वर्ग एवं जाति एक दूसरे से मिले जुले हैं, लेकिन अनेक क्षेत्रों में इन दोनों के बीच एक स्पष्ट विरोध भी विद्यमान है। ग्रामीण समुदाय में आज भी जाति, वर्ग और शक्ति के आधार पर एक स्पष्ट संस्तरण देखा जा सकता है, परन्तु यह संस्तरण पूर्णतया परम्परागत रूप में नहीं है। दूसरे शब्दों में, आज गाँवों में यह आवश्यक नहीं है कि उच्च जाति के व्यक्ति को वर्गव्यवस्था और शक्ति संस्तरण में भी उच्च स्थान ही प्राप्त हो। इन सभी अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण की किसी भी विवेचना में हमें परम्परागत मान्यताओं से हटकर और परिवर्तित दशाओं को ध्यान में रखते हुए उन आधारों की खोज करना आवश्यक है, जिनकी संयुक्तता से आज एक नये ग्रामीण स्तरीकरण का निर्माण हो रहा है।

अनेक समाजशास्त्रियों ने गाँवों मेंगुटों के आधार के रूप में आर्थिक कारकों को महत्व दिया है, बहुत से गुटों का आधार भूमि का असमान वितरण जो जाति - समूह बड़े भूस्वामी हैं, उनसे प्रायः भूमिहीन जाति समूह से टकराव तथा गुटबन्दी देखी गयी। यह तथ्य एम0एन0 श्रीनिवास के अध्ययन से भी स्पष्ट होता है।

एम0एन0श्रीनिवास(1959 : 1-11) का विचार है कि गाँवों में गुटों का निर्माण जाति के अतिरिक्त आर्थिक एवं राजनैतिक कारकों से भी होता है। परम्परागत ग्रामीण समुदाय में जहाँ उच्च और निम्नजातियों के बीच सामाजिक दूरी थी, वहीं आर्थिक आधार पर उनकी एक दूसरे पर निर्भरता भी बनी हुई थी। इसके पश्चात् भी उन आर्थिक निर्भरता की यह स्थिति समतावादी न होकर दबाव पर आधारित थी। उच्च जातियाँ ग्रामीण उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र पर अपना एकाधिकार बनाये हुये थीं, और निम्न जातियाँ आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनके प्रभुत्व में रहने के लिए बाध्य थीं।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं वैधानिक परिवर्तनों के फलस्वरूप निम्न जातियों को अपने विकास कार्य के पर्याप्त अवसर प्राप्त किये हुए। आज गाँव में बेगार प्रथा समाप्त करने कृषि मजदूरी में वृद्धि करने, काम के घण्टों को कम करने और अपवित्र कार्य(जैसे -- मरे हुए जानवरों का उठाना इत्यादि) को न करने जैसे विषयों को लेकर निम्नजातियों के बीच भी गुटों का निर्माण हो रहा है। इसके फलस्वरूप आज सम्पूर्ण भारतीय ग्रामीण समुदाय साधन सम्पन्न और साधन हीन जैसे दो महत्वपूर्ण गुटों में विभक्त हो गया है। इन महत्वपूर्ण गुटों के अन्तर्गत सम्बन्ध देखने को मिलता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आर्थिक आधार पर भी भारतीय ग्रामीण समुदाय गुट समाज के रूप में परिवर्तित हो गया है।

गाँव में गुटबन्दी विकसित होने में बड़े भूस्वामियों का महत्वपूर्ण योग - दान योगेन्द्र सिंह के अध्ययन से भी इंगित होता है -

योगेन्द्र सिंह (1969:711-723) ने अपने अध्ययन में बताया कि "जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद गाँव की शक्ति संरचना जमींदारों के एक हाथ में आयी जिससे आर्थिक लाभांश और वस्तुओं के स्वामित्व का नेतृत्व जमींदारों द्वारा ही होने लगा और ग्रामीण राजनीति के क्षेत्र सामाजिक आधार -- ग्राम पंचायत एवं जाति पंचायत भी इन्हीं के हाथों नियंत्रित होने लगी। ग्रामीणों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय कृषि होने के कारण अधिकतर भूमि का स्वामित्व उच्च जातीय क्षत्रिय, ब्राह्मण जमींदारों के सदस्यों के हाथ में स्थानान्तरित हुआ, अतः जमींदारी प्रथा के समय से ही ग्रामीण शक्ति संरचना का केन्द्र जमींदार भूस्वामी रहे, उन्हें ही असामियों या पट्टेदारों से सुविधायें मिल और आर्थिक सुदृढ़ता के कारण स्थायित्व की जड़ें ग्रहण किये हुए हैं।

योगेन्द्र सिंह ने गुटवाद के संदर्भ में बताया कि आदि काल से ही उच्च वर्ग के हाथों में शक्ति व प्रतिष्ठा रही है, जिससे उच्चवर्गों द्वारा निम्न वर्गों को शासित एवं शोषित किया गया है, किन्तु गुटवाद की अवधारणा ने निम्न वर्गों को उच्च वर्ग की भाँति अपने अपने अधिकारों व उच्च स्थिति को प्राप्त करने के प्रति जागरूक किया है।

कुछ समाजशास्त्रियों ने गुटबन्दी के विकसित होने में राजनैतिक कारण को अधिक महत्व दिया है। आस्कर लेविस(1955) का कहना है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव के कारण विभिन्न जाति समूह गुटों में बदल जाते हैं। उनके महत्वपूर्ण अध्ययन (आस्कर लेविस, 1955) से स्पष्ट होता है। इस अध्ययन के अनुसार ग्राम पंचायतों के व न्याय पंचायतों के चुनाव के द्वारा भी ग्रामीण जीवन में दलवाद का जन्म हुआ।क्योंकि व्यक्तियों में अपने वर्ग, जाति व समूह के किसी व्यक्ति को चयन किए जाने की भावना होती है और चुनाव प्रचार के दौरान दूसरे वर्ग के प्रत्याशी के प्रति बनाये गये ईर्ष्यालु व संकुचित स्पर्धात्मक दृष्टिकोणों के कारण प्रायः संघर्ष भी होने लगते हैं तथा वे चयन किये गये प्रत्याशी इन विशेष दलों का नेतृत्व भी करते हैं।

अपने एक अध्ययन में एम0एन0श्रीनिवास ने भी गुटबन्दी के कारणों में राजनैतिक कारक को महत्व दिया है।

एम0एन0श्रीनिवास(1959: 1-16)का विचार है कि परम्परागत नेतृत्व का निर्धारण जन्म, आयु तथा सम्पन्नता के आधार पर होता था जिसके फलस्वरूप नेतृत्व के प्रश्न को लेकर ग्रामों में न तो गुटों का निर्माण होता था और न ही उनके बीच संघर्ष होते थे। वर्तमान अनतांत्रिक व्यवस्था में ग्रामीण नेतृत्व के निर्धारण में किसी समूह की संख्या शक्ति का महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। मताधिकार पर आधारित चुनाव पद्धति ने बहुमत को नेतृत्व का प्रमुख निर्धारक तत्व बना दिया है। इसके फलस्वरूप अनेक साधन सम्पन्न जातियाँ गुटों का निर्माण करके ग्रामीण नेतृत्व पर अधिकार करने का प्रयत्न करती है, इस प्रवृत्ति का अनुकरण करते हुए पिछड़ी हुई और अनुसूचित जातियाँ भी अपने पृथक गुटों का निर्माण करने लगी हैं। वर्तमान ग्रामीण जीवन में राजनैतिक दलों का प्रवेश भी बढ़ रहा है। जो ग्रामीण शक्ति संरचना के प्रत्येक स्तर पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। यह राजनैतिक दल गाँवों में जातिवाद को प्रोत्साहन देकर अधिक से अधिक मत प्राप्त करना चाहते हैं। इनका प्रयत्न यह होता है कि एक जाति के विभिन्न व्यक्तियों अथवा समान विचारधारा वाली जातियों को मिलाकर गुटों

का इस प्रकार निर्माण किया जाय जिससे इनको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। उत्तर भारत में अनेक नेताओं द्वारा राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु जाति के आधार पर बनाये गये ग्रामीण गुट इस स्थिति के स्पष्ट दो उदाहरण हैं। यह गुट एक क्षेत्र विशेष से सम्बद्ध होने के कारण स्थानीय नेतृत्व को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राजनैतिक आधार पर बने ऐसे गुटों के फलस्वरूप न केवल ग्रामीण क्षेत्र में तनाव, संघर्ष तथा हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है, बल्कि इनके द्वारा निर्बल समूहों के शोषण की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है,। इस आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय में आज अनेक राजनैतिक कारकों ने भी गुट निर्माण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया है, जिसके फलस्वरूप भारतीय ग्रामीण समुदाय एक गुट समाज के रूप में परिवर्तित हो गया है।

विलियम मेकारमेक (1959) ने राजनैतिक कारक विशेष रूप से बदलते हुए ग्रामीण नेतृत्व को प्रधानता दी है। विलियम (1959 : 438 - 444) ने मैसूर के एक गाँव में गुटवाद के अध्ययन में बताया —" ग्रामीण विकास ने देश के अनेक राज्यों में गाँवों में पंचायती राज्य के प्रवेश और सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप एक नये प्रकार के नेतृत्व का उदय हो रहा है। यद्यपि अब भी पैसे वाले और परम्परा से प्रभावशाली व्यक्ति महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। परम्परागत नेतृत्व में बड़ी उम्र के सम्पन्न व्यक्ति अनुष्ठानों और पंचायतों दोनों के ही नेता थे। किन्तु शिक्षा के प्रसार से उच्चतम शिक्षा प्राप्त उच्च जातियों के अतिरिक्त भी स्कूल की कमेटियों, पंचायतों में नवयुवक अवसर पा रहे हैं। बदलते हुए युग में बूढ़े निरक्षर लोगों के लिए गाँव के नेतृत्व को चलाना कठिन भी हो गया है। सामुदायिक विकास योजनाओं के प्रसार ने भी ग्रामीण नेतृत्व को पर्याप्त प्रभावित किया है।

इसी प्रकार मैकिम मैरियट (1955) ने भी गुटवाद में राजनैतिक शक्ति को प्रभावी कारक माना है।

मैकिम मैरियट (1955 : 31, 56, 121, 154, 165, और 225) द्वारा सम्पादित 'ग्रामीण भारत' में कहते हैं कि "स्वाधीनता प्राप्ति के बाद वालिग मताधिकार और पंचायती राज्य) गाँव, तहसील और जिला स्तर पर स्थानीय स्वायत्त शासन) के प्रारम्भ से निम्न जातियों में विशेष कर हरिजनों को जिनके लिए गाँव से लगा-तार संघीय संसद तक सभी निर्वाचित संस्थाओं में स्थान सुरक्षित हैं। आत्मसम्मान और शक्ति का नया प्रभाव प्राप्त हुआ है। इन परिवर्तनों के दीर्घकालीन प्रभाव सम्भवतः और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। विशेषकर उन गाँव में जहाँ हरिजन इतनी संख्या में मौजूद हैं कि स्थानीय शक्ति का पलड़ा किसी न किसी दशा में झुक सके।"

अग्रिम ग्रामीण अध्ययन की श्रृंखला में मनबोधसिंह जी का अध्ययन ग्रामीण नेतृत्व के लिए दलों में संघर्षात्मक प्रतिस्पर्धा की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जैसा कि निम्न अध्ययन से स्पष्ट है।

मनबोधसिंह(1967 : 66-73) ने जौनपुर जनपद के कसौली गाँव में सामुदायिक विकास योजना के अध्ययन के संदर्भ में गुटबाद पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि जातिगत दलों में जातीय संरचनात्मक भूमिकाओं के कारण सदैव परिणाम प्राप्त हुए हैं, पंचायत चुनाव में अपनी जाति के प्रत्याशी की पराजय के कारण उत्पन्न विरोध व ईर्ष्यालु दृष्टिकोण से संघर्षात्मक स्थिति का जन्म होता है। विरोधीदल के प्रत्याशी की विजय के उपरान्त उसके नेतृत्व में होने वाले सामुदायिक विकास कार्य स्वयम् श्रमदान में निरन्तर बाधा उत्पन्न हुआ करती है, पदस्त सदस्य को बदनाम या असफल घोषित करके पुनः चुनाव कराने की तैयारियाँ हुआ करती है।

इसी प्रकार नियोलस ने लोकतंत्रीकरण का आधुनिकीकरण की प्रक्रिया स्वयम् पंचायती चुनाव के परिणामस्वरूप गुटबाद का जन्म हुआ है।

नियोलस ने अपनी पुस्तक'स्ट्रक्चर आफ पोलिटिक्स इन विलेजिस आफ सदर्न एशिया कोटेड के०रंगराव" ग्रामीण राजनीति"(1968 :148)संतुष्ट है कि राजनैतिक तनाव भारतीय ग्रामों के गुट के मुख्य प्रमुख कारण है और यह प्रत्यक्ष तनाव

निम्न जातियों और उच्च जातियों के मध्य आर्थिक और राजनैतिक उन्नता के इस जातीय स्तरीकरण को बदलता है। यह वर्तमान या तात्कालिक प्रक्रिया है।" इस विचार का हमारे आंकड़े समर्थन करते हैं।

इस ग्राम के अध्ययन काल 1945 में कोई राजनैतिक तनाव नहीं पाया गया। किन्तु जैसे ही इस गाँव में आधुनिकीकरण और लोकतांत्रिक पद्धति 1950 में आयी उच्च वर्ग के मध्य तनाव पंचायती राज्य परिणामों में उच्च जातियों के व्यवस्थापन से आया। उच्च सामाजिक और आर्थिक एवम् निम्न सामाजिक तथा आर्थिक वर्ग के व्यक्तियों के मध्य तनाव आया।

एस0आर0मेहता (1972) ने दलबाद के सकारात्मक पक्ष के सन्दर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि अब दलबाद ने नेतृत्व की अवधारणा में आमूल परिवर्तन किया है। पहले यह माना गया कि नेता जन्मजात होते हैं, किन्तु दलों ने जब अपने अनुकूल अपने दल से ही नेता का चयन करके नेतृत्व स्वीकार किया तो यह कहा जाने लगा कि नेता तो बहुधा परिवर्तित कारकों एवम् व्यक्तिगत क्षमताओं व योग्यताओं के आधार पर होते हैं, जिस तरह समाज परिवर्तनशील है उसी तरह नेतृत्व की अवधारणा भी है।

उत्तर भारत के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भूमि का आवंटन, असमानता की चरम सीमा में प्रतीत होता है, यहाँ के गाँव का सवर्ण वर्ग एवम् प्रबल जातियों का वर्ग भूमिधर है, जबकि हरिजन एवम् पिछड़ावर्ग अल्पभूमि या भूमिहीन श्रमिक एवम् दमित वर्ग है। आर्थिक सम्पन्नता ही सामाजिक स्थिति एवम् स्तर का मापदण्ड है। जैसा कि वी0के0आर0 वी0राव (1964:10) में अपने अध्ययन में निर्दिष्ट किया —" भूमि स्वामित्व के रूप में ऐसी असमानतायें शायद अन्य विकासशील देशों में भी पायी जाती है। पर भारतीय स्थिति में अनोखी बात यह है कि भूस्वामी काश्तकार भूमिहीन मजदूर, दस्तकार और सेवा करने वालों के जाति समूह स्थायी और पुश्तैनी होते हैं। भूस्वामी साधारणतया उच्च - जातियों के होते हैं, जबकि पैंतीस फीसदी(35%) हरिजन भूमिहीन मजदूर होते हैं,

और भूमि अधिकांश स्वामियों की जोत इतनी छोटी होती है कि उनकी हालत खेतिहर मजदूरों से कोई ज्यादा अछी नहीं होती।"

आर0देसाई :–'राष्ट्र निर्माण और नागरिकता' (1964–254) के अनुसार "राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण द्वारा (1953-54) में आयोजित एक अध्ययन द्वारा बताया कि देश के कुल 6.6 करोड़ देहाती परिवारों में से 1.5 करोड़ अथवा 22 फीसदी के पास कोई भूमि नहीं है, अन्य 25 फीसदी के पास एक एकड़ फी परिवार से कम है, जबकि दूसरे छोर पर कुल परिवारों में से 13 फीसदी का कुछ क्षेत्रफल के 65 फीसदी भाग पर स्थाई स्वामित्व है।

'रजनी कोठारी (1970) के एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अध्ययन कास्ट इन इण्डियन पोलिटिक्स' में जाति संख्या आर्थिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति जिसको विभिन्न जातियों में असमान वितरण है, के कारण होता है।

'रजनी कोठारी(1970–129) ने अपनी पुस्तक 'कास्ट इन इण्डियन - पोलिटिक्स' में बताया कि रेड्डी एवं कोमा(आन्ध्रा) उन जातियों के सर्वोत्तम उदाहरण हैं, जिन्हें एम0एन0श्रीनिवास ने भारतीय समाज में प्रभु जातियों के नाम से पुकारा है।' वे स्थानीय क्षेत्र के गाँव में सक्रियात्मक रूप से शक्तिशाली हैं और आर्थिक और राजनैतिक रूप से एक लम्बवत प्रभाव का अभ्यास किये" उनकी शक्ति का एक महत्त्वपूर्ण साधन भूमि पर नियंत्रण है, गाँव में लम्बी भूमि के स्वामि बहुत से कृषक श्रमिकों को काम में नियोजित करते हैं।

एक प्रभु जाति का गाँव में नेतृत्व होने के बाद गुटबाद भूमि बटवारा या प्रतिष्ठा का कारण लेकर भाइयों के मध्य, कुटुम्ब के मध्य या पारिवारिक समूह के मध्य होता है। ऐसा गुटबाद निम्न जातियों के मध्य होता है।

आस्कर लेविस(1955: 148) के अध्ययन के अनुसार — ग्रामीण समाज में गुटबन्दी अधिकतर भूमि तथा सम्पत्ति के आधार पर होती है। भूमि के बँटवारे, नहर से सिंचाई की नालियाँ, अवैधानिक यौन सम्बन्ध को लेकर कभी कभी एक ही परिवार

वहीं गुटों के अन्तर्गतिक पक्ष के कारण ग्रामीण समाज मे विघटनकारी प्रवृत्तियों का प्रभाव बढ़ा है। यही कारण है कि वर्तमान समय में प्रभुजाति, आर्थिक शक्ति, भूस्वामित्व राजनैतिक शक्ति एवं पंचायती चुनाव द्वारा बदलते हुए ग्रामीण नेतृत्व ने आधुनिक गुटवाद को जन्म दिया है।

डा0बी0एन0सेठ(1980: 153, 165, 176)द्वारा लिखित पी0एच0डी0के शोध ग्रन्थ हरिजन विद्रोह' पर इसी सन्दर्भ में ग्राम के अध्ययन के अनुसार हरिजन एवं पिछड़ी जातीय समूह के श्रमिकों की ऋणग्रस्तता (तालिका नं0 27, 2पृ0सं0153) एवं तालिका नं035 पृ0176, 165)की स्थिति देखकर यह निष्कर्ष मिलता है कि भूमिधर उच्चजातीय जाति के लोग अल्प भूमि वाले निर्धन श्रमिकों से अल्प मजदूरी में काम लेते हैं, कम सुविधायें देते हैं, बेगार एवं प्रताड़ण, उनकी गरीबी का अभिशाप उन्हें जन्मजात विरासत में प्राप्त है, भारतीय भू श्रमिकों के लिए यह कहावत सत्य ही चरितार्थ होती है, कि भारतीय भूमिहीन मजदूर पैतृक कर्ज में ही जन्म लेता है, कर्ज में ही जीवित रहता है, और कर्ज में ही मर जाता है।" डा0 सेठ के अनुसार एक ओर बड़े भूस्वामी उच्च जाति के समूह के लोग और दूसरी ओर भूमिहीन और राजनैतिक रही शक्ति के अभाव में गिरी हुई हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह के लोग। उच्च भूसीमा वाले बड़े जमींदारों के द्वारा भूमिहीन निम्न जातियों का शोषण होता रहता है। जहाँ तक इन शोषित जातियों में शिक्षा का प्रसार, राजनैतिक चेतना का प्रसार एवं इनमें नेतृत्व का विकास होता है तो यह निम्न जातियाँ अत्याचार के विरोध में राजनैतिकता से संगठित होने लगती है, और यहीं से गुटवाद जन्म लेता है। इस अध्ययन में डिहवट गाँव में भूमिहीन हरिजन पिछड़ी जातियों में राजनैतिक गतिशीलता द्वारा एक सशक्त आन्दोलन उच्च भूस्वामी जातीय समूहों के विरोध में विकसित किया और इन दो गुटों के संघर्ष ने जिसके फलस्वरूप हिंसात्मक रूप धारण कर लिया और लगभग 10 हिंसात्मक मौते उच्च जातीय समूह और निम्न जातीय समूहों के मध्य घटित हुईं। इस अध्ययन में यह भी स्पष्ट हुआ कि पहले गाँव डिहवट में ग्राम पंचायत पूर्णरूप से जमींदार ठाकुरों

के नियंत्रण में थी, पर राजनैतिक आन्दोलन के तत्पश्चात् शोषित निम्न भूमिहीन एवम् पिछड़ी जातियों का ग्राम पंचायत पर पूर्ण अधिकार हो गया।

देश के कुछ भागों के लोग जब बड़े भूमिधर सवर्णों एवम् प्रभुजाति के प्रताड़न, कम मजदूरी एवम् सुविधा विहीन काम से इन्कार करके उनके विपरीत संघर्ष हेतु चुनौती देकर सुविधाओं की प्राप्ति हेतु अपने सामाजिक स्तर को उच्च बनाने हेतु आन्दोलन का अस्त्र एवम् संगठित शक्ति के रूप में संघर्ष करने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में मालिक एवम् मजदूर भूमिधर सवर्ण एवम् अल्प भूमि वाले हरिजन एवम् पिछड़ी जाति अथवा दमित वर्ग के अलग-अलग समूहों में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गुटों के संघर्षशील प्रयास शुरू हो जाते हैं।

ऐसी ही स्थिति का अध्ययन एच0एस0वर्मा(1972 : 41-42)स्वतंत्रता बाद ग्रामीण भारत में परिवर्तन 'रसूलपुर मे परिवर्तन के प्रमाण'[6] ने अपने रसूलपुर ग्राम के अध्ययन में सवर्ण ब्राह्मण, भुजवा और कुर्मी समूह के विरूद्ध हरिजन चमारों के गुटीय संघर्ष का वर्णन किया है। 1953 में चमार जाति में राजनैतिक क्रियाशीलता एक राही चमार द्वारा आयी। उसने सवर्णों के विरूद्ध अपना परम्परागत जजमानी पेशा बंद कर दिया(जैसे मरे जानवरों को उठाकर गाँव के बाहर फेंकना, चमड़ा बनाना, कृषि कार्य करना) और इस समूह में शाकाहारी आदतें बना लीं। 1955 के ग्राम प्रधान के चुनाव में हरिजन समूह ने विरोध किया, 1947 में इस तनाव का कारण जर(धन)जोरू(औरत) और जमीन(भूस्वामित्व) था। इस तनाव में चमार समूह सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक स्थिति सुधार हेतु सैनिक दृष्टिकोण की मान्यता देकर प्रयास कर रहे थे। इन अवसरों में हरिजन एवम् उच्च जातीय समूह में वर्ष 1963,68,72में शारीरिक रूप से संघर्ष हुए। किसी प्रकार कुर्मी और अहीरों ने खूनी संघर्ष को रोका जब रसूलपुर में हरिजनों की सैनिक शाखा नहीं है। किन्तु परम्परागत सेवायें नहीं करते हैं।

ऐसी ही स्थिति इस अध्ययन हेतु चुने गये गाँव की है, अनवरत अनेक वर्षों से बड़े भूस्वामी सवर्णों के द्वारा प्रताड़न, बेगार, कम मजदूरी में ज्यादा घण्टों तक काम, अल्प सुविधायें, निर्धनता मजदूर औरतों के साथ बलात्कार, कत्ल, अमानुषिक दुर्व्यवहार, आर्थिक शोषण सरकारी अनुदान का सार्वजनिक हित में न प्रयोग कर सवर्ण भूमिधर ग्राम प्रधान द्वारा निजी हित में प्रयोग। अन्यान्य सामाजिक कारकों ने भूमिहीन, अल्प भूमिवाले शोषित, हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक लाभ एवं सुविधाओं की प्राप्ति हेतु संगठन के रूप में अपनी रक्षा एवं अमानुषिक दुर्व्यवहारों में नियंत्रण तथा आर्थिक एवं सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति सुधार हेतु गुटों में विभाजित कर दिया।

डा०बी०एन०सेठ(1980: 201) के अनुसार इस ग्रामीण अध्ययन की वैद्यन्तिक प्रस्तावना राजनैतिक शक्ति की गतिशीलता पर प्रमाणित है, क्योंकि अल्पभूमि व भूमिहीन श्रमिकों का आर्थिक शोषण एवं ग्रामीण शक्ति संरचना का अनुकूल एवं प्रतिकूल स्थितियों पर निर्भर करता है, अपेक्षाकृत उनके निम्न सांस्कृतिक संस्कारों की स्थिति सामाजिक स्थिति को प्रभावित नहीं करती, जितना कि उनकी आर्थिक सुविधायें एवं राजनैतिक शक्ति जो ग्रामीण शक्ति संरचना से प्राप्त होती है।

यह हमारी मान्यता है कि गुट के निर्माण में जातियों का स्तरीकरण जो सामाजिक विषमता पैदा करता है, धार्मिक संस्कारों के नियामक नहीं, बल्कि यह राजनैतिक शक्ति एवं आर्थिक सुविधाओं के विषम वितरण का परिणाम है। जातियों के निम्न से उच्च स्तर तक स्तरीकरण में क्या राजनैतिक शक्ति एवं आर्थिक सुविधायें सामाजिक स्थिति को अत्यधिक प्रभावित करती है। हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को क्या यही कारक निर्णायक का काम करता है? एवं राजनैतिक शक्ति व आर्थिक विषमता ही समाज में गुटबन्दी को जन्म देती है?

यह तर्क संगत मान्यता है कि ग्रामीण राजनैतिक शक्ति संरचना में हरिजनों एवं पिछड़े वर्ग की साझेदारी ग्रामीण समाज में आर्थिक सुविधाओं व उनके जीवन

स्तर को ऊँचा उठाकर सुधारात्मक अस्त्र का काम करती है।

इस ग्रामीण गुटबन्दी के समाजशास्त्रीय शोध अध्ययन की पृष्ठभूमि एवं तत्कालीन शोध हेतु निर्धारित ग्राम की स्थितियाँ, सामाजिक प्रक्रिया निम्नांकित उद्देश्यों को निर्दिष्ट करती है।

1- प्रस्तावित ग्राम की शक्ति संरचना का गुटों के निर्माण एवं सक्रियता के योगदान का अध्ययन।

2- उन पारस्परिक विरोधी आर्थिक हितों की पहिचान करना जो गुट निर्माण की आधार शिला है।

3- गुटों के आपसी संघर्ष से बढ़ते हुए हिंसात्मक अपराध एवं हिंसात्मक प्रवृत्तियों का विश्लेषण।

4- सामाजिक नीति निर्धारण गुट का सामाजिक प्रक्रियात्मक विश्लेषण प्रशासनीय दृष्टिकोण से उनकी रोकथाम की सम्भावनाओं के बारे में सुझाव।

5- गुटवाद पर वर्तमान समाज शास्त्रीय अध्ययनों से ग्राम के गुटों के आदर्श प्रारूप की तुलनात्मक समीक्षा।

प्रस्तुत अध्ययन निम्नलिखित शोध प्रश्न उठाता है।

शोध प्रश्न

इस ग्रामीण गुटबन्दी के अध्ययन की सैद्धान्तिक समस्या यह है कि राजनैतिक साधन परस्पर विरोधी गुटों के लिए प्रभावकारी अस्त्र हैं। प्रस्तुत मूल समस्या की मान्यता शक्ति एवं आर्थिक साधनों का शोषण है, व्यक्तियों के निम्नस्तरीय संस्कार नहीं। डा० बी०एन०सेठ के पी०एच०डी० शोध ग्रन्थ में यह उप परिकल्पना सिद्ध की गयी कि विषमता जाति व्यवस्था से नहीं उत्पन्न होती है धार्मिक संस्कारों की प्रथा से नहीं, फलतः समाज में शक्ति एवं सुविधा का असमान वितरण गुटबन्दी को जन्म देता है।" प्रस्तुत अध्ययन में डा० सेठ की उपकल्पना का गुटवाद के संदर्भ में पुनः परीक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस विचार के अनुसार आर्थिक साधन सम्पन्न उच्चजातीय भूमिधर या प्रभु जाति के लोग अभाव ग्रस्त वस्तुओं पर स्वाधिकार करके शक्ति एवं सुविधाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं, जो समूह साधन शक्ति सम्पन्न होता है वही अपनी शक्ति संरक्षण द्वारा अत्यधिक सुविधाओं का उपभोग करता है, जिससे निर्धन भूमिहीन श्रमिक समूह में आर्थिक असमानता और बढ़ जाती है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति और निम्नतर हो जाती है। समाज का दलित हरिजन वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग राजनैतिक शक्ति से हीन एवं पीड़ित होता है, अतः उसे ही आर्थिक सुविधाओं से वंचित रहकर आर्थिक विषमताओं का जीवन यापन करना पड़ता है।

यह तर्क संगत मान्यता है कि भूमिहीन या अल्पभूमि वाले हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोग अपने समाज के जीवन स्तर में विकास राजनैतिक शक्ति संरचना में साझेदारी एवं आर्थिक सुविधाओं की प्राप्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा ला सकते हैं।

गुटबन्दी पर किये गये विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययनों में जातियों के स्तरीकरण की पद्धति जो धार्मिक संस्कारों पर आधारित है, विशेष प्रभावकारी सिद्ध नहीं होती है, न तर्क द्वारा न्यायोचित मान्यता ही रखती है।(बी0डी0सनवाल-1976 20, ग्रामीण कुमाऊँ में सामाजिक स्तरीयकरण)" क्योंकि जातियों का अस्तित्व आर्थिक स्थिति सुविधाओं एवं राजनैतिक शक्ति प्राप्त होने पर अपना स्थाई प्रभाव सामाजिक स्थिति पर दृढ़ नहीं रख पाती। किसी भी जाति या व्यक्ति राजनैतिक शक्ति एवं आर्थिक सम्पन्नता तथा सुविधा सम्पन्न होने पर जातीय अस्तित्व जो एक बल कारक है, समाज में अपनी स्थिति आर्थिक कारक के अनुसार बदलता रहता है। समकालीन परिस्थितियों में गुट निर्माण में आर्थिक विषमता या व्यावसायिक एवं राजनैतिक शक्ति की गतिशीलता एक प्रभावकारी अंग का काम करती है। ग्रामीण अंचलों में किये गये शोध अध्ययनों की ये मान्यतायें जो केवल जातीय उच्च एवं हीन भावना से ही गुटों का अभ्युदय होता है, नितान्त गलत एवं भ्रामक हैं, तर्क की कसौटी में परीक्षण करने पर वे न्यायसंगत सिद्ध नहीं होतीं। अधिकतर ग्रामीण समूहों का निर्माण एवं तनाव भूमि के असमान आवंटन,

आर्थिक सुविधाओं उचित मजदूरी के निर्धारण, बेगार एवं बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु की समस्याओं को लेकर ही होता है।

एम०एन०श्रीनिवास(1959: 1-16)रामपुर में प्रभुजाति – अमरीकी मानव वैज्ञानिक खण्ड 61 फरवरी 1959 पृष्ठ 1-16) जातिवाद के नाम पर अपना सामाजिक उच्च अस्तित्व रखने वाले सवर्ण ब्राह्मण ही हुए हैं। उन्होंने स्तरीयकरण की परिभाषा एवं स्मृतियों की रचनायें की हैं, वे ही साधन शक्ति एवं आर्थिक स्थिति में सम्पन्न रहे। निर्धन साधन एवं सुविधाविहीन हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के अशिक्षित व्यक्ति निर्भीकतापूर्वक अपने आपको सामाजिक स्थिति में स्तरीयकरण में उच्च मान्यता की घोषणा कैसे कर सकता था? अतः जाति को ही गुटबन्दी का प्रमुख कारण नहीं माना जा सकता है, यद्यपि समूहों के निर्माण एवं सहयोग में जाति का भी प्रभाव पड़ता है।

यह हमारा विचार है कि एक उच्च जातीय बड़े भूस्वामि एवं प्रभुजाति का वर्ग एवं दूसरा भूमिहीन अथवा लघु भूसीमा वाले हरिजन एवं पिछड़ी जाति के श्रमिक के मध्य का सम्बन्ध हानि रहित एवं शान्तिदायक कैसे सम्भव हो सकता है?दोनों में तनाव आर्थिक लाभों के उद्देश्य से स्वाभाविक है। शोषक वर्ग शोषित वर्ग की माँगें (उचित मजदूरी का निर्धारण की समस्या) को कैसे स्वीकृति प्रदान कर सकता है? (अस्पृश्यता की राजनीति 1969: 8 कोटेड इन डा०बी०एन०सेठ 1980: 7) ऐसी सामाजिक स्थितियों में दोनों वर्ग पारस्परिक विरोधी गुटबन्दी का कार्य अपनी-अपनी आर्थिक लाभों के निर्धारित उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु करते हैं।

हमारी यह उप परिकल्पना है कि 'समाज के आर्थिक साधन सम्पन्नता एवं राजनैतिक शक्ति सम्पन्नता वाले व्यक्तियों और आर्थिक एवं राजनैतिक शक्ति-विहीन वर्गों का विभाजन अपने-अपने वर्गों के आर्थिक एवं शक्ति साधन सम्पन्नता के लाभों के उद्देश्यों से प्रेरित संघर्ष है। ग्रामीण गुटबन्दी एवं शक्ति गुटवाद का अभ्युदय इन्हीं लाभों को लेकर होता है।" ग्रामीण शक्तिसंरचना की गतिशीलता लोकतांत्रिक प्रणाली

का एक सुधारात्मक अस्त्र का काम करती है।

समाज की इस स्थिति के तथ्यों के आधार पर हम अनेक समाज - वैज्ञानिकों के विभिन्न दृष्टिकोणों की आलोचनात्मक विवेचना ग्रामीण गुटबन्दी के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर अध्ययन की उपपरिकल्पना को विचार मंथन से निकाल कर परीक्षण करने का प्रयास करें।

गुट की अवधारणा

कोई समाज चाहे सरल हो अथवा जटिल प्रत्येक समाज में बन्धुत्व, सम्पत्ति, जाति, सत्ता, अथवा किसी अन्य आधार पर समूह निर्माण की प्रक्रिया अवश्य देखने को मिलती है। भारतीय समाज में बहुत प्राचीनकाल से रक्त सम्बन्धों, गोत्र और वंश और अनुवांशिकता के आधार पर समूहों का निर्माण होता रहा है। ग्रामीण संरचना के अन्तर्गत समूहों का निर्माण मुख्य रूप से जाति, रक्त सम्बन्धों तथा गोत्र के आधार पर होता था। इसके पश्चात् कृषि कार्य में व्यवसायीकरण की प्रक्रिया के साथ ही जब एक नवीन राजनैतिक व्यवस्था का प्रभाव बढ़ा, तब समूहों का निर्माण भी ऐसी विशेषताओं से प्रभावित होने लगा, जिनमें जाति तथा आर्थिक एवं राजनीति के तत्व मिले जुले हैं। इसके फल स्वरूप भारत में सम्पूर्ण ग्राम समाज विभिन्न आधारों पर निर्मित होने वाले अनेक गुटों में विभाजित हो गया। यही कारण है कि अक्सर भारतीय ग्रामीण समाज को एक गुट समाज के नाम से सम्बोधित किया जाता है। यह विभिन्न गुट ऐसे सुदृढ़ समूह हैं जो न केवल अपने सदस्यों के व्यवहारों और विचारों को प्रभावित करते हैं, बल्कि सम्पूर्ण ग्रामीण शक्ति संरचना में अपने गुट के प्रभाव को बढ़ाने का भी प्रयत्न करते हैं। इस दृष्टिकोण से ग्रामीण गुट न केवल ग्रामीण सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण अंग है, बल्कि इनके आधार पर ग्रामीण शक्ति संरचना तथा ग्रामीण सामाजिक संघर्षों को समझना भी सरल हो जाता है। ग्रामीण गुट की अवधारणा :— साधारण रूप से 'गुट' शब्द का तात्पर्य किसी ऐसे समूह से समझा

जाता है जिसका उद्देश्य एक सुदृढ़ सामुदायिकता की भावना से बंधे रहकर अन्य समूहों से संघर्ष करना तथा किसी भी विधि से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। एक अवधारणा के रूप में ग्रामीण गुट का अर्थ इससे पूर्णतया भिन्न है। 'ग्रामीण गुट' शब्द का उपयोग सर्व प्रथम (आर0फ0ई0, 1957 : 113-114) "भारतीय समाज में गुट की प्रस्तावना" में उन ग्रामीण समूहों लिए किया, जिनका उद्देश्य राजनैतिक समूहों के रूप में कुछ राजनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है।" लेविस 1955 113-114 ने अपने अध्ययन में छोटे-छोटे ग्रामीण समूहों का उल्लेख किया, जिन्हें स्थानीय भाषा में धड़ कहा जाता है।" बाद में धड़ का अंग्रेजी अनुवाद फैक्शन के रूप में किया जाने लगा। साधारणतया फैक्शन शब्द परस्पर संघर्ष करने वाले ऐसे विरोधी समूहों का बोध कराता है, जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरे समूहों के प्रति संघर्षशील मनोवृत्ति अपनाते हैं। वास्तव में यह सभी अर्थ 'ग्रामीण गुट' अथवा 'ग्रामीण धड़' की सही भावना को अभिव्यक्त नहीं करते इसका कारण भाषा संबंधी भ्रान्ति है।

हेरोल्ड लासवेल (1931) "फैक्शन्स इन साइक्लोपीडिया आफ दि सोशल साइन्सेज वोलुम 5 न्यूयार्क" के अनुसार "साधारणतया गुट का अर्थ गुट एक मान्यता प्राप्त वैधानिक रूप से चलने वाले बड़ लोगों का समूह होता है, जो किसी विशेष नीतियों अथवा कुछ विशेष व्यक्तियों को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य में तत्पर होता है। गुट शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहता है, और प्रतिक्रिया पर आधारित होकर अधिक चलता है, अपेक्षाकृत सिद्धान्तों के, अथवा सिद्धान्तों पर नहीं, विपक्षी दल की नीतियों के आधार पर वह अपने कार्य पद्धति का निर्माण करता है। इस प्रकार पक्ष विपक्ष दोनों ही गुट एक दूसरे के कार्य पद्धति के आधार पर ही संघर्षरत रहते हैं।"

"जो कार्य गुटों के द्वारा सम्पादित होते हैं, उसी के अनुकूल नेताओं के कार्य करने की पद्धति का निर्माण हो जाता है। इसके आधार पर वे जनता में अपना

प्रभाव डालते हैं।"

लासवेल ने गौर किया कि आधुनिक राजनैतिक दल ऐतिहासिक दलों के आधार पर काम करते हैं, तथा उनमें उस समय एकता की भावना दिखायी देती है जब उन्हें बाहरी राजनैतिक मामले में अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होता है। यह भावना उस समय और भी घनीभूत हो जाती है, जब विरोधी दल अधिक शक्तिशाली होता है। इसी के साथ उस समय भी एकता की भावना दल में दिखायी देती है, जब उसे सफलता मिलती है।

लासवेल ने यह भी बताया है कि दल में उस समय भी आपस में संघर्ष की भावना जागृत होती है जब राजनैतिक क्षेत्र में किसी महान उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए दल अग्रसर होता है।

माइरन वेनर -(1957 : 237) ने अपनी पुस्तक 'भारत में दलगत राजनीति' में पार्टी या दल की विवेचनात्मक व्याख्या करते हुए लिखा है - दल विशेष के अन्तर्गत सैकड़ों छोटे बड़े गुट होते हैं, जो बड़े दल के अन्तर्गत रहकर विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यरत रहते हैं। इन छोटे-बड़े गुटों को किसी भी प्रकार की मान्यता यद्यपि मौलिक दल से नहीं होती, फिर भी वे उसके अन्तर्गत क्रियाशील रहते हैं। ये किसी प्रकार का खुलकर विरोध नहीं करते। इसके विपरीत वे छोटे-बड़े गुटों में बंटकर आपस में प्रभावशाली नेतृत्व करने वाले नेताओं की आलोचनायें किया करते हैं।"

विनर :(1957 : 241-245) ने दूसरी तरफ यह भी कहा है कि दल में जातीयता के आधार को लेकर कभी-कभी अधिक स्वतंत्र और व्यक्तित्व प्रधान छोटे-छोटे गुट स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगते हैं। वेनर जो राजनैतिक दलों की तुलनात्मक विवेचना करते हैं, वे यह भी कहते हैं कि दल में कभी लोग पिता या भाईचारे की भावना को अधिक जागृत करते हुए एक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं, जब उन्हें कोई

राजनैतिक सफलता अर्जित करनी होती है। यह विभिन्न गुट निम्नलिखित तीन कारणों से होते हैं :—(बेनर 1957: 241-245) —

(1) नेहरू और जयप्रकाश नारायण का उदाहरण देते हुए ऐसे भी नेता सम्मुख आते हैं जो किसी भी गुटबाजी से अलग रहकर केवल सिद्धान्तों के आधार पर ही कार्य रत रहते हैं।

(2) सहनशीलता के स्तर के आधार पर नेता दल के अन्दर गुट बनाकर अथवा बाहरी दल से मुकाबला करते हैं, जितना धैर्य और शान्ति के साथ वे कार्य करते हैं, उसी पर उनकी सफलता निर्भर करती है।

(3) विरोध - कभी कभी दूसरे छोटे छोटे दल बड़े दल के विरोध में एक नये दल के रूप में उभर कर सामने आ जाते हैं और मुख्य दल से भी अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं।

परम्परागत भारतीय ग्रामीण समाज में गुट का तात्पर्य ऐसे छोटे-छोटे समूहों को समझा जाता है जो एक पूर्ण इकाई के रूप में सामाजिक सम्बन्धों का नियमन करते थे और सामाजिक आर्थिक, एवम् उत्सव सम्बन्धी अवसरों पर परस्पर सम्बद्ध रहकर एक दूसरे की सहायता करते थे। स्वाभाविक है कि ग्रामीण सामाजिक संरचना के निर्माण में ऐसे समूहों अथवा गुटों का महत्वपूर्ण स्थान था। यही कारण है कि ऑस्कर लेविस ने उत्तर भारत के रामपुरा गाँव के अध्ययन में पारस्परिक सहयोग एवं सहायता को ग्रामीण गुट का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना है। उनका विचार है कि गुट एक ऐसा छोटा समूह है, जो अपने सदस्यों का विवाह, संस्कारों की पूर्ति अथवा मुकदमें आदि की स्थिति में सहायता करता है और इस प्रकार एक सम्बद्ध इकाई के रूप में मान्य होता है। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी समुदाय में गुट का आधार परस्पर का सहयोग एवम् सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध हैं तो ऐसा गुट कभी भी समस्यामूलक नहीं होता। इस दृष्टिकोण से 'गुट' शब्द के स्थान पर परम्परागत भारतीय ग्रामीण समाज में प्र-

लित शब्द का उपयोग अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। कुछ विद्वानों ने ग्रामीण गुट के स्थान पर 'ग्रामीण मैत्री समूह' शब्द का भी प्रयोग किया है, जो गुट की भावना को अधिक स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति करता है।

भारतीय जन-जीवन परम्परा से ही विभिन्न जातियों में बंटा हुआ है- इस विभाजन को डा० घुरिये(1950 : 241-245) ने खण्डात्मक विभाजन कहा है, भारतीय ग्रामों और नगरों मे भी एक से अधिक जातियाँ रहती हैं, ये जातिखण्ड केवल सामाजिक विभेदीकरण को ही व्यक्त नहीं करते, बल्कि शक्ति संरचना से भी संबंध रखते हैं। वे अपने सदस्यों के हितों की तथा जाति समूह के हितों की रक्षा के लिए संगठित हो जाते हैं, वे राजनैतिक दृष्टि से 'दबाव समूह' के रूप में भी संगठित हो जाते हैं। अतः भारतीय समाज का जातिगत विभाजन गुटबाद का ही परम्परा - गत स्वरूप है। स्वयं जाति के सदस्य भी कुछ प्रभावशाली सदस्यों का गुट अपने सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा अन्यान्य हितों के लिए निर्मित हो जाते हैं।

रजनी कोठारी (1970 : 8) के अनुसार जाति और आधुनिक संस्थाओं के मध्य वास्तविक प्रतिक्रिया की प्रक्रिया है, प्रथम आधुनीकरण का प्रभाव जाति व्यवस्था में शक्ति संरचनात्मक है। द्वितीय शक्ति संरचना की प्रवृत्ति जाति व्यवस्था में खण्डात्मक विभाजन के अनुसार लाभ है एवं तीसरा कारक जातीय चेतना एवं समझ है। ये समस्त परम्परागत जाति व्यवस्था के तत्व परिवर्तन की नवीन प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण में खण्डात्मक जातियों के अनुसार शक्ति और सुविधाओं के लिए संघर्ष है। नेतृत्व और शैक्षिक सरकारी कर्मचारी के पदों की सुविधा में परम्परागत व्यक्तिगत समूह के लिए सीमित है। यह जाति समूह उच्च जाति से सम्बन्धित है, सम्भवतया यह राजनैतिक गतिशीलता पर आधारित है।"

यह जातीय प्रतिक्रिया की प्रक्रिया अन्तर्जातीय पृथक-पृथक क्षेत्रों में कुछ अन्तर भी रखती है, जिसका कारण कृषि तथा अन्य आर्थिक कारक हैं जो परम्परागत परस्पर निर्भरता का सम्बन्ध रखते हैं। यह गतिशीलता या प्रतिस्पर्धा लम्बवत गुटवाद के सम्बन्धों का जाल है। यह लम्बवत सम्बन्धों की कड़ी जाति संघों की राजनीति की आधार शिला का निर्माण करती है। ----खण्डात्मक जातीय वर्गीकरण में यह सहयोग एवं अलगाव गुटवाद की प्रक्रिया है जो शिक्षा एवं तकनीकी के प्रभाव से राजनैतिक एवं आर्थिक लाभों के लिए तथा सामाजिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु व्यक्तियों में सहयोगी एवं पृथक गुटों का निर्माण करते हैं।

आस्कर लेविस (1955 : 113-114) के अध्ययन के अनुसार वर्तमान युग में ग्रामीण समुदाय में गुटों का निर्माण दो आधारों पर देखने को मिलता है — सहयोगी आधार तथा संघर्षात्मक आधार। इसका तात्पर्य है कि संघर्षपूर्ण गुट एक नकारात्मक पक्ष की अभिव्यक्ति है, जबकि सहयोगी गुट ग्रामीण जीवन के सकारात्मक पक्ष को स्पष्ट करता है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि गुटों का संघर्षपूर्ण रूप वर्तमान राजनैतिक जीवन से सम्बद्ध है, जिसमें चुनाव में विजय एवं सत्ता प्राप्ति के लिए एक गुट दूसरे से संघर्ष करने लगता है। इसके विपरीत गुटों का सहयोगी पक्ष प्राथमिक रूप से सामाजिक - आर्थिक जीवन से सम्बद्ध है। जिसके अन्तर्गत एक गुट के सभी सदस्यों का उद्देश्य परस्पर सहायता करना तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाना होता है।

इस सन्दर्भ में पाठक 'समाजशास्त्र के क्रिटिश जनरल बुलेटिन में गुटों के आधार : 296' में लिखा है " गुट का तात्पर्य सम्पूर्ण समुदाय के अन्तर्गत विद्यमान संघर्षपूर्ण समूह से है, यद्यपि संघर्ष गुटों की आन्तरिक आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें अक्सर समुदायों को विभक्त करने की प्रवृत्ति होती है। गुट स्थायी समूह नहीं होता, तथा इसकी अवस्थायें विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इस

दृष्टिकोण से गुट एक संघटक इकाई है।"

के०एन० वेंकटारेयप्पा :- "ग्रामीण समाज और सामाजिक परिवर्तन -40" ने गुट के सहयोगी पक्ष को स्पष्ट करते हुए कहा है कि गुट उन व्यक्तियों का छोटा समूह है, जो किसी राजनैतिक अथवा सामाजिक कारण से अपने को एकता के सूत्र में बाँधता है।" इस प्रकार प्रत्येक गुट का ऐक नेता है जो अपने अनुयायियों से गुट के प्रति निष्ठा की अपेक्षा रखता है।"

इसी आधार पर एम० डिल्लन(1955 : 211)"दक्षिणी भारत के समूहों में नेतृत्व " ने कहा है कि "यद्यपि दूसरों समूहों के प्रति द्वेष गुटों का का सामान्य गुण है, और बहुधा गुटों का निर्माण लड़ाई झगड़ों के परिणाम स्वरूप होता है, लेकिन फिर भी यह स्वार्थ अथवा कारक यह एक मात्र शक्ति नहीं है, जो गुटों को निर्मित करती हो।"

मेरे विचार से सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक : प्रभुता : व्यावसायिक, जाति, धर्म, भाषा की विषमता ने समष्टि में आदि काल से शनैः शनैः सुविधा-सम्पन्नता के लिए संघर्ष अस्तित्व के लिए संघर्ष - डार्विन : की परस्पर विरोधात्मक विचारधारा का जन्म दिया। सनवाल -- 1976 बर्ड - 1960-66,67 अ ब ए०आर० देसाई 1969, बैरेमैन 1960अ, 1962 1979 : समान हितों की रक्षा एवं उद्देश्यों से प्रेरित समूहों ने अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आधार संहिता, नियामकों का निर्माण किया। यह समान विचारधारा एवं समानहितों से प्रेरित समूह वर्ग या गुट के नाम से जाने जाते हैं।

समष्टि में अन्तः क्रियाओं एवं व्यवहार में सहयोग व अलगाव से संबंधित समूह के सदस्यों का मार्ग दर्शन, निर्देशन अपने-अपने वर्ग के सबसे विशिष्ट, प्रबुद्ध, कार्यकुशल, समाजसेवी व्यक्ति द्वारा अपने समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया गया, उसे गुट नेता के नाम से पुकारा गया। या गुट नेता की संज्ञा दी गई।

आदिकाल से उपर्युक्त सामाजिक कारकों की वैषम्यता ने समष्टि या मानव जाति को दो वर्गों में विभाजित कर दिया। सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठा, धर्म, क्षेत्रीयता, भाषा एवं पवित्रता-अपवित्रता : डूमान्ट 1970 : 43 होमोहेरार्किक : की भावना द्वारा उच्च एवं निम्न छूत एवं अछूत : अस्पृश्य एवं स्पृश्य जातियों में अवटित किया। आर्थिक स्थिति के आधार पर भूमिधर, भूस्वामी, भूमिहीन, अमीर एवं गरीब मालिक-मजदूर, शोषक एवं शोषित, बुर्जुआ एवं सर्वहारा, कार्लमार्क्स, का भेद पैदा किया यह आर्थिक स्थिति चाहे भूमि, सम्पत्ति अथवा व्यवसायों पर आधारित हो अथवा अन्य स्रोतों से।

भाषा की विषमता में भाषाई विवाद उत्पन्न कर क्षेत्रवाद के हितों के संरक्षण हेतु परस्पर समष्टि में विरोधी संघर्षात्मक विचारधारा, या मत वैषम्यता का जन्म दिया। यथा तेलंगाना एवं नागाओं द्वारा असम में क्षेत्रीयता के आधार पर विवाद अखिल देश का विभाजन, राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिए उत्तर भारत एवम् दक्षिण भारत के लोग दक्षिणी भाषा अथवा अंग्रेजी के लिये विवाद, सहयोग व संघर्ष व्यष्टि की अंतः क्रियाओं एवं व्यवहार के मूल नियामक या सूचक हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, व्यावसायिक प्रतिष्ठा व लाभ के हितों की भावना ने समान विचार व समान हितों से सम्बन्धित समूह के प्रतिमा व आधार संहिता निर्मित की। जिससे समष्टि में शोषक, शोषित, मालिक-मजदूर, धनी, निर्धन परस्पर विरोधी विचारधारा के समूहों का जन्म दिया। जिससे एक समाज अपने भिन्न लक्ष्यों से प्रेरित हितों की प्राप्ति हेतु वर्ग-संघर्ष करने लगा। सहयोग व अलगाव के अन्तर्व्यवहारों एवं सिद्धान्तों की अवधारणा ही 'गुटवाद' के नाम से जानी जाती है।

गुट की प्रवृत्ति धनात्मक व ऋणात्मक होने के कारण समाज में निर्माण एवं विनाशकारी कार्य इन दोनों संघर्ष समूहों से सतत होते चले आ रहे हैं। शहरी व ग्रामीण समाज की अलग-अलग परिस्थितियाँ, लाभ के क्षेत्र होते हैं, अतः उनके संघर्ष

व तनाव कैम्परकों में भी भिन्नता होना स्वाभाविक है।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री बोसर (1957 : 199-203) ने अपने महत्वपूर्ण अध्ययन में गुटवाद के प्रकार्यों व प्रकृति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए 'गुटों की उपस्थिति में समाज में सहयोग व अलगाव की भावना का उदय होता है, किन्तु प्रत्येक संघर्षात्मक विचारों में स्वस्थ प्रतियोगिता व स्वस्थ प्रगतिशील स्पर्धा नहीं होती है, क्योंकि संघर्षों के प्रकार व सामाजिक-संरचना के प्रकार स्वतंत्र कारक नहीं हैं। आन्तरिक सामाजिक संघर्षों में गुटों के मूल्यों, उद्देश्यों एवं अभिरुचियों की विभिन्नता के कारण सामाजिक-संरचना के प्रति स्वस्थ प्रगतिशील स्पर्धा नहीं होती, निजी स्वार्थों की सिद्धि एवम् अपने गुट का हित सर्वोपरि भावना होती है, जिससे स्वस्थ सामुदायिक विकास-कारी कार्यों में बाधायें, रुकावटें एवं प्रसार कार्यों की प्रगति रुक एवं मन्द पड़ जाती है, जिससे ग्रामीण विकास की गति मन्द एवं कुण्ठित हो जाती है।"

इससे स्पष्ट होता है कि गुटीय भावना मानव स्वभाव की एक विशेषता है और सामाजिक, आर्थिक विकास का माध्यम होते हुए गतिशील जीवन का सूचक है।

ऑस्कर लेविस (1955 : 148 'उत्तरी भारत में गुटवाद का अध्ययन' के अनुसार "गुटबन्दी से हमारा सामान्य तात्पर्य एक विशेष उद्देश्य से प्रेरित कुछ आपसी समर्थन वाले व्यक्तियों के समूह से होता है। एक विशेष उद्देश्य से ही प्रेरित समूह को गुट की संज्ञा देना इसलिए उपयुक्त है, क्योंकि गुटबन्दी का स्वभाव और सन्तुलन अस्थाई होता है, कोई भी गुट स्थाई नहीं होता। उद्देश्य की सफलता या असफलता का विश्वास हो जाने पर गुट प्रायः भंग हो जाता है, किसी विशेष गुट के निर्माण में ऐसे व्यक्तियों का सक्रिय समर्थन मिलता है जिनमें से प्रत्येक के निकटतम मित्रों अथवा समर्थक समूह के प्रत्येक व्यक्ति को उस गुटबन्दी की सफलता से लाभ पहुँचने वाला होता है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी समर्थक होते हैं जिन्हें गुट के निर्माताओं अथवा सक्रिय समर्थकों दूसरे शब्दों में गुट के नेताओं द्वारा किन्हीं भी आधारों पर संयोजित कर लिया जाता है।"

डेविड जी मैन्डिल बाम ने भारतीय समाज में जातियों के मध्य समूहों के निर्मित होने की प्रक्रिया का अध्ययन किया उन्होंने अपने विचार निम्नवत् व्यक्त किये हैं —

डेविड जी मैण्डिल बॉम (1965: 241) "सोसाइटी इन इण्डिया एलिमेन्ट्स एण्ड सेक्सन्स विद इन द कास्ट" — इनके अनुसार दल संघर्ष समूह है, संघर्ष सार्वजनिक शक्ति के लिए राजनैतिक प्रतिस्पर्धी है, दल समूह नियमित नहीं है, उनमें समूह के सदस्य ही सिद्धान्त है। यह एक लाभप्रद विश्लेषण है, लेकिन प्रायः एक समूह जिसे दल भी कहा जा सकता है, वह ही एक संगठित समूह है जिसके सदस्य परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जो कि न्याययुक्त नहीं है। दलों में परस्पर विरोधियों के मध्य प्रतिस्पर्धी दलवाद का परिणाम है।"

डा0घुरये (1950: 241) ने अपनी पुस्तक जाति वर्ग और व्यवसाय में बताया —" यद्यपि दल तथा गुट को हम ढीले रूप में एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, परन्तु यदि दल को सामान्य आदर्श एवं कार्यक्रमों का अनुसरण करने वाले तत्वों का समूह मान लिया जाये तो गुट उस दल के अन्दर गुटों का यह अन्तर्विरोध के कारण बन जाते हैं। दल के अन्दर गुटों का यह अन्तर्विरोध प्रायः चलता रहता है, क्योंकि कोई गुट जब तक अपने आप में इतना सशक्त न हो कि दल से ह हटकर एक पृथक दल बनाकर अस्तित्व में रह सके, अपने दल को नहीं छोड़ता। एक दल समाज और अपने क्षेत्र में जो स्थान प्राप्त कर चुका होता है, उस दल के छोटे-छोटे गुट बिखर कर उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते और उनका अस्तित्व व साथ ही साथ दल का अस्तित्व और शक्ति के भी समाप्त हो जाने का खतरा पैदा हो जाता है।

एक गुट अपने दल के अन्दर ही प्रभावपूर्ण एवं शक्तिशाली हो सकता है तथा दबाव नीति को सफल बना सकता है, दल के बाहर रहकर नहीं।

पाल0आर0ब्रास —(डि0 1968 : 1174–1197) ने अपनी पुस्तक दल व्यवस्था में गुट —" उत्तरी भारत में राजनैतिक विलयन " में अपने अध्ययन उत्तर प्र

प्रदेश के पाँच जिलों के आधार पर अन्वेषण किया। तीन उत्तरी भारत के प्रान्तों — बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में राजनैतिक शक्ति कांग्रेस से अन्य संयुक्त दलों (गैर कांग्रेस) को इस प्रकार स्थानान्तरित होगयी (वर्ष 1967 एवं 1968) में।" इस अध्ययन में पाल ब्रास ने दलों के छोटे-छोटे विभाजित खण्डों से दलबाद की पहुँच का अध्ययन किया। अन्तर्दलीय गुटों की अपेक्षा पाल ब्रास ने इन्हें अधिक महत्व प्रदान किया। ब्रास महोदय ने दलबाद की अवधारणा के उपयोग का प्रयास किया है। अन्तर दलों से आन्तरिक अनुगामी नेताओं का प्रकट विलियन व्यवहार में किया इसका कारण सावयव की संरचना की मान्यता पर आधारित है। यथा कांग्रेस दल में दलों का विभाजन उसी तरह है जैसे दल व्यवस्था में दलों का संचालन होना। जैसा कि लाय वैल ने एक अति संरचनात्मक दलबाद की परिभाषा प्रस्तुत की है। उसकी परिभाषा से दलबाद एक स्थाई सुदृढ़ अन्तर्दलीय प्रक्रिया है यह अवधारणा दलीय व्यवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकती, जो एक विश्लेषण के विभिन्न स्तर है।

पाल ब्रास (1969 : 1174-1197) क्षेत्रीय राजनीति के आधार पर दल — उत्तर प्रदेश के पाँच जिलों का अध्ययन करके यह अन्वेषण किया कि यहाँ के कांग्रेस के नेता जो विशेष गुटवादी हैं और शक्ति को प्राप्त करने में संलग्न हैं, वे अधिकतर भूस्वामी या अन्य धनिक वर्गों में से ही हैं। सन् 1967 के चुनाव का अध्ययन करने पर यह बात सामने आयी है कि किसी प्रकार समस्त देश में स्थान-स्थान से ऐसे ही लोग उभर कर हो जो धनी हों अथवा जिनमें शासन की प्रवृत्ति हो। यह भावना उन विजेता नेताओं से स्पष्ट है कि वे देशभक्ति में कितना योगदान दे रहे हैं, ऐसा तुलनात्मक अध्ययन — वेनर ने भी 1967 में 'पार्टी बिल्डिंग इन न्यू नेशन' के रूप में किया।

पाल ब्रास (1968 : 1174-1197) के अनुसार वर्तमान गुट बन्द नेता पुराने देशभक्तिनेताओं के तरीकों पर केवल मशीन जैसे कार्य करने वाले हैं जो इस आजाद पीढ़ी को दूसरी दिशा में ही ले जाने के प्रयत्न में है। जो विचारधारा इस समय चल रही है वह न तो साम्प्रदायिक न वैचारिक ही है वरन् व्यक्तिगत और परिवर्तनशील है।

राम आसरे राय : 1967 : 318) 'भारत के प्रान्तीय दलों में बिहार में — कांग्रेस दल के राजनैतिक विभाजन का मामला' ने स्पष्ट किया है कि बिहार में दलवाद को कायस्थ, राजपूतों और भूमिहारों के मध्य दीर्घकालीन तनाव के रूप में समझा जा सकता है।

दलों के मध्य प्रतियोगिता का अर्थ दलवाद है, जो नेताओं और अनुगामियों के छोटे-छोटे समूहों में निर्मित होते हैं। अन्तर्दलीय समूहों के मध्य प्रतियोगिता का अर्थ सूक्ष्म दलवाद है, जो विशेष रूप में सामाजिक, आर्थिक रूचियों से संबंधित किया जा सकता है।' गुटबन्दी मुख्यतः सिद्धान्त रूप में दो कारणों से प्रेरित होती है एक बदली हुई परिस्थितियों के कारण उत्पन्न उसी दल की नीति व नेतृत्व में परिवर्तन और दूसरे नेतृत्व के प्रश्न पर व्यक्तिगत विरोध।

मैक्सवेल (1967) के अनुसार छोटे-छोटे दल प्रमुख दल से अलग होकर गुटों में बँट जाते हैं और कभी मिलकर कभी अलग होकर विपक्षी दलों का सामना करते हैं। फरवरी 1967 के द टाइम्स पत्र का हवाला देते हुए बताया कि निर्वाचन के समय जिन बहुत से लोगों को कांग्रेस दल से टिकट नहीं मिला वे या तो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया अथवा दल छोड़कर दूसरे दल में जा मिले। निर्वाचन में विजय पाने पर भी वे कांग्रेस दल में वापस नहीं आये।

भारत में राजनीति सामाजिक संस्थाओं से इस प्रकार घुली-मिली है कि कहीं लगता है कि सामाजिक तत्वों उदाहरणस्वरूप जाति व धर्म के आधार पर राजनीति की बिसातें बिछी हैं और कहीं लगता है कि राजनीतिक गुटबन्दी का प्रभाव जातीय व अन्य सामाजिक सम्बन्धों पर पड़ रहा है। सामाजिक परम्पराओं का किसी भी देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, परन्तु फिर भी दोनों का क्षेत्र किसी सीमा के पश्चात् पृथक हो जाता है।

जहाँ शीर्ष राजनीति का उद्देश्य राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक परम्पराओं

को इस प्रकार परिष्कृत करना होता है कि उनके अन्तर्विरोध व आपसी वैमनस्य का परिहार हो जावे और नई तथा स्वस्थ सामाजिक परम्पराओं मानवीय तथा राष्ट्रीय मूल्यों का पोषण करने के लिए उद्भूत हों तथा सामाजिक परम्परायें देश को एक स्वस्थ नेतृत्व दे सकें, वहीं भारतीय राजनीति इन सामाजिक परम्पराओं के विकृत और विघटनकारी स्वरूप का पोषण करती प्रतीत होती है। जातिगत तथा धर्मगत गुटबन्दी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। राजनीतिज्ञ धर्म तथा जाति के आधार पर गठित संस्थाओं का पोषण तथा इन्हीं आधार पर व्यक्तिगत पक्षपात कर चुनावों में विजय पाने तथा सत्ता में प्रमुख बनाये रखने हेतु समर्थकों का गुट तैयार करते रहते हैं।

भारत गांवों का देश है और आधुनिक सभ्यता यद्यपि धीरे-धीरे समस्त स्थलों में फैल रही है, परन्तु औद्योगिकीकरण के परिणामस्वरूप हुए नागरीकरण ने ग्राम्य तथा नगर समाज के रूप में भारतीय समाज को स्पष्ट रूप से बांट दिया है। ग्राम समाज के निर्माण आपसी सम्बन्धों तथा विकास में सामाजिक परम्परायें तथा रूढ़ियां अब भी अपना प्रमुख स्थान रखते हैं, जबकि नागरीय समाज मे आर्थिक चक्र और राजनीति इन परम्पराओं को प्रभावित किये हुए हैं। यद्यपि दोनों ही क्षेत्रों में सामाजिक रूढ़ियाँ प्रथायें अर्थचक्र व राजनीति किसी न किसी सीमा तक एक दूसरे को प्रभावित किये हुए हैं परन्तु प्राथमिकताओं के आधार पर गुटबन्दी का अध्ययन हम अलग अलग क्षेत्रों में करेंगे।

प्रो0 रामकृष्ण मुकर्जी (1969:75) "ग्रामीण समाज की गत्यात्मकता" ने अपने अध्ययन में गुट की अवधारणा से सम्बन्धित प्रमुख विशेषताओं को इस प्रकार स्पष्ट किया है :—

1- अन्य समूहों के समान गुट भी एक सामाजिक समूह है।

2- यह समूह आकार में बहुत छोटा होता है।

3- गुट का निर्माण कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है- यह परिस्थितियाँ चाहे संघर्ष की हों अथवा सहयोग की।

4- गुट की सदस्यता ऐच्छिक होती है, तथा परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति इसमें परिवर्तन करते रहते हैं।

5- गुट का उद्देश्य समान हितों वाले व्यक्तियों द्वारा मिलजुल कर कार्य करना तथा परिस्थितियों के अनुसार किसी भी सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करना होता है।

6- वर्तमान जीवन में गुट राजनैतिक और संघर्ष से अधिक प्रभावित है। लेकिन यह उनका एक मात्र स्वरूप नहीं है।

7- गुट सभी समाजों में विद्यमान है यद्यपि गांवों में यह सामाजिक संरचना की आधारभूत विशेषता है।

विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा गुट की विभिन्न अवधारणायें उनके अध्ययनों से ज्ञात हुई है। उपर्युक्त अध्ययनों के विवेचन से एवं स्वयं के ग्रामीण अध्ययन से हमें निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :—

1- गुटीय भावना मानव स्वभाव की एक विशेषता है, यद्यपि गांव में यह सामाजिक संरचना की आधारभूत विशेषता और सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास का माध्यम होते हुए गतिशील जीवन का सूचक है।

2- गुट का निर्माण कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है, यह परिस्थितियाँ समूह के मध्य चाहे सहयोग की हों अथवा संघर्ष की। ग्राम एवं नगरीय दलों के निर्माण की परि - स्थितियाँ प्रायः भिन्न होती हैं। गांवों में दल का निर्माण प्रायः भूमि एवं सम्पत्ति अथवा जर, जोरू और जमीन के कारणों से प्रभावित होते हैं, जबकि नगरीय समाज में दल का निर्माण राजनैतिक, व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक कारणों से प्रेरित होता है।

3- दल की प्रकृति अस्थाई होती है, दल के निर्माण का उद्देश्य समान हितों वाले एवं समान विचारधारा वाले व्यक्तियों द्वारा मिल जुल कर कार्य करना तथा किसी भी सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। लक्ष्य प्राप्त हो जाने के पश्चात् दल बिखर भी सकता है, यह उसके सदस्यों की इच्छा पर निर्भर है। या निरन्तरता भी ग्रहण किये रह सकता है।

4- एक ही बड़े दल के सदस्यों में स्वार्थपरता के कारण से विरोधी प्रकृति समूहों या गुटों का निर्माण भी प्रायः हो जाता है, ऐसा राजनैतिक चुनाव में व्यक्तिगत अथवा जातीयता अथवा प्रतिष्ठा के प्रश्न को लेकर होता है।

5- वर्तमान जीवन में गुट राजनैतिक एवम् संघर्ष से अधिक प्रभावित है, लेकिन यह उनका एक मात्र स्वरूप नहीं, इसके विपरीत सहयोगी गुट समूह भी बनते हैं जिनका आन्तरिक गुट सम्बन्ध सभी सदस्यों के बीच घनिष्ट होता है और यह सम्बन्ध एक परि-वार के सदस्यों के समान होता है, जन्म, मृत्यु, भोज, धार्मिक संस्कारों और उत्सव आदि में सम्मिलित होना परस्पर अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं।

गुट निर्माण की शर्तें अथवा स्थापित्व के आधार

साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि गुट समाज व समाज है, जिसमें एक से अधिक सामाजिक समूह अथवा दल विभिन्न गुटों के रूप में कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में गुट समाज वह समाज है जो अपना पृथक अस्तित्व रखने वाले विभिन्न दलों से निर्मित होता है, यद्यपि विभिन्न अवसरों पर यह दल एक दूसरे के पूरक अथवा विरोधी रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। एक गुट के सदस्य किसी भी जाति से सम्बद्ध हो सकते हैं और अलग-अलग रहते हुए भी विभिन्न अव-सरों पर एक संगठित परिवार के सदस्यों के रूप में व्यवहार करते हैं। गुट समाज की प्रकृति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि गुट समाज में गुट के आन्तरिक सम्बन्धों तथा विभिन्न गुटों के पारस्परिक सम्बन्धों की प्रकृति को ऑस्कर लेविस (1955) एवम् एच०एस०ढिल्लन ने इस प्रकार समझाया है :—

(1) आन्तरिक गुट सम्बन्ध :— जब एक गुट के सभी सदस्यों के बीच घनिष्ट सम्बन्ध होते हैं तब उन्हें आन्तरिक गुट सम्बन्ध कहा जाता है। यह सम्बन्ध एक परिवार के सदस्यों के समान होते हैं। जन्म, मृत्यु, विवाह, भोज, धार्मिक अवसरों, संस्कारों और उत्सव

आदि के अवसरों पर गुट के सदस्य एक दूसरे के यहाँ आना जाना अपना नैतिक दायित्व मानते हैं। गुट समाज के अन्तर्गत गुट के सदस्यों में पारस्परिक सम्बन्ध इतने प्रगाढ़ होते हैं कि विभिन्न अवसरों पर केवल परिवार के मुखिया का ही एक दूसरे के यहाँ जाना पर्याप्त नहीं समझा जाता बल्कि गुट से सम्बन्धित परिवारों के सभी सदस्य [illegible] इनमें समान रूप से भाग लेते हैं। यदि एक गुट में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों का समावेश होता है तो भी उनके बीच जाति और धर्म के आधार पर कोई पृथकता या ही विभेद नहीं होता। गुट के अन्दर भी सदस्यों की योग्यता और कुशलता के आधार पर एक स्पष्ट श्रम विभाजन होता है। लेकिन श्रम विभाजन का यह रूप श्रेणीबद्ध न होकर समकक्ष होता है। इस प्रकार गुट समाज के सदस्य सफलता-असफलता सुख-दुख, राजनैतिक एवं आर्थिक योजनाओं के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यथेचित अथवा संघर्षशील गुटों के रूप में गुट सदस्य एक दूसरे के पूरक होते हैं।

(2) अन्तर्गुट सम्बन्ध :—

अन्तर्गुट सम्बन्ध का तात्पर्य उन सम्बन्धों से है जो विभिन्न गुटों के बीच पाये जाते हैं। साधारणतया गाँवों में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब विभिन्न गुट आपसी तनाव और संघर्षों को भूल कर एक दूसरे के साथ अस्थाई रूप से अनौपचारिक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। गाँव के कुएँ के निर्माण, तालाब की सफाई बाढ़ नियंत्रण एवं किसी प्राकृतिक विपत्ति का सामना करना, राजनैतिक एवं आर्थिक तथा भूमि सम्बन्धी विवादों आदि अवसर हैं, जिनमें गुट के प्रति निष्ठा की अपेक्षा गाँव की प्रतिष्ठा का अधिक महत्व समझा जाता है। यदि विभिन्न गुटों के बीच लम्बे समय से कोई संघर्ष न हुआ हो तथा आपसी तनाव भी कम हो तो मृत्यु, विवाह एवं त्योहारों के अवसरों पर भी अन्तर्गुट सम्बन्ध देखने को मिलते हैं। इस सम्बन्ध में मुख्य विशेषता यह है कि अन्तर्गुट सम्बन्धों का निर्वाह केवल परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, स्त्री सद-स्यों द्वारा नहीं। अन्तर्गुट सम्बन्धों का स्पष्ट रूप उस समय म देखने को मिलता है,

जब किसी विशेष अवसर पर एक गाँव में किसी दूसरे गाँव से सामूहिक रूप से कुछ व्यक्तिगत इकाई रूप से आकर ठहरते हैं। ऐसी स्थिति में गाँव के विभिन्न गुटों के बीच एक समान स्तर का सम्बन्ध इसलिए स्थापित हो जाता है जिससे वे अपने गाँव के संगठन शक्ति और प्रतिष्ठा का दूसरों के सामने प्रदर्शन कर सकें। वर्तमान युग में चुनाव के अवसर परभी विभिन्न गुटों में विभाजित एक जाति के सदस्य आपस में इस लिए समझौता कर लेते हैं, जिससे वे अपनी जाति के प्रत्याशी को विजयी बना सकें। पंचायत राज व्यवस्था के कारण भी आज अन्तर्गुट सम्बन्धों में वृद्धि हुई है।

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उच्च जातियाँ अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए गुट के रूप में परिवर्तित हो रही हैं। जिससे वे निम्न जातियों पर अपना प्रभुत्व बनाये रख सकें। दूसरी ओर निम्न जातियाँ भी शोषण का सामना करने के लिए अपने पृथक गुटों का निर्माण करने लगीं। इस प्रकार वर्तमान युग में गुट निर्माण की प्रक्रिया का आरम्भ आंशिक रूप से जाति की परम्परागत संरचना के टूटने का परिणाम है, तो आंशिक रूप से निम्न जातियों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न करना इस स्थिति का एक महत्वपूर्ण कारण है। इस प्रक्रिया में जब कभी भी विभिन्न गुटों के बीच कोई संघर्ष होता है तब गुट निर्माण की प्रक्रिया पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप ग्रहण कर लेती है। जिन क्षेत्रों में संख्यात्मक आधार पर निम्न जातियों के लोग अधिक हैं, वहाँ समान स्थिति की अनेक उपजातियाँ मिलकर एक एक गुट का निर्माण करती हैं। अपने गुट की शक्ति के आधार पर उच्च जातियों द्वारा थोपे गये प्रतिबन्धों को न केवल अस्वीकार करते हैं, बल्कि आवश्यकतानुसार स्वयं भी प्रतिरोध के लिए तैयार रहती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान युग में गुट निर्माण के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे जितना कि संघर्षपूर्ण मनोवृत्तियाँ राजनैतिक एवं आर्थिक शक्ति गुट निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जब एक गाँव के अन्तर्गत

विभिन्न गुटों के निर्माण की प्रक्रिया केवल अपने गाँव के निवासियों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि समान जाति और समान स्थिति के आधार पर इसका विचार अन्य ग्रामों तक हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि कुछ विशेष अवसरों पर समीपवर्ती गाँवों के एक ही जाति से सम्बन्धित विभिन्न गुट मिलकर एक वृहत् गुट का निर्माण कर लेते हैं।

एल०बिन०एल०बरटेक्स (1958) ने ग्रामीण समाजशास्त्र अपने अध्ययन — ग्रामीण समाज में सहयोग और विरोध के आधार पर विरोध के प्रकारों को तीन श्रेणी में विभाजित किया है :—

(1) प्रतियोगी

(2) तनाव

(3) प्रतिस्पर्धा

यद्यपि व्यवहार के प्रकारों में भिन्नता पहले से ही स्पष्ट है यह किस्म एक दूसरे से इतने घुले मिले हैं कि समझना मुश्किल है। जहाँ एक प्रारम्भ होता है, दूसरे का अन्त है।

(1) प्रतियोगी :— यह विरोधी प्रतिक्रिया की किस्म इसकी अवधि अनवरत लम्बे अरसे की है। इसकी विशेषता – इसकी प्राकृतिक व्यवहार अचेतन रूप से अनवरत चलने वाला है अलग-अलग प्रतियोगियों का लक्ष्य दूसरा होता है। ग्रामीण समाज में यह विरोधी प्रक्रिया आर्थिक क्रिया कलापों में विशेष स्पष्ट है। विशेषकर पूर्व सांस्कृतिक स्थितियों के अनुसार प्रतियोगी व्यवहार सभी जगह हमारे सामाजिक जीवन में दिखाई देता है। हमारा समाज आर्थिक कार्यों में अधिक प्रतियोगी सामान्य रूप से दिखाई देता है।

(2) तनाव :— जब प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा की प्रतिक्रिया परीक्षण के स्थान में होती है, तो इस व्यवहार के नियम स्पष्ट हो जाते हैं तब तनाव पैदा हो जाता है।

(3) प्रतिस्पर्धा :— जब दूसरों के साथ प्रतियोगिता कुछ लक्ष्यों में जागरूक होती है, तब मौलिक लक्ष्य महत्वहीन हो जाते हैं और विरोधी या प्रतियोगी को हराने के लिए प्राथमिक लक्ष्य बन जाते हैं, यह प्रतिस्पर्धी परस्पर विरोधी प्रतियोगिता में दिखायी देने

लगती है। यह व्यक्तिगत या समूहों में अव्यक्त के रूप में स्पष्ट होने लगती है।

कार्टराइट और जेन्डर (1968) द्वारा समूह विश्लेषण की एक तालिका निर्मित की गयी जिसमें आठ सिद्धान्त निर्गत किये गये :—

(1) क्षेत्र सिद्धान्त

(2) प्रात्यक्ष सिद्धान्त

(3) व्यवस्था सिद्धान्त

(4) समाज मिति स्थिति ज्ञान

(5) मनोविश्लेषण विधि

(6) सामान्य मनोवैज्ञानिक स्थिति ज्ञान

(7) सांख्यिकीय परीक्षण का प्रयोग

(8) पर्व नमूना स्थिति ज्ञान : उद्धृत कारविन ई0 — सा0 'ग्रुप डायनेमिक्स' लघु समूही प्रकृति — प्रस्तावना"

ग्रा

ग्रामीण भारत में गुटों की भूमिका :—

एच0एस0डिलन(1955) के अध्ययन के आधार पर 'भारत की वर्तमान प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में ग्रामीण गुटों का एक विशेष महत्व है। इन गुटों के माध्यम से ही विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्यक्रमों तथा चिन्तन का सामान्य ग्रामीणों में प्रचार होता है तथा गुटों के माध्यम से ही ग्रामीण चुनाव और मताधिकार के प्रारम्भिक सिद्धान्तों की जानकारी प्राप्त करते हैं। गाँव में प्रत्येक पंचायतों के चुनाव, में अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त करने के लिए अनेक ऐसे कार्यकर्ता है जो ग्रामीणों के कल्याण में बहुत सहायक होते हैं। अनेक गुट इसलिए विकास योजनाओं में सक्रिय सह भागदेते हैं जिससे वे ग्रामीणों की सहानुभूति प्राप्त कर सके और चुनाव के समय उनका अधिकतम समर्थन प्राप्त कर सकें। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीणों को जनतांत्रिक व्यवस्था में सहभाग

के लिए प्रेरित करने तथा विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं के प्रसार में सहायता देने के क्षेत्र में ग्रामीण गुटों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है।

मैकिम मैरिट के द्वारा सम्पादित ग्रामीण भारत की भूमिका में राबर्ट रेड फील्ड और मिल्टन सिंगर के : उद्धृत बलजीत सिंह' भारत में अग्रिम कदम : 6) ने उन्हीं के शब्दों में "परिवर्तन की सामान्य प्रक्रिया भी विस्तृत है, सामाजिक व्यवस्था की विभेदक रेखा समूह या स्थिति के सहयोगी सम्बन्धों पर आधारित है : गुटवाद की वृद्धि जातियों के अन्यान्योश्रित या पारस्परिक निर्भरता और एक वंचित परम्पराओं का सामान्य कारणों आर्थिक एवं राजनैतिक कारणों में अन्वेषण पर आधारित है।"

ग्रामीण गुटवाद में व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति या सामूहिक हितों की उग्रता की भावना स्वस्थ प्रतियोगिता व स्वस्थ प्रगतिशील स्पर्धा को विनष्ट कर देती है, अतः गुटवाद पर अधिकांश सामाजिक अध्ययनों से स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण समष्टि की प्रवृत्तियाँ ध्वंसात्मक द्वन्द्वात्मक संघर्षों का अविरत परिणाम परिलक्षित कर रही हैं। जिसे मानव समाज की विघटन की प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है।

बलजीत सिंह ने अपनी पुस्तक 'भारत में अग्रिम कदम' 1961 : 4) में अपने अध्ययन में बताया कि 'लोक समाज जो संगठित समाज के रूप में हमेशा हमारे सम्मुख रखा जाता रहा है, दल की फूट एक वास्तविकता और सक्रिय शक्ति रही है। लोक की अनेक विशेषताओं की तरह समूह की एकता और सहनशीलता एक पौराणिक गाथा रही है, सत्य यह है कि यह जीवित रही है, और उनकी सत्यता छिपी रही है।

बलजीत सिंह :(1961, 4) ने ग्रामीण समाज की झाँकी का यथार्थ चित्रण इस प्रकार किया है, उन्हीं के शब्दों में 'इस समाज में असंतोष, संघर्ष, भ्रष्टाचार दरिद्रता, भूख और बीमारी, निरक्षरता, अज्ञानता एवं अजनबीपन, संघर्ष, घूसखोरी, सामाजिक और व्यक्तिगत विघटन, सामाजिक तनाव, बेकारी, जाति भेद, छुआछूत आदि देखने को मिलते हैं।'

दलों के विचारों को व्यक्त करते हुए बलजीत सिंह जी (1961 : भारत में अगला कदम : 4) ने लिखा है कि उनका विचार है कि 'दल न तो पक्की बुराई है, और न वे अपरिवर्तनीय है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दल एक समूह है, जो कभी कभी बहुत शक्तिशाली होते हैं और जिनका निर्माणात्मक निश्चित कार्य होता है। यह भ सत्य है कि दल निरन्तर बदलते रहते हैं।"

बलजीत सिंह 1961 भारत में अगला कदम' 10-11) में 'अन्तर ग्राम दल' में गांवों में दलों के निर्माण की सामाजिक प्रक्रिया को इस प्रकार दर्शाया है। ग्रामीण संरचना में बनने वाले दल का मुख्य कारण भूमि है, भूमि की समस्या को लेकर अपनी ही जाति तथा अन्य जातियों के मध्य मनमुटाव पैदा होता है। सम्पूर्ण ग्रामीण परिवार तथा व्यक्ति इस आधार पर अलग- अलग दलों में बंट जाते हैं। बड़े धनी कृषक दल अपने संघर्ष को केवल कचहरी तक ही नहीं रखते वरन् अन्य गांवों को भी उसमें सम्मिलित कर लेते हैं, क्योंकि जातीय अन्तर विवाह और गोत्र बहिर्विवाह के आधार पर प्रत्येक परिवार दूसरे गांवों में पितृ तथा मातृ सम्बन्ध रखता है। एक गांव विवाह सम्बन्ध के आधार पर अनेक गांवों में जुड़ जाता है। दूसरे गांव के सम्बन्ध में झगड़ों में अपने रिश्तेदारों की सहायता करने आते हैं। इनका अपने गांव में एक दल है। इस तरह एक गांव के दलगत झगड़े अनेक गांवों को सम्मिलित कर लेते हैं। इससे अन्तर गांव के दलों का निर्माण होता है। इस तरह एक गांव के पीछे अन्य गांवों के दलों का सहयोग मिलता है। यह सहयोग परस्पर सहयोग के आधार पर प्राप्त होता है। यद्यपि विवाह की रस्म के द्वारा एक परिवार अन्य परिवारों से जुड़ जाता है, और बड़े परिवार का प्रभाव केवल अपने ही गांव तक ही सीमित नहीं रहता। वरना अन्य गांवों तक ही रहता है। इसलिए ऐसे परिवार से सम्बन्धित दल सामान्यतः बड़ा दल बना लेते हैं।"

ग्रामीण समाज में गुट बन्दी अधिकतर भूमि तथा सम्पत्ति के आधार पर होती है। आर्थिक सामाजिक विषमता की विषाक्त भावनायें जब मानव को सामान्य जीवन

स्तर में जीवन यापन न करने के लिए मजबूर कर देती हैं तभी समान विचारधारा वाला कतिपय व्यक्ति सहयोग व संघर्ष का लक्ष्य बनाकर किसी सामूहिक हितों की प्राप्ति हेतु गुट का निर्माण करते हैं। उच्च जातीय बड़े भूमिधर, प्रबल जातियों के सामन्तवादी प्रारूप जब दलित वर्ग के, दमित श्रमिकों पर अत्याचार, शोषण, कठोर नियन्त्रण, बेगार उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने पर भी व्यवधान बन जाते हैं, तभी समान विचार एवम् परिस्थितियों वाले व्यक्ति सहयोग करके गुट का निर्माण करते हैं, जो संघर्ष समूह बनकर गुट के सक्रिय सदस्यों में से प्रबल प्रबुद्ध नायक के मार्ग दर्शन में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संलग्न हो जाते हैं, इन गुटों के सक्रिय सदस्यों को इस संघर्ष की सफलता में समान हित का लक्ष्य अवलम्बित होता है।

सन्दर्भित अध्ययन ग्राम डिध्वाट में संघर्ष के विशेष कारक – अन्य समाज शास्त्रियों द्वारा किये गये ग्रामीण अध्ययन से प्राप्त ग्रामीण गुट निर्माण के कारणों से एक पृथक विशेषता रखते हैं, इस ग्राम के गुट निर्माण में जाति ही प्रधान कारक नहीं, अपितु सम्पत्ति सम्पन्नता एवम् आर्थिक सम्पत्ति विहीनता अथवा ग्राम के विभिन्न जाति समूहों में भूमि का असमान वितरण अर्थात् सन्दर्भित अध्ययन ग्राम में विभिन्न जाति समूहों के मध्य आर्थिक विषमता एवं राजनैतिक शक्ति का असमान वितरण इस ग्राम के अध्ययन का विशेषण प्रदर्शित होता है।

गुटवाद वर्तमान सामाजिक जीवन का एक अंग बन गया है, इसका प्रभाव ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में व्यापक रूप से परिलक्षित होता है। साधारणतया गुटों की प्रकृति ध्वंसात्मक सामाजिक परिणामों की विवेचना अधिकांश ग्रामीण भारतीय अध्ययनों में प्राप्त हुई और ग्रामीण समाज को विघटनकारी प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है, स्वतंत्रता के बाद सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं, उन सन्दर्भों में गुटवाद के अध्ययन की आवश्यकता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स एवं इसी श्रृंखला में अन्य भारतीय समाजशास्त्री यथा श्री एम०एन०श्रीनिवास, ए०आर०देसाई, आदि

जिन्होंने यथार्थ ग्रामीण भारतीय तथ्यों का सत्य उद्घाटन किया है, एवं भारत के ग्रामीण समाज में गुट की क्रियात्मक प्रवृत्तियों को द्वन्द्वात्मक समूहों में आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व संघर्ष की प्रक्रियाओं में प्रभावीकरण से संगठित करते हैं। इस धारणा को आधारभूत मानकर ग्रामीण भारत के परिप्रेक्ष्य में किये गये शोध-कार्यों का पुनरावलोकन प्रस्तुत किया जा रहा है तथा इस क्षेत्र में नये आयामों को परि-सीमित किया गया है।

इन अध्ययनों के आधार पर प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में जिसमें कि 1967-72 के मध्य हिंसात्मक संघर्ष सवर्णों और पिछड़ी जातियों एवं हरिजनों जाति समूहों के मध्य हुआ -- का गुटवाद को जन्म देने वाले वास्तविक कारणों एवं प्रक्रियाओं का परीक्षण किया जायेगा -- गुटवाद का आधार जाति है?अथवा वर्ग? अथवा राजनैतिक शक्ति तथा सुविधाओं को कुछ जातियों द्वारा अत्यधिक प्राप्त कर लेना व बहुत सी जातियों का साधनहीन, आर्थिक सम्पन्नता एवं राजनैतिक शक्ति में कमजोर होना है-- इसलिए प्रस्तुत अध्ययन के लिए निम्न उपकल्पनाएं प्रस्तावित हैं।

1- राजनैतिक शक्ति तथा आर्थिक सुविधाओं का गांव के समूहों में असमान वितरण ग्रामीण गुटवाद को जन्म देता है।(डा0वी0एन0सेठ, 1982 की उपपरिकल्पना का पुनः परीक्षण।
(उपपरिकल्पना)

2- केवल जाति संस्तरण ही ग्रामीण गुटवाद को जन्म देता है(उपपरिकल्पना --2)

3- केवल आर्थिक विषमताएं गुटवाद को जन्म देती हैं।(मार्क्सवादी दृष्टिकोण)उपपरिकल्पना-3)

4- भूमि का असमान वितरण ग्रामीण गुटवाद को जन्म देता है।(उपपरिकल्पना नं0 4)

5- राजनैतिक चेतना का प्रसार गुटवादों को जन्म देता है।(उपपरिकल्पना नं05)

उपयोगी प्रायोगिक शब्दों की व्याख्यायें :--

गुट -- ऑस्कर लुइस (1955 : 148) के अनुसार 'गुटबन्दी से हमारा सामान्य तात्पर्य एक विशेष उद्देश्य से प्रेरित कुछ आपसी समर्थन वाले व्यक्तियों के समूहों से होता है।

उद्देश्य की सफलता या असफलता का विश्वास हो जाने पर गुट प्रायः भंग हो जाता है।

जितेन्द्र सिंह के अनुसार " गुटवाद एक स्पष्ट और विस्तृत लोकतांत्रिक दल की संरचना का अंश है। जो रुचि और विचारों की विशुद्ध, विभिन्नता पर आधारित है, इस प्रकार के दल या गुटों से नवीन नेताओं का अभ्युदय होता है।

ग्रामीण नेतृत्व :— एच0एस0ढिल्लन(1955) के अनुसार "नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावित किया जा सके।"

ग्रामीण गुटों के नेतृत्व को तीन रूपों में पाया जाता है —

(1) प्राथमिक नेता

(2) द्वितीयक नेता

(3) तृतीयक नेता

प्राथमिक नेता ही सम्पूर्ण गुट का प्रमुख नेता होता है उसी के नेतृत्व में गुट के निर्धारित लक्ष्यों की कार्यवाही एवं योजना संचालित होती है। द्वितीयक एवं तृतीयक नेता अपने समस्त गुट के सदस्यों का सबल संगठन बनाकर अपने गुट एवं विरोधी गुट की गतिविधियों को प्रमुख नेता को सूचित करते रहते हैं एवं समयानुसार अपने निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दल की निर्धारित योजनाओं के संचालन में प्राथमिक नेता का सबल सहयोग एवं समर्थन करते हैं।

जाति :—

मजूमदार एवं मदान (1969) के अनुसार "जाति पद क्रम पर आधारित एक ऐसा समूह है जिसकी सदस्यता वंशानुगत होती है, यह एक बन्द व्यवस्था है। डा0 घुरये के अनुसार जिसके सदस्य अपना परम्परागत व्यवसाय ही करते हैं। डूमाण्ट के अनुसार जाति की निम्नता उच्चता के पद क्रम का निर्धारण अन्य समूहों से सामाजिक अन्तः क्रियाओं के द्वारा भोजन के आदान प्रदान व संस्कारों के परिशुद्धता

के आधार पर होते है।" एक जाति के सभी सदस्य समूह के रूप में गाँव के क्षेत्र विशेष में होते है।

वर्ग :—

अल्फ मेल के अनुसार "वर्ग से मेरा तात्पर्य एक श्रेणी के व्यक्ति जो जो उत्पादन व्यवस्था में एक विशेष स्थान या स्थिति रखते हैं।"

कमजोर वर्ग :—

एम०डी०देसाई , वी०पाई सारी, जी०डी०रामाराव, वी०एस०मेनहास, योगेश, अटल, के अनुसार कमजोर वर्ग जनसंख्या का वह भाग जो समाज के सामाजिक आर्थिक सुविधाओं से पूर्णतया वंचित हो, तथा सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उत्पन्न अत्यन्त पिछड़ा हो तथा शोषित है, कमजोर वर्ग है। इन मापदण्डों के अनुसार अनुसूचित जाति जनजातियाँ, कमजोर वर्ग है। इन मापदण्डों के अनुसार अनुसूचित जातियों, जनजातियों, लघु तथा सीमान्त कृषक भूमिहीन मजदूरों तथा परम्परागत कारीगरों को कमजोर वर्ग माना गया है।''

अभिजात्य :—

इलीट, बेटोमोर(अभिजाति वर्ग की अवधारणा का विश्लेषण किया) इनके अनुसार — अभिजाति शब्द अब दलीय या गुटीय तथ्यों के विश्लेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रधान रूप से व्यावसायिक समूहों के लिए जो उच्चतम स्तर इन्हीं कारणों से समाज में रखते है। (उद्धृत एस०एस०शर्मा : 4)

भारत में ग्रामीण अभिजाति वर्ग :—" ग्रामीण राजनीति और अभिजाति वर्ग -"

खेतिहर मजदूर — आर०बी०सिंह काशी विद्यापीठ वाराणसी आर्टिकिल खेतिहर मजदूरों में गतिशीलता एवं राजनीतिक व्यवहार (चतुर्थ समाजशास्त्रीय प्रांतीय सम्मेलन ग्राउण्ट वर्क कालेज धनपुर 12,13 दिसम्बर 1982" खेतिहर मजदूरों से मतलब ग्रामीण मजदूरों से है

जो मूलतः कृषि कार्य में लगे होते हैं, प्रथम कृषि जाँच आयोग के अनुसार " कृषि श्रमिकों का अभिप्राय उन व्यक्तियों से है, जो कृषि कार्य किराये के रूप में करते हैं। तथा वर्ष में जितने दिनों उन्होंने काम किया हो, उसमें से आधे से अधिक दिनों में उन्होंने कृषि में काम किया हो।"

द्वितीय अध्याय

शोध - विधान

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ग्राम डिघवट में गुटवाद की समाजशास्त्रीय व्याख्या करना है। बांदा जिले में आज जिस तीव्र गति से अत्याचार एवं अपराध बढ़ रहे हैं, उनमें एक सशक्त और एक महत्वपूर्ण कारक बांदा जिले के गाँवों में गुटबन्दी का होना है। यह अध्ययन बांदा जिले के गुटवादी कारकों का वैज्ञानिक विश्लेषण करके वास्तविक कारकों एवं प्रक्रियाओं का पता लगाने से सम्बन्धित है। सतही तौर पर गुटबन्दी प्रायः जाति के आधार पर देखी जा रही है और बहुत से अध्ययन गुटबन्दी कारकों के पीछे उच्च जाति और निम्न जातियों के मध्य तनावों को उजागर करते हैं, परन्तु प्रस्तुत अध्ययन ने जैसा कि भूमिका में कहा जा चुका है, भूमि के असमान वितरण राजनैतिक शक्ति के असमान वितरण को गुटबन्दी के कारण के रूप में बताई गई प्रमुख उपपरिकल्पना की जाँच करना है।

क्या गाँव की विभिन्न जातियाँ उच्च, पिछड़ी एवं निम्न के सभी सदस्य गुटबन्दी या गुटीय तनाव में क्रियाशील हैं अथवा उच्च जाति में केवल बड़े भूस्वामी और जिनके पास राजनैतिक शक्ति का एकाधिकार है और वे जो कि भूमिहीन एवं शक्तिहीन जो प्रायः निम्नजाति के हैं, सम्मिलित हैं?

इस अध्ययन की मुख्य उपकल्पना के सत्यापन ने जिन शोध प्ररचना एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जा रहा है, वे निम्न हैं :—

प्रस्तुत अध्ययन की मुख्य उपपरिकल्पना सं0 —1 'राजनैतिक शक्ति तथा आर्थिक सुविधाओं का गाँव के समूहों में असमान वितरण ग्रामीण गुटवाद को जन्म देता है।' जो कि इसी गाँव से सम्बन्धित हरिजन उत्पीड़न में डा0 बी0एन0सेठ के शोध अध्ययन में सिद्ध हुई, का पुनः परीक्षण किया जा रहा है।

मुख्य उपपरिकल्पना की वैधता की सत्यता के परीक्षण हेतु गाँव के छिबघट का यह अध्ययन अन्वेषणात्मक - रूपात्मक एवं वर्णनात्मक शोध प्ररचना के अन्तर्गत किया गया है।

(1) समाजशास्त्रीय शोध अध्ययन हेतु क्षेत्र का चयन :-

बाँदा गुटवाद का केन्द्र है, यहाँ पर प्रत्येक तहसील के अन्तर्गत बहुत से गाँवों में उग्र गुटबन्दी व्याप्त है। बाँदा जनपद में गुटवाद से सम्बन्धित गाँवों का यथास्थान वर्णन तालिका नं० एक में वर्णित है। इन गाँवों में से 'छिबघट' एक ऐसा गाँव है, जिसका नाम अखिल भारतीय स्तर के अखबारों के प्रमुख पृष्ठ पर हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह द्वारा सवर्णों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के रूप में प्रकाशित किया गया। नेशनल हेराल्ड के प्रमुख पृष्ठ में हरिजन नेता परसन का गोलीकाण्ड नेशनल हेराल्ड जून 8, 1976 एवं क्षेत्रीय अखबार 'दैनिक चित्रकूट दर्शन' के प्रमुख पृष्ठ पर बाँदा जनपद का ग्राम छिबघट जहाँ आये दिन डकैती, राहजनी व मारपीट सुनाई देती है और अपराधी फरार रहते हैं, अंकित है।

बाँदा जनपद में उपर्युक्त विषय पर समाजशास्त्रीय अध्ययन हेतु क्षेत्र के चयन के समय वर्ष 1977 में सबसे अधिक उग्र गुटबन्दी ग्राम छिबघट बाँदा तहसील के अन्तर्गत है, में गुटबन्दी व्याप्त थी। इस गाँव में सवर्ण बड़े भूस्वामियों एवं भूमिहीन एवं अल्प भूमि वाले हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह के कृषि श्रमिकों के मध्य वर्ग तनाव ने हिंसात्मक रूप ले लिया था, जिसमें करीब 10 से 14 हत्यायें ग्राम की दो गुटों में घटित हुईं।

अध्ययन हेतु चुने गये ग्राम छिबघट में हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के कृषि श्रमिक समूह के लोगों के साथ आर्थिक शोषण, बलात्कार एवं अमानुषिक प्रताड़न, बंधुआ मजदूरी कराने एवं बेगार कराने में उच्च वर्गीय बड़े भूस्वामियों के जुल्मों ने हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों को आत्म संरक्षण हेतु सैनिक शक्ति संगठित कर संघर्ष हेतु

स्रोत - पी.टी.आई. के संवाददाता एवं प्रबुद्ध समाज चिन्तक श्री भगवानदास जी गुप्त द्वारा विज्ञप्ति प्रेषण

मजबूर कर दिया। इस गाँव में 12 कत्ले तथा अनेकों मामलों से दोनों गुटों में अनवरत दो दशक तक अशान्ति वातावरण रहा। अतः ग्राम संरक्षण हेतु प्रान्तीय सरकार द्वारा एक पी०ए०सी० का दस्ता 1972 से 1977 तक तैनात रहा।

बाँदा जनपद में डिंगवट ग्राम उग्र गुटबन्दी में अग्रगण्य होने के कारण समाजशास्त्रीय गुटवाद के अध्ययन हेतु इस गाँव का चयन किया गया।

प्रयुक्त प्रविधियाँ :—

(1) अर्द्ध सहभागी निरीक्षण :—

ग्राम पारस्परिक विरोधी समस्याओं से ग्रसित होने के कारण एवं दो विरोधीवर्गों में विभाजित होने के कारण दोनों गुटों की समस्याओं, घटनाओं की सम्यक् सत्य जानकारी हेतु दोनों गुटों के साथ निरीक्षण करना या सहभागी निरीक्षण आवश्यक था। अतः इस ग्राम के समाज शास्त्रीय अध्ययन हेतु शोधकर्ता द्वारा सहभागी निरीक्षण विधि को प्रयोग में लाया गया। निरीक्षण कर्ता ने प्रत्येक गुट के साथ सक्रिय सदस्यों के क्रिया-कलापों में स्वयं क्रियाशील न होकर केवल उनके साथ उपस्थित होकर निरीक्षण का कार्य किया है, जब तक शोध की सम्पूर्ण सामग्री : आवश्यक समस्त आँकड़ों एवं सूचनाओं : का संकलन नहीं होगया, उन दोनों गुटों के सक्रिय सदस्यों से अलग-अलग मिलकर समीक्षात्मक अध्ययन कर्ता के रूप में दोनों गुटों की घटनाओं एवं समस्याओं को ध्यान से समझने अंकित न करने के साथ-साथ ग्राम की समस्त घटनाओं को तिथि सहित क्रमशः अंकित किया। ग्राम की प्रत्येक घटना का परस्पर अन्य घटनाओं से सह सम्बन्ध की जानकारी एवं परस्पर इन घटनाओं का अन्य आगामी घटित होने वाली घटनाओं के प्रभाव को भी समयानुसार अंकित किया। अतः अधिकांश समय शोध कर्ता ने शोध क्षेत्र में ही अनवरत शोध अध्ययन के समय उपस्थित रहकर बिताया। उनके मध्य रहते हुए अपनी व्यवस्था दोनों गुटों से निर्लेप, निष्पक्ष दर्शक की भाँति रहकर अपने शोध से सम्बन्धित समस्त शोध सामग्री (सूचनाऐं एवं आँकड़ों) का संकलन

एक आदर्श शोधकर्ता के समस्त गुणों का उपयोग करते हुए, किया। गुटों के सक्रिय सदस्यों से ग्राम या गुट की हर समस्या पर केवल प्रश्न स्वाभाविक एवं प्राकृतिक ढंग से पूछे गये। स्वयं ग्रामीण गुटबन्दी की विरोधी प्रवृत्तियों से निर्लेप रहकर अन्वेषण का कार्य सम्पादित किया। कभी-कभी स्वयं शोधकर्ता को गुटीय प्रतिस्पर्धियों से घटित अपराधी घटनाओं से बड़ी सतर्कता से अपने आपको दूर रखकर सूचनाओं का संकलन करना पड़ा तथा अपराधी गुट के अपराधी कृत्यों, हिंसात्मक हिंसा, चोरी, डकैती, बलात्कार, फसलों की चोरी, अग्निकाण्ड की घटनाओं की जानकारी सक्रिय सदस्यों से दूर रहकर समीक्षात्मक निरीक्षक के रूप में अंकित किया। इस गांव की स्थिति 1978-1980 तक विशेष गम्भीर थी। अनवरत एक वर्ष तक क्षेत्रीय सूचनाओं के संकलन में उत्तरदाताओं से सम्पर्क एवं व्यक्तिगत इतिहास में सहभागी निरीक्षण विधि का उपयोग किया गया। अपराधों की सत्य प्रतिलिपि का उपयोग इस शोध अध्ययन में किया गया

(1) जनगणना विधि :-

यद्यपि सूचनादाताओं का चुनाव निदर्शन प्रणाली से किया गया पर कुछ सूचनायें ग्राम डिबवट के प्रत्येक परिवार से एकत्रित की गयी इसके लिए जनगणना सर्वेक्षण विधि को अपनाया गया। जिन मदों के अन्तर्गत ग्राम डिबवट के 400 परिवारों से जनगणना विधि से सूचनायें एकत्रित की गयीं वे हैं - जाति, भूमि का स्वामित्व एवं नियंत्रण, शिक्षा, परिवार के सदस्योंकी संख्या और व्यवस्था।

(2) ग्राम सर्वेक्षण अनुसूची :-

डिबवट ग्राम से सम्बन्धित कुछ सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु ग्राम सर्वेक्षण अनुसूची का प्रयोग किया गया। इसके अन्तर्गत ग्राम की कुल भूमि, सिंचित एवं असिंचित स्कूलों की, मन्दिरों व कुओं की संख्या तथा वहाँ की मुख्य फसलों आदि के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित किये गये।

(3) साक्षात्कार अनुसूची :-

हमने विस्तृत साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया है। जिससे ग्राम के 400 परिवारों की समस्त सूचनायें संकलित की जा सकें। यह साक्षात्कार अनुसूची उम्र, शिक्षा, पारिवारिक संरचना, व्यवसाय, व्यावसायिक गतिशीलता, भूमि के स्वामित्व, कर्ज की मात्रा, प्रकृति एवं जाति समूह, उनके आपसी सम्बन्ध, मित्रवत् एवं प्रतिकूल जाति पंचायत, ग्राम पंचायत अब पिछड़े एवं हरिजन जातियों का परस्पर व्यवहार-बर्ताव, अत्याचार की किस्म एवं प्रकृति तथा उत्तरदाताओं का पारस्परिक प्रतिक्रियात्मक बर्ताव।

(4) साक्षात्कार प्रविधि :-

साक्षात्कार निर्देशिका -- साक्षात्कार निर्देशिका का उपयोग गुटीय संघर्ष में वास्तविक घटित दुर्घटनाओं के आँकड़ों के संकलन हेतु किया गया है। जबसे ब्राह्मण और हरिजन तथा पिछड़े जाति वर्ग के मध्य हिंसक संघर्ष प्रारम्भ हुआ। मुख्य ध्यानाकर्षण ब्राह्मणों और हरिजन तथा पिछड़ी जाति के वर्ग के एक साथ संघर्ष के आँकड़ों के संक-लन का ही था।

(5) नेताओं का साक्षात्कार :-

दोनों दलों के प्रमुख व्यक्तियों एवं नेताओं से ग्रामीण समस्याओं के बारे में विशेष रूप से साक्षात्कार किया गया। जिससे ग्रामीण समस्याओं एवं घटनाओं की सत्यता एवं उग्रता की स्थिति का वास्तविक ज्ञान किया जा सके। जैसे ग्राम प्रधान, जाति समूह के नेतृत्व करने वाले नेता एवं बड़े भूस्वामी।

(6) व्यक्ति-इतिहास :-

दोनों गुटों के गुटीय नेताओं एवं ग्रामीण दलों के प्रमुख सदस्यों का व्यक्ति इतिहास भी साक्षात्कार द्वारा अंकित किया गया जिससे ग्रामीण घटनाओं की

सम्बद्धता एवं पृथकता की सम्यक् जानकारी की गयी।

(7) जनपद के राजनैतिक नेताओं के साक्षात्कार :-

जनपद के हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के नेताओं से साक्षात्कार एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय द्वारा सवर्णों से पीड़ित हरिजन तथा पिछड़ी - जातियों के गाँवों की तालिका तथा अन्य शोध की आवश्यक सूचनाओं का संकलन किया। जिससे इस ग्राम की गुटबन्दी राजनीति के अध्ययन में साक्षात्कार लेते समय उत्तरदाताओं की अनेक समस्याओं के जानने में मार्ग दर्शन में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ है। इस ग्राम के उग्र व गुटवाद की स्थिति को नियंत्रित करने में जनपद के किन नेताओं ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया एवं समस्याओं के सुलझाने में प्रयत्नशील रहे अथवा नहीं। इस हेतु जनपद के विभिन्न पार्टी के राजनैतिक नेताओं की गतिविधियों को समझने हेतु समय-समय पर उनका भी साक्षात्कार लेकर उनके विचारों एवं क्रिया-कलापों की जानकारी की गयी।

(8) द्वितीयक स्रोतों से आँकड़ों का संकलन :-

(अ) पुलिस रिकार्ड का संकलन :-

ग्राम डिघवट के समस्त अपराधों के लिखित संकलन हेतु इस क्षेत्र के सम्बद्ध थाना पैलानी में समय-समय पर सम्पर्क स्थापित करके वहाँ के थानाध्यक्ष की अनुमति से समस्त ग्रामीण गुटवाद से सम्बन्धित घटनाओं का विवरण अंकित किया गया। विशेष रूप से वर्ष 1970 से 1980 तक के ग्राम डिघवट के समस्त अपराधी अभिलेख का संकलन किया गया।

(ब) जनगणना रिपोर्ट :-

जिला सांख्यिकीय कार्यालय बाँदा से 1971 का भारत जनगणना रिपोर्ट द्वारा जनपद बाँदा एवं ग्राम डिघवट की जनगणना सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएँ एवं

आँकड़ों का प्रयोग शोध अध्ययन में किया गया। इस ग्राम के ग्रामीण गुटबन्दी सम्बन्धी समाजशास्त्रीय शोध अध्ययन में ग्राम की सम्पूर्ण जनगणना का संकलन व्यक्तिगत साक्षात्कार के सर्वेक्षण द्वारा किया गया।

(स) सांख्यिकीय रिपोर्ट :—

जिला सांख्यिकीय रिपोर्ट का आवश्यकतानुसार यथा स्थान उपयोग किया गया। शोध में आँकड़ों के संकलन हेतु कोड कार्ड, कार्ड शीट, द्वारा तालिकाबद्ध करके आकलन हेतु कैलकुलेटर मशीन का उपयोग किया गया। प्रतिशत निकालने हेतु।

(व) डा0वी0एन0सेठ के शोधग्रन्थ 'हरिजन विद्रोह' से भी आवश्यक आंकड़ों का उपयोग किया गया।

(य) जिला चकबन्दी कार्यालय द्वारा :—

ग्राम डिघवट के उत्तरदाताओं के भूस्वामित्व का समस्त रिकार्ड जिला चकबन्दी कार्यालय द्वारा अंकित किया गया। ग्राम से सम्बन्धित लेखपाल एवं अन्य कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

(र) जिला अभिलेखागार से ग्राम का मानचित्र का उपयोग :—

जनपद के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री मधुकर गुप्त द्वारा अनुमति लेकर जनपदीय अभिलेख संग्रहालय से ग्राम डिघवट के मानचित्र को ट्रेस कराया गया।

(ल) जनपद बाँदा के गजेटियर (1929) का उपयोग :—

ग्राम एवं जनपद की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थिति की सम्यक् जानकारी हेतु बाँदा गजेटियर (1929) का उपयोग किया गया।[1]

1-स्रोत – बाँदा जनपदीय गजेटियर 1929 पं0 रामनाथ दुबे, एम0पी0बाँदा द्वारा प्राप्त किया गया। स्रोत 2-पं0र0ई0का0अ पटिहाकलाँ के प्रधानाचार्य की अनुमति से प्रधान लिपिक श्री महादेव प्रसाद जी गुप्त द्वारा कैलकुलेटर मशीन प्रदत्त की गयी।

शोधकर्ता का क्षेत्र अनुभव :—

सन्दर्भित अध्ययन ग्राम खिचट में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन डा० वी०एन०सेठ द्वारा 'हरिजन विद्रोह' 1982 में किया गया जिसके क्षेत्रीय सर्वेक्षण हेतु इस गाँव में शोधकर्ता भी आया था इसलिए पूर्व से ही इस गाँव के दोनों गुटों के सम्भ्रान्त व्यक्तियों एवं गाँव के नेताओं से परिचय प्राप्त हो चुका था। अतः मुझे दोनों दलों के एवं ग्राम के सभी जाति समुदाय के व्यक्तियों से गुटबाजी से सम्बन्धित प्रश्नावली अनुसूची के माध्यम एवं साक्षात्कार द्वारा ग्राम के दोनों दलों के नेताओं एवं सम्मिलित समस्त उत्तरदाताओं से सूचनायें संकलित करने में विशेष कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा।

यद्यपि गाँव के विभिन्न गुटीय नेताओं से पर्याप्त परिचय था, फिर भी शोधकर्ता को एक विशेष अनुभव हुआ। क्योंकि गुटों के मध्य अत्यधिक तनाव था और यदि शोधकर्ता किसी गुटीय नेता के साथ कहीं पर देखा जाता तो दूसरे गुट के लोग मुझे शक की निगाह से देखने लगते। शोधकर्ता ने इस अनुभव का लाभ उठाते हुए विशेष सतर्कता बरती किसी भी गुटीय नेता एवं सक्रिय सदस्यों से अधिक आत्मीयता या घनिष्टता से बचाया।

एक महत्वपूर्ण बात जो संवेदनशील क्षेत्र है उनमें शोधकर्ताओं को ध्यान रखना चाहिए कि जरा सा भी अब उत्तरदायित्व का व्यवहार विस्फोटक हो सकता है। अध्ययन के दौरान मैंने यह अनुभव किया कि जब भूमिहीन एवं शक्तिहीन गुटों के लोग अपनी व्यथा तथा उन पर हुए अत्याचार का वर्णन करते हैं तो वे सदैव सहमें हुए एवं घबराये हुए रहते हैं।

अध्ययन के दौरान पिछड़े वर्ग के एक नेता जो निम्न और पिछड़ी जातियों का सक्रिय नेतृत्व कर रहे थे भूमिगत हो गये क्यों कि उनसे बहुत महत्वपूर्णसूचनायें प्राप्त की जानी थी। अतः शोधकर्ता को अत्यन्त धैर्य तथा कठिनाई का सामना करना पड़ा। जब इस नेता के सहयोगियों को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि शोधकर्ता भूमिगत नेता के गुप्तस्थान का पता विरोधी गुट अथवा पुलिस को नहीं देगा तब वे इस नेता के पास ले गये। शोध-

कार्य अत्यन्त अपर्याप्त था किन्तु शोध की प्रेरणा आगे शोध कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती रही है।

तृतीय अध्याय

सामाजिक - स्तरण

ग्राम स्थिति एवं भौगोलिक स्थिति :-

प्रस्तुत अध्ययन जो बाँदा जिले के एक गाँव डिघवट के ग्रामीण गुट-बन्दी के समाज शास्त्रीय अध्ययन से संबंधित है, समस्या को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए ग्राम डिघवट की भौगोलिक स्थिति एवं संक्षिप्त सामाजिक आर्थिक इतिहास की विवेचना करता है। इस अध्याय में बाँदा जिले के संक्षिप्त इतिहास की विवेचना तो की ही गयी है, और इसके साथ ग्राम डिघवट के सूचनादाताओं से संबंधित आयु, जाति, परिवार के प्रकार, परिवार की संख्या, जाति, पद सोपान, शैक्षिक, वैवाहिक आदि की भी विवेचना करता है।

यातायात विभाग बाँदा के अनुसार ग्राम 'डिघवट' बाँदा से 37कि0 मी0दूर उत्तर दिशा में बाँदा-चिल्ला रोड में दोहतरा ग्राम से एक कि0मी0 पश्चिम में केन नदी के तट पर बसा है। ग्राम की प्राचीन भौगोलिक जानकारी के अनुसार इस गाँव की आबादी का क्षेत्र वर्तमान समय में जहाँ स्थित है, प्राचीन काल में केन नदी (कर्णवती) के तट उत्तर दिशा में भुवनेश्वर प्राचीन देव स्थान के निकट एक खेर(खेत) में बसा था।[1] यह देवस्थान वर्तमान समय में भग्नावशेष मन्दिर का प्रतीक है। जहाँ दो सौ वर्ष पूर्व 2000 महात्मा संतों के समूह के साथ श्री रघुबीर दास जी का आश्रम था। नदी की भीषण बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र देव स्थान भुवनेश्वर मन्दिर एवं ग्राम्य आबादी होने के कारण स्थानान्तरित होकर वर्तमान स्थान में आबादी के रूप में है। 100 वर्ष पूर्व इस नवीन वर्तमान आबादी में इन्हीं तपोनिष्ठ संत श्री रघुबीर दास जी की प्रेरणा से रामजानकी देव मन्दिर का निर्माण कार्य ग्रामवासी जमींदारों (बड़े भूस्वामियों) ने कराया। इस ग्राम में पहले ब्राह्मण बाहुल्य आबादी थी। शनैः शनैः केवट तथा अन्य

1- गाँव के कुछ वयोवृद्ध एवं सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साक्षात्कार द्वारा प्राप्त जानकारी पर आधारित।

जातियों के लोग बाहर से आ-आकर बस गये। केन नदी (कर्णवती) के तट पर गाँव की बस्ती या आबादी होने के कारण गाँव के किनारे की भूमि अथवा निकटस्थ भूमि ऊँची एवं नीची है। कहीं-कहीं ऊँचे टीले तथा कहीं- कहीं कांदी गहरे गड्ढों एवं नाले जैसा क्षेत्र उत्तर पश्चिम की ओर नदी तक है। आबादी के दक्षिण पूर्व में समतल क्षेत्र भी है। वर्तमान समय में आबादी का क्षेत्र जिला चकबन्दी कार्यालय बाँदा वर्ष 1982-83 के अनुसार 67-68 एकड़ या 64 बीघा है।

ग्राम डिघवट स्थानीय 23 जाति समूह से संयुक्त एक मुख्य बस्ती(नाभिक या परम्परागत गाँव) है। यह दो पत्तियों में इस प्रकार बँटा हुआ है कि यह डिघवट के समाज में उनकी सापेक्षित स्थिति का नमूना प्रस्तुत करता है। प्रभाव सम्पन्न ब्राह्मण तथा अन्य उच्च जातियों के घर गाँव के मध्य में स्थित हैं, जबकि अन्य जातियों के घर (मकान) चारों ओर स्थित हैं। यथा गाँव के पश्चिम तथा उत्तर की दिशा में केवट जाति समूह नदी के तट के समीप बसा है। इसी प्रकार चमार जाति का समूह आधा पश्चिम तथा आधा दक्षिण दिशा में एक झुण्ड के रूप में गाँव मेंनिवास करते हैं। शेष समस्त हरिजन गाँव के पूर्व में एक झुण्ड के रूप में बसे हैं। कोरी या कोमार जाति का सामुदिक निवास पश्चिम दक्षिण के कोने में एक लघु झुण्ड के रूप में बसा है। अहीर जाति के लोग गाँव के दक्षिण दिशा में समूह में निवास करते हैं।कुम्हार लोग पूर्व दक्षिण के कोने में एक समूह रूप मेंबसे हैं। कायस्थ, लोहार, सुनार, एवं तेली तथा ब्राह्मण गाँव के मध्य भाग में अपने-अपने जाति समूह में बसे हैं। बढ़ई लोगों का आवास उत्तर पूर्व के कोने में एक समूह रूप में बसा है। गाँव कई बड़े बड़े रास्तों द्वारा आबादी को बाँटे हुए है।

जनगणना रिपोर्ट बाँदा 1971 के अनुसार ग्राम डिघवट की कुल जमीन का रकबा 1074 एकड़ एवं जिला चकबन्दी कार्यालय, बाँदा 1982-83 के अनुसार कृषि योग्य भूमि 5591 बीघा चक एवं अचक सम्मिलित भूमि है। जिला चकबन्दी कार्यालय

बाँदा 82-83 के अनुसार गाँव की कुल जमीन 906·84 एकड़ है। बिना खेती योग्य पब्लिक भूमि 89·53 एकड़ बेकार भूमि 54·87 एकड़ तथा आबादी की भूमि 27·68 एकड़ है। इस गाँव के भूस्वामियों की जोतदार भूमि को दो क्षेत्रों में बाँटा गया है। यथा पादर एवं बीगर। इस ग्राम के किसानों का कृषि क्षेत्र निकट के कई गाँवों की कृषि भूमि की सीमा में है। ग्राम डिग्वट तथा सहूरपुर, बजुरी, नरी, कुरसेजा, खोड़सरा आदि गाँवों की सीमा में यहाँ के कृषकों का भूस्वामित्व है। चक भूमि के अलावा कुछ भूमि अचक भी है।

जनपद बाँदा की भौगोलिक स्थिति

बाँदा का इतिहास बाँदा गजेटियर 1929 : 150-159)

गजेटियर के अनुसार – भारत देश के मध्यस्थ बुन्देलखण्ड का पावन भू-भाग अपनी शौर्यता, वीरता एवं साहस का परिचय शताब्दियों से देता रहा है। कितने ही बुन्देला राजा अपनी भूमि की रक्षा का उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए माँ वसुन्धरा की बलिवेदी में शहीद हो गये, उन राजाओं के रक्त से सिंचित बुन्देलखण्ड की यह तपो भूमि आज भी अपने शहीद पुत्रों की वीरता का गुणगान कर रही है। इन सभी जनपदों में बाँदा जनपद अपनी महान विशेषताओं के कारण ख्यातिलब्ध है। बाँदा जनपद की यह भूमि ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनैतिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, महर्षि वामदेव ने यहीं पर अपना आश्रम बनाया था। महाराज विराट की यही नगरी है। महाभारत 'जहाँ विपन्नावस्था में पाण्डवों ने शरण ली थी।' चौदह वर्षीय का प्रवासी जीवनकाल रोमाभिराम ने सीता एवं लक्ष्मण के साथ चित्रकूट गिरि में ही निवास कर अपने पावन पद कमलों से इस भूमि को पवित्र किया (तुलसीदासकृत रामचरित मानस सम्वत् 1996 अयोध्या काण्ड 259)। बुन्देलखण्ड की इस वीर प्रसूता वसुन्धरा के अन्तर्गत बाँदा मण्डल के दक्षिणी भाग में कालिंजर का अजेय दुर्ग स्थित है। जो अपनी अजेयता, रमणीयता, में प्रतिद्वन्द्विता के लिए अन्य स्थलों

को आमंत्रित कर रहा है। यह वह पावन भूमि है जहाँ कालकूट विष की विषम वेदना को शान्त करने के लिए भगवान शंकर ने आकर शान्ति प्राप्त की थी(शिवपुराण)। यह वह अनादि तपोभूमि है जिसके कण-कण से त्याग, तपस्या, पवित्रता एवं शक्ति की सुवासित सुगन्ध चारों दिशाओं में फैल रही है।

वीर तेजस्वी सपूतों का लालन पालन करने वाले बाँदा जनपद की यह भूमि उत्तर प्रदेश प्रान्त में बुन्देलखण्ड के अन्य जनपद — जालौन, झाँसी, ललितपुर, हमीरपुर — के साथ स्थित है। इसमें बुन्देलखण्ड भूभाग के दक्षिणी जिले छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना मध्यप्रदेश राज्य के अन्तर्गत आते हैं।

बाँदा गजेटियर के अनुसार उपर्युक्त आठ जिलों में बाँदा जनपद का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, इसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 1,958,422 एकड़ या 3,060 वर्ग मील है। जिला बाँदा का औद्योगिक रूपरेखा प्रतिवेदन, उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर, 1956 : 1 से उद्धृत — के अनुसार 2886 वर्ग मील : 4617-6 वर्ग कि0 मी0 है। बाँदा गजेटियर, 1929 : 158- 159 — इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार 24^{0} 53 से 25^{0} 55 उत्तर तक तथा देशान्तरीय विस्तार 79^{0} 59 पूर्व से 81^{0} 34 पूर्व तक है। यह बुन्देलखण्ड के झाँसी जनपद को छोड़कर अन्य जनपदों से अधिक है। यह जनपद बुन्देलखण्ड के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इसको यमुना नदी उत्तरी भाग में इलाहाबाद पूर्वी भाग में हमीरपुर पश्चिम में तथा दक्षिण में मध्यप्रदेश प्रान्त के पन्ना, रीवाँ, सतना जनपद आवृत किये हुए है। यमुना एवं केन केन, बागे आदि नदियों ने इस जनपद को अपना अमूल्य योगदान देकर इसका महत्व द्विगुणित कर दिया है। इस प्रकार यह जनपद दक्षिण में विन्ध्य पहाड़ियों से उत्तर में यमुना नदी पश्चिम में केन नदी एवं पूर्व में मऊ तहसील एवं पाठा क्षेत्र तक इलाहाबाद जनपद की सीमाओं के मध्य यह जनपद स्थित है। पूर्व से पश्चिम लगभग 100 मील एवं दक्षिण से उत्तर यमुना सीमा तक लगभग 40 मील चौड़ाई में स्थित है। वर्तमान समय में जन-

यह 5 तहसीलों, बाँदा, बबेरू, नरैनी, कर्वी, तथा मऊ द्वारा प्रशासित है।

बाँदा गजेटियर (1929: 159) के अनुसार बाँदा का दक्षिणी भाग ग्रेनाइट व नील चट्टानों द्वारा निर्मित है, जिनके बीच-बीच में मैदानी भाग झाड़ी के रूप में विस्तृत है। शेष उत्तरी भाग यमुना की काँप मिट्टी द्वारा बना है। यहाँ की भूमि का दक्षिणी-पूर्व से उत्तर की ओर है। केन, बागै, पैसुनी तथा ओहन या बाल्मीकी नदियाँ इस भूभाग में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर उत्तर में यमुना नदी में मिल जाती हैं। इस जनपद की अधिकांश नदियाँ बरसाती हैं। गर्मी के दिनों में या तो ये नदियाँ सूख जाती हैं, या इनमें बहुत कम पानी रह जाता है। अतः इनसे नहरें निकाल कर सिंचाई नहीं हो सकती, जब तक कि नदियों के बरसाती पानी को बाँध बनाकर एकत्रित न किया जाये। इन नदियों के बीच की भूमि असमान है। धरातल के आधार पर जनपद की भूमि को दो भागों में नीची भूमि एवं ऊँची भूमि में विभाजित किया जा सकता है। किन्तु सम्यक् अध्ययन की दृष्टि से चार भागों में विभाजित किया गया है।

(1) केन नदी के पश्चिम की ओर की भूमि में बाँदा तहसील का अधिकांश भाग आता है। यहाँ की काली काबर मिट्टी बड़ी उपजाऊ है।

(2) मध्य के विस्तृत मैदानी भाग में बाँदा तहसील का शेष भाग तथा नरैनी और बबेरू तहसीलों का कुछ भाग आता है। यह दक्षिण की ओर ऊँचा तथा उत्तर की ओर क्रमशः नीचा होता जाता है। इस क्षेत्र में मार और काबर मिट्टी की अधिकता है। मार मिट्टी उपजाऊ है। इसमें अत्यधिक पोषण शक्ति है, जो बिना खाद के ही अच्छी उपज देती है, क्योंकि इसमें नमी रखने की असाधारण क्षमता है। परन्तु पानी पड़ने पर यह मिट्टी चिकनी हो जाती है। काबर मिट्टी में बालू का अभाव तथा चिकनी मिट्टी का अधिक अंश है।

(3) बागे नदी के मैदानी भाग में नरैनी, कर्वी और मऊ तहसील का भाग सम्मिलित है। इस भाग की प्रधान नदी पयस्विनी है। इन नदियों के बीच वाले ऊँचे भाग में, (पाठा)

काबर, पड़आ, राँकड़, मिट्टी पाई जाती है। पडुवा हलकी बनी मिट्टी है जो नम व मुलायम होती है। जिसमें अधिक परिश्रम करना पड़ता है। राँकड़ पथरीली भूमि है किन्तु इसमें वह भूमि भी शामिल है, जिसमें कंकड़ बहुतायत से पाये जाते है।
(4)दक्षिण के पीर्व और पठारी भाग के अन्तर्गत मऊ तथा कर्वी का ऊँचा भाग आता है। इनके बीच की उच्च भूमि को 'पाठा' कहते हैं जो अनुपजाऊ एवं जलविहीन क्षेत्र है।

बाँदा में भी गर्मी का तापक्रम 118^{0} फा0 तथा जाड़ों का तापक्रम 50^{0} फा0 से 76^{0} फा0 के बीच रहता है। जिले में वर्षा का वार्षिक औसत 40 इंच है। जिले के पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। इस जिले में वर्षा का समय अनिश्चित तथा वितरण असमान है, जो कृषि के लिए सन्तोषजनक नहीं है। बाँदा जिले में सन् 1871 से 1876 तक वर्षा का औसत सामान्य रहा, क्योंकि 1877 से 1881 तक अपर्याप्त वर्षा हुई और इससे अकाल की काली छाया इस जनपद पर पड़ी। 1882 से 1890 तक वर्षा का औसत अधिक रहा। 1894 से 95 तक का वर्ष सामान्य वर्षा का रहा। 1899 से मौसम सामान्य रहा परन्तु 1905 से 1907 में वर्षा अपर्याप्त मात्रा में हुई। इससे स्पष्ट है कि असन्तोषजनक वर्षा ने यहाँ की कृषि व्यवस्था को अनिश्चित बना दिया। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद होती है। जाड़े की वर्षा जो अपर्याप्त है 'महावट' कहते हैं। यह रबि की फसल के लिए संजीवनी बूटी है, जनपद में 72000 हेक्टेअर भूमि सिंचाई के अन्तर्गत है जिसमें 60,000 हेक्टेअर भूमि नहरों के द्वारा तथा 12,000 हेक्टेअर भूमि छोटी योजनाओं के द्वारा सींचे जाने की व्यवस्था है।

बाँदा जनपद का संक्षिप्त इतिहास

बाँदा गजेटियर (1929:221) के अनुसार 'बुन्देलखण्ड' भूभाग का नामकरण भी बुन्देला राजपूत राजाओं के सुयोग्य तथा सुदृढ़ प्रशासन के कारण हुआ बुन्देला राजपूत राजाओं में राजा चंपत राय तथा वीर सिंह देव अपनी वीरता के कारण अमर हैं जिन्होंने अकबर की शक्तिशाली सेनाओं को भी परास्त कर विजय श्री

का आलिंगन किया। इस बुन्देलखण्ड में आठ जनपद हैं जिनका पृथक-पृथक अस्तित्व एवं महत्व है। इन सभी जनपदों में बाँदा जनपद अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनैतिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है।

बाँदा गजेटियर 1929 : 221) बुन्देलखण्ड के उत्तरकालीन इतिहास में कालिंजर की पहाड़ी में ख्यातिपूर्ण उत्सव सम्पन्न हुआ, वेदों में इसका महत्व, तपोभूमि या साधनास्थल के रूप में वर्णित है। महाभारत में कालिंजर के महाशिव की झील में स्नान का महत्व 1000 गायों के दान के पुण्य के बराबर है।

<u>रैल अथवा चन्द्रवंश :—</u>

डा0 राजबली पाण्डेय ने पुष्टि करते हुए कहा है कि बाँदा जनपद के कुछ भागों पर निश्चित रूप से चन्द्रवंश या रैल वंश का साम्राज्य रहा है। रैल ने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने पाँच पुत्रों में पुत्र यदु को चम्बल, बेतवा, तथा केन की घाटियों का राज्य दिया इससे भी बाँदा जनपद पर चन्द्रवंश का साम्राज्य सिद्ध होता है।

<u>चेदिवंश :—</u>

रैल वंश के अनन्तर विदर्भ के राजा चेदि के वंशजों ने चम्बल और केन के मध्यवर्ती इलाके में अपने राज्य की स्थापना की। आर्यों के प्रसार के तीसरे चरण तक इस जनपद का अधिकांश भूभाग चेदिवंश के इन राजाओं के अधीन रहा।

बाँदा जिले के पूर्व में चित्रकूट की प्रसिद्ध पहाड़ियाँ तथा अन्य इतिहास में प्रसिद्ध स्थान है। रामायण में तुलसीकृत श्री रामचरित मानस, अयो0 259-340) में इक्ष्वाकु के 65वीं पीढ़ी में उत्पन्न राम, लक्ष्मण एवं सीता गंगा के उस पार निषादों से मैत्री करके चित्रकूट और पंचवटी आदि में कई वर्ष बिताते हुए दण्डकारण्य के उस पार मानव से परिपूर्ण स्थानों तक पहुँचे। चित्रकूट से सम्बद्ध अन्य दर्शनीय तीर्थस्थली हैं। यहीं से आठ मील पूर्व की ओर लालापुर की वह प्रसिद्ध पहाड़ी है जिसे महाकवि

वाल्मीकि का निवास स्थान माना जाता है। बाँदा जनपद की भौगोलिक सीमा वेदों में वर्णित क्षेत्र शील पूर्ण ऐतिहासिक काल तक अपना अस्तित्व सुरक्षित रखकर इसकी चिर प्राचीनता बनाये हुए है।

ऋग्वेद 7-18-11 से ज्ञात होता है कि पुरु की पाँचवी पीढ़ी में वसु नामक जो राजकुमार हुआ उसने यादवों के चेदि राज्य को जीतकर केन नदी के किनारे शुक्तिमती नगरी को अपनी राजधानी बनाया और बाद में उसने मत्स्य से मगध तक के सम्पूर्ण भूभाग पर अधिकार कर चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की।

बाँदा गजेटियर (1929 : 383-84) के अनुसार मौर्य सम्राट के अन्तिम समय 232 ई0 पूर्व तक बाँदा मौर्य साम्राज्य का अंग रहा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद देश का मैदानी भूभाग शुंग साम्राज्य की स्थापना करने वाले पुष्यमित्र शुंग द्वारा जीता गया है। इस जनपद का कुछ भूभाग उसके स्वामित्व में था। इसी काल में सर्वप्रथम कलचुरी का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने चेदियों की स्थापना और विकास किया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 249 ई0 में चेदि वंश वालों का कालिंजर पर अधिकार हो चुका था।

बाँदा जिले की मऊ तहसील से एक मील दूर कौशाम्बी में या गुरहा (इलाहाबाद) नामक स्थान में चन्द्रगुप्त द्वितीय के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कालिंजर की खुदाई पर भी दो गुप्तकालीन अभिलेखों के अक्षर प्रकार के ही अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि 525 ई0 तक यह जनपद गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत रहा।

बाँदा गजेटियर 1929 ई0पृ0 : 384 के अनुसार चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस प्रदेश को 'चिचितो' कहा है और इसकी राजधानी छतरपुर जनपद में स्थित 'खजुराहो' माना है। 641 ई0 'चिचितो' में सम्भवतया हर्षवर्धन के कोई ब्राह्मण सेवक ने राज्य किया।

चंदेलों का उदय :-

नवीं शताब्दी में चंदेल एक महान शक्ति के रूप में बुन्देलखण्ड की बागडोर सम्भाली। इनका प्रथम राजा नानुकदेव हुआ जिसकी राजधानी खजुराहो थी। चंदेलों का अन्तिम राजा परिमाल था जिसकी राजधानी महोबा थी उसने आल्हा-ऊदल जैसे प्रसिद्ध बनाफ़रों को अपने संरक्षण में रखा था।

इस जनपद का पश्चिमी जिला चंदेलों के साम्राज्य में था, पूर्वी जिला चेदि के कलचुरियों के बुन्देलखण्ड और कन्नौज पर कलचुरी शासक देवदेव का पूर्ण अधिकार था परन्तु 20 वर्ष बाद चंदेल वंश के शासक कीर्तिवर्मा के द्वारा वह पराजित किया गया। कीर्तिवर्मा के पौत्र व मदन वर्मा के शासन की सीमा के सन्दर्भ में दो ताम्र पत्र एक पिण्डारन(बबेरू- बांदा) और दूसरा इछवारा(कर्वी - बांदा) में प्राप्त हुए।

बघेल आक्रमण :-

बघेल सर्वप्रथम महोबा में 1207 ई0 में आ बसे। धीरे धीरे कालपी से लेकर चुनार तक अपना साम्राज्य बना लिया। कर्वी सभाग के अधिकांश पूर्वी भाग पर बघेलों के पूर्व तक राजा भोज का अधिकार कहा जाता है।

जौनपुर साम्राज्य के समय का इतिहास :-

तैमूर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली साम्राज्य कई छोटे-छोटे भागों में बँट गया। सन् 1426 ई0 में जौनपुर के शाह इब्राहीम ने अपनी शक्ति का विकास यमुना के दक्षिण में किया। उसके उत्तराधिकारी मोहम्मद और हुसैन ने अपने पिता की विस्तारवादी नीति को यथावत कायम रखा। बांदा जनपद का सुदूर पूर्व बघेलों के ही अधिकार में रह गया। जौनपुर के साथ मैत्री सम्बन्ध न करने के कारण जौनपुर साम्राज्य पतन के समय तक सम्पूर्ण प्रदेश लोदी साम्राज्य के अन्तर्गत आ गया। लोदी साम्राज्य ने 1422 में अपना सूबेदार नियुक्त किया। शेरशाह से पूर्व अपने राज्यारोहण के बाद हुमायूं

ने अपने पिता की विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया पर सफल नहीं हुआ। हुमायुँ को परास्त कर शेरशाह जब भारत का बादशाह बना तो उसने अपने जीवन का अन्तिम आक्रमण कालिंजर पर ही किया था। यहीं पर बारूद में आग लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात् कालिंजर का अधिपति बघेल सम्राट रामचन्द्र हुआ। जिसने 1559 में कालिंजर अकबर को समर्पित कर उसका दासत्व स्वीकार कर लिया और इस प्रकार यह जनपद तथा कालिंजर दुर्ग पुनः करीब 12 वर्ष तक मुगल साम्राज्य का अंग रहा। 1728 ई० में बाँदा में नवाबों का राज्य स्थापित हुआ।

बुन्देलों का उत्थान :—

बुन्देलों ने अकबर के समय से ही ओरछा में धीरे-धीरे अपनी शक्ति का विकास किया। औरंगजेब जब अपनी दक्षिण विजय में व्यस्त था बुन्देलों ने स्थिति से लाभ उठाकर सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड पर अपना अधिकार कर लिया।

बसई के सन्धि के समय इस जनपद का शासक शमशेर बहादुर था यह मराठों के अधीनस्थ था तथा लगान देता था इस सन्धि के अनुसार सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड कम्पनी को प्राप्त हो गया पर शमशेर बहादुर को यह सन्धि पसन्द न आई। उसने सेना एकत्र करके अंग्रेजों का सामना किया। 1803 ई० में 13 अक्टूबर को केन नदी के किनारे युद्ध हुआ पर युद्ध के मध्य में हिम्मत बहादुर ने शमशेर बहादुर को धोखा दिया और अंग्रेजों से मिल गया अतः शमशेर बहादुर परास्त हो गया।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा बाँदा जनपद :—

चकाचक क्रान्ति — 1972 — बाँदा जनपद — एक ऐतिहासिक परिचय — प्राचार्य चन्द्रधर द्विवेदी (प्रधानाचार्य — आदर्श बजरंग इ०कालेज, बाँदा) पत्रिका —'चकाचक क्रान्ति' (198-190) के अनुसार तत्कालीन बाँदा के नवाब और राव साहब ने 1857 की क्रान्ति में प्रमुख रूप से भाग लिया। यह दोनों तातिया टोपे के प्रबल सहायक थे जिस समय तातिया टोपे क्रान्तिकारियों की सेना को लेकर नर्मदा की तरफ जा रहा था उस

समय नवाब तथा राव साहब दोनों उसके है साथ थे। रात में सोते हुए तातिया को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गयी । तातिया के बाद रावसाहब अंग्रेजों से जूझते रहे और अन्त में पकड़ लिये जाने पर 20 अगस्त सन् 1862 को कानपुर में उनको फांसी दे दी गयी। जमींदारी उन्मूलन के पूर्व बांदा के जमींदार अण्डेह के दुबे : तत्कालीन उनके वंशज पं0 भीष्म देव दुबे एम0पी0 बांदा हैं।

भारतीय स्वतंत्र आन्दोलन :—

बांदा जनपद में स्वतंत्रता आन्दोलन के मुख्य सूत्रधार पं0लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री को कहा जा सकता है। उनके त्याग और बलिदान के कारण इस जनपद में एक महान क्रान्ति आ गयी इनके मुख्य अनुयायी 1921 में इनके साथ जेल गये उनमें से प्रमुख कुंवर हर प्रसाद सिंह, श्री रामदेव पिठोरिया, श्री जुगुल किशोर डौडियाल, श्री भगवानदास गुप्त, श्री शम्भूदयाल श्रीवास्तव, श्री विशुनकरण मेहता एवं गोबीन शर्मा, थे। 1930 में जिन स्वतंत्र संग्राम के सेनानियों ने भाग लिया उनमें से श्री गोपीकृष्ण आजाद चौधरी चन्द्र भूषण सिंह, श्री महादेव भाई सपत्नीक, श्री राम सनेही भारतीय, श्री बद्री प्रसाद आदि प्रमुख थे। इनके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के उत्तरार्द्ध में भाग लेने वाले लोगों में श्री ब्रजमोहन लाल गुप्त, जमुना प्रसाद बोस, श्री गंगा शरण शर्मा, श्री गोपीनाथ आदि।

ग्राम डिघवट का संक्षिप्त इतिहास

ग्राम के सम्भ्रान्त एवं वयोवृद्ध पं0 शिवम्भर दयाल आदि से साक्षात्कार के आधार पर यह गांव अति प्राचीन समय से भुवनेश्वर देव स्थान के पहले एक ढेर में बसा था जहाँ आबादी के चिन्ह अवशेष रूप में उपलब्ध हैं। यहाँ 100 वर्ष पूर्व एक महान संत महाराज रघुबीर दास जी ने इस चर्मवती के तट पर अपना आश्रम बनाकर करीब 2000 सन्त परिवार के रूप में वास किया था। ऋषियों की तपस्थली होने के कारण इस गांव का पूर्व नाम 'देवघट' था। जिसका अपभ्रंश रूप बदल कर डिघवट हो गया। इसी सन्त ऋषियों की तपस्थली एवं केन नदी के तट पर एक वृद्ध वट वृक्ष है, जो

आज भी शाखाहीन प्राचीन अवशेष रूप में सजीव अद्‌र्धशुष्क खड़ा है। इसी अति प्राचीन 'वृक्ष' 'वृद्ध वट' की छत्रछाया में एवं भुवनेश्वर देव मन्दिर के निकटवर्ती सन्त समुदाय का वास था। वृद्ध वट के निकट वास होने के कारण इस गाँव का पूर्वनाम 'वृद्ध-वट' वासी तथा कालान्तर में अपभ्रंश होकर 'वृद्धवट' से 'डिधवट' हो गया।

बांदा तिन्दवारी क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम डिधवट प्रारम्भ से ही ब्राह्मण बाहुल्य ग्राम था। ब्राह्मण भूस्वामी ही यहाँ के बड़े जमींदार रहे। शनैः-शनैः अन्य काम-दार जातियाँ इस गाँव में आकर बस गईं? केन नदी के तट पर यह गाँव होने के कारण केवट या मल्लाहों के परिवारों की बहुत अधिक आबादी भी इस गाँव में है। जिनका प्रारम्भिक उद्‌योग मत्स्य उद्‌योग रहा, अब वर्तमान समय में ग्राम के बड़े भूस्वामियों एवं अन्य जातियों के परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित है। भू-स्वामित्व के अनुसार कृषक वर्ग को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है (1) भूमिधर-वर्ग — जिन्हें भूमि का निजी स्वामित्व प्राप्त हो। (2) पट्टेदार या आसामी — यह प्रथा जमींदारी काल में थी। जबकि जमींदारों से कृषक लोग भूमि लगान के रूप में लेकर खेती करते थे। आज कल वर्तमान समय में बड़े भूस्वामियों से जिनके पास वृहद् भूसीमा है उनसे बटाई के लिए खेत लेकर लघु भूसीमा वाले कृषक या भूमिहीन कृषि श्रमिक खेती करते हैं। जिसमें उन्हें समस्त कृषि क्रियाओं को सम्पादित करना पड़ता है और उन्हें पारि-श्रमिक के रूप में भूस्वामी से आधा उत्पादन मिलता है। (3) कृषि श्रमिक — यह भूमिहीन कृषक श्रमिक भूस्वामियों की कृषि क्रियाओं को निर्धारित मासिक मजदूरी में कार्य करते हैं।

इस ग्राम में 24 जातियों के उत्तरदाता हैं। इस गाँव में क्षत्रिय, लोध, काछी, एवम् कुर्मी कोम के व्यक्ति नहीं हैं। कृषि, पशुपालन, मछली का व्यवसाय, सन से सुतली या टाट बनाने का व्यवसाय यहाँ के मुख्य व्यवसाय हैं। केवटों द्‌वारा कृषि के अलावा सहायक व्यवसाय के रूप में सन् सुतली द्‌वारा टाट पट्‌टी बनाना एवम् जायद की फसल नदी किनारे ककड़ी तथा अन्य सब्जी उत्पादन करना है। इस गाँव में एक शिशुओं का राजकीय प्राइमरी पाठशाला एवम् एक प्राइमरी कन्या पाठशाला तथा एक

क्रमोत्तर जूनियर हाई स्कूल सहकारी आश्रम के रूप में शैक्षिक संस्थायें हैं।

जनगणना, 1971 रिपोर्ट बाँदा के अनुसार इस गाँव की जमीन का क्षेत्रफल 1074 एकड़ है। ग्राम की चकबन्दी के बाद जनपद चकबन्दी कार्यालय बाँदा के रिकार्ड के अनुसार 906 84 एकड़ है। शेष अबक भूमि। ग्राम निवास में आबादी की भूमि 27 68 एकड़(64 बीघा) है, इस गाँव के आवासीय मकानों की संख्या 333 (जनगणना - 1971 बाँदा रिपोर्ट के अनुसार) 426 परिवार के मुखिया हैं, एवं जनगणना 1417 है। जिसमें 400 हरिजन हैं। वर्तमान अध्ययनकाल 1977-78 में हमारे सर्वेक्षण में आवासीय मकानों की संख्या में 26 की कमी थी। अतः 400 आवासीय मकान पाये गये। 1971 की जनगणना, जनपद बाँदा के बाद इस ग्राम में उग्र गुटबन्दी के संघर्ष-मय परिस्थितियों के कारण कुछ पारवारों के मुखिया (26) इस गाँव से स्थानान्तरित होगये। अतः हमारे सर्वेक्षण में 400 परिवार मुखिया ही ग्रामीण जनगणना में है। इसी सम्बन्धित ग्राम के अध्ययन में डा0 वी0एन0सेठ 'हरिजन-संरक्षण' के सर्वेक्षण में इस ग्राम में 408 परिवार आँकन में पाये गये। मेरे अध्ययन काल में उग्र गुटीय संघर्ष के कारण 8 परिवार गाँव छोड़कर अन्यत्र चले गये। जनगणना - 1971 बाँदा जनपद के अनुसार इस गाँव की जनगणना 2,417 (1245 पुरूष, 1172 स्त्री) थी। हमारे अध्ययनकाल में इसमें वृद्धि होकर 2569 आँकी गयी। (जिसमें 712 पुरू, 745 स्त्री 1112 बच्चे हैं। अतः 1971 से 1977 - 78 तक कुल 152 सदस्यों के नई संतति की वृद्धि हुई। ग्राम की जनगणना का जातियें अनुसार पूर्ण विवरण तालिका नं0 3 में अंकित है।

डिघवट एक लघु ग्राम (1074एकड़ प्रक्षेत्र का काबिज) है, जो जनपद बाँदा के तिन्दवारी क्षेत्र के बाँदा से उत्तर दिशा में बाँदा चिल्ला राजमार्ग में 38 किमी0 दूरी पर स्थित है। राजमार्ग के दोहतरा ग्राम से पाँच किलोमीटर पश्चिम की ओर कच्चा मार्ग द्वारा केन नदी के तट पर स्थित है। यह गाँव कच्चा मार्ग द्वारा पाँच किलो मी0 दोहतरा, में पक्का राजमार्ग से जुड़ा हुआ है जहाँ से बाँदा स्टेशन एवं रेल मार्ग की सुविधायें प्राप्त हैं। ग्राम में बिजली की सुविधा नहीं है। इस ग्राम में चिकित्सा हेतु कोई सरकारी चिकित्सालय भी नहीं है। पीने का पानी ग्राम के कुओं से ही उपलब्ध होता है। इस

तालिका संख्या - 2

ग्राम डिघवट के सूचनादाताओं का लैंगिक विश्लेषण जातिगत समूहों के वर्गीकरण के अनुसार निम्नांकित तालिका में दर्शित है -

क्र0सं0	लिंग	उच्चवर्गीय जाति	पिछड़ावर्गीय जातिसमूह	हरिजनवर्गीय जातिसमूह	योग	मुस्लिमवर्गीय जाति-योग	कुलयोग
1-	पुरुष	65 (95-59)	226 (100-00)	87 (100-00)	378 (99-21)	19 (100-00)	397 (99-25)
2-	महिला	3 (4-41)	शून्य	शून्य	3 (0-79)	शून्य	3 (0-75)
		68 (100-00)	226 (100-00)	87 (100-00)	381 (100-00)	19 (100-00)	400 (100-00)

तालिका नं0 2

ग्राम डिघवट में सिंचित भूमि नहीं है :—

क्र0सं0	भूमि की किस्म	भूमि बीघा	प्रतिशत
1-	सिंचित	शून्य	00·00
2-	असिंचित	920	85·66
3-	अनुर्वरक	68	6·34
4-	बिना खेती योग्य भूमि	86	8·00
	योग —	1074	100·00

स्रोत :- भारत की जनगणना 1971, जिला जनगणना, भाग
जिला बाँदा, पृ0 14

ग्राम में करीब 15 कुआँ हैं इनमें से स्पृश्य जातियों के कुएँ अलग हैं और अछूत हरिजन जाति समूहों के कुयें अलग हैं। जिनमें वे अपने कुओं से जल भर सकते हैं। इस ग्राम में दो क्रमोत्तर एवम् प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय हैं। प्रथम बालकों हेतु एवं द्वितीय राजकीय कन्या पाठशाला बालिकाओं हेतु है। यहाँ एक व्यक्तिगत सर्वोदय आश्रम जूनियर हाई स्कूल विद्यालय है। इस गाँव की आबादी 2569 व्यक्ति है जिनमें कुल 400 परिवार मुखिया है। इनमें से 19 परिवार मुसलमान समुदाय के हैं। ग्राम में एक पोस्ट - आफिस पत्राचार हेतु भूतपूर्व प्रधान के घर में स्थित है। इस ग्राम में कोई बाजार नहीं है। ग्राम की साधारण परचून या कपड़ों की दुकानों से ग्राम जनवासियों आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं। ग्राम में एक देवालय (राम जानकी मन्दिर) है इस मन्दिर में ग्राम के गुटीय संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिसका वर्णन अग्रिम अध्याय जाति वर्ग और दल' में ग्राम के दलीय संघर्ष का इतिहास — में वर्णित है। ग्राम की पूर्ण जनसंख्या — 2569 है जिनमें सवर्ण जाति समूह 495, पिछड़ा जाति समूह में 1416, और हरिजन जाति समूह में 548 हैं। मुस्लिम परिवारों की जन संख्या 110 है। इस गाँव में सिंचित भूमि नहीं है।

<u>ग्राम के भूतपूर्व जमींदारों की पृष्ठभूमि :—</u>

ग्राम के वयोवृद्ध सम्भ्रान्त शिक्षित व्यक्तियों से साक्षात्कार द्वारा 300 वर्ष पूर्व इस ग्राम में तिवारी ब्राह्मण वंशजों की जमींदारी थी। कालान्तर में इस वंश के विभाजन के फलस्वरूप पूर्ण जमींदारी का स्वामित्व एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर तीन पट्टियों में विभाजित हो गया। समस्त भूमि तीन लम्बरदारों के हाथ में थी। यह तीनों व्यक्ति बड़े जमींदार ब्राह्मण परिवार के थे जिनके वंशज अब बड़े भूस्वामी के रूप में हैं। वर्तमान समय में गाँव की भूमि का रकबा कम होने के कारण हिस्सेदारों में भूमिधरी का स्वामित्व कम हो गया। किन्तु अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मणों के पास भूस्वामित्व अधिक है। वर्तमान समय में एक तो भूतपूर्व जमींदारी दल से परम्परागत ग्राम के प्रधान एवं ग्राम के सबसे बड़े भूमिधर हैं। द्वितीय स्थान में वर्तमान समय 1982-83

के ग्राम प्रधान एवं अन्य ब्राह्मण परिवार के पास भूस्वामित्व में द्वितीय स्थान है। इनके पश्चात् जो भूस्वामियों में आते हैं वे हैं दो केवट परिवार। हरिजनों में भूतपूर्व उपप्रधान (1971-72) एक चमार है उसके पास अब भी 150 बीघा भूस्वामित्व है। पूर्व समय से ग्राम में ब्राह्मणों की जमींदारी होने के कारण उनका ही ग्राम में नेतृत्व रहा और इनका नेतृत्व सन् 1972 तक चलता रहा। सन् 1972 के ग्राम प्रधान के चयन में एक लोहार जाति के ग्राम प्रधान हुए। सन् 1982 के ग्राम प्रधान के चुनाव में पुनः ग्रामीण शक्ति संरचना का हस्तान्तरण एक ब्राह्मण व्यक्ति वर्तमान ग्राम प्रधान के रूप में आया किन्तु इनका संघर्ष भूतपूर्व ब्राह्मण, ग्रामप्रधान से हुआ था जिसमें ब्राह्मण वर्ग दो वर्गों में विभाजित होकर एक आधुनिक विचारों के नवयुवक ब्राह्मण की विजय हुई।

<u>उत्तरदाताओं की जातियाँ :-</u>

ग्राम डिघवट में कुल 24 जातियाँ हैं, प्रत्येक जाति में परिवारों की संख्या जाति वर्गीकरण के अनुसार निम्नवत् है। उच्च जातियों के अन्तर्गत इस गाँव में ब्राह्मण वैश्य, एवं कायस्थ जाति के परिवार हैं। ब्राह्मणों के परिवारों की कुल संख्या 54 है। एवं वैश्य वर्ग के दस परिवार हैं तथा चार परिवार कायस्थ जाति के हैं। इस प्रकार उच्च वर्ग में कुल 68 परिवार हैं। इस गाँव में समस्त जातियों के कुल 400 परिवार हैं। इस प्रकार ग्रामीण जनगणना के आधार पर उच्च वर्ग के परिवारों का प्रतिशत 17 है। पिछड़ावर्ग के अन्तर्गत ग्राम में सुनारों के चार परिवार, अहीर 38 परिवार, बढ़ई - 6 परिवार, माली 8 परिवार, लुहार 21 परिवार, कहार 3 परिवार, केवट -54 परिवार, नाई 5 परिवार, पटवा 4 परिवार, कुम्हार 48 परिवार, कलार एक परिवार, भरभूजा 3 परिवार, अरख 13 परिवार, तेली 7 परिवार, दर्जी -3 परिवार, गड़रिया 8 परिवार, कुल 226 परिवार पिछड़ावर्ग के इस गाँव में निवास करते हैं। ग्रामीण जनगणना के अनुसार इनका प्रतिशत 56·50 है। गाँव में निवासित हरिजन जातियों में 4 जातियाँ है। इनमें कोरी जाति के 17 परिवार, चमार जाति के

66 परिवार एवं धोबी जाति का एक परिवार तथा कुम्हार जाति के तीन परिवार वास करते हैं। इस प्रकार हरिजन जाति समूह के कुल 87 परिवार जो ग्रामीण जनगणना का 21·75 प्रतिशत है। मुसलमान समुदाय के 9 एक परिवार, एक फकीर परिवार, एवं 9 बेहना परिवार गाँव में निवास करते हैं। इस प्रकार कुल 19 मुसलमान परिवार, जिनका ग्रामीण जनगणना के अनुसार 4·75 प्रतिशत होता है। समस्त ग्रामीण जातियों के कुल परिवार 400 वर्तमान समय में निवास करते हैं। जनगणना (1971–14 ग्राम डिबवट कोड नं0 72) के अनुसार कुल परिवारों की संख्या – 426 थी एवं अधिकृत आवासीय मकानों की संख्या 333 थी। ग्राम में 1972 से अनवरत 8–10 वर्ष तक सवर्ण एवं हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग के मध्य गुटीय संघर्ष चलता रहा। सन्दर्भित ग्राम में शोधकर्ता डा0 वी0एन0सेठ के शोधग्रन्थ ''ग्राम डिबवट एवं अलिहा में हरिजन विद्रोह का तुलनात्मक अध्ययन'' में कुल ग्रामीण परिवारों की संख्या 408 थी। संघर्ष काल में सवर्ण अत्याचारों एवं अमानुषिक कृत्यों से कुछ परिवार ग्रामीण मजदूरी कार्यों को छोड़कर अन्य ग्रामों या शहरों में जीविका उपार्जन हेतु स्थानान्तरित हो गये। ग्रामीण लगभग जनगणना में स्थाई परिवार जो वर्तमान समय में स्थायित्व लिए हुए हैं उपर्युक्त 400 ही हैं। सम्भावित जनगणना में लगभग समानता ही है। संघर्ष काल की विषम परिस्थितियों में 8 स्थायी परिवार जीवन संरक्षण हेतु अन्यत्र स्थानों में स्थानान्तरित हो गये हैं।

जाति पद सोपान क्रम

एक जाति पद सोपान का पुनरावलोकन — अध्ययन से प्रत्यक्ष करता है कि संस्कारित शुद्धता की अवधारणा का आधार प्राचीन काल से जाति समूहों के अन्तर्गत विशेष विस्तृत रूप से उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार कैथलीन गफ (1959 : 92-107) ने जाति पद सोपान क्रम में पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर उपयोग किया। एस0 सी0 दुबे (1961) ने जाति पद सोपान क्रम का विचार उच्चता एवं निम्नता की जातियों की भावना के वैध आधार का उपयोग किया। उत्तर प्रदेश में किशनगढ़ी के अपने अध्ययन

(

निम्नांकित तालिका संख्या 4 ग्राम की जनगणना, प्रत्येक जाति में परिवारों की संख्या को प्रदर्शित करती है :—

तालिका संख्या 4

ग्राम डिघवट में सूचनादाताओं का जातिगत — वर्गीकरण

क्र०सं०	जातीय वर्गों के नाम	जातिगत परिवारों की संख्या	
	उच्च जातियाँ —		
1-	ब्राह्मण	54	
2-	ठाकुर	शून्य	
3-	वैश्य	10	
4-	कायस्थ	4	
	योग—	68	17प्रतिशत
	पिछड़ावर्ग —		
5-	सुनार	4	
6-	काछी	शून्य	
7-	अहीर	38	
8-	लोध	शून्य	
9-	माली	8	
10-	बढ़ई	6	
11-	लोहार	21	
12-	कहार	3	
13-	केवट	54	
14-	नाई	5	
15-	पटवा	4	
16-	कुम्हार	48	
17	कलार	1	

18	भरभूँजा	3	
19-	आरख	13	
20-	तेली	7	
21-	दर्जी	3	
22-	गड़रिया	8	
	योग —	226	(56·50) प्रतिशत
	हरिजन —		
23-	कोरी	17	
24-	चमार	66	
25-	धोबी	1	
26-	डोमार	3	
	योग —	87	(21·75) प्रतिशत
	मुसलमान —		
27-	शेख	9	
28-	फकीर	1	
29-	बेहना	9	
	योग —	19	(4·75) प्रतिशत
	महायोग —	400	(100·00) प्रतिशत

में मेकिम मैरियट (1955 : 112-13) ने भी संस्कारों पर आधारित भोज्य सामग्री के स्पर्श और कुछ विशिष्ट सेवायें समाज के व्यक्तियों द्वारा परस्पर लेने के आधार को जाति पद सोपान क्रम के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण आधार माना। उसने कुछ गुणधर्मों के आधारों का भी उपयोग पवित्रता अपवित्रता की अवधारणा को सहायक रूप में किया। उसने (पृ0113) किशनगढ़ी के जाति समूहों के पद सोपान क्रम के मध्य सम्भावित लम्बा पत्राचार और शक्ति तथा सुविधाओं का क्षेत्रीय वितरण किया और जातियों के मध्य सम्पत्ति और शक्ति का अव्ढाई व्यवस्थापक संस्कारों के व्यय स्वरूपों जो जाति पद सोपान के लिए महत्वपूर्ण हैं शनैः शनैः सामंजस्य रखता है।

किसी प्रकार जैसा कि पूर्व वर्णित है, एक जातिसमूह का पद सोपानक्रम संस्कारित स्तर पर आधारित होना अपेक्षाकृत गलत है। संस्कारों के स्तर का आधार विवादास्पद है। यह हमारा विचार है कि एक ही जाति समूह का जाति पद सोपान क्रम एक ही गाँव में अथवा क्षेत्र के अन्य गाँवों में भिन्न-भिन्न शोध कर्ताओं द्वारा अलग-अलग पद सोपान क्रम का निर्धारण भी सम्भव है यह उन गाँवों में सूचनादाताओं की सुविधाओं और शक्ति की तुलनात्मक विभिन्नता के आधार पर हो सकता है। जाति पद सोपान क्रम के तत्कालिन अध्ययनों के मध्य डिसूजा महोदय के अध्ययन (डिसूजा जाति, वर्ग एक पुनर्तर्क एस0 एस0आर0सी0जर्नल, पेपर नं0 14 उद्धृत आ0बी0एन0क्षेत्र, 1980 : 102) प्रदान किया। डिसूजा उचित ही विचार करता है कि संस्कारों का स्तर एक स्वतंत्र चल नहीं है। इसके बावजूद वह व्यावसायिक चल को स्वतंत्र चल के रूप में लेता है और आश्रितर को केन्द्रीय चल के रूप में और संस्कार के स्तर को मात्र एक नियंत्रित चल के रूप में।

डिसूजा के अनुसार वंशानुगत समूह की सामाजिक प्रतिष्ठा जाति पद सोपान क्रम में एक महत्वपूर्ण चल है। इस चल को उसी के शब्दों में जाति प्रतिष्ठा चल के रूप में माना है। समुदाय के सदस्य बहुत से वंशानुगत समूह के अनुसार उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को मानते हैं। डिसूजा महोदय के द्वारा दो आधारों का सुझाव

जाति व्यवस्था के निरन्तर अस्तित्व या स्थायित्व के लिए प्रथम (अ) जाति पद सोपान क्रम में विभिन्न वंशानुगत समूह विभिन्न सामाजिक प्रतिष्ठा की मान्यता देते हैं। (ब) समुदाय के कुछ सदस्यों की उच्च अंश की सहमति एक विशेष समूह क्रम के मापन के लिए है।'' और दूसरी ओर वर्ग व्यवस्था का स्थायित्व यदि "प्रत्येक वंशानुगत समूह के सदस्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा के अंश का वितरण सम्भावना अपने समस्त समुदाय के अन्तर्गत अपने वितरण में रखता है।

हमने अपने अध्ययन ग्राम में डिसूजा महोदय के जाति पद सोपान क्रम की विधि का उपयोग किया है। तालिका संख्या – 5 में सामन्तर माध्य ग्राम डिघवट की प्रत्येक जाति का अपनी जाति समूह के जाति पद सोपान क्रम में प्रदर्शित है।

सन्दर्भित अध्ययन ग्राम डिघवट में तीन जाति समूह हैं। उनमें (1) उच्चजातिसमूह (2) पिछड़ावर्ग (3) अनुसूचित जातियाँ।

इस प्रकार ग्राम डिघवट में 23 जातियाँ तीन जाति समूहों में (1) उच्च जाति समूह में — ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ (2) पिछड़ावर्ग के समूह में — 15 जातियों का समूह यथा – सुनार, अहीर, लोहार, बढ़ई, माली, नाई, केवट, गड़रिया कहार, तेली, पटवा, आरख, भरभूँजा, कलार, कुम्हार, दर्जी आदि सम्मिलित हैं। (3) अनुसूचित जाति श्रेणी में – इस ग्राम की चार जातियाँ – कोरी, चमार, धोबी, डोमार सम्मिलित हैं।

ग्रामडिघवट के उच्च जाति समूह के अन्तर्गत ठाकुर जाति नहीं है और इस ग्राम के पिछड़े वर्ग में काछी, कुर्मी नहीं हैं। क्रमांक का औसत माध्य तालिका के अन्तिम पंक्ति में अंकन करके दिया हुआ है। प्रत्येक तालिका में जाति समूह अरोही क्रम में है, जो जाति पद सोपान क्रम की प्रतिष्ठा को अवरोही क्रम की अभिव्यक्ति करता है।

डिघवट जनपद बाँदा में जाति पद सोपानक्रम :—

ग्राम डिघवट के पिछड़े वर्ग के जाति पद सोपान क्रम में अत्यधिक अन्तर अतिरोचकतापूर्ण है। यहाँ के उच्चजाति समूह और अनुसूचित जातिसमूह के पद सोपान क्रम का सम्बन्ध निर्विरोध पूर्ण है। किन्तु पिछड़ा वर्ग समूह के कुछ जाति पद सोपान क्रम में असहमति है जो तालिका नं०   में प्रदर्शित है।

यहाँ कहारों ने केवट जाति को चौथा पद सोपान जाति क्रम में दिया है जबकि चमार और डोमार ने चौदहवाँ स्थान उन्हें स्तरीकरण में दिया है। इसी प्रकार कुम्हारों के पद क्रम में काफी अन्तर तालिका में वर्णित है। गड़रिया और कहार ने कुम्हार को आठवाँ स्थान दिया है। ब्राह्मण और भरभूँजा ने अठारहवाँ स्थान उन्हें जाति पद क्रम में दिया है, इसी प्रकार कहारों का भी पद क्रम चौथे स्थान से 17वाँ स्थान पर विचलन रखता है।

यह क्रम सुझाव देता है, कि कुछ डिघवट के कुछ पिछड़े वर्ग में काफी असहमति है। यह परिवर्तन डिघवट की जातियों की संस्कारिक प्रतिष्ठा का अंकन करता है जिससे ग्राम डिघवट की ग्रामीण शक्ति संरचना बदल चुकी है। अतः हरिजन और पिछड़ावर्ग ग्राम पंचायत में (1972) में एकाधिकार स्थापित किये हुए हैं। एक लोहार नवयुवक ग्राम प्रधान के रूप में और इसी जाति के दो व्यक्ति ग्रामीण पंचायत के सदस्य के रूप में 1972 के चुनाव में चुने जा चुके हैं। अतः इस जाति का पद सोपान डिघवट में ब्राह्मणों से भी उच्चस्तरीकरण प्राप्त किये हुए है। उद्धृत डा० बी०एन०सेठ 1980 के हरिजन विद्रोह शोध प्रबन्ध) इसी प्रकार ग्राम डिघवट में तेली अपनी उच्च प्रतिष्ठा जाति पद क्रम में प्राप्त किये हुए हैं। इस प्रतिष्ठा का कारण उनका शैक्षिक व्यवसाय है और इस ग्राम के गुटवादी राजनीति में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के गुट के प्रमुख नेता के रूप में सवर्ण भूस्वामियों के विरुद्ध नेतृत्व करने से है। ग्राम डिघवट में तीन तेली प्रमुख रूप से ग्रामीण शक्ति संरचना एवं ग्रामीण गुटवादी राजनीति में सक्रिय हैं जिनमें दो तेली

तालिका संख्या 5

जाति पद सोपान में क्रमांकित की जाने वाली जातियों के नाम

क्रम	पद सोपानक्रम में जातियाँ	ब्राह्मण	बनिया	कायस्थ	सोनार	अहीर	लोहार	माली	गड़रिया	कहार	तेली	भरव	भरभूंजा	कुम्हार	बढ़ई	चमार	डोमार	पदसोपानक्रम का औसत मान	मध्यविचलन
1.	ब्राह्मण	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.0	0
2.	बनिया	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.0	0
3.	कायस्थ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.1	.2
4.	सोनार	4	5	4	3	4	4	4	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4.3	.37
5.	अहीर	6	4	5	7	5	6	5	5	4	6	3	8	5	6	5	5	5.0	.8
6.	लोहार	5	7	7	4	11	5	8	9	4	5	6	5	6	6	6	6	6.1	1.4
7.	बढ़ई	5	8	6	5	10	5	7	9	4	5	7	6	7	5	7	7	6.5	1.3
8.	माली	7	6	8	11	9	7	6	9	4	7	6	7	8	8	8	8	8.0	1.1
9.	नाई	11	11	13	11	7	9	9	10	4	9	8	12	9	10	10	10	9.4	1.5
10.	केवट	9	9	9	10	6	9	10	13	4	8	9	11	12	7	14	14	9.6	2.06
11.	गड़रिया	10	11	10	8	10	8	11	9	4	8	12	10	14	10	12	12	9.8	1.6
12.	कहार	8	10	12	12	8	8	11	7	4	8	11	9	16	9	17	17	10.4	2.8
13	तेली	13	13	14	13	11	10	16	9	6	10	11	14	13	11	11	11	11.5	1.8
14.	पटवा	16	14	15	18	13	11	14	9	5	11	11	16	10	11	9	9	11.9	2.6
15.	भरव	17	15	13	19	12	14	15	6	7	8	8	14	14	12	13	13	12.2	2.58
16.	भरभूंजा	12	14	10	9	11	10	14	9	10	10	10	13	17	13	18	18	12.3	2.53
17.	कलार	14	12	11	16	13	10	12	11	9	11	11	15	15	11	16	16	12.6	2.01
18.	कुम्हार	18	15	12	14	14	13	17	8	8	13	12	18	14	14	15	15	13.7	2.01
19	बढ़ई	15	16	15	17	15	12	18	11	10	12	11	17	14	12	18	15	14.2	2.05
20	कोरी	19	16	16	19	16	14	19	14	11	14	13	19	18	15	19	19	15.8	2.2
21.	चमार	20	18	17	21	18	15	20	15	11	16	14	21	19	16	20	20	17.0	2.4
22.	धोबी	21	17	18	20	17	16	21	16	20	15	15	20	20	17	21	21	17.9	2.3
23.	डोमार	22	19	19	22	19	17	22	17	13	17	16	22	21	18	22	22	18.6	2.35

उद्धृत :– उपर्युक्त जाति पद सोपान डा0पी0एन0सेठ (1982 :   ) के शोध ग्रन्थ 'सवंमित ग्राम विपथट एवं अतिहार के सिरोह के तुलनात्मक अध्ययन" से।

बन्धु प्राइमरी पाठशाला के शिक्षक (एक राजकीय प्रा0पा0के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक) और एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य है। इन दोनों तेली शिक्षक बन्धुओं ने हरिजन और पिछड़े वर्ग में राजनैतिक चेतना एवं गतिशीलता उत्पन्न कर उच्च वर्ग के बड़े भूस्वामियों को ग्राम पंचायत में स्थानापन्न किया और हरिजन तथा पिछड़े वर्ग का संरक्षण किया। अतः इन्हीं इनकी प्रतिष्ठा ग्राम में आरख, कलार के जाति पद क्रम से उच्च प्रतिष्ठित है।

किसी प्रकार समग्र रूप में समस्त जातियों का ग्राम में पद क्रम में अन्तर सिग्नीफिकेन्ट नहीं है। यह विशेष प्रकार का पद क्रम में अन्तर का अन्वेषण स्पियर मैन विधि द्वारा पद क्रम सहसम्बन्ध द्वारा निकाला गया है। पद क्रम अन्तर कोरेलेशन कोफिशियेन्ट -93 है। यह सुझाव देता है कि ग्राम में जाति पद क्रम में गहरा सहसम्बन्ध है।

डिसूजा महोदय के सिद्धान्त के अनुसार पिछड़े वर्ग की कुछ जातियों के पद क्रम में कुछ अन्तर सुझाव देता है कि (लोहार जाति - पंचाल ब्राह्मण के अतिरिक्त) अन्य जातियों के संस्कारों का अन्तर नहीं है बल्कि आर्थिक और राजनैतिक शक्ति का संचय एवं संगठन ने उनकी प्रतिष्ठा का निर्धारण किया है। अन्य कारक भी वर्णन करने योग्य यह है कि पिछड़े वर्ग के पद क्रम में अन्तर अस्वीकृत या अमान्यता ने ग्रामीण साधन-सम्पन्न सवर्ण बड़े भूस्वामी दल के नियंत्रण के लिए जाति व्यवस्था से साधन विहीन निर्धन हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के मजदूरों के दमित जाति समूहों से एक वर्ग का अभ्युदय हुआ।

अग्रिम स्वीकृत या मान्यता की क्रमबद्धता का विश्लेषण स्तर स्थितियों की जाति समूहों के मध्य माध्यकविचलन का उपयोग किया गया। तालिका सं0 5 की अन्तिम पंक्ति में माध्य का विचलन दिया है।

एम0एन0श्रीनिवास (1966 : 3)ने अपनी पुस्तक "भारत में सामाजिक परिवर्तन" में जाति पर जोर देते हुए पवित्रता और अपवित्रता पर विश्वास व्यक्त किया है। वह लिखता है कि "जाति निःसन्देह अखिल भारतीय प्रक्रिया है। जातियों के मध्य

सम्बन्ध हैसियत, पवित्रता और अपवित्रता के शब्दों द्वारा व्यक्त किया है। पहले तीन वर्णों को द्विज कहते हैं क्योंकि उपनयन संस्कार के समय जिसे दूसरा जन्म माना जाता है, केवल उन्हें ही यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। केवल प्रथम तीन वर्णों के लोगों को वैदिक कर्मकाण्ड में सम्मिलित होने का अधिकार है, जिसमें अथर्ववेद को छोड़कर बाकी किसी न किसी वेद से मंत्रों का पाठ किया जाता है। द्विज वर्णों में ब्राह्मण इन संस्कारों का पूरा करने के बारे में सबसे अधिक अग्रणी होते हैं इसलिए दूसरों की अपेक्षा उन्हें संस्कृतीकरण के 'श्रेष्ठतर' आदर्श माना जा सकता है, किन्तु प्रत्येक वर्ण का सांस्कृतिक सार विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न समय पर अलग-अलग होता है और यह अनेकरूपता साधारणतः वर्ण सोपान के उच्चतम स्तरों की अपेक्षा निम्नस्तरों पर कहीं अधिक होती है।" (श्री एम०एन०श्रीनिवास 1966 : 24 आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन)।

एम०एन०श्रीनिवास 1966 : 22 —" संस्कृतीकरण वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कोई नीच (निम्न) हिन्दू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह, किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकाण्ड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। आमतौर पर ऐसे परिवर्तनों के बाद वह जाति परम्परा से स्थानीय समाज द्वारा सोपान में जो स्थान उसे मिला हुआ है, उससे ऊँचे स्थान का दावा करने लगती है। साधारणतः बहुत दिनों तक बल्कि वास्तव में एक पीढ़ियों तक दावा किये जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। कभी-कभी कोई जाति ऐसे स्थान की माँग करने लगती है जो उसके सोपानीय पड़ोसी मानने को तैयार नहीं होते। दावित और स्वीकृत प्रतिष्ठा के बीच इस प्रकार का सामंजस्य न केवल मतामत के क्षेत्र में भी होना संभव है। इस भाँति मैसूर में हरिजन जातियाँ दस्तकारों (लोहारों सोनारों आदि) के हाथ का बना खाना और पीने का पानी नहीं स्वीकार करती जो निश्चय ही स्पृश्य जातियों में हैं और इसलिए हरिजनों से श्रेष्ठतर हैं चाहे उनका विश्वकर्मा ब्राह्मण होने का दावा भले ही न माना जाये।"

एम0एन0श्रीनिवास के अनुसार " शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक नवीन संस्कारों द्वारा जाति सिद्धान्त स्वतंत्र है अर्थात् इनके द्वारा सभी जातियाँ स्वतंत्र हो चुकी हैं, कोई व्यक्ति किसी जाति विशेष में जन्म लेने, जाति धर्म के द्वारा निबन्धित नहीं है।

मैक्सवेबर (1964-94)'भारत का धर्म' के अनुसार बेवर (जेवाल) लोहार जाति) का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो ब्राह्मणकाल (वैदिककाल) से उच्च - स्तर का दावा करते हैं।(उद्धृत बी0डी0त्रिपाठी 12,13 दिसम्बर 1982 आर्टिकिल "मैक्सवेबर आन कास्ट'' चतुर्थ प्रान्तीय समाज शास्त्र सम्मेलन,क्राइस्ट चर्च कालेज,कानपुर प्रो0 समाज शास्त्र विभाग काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

एम0एन0श्रीनिवास (1952: 149) 'भारत के गाँव' उद्धृत एलानबील्स एक मैसूर ग्राम के नेतृत्व में परिवर्तन' के अनुसार ''हेटराहली दक्षिण भारत में वर्तमान पांचाल शाकाहारी जाति की महत्वपूर्ण संख्या है, पांचाल एक शिल्पी या शिल्पकार्य करने वाली जाति लोहार, सोनार, पत्थर की मूर्तिकलाकार और बढ़ई वे अपने को क्षत्रिय होने का दावा करते हैं और एक शुद्ध जनेऊ धारण करते हैं। इनका गुरू या धार्मिक नेता न तो ब्राह्मण और न जंगम बल्कि उनकी ही जाति का एक सदस्य होता है। पांचाल(शाका-हारी) गनिगा या तेल बेचने वाली जाति (तेली) और मडिगा परस्पर परम्परागत संबंध रखते हैं और संघर्षों में परस्पर सुविधायें देते हैं। पांचाल और गनिगा मडिगा के वैवाहिक सम्बन्धों की व्यवस्था करते हैं और उनके धार्मिक कार्यों का निरीक्षण करते हैं, गनिगा और पांचाल एक समान गुरू रखते हैं। पांचाल और गनिगा केवल ब्राह्मण का भोजन खाते हैं।"

एस0सी0दुबे(1961) डिकन ग्राम' के अध्ययन के अनुसार हैदराबाद प्रान्त के अदिलाबाद के तीन जनपद प्रभावशाली हैं और देवरा डीकेन की तल-हटी का गाँव है।" यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि वे (पांचाल ब्राह्मण) प्रथम तीन वर्णों में सम्मिलित नहीं हैं। मडिगा के अलावा ए मिश्रित समूह हैं। अन्य दूसरी जातियों सहित वे चौथे स्तर का शिल्पशास्त्री और कृषि व्यवसाय का समूह है। मानेश्वर(कृषिप्रधान और मैदा-

शाली(जुलाहे)का इस समूह में उच्चतम प्रतिष्ठा है इनके बाद दर्जी (मेरा)(गोडला (टोडी टेपर) और गोला (गड़रिया) का इनके बाद स्थान है और सब तीन समान जातीय प्रतिष्ठा रखते हैं। नाई, धोबी के बाद निम्नतर स्तर मडिगा(चमार) का है। वाड्ला (बढ़ई) कमारी (लोहार) और अवुसा (सोनार) कुछ पृथक विधान रखते हैं। भारत के इस ग्राम में ही नहीं बल्कि अन्तरजातीय इनका पृथक अस्तित्व है। ये परस्पर विवाह की व्यवस्था से सम्बद्ध हैं। किन्तु ये पंच समूह (पांचाल ब्राह्मण एक संयुक्त जाति का स्वाधिकार पांचों शिल्पों में रखते हैं। और इस समूह की पांचों जातियां परस्पर शादी और अपने शिल्प को बदल सकते हैं। अन्य हिन्दू जातियों से पृथक उनकी आचार संहिता है। अन्य हिन्दू जातियां ऐसा नहीं कर सकतीं। (अपवाद में नाई, धोबी और मडिगा ने अब प्रतियोगिता में इनका भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया है। ये जातियां पांचाल ब्राह्मणों का भोजन एवं स्पर्श करते हैं।) इन पांचालों के अपने उत्सवों में ब्राह्मणों का कोई संस्कारित अधिकार नहीं है। वे अपनी ही जाति का पुजारी रखते हैं। ये शुद्ध जाति है। तेलगू बोलने वाले लोग जाति स्तरीकरण में इनका स्थान कौमाचर और पद्मशाली से निम्न होना चाहिए। ऐसा विचार है और मेरा,(गोडला)टोडी टेपर और गोला(गड़रिया) से ऊँचा होना चाहिए।"

हमारे हिन्दू धर्म ग्रन्थ भविष्यपुराण अ0 24 में शिल्पकार करने वाले शिल्पकारियों के इस शिल्पकार को ब्राह्मणों का कार्य बताया गया है। यथा –"शिल्पं हि वेदाध्ययनं द्विजानां वृत्तं स्मृतं ब्राह्मण लक्षणम्" भविष्यपुराण अ024 एवं भारत का सार एवं इतिहास अ0 37।

विश्वकर्मा कुले जाता गर्भ ब्राह्मण निश्चितः॥
शूद्रत्वः नास्ति तत्वधे ब्राह्मणो विश्वकर्मणः॥

स्कन्द पुराण नागरखण्ड में वर्णित – अर्थात् जिनका विश्वकर्मा कुल में जन्म हुआ हो, वह निःसन्देह गर्भ से ब्राह्मण है। अन्य –

विश्वकर्मा भवेत् पूर्वः ब्रह्मणस्तु पुरातनः।

त्वष्टु प्रजायते पुत्रो, विभुः सर्व कर्मसु॥

अर्थात् संसार के उपकार करने वाले शिल्प विद्या के प्रकाशक प्रथम आचार्य विश्वकर्मा वंशज सृष्टि आरम्भ से ब्रह्मर्षि कर्म वेदों का अध्ययन और शिल्पकार करते चले आ रहे हैं। वेदों और पुराणों में इनका महत्त्व विस्तृत रूप में है।

त्वमिन्द्राभिभूरसि त्वं सूर्यम् रोचयः। विश्वकर्मा विश्वदेवो महाअसि॥
(मण्डल8, अध्याय 10, सूक्त98 मं03)

हे इन्द्र हे शत्रुओं के तिरस्कारक हे सूर्य को अपने तेज से तेजस्वी बनाने वाले तुम विश्वकर्मा विश्वरूप, क्रियरूप वाले और महानों में भी महान हो। (ऋग्वेद अनुवादित पं0 श्री राम शर्मा ''- उ0प्र03(22)2 पृ0 211) यथा श्रीमद्भागवत् स्कंध 6 अ07 — "विश्वरूपो त्वाष्ट पुरोहितो देवानामासीत्।"

अर्थात् त्वाष्ट का पुत्र विश्वकर्मा का पौत्र विश्वरूप देवों का पुरोहित (गुरु) हुआ।

वर्तमान समय में अखिल भारत के विभिन्न प्रान्तों में इनके गोत्र का नाम उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा, शर्मा देहली में धीमान् ब्राह्मण, इलाहाबाद में शर्मा, झा, ओझा बिहार में मैथिल राजस्थान में जांगिड़ ब्राह्मण नाम से जाने जाते हैं।

ग्रामीण समुदाय में असंस्कृतीकरण की प्रक्रिया

डा0 डी0एन0मजूमदार ने मोहाना गांव का अध्ययन करते समय पाया कि निम्न जातियों में साधारणतया उच्च जातियों की जीवन शैली अपनाने की अधिक प्रवृत्ति नहीं पायी जाती और न ही इस परिवर्तन के फलस्वरूप किसी निम्न जाति की स्थिति ऊँची उठी है। मजूमदार का विचार है कि यदि हम भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना का सूक्ष्म अवलोकन करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ संस्कृतीकरण की तुलना में असंस्कृतीकरण की प्रक्रिया अधिक क्रियाशील है। असंस्कृतीकरण संस्कृतीकरण की विरोधी प्रक्रिया है। जिसके अन्तर्गत उच्च जातियाँ निम्न जातियों की जीवन शैली को अपना रही हैं और अपने परम्परागत व्यवहार प्रतिमानों को छोड़ती जा रही हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक संस्तरण में ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ तथा धार्मिक क्रियाओं का करना था, किन्तु आज बहुत से ब्राह्मण चमड़े, शराब, बीड़ी बनाने, तथा गोश्त बेचने जैसे अनेक उन

व्यवसायों के द्वारा आजीविका उपार्जित करने लगे हैं, जिन कार्यों को जाति व्यवस्था के अन्तर्गत वे पहले नहीं करसकते थे। इसी प्रकार मांस और मदिरा का प्रयोग जो पहले केवल निम्न जातियों द्वारा ही किया जाता था, अब ब्राम्हण और दूसरी उच्च जातियों के द्वारा भी किया जाने लगा है। कृषि कार्य जो पहले केवल किसान जातियों के द्वारा किया जाता था, आज सबसे अधिक ब्राह्मण एवं राजपूत जातियों के द्वारा किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि गांवों में आज निम्न जातियां उच्च जातियों की जीवन शैली का उतना अधिक अनुकरण नहीं कर रही हैं, जितना अधिक अनुकरण उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों की जीवन शैली का किया जा रहा है।

वर्तमान शोधअध्ययन ग्राम डिघवट में पांचाल समूह में मात्र तीन जातियां हैं, सोनार, लोहार, बढ़ई जिनमें लोहार ग्रह स्वामियों के 21 परिवार हैं, कुछ अल्प-भूमि वाले एवं दो परिवार 20-30 बीघा भूसीमा वाले भूमिधर हैं। इन परिवारों में 10-15 सदस्यों की संख्या वाले होने के कारण सवर्ण ब्राह्मण भूस्वामियों के प्रताड़न से संत्रस्त हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के गुट में इस ग्राम के तेली बन्धु, शिक्षकों के नेतृत्व में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के संगठित समूह में इन लोहार(पिछड़ी) जाति के परिवारों द्वारा सशक्त भूमिका अदा की गयी, जिससे हरिजन तथा पिछड़े वर्ग का सबल संगठन बनकर सवर्णों के दमन का संगठित समूह के रूप में नियंत्रण किया गया। ग्राम की यह जाति कृषि तथा शिल्पी व्यवसाय द्वारा अर्थोपार्जन के कारण आत्मआश्रित है। एवं वर्तमान समय में वर्तमान ग्राम प्रधान के रूप में इसी जाति का एक नवयुवक चुना गया, इस ग्राम-प्रधान का परम्परागत ग्राम के सबसे बड़े ब्राह्मण जमींदार से भूमि सम्बन्धी तनाव कुछ जमीन के पट्टा के संबंध में पहले से था अतः विरोधी गुटों में और उग्रता आ गयी। जातीय संस्तरण में भी ये उच्चतम ब्राह्मण का स्थान वैदिक काल से संयुक्त हैं, अतः ग्राम के ब्राह्मण बड़े भूस्वामी बल से संघर्ष लेने हेतु हरिजन एवं पिछड़े वर्ग में इन विश्वकर्मा समुदाय को ही सशक्त समझकर ग्राम के हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के तेली शिक्षक नेता ने इन्हें ही ग्राम के प्रधान पद हेतु खड़ा किया, जिससे ग्राम में राजनैतिक शक्ति में हस्तान्तरण हुआ। ब्रिटिश काल में इस शिल्पी जाति को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया। वस्तुतः विश्वकर्मा के जातिय स्तरीकरण को अधिक नहीं मानते थे। इसका प्रमाण तो हिन्दूशास्त्र ही रखते हैं।

सूचनादाताओं की आयु जाति समूह के आधार पर

ग्राम डिघवट में कुल 400 परिवार के मुखिया उत्तरदाता हैं, जिनकी आयु को पांच वर्गान्तरालों में आयु समूह के अनुसार तालिका नं0 3 में दर्शाया गया है। उच्च जाति के कुल 68 उत्तरदाता हैं जिनमें 19 वर्ष से 30 वर्ष आयु के 4 व्यक्ति जिसका प्रतिशत 5·89 होता है। इसी प्रकार 31 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य उत्तर - दाताओं की सं0 21 है जिनका कुल उच्च वर्गीय उत्तरदाताओं में 30·89 प्रतिशत होता है। 41 वर्ष से 50 वर्ष तक के उत्तरदाताओं की संख्या 24 है। उच्च वर्गीय उत्तर - दाताओं में यह 35·29 प्रतिशत है। 51 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य के उत्तरदाताओं की कुल संख्या 10 है जिसका 14·70 प्रतिशत है। उच्च जातिय 61 वर्ष से अधिक आयु के उत्तरदाताओं की संख्या 9 है। कुल उच्चजातीय उत्तरदाताओं में इनका प्रतिशत 13·23 होता है।

इसी प्रकार पिछड़ा वर्गीय सूचनादाताओं की आयु को 5 वर्गान्तरालों में वर्गीकृत किया गया है। इस वर्ग में कुल उत्तरदाता 226 हैं। आयु के आधार पर 19वर्ष से ऊपर 30 वर्ष के सूचनादाताओं की संख्या // 22 है जो पिछड़ा वर्गीय कुल उत्तर- दाताओं का 9·74 प्रतिशत है। 31 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य सूचनादाताओं की संख्या 61 है जो 26·99 प्रतिशत है। 41 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य उत्तरदाताओं की संख्या 64 है। पिछड़ा वर्ग में इस आयु समूह में सबसे अधिक उत्तरदाता हैं। जिसका अपने वर्ग में 28·31 प्रतिशत है। 51 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य सूचनादाताओं की संख्या 42 है जो 18·59 प्रतिशत है। 61 वर्ष से अधिक उम्र वाले पिछड़ा वर्ग में उत्तरदाता 37 है जिसका प्रतिशत 16·37 है।

हरिजन जाति समूह के कुल 87 सूचनादाताओं को भी आयु समूह के अनुसार 5 वर्गान्तरालों में विभाजित किया गया है - 19 से 30 वर्ष के मध्य इनकी संख्या 16 है जो 18·39 प्रतिशत है। 31 से 40 वर्ष के मध्य के उत्तरदाताओं की संख्या

के उत्तरदाताओं की संख्या 27 है जो 31·03 प्रतिशत होता है। 41 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य हरिजन सूचनादाताओं की संख्या 16 है जो 18·39 प्रतिशत है। 51 वर्ष से 60 वर्ष के उत्तरदाताओं की संख्या 17 है जो 19·54 प्रतिशत है। 61 वर्ष से अधिक आयु के सूचनादाताओं की संख्या 11 है जो कुल हरिजन सूचनादाताओं का 12·65 प्रतिशत है। इस प्रकार ग्राम डिबबट में हरिजन जाति समूह के 87 सूचनादाताओं में 31 से 40 वर्ष के मध्य सूचनादाता 27 है जो इस आयु समूह में सर्वोच्च संख्या को प्रदर्शित करता है।

मुस्लिम समूह में कुल सूचनादाता 19 है जिन्हें 5 आयु समूहों के वर्गान्तरालों में विभाजित किया गया है। 20 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य सूचनादाताओं की संख्या 4 है जो कुल मुस्लिम सूचनादाताओं का 21·05 प्रतिशत है। 31 वर्ष से 40 वर्ष आयु समूह के सूचनादाताओं की संख्या 7 है जो 36·85 प्रतिशत है। 41 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य सूचनादाताओं की संख्या 5 है जो 26·31 प्रतिशत है। 61 वर्ष से अधिक उम्र के मुसलमान उत्तरदाताओं की संख्या 1 है जो 5·26 प्रतिशत है।

इस प्रकार उच्च एवं पिछड़ा वर्ग के 41 से 50 वर्षीय आयु समूह के क्रमशः 24 और 64 इन वर्गों में सर्वाधिक संख्या में सूचनादाता हैं जबकि हरिजन एवं मुसलमान वर्ग में 31 से 40 वर्ष के आयु समूह में क्रमशः 27 एवं सर्वाधिक सूचनादाता हैं। अतः हरिजन एवं मुसलमान वर्ग कम आयु में ही पुरुष विवाहित होकर एकाकी परिवार बना लेते हैं जबकि उच्च एवं पिछड़ी जाति के वर्गों में 41 वर्ष एवं 50 वर्ष के मध्य हुए। बड़ी उम्र अर्थात् प्रौढावस्था में एकाकी परिवार के रूप में व्यक्ति परिवार के मुखिया के रूप में संयुक्त परिवार से अलग होकर एकाकी परिवार के रूप में परिणत होते हैं। हरिजन एवं मुसलमान परिवारों में विशेष रूप कर भारत कम उम्र में ही विवाहित होकर संयुक्त परिवारों की प्रथा में कमी होती जा रही है। ज बकि उच्च एवं पिछड़ा वर्ग में परिवार का मुखिया बड़ी उम्र का व्यक्ति अधिक सम्मान की दृष्टि से माना

जाता है। अतः परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहना अधिक उत्तम परिवार का लक्षण हिन्दू परम्परा रही है। आधुनिक परम्परा में एकाकी परिवार की ओर पुरुषों को प्रेरित करती है। स्वतंत्र जीवन यापन हेतु अधिक नियंत्रण में रहना अब नई पीढ़ी का नवयुवक पसन्द नहीं करता। पुरानी मर्यादाओं में बंधना आधुनिक सभ्यता के विपरीत रूढ़िवादी विचारों का पोषण आज का नवयुवक अधिक समय तक नहीं कर पाता।

तालिका संख्या 6

क्र०सं०	आयु	उच्चजाति	पिछड़ावर्ग	हरिजन	योग	मुस्लिम	महायोग
1	20-30	4 (5•89)	22 (9•74)	16 (18•39)	42 (11•02)	4 (31•05)	45 (11•25)
2	31-40	21 (30•89)	61 (26•99)	27 (21•03)	109 (28•61)	7 (36•85)	116 (29•00)
3	41-50	24 (25•29)	64 (28•31)	16 (18•39)	104 (27•29)	2 (10•53)	106 (26•50)
4	51-60	10 (14•70)	42 (18•59)	17 (19•[illegible])	69 (18•11)	5 (26•31)	74 (18•50)
5	61से ऊपर	9 (13•23)	37 (16•37)	11 (12•65)	57 (14•97)	1 (5•26)	59 (14•75)
योग —		68 (100•00)	226 (100•00)	87 (100•00)	381 (100•00)	19 (100•00)	400 (100•00)

ग्राम डिघवट के जातिगत सदस्यों की वैवाहिक स्थिति

ग्राम डिघवट के जातिगत सदस्यों की वैवाहिक स्थिति उच्च जाति समूह में 495 व्यक्तियों (जनगणना) में 255 व्यक्ति विवाहित हैं जो अपने वर्ग की पूर्ण जनगणना का 51·52 प्रतिशत है। इस वर्ग में 26 अविवाहितों की संख्या है जिसका प्रतिशत 43·64 है। इस वर्ग में 24 विधुर एवं विधवाओं की संख्या है जो 4·84 प्रतिशत है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग में कुल जनगणना 1416 है जिसमें 764 विवाहित हैं जो पूर्ण वर्ग की संख्या का 53·95 प्रतिशत है। इस वर्ग में अविवाहितों की संख्या 624 है जो 44·07 प्रतिशत है। इस वर्ग में विधुर अथवा अविवाहित 28 है जो 1·98 प्रतिशत है। इसी प्रकार इस गाँव के हरिजन वर्ग में 548 जनगणना है जिसमें विवाहितों की संख्या 277 है जो 50·55 प्रतिशत है। इस वर्ग में अविवाहितों की संख्या 250 है जिनका प्रतिशत 45·62 है। इस वर्ग में विधुरों एवं विधवायें 2 है जो 3·83 प्रतिशत है। इस गाँव के मुसलमान वर्ग में 19 परिवारों की जनगणना 110 है जिसमें विवाहितों की संख्या 56 है जो 50·91 प्रतिशत है। इस वर्ग में अविवाहितों की संख्या 52 है जो 47·28 प्रतिशत है। एवं विधुर एवं विधवाओं की संख्या 2 है जिसका 1·81 प्रतिशत है। जो निम्न तालिका नं0 4 में दर्शित है।

तालिका सं0 7

ग्राम डिघवट के जातिगत सदस्यों की वैवाहिकस्थिति

क्र0सं0	वैवाहिकस्थिति	उच्चजातिसमूह	पिछड़ावर्गीय समूह	हरिजनजाति समूह	मुस्लिम	योग
1	विवाहित	255 (51·52)	764 (53·95)	277 (50·55)	56 (50·91)	1352 (52·63)
2-	अविवाहित	216 (43·64)	624 (44·07)	250 (45·62)	52 (74·28)	1142 (44·45)
3-	विधुर /विधवा	24 (4·84)	28 (1·98)	21 (3·83)	110 (1·81)	75 (2·92)

महायोग	495	1416	548	110	2569
	(100·00)	(100·00)	(100·00)	(100·00)	(100·00)

ग्राम डिबवट में परिवारों के प्रकारों का विवरण सूचनादाताओं के जातिगत समूहों के वर्गीकरण के अनुसार तालिका सं0 5 में प्रदर्शित किया गया है।

ग्राम डिबवट में समस्त जाति समूहों के परिवारों में परिवार के दो प्रकार के पाये गये प्रथम एकाकी परिवार जिसमें पति पत्नी एवं उसके बच्चे सम्मिलित हैं। द्वितीय प्रकार के संयुक्त परिवार जिसमें माता-पिता उनके विवाहित संतानें एक साथ निवास करते हैं। उच्च वर्ग में 68 परिवारों में 26 एकाकी परिवार हैं जो 38·24 प्रतिशत हैं। तथा इसमें शेष 42 परिवार संयुक्त परिवार हैं जिसका प्रतिशत 61·76 प्रतिशत है। इस वर्ग मे अब भी संयुक्त परिवार की पुरानी मान्यता सहयोग की दृष्टिसे उत्तम मानी गयी है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग समूह में कुल 226 परिवार हैं जिनमें 134 एकाकी परिवार हैं जिसका प्रतिशत 59·29 है। शेष 92 परिवार संयुक्त परिवार हैं जो 40·71 प्रतिशत है। इस वर्ग से संयुक्त परिवारोंकी संख्या या परम्परा कम हो रही है। एवं एकाकी परिवारों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ग्राम के हरिजन जाति समूह में कुल 87 परिवार हैं जिसमें 49 परिवार एकाकी है जो 56·32 प्रतिशत है। शेष 38 परिवार संयुक्त परिवार हैं जो 43·32 प्रतिशत हैं। अतः हरिजन वर्ग समूह में भी एकाकी परिवारों में वृद्धि हो रही है। संयुक्त परिवार की प्रथा घट रही है। इस गाँव में 19 परिवार मुसलमानों के हैं जिनमें 9 एकाकी परिवार हैं जो 47·37 प्रतिशत है। शेष 10 परिवार संयुक्त किस्म के परिवार हैं जो 52·63 प्रतिशत है। इस गाँव में समस्त एकाकी परिवारों की संख्या 218 है जो 54·50 प्रतिशत है। एवं शेष 182 संयुक्त परिवार हैं जिसका प्रतिशत 42·50 है। इस प्रकार गाँव में वर्तमान अध्ययनकाल (शोधकाल) में 400 परिवार निवास करते हैं। ग्राम की सर्वेक्षणमय स्थिति में कुल परिवार गाँव से स्था-

स्थानान्तरित होकर अन्य गाँव व शहर में जीविका उपार्जन हेतु एवं जीवन रक्षा हेतु जाकर बस गये हैं।

आस्कर लेविस (1955-4) एक उत्तरी भारत का गाँव - आस्कर लेविस ने गाँव रानपुर के अध्ययन से इंगित किया कि, ब्राह्मणों और जाटों दोनों उच्च जातियों में संयुक्त परिवारों का अनुपात उच्च है। लेकिन निम्न जाति भंगियों के परिवारों में संयुक्त परिवारों का अनुपात कम है। समान निष्कर्ष योगेन्द्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के एक गाँव के अध्ययन में देखा कि उच्च जातियों के परिवारों में संयुक्त परिवारों का अनुपात प्रभुत्वशाली है।

उपर्युक्त अध्ययनों की भांति प्रस्तावित अध्ययन गाँव डिघवट में भी उच्च जातियों के परिवारों के अन्तर्गत विस्तृत बयालीस परिवारों का प्रतिशत 61·76 है। एवम् इनका (उच्चजाति) एकाकी 26 परिवारों का प्रतिशत 38·24 है। जबकि हरिजनों के 87 परिवारों में 49 एकाकी परिवारों का प्रतिशत 56·32 और संयुक्त परिवार 38 हैं जिनका प्रतिशत 43·68 है अतः स्पष्ट है कि इस गाँव में उच्च जातियों में संयुक्त परिवारों का प्रतिशत 61·76 प्रतिशत है जबकि हरिजन संयुक्त परिवारों के प्रतिशत 43·68 है। इससे अति उच्च प्रभुत्वशाली है।

तालिका संख्या 8

ग्राम डिघवट में परिवार के प्रकारों का विवरण सूचनादाताओं के जातिगत समूहों के वर्गीकरण के अनुसार -

क्र०सं० परिवारों के प्रकार	उच्चजाति	पिछड़ावर्गीय समूह	हरिजन	योग	मुस्लिम	कुलयोग
1- एकाकीपरिवार	26 (38·24)	134 (59·29)	49 (56·32)	209 (54·86)	9 (47·37)	218 (54·50)
2 विस्तृतपरिवार	42 (61·76)	92 (40·71)	38 (43·68)	172 (45·14)	10 (52·63)	182 (45·50)
योग	68 (100·00)	226 (100·00)	87 (100·00)	381 (100·00)	19 (100·0)	400 (100·00)

ग्राम डिघवट के परिवारों का आकार — जातिगत समूहों की वर्गीकरण के अनुसार — तालिका संख्या 6 में निम्नवत अंकित है :—

ग्राम डिघवट में परिवारों के आकारों को परिवार संख्या के आधार पर चार वर्गों में विभाजित या वर्गीकृत किया गया है। प्रथम आकार का परिवार जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या 5 हो, द्वितीय आकार का परिवार जिसमें परिवार में सदस्यों की संख्या 6 से 10 तथा तृतीय आकार के परिवार 11-से 15 सदस्य वाले चौथे आकार का बड़ परिवार है जिसमें परिवार में सदस्यों की संख्या 15 से अधिक हो। इस ग्राम में उच्च जाति समूह में 68 परिवार हैं जिसमें 15 परिवार प्रथम आकार के 0-5 वर्गान्तराल के अन्तर्गत हैं जिसका प्रतिशत 22·06 है। द्वितीय आकार के 6-10 वर्गान्तराल के अन्तर्गत 37 परिवार हैं जिनका प्रतिशत 54·41 है तृतीय आकार के 11-15 वर्गान्तराल के अन्तर्गत 7 परिवार है जिसका प्रतिशत 10·29 है। चौथे आकार के 15 से अधिक सदस्यों के वर्गान्तराल के अन्तर्गत मात्र 9 परिवार हैं जिसका प्रतिशत 13·24 है।

ग्राम के पिछड़े वर्ग में 226 परिवार हैं जिसमें प्रथम आकार 0-5 वर्गान्तराल के अन्तर्गत सर्वाधिक 108 परिवार हैं, जिसका प्रतिशत 47·79 है। द्वितीय आकार 6-10 वर्गान्तराल के अन्तर्गत 91 परिवार हैं जो 40·26 प्रतिशत है। तृतीय आकार 11-15 सदस्य संख्या के अन्तर्गत 24 परिवार हैं जो 10·26 प्रतिशत हैं। चतुर्थ आकार 15 से अधिक सदस्यों के वर्गान्तराल के अन्तर्गत तीन परिवार जिसका प्रतिशत 1·3है। इस वर्ग में सर्वाधिक 108 परिवार प्रथम आकार के 0-05 सदस्यों वाले छोटे परिवार हैं।

ग्राम के हरिजन वर्ग में 87 परिवार हैं, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय आकार के परिवारों की संख्या प्रत्येक में 40 सम है जो 45·98 प्रतिशत है। तृतीय आकार 11-15 सदस्यों के वर्गान्तराल के अन्तर्गत 6 परिवार हैं जिसका प्रतिशत 6·89 है। चतुर्थ आकार 15 से अधिक सदस्यों के वर्गान्तराल के अन्तर्गत एक ही मात्र परिवार है

जिसका प्रतिशत 1·15है।

इस गाँव में 19 परिवार मुसलमान समुदाय के निवास करते हैं जिसमें प्रथम आकार 0 से 5 सदस्यों के वर्गान्तराल के अन्तर्गत सर्वाधिक 12 परिवार हैं जो 63·16 प्रतिशत है। शेष द्वितीय आकार के 6-10 वर्गान्तराल में 7 परिवार हैं जिसका 36·85 प्रतिशत है। इस जाति समूह में तृतीय एवं चतुर्थ आकार के परिवार नहीं है। देखिए तालिका संख्या - 9

तालिका संख्या 9

ग्राम डिघवट के सूचनादाताओं के परिवारों के आकार जातिगत समूहों के वर्गीकरण के अनुसार :—

क्रमसं0	परिवारों के आकार	उच्चजाति समूह	पिछड़ाजाति समूह	हरिजन समूह	योग	मुस्लिम	कुलयोग
1-	0- 5सदस्य	15 (22·06)	108 (47·79)	40 (45·98)	163 (42·79)	12 (63·16)	175 (43·75)
2	6-10	37 (54·41)	91 (40·26)	40 (45·98)	168 (44·09)	7 (36·84)	175 (43·75)
3-	11-15	7 10·29)	24 (10·26)	6 (6· 89)	37 (9· 71)	0 (0)	37 (9·25)
4-	15से अधिक	9 (13·24)	3 (1·33)	1 (1·15)	13 (3·41)	0 (0)	13 (3·25)
योग		68 (100·0)	226 (100·0)	87 (100·0)	381 (100·0)	19 (100·0)	400 (100·0)

ग्राम डिघवट के उत्तरदाताओं के निवास की अवधि

ग्राम डिघवट के अधिकांश उत्तरदाताओं के निवास की अवधि इस ग्राम में जन्म से है। 95·23 प्रतिशत उत्तरदाता जन्म से ही इस ग्राम के मूल निवासी हैं।

ग्राम डिघवट के उत्तरदाताओं का जातिगत शैक्षिक स्तर

ग्राम डिघवट में शैक्षिक स्तर को स्पष्ट करने हेतु जातिगत शैक्षिक वर्गीकरण को तालिका संख्या 10 में छः भागों में दर्शाया गया है। उच्च वर्ग में 68 परिवारों में 495 सदस्य हैं, जिनमें 149 निरक्षर हैं जो 30·10 प्रतिशत हैं। शेष 69·90 प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं। जिनमें 83 सदस्य साक्षर जिसका प्रतिशत 16·77 है। इस वर्ग में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त 134 सदस्य हैं जिसका प्रतिशत 27·07 है। जूनियर हाई स्कूल तक शिक्षित 66 सदस्य हैं जिसका प्रतिशत 13·33 है। हाई स्कूल एवं इण्टर स्तर तक शिक्षित 52 सदस्य हैं जिसका प्रतिशत 10·51 है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा अन्य अर्हतायें अर्जित प्राप्त 11 सदस्य हैं, जो 2·22 प्रतिशत हैं। इस वर्ग में भी निरक्षरता का प्रतिशत 30·10 पर्याप्त है। एवं सर्वाधिक शिक्षित प्राथमिक स्तर तक के 134 सदस्य जिसका प्रतिशत 27·07 है।

इस ग्राम के पिछड़ा वर्ग में 226 परिवार हैं, जिसमें समस्त जनगणना 1416 है इनमें 1068 व्यक्ति निरक्षर हैं, जिसका प्रतिशत 75·43 है। इस वर्ग में शेष 24·67 प्रतिशत शिक्षित हैं जिनमें 68 सदस्य साक्षर हैं जिसका प्रतिशत 4·08 है। इस वर्ग में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त 179 सदस्य हैं जो 12·64 प्रतिशत है। जूनियर हाई स्कूल स्तर तक शिक्षा प्राप्त 60 सदस्य हैं जो 4 24 प्रतिशत है। हाई स्कूल एवं इण्टर शिक्षा प्राप्त 33 सदस्य हैं जिसका प्रतिशत 2·33 है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अन्य अर्हतायें प्राप्त 8 सदस्य हैं जिसका प्रतिशत 0·56 है।

अनुसूचित जाति समूह में 87 परिवार हैं। जिसके सदस्यों की जनगणना 548 है। इनमें 467 सदस्य निरक्षर हैं जो 85·22 प्रतिशत है। शेष 14·78 प्रतिशत

शिक्षित व्यक्ति हैं जिनमें 12 सदस्य साक्षर हैं जो 2·19 प्रतिशत हैं। इनमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त 35 सदस्य हैं जिनका प्रतिशत 6·39 है। जूनियर हाई स्कूल स्तर तक शिक्षा प्राप्त सदस्यों की संख्या 14 है जो 2·55 प्रतिशत है। हाई स्कूल एवं इण्टर स्तर पर शिक्षित सदस्यों की संख्या 16 है जो 2·92 प्रतिशत है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा अन्य अर्हता प्राप्त सदस्यों की संख्या 4 है जिसका प्रतिशत 0·73 है।

इस गाँव में 19 परिवार मुसलमान जाति के हैं जिनकी सदस्य संख्या 110 है जिनमें 103 सदस्य निरक्षर है जिसका प्रतिशत 93·64 है। शेष 6·34 प्रतिशत सदस्य शिक्षित हैं, जिनमें प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त 6 सदस्य हैं, जिसका प्रतिशत 5·45 है। एवं जूनियर हाई हाई स्कूल स्तर तक शिक्षा प्राप्त मात्र एक सदस्य है। जिसका प्रतिशत 0·91 है।

इस प्रकार समस्त गाँव में निरक्षरता में 1787 कुल सदस्य हैं जो 69·56 प्रतिशत हैं। शेष 30·44 प्रतिशत सदस्य शिक्षित एवं साक्षर स्तर के हैं। जिनकी संख्या 782 है। एवं समस्त गाँव की जनगणना 2569 है। इस गाँव में निरक्षरता का प्रतिशत उच्च वर्ग में 30·10 प्रतिशत ही है। जबकि पिछड़ा वर्ग में 75·43 प्रतिशत है। एवं हरिजन वर्ग में 85·22 प्रतिशत है। शिक्षित होने का प्रतिशत उच्च वर्ग में 69·90 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग में 24·67 प्रतिशत तथा हरिजन वर्ग में केवल 14·78 प्रतिशत है।

शिक्षा का स्तर ही सामाजिक विकास का मुख्य साधन है जो मानव समाज में बौधिकता एवं दक्षता प्रदान करता है। जिससे मानव समाज सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक विकास करता है, शिक्षित समाज का वह वर्ग है जो नैतिक नागरिकता के अधिकार एवं न्याय एवं अनाचारों के प्रतिरोध एवं नियंत्रण की माँग एवं इस दिशा में यथोचित वैधानिकताओं के पालन की प्रेरणा देता है।

जनगणना 1971 के अनुसार इस गाँव की जनगणना 2417 थी, जिनमें सह साक्षर 493 थे, 385 पुरुष एवं 108 स्त्रीसदस्य थे। तथा साक्षरता का प्रतिशत 20·39 था तथा निरक्षर सदस्यों की संख्या 1924 थी। इस निरक्षरता का प्रतिशत 39·61 था। इस अध्ययन में इस गाँव की 1978 में जनगणना हमारे सर्वेक्षण के अनुसार 2569 थी, जिसमें 782 सदस्य साक्षर थे जिसका प्रतिशत 30·44 है एवं निरक्षर सदस्यों की संख्या 1787 है जिसका प्रतिशत 69·56 है। 1971 के पश्चात् व्यक्तियों में कुछ ही वर्षों में साक्षरता की दिशा में 10·05 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं जन संख्या 152 सदस्यों की वृद्धि हुई। (देखिए तालिका संख्या 10)

तालिका संख्या 10

ग्राम डिघवट में जातिगत शैक्षिक वर्गीकरण

क्र0सं0 शैक्षिकवर्गीकरण	उच्चजाति समूह	पिछड़ीजाति समूह	हरिजन जाति	मुसलमान जाति	योग
1- निरक्षर	149 (30·10)	1068 (75·43)	467 (85·22)	103 (93·64)	1787 (69·56)
2- केवल साक्षर	83 (16·77)	68 (4·80)	12 (2·19)	00 (00)	163 (6·35)
3- प्राइमरीतक	134 (27·07)	179 (12·64)	35 (6·39)	6 (5·45)	354 (13·78)
4- जूनियरहाई स्कूल	66 (13·33)	60 (4·24)	14 (2·55)	1 (0·91)	141 (5·49)
5- हाईस्कूल	52 (10·51)	33 (2·33)	16 (2·92)	00 (00)	101 (3·93)
6- कालेज, स्नातक स्नातकोत्तर, अन्य अर्हता सहित	11 (2·22)	8 (0·56)	4 (0·73)	00 (00)	23 (0·89)
महायोग -	495 (100·0)	1416 (100·0)	548 (100·0)	110 (100·0)	2569 (100·0)

ग्राम डिघवट में उच्चजाति के 68 परिवारों में से 26 परिवार एकाकी है जिनका प्रतिशत 38·24 है शेष विस्तृत परिवार के रूप में 42 परिवार हैं जिसका प्रतिशत 61·76 है किन्तु इस वर्ग की तुलना में पिछड़ा वर्ग एवं हरिजन जाति समूह के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के 226 परिवारों में 134 परिवार एकाकी जिनका प्रतिशत 59·29 है एवं विस्तृत परिवार के रूप में 92 जो 40·71 प्रतिशत है। इसी प्रकार 87 हरिजन परिवारों में से 49 (56·32 %) एकाकी एवं 38 (43·68 %) विस्तृत परिवार के अंतर्गत आते हैं।

परिवार के प्रकारों का संबंध परिवार की आय और शिक्षा से भी है। इस ग्राम के उच्चजाति के संयुक्त परिवारों की आय उच्चतम है। यद्यपि शिक्षा की दृष्टि से इनका औसत 69·90 प्रतिशत शिक्षित एवं 30·10 प्रतिशत निरक्षरता का है। संयुक्त परिवार के लोग व्यावसायिक प्रगति की दृष्टि से अधिक सार्थक हैं। पिछड़े वर्ग के 226 परिवारों के 1416 व्यक्तियों में से 1068 परिवार निरक्षर जिनका प्रतिशत 75·43 है। मात्र 24·57 प्रतिशत साक्षर एवं उच्च शिक्षित परिवार हैं। एवं हरिजनों की साक्षरता का प्रतिशत 14·78 है तथा निरक्षरता का प्रतिशत 85·22 है। देखिए तालिका संख्या 9))।

इस ग्राम के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि संयुक्त परिवार आर्थिक दृष्टि से अधिक सम्पन्न हैं। वे व्यावसायिक प्रगति वृहत् परिवार के सहयोग से अधिक प्रगतिशील कर सकते हैं। इस ग्राम में उच्च जाति का साक्षरता का प्रतिशत उच्च होने के बावजूद इस ग्राम के पिछड़े एवं हरिजन वर्ग में साक्षरता का प्रतिशत कम होने के बावजूद उच्च शिक्षित एवं जागरूक व्यक्तियों की संख्या शोध सर्वेक्षण से अधिक प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध विदित हुई है क्योंकि इस ग्राम के शक्ति संरचना में आमूल परिवर्तन वर्तमान पंचवर्षीय योजनाकाल में किया है।

—

चतुर्थ अध्याय

ग्राम की आर्थिक संरचना

प्रस्तुत अध्याय में हम संदर्भित ग्राम की आर्थिक संरचना का अध्ययन करेंगे, इस हेतु इस ग्राम के व्यक्तियों को तीन जाति समूहों के वर्गीकरण की दृष्टि से यथा उच्चजाति, पिछड़ावर्ग, एवं हरिजनजाति समूहों में लोगों की कृषि की दृष्टि से वृहत् एवं लघु-भू-सीमा, भूमिहीन श्रमिक अथवा अन्य व्यवसायों द्वारा ग्रामवासियों के आर्थिक आय के स्रोत, ये स्तरीकरण की दृष्टि से किस प्रकार प्रभावित करते हैं, पता लगाने का प्रयास करेंगे। जातीय व्यवसायों का सह-संबंध इनके जीवन स्तर को निर्धारित करता है, जो परस्पर निजी स्वार्थों, लक्ष्यों की पूर्ति हेतु ग्रामीण समाज को छोटे- छोटे दलों के उद्भूत करने में किस प्रकार प्रभावित करता है। जातीय व्यवसाय अथवा लोगों के पेशा जो उनके आर्थिक स्तर का निर्धारण करते हैं, ग्रामीण समाज में परस्पर सहसंबंध और विरोधी मानसिकता का जन्म देते हैं। शनैः-शनैः आर्थिक लाभों, शक्ति और सुविधाओं के सह संबंध दो प्रकार की मानसिकता प्रथम आर्थिक दृष्टि से सुविधा सम्पन्न वृहत् भू-सीमा के स्वामी एवं द्वितीय भूमिहीन निर्धन सुविधाविहीन श्रमिक समूहों के जीवन स्तरों में वर्गीकृत जीवन स्तर में जीवन यापन की सामाजिक प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। यह सामाजिक प्रक्रिया ग्रामीण समाज में अपने अपने समान स्तर के समूहों द्वारा परस्पर स्वार्थों एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु क्या सहयोगी एवं विरोधी दलगत भावनाओं को निर्मित करती है?

डब्लू0एच0वाइजर (1936) 'द हिन्दू जजमानी व्यवस्था' के अनुसार उद्धृत डा0रघुराज गुप्त और एस0एन0मुन्शी(1971, 111-119, अ08) ग्रामीण समाजशास्त्र भारतीय परिवेश में " के अनुसार – जाति व्यवस्था ही हमारे यहाँ सामाजिक पद सोपान का मुख्य आधार है। यह केवल व्यक्ति और समूहों के सामाजिक संबंधों

को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि उनके आर्थिक जीवन की केन्द्रीय धुरी है। आदर्श जाति व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का जन्म से ही कोई विशेष कार्य और पेशा निश्चित है। जिसे सम्पादित कर वह अपनी जीविका कमा सकता है। विभिन्न जातियों की एक दूसरे के लिए भिन्न-भिन्न कार्य सम्पादित करने वाली व्यवस्था को ही जजमानी का नाम दिया गया है। इसमें प्रमुख सेवायोजक जजमान और उसको सेवायें प्रदान करने वाले लागदार या 'कमीन' कहलाते हैं। जजमानी व्यवस्था में बंधे परिवारों का संबंध पर्याप्त स्थाई, परम्परागत और पुश्तैनी होता है। लागदारों का कामकरने वालों को अपने कार्यात्मक दायित्व निभाने के बदले में निश्चित पुरस्कार और अधि - कार भी प्राप्त हैं। इनके अनेक प्रकार हैं, जिनका हम अग्रिम पृष्ठों पर वर्णन करेंगे।

देश काल और बदली हुई परिस्थितियों में एक जजमान के काम करने वालों की संख्या कम हो गयी है। जजमान और काम करने वालों के बीच तनाव और झगड़े बढ़ गये हैं। महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने इसे कमजोर कर दिया है। पर बावजूद इन सब बातों के जजमानी व्यवस्था अभी भी भारतीय गाँवों के आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

शिक्षा के प्रसार के कारण बुद्धि एवं विवेक ने बिना जातिभेद के व्यक्तियों को इस लोकतान्त्रिक सरकारी व्यवस्था में विभिन्न पदों पर कार्य करने का सुअवसर दिया है, पद की गरिमा से व्यक्तियों के स्तर में परिवर्तन आया है। अतः अपने स्तर एवं सामाजिक सम्मान की प्रतिष्ठा को कायम रखते हुए जाति भेद को ध्यान में न रखकर व्यक्तियों ने विभिन्न व्यवसायों को चुन लिया है, और आज जातीय व्यवस्था के पेशा का बन्धन ढीला पड़ गया है। मानव का इस मँहगाई के युग में जीविका

उपार्जन हेतु सरकारी, गैर सरकारी, राजपत्रित पदें आदि में सेवा एवं शिक्षित वर्ग को उसकी शैक्षिक अर्हता के अनुसार जो भी उपलब्ध हो जाती है उसी के अनुसार उनके जीवन बिताने का ढंग बदल जाता है।

संदर्भित अध्ययन ग्राम डिधवट जनपद बाँदा में भी वर्ष 1967 से 1971 के मध्य यहाँ की जजमानी व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिससे अनवरत शादियों से चली आ रही यह ग्रामीण परम्परा चरमरा गयी। ग्राम के प्रबुद्ध वर्ग ने कम मजदूरी पर सवर्ण बड़े भूस्वामियों के शोषण प्रताड़न एवं गुलामी तथा पराधीनता की जंजीर को तोड़ दिया एवं इस गाँव में जातीय व्यवसायों में व्यावसायिक गतिशीलता आ गयी जीविका उपार्जन हेतु शिक्षित वर्ग ने सरकारी एवं गैर सरकारी पदों पर रहकर एवं अशिक्षित मजदूरों ने अन्य गाँवों एवं शहरों में जाकर जीविका का सहारा लिया। कृषि श्रमिक गाँव के बड़े भूस्वामियों को कम उपलब्ध होने उन्होंने एकाधिकारी प्रवृत्ति द्वारा अवशेष श्रमिकों पर दमनचक्र एवं हिंसा का अस्त्र ग्रहण किया। इस प्रकार इस ग्राम में इन वर्षों के अन्तराल में जजमानी व्यवस्था टूट कर व्यावसायिक गतिशीलता की दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया।

यद्यपि इस ग्राम में भी क्रांति के पूर्व जजमानी व्यवस्था की परम्परा प्रचलित थी, क्रांति में ढीलापन आया। क्रांति के पूर्व जजमान द्वारा अपने 'कमीन' को उसकी सेवा के बदले में जो पुरस्कार प्रदत्त है, वे अग्रिम पृष्ठों पर अंकित हैं -

यहाँ यह भी स्मरणीय है कि गाँव के हर जाति के अन्य सभी जातियों से स्थाई सेवा लेने या देने के सम्बन्ध नहीं होते, कुछ जातियों के साथ वे स्थाई प्रकार के होते हैं, क्योंकि कुछ जाति वालों को अधिकाधिक जाति के सदस्यों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, जो जितना नीचा होता है उसे उतना ही कम। किसी जाति के सदस्यों द्वारा सेवा विशेष दिये जाने पर नगद या वस्तुओं के विपरीत रोजाना

माहवारी, या फसल पर या निश्चित काम पर और विशिष्ट अवसरों पर पुरस्कार और पारश्रमिक दिया जाता है। इस व्यवस्था की मजबूती वास्तविक भुगतानों पर भी निर्भर नहीं करती, बल्कि मुख्यतः कुछ विशेष कामदारों से निःशुल्क कच्चा माल, जैसे सन, धनिया, बेर के फल, कैथा, अरहर की लकड़ी, (बड़िया) सन के डंठल, बीज बुवाई हेतु निःशुल्क भी देते हैं। मरे जानवरों की खाल पर हक है। इसके अलावा जजमान अपने काम करने वाले कमीनों के झगड़ों और मुकदमों में भी मदद करते हैं।

पुरुष्कार और अधिकार :-

लागदारों का काम करने वालों को अपने कार्यात्मक दायित्व निभाने के बदले में निश्चित पुरुष्कार और अधिकार भी प्राप्त हैं। इनके अनेक प्रकार है, जिनका हम संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं।

(क) सेवायें :— ब्राह्मण द्वारा पूजन हवन कर्मकाण्ड का काम, दर्जी द्वारा जजमानो के कपड़ों की सिलाई, तेली द्वारा उत्सवों में जजमानों को तेल देना, पटवा द्वारा जजमानों की शादी विवाह एवं समय समय पर चूड़ियों, औरतों को पहनाना। नाई द्वारा बर्तनों की सफाई, जजमानों के जन्म मृत्यु के समय की सेवायें एक कार्य, औरतों के तेल मालिश, मेहदी एवं महावर पैरो में लगाना। माली द्वारा शादी में वर-वधू के लिए मौर बनाना एवं फूलमाला पत्ती लाना, लोहार द्वारा जजमान के पुत्र या पुत्री की शादी हेतु लोहे का कंकन बनाकर पीले धागे में बांध कर उनके हाथों में बांधना, बढ़ई द्वारा शादी में लकड़ी का मंडप एवं कृषकों के कृषि यंत्रों के निर्माण एवं मरम्मत का काम, कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाना, चमार द्वारा पशुओं को ले जाना एवं जूते बनाना, धोबी द्वारा कपड़ों की सफाई करना, डोमार द्वारा जजमानों के घर की सफाई एवं टट्टी इत्यादि की सफाई, शादी आदि में जूठे पत्तल फेंकने का काम करना, मुसलमान बेहना दीपावली आदि त्योहारों में रूई (कपास) आदि

दीपक की बत्ती बनाने को देता है एवं गद्दा रजाई में रूई धुनक कर भरता है। किन्तु इस गाँव के बेहना लकड़ी चीरने का व्यवसाय करते हैं एवं कपड़ों की रँगाई, छपाई का काम करते हैं।

(ब) निश्चित भुगतान :—

(1) दैनिक :— गाँव में डोमार जो प्रतिदिन अपने जजमानों के द्वारा टट्टी सफाई करने का एक रोटी तथा सब्जी, एवं उत्सवों में विशेषरूप से भोजन खिलाया तथा दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य निम्नजाति के लोगों को जैसे कुम्हार, धोबी, चमार नाई, बारी, कहार आदि कामदार जातियों को समृद्ध जजमानों के यहाँ कच्चा भोजन दिया या खिलाया जाता है। ये उपर्युक्तजातियाँ कच्चा भोजन जजमान का खा लेती हैं। किन्तु अब जातियों के यहाँ उत्सवों में भी भोजन हेतु बुलानेपर माली एवं लोहार बढ़ई लोग पक्का भोजन ही स्वीकार करते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रतिदिन की मजदूरी रेजा को 3-4 रूपया, एवं बेलदार को वर्तमान समय में 7 या 8 रूपया दिया जाता है जो दिन भर फावड़े का काम करता है। जैसे खेतों की मेड़ बनाने का काम दिया जाता है। पिछले दो वर्ष 1977 - 78 - 79 - 80 पूर्व तो 3 रूपया रेजा एवं 5 रूपया बेलदार को देते थे औरतों को 1-50 या 2-00 रूपया प्रतिदिन मजदूरी देते थे।

(2) मासिक :— गाँव में कृषक तथा समृद्ध परिवार के लोग वार्षिक या छमाही मजदूरी के लिए मासिक भुगतान (रूपया या अनाज के रूप में) पर रखते थे। जिन्हें प्रतिमाह आजकल 100/- रूपया देते हैं। इनसे कृषि श्रम 8 घण्टे प्रतिदिन कम से कम काम लेते हैं जैसे — जुताई-गुड़ाई, बुवाई तथा जानवरों को चारा कुट्टी काटना तथा जानवर चराने वाले लड़कों को जिन्हें 'चरेही' कहते हैं। जानवरों के चराने की

चरवाई प्रति भैंस की 8/- रुपया प्रतिमास, गाय के लिए प्रतिगाय 7/- रुपया प्रतिमाह, भेड बकरियों की चराई 2/- प्रतिमाह लेते हैं।

(3)छमाही :— फसल कटकर खलिहान में अथवा खेत के कटते समय लांक(गेहूँ, चना) ज्वार के भुट्टे) वर्ष में दो दो बार अधिकांश काम करने वाले कामदारों को बंधा हुआ अनाज दिया जाता है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण जजमान अपने बढ़ई, लोहार हर छमाही 5सेर प्रति हल के हिसाब से देते थे, डब्ल्यू०एच०वाइजर 1935 के जिला मैनपुरी के ग्राम करीमपुर अध्ययन के अनुसार)एवं बुवाई के समय बोनी में हल सुधार का अनाज अतिरिक्त देते थे। किन्तु ग्राम डिडवट वर्ष - 1978 अध्ययन काल में नाई को 2 से 4 कि0 तक ज्वार मक्का, अगहन में तथा चैत्र में 5 किलो गेहूँ या गेहूँ की पूरी या लांक तक एक परिवार द्वारा 6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के बाल बनवाने का छमाही दिया जाता था। शादी विवाह, जन्म तथा मृत्यु आदि अवसरों पर पुरुस्कार एवं पारिश्रमिक जजमान की आर्थिक स्थिति के अनुसार कितना भी मिल सकता है। धोबी को अगहन या चैत्र में परिवार की संख्या के अनुसार कपड़ों की धुलाई बच्चों के जन्म होने पर अतिरिक्त पारिश्रमिक 4-5 कि0 अनाज प्रति परिवार(छोटे परिवार का) दिया जाता था। लुहार बढ़ई को 3 पसेरी अनाज खरीफ में तथा अगहन और चैत्र में 5 कि0 प्रति हल भी दिया जाता है। इसी प्रकार कुम्हार को बर्तनों की संख्या के अनुसार 5 या 10 कि0 प्रति छमाही दिया जाता है।

(4)वार्षिक :— चमार जो कृषकों के गोबर डालने का काम करते हैं(गोबर डालने का काम अधिकतर चमारों की औरतें डालती हैं)। जिन्हें दो तीन हल के पीछे 5 मन प्रतिवर्ष अनाज दिया जाता है।

(5)कार्यानुसार :— कार्यानुसार काम करने वाले को कुछ विशेष कार्य करने का नकद भुगतान करना पड़ता है। उदाहरण के लिए सुनार को सोने, चाँदी के आभूषण बनाने पर काम के अनुसार नकद भुगतान उन्हीं दरों के अनुसार दिया जाता है।

(6) विशेष अवसरों पर पुरस्कार :-

काम करने वाले कामगार उत्सवों की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। इनमें विवाह सबसे प्रमुख है। इसके अलावा दशहरा, दीपावली, होली माह की पूर्णमासी, अमावस्या तथा अन्य सामयिक त्योहार आदि शादी विवाह आदि अवसर में ब्राह्मण दो चार दिन सारा समय अपने जजमान के यहाँ लगाता है। जिसकी एवज मे उसे जजमान की स्थिति के अनुसार 50/- रुपया से 100/- रुपया भावर में तथा इसके अतिरिक्त शादी के अन्य कार्यक्रमों में भी दक्षिणा या पारश्रमिक उदारतापूर्वक दी जाती है। माली को फूलों का या खजूर के पत्तों का मुकुट और माला डालने के एवज में 5/- रुपया से 10/- रुपया तक मिल जाता है। बढ़ई को लड़के तथा लड़की की शादी में मंडप तथा लड़की की शादी में पलंग बनाकर देने की रिवाज थी किन्तु आजकल सुन्दर पलंग लोग किसी मेला या शहर जैसे कानपुर से खरीद कर ले आते हैं। इस गाँव में भाट न होने की वजह से निमंत्रण देने का काम नाई करते हैं। तथा चौकीदार (आरख) अन्य शादी विवाह तथा अन्य उत्सवों में काम करता है। इस गाँव में काछी न होने की वजह से उत्सवों में सब्जी स्वयं बाजार से खरीद कर परिवार का मालिक लाता है। नाई को विवाह की सूचना (चिट्ठी देने) में एक रुपया से 5 रुपया लगन में देते हैं। एक रुपया निकासी के समय दिया जाता है, एक रुपया नाई को भावरों के समय, एक रुपया से 5 रुपया तक विदाई के समय, एक रुपया गाँठ बंधाई, इसके अलावा नाई, पटवा, चमार, डोमार, कुम्हार, लोहार माली आदि को विदाई के समय कपड़े जैसे धोती ब्लाउज, कुर्ता आदि वस्त्र और एक रुपया से 5 रुपया तक दिया जाता है। कुम्हार को मिट्टी के बर्तनों का मुख्य मूल्य और नाई को पत्तलों का मूल्य जो शादी में प्रयोग होते हैं, दिये जाते हैं। कुछ लोग शहर से खरीदकर मोल ले आते हैं। शादी

में जूठे पत्तल उठाने के लिए नाई को भी उसका पारश्रमिक विदाई के समय ही दे दिया जाता है।

काम करने वाले कामगारों के जीवन में जजमान के परिवार में मृत्यु भी एक महत्वपूर्ण दिन है। तेरही व बरखी के दिन उन्हें पूड़ी कचौड़ी और मिठाई खिलाते हैं, ब्राह्मण को दो रुपये से दस रुपये तक और उसके अलावा कुछ बर्तन, कपड़े, छाता, टोपी आदि दिया जाता है।

इसी प्रकार बच्चे के जन्म पर, मुंडन संस्कार के समय या अन्य विशेष पूजा के अवसर पर जैसे सत्य नारायण की कथा, नौ दुर्गा, रक्षा बन्धन, दशहरा, करवा चौथ, दीपावली, होली या केवल ग्रहण पड़ने पर (डोमारों को) यथाउचित वस्त्र तथा पक्का भोजन या अनाज का दान दिया जाता है।

(ग) अन्य रियायतें :-

बंधे हुए भुगतानों के अलावा काम करने वालों को रिहाइश (निवास) के लिए मकान बनाने के लिए मुफ्त जमीन दी जाती है। नया मकान बनाने के लिए जजमान को जमींदार तथा आजकल ग्राम प्रधान से पट्टा व इजाजत लेनी पड़ती है। मकान बनाने या उसकी मरम्मत के लिए वे ऊसर या बंजर जमीन से पेड़ काट सकते हैं पर इसके लिए उन्हें जजमान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी पड़ती है। इसी तरह `वे अपने औजार बनाने` के लिए भी वे मुफ्त लकड़ी प्राप्त करते हैं। ईंधन के लिए सूखी टहनियाँ तोड़ सकते हैं। इसके अलावा वे अपने जजमान के खेतों से चने का साग पत्ती ले सकते हैं। आज्ञा लेकर वे जजमान के खेत से जानवरों के लिए घास तथा हरियाली भी ले सकते हैं। जानवरों के लिए भूसा चर्री भी रईस जजमान से मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। काम करने वाले कामगारों को जजमानों के फटे पुराने कपड़े भी पहनने को मिल जाते हैं। बहुत से अन्य काम करने वाले दूध घी बेचने के लिए कुछ

जानवर भी पाल लेते हैं। इसके लिए उन्हें चराने की सुविधा भी मिलती है और कुछ चारा भी मिल जाता है। वे जरूरत पर गोबर भी इकट्ठा करके उससे भी खाद लेते हैं। इसके अलावा बँधे हुए काम करने वाले कामगारों को कुछ मुआफी की जमीन भी मिल जाती है।

व्यावसायिक संरचना : भूमि की जोत और कर्ज

हमारी मान्यता है कि जाति व्यवस्था का स्तरीकरण (पद क्रम) वास्तविक नहीं है, बल्कि यह समाज में विभिन्न जाति समूहों द्वारा तुलनात्मक शक्ति और सुविधाओं के अन्तर का परिणाम है। यह पहलू इस ग्राम की जाति व्यवस्था के आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के विश्लेषण को प्रकट करता है। हम इस ग्राम के व्यवसायों, भू-जोतों वर्गों, ग्राम पंचायत के सदस्यों आदि का परीक्षण, सुविधा सम्पन्न सवर्ण जाति समूह और हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के अल्प भूमि, भूमिहीन, निर्धन साधन विहीन जाति दलित जाति समूहों में तुलनात्मक दृष्टि से जो विभिन्न जाति वर्गीकरणों यथा उच्च जाति समूह, पिछड़ा वर्ग, हरिजन जातिसमूह के साथ वह सम्बन्धित है। यह अन्वेषण करना कि ग्राम की आर्थिक संरचना कहाँ महत्वपूर्ण अन्तर रखती है। जो सवर्ण भूस्वामियों के दमनकारी एवं आर्थिक शोषक दल का नियंत्रण नियंत्रक समूह हरिजन एवं पिछड़े वर्ग समूह के दल की आर्थिक शक्ति कोकमजोर या सुदृढ बनाती है। जिसमें दलों के संघर्ष में दोनों दलों में सम्मिलित सदस्यों की जाति स्थिति, आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय के अन्य स्रोतों, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक स्थिति शक्ति संरचना का दलों की गति विधियों में क्या प्रभाव पड़ता है? उपर्युक्त उद्देश्यों के विचारों को रखते हुए इस शोध अध्ययन में उत्तरदाताओं केआर्थिक जीवन के विभिन्न कारकों को यह अध्याय प्रकट करता है। प्रथम हम तीन जाति वर्गों - यथा उच्चजातियाँ, पिछड़ावर्ग, हरिजन, जातियों के दोनों दलों यथा यथा उच्च जाति समूह के बड़े भू स्वामियों का सुविधा सम्पन्न दल एवं अल्प भूमि

तालिका संख्या 11

ग्राम डिघवट में सूचनादाताओं का मुख्य व्यवसाय जातिगत समूहों के वर्गीकरण के अनुसार :—

क्रम सूचनादाताओं के मुख्य व्यवसायों का नाम	उच्चवर्गीय जातिसमूह	पिछड़ावर्गीय जातिसमूह	हरिजनवर्गीय जातिसमूह	योग	मुस्लिम	महायोग
1- कृषि						
1- निजीखेती	35	137	27	199	7	206
2- बटाई से खेती करना	17	12	4	33	शून्य	33
3- कृषि श्रमिक	1	38	34	73	11	84
	53	187	65	305	18	323
	(77·94)	(82·74)	(74·72)	(80·05)	(94·74)	(80·75)
(2) सरकारी एवं गैरसरकारी नौकरी						
(4) विद्यालय शिक्षक	4	4	1	9	शून्य	9
(5) वकालत	1	1	-	2	-	2
(6) पुजारी (मंदिर का)	2	-	-	2	-	2
(7) सैनिक सेवा	5	2	1	8	-	8
(8) व्यक्तिगत सेवा	-	-	-	-	-	-
(9) म्युनिसपैलिटीसेवा	-	-	-	-	-	-
	12	7	2	21	-	21
	(17·65)	(3·09)	(2·29)	(5·51)	-	(5·25)
(3) दुकानदारी						
(10) बड़े दुकानदार	-	-	-	-	-	-
(11) छोटे दुकानदार	2	5	-	7	-	7

(12) झाड़ू बेचने का काम	-	1	-	1	-	1
(13) चूड़ी बेचने का काम	-	1	-	1	-	1
(14) सब्जी बेचने का काम	-	-	-	-	-	-
	2	7	-	9	-	9
	(2·94)	(3·09)	-	(2·36)		(2·25)
(4) दक्ष व्यवसाय						
(15) बढ़ई गीरी	-2-	2	-2-	2	-	2
(16) सुनार (सोनेका काम)	-	2	-	2	-	2
(17) दर्जी (सिलाई का काम)	-	3	2	5	1	6
(18) नाई (बालकाटना)	-	2	-	2	-	2
(19) लोहार (लोहे का काम)	-	4	-	4	-	4
(20) मिट्टी के बर्तन का काम	-	9	-	9	-	9
(21) टोकरी बनाने का काम	-	-	-	-	-	-
(22) तेल निकालने का काम	-	-	-	-	-	-
(23) वस्त्र बुनने का काम	-	-	-	-	-	-
(24) कपड़ा धोने का काम	-	-	1	1	-	1
(25) फूलमाला बनाने का काम	-	1	-	1	-	1
(26) चमड़े का काम	-	-	14	14	-	14
(27) सुअरपालन, मुर्गीपालन टोकरी बनाना, आदि	-	-	2	2	-	2
(28) रस्सी टाट बनाना	-	-	1	1	-	1
	-	23	20	43	1	44
		(19·19)	(22·99)	(11·29)	(5·26)	(11·00)

(5) अदक्ष व्यवसाय

(29) जल भरने का काम	-	1	-	1	-	1
(30) दूध बेचने का काम	-	-	-	-	-	-
(31) पशु चराने का काम	-	1	-	1	-	1
(32) चौकीदार	1	-	-	1	-	1
	1 (1·47)	2 (0·89)	- —	3 (0·79)	- —	3 (0·75)
	68 (100·0)	226 (100·0)	87 (100·0)	381 (100·0)	19 (100·0)	400 (100·0)

या भूमिहीन निर्बल हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के साधन विहीन मजदूरों के दल की आर्थिक स्थिति एवं संरचना का विभिन्न मार्गों से परीक्षण करेंगे। यह भी अध्ययन का अन्य निर्देशक बिन्दु प्रकाश में आयेगा कि किस प्रकार के मौलिक जाति वर्गीकरणों की प्रतिक्रिया से दो परस्पर वैषम्यतायुक्त आर्थिक संरचना उद्भूत हुई है। या कहाँ दो परस्पर विरोधी वर्गीकरणों की प्रतिक्रिया है।

व्यावसायिक संरचना :-

यद्यपि समाज शास्त्रियों में इस तथ्य के प्रति सहमति है कि ग्रामीण भारत में जाति व्यवस्था एवं परम्परागत व्यवसाय में सह सम्बन्ध है(धुरये 1961 डी0 सूजा 1962)ग्राम छिबट में गुटीय तनावों और अन्य कारणों से जिनका वर्णन नीचे किया जा रहा है, जाति के परम्परागत व्यवसायों में अत्यधिक बदलाव आया है।

ग्राम छिबट के सर्वेक्षण से प्राप्त संकलित आँकड़ों के आधार पर इस ग्राम के सूचनादाताओं का मुख्य व्यवसाय जातिगत समूहों के वर्गीकरण के अनुसार निम्न तालिका सं0 एक में प्रदर्शित है --

ग्राम छिबट में सूचनादाताओं का मुख्य व्यवसाय जातिगत समूहों के अनुसार

(तालिका संख्या 11 के अनुसार)

ग्राम छिबट के उच्चवर्गीय समूह में 68 कुल परिवार के मुखिया उत्तरदाता हैं। जिनमें से प्रथम स्तरीय व्यवसाय कृषि के अर्न्तगत 53 मुखिया संबंधित जिनमें से 35 निजी कृषि से स्वयं कृषि क्रियायें सम्पादित कराकर खेती करते हैं, 17 परिवार मुखिया अपनी निजी कृषि को दूसरों को बटाई में देकर खेती कराते हैं। एवं 1 परिवार मुखिया कृषि श्रमिक के रूप मे कृषि व्यवसाय से सम्बद्ध है, इस प्रकार इस वर्ग के कुल 53 परिवार मुखिया जिनका प्रतिशत 77.94 है, कृषि व्यवसाय से सम्बद्ध हैं।

द्वितीय स्तरीय सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरी में कुल 12 व्यक्ति सम्बद्ध है, जिनमें से एक वकालत, 4 विद्यालय शिक्षक, दो मंदिर के पुजारी, (देवालय की मूर्ति पूजा, अनुष्ठान एवं कर्मकाण्ड) पाँच सैनिक सेवा में कार्यरत है, इस प्रकार इस स्तर के व्यवसाय में कुल परिवार मुखिया एवं उत्तरदाता जिनका प्रतिशत 17·65 है, इस पेशा से सम्बद्ध हैं।

तृतीय स्तरीय व्यवसाय बड़ी एवं छोटी दुकानदारी में से छोटी दुकानदारी के व्यवसाय में दो परिवार मुखिया सम्बद्ध हैं, जिनका प्रतिशत 2·94 है।

चतुर्थ स्तरीय उच्च व्यवसायों में इस वर्ग का कोई व्यक्ति सम्बद्ध नहीं है।

पंचम स्तरीय अवर व्यवसायों में मात्र एक व्यक्ति ग्राम का चौकीदार के रूप में सम्बद्ध है, जिसका प्रतिशत 1·47 है। उपर्युक्त रूप में इस वर्ग के 68 परिवार के मुखिया पृथक पृथक व्यवसायों से सम्बद्ध हैं।

पिछड़ा वर्ग समूह में 226 परिवार मुखिया उत्तरदाता हैं। जिनमें से 187 परिवार मुखिया प्रथम स्तरीय व्यवसाय कृषि से तीन रूपों में सम्बद्ध हैं, 137 परिवार मुखिया उत्तरदाता निजी कृषि स्वयं करते हैं। 12 बटाई से खेती कराते हैं एवं 38 कृषि श्रमिक के रूप में कृषि क्रियाओं में कार्यरत हैं। इस प्रकार इस वर्ग के 187 सूचनादाता परिवार मुखिया जिनका प्रतिशत 82·74 है, प्रथम स्तरीय कृषि व्यवसाय से संबंधित हैं।

द्वितीय स्तर के व्यवसाय में सम्बन्धित पिछड़ा वर्गीय समूह के 7 सूचनादाता व्यक्ति सम्बद्ध हैं जिनमें से एक वकालत , 4 विद्यालय शिक्षक एवं दो सैनिक सेवाओं में कार्यरत हैं, इन 7 सूचनादाताओं का प्रतिशत 3·09 है। तृतीय स्तर में भी 7 परिवार मुखिया सूचनादाता जिनमें से 5 छोटी दुकानदार एक सूचनादाता, एक चूड़ी बेचने के कार्यों को सम्पादित करता है जिनका प्रतिशत 3·09 है।

चतुर्थ स्तर के दक्ष व्यवसाय में पिछड़ावर्ग समूह के 23 व्यक्ति संबद्ध हैं इनमें से दो बढ़ईगीरी, लकड़ी का काम, दो सोना चाँदी का काम(सुनार) तीन दर्जी(सिलाई का काम) दो बाल काटने वाले, 4 लोहे का काम(लोहार) एवं 9मिट्टी के बर्तन बनाने वाले(कुम्हार) एवं एक माला पिरोने वाला(माली)। इस प्रकार चतुर्थ स्तरीय व्यवसाय में 23 सूचनादाता जिसका प्रतिशत 10·19 है,सम्बद्ध हैं।

पंचम स्तरीय अदक्ष व्यवसाय में इस वर्ग के दो परिवार मुखिया, एक पानी भरने का काम (कहार) एवं दूसरा एक परिवार मुखिया पशु चराने का काम मुख्य व्यवसाय के रूप में सम्बद्ध है, जिसका प्रतिशत 0·89 है। इस प्रकार इस वर्ग के 226 सूचनादाता परिवार के मुखिया उपर्युक्त व्यवसायों से सम्बद्ध हैं।

इस ग्राम के हरिजन वर्ग में 87 परिवार मुखिया है जिनमें से प्रथम स्तरीय व्यवसाय कृषि में 65 सूचनादाता परिवार मुखिया सम्बद्ध हैं जिनमें से 87 निजी कृषि, 4 बटाई की खेती एवं 34 कृषि श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। इस प्रकार 65 परिवार मुखिया प्रथम स्तरीय व्यवसाय, जिसका प्रतिशत 74·72 है,से सम्बद्ध हैं।

द्वितीय स्तरीय सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरी में मात्र दो परिवार मुखिया, जिनमें से एक विद्यालय शिक्षक के रूप में एवं एक सैनिक सेवा के रूप में सम्बद्ध है जिसका प्रतिशत 2·29 है।

तृतीय स्तर के व्यवसाय दुकानदारी से कोई परिवार मुखिया सम्बद्ध नहीं है।

चतुर्थ स्तर के व्यवसाय जो दक्ष व्यवसाय हैं, इनमें से 20 परिवार मुखिया सम्बद्ध हैं। दो परिवार मुखिया सिलाई का काम,(दर्जी) एक कपड़ा धोने का काम (धोबी) 14 चमड़ा के काम में दो डोमार का काम – सुअर पालन जजमानों का मल मूत्र की सफाई, द्वार की सफाई, मुर्गी पालन एवं टोकरी बनाने का काम तथा

विवाह शादी में बाजा बजाने के कार्य में रत है। एक परिवार मुखिया रस्सी टाट पट्टी बनाने के मुख्य व्यवसाय से सम्बद्ध है। इस प्रकार चतुर्थ स्तरीय व्यवसाय में इस वर्ग के 20 परिवार मुखिया जिनका प्रतिशत 22·99 है, इस स्तर के व्यवसाय से सम्बद्ध हैं।

पंचम स्तरीय अथवा व्यवसाय से सम्बद्ध इस वर्ग का कोई परिवार मुखिया नहीं है।

इस ग्राम में 19 परिवार मुसलमान समुदाय के हैं जिनमें से 18 परिवार मुखिया प्रथम स्तरीय, मुख्य व्यवसाय कृषि से सम्बद्ध हैं। इनमें से 7 निजी कृषि एवं 11 कृषि श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। इस प्रकार 19 परिवार मुखियों में से 18 परिवार मुखिया प्रथम स्तरीय कृषि व्यवसाय से सम्बद्ध हैं जिसका प्रतिशत 94·74 है।

द्वितीय एवं तृतीय स्तरीय व्यवसाय में इस वर्ग का कोई परिवार मुखिया सम्बद्ध नहीं है। चतुर्थ स्तरीय व्यवसाय वर्ग व्यवसाय के अन्तर्गत इस परिवार का एक मुखिया कपड़ों की सिलाई का काम अर्थात् दर्जी के व्यवसाय से सम्बद्ध है जिसका प्रतिशत 5·26 है।

पंचम स्तरीय व्यवसाय अथवा व्यवसाय से संबंधित कोई भी परिवार का मुखिया इस वर्ग में नहीं है।

इस ग्राम के विभिन्न जाति समूहों के सूचनादाताओं के मुख्य व्यवसाय में प्रथम स्तरीय (निजी खेती करने वाले) एवं द्वितीय स्तरीय बटाई से खेती कराना (तालिका 4·09 को देखने से विदित होता है कि उच्च वर्ग के 68 परिवार मुखियों में से 35 निजी कृषि करते हैं एवं 17 परिवार मुखिया अपनी निजी भूमि को बटाई से खेती कराते हैं। अतः भू स्वामित्व की दृष्टि से 68 परिवार मुखियों में

से 52 भूस्वामित्व रखते हैं जिनका प्रतिशत 76.45 है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से भूस्वामित्व रखने वाला परिवार उच्च प्रतिष्ठा का माना जाता है।

पिछड़ी जाति समूह में 226 परिवार मुखिया हैं जिनमें निजी खेती करने वाले मात्र 137 परिवार मुखियाँ हैं एवं 12 परिवार मुखिया अपनी भूमि को बटाई से खेती कराते हैं। इस प्रकार भूस्वामित्व की दृष्टि से 226 परिवार मुखियों में से 149 परिवार मुखिया भूस्वामित्व रखते हैं। जिनका प्रतिशत 65.92 है। इस ग्राम में हरिजन जाति समूह में 87 परिवार हैं जिनमें मात्र 27 परिवार मुखिया निजी खेती पर आश्रित हैं। एवं चार परिवार मुखिया अपनी खेती बटाई में कराते हैं(सेवा योजित होने के कारण) इस प्रकार 31 परिवार निजी भूस्वामित्व रखते हैं। जिनका प्रतिशत 35.63 है।

इस ग्राम में 19 मुस्लिम परिवार है, जिनमें से 7 परिवार मुखियों के निजी भूमि होने के कारण स्वयं खेती कराते हैं जिसका प्रतिशत 36.84 है।

इस प्रकार निजी भूस्वामित्व की दृष्टि से उच्च वर्ग के 68 परिवार में 52 परिवार मुखिया जिनका प्रतिशत 76.45 पिछड़ी जाति समूह के कुल 226 परिवार मुखियों में से निजी भूस्वामित्व रखने वाले मात्र 149 परिवार मुखिया जिनका प्रतिशत 65.92 है इसी प्रकार इस ग्राम में 87 हरिजन परिवार मुखिया हैं जिनमें मात्र 31 परिवार मुखिया भूस्वामित्व रखते हैं जिनका प्रतिशत 35.63 है। इस ग्राम के मुसलमान परिवार के 19 मुखिया हैं जिनमें से मात्र 7 के पास निजी भूस्वामित्व है वे ही निजी खेती करते हैं। शेष 12 अन्य व्यवसायों पर आश्रित है। इन 7 परिवार मुखियों का प्रतिशत 36.84 है। इस प्रकार मुख्य व्यवसाय निजी खेती एवं भूस्वामित्व की दृष्टि से उच्च वर्ग का ही सर्वाधिक प्रतिशत 76.45 है। शेष अन्य वर्ग पिछड़ी जाति समूह, अनुसूचित जाति समूह, मुसलमान, इनका प्रतिशत

तालिका संख्या 12

व्यावसायिक प्रतिष्ठा पैमाना (मापन) डिबवट की जाति समूह के अनुसार

व्यवसायक का नाम	व्यावसायिक प्रतिष्ठा	डिबवट			
		उच्चजाति	पिछड़ावर्ग	अनुसूचितवर्ग	योग
निजी खेती	90-32	35 (51·47)	137 (60·61)	27 (31·03)	199
वकालत	86-29	1	1	-	2
बटाई की खेती	85-01	17	12	4	33
दूध बेचना, पशुचराना	80-36	-	-	-	-
स्कूल शिक्षक	72-52	4	4	1	9
परचून का दुकानदार	71-58	2	5	-	7
सेवा(नौकरी)	64-33	5	2	1	8
लोहे का काम	58-36	-	4	-	4
सोने का काम	58-32	-	2	-	2
दर्जी	52-02	-	3	2	5
बढ़ई	51-03	-	2	-	2
कृषिश्रमिक	49-94	1	38	34	73
ग्राम चौकीदार	49-34	1	-	-	1
पुजारी	46-65	2	-	-	2
सेवा(व्यक्ति0व्यु0	46-34	-	-	-	-
पशुचराना	-	-	1	-	1
कुम्हार	45-48	-	9	-	9
माली	45-47	-	1	-	1

कहार	40-93	-	1	-	1
नाई	29-43	-	2	-	2
भरभूजा का काम	-	-	-	-	-
तेलपेरने का काम	-	-	-	-	-
रस्सी चूड़ी झाड़ू बेचने का काम	-	-	2	1	3
चमड़ा रंगने वाला	27-64	-	-	14	14
टोकरी बनानेवाला डोमार	16-16	-	-	2	2
	-	68 (100·0)	226 (100·0)	87 (100·0)	381 (100·0)

नोट – मुसलमान समुदाय को छोड़कर

उद्धृत :— डा0बी0एन0सेठ 1980 शोध ग्रन्थ पी0एच0डी0 से

उच्च वर्ग की तुलना में कम है। अतः अन्य द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम स्तरीय व्यवसायों में सम्बद्ध होकर जीविका उपार्जन करते हैं।

व्यावसायिक प्रतिष्ठा :-

व्यवसायों की सापेक्ष प्रतिष्ठा के पता चलाने के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठा का मापन किया गया। क्योंकि इसी ग्राम की व्यावसायिक प्रतिष्ठा का अध्ययन डा० वी०एन०सेठ ने अपने शोधग्रन्थ में किया था। अतएव उन्हीं द्वारा निर्मित व्यावसायिक प्रतिष्ठा पैमाना मापन तालिका सं० 12 में प्रस्तुत किया जा रहा है।

ग्राम डिघवट की व्यावसायिक प्रतिष्ठा के तालिका सं० 12 में देख सकते हैं जो कि 51.47 प्रतिशत डिघवट की उच्च जातियों का है जबकि उच्चतम व्यावसायिक प्रतिष्ठा 90.32 निजी खेती का है। और शेष डिघवट की उच्चजाति के गृह स्वामियों का गैर परम्परागत व्यवसाय है यथा 1 वकील, 17 बटाई की खेती(अपनी ही जाति के बड़े भूस्वामियों की), चार स्कूल शिक्षक, 2 परचून की दुकान चलाने वाले दुकानदार, 5 सैनिक सेवा में, 1 कृषि श्रमिक, 1 चौकीदार एवं दो मंदिर में पुजारी का काम करते हैं।

पिछड़े वर्ग में उच्चतम व्यवसायों की प्रतिष्ठा का प्रतिशत 60.61 है। इस वर्ग में गृहस्वामियों की संख्या 226 है। पिछड़े वर्ग की उच्चतम प्रतिष्ठा इस ग्राम की उच्च जातियों से उच्च है। शेष पिछड़ी जाति के गृहस्वामियों की प्रतिष्ठाक्रम में नियोजित गृहस्वामि निम्नवत हैं। वकालत 1, 12 बटाई की खेती, 4 विद्यालय शिक्षक, 5 परचून की दुकान करने वाले दुकानदार व 2 सैनिक सेवा, 4 लोहे का काम, 2 सोने का काम, 3 सिलाई का परम्परागत काम, 2 बढ़ई लकड़ी का काम करने वाले, 38 कृषि श्रमिक, 1 पशु चराने का काम, 9 मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार परम्परागत पेशा, 1 माली, 1 कहार, (पानी भरने वाला) 2 नाई,

एक चूड़ी एवं एक झाड़ू बेचने वाला इस प्रकार निजी खेती के अलावा 38·39 परम्परागत जाति व्यवसाय को पिछड़े वर्ग में अपनाये हुए हैं।

हरिजन जातियों में उच्च व्यावसायिक प्रतिष्ठा का प्रतिशत 31·03 है। शेष 14 चमार गृहस्वामी, 2 डोमार, 1 धोबी, अपना परम्परागत जाति व्यवसाय तथा 34 कृषि श्रमिक हैं। गैर परम्परागत व्यवसायों में 4 बटाई की खेती, 1 स्कूल शिक्षक, दो दर्जी का काम(सिलाई), 1 रस्सी टाट फट्टी बनाने का काम करते हैं।

समस्त गाँव के गृहस्वामियों की संख्या 68 उच्चजाति में एवं पिछड़े वर्ग में 226 होने के कारण पिछड़े वर्ग में 37 निजी खेती जिनका प्रतिशत 60·61 है अतः पिछड़े वर्ग में व्यावसायिक प्रतिष्ठा का प्रतिशत उच्च जाति के गृहस्वामियों जो बड़े भूस्वामी हैं इनकी न्यूनतम गृह स्वामियों की जन संख्या ग्राम की जनगणना में होने के कारण पिछड़े वर्ग में उच्च प्रतिष्ठा के व्यवसाय में अधिक उच्च हैं। यद्यपि उच्च जाति के जोत के आधार पर उच्च प्रतिष्ठा रखते हैं। यही कारण है है कि अन्य भूमि वालों की एवं कृषि श्रमिकों की जनगणना में संख्या अधिक होने के कारण ये सवर्णों केविरुद्ध नियोजक गुट बनाकर गुटीय संघर्ष लेने में समर्थ हो सके।

उपर्युक्त विवेचना से उत्तरदाता गृहस्वामियों की इस ग्राम की व्यावसायिक प्रतिष्ठा निम्नांकित सुझाव देती है :-

(1) उच्च जाति के साथ साथ आत्मनिर्भरता हेतु भारत जैसे कृषि प्रधान देश में निजी भूस्वामित्व उच्च व्यावसायिक प्रतिष्ठा का द्योतक है, साथ ही साथ वृहद् भूसीमा परिवार की आर्थिक सम्पन्नता को प्रकट करता है।

(2) परिवार में निजी भूस्वामित्व के साथ साथ सरकारी राजपत्रित पद एवं अन्य सम्मानजनक व्यवसाय भी परिवार की सम्पन्नता की वृद्धि में सहायक है।

(3) सन्दर्भित अध्ययन ग्राम डिघवट में यद्यपि उच्च जाति समूह में 68 परिवार (17 %) है जिनमें 35 के पास वृहद् एवं मध्यम भूसीमा की जोत है जो 51·47 प्रतिशत है तथा शेष 33 परिवार भी कृषि कार्यों (बटाई की खेती) से संबंधित हैं। अतः इनकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा भूसीमा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि सम्पूर्ण गाँव की कुल भूमि 5551 बीघा है। जिसमें से उच्च जाति समूह के परिवारों के पास 2501 बीघा (45·05 प्रतिशत) है।

पिछड़े वर्ग (ग्राम की 16 जातिसमूह) के 226 परिवारों (56·5%) में से 137 के पास निजी भूमि है। यद्यपि व्यावसायिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से इनका 60·61 प्रतिशत उच्च जाति समूह के 51·47 प्रतिशत से अधिक है। किन्तु भूसीमा की दृष्टि से पिछड़े वर्ग की (16 जातिसमूह) के पास कुल 2,418 बीघा का भूस्वामित्व जो 43·54 प्रतिशत होता है, जो 16 जाति समूह के पिछड़े वर्ग के 226 (56·5 प्रति शत) बहुसंख्यक परिवारों में प्रति परिवार का औसत अति अल्प भूस्वामित्व होता है।

अनुसूचित वर्ग के 87 परिवारों (21·75 प्रतिशत) के पास भूस्वामित्व मात्र 503 बीघा (9·07 प्रतिशत है। यद्यपि इस वर्ग के एक हरिजन चमार परिवार का भूस्वामित्व अकेले 125 बीघा है, किन्तु अधिकांश के पास अति अल्प एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूर ही हैं।

व्यावसायिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से 87 परिवार (21·75 प्रतिशत) में से 27 के पास निजी खेती है जो 31·03 प्रतिशत है, एवं शेष 60 अनुसूचित

परिवार भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं। अतः इनकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा सबसे निम्न सिद्ध होती है।

निष्कर्ष के रूप में निजी भूस्वामित्व एवं वृहद् या बड़ी भूसीमा उच्चतम व्यावसायिक प्रतिष्ठा को इंगित करती है।

सरकारी एवं गैर सरकारी सेवा का पद सहायक व्यवसाय के रूप में आत्मनिर्भरता की व्यावसायिक प्रतिष्ठा व्यक्त करती है, यह द्वितीयक स्थान का द्योतक है।

व्यावसायिक प्रतिष्ठा को इंगित करते हुए कवि घाघ की एक कहावत लोकख्यातिलब्ध है '''उत्तम खेती मध्यम बान, निषिध चाकरी भीख निदान।" गोविन्द सदाशिव घुर्ये (1956: 216) के अनुसार एक हजार वर्षों से भी अधिक लम्बी समय से कार्यों एवं व्यवसायोंमें भेदभाव आधारित रहा है और जिसका प्रतिनिधित्व ऐसे कथन से होता है व्यवसायों में 'कृषि उत्तम है' जबकि व्यापार मध्यम तथा नौकरी सबसे निकृष्ट है।'

निश्चित ही ब्रिटिश प्रशासन के आगमन के पूर्व नौकरीकी बहुत कम गुंजाइश थी, और वेतन बहुत थोड़ा मिलता था। नौकरी की वास्तविक दृश्य भी ऐसी थी जो लोगों के विकसित आत्म सम्मान से मेल नहीं खाती थी।

किन्तु तत्कालीन परिस्थिति के समय में उच्च शिक्षित सरकारी सेवा के प्रशासनिक पद (आई०ए०एस०, आई०पी०एस०)एवं राजपत्रित पद एक सर्वोच्च प्रतिष्ठा की गरिमा से समन्वित है, इसमें असहमति व्यक्त नहीं की जा सकती।

व्यावसायिक गतिशीलता

देश काल की बदलती हुई परिस्थितियों में इस जजमानी (हिन्दू एवं मुस्लिम व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आ गया है। डब्लू०एच० वाइजर द्वारा वर्णित 'द हिन्दू जजमानी सिस्टम' 1936 में प्रत्येक जाति के लोगों के जीवन - यापन का मुख्य साधन प्रत्येक जाति का ही जातीय पेशा है। जातीय पद सोपान का कोई स्थिर नियम नहीं है बल्कि हर क्षेत्र जिला एवं प्रान्त में एक गाँव में भी सामाजिक मान्यताओं में अन्तर पाया जाता है। कुछ उच्च जातियों का स्थान एवं क्रम अधिकतर स्थानों में निश्चित है, जैसे हिन्दुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य उच्च जातियों में सर्वमान्य है। किन्तु इसके बाद मध्यम जातियों का कोई निश्चित क्रम नहीं है। इनमें से कुछ का स्थान जिला, प्रान्त में ऊँचा माना जा सकता है इनमें से किन्हीं जातियों का स्थान विभिन्न जनपदों में प्रांतों में विभिन्न स्तर में हो सकता है। इसका कारण व्यक्ति विशेष की शिक्षा, व्यक्तिगत व्यक्तित्व के कारण व्यक्ति विशेष अपनी सामाजिक मान्यता के पद सोपान में गाँव गाँव में अन्तर पाया जाता है, फिर वर्तमान समय में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जातिय भेदभाव, ऊँच-नीच की भावना को मिटाने हेतु संवैधानिक संशोधन सामयिक हुए हैं। तथा जातीय सामाजिक व्यवस्था हिन्दू जाति की विरासत है। इसे मिटाया नहीं जा सकता है किन्तु कालान्तर के कारण डब्लू० एच०वाइजर द्वारा वर्णित परम्परागत जातीय पेशा के स्थान पर वर्तमान समय में हम देखते हैं कि प्रत्येक जाति के शिक्षित, प्रबुद्ध व्यक्तियों ने उन जातीय हेय, एवं निम्ननीय पेशों के कार्यों को बदल कर अपनी स्वेच्छा पूर्वक ऐसे कार्य व्यवसाय या पेशा अपना लिए हैं, जो उनकी प्रतिष्ठा में ह्रास न पैदा कर सकें। क्योंकि जातीय पेशा के कारण समाज में ऊँच एवं हीन भावना का उदय होता है। मनो - वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उच्च एवं हीन भावना के निराकरण हेतु उच्च पद पर आसीन

निम्न जातीय लोगों ने अपने स्तर को उच्च एवं सम्मानजीयबनाने के लिए खेती, नौकरी तथा निम्न जातीय पेशा या कार्य के स्थान पर जीविका उपार्जन हेतु अन्य व्यवसाय अपना लिए हैं।

व्यावसायिक गतिशीलता एवं राजनीतिक व्यवहार सामाजिक गतिशीलता अपने आपमें परिवर्तन का एक सूचक है। यह नई अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों का संपेषणकर्ता होती है। इसका सार्थक प्रत्यक्ष प्रभाव राजनीति व्यवहार पर पड़ता है। (निशावान : 1971, 317) डेविस के अनुसार सामाजिक गतिशीलता और राजनीति के बीच दो प्रकार के सम्बन्ध देखे जाते हैं। प्रथम में सरकार और अन्य राजनीतिक संगठन गतिशीलता को बढ़ावा देते हैं या रोकते हैं और दूसरे में सामाजिक लाभ के विस्तृत दृष्टिकोण से गतिशीलता राजनीतिक व्यवहार एवं नीति को प्रभावित करती है। (डेविस, पीडी, 46) यही दूसरा वह प्रकार है जिससे सामाजिक गतिशीलता राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है।

एस0के0चौहान (1980: 150) के अनुसार सामाजिक गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह होता है कि गतिशील लोग अपनी भूमिका संरचना के परम्परागत ढांचे में विस्थापित हो जाते हैं। इसी वजह से उनका अपने उत्पत्तिस्थान और अपने बुजुर्गों की भूमिका से अलगाव होता है। (डमेलार एवं लिप्सेट, 1966) संबंधों के गैरपरम्परागत व्यवस्था और नये व्यवसायगत वातावरण की स्थिति में गतिशील अगतिशील की अपेक्षा आधुनिक प्रभावों को खूब प्रदर्शित करता है। इसी आधार पर यह माना जा सकता है कि गतिशील अगतिशीलों की तुलना में उच्चतर राजनीतिक चेतना व्यक्त करते हैं, राजनीति में ज्यादा रूचि लेते है और सब मिलाकर दिन प्रतिदिन की राजनैतिक घटनाओं से अधिक जानकार होते हैं। जैसे इस ग्राम डिघवट में पिछड़ी जाति एवं हरिजन जातियों का नेतृत्व करने वाले दोनों साहु (तेली) बन्धु प्राइमरी पाठशाला के शिक्षक हैं एवं सहायक पेशा उनका कृषि है तथा शेष तेली

परिवार परचून की दूकान आदि तथा अन्य खेती से जीविका उपार्जन करते हैं जबकि इनका परम्परागत जातीय पेशा तेल पेरना है। इसी प्रकार 1972 के ग्राम प्रधान एक नवयुवक लुहार पिछड़ी जाति अपना मुख्य पेशा खेती एवं जातीय पेशा सहायक व्यवसाय के रूप में आत्म निर्भर कर लिया है। एवं इनका छोटा भाई जू0हा0 स्कूल के प्रधानाचार्य के रूप में शिक्षक के रूप में जीवन यापन करता है। इसी प्रकार कुछ केवट परिवार सब्जी उगाने एवं एक परिवार भाड़ भूँजने का व्यवसाय करता है जब कि इनका परम्परागत व्यवसाय मत्स्य उद्योग है। इस गाँव के कुछ मुसलमान परिवार (बढ़ना) लकड़ी चीरने का मुख्य पेशा द्वारा जीविका उपार्जन करते हैं। डब्लू0एच0वाइजर 1936 के जिला मैनपुरी के करीमपुर गाँव के अध्ययन में जातीय व्यवसाय प्रत्येक जाति के परम्परागत जाति व्यवसाय थे। किन्तु वर्तमान समय में जजमानी व्यवस्था अब ढीली पड़ गयी है, एवं लोगों के व्यवसायों में अशातीत व्यावसायिक गतिशीलता आ गयी है। यह व्यावसायिक गतिशीलता महँगाई एवं पारिवारिक जनसंख्या के बढ़ने लोगों में व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा व्यावसायिक दक्षता आने से आवश्यकताओं की वृद्धि के कारण मानव अपने व्यक्तिगत समाज में व्यवस्थापन हेतु दिनों दिन बढ़ती जा रही है।

ग्राम छिबवट में वर्ष 1972 से 1980 तक उग्र गुटबाजी तनाव और हिंसात्मक झगड़ों के कारण जिसका विस्तृत वर्णन अगले अध्याय में किया जायेगा यह व्यवस्था कुछ वर्षों के लिए तो बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी शनैः शनैः ग्राम की सामान्य स्थिति आने पर पुनः अपनायी जा रही है। लोकतंत्र में नागरिक के समानता के अधिकार उच्च एवं हीन व्यावसायिक भावनाओं के कारण शिक्षित नवयुवक — अपने जातीय पेशा एवं हीन भावना को ही मूल कारण समझ कर उसे छोड़कर अन्य अधिक उपार्जन वाले पेशा अपना रहे हैं अथवा सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरी की ओर दौड़ रहे हैं। वर्तमान समय में विगत कुछ वर्षों से ग्रामीण जजमानी व्यवस्था

में आमूल परिवर्तन करते चले आ रहे हैं।

ग्राम डिग्रट के सूचनादाताओं की व्यावसायिक गतिशीलता किस पीढ़ी में आई जातिगत समूहों की वर्गीकृत तालिका में अंकित है। उच्च वर्ग के 68 सूचनादाताओं में से दादा की पीढ़ी में किसी ने भी अपने परम्परागत व्यवसाय में परिवर्तन नहीं किया। पिता की पीढ़ी में केवल एक (1·47) परिवार ने पेशा बदला एवं वर्तमान पीढ़ी में केवल 7(10·29) सूचनादाताओं ने अपने परम्परागत व्यवसाय में परिवर्तन किया। शेष 60 (88·24 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने अपने व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं किया।

इसी प्रकार पिछड़े वर्ग समूह में 226 परिवार हैं जिनमें 40(17·69) सूचनादाताओं के दादा की पीढ़ी में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ एवं पिता की पीढ़ी में 37 (16·37) ने व्यवसाय बदला एवं स्वयं की पीढ़ी में 23 (10·18) सूचनादाताओं ने अपने व्यवसाय में परिवर्तन किया। शेष 126 (55·76) सूचनादाताओं ने अपने जातीय व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं किया।

इस ग्राम के हरिजन वर्ग में 87 परिवार हैं। जिनमें से 26 (29·89) परिवार के मुखिया सूचनादाताओं ने अपने दादा की पीढ़ी में परम्परागत व्यवसाय में परिवर्तन किया। 20(22·98) में पिता की पीढ़ी में एवं 15(17·24 प्रतिशत) ने स्वयं की पीढ़ी में अपने व्यवसाय में परिवर्तन किया। शेष 26(29·89) सूचनादाताओं ने अपने व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं किया।

इस ग्राम में 19 परिवार मुसलमान समुदाय के हैं जिनमें एक (5·26 प्रतिशत) परिवार के व्यवसाय में दादा की पीढ़ी में परिवर्तन किया गया एवं एक (5·26 प्रतिशत) परिवार में पिता की पीढ़ी में व्यवसाय बदला गया वर्तमान समय में स्वयं की पीढ़ी में 2(10·5 प्रतिशत) के परिवारों ने अपने व्यवसायों को बदला और शेष 15 (78·95) सूचनादाता अपने व्यवसाय में परि-

वर्तन नहीं किया।(देखिए तालिका संख्या 13)

तालिका संख्या 13

ग्राम जियवट में सूचनादाताओं की व्यावसायिक गतिशीलता जातिगत समूहों के अनुसार

क्र0सं0	सूचनादाता की व्यावसायिक गतिशीलता किस पीढ़ी में हुई	उच्चजाति समूह	पिछड़ा वर्गीय जाति समूह	हरिजन वर्गीय जाति समूह	योग	मुस्लिम वर्गीय जाति समूह	कुलयोग
1	दादा की पीढ़ी से	शून्य	40	26	66	1	67
			17·69	29·89	17·32	5·26	16·75
2-	पिता की पीढ़ी से	1	37	20	58	1	59
		1·47	16·37	22·98	15·22	5·26	14·75
3-	स्वयं	7	23	15	45	2	47
		10·29	10·18	17·24	11·81	10·43	11·75
4-	अनउपयोगी	60	126	26	212	15	227
		88·24	55·76	29·89	55·65	78·95	56·75
कुलयोग		68	226	87	381	19	400
		100·00	100·00	100·0	100·0	100·0	100·00

ग्राम जियवट के सूचनादाताओं के वर्तमान व्यवसाय में परम्परागत जाति व्यवसाय से समानता है या भिन्नता जातिगत समूहों की वर्गीकृत तालिका सं0 13 में निम्नवत प्रदर्शित किया गया है :—

उच्चजाति में 68 परिवारों में 60 परिवार अपने परम्परागत व्यवसाय को अपनाये हुए हैं। जिनका प्रतिशत 88·23 है तथा केवल 8 परिवारों में व्यावसायिक भिन्नता आई है जो 11·47 प्रतिशत है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग में 226 परिवार हैं जिनमें 126 परिवार परम्परागत जाति व्यवसाय को करते चले आ रहे हैं जिसका प्रतिशत 55·76 है तथा 100 परिवारों ने व्यवसाय को बदला है जिसका प्रतिशत 44·24 है।

ग्राम में 87 हरिजन वर्ग में परिवार हैं जिनमें से 26 परिवारों में परम्परागत जाति पेशा अब भी अपनाये हुए हैं तथा 61 परिवारों ने अपने पेशा परम्परागत पेशा को नहीं अपनाये हुए हैं। इनके पेशा जातिगत परम्परागत पेशा से भिन्न हैं जिसका प्रतिशत है 77·11

ग्राम में 19 परिवार मुसलमान जाति के हैं जिनमें 15 परम्परागत अपने पेशा करते चले आ रहे हैं तथा 4 परिवार अपने पेशा बदल कर अन्य पेशा से जीविका उपार्जन करते हैं। इनका परम्परागत पेशा से समानता का प्रतिशत 78·95 है तथा व्यवसाय परिवर्तन का प्रतिशत 21·05 है।

कुल समस्त गाँव के सूचनादाताओं के परम्परागत पेशा को करने वालों की संख्या 227 है जो 55·73 प्रतिशत है। 173 व्यक्तियों के व्यवसाय परम्परागत व्यवसायों से भिन्न हैं जो 43·25 प्रतिशत है (तालिका संख्या 14 में देखिए)।

तालिका संख्या 14

क्र0सं0	वर्तमान व्यवसाय का परम्परागत जाति व्यवसाय में समता/विषमता	उच्चजाति समूह	पिछड़ा वर्गीय जाति समूह	हरिजन वर्गीय जाति समूह	योग	मुस्लिम वर्गीय जाति समूह	कुलयोग
1·	समानता	60 88·23	126 55·76	26 29·89	212 55·64	15 78·95	227 55·75
2·	भिन्नता	8 11·77	100 44·24	61 70·11	169 44·36	4 21·05	173 43·25
	कुलयोग	68 100·00	226 100·00	87 100·00	381 100·00	19 100·00	400 100·00

भूस्वामित्व का ढंग(तरीका)

ग्रामीण भारत में आर्थिक और राजनैतिक शक्ति के संचालन का मुख्य चालक भूस्वामित्व है। बर्नार्ड कोहन (1965) ने अपने 12 गाँवों के पुनरावलोकन के अध्ययन में निर्दिष्ट किया है कि "प्रभु जाति के आधार प्रकृति और प्रभुत्व की श्रेणीगत अभ्यास प्रत्येक गाँव में बदलते हुए हैं किन्तु आर्थिक नियंत्रण प्राथमिक रूप से भूमि नियंत्रण का सम्बन्ध प्रभुत्व में केन्द्रबिन्दु है।" डा०पी०एन०सेठ (1980 : 131)इसी प्रकार एम०एन० श्री निवास (1959 : 216) "रामपुरा में प्रभुजाति" ने भी अपने अध्ययन में एक जाति प्रभु होने के लिए स्थानीय क्षेत्र में पर्याप्त निजी भूमि जन संख्यात्मक शक्ति और स्तरीकरण में उच्च पद सोपान होना चाहिए।" निर्दिष्ट किया है। ऊमेन(1977, 90-92) ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन मे निर्दिष्ट करते हुए अवलोकन किया" इन ग्रामों में आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण यह पहलु भूमि है। यह स्पष्ट कि भूमि की जोत मे परिवर्तन का ढंग और भूमि की क्रियाएँ एक पूर्ण व्यवस्था को दूर के परिणामों तक पहुँचा देती है।"

हमारे आँकडे भूस्वामित्व की संरचना को ग्राम डिम्पट के जाति समूहों में प्रभावशाली अन्तर स्पष्ट करते है। तालिका नं0 15 अ इंगित करती है कि इस ग्राम में उच्च जातिसमूह के पास कुल भूमि का 45.06 प्रतिशत 68 परिवारों के ब्राह्मणजातिय मुखियों 54 ब्राह्मण परिवार के मुखिया = 2068 बीघा) वैश्य 10 परिवार (234 बीघा) कायस्थ 4 परिवारों के मुखिया 199 बीघा इस प्रकार उच्च जाति समूह में 2501 बीघा कुल भूमि स्वामित्व है।

पिछड़ा वर्ग समूह में 226 परिवार हैं। इन परिवार के मुखियो के पास कुल 2418 बीघा भूमि है। पिछड वर्ग समूह के अन्तर्गत 15 जातियाँ सम्मिलित हैं जो ग्राम की कुल भूमि का 43.54 प्रतिशत है।

इसी प्रकार हरिजन वर्ग के 87 परिवारों के मुखियों के पास 503बीघा भूमि है जो ग्राम की कुल भूमि का 9.07 प्रतिशत है। इस प्रकार ग्राम के हिन्दू वर्ग के पास 5422 बीघा भूमि है जो कुल ग्राम की जमीन का 97.67 प्रतिशत है। इस ग्राम में मुसलमान समुदाय (पिछड़ा जाति) के भी 19 परिवार है जिनमें 9 के पास भूमि कुल 129 बीघा है। यह कुल भूमि का 2.33 प्रतिशत है। इस प्रकार अध्ययन ग्राम डिघवट से भूस्वामित्व 5551 बीघा खेती की भूमि है। जिला चकबन्दी कार्यालय बांदा के अनुसार (1982-83) में ग्राम डिघवट में कृषिभूमि 5551 बीघा है। हमारे सर्वेक्षण अध्ययन में इस ग्राम की भूमि 5,551 बीघा कृषि भूमि एवं शेष 40 बीघा. अकृ भूमि जो बगीचे एवं चारागाह हेतु है। अतः इस ग्राम की कुल भूमि शासकीय जिला चकबन्दी कार्यालय बांदा के आंकड़ों से प्रमाणित है। यथा समस्त भूस्वामित्व रखने वाले जाति समूहों का श्रेणिवत विवरण तालिका सं0 15 अ में प्रदर्शित है :-

ग्राम डिघवट के सूचनादाताओं का भूस्वामित्व (कृषि योग्य) जाति समूहों के अनुसार ग्राम डिघवट में 400 सूचनादाता कुल परिवारों के मुखिया ग्राम की समस्त जातियों के अन्तर्गत हैं। उनके जाति समूहों के अनुसार उनका भूस्वामित्व निम्न तालिका सं0 15अ में प्रदर्शित है :-

हमारे आंकड़े ग्राम डिघवट के भूस्वामित्व का तीन जाति समूहों में एक प्रभावशाली अन्तर प्रगट करते हैं। इस ग्राम के उच्च जाति समूह का अल्प परिवारों में होने के बावजूद भूस्वामित्व ग्राम में एकाधिकार प्रगट करता है। इससे अल्प अन्तर इस ग्राम का पिछड़ा वर्ग समूह रखता है। तथा अनुसूचित जाति समूह के पास अति लघु भू-स्वामित्व है।

तालिका सं0 15 अ में प्रत्येक जाति समूह की प्रत्येक जाति के भूस्वामित्व का विस्तृत विवरण ग्राम की तीन जाति समूहों में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या 15 अ

क्र0सं0	जातिगत वर्गीकरण	ग्राम डिघवट की कृषि भूमि (बीघा में)	प्रत्येक वर्ग में परिवारों की संख्या
1-	उच्च जाति समूह	2501 बीघा (45·06)	68 (17·00)
2-	पिछड़ा वर्ग समूह	2418 (43·54)	226 (56·50)
3-	हरिजनवर्ग समूह	503 (9·07)	87 (21·75)
योग		5422 (97·67)	381 (95·25)
4-	मुसलमान	129 (2·33)	19 (4·75)
	महायोग	5551 (100·00)	400

इस ग्राम के उच्च जाति समूह के पास कुल भूमि 2501 बीघा है। उच्चजाति समूह के अन्तर्गत इस ग्राम की तीन जातियाँ ब्राह्मण वैश्य कायस्थ सम्मिलित हैं। ब्राह्मण जात समूह में ग्राम के 54 परिवार जिनका भूस्वामित्व 2068 बीघा, वैश्य(10परिवार)

234 बीघा कायस्थ(4 परिवारों के मुखिया 199 बीघा, भूमि है। ग्राम डिबवट में ठाकुर जाति के परिवार नहीं हैं। उच्च जाति समूहों के पास 2501 बीघा जिसका प्रतिशत 45.06 है। यह प्रतिशत उच्च जाति समूह का ग्राम के भूस्वामित्व में एकाधिकार प्रदर्शित करता है। इस ग्राम में पिछड़े वर्ग समूह में 15 हिन्दू जाति हैं। अहीर 38 परिवार मुखिया, केवट 54 परिवार मुखिया, कुम्हार (48 परिवार मुखिया) लोहार (21 परिवार मुखिया) और माली (8 परिवार मुखिया) आदि का भूस्वामित्व क्रमशः 567, 636, 335, 351, 118 बीघा है। शेष पिछड़े वर्ग में भूस्वामित्व का वितरण सुनार (4 परिवार के मुखिया) 57 बीघा, बढ़ई (6 परिवार के मुखिया) 57 बीघा, कहार(3 परिवार के मुखिया) 33 बीघा, नाई (5 परिवार के मुखिया) 10 बीघा, पटवा(4 परिवार के मुखिया)30 बीघा, कलार(1 परिवार) भूमिहीन, भरभूंजा(3 परिवार के मुखिया) 43 बीघा, आरख (13 परिवार के मुखिया) 68 बीघा, तेली (7 परिवार के मुखिया 55 बीघा, दर्जी(3 परिवार के मुखिया) 21 बीघा, गड़रिया (8 परिवार के मुखिया) 60 बीघा, भूस्वामित्व है। : जिला चकबन्दी कार्यालय बांदा के अभिलेख के अनुसार ग्राम डिबवट के भूस्वामियों का भूस्वामित्व 1982-83 के अनुसार अंकित : इस ग्राम के पिछड़े वर्ग में काछी, लोध और कुर्मी जाति के परिवार नहीं है।

अनुसूचित जाति समूह के अन्तर्गत ग्राम डिबवट में इस वर्ग का कुल भूस्वामित्व 503 बीघा है। इस वर्ग के अन्तर्गत इस ग्राम में 4 जातियाँ — चमार, कोरी, धोबी और डोमार हैं। इनमें से चमार 66 परिवार के मुखिया जिनका इस वर्ग में अब सर्वोच्च भूस्वामित्व 411 बीघा है। इस वर्ग की अन्य जातियों के भूस्वामित्व का वितरण — कोरी 17 परिवारों के मुखिया — 76 बीघा, धोबी 1 परिवार 2 बीघा और डुमार 3 परिवारों के मुखिया 14 बीघा भूस्वामित्व है।

तालिका नं० 15अ के सामान्य अवलोकन से निम्नांकित विश्लेषण निर्गत होता है —

(अ) इस ग्राम में कुल 5,551 बीघा भूमि है। इस ग्राम के उच्च जाति समूह के पास 2501 बीघा भूमि है जो 45·06 प्रतिशत है। इस वर्ग में चार जातियाँ सम्मिलित हैं। जिसमें ब्राह्मण 54 परिवार हैं जिनका भूस्वामित्व 2068 बीघा है। यही इस ग्राम का सर्वाधिक भूस्वामित्व रखने वाली उच्च एवं प्रभु जाति है।

(ब) पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत 15 जाति समूह हैं। इनका भूस्वामित्व उच्च जाति समूह की तुलना में अति अल्पतम अन्तर रखता है। लगभग समान ही है। जो कि 43·54 प्रतिशत यथा 2418 बीघा है। यद्यपि जन संख्यात्मक अनुपात में यह पिछड़ा वर्ग उच्च वर्ग की तुलना में अधिक है।

(स) इस ग्राम की अनुसूचित जाति समूह का भूस्वामित्व अति अल्पतम है, जिसका प्रतिशत 9·07 है। एवं कुल भूस्वामित्व 503 बीघा है जबकि इस जाति समूह की कुल परिवार संख्या 87 है। जो कि उच्च वर्ग की कुल परिवार संख्या 68 से अधिक है। अतः यह आँकड़े स्पष्ट प्रमाण देते हैं कि इस ग्राम का अनुसूचित जाति समूह अति निर्धन, भूमिहीन श्रमिक समूह है।(देखिए तालिका संख्या 15ब)।

भूमि का आकार :-

हम अग्रिम भूम का आकार — कई जोतों में विभाजित जाति समूहों में विश्लेषण जोतों के रूप में वर्गीकृत कर चुके हैं। हमने भूस्वामित्व को निम्नांकित 5 श्रेणियों में विभाजित किया है।

तालिका संख्या 16 में 23·50 प्रतिशत भूमिहीन ग्राम डिघवट में हैं। जिसमें सर्वाधिक भूमिहीनों का प्रतिशत 40·23 अनुसूचित जाति समूह के(87 परिवारों के मुखियों) 35 हैं। पिछड़े वर्ग समूह के 226 परिवारों में से 48 परिवार मुखिया भूमिहीन हैं। जिसका प्रतिशत 21·23 है। और उच्चजाति समूह में 88 परिवारों के मुखियों में से केवल एक परिवार मुखिया भूमिहीन है जिसका प्रतिशत 1·47 अति अल्पतम है। अतः

ग्राम डिंघवट में भू-स्वामित्व जातिगत आधार के अनुसार

तालिका संख्या 15 ब

क्र0सं0	जाति	भूमि स्वामित्व : बीघा में	ग्राम में परिवारों के मुखियों की संख्या
	उच्च जाति समूह		
1-	ब्राह्मण	2068	54
2-	ठाकुर	- - -	- -
3-	बनिया	234	10
4-	कायस्थ	199	4
	योग —	2501 (45·06)	68 (17·00)
	पिछड़ी जाति समूह		
1-	सुनार	57	4
2-	अहीर	567	38
3-	काछी	- - - -	- -
4-	लोध	- - - -	- -
9-	बढ़ई	34	6
10-	माली	118	8
11-	लोहार	351	21
12-	कहार	33	3
13-	केवट	636	54
14-	नाई	10	5
15-	पटवा	30	4
16-	कुम्हार	335	48

17	कलार	—	1
18	भरभूजा	43	3
19	आरख	68	13
20	तेली	55	7
21	दर्जी	21	3
22	गड़रिया	60	8
योग —		2418 (43·54)	226(56·50)

हरिजनजाति समूह

23-	कोरी	76	17
24-	धोबी	2	1
25	चमार	411	66
26-	खेवार	14	3
योग-		503(9·07)	87(21·75)
27	मुसलमान	120 (2·33)	19(4·75)
कुलयोग		5551 (100·00)	400 (100·00)

सम्पूर्ण ग्राम डिवट में भूस्वामित्व का आकार(जातिसमूहों के आधार पर)

तालिका संख्या 16

क्र0सं0	भूस्वामित्व सीमायें	उच्चजाति समूह	पिछड़ीजाति समूह	हरिजनजाति समूह	योग	मुसलमान	महायोग
1-	भूमिहीन	1	48	35	84	10	94
		(1·47)	(21·23)	(40·23)	(22·05)	(52·63)	(23·50)
2,	अतिलघु	1	59	21	81	2	83
		(1·47)	(26·11)	(24·14)	(21·26)	(10·53)	(20·75)
3-	लघु	21	99	27	147	6	153
		(30·88)	(43·81)	(31·03)	(38·58)	(31·58)	(38·25)
4-	मध्यम	42	19	3	64	1	65
	21·100	(61·77)	(8·41)	(3·45)	(16·80)	(5·26)	(16·25)
5-	बृहत जोत	3	1	1	5	शून्य	5
	101से अधिक	(4·41)	(00·44)	(1·15)	(1·31)	(00)	(1·25)
	कुलयोग	68	226	87	381	19	400
		(100·00)	(100·00)	(100·00)	(100·00)	(100·00)	(100·00)

स्पष्ट है कि इस ग्राम के अनुसूचित जाति समूह में भूमिहीनों का प्रतिशत 40·23 सर्वाधिक है।

प्रथम आकार की जोत (0·5 बीघा) की श्रेणी में 24·14 प्रतिशत अनुसूचित जाति समूह के 21 परिवार का है और 26·11 प्रतिशत(59परिवार मुखिया) पिछड़ी जाति समूह का है जबकि उच्च वर्ग में इस भू सीमा के अन्तर्गत मात्र एक परिवार है जिसका 1·47 प्रतिशत अति अल्पतम है।

तृतीय श्रेणी लघु भूसीमा (6·20 बीघा) जोत के अन्तर्गत हरिजनजाति समूह का प्रतिशत 31·03 प्रतिशत है। और पिछड़े वर्ग का 43·81 प्रतिशत उच्चतम स्थिति को प्रदर्शित करता है जबकि उच्च वर्ग का प्रतिशत है इस जोत सीमा में 30·88 जो हरिजन और पिछडे वर्ग से कम है। अतः स्पष्ट है कि 6·20 बीघा भू सीमा के अन्तर्गत हरिजन और पिछड़ा वर्ग के उत्तरदाता परिवार मुखिया की संख्या कम है। जो इस जोत सीमा में सर्वाधिक केन्द्रित है।

चतुर्थ भूसीमा 21·100 बीघा जोत सीमा के अन्तर्गत हरिजन जाति समूह (3 परिवार मुखिया) का प्रतिशत 3·45 है और पिछड़ी जाति समूह(19परिवार मुखिया) का प्रतिशत 8·41 अतिअल्प है। जबकि उच्च जाति समूह (42परिवार मुखिया) का सर्वाधिक प्रतिशत 61·77 प्रदर्शित करता है अतः स्पष्ट है कि उच्चतम जाति समूह के अधिकतम परिवारों के मुखियों की संख्या इस भू सीमा के श्रेणी में केन्द्रित है।

पांचवी श्रेणी की भू सीमा की जोत के अन्तर्गत हरिजन जाति समूह (एक परिवार मुखिया) का प्रतिशत 1·45 और पिछडे वर्ग का (एक परिवार मुखिया) का प्रतिशत 0·44 अति न्यूनतम संख्या एवं अनुपात को प्रदर्शित करता है, जबकि उच्च जाति समूह (3 परिवार) का प्रतिशत 4·41 इनसे अधिक संख्या का द्योतक है।

तालिका संख्या 14 के भू सीमा आकार के विश्लेषण से निम्नांकित स्पष्ट निष्कर्ष निर्गत होते हैं -

(अ) अनुच्छेद में अनुसूचित जाति समूह के 87 परिवारों में 35 परिवार मुखिया भूमिहीन हैं जिनका प्रतिशत 40·23 सर्वाधिक है और पिछड़े वर्ग की 226 परिवार मुखियों में से 48 परिवार मुखिया भूमिहीन हैं जिनका प्रतिशत 21·23 भूमिहीन की उच्चतम स्थिति को प्रदर्शित करता है। इनकी तुलना में उच्चतम जाति समूह के 68 परिवार मुखियों में से मात्र एक परिवार भूमिहीन है जिसका प्रतिशत 1·47 अति अल्पतम भूमिहीन की स्थिति का परिचायक है।

(ब) तृतीय श्रेणी की भू सीमा (6·20) जोत के अन्तर्गत हरिजन जातिसमूह 27 परिवार का प्रतिशत 31·03 है और पिछड़ा वर्ग (99परिवार मुखिया) का प्रतिशत 43·81 अधिकतम अनुपात को केन्द्रित होना प्रदर्शित करता है। जबकि उच्च जाति समूह (21 परिवार मुखिया) का प्रतिशत 30·88 इनकी तुलना में कम परिवार मुखियों की संख्या प्रदर्शित करता है।

(स) चतुर्थ श्रेणी की भू सीमा (21·100) बीघा जोत के अन्तर्गत हरिजन जाति समूह (3 परिवार मुखिया) का प्रतिशत 3·45 एवं पिछड़े वर्ग (19 परिवार मुखिया) का प्रतिशत 8·41 प्रतिशत अति अल्पतम संख्या प्रदर्शित करता है । जबकि उच्च जाति समूह (42 परिवार मुखिया) का प्रतिशत 61·77, अति उच्चतम परिवार के मुखिया की संख्या इस भू सीमा की जोत में केन्द्रीभूत होना प्रदर्शित करता है। अतः इस भू सीमा के अन्तर्गत उच्च जाति समूह के परिवार मुखियों का भू स्वामित्व इन दोनों जाति समूहों अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग से अधिक भू सीमा में एकाधिकार प्रदर्शित करता है।

(द) पंचम श्रेणी की भू सीमा (101 से अधिक बीघा) की श्रेणी के अन्तर्गत हरिजन जाति समूह (एक परिवार मुखिया) का प्रतिशत 1·15 एवं पिछड़े वर्ग का

(1 परिवार मुखिया) 0·44 प्रतिशत इनकी अल्पतम संख्या का द्योतक है, जबकि इनसे अधिकतम परिवार के मुखियों के पास भूस्वामित्व का परिचायक प्रदर्शित करता है।

ग्राम डिघवट के गुटीय नेताओं की आर्थिक स्थिति

ग्राम डिघवट विगत दो दशक — 1970 - 1980 तक संक्रमण कालीन स्थिति से गुजरा, इस ग्राम के उग्र गुटवाद ने सम्पूर्ण ग्राम को दो गुटों (अ गुट) हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग सम्मिलित) ब गुट (ब्राह्मण वर्गीय गुट) में विभाजित कर दिया था। प्रथम सवर्ण जमींदार वर्ग (बड़े भू स्वामी) एवं द्वितीय निर्धन (अल्प भूमि) या भूमिहीन हरिजन एवं पिछड़े वर्ग का श्रमिक वर्ग। इन दोनों गुटों का संचालन चन्द गुटीय नेताओं के नेतृत्व द्वारा ही होता था। मुख्य नेताओं के साथ द्वितीयक नेता एवं सक्रिय सहायक सदस्य थे। ब्राह्मण गुट का नेतृत्व मुख्य रूप से परम्परागत ब्राह्मण जमींदार भूतपूर्व ग्राम प्रधान द्वारा मुख्य नेता एवं अन्य सहायक द्वितीयक नेता तथा सक्रिय सदस्यों द्वारा होता था। इस वर्ग के मुख्य नेता भूतपूर्व प्रधान एवं परम्परागत जमीं-दार इस ग्राम के सबसे बड़े भू स्वामी हैं जिनका भू स्वामित्व 161 बीघा उर्वरक भूमि है। अन्य द्वितीयक नेता एवं का भू स्वामित्व 63 बीघा है। इसी प्रकार सक्रिय सदस्यों का भू स्वामित्व 21-100 बीघा भू सीमा के अन्तर्गत है।

द्वितीय अ गुट — हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के सम्मिलित गुट का नेतृत्व मुख्य नेता के रूप में इस ग्राम के दो तेली (पिछड़ी जाति) सिवक बन्धु हैं जिन्होंने इस ग्राम के मध्यम सम्पन्न एवं सबल बहुसंख्यक — लोहार जाति के परिवारों के एक नव युवक को द्वितीयक नेता के रूप में सहयोगी बनाया। अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के चार जातियाँ अनसूचित जातिसमूह एवं 15 जाति समूह पिछड़े वर्ग के सक्रिय सदस्य सम्मिलित हैं।

यद्यपि उच्च जाति समूह में मात्र 60 परिवार हैं जिनमें मात्र बड़े भू स्वामी ही सवर्ण गुट का नेतृत्व करते हैं। इस गुटीय अध्ययन के विश्लेषण में यह

अन्वेषण आतिरोचकतापूर्ण है कि अल्प भू सीमा वाले ब्राह्मण एवं अन्य सवर्ण परिवारों के मुखियों ने इस ग्राम के उग्र गुटीय संघर्ष में अपनी भूमि का तटस्थ अथवा उदासीन स्थिति में अदा की। सवर्ण गुट में गुट का नेतृत्व एवं सक्रिय सदस्यता का सहयोग मात्र सम्पन्न बड़े भू स्वामी परिवार के मुखियों ने किया।

अ गुट में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के जाति नेता एवं सक्रिय सदस्य अति अल्प भू सीमा वाले एवं भूमिहीन श्रमिक ही सम्मिलित थे। (अ) गुट के मुख्य नेता तेली (पिछड़ी जाति) शिक्षक बन्धुओं के पास मात्र 5 बीघा भू स्वामित्व ही है। केवट जाति के दो सहायक नेताओं के पास भू स्वामित्व क्रमशः 15 एवं 30 बीघा है। एक चमार जाति के नेता के पास मात्र 7 बीघा भूमि है। यह ही इस ग्राम के गुटीय संघर्ष का प्रमुख संचालक या सूत्रधार है। लोहार जाति के दो परिवार मुख्य रूप से सक्रिय रहे जिनका भू स्वामित्व (21 से 100) 25 एवं 50 बीघा था। आरख जाति का एक नवयुवक जिसका भू स्वामित्व मात्र एक बीघा था ने इस गुट के शस्त्रधारी संगठन में क्रान्तिकारी भूमिका अदा की। जिससे दोनों गुटोंमें संघर्ष खूनी क्रान्ति के रूप में बदल गया। सवर्ण गुट (अति सम्पन्न) एवं शस्त्रधारी गुट () का मुकाबला दो लोहार नवयुवक एक आरख, दो केवट तथा कुछ अन्य जाति (अनसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग) के सक्रिय सदस्यों ने सम्मिलित संगठन शक्ति से '(खून का बदला खून) एवं गोली का बदला गोली से लिया।

दोनों गुटों के (अ गुट – हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग का सम्मिलित ब गुट सवर्ण बड़े भू स्वामी मुख्य नेता एवं द्वितीयक नेता तथा सक्रिय सदस्यों जातीय नेता आदि के भू स्वामित्व का विवरण तालिका सं0 17 में अंकित है।

इस ग्राम के गुटीय संघर्ष मे ग्राम के राम जानकी मंदिर के पुजारी की भूमिका प्रमुख आधार रखती है। ग्राम के राम जानकी मन्दिर का भू स्वामित्व 36बीघा है। इस मंदिर का पुजारी पहले ब्राह्मण बड़े भूस्वामी ग्राम प्रधान द्वारा नियंत्रित होता

था। कालान्तर में उसका नियंत्रण एवं संचालन हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के नेता साहू शिवक द्वारा होने से इस मन्दिर के भू स्वामित्व की कृषि की उपज का आकर्षण एवं तनाव गुटीय संघर्ष का एक प्रधान कारण बना। इस ग्राम के समाज शास्त्रीय गुटों के विश्लेषण से अति रोचकता पूर्ण अन्वेषण यह प्राप्त हुआ कि दोनों गुटों में सम्मिलित - व्यक्तियों में जातियता की दृढ़ता का कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं था मात्र बड़े भू स्वामी उच्च वर्ग एवं अल्प भूमि या धनहीन श्रमिकों के मध्य अपने गुट के निहित लक्ष्यों एवं हितों (माँगों) के हेतु आन्दोलन था जो बाद में गुटीय संघर्ष के रूप मे परिवर्तित हो गया।

तालिका संख्या 17

अ एवं ब गुट के नेताओं के भूस्वामित्व का विवरण

अ गुट				ब गुट			
क्रम सं0	जाति	नेता की किस्म	भूमि बीघा में	क्र0सं0	जाति	नेता की किस्म	भूमि बीघा में
1-	तेली	प्रमुख	5-0-0	1	ब्राह्मण	प्रमुख	161-0-0
2-	तेली	प्रमुख	5-0-0	2-	ब्राह्मण	द्वितीयक	63-0-0
3-	लोहार	द्वितीयक	25-0-0	3-	ब्राह्मण	"	63-0-0
4-	केवट	तृतीयक	30-0-0	4-	ब्राह्मण	तृतीयक	61-0-0
5-	डोमार	"	7-0-0	5-	ब्राह्मण	तृतीयक	47-0-0
6-	केवट	" "	15-0-0				
7-	लोहार	" "	50-0-0				
8-	ब्राह्मण	" "	36-0-0				
9-	अरख	"	1-0-0				
योग 9				योग — 6			

ग्राम डिध्वट के सूचनादाताओं ने ऋण किनसे लिया विवरण जातिगत समूहों के अनुसार

ग्राम डिध्वट के सूचनादाताओं द्वारा विभिन्न ऋण देने वाली संस्थाओं से कर्ज लेने वालों की संख्या जाति गत समूहों के अनुसार तालिका संख्या 18 में क्रमशः प्रदर्शित किया गया है। इस ग्राम के उच्च जाति समूह के 68 उत्तरदाताओं में से 8 ने जमींदारों से कर्ज लिया। जिसका प्रतिशत 11·76 है। दो उत्तरदाताओं ने सहकारी समितियों से कर्ज लिया जो 2·95 प्रतिशत है। इनमें से 58 उत्तरदाता परिवार मुखियों ने कर्ज नहीं लिया जिसका प्रतिशत 85·29 है। अतः इस वर्ग के परिवार मुखियों ने का सर्वाधिक प्रतिशत कर्ज न लेने वालों का है। इस वर्ग के कुल 68 परिवार मुखियों में से 10 परिवार मुखियों ने कर्ज लिया जो 14·71 प्रतिशत है।

इसी प्रकार पिछड़ा वर्गीय जाति समूह में 226 परिवार मुखिया हैं। जिनमें 51 उत्तरदाता परिवार मुखियों ने जमींदारों (बड़े भूस्वामियों) से कर्ज लिया। जिसका प्रतिशत 22·57 है। दो उत्तरदाताओं ने सहकारी समितियों से कर्ज लिया जो 0·88 प्रतिशत है। एक उत्तरदाता ने जाति कोष्ठ से भी कर्ज लिया जिसका प्रतिशत 0·44 है। इस वर्ग के शेष 172 व्यक्तियों (परिवार मुखियों) ने किसी से कर्ज नहीं लिया जो 76·11 प्रतिशत है। इस वर्ग में कर्ज लेने वाले 54 परिवार मुखियों का प्रतिशत 23·89 है।

इस ग्राम के हरिजन वर्ग में 87 उत्तरदाता हैं, जिनमें 38 परिवार मुखियों ने जमींदारों से कर्ज लिया जो 43·68 प्रतिशत है। इनमें एक उत्तरदाता परिवार मुखिया ने सहकारी समिति से कर्ज लिया। यह 1·15 प्रतिशत है। इनमें से 48 परिवार मुखियों ने किसी से कर्ज नहीं लिया। जो 55·17 प्रतिशत है। इस वर्ग के कर्जलेने वाले 39 परिवार मुखियों का प्रतिशत 44·83 है। इस ग्राम के मुसलमान जाति

के 19 उत्तरदाता परिवार मुखिया हैं जिनमें 8 परिवार मुखियों ने जमींदारों से कर्ज लिया। जो 42·11 प्रतिशत है। इस समुदाय के कर्ज न लेने वाले 11 उत्तरदाता परिवार मुखिया हैं जिनका प्रतिशत 57·89 है।

इस ग्राम लेने वाले उत्तरदाता परिवार मुखियों के जातिगत समूहों के विवरण की तालिका के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निर्गत हुआ कि इस ग्राम के तीनों जाति समूहों में सर्वाधिक कर्ज लेने वाला हरिजन वर्ग समूह है जिसके 87 परिवार मुखियों में से 39 परिवार मुखिया जिसका प्रतिशत 44·83 है। इसके बाद द्वितीय स्थान मुसलमान समुदाय के 8 परिवार मुखिया कर्ज लेने वाले हैं जिसका प्रतिशत 42·11 है। तृतीय स्थान में कर्ज लेने वाली श्रेणी पिछड़ा वर्ग जाति समूह का है जिसके 54 परिवार मुखिया कर्ज लेते हैं। जो 23·89 प्रतिशत है। तत्पश्चात् सबसे अल्पतम कर्ज लेने वाला उच्च जाति समूह है जिसके कुल 68 परिवार मुखियों में से 10 परिवार मुखिया ही कर्ज लेते हैं जो 14·71 प्रतिशत है। अतः स्पष्ट है कि सवर्ण वर्ग अधिक आत्म निर्भर एवं सम्पन्न वर्ग है। (देखिए तालिका संख्या 19)

ग्राम डिघवट के सूचनादाताओं के कर्ज लेने के कारण

जातिगत समूहों के अनुसार

ग्राम डिघवट के ग्राम लेने वाले सूचनादाताओं के कर्ज लेने के कारण एवं उद्देश्यों जातिगत समूहों के आधार पर तालिका संख्या 20 में प्रदर्शित है। उच्च जाति समूह के तीन उत्तरदाताओं ने शादी के लिए कर्ज लिया जो 4·41 प्रतिशत है तथा दो उत्तरदाताओं ने जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो 2·94 प्रतिशत है तथा 4 उत्तरदाताओं ने कृषि कार्यों के लिए कर्ज लिया जो 5·89 प्रतिशत है। तथा एक उत्तरदाता ने व्यापार हेतु जो 1·47 प्रतिशत है। इस वर्ग के कर्ज न लेने वाले 58 परिवार मुखिया हैं। इस वर्ग के उत्तरदाताओं ने कुल 14·71 प्रतिशत कर्ज

<u>तालिका संख्या 18</u>

ग्राम जिवट के सूचनादाताओं ने ऋण किनसे लिया जातिगत समूहों के अनुसार

क्रम	ऋणदाता संस्थाओं से ऋण लेने वाले सूचनादाताओं का विवरण	उच्चजाति समूह	पिछड़ावर्गीय समूह	हरिजन जाति समूह	योग	मुस्लिम	कुलयोग
1	जमींदारों द्वारा	8	51	38	97	8	105
		(11·76)	(22·57)	(43·68)	(25·46)	(42·11)	(26·25)
2·	सरकारी समितियों से	2	2	1	5	शून्य	5
		(2·95)	(0·88)	(1·15)	(1·31)	शून्य	(1·25)
3	जाति पंचायतों से	शून्य	1	शून्य	1	शून्य	1
		(—)	(0·44)	—	(0·26)	—	(0·25)
4	ऋण नहीं लिया	58	172	48	278	11	289
		(85·29)	(76·11)	(55·17)	(72·97)	(57·89)	(72·25)
कुलयोग —		68	226	87	381	19	400
		(100·00)	(100·00)	(100·00)	(100·0)	(100·0)	(100·00)

तालिका संख्या 19

ग्रामाडधवट के सूचनादाताओं में से ऋण लेने वालों का जातिसमूहों के अनुसार वर्गीकरण

क्रम	कर्ज लिया है?	उच्चवर्गीय जातिसमूह	पिछड़ाजाति समूह	हरिजन जातिसमूह	योग	मुस्लिम समुदाय	कुलयोग
1	हाँ	10	54	39	103	8	111
		(14·71)	(23·89)	(44·82)	(27·03)	(42·11)	(27·75)
2-	नहीं	58	172	48	278	11	289
		(85·29)	(76·11)	(55·18)	(72·97)	(57·89)	(72·25)
	कुलयोग	68	226	87	381	19	400
		(100·00)	(100·00)	(100·00)	(100·0)	(100·00)	(100·00)

लिया। शेष 85·29 प्रतिशत कर्ज नहीं लिया। इस वर्ग में कुल 68 उत्तरदाता परिवार मुखिया है।

अध्ययन ग्राम के पिछड़े वर्ग में 226 परिवार मुखिया है जिनमें 17 उत्तरदाताओं ने शादियों के उद्देश्य हेतु कर्ज लिया जो 7·52 प्रतिशत है। 28 उत्तरदाता परिवार मुखियों ने जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए कर्ज लिया जिनका प्रतिशत 12·4 है। एक उत्तरदाता ने मकान निर्माण के लिए कर्ज लिया जो 0·44 प्रतिशत है। 7 उत्तरदाताओं ने कृषि कार्य हेतु कर्जलिया। जो 3·09 प्रतिशत है। एक उत्तरदाता ने व्यापार हेतु कर्ज लिया जो 0·44 प्रतिशत है। इनमें से 172 सूचनादाता किसी से कर्ज नहीं लेते हैं। कुल कर्ज लेने वाले विभिन्न उद्देश्यों से 54 सूचनादाता हैं जिनका प्रतिशत 23·89 है। कर्ज न लेने वाले 172 सूचनादाताओं का प्रतिशत 76·11 है।

इस ग्राम के हरिजन वर्ग में 87 उत्तरदाता हैं जिनमें से 6 शादी के उद्देश्य से कर्ज लेते हैं जो 6·89 प्रतिशत है। एक उत्तरदाता ने औषधि के लिए कर्ज लिया जो 0·26 प्रतिशत है। 29 उत्तरदाताओं ने अनिवार्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर्ज लिया जिनका प्रतिशत 23·33 है। एक उत्तरदाता ने इमारत निर्माणके लिए जो 1·15 प्रतिशत है। दो सूचनादाताओं ने व्यापार हेतु कर्ज लिया जो 2·29 प्रतिशत है। 48 सूचनादाताओं ने किसी से कर्ज नहीं लिया। इनका प्रतिशत 55·18 है। शेष पिछडे वर्ग में कुल कर्ज लेने वाले 39 हैं जिनका प्रतिशत 44·82 है।

इस ग्राम के मुसलमान समुदाय के 19 सूचनादाता हैं जिनमें से दो ने शादी के उद्देश्य से कर्ज लिया जो 10·54 प्रतिशत है। 5 उत्तरदाताओं ने जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर्ज लिया जो 26·31 प्रतिशत है। एक उत्तरदाता ने व्यापार हेतु कर्ज लिया है जो 5·26 प्रतिशत है। इस प्रकार 8 उत्तरदाताओं ने कर्ज लिया। जिनका प्रतिशत 42·11 है। शेष 11 सूचनादाताओं ने किसी से कर्ज

नहीं लिया। जिनका प्रतिशत 57·89 है।

इस ग्राम के कुल 189 सूचनादाता कर्ज नहीं लेते। जिनका प्रतिशत 72·25 है। शेष 211 सूचनादाता परिवार मुखिया कर्ज लेते हैं जो 27·75 प्रतिशत है। जैसा कि तालिका संख्या 20 में प्रदर्शित है।

ग्राम डिघवट में ऋण लेने वाले सूचनादाताओं के ऋण की मात्रा

जातिगत समूहों के अनुसार

इस ग्राम के उच्च वर्ग में 68 सूचनादाता है जिनमें से तीन ने 201से 500 रुपया के श्रेणी के मध्य कर्ज लिया है जो 4·41 प्रतिशत है एवं 501 रुपया से 1000 रुपया तक कर्ज लेने वाले सूचनादाताओं की संख्या 3 है जो 4·41 प्रतिशत है। 1001 से अधिक रुपया कर्ज लेने वालों की संख्या 4 है जो 05·89 प्रतिशत है। इस प्रकार कुल 10 सूचनादाता कर्ज लेने वाले हैं जिनका प्रतिशत 14·71 है। कर्ज न लेने वाले सूचनादाताओं की संख्या 58 है जो 85·29 प्रतिशत है।

इस ग्राम में पिछड़ा वर्गीय जाति समूह में 226 सूचनादाता हैं जिनमें 100/- रुपया से कम कर्ज लेने वालों की संख्या 9 है जो 3·98 प्रतिशत है। 100/- रुपया से 200/- रुपया तक कर्ज लेने वालों की संख्या 11 है जो 4·87 प्रतिशत है। 201/- रुपया से 500/- रुपया तक कर्ज लेने वालों की संख्या 23 है जो 10·18 प्रतिशत है। 501/- रुपया से 1000/- रुपया तक कर्ज लेने वालों की संख्या 7 है। जो 3·09 प्रतिशत है। 1001/- रुपया से अधिक कर्ज लेने वालों की संख्या 4 है जो 1·77 प्रतिशत है। कर्ज न लेने वालों की संख्या 172 है जिसका प्रतिशत 76·11 है। पिछड़ा वर्ग में कुल कर्ज लेने वालों की संख्या 54 है जो 23·89 प्रतिशत है।

इस ग्राम के हरिजन वर्ग में 87 सूचनादाता हैं जिनमें 100/- रुपया से कम कर्ज लेने वाले सूचनादाताओं की संख्या 11 है जो 12·64 प्रतिशत है। 100/-

तालिका संख्या 20

ग्राम डिघवट के सूचनादाताओं के ऋण लेने के कारण जातिगत समूहों के अनुसार।

क्रम	सूचनादाताओं के ऋण लेने के उद्देश्य	उच्चवर्गीय जातिसमूह	पिछड़ावर्गीय जातिसमूह	हरिजनजाति समूह	योग	मुस्लिम समुदाय	कुलयोग
1-	शादी के लिए	3 (4·41)	17 (7·52)	6 (6·89)	26 (6·84)	2 (10·54)	28 (7·00)
2-	औषधि के लिए	शून्य	शून्य	1 (0·26)	1 (0·26)	शून्य	1 (0·25)
3-	जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं कीपूर्ति के लिए	2 (2·94)	28 (12·40)	29 (33·33)	58 (15·22)	5 (26·31)	63 (15·75)
4-	इमारत निर्माण के लिए	शून्य	1 (0·44)	1 (1·15)	2 (0·52)	शून्य	2 (0·50)
5-	कृषिकार्य के लिए	4 (5·89)	7 (3·09)	शून्य	11 (2·88)	शून्य	11 (2·75)
6-	व्यापार हेतु	1 (1·47)	1 (0·44)	2 (2·29)	4 (1·05)	1 (5·26)	5 (1·25)
7-	अनुपयोगी	58 (85·29)	172 (76·11)	48 (55·18)	278 (72·96)	11 (57·89)	189 (72·25)
कुलयोग		68 (100·0)	226 (100·0)	87 (100·0)	381 (100·00)	19 (100·00)	400 (100·00)

रुपया से अधिक या 200/- रुपया तक कर्ज लेने वालों की संख्या 11 है जिसका प्रतिशत 24·64 है। 501/- रुपया से 1000/- रुपया तक कर्ज लेने वालों की संख्या 5 है जो 5·75 प्रतिशत है। 1001/- रुपया से अधिक कर्ज लेने वालों की संख्या 1 है जिसका प्रतिशत 1·16 है। तथा इस वर्ग में कर्ज न लेने वालों की संख्या 48 है जो 55·17 प्रतिशत है। कुल कर्जलेने वाले सूचनादाता 39 हैं जिसका प्रतिशत 44·83 है।

इस ग्राम के मुसलमान सूचनादाता 19 है जिसमें 100/- रुपया से कम कर्ज लेने वालों की संख्या दो है जिसका प्रतिशत 10·54 है। 100/- रुपया से 200/- रुपया तक कर्ज लेने वालों की संख्या एक है जिसका प्रतिशत 5·26 है। 201-रुपया से 500/- रुपया तक कर्ज लेने वालों की संख्या 4 है जिसका प्रतिशत 21·05 है। 501/- रुपया से 1000/- रुपया तक कर्ज लेने वालों की संख्या एक है जो 5·26 है। कर्ज न लेने वालों का संख्या 11 है जो 57·89 प्रतिशत है। इस वर्ग में कर्ज लेने वालों की संख्या 8 है जो 42·11 प्रतिशत है।

इस ग्राम के कर्जदार सूचनादाताओं में सर्वाधिक कर्जदार हरिजन वर्ग में 87 परिवार मुखियों में 39 है जिनका प्रतिशत 44·83 है। कर्जदार सूचनादाताओं में द्वितीय स्थान मुसलमान समुदाय के परिवार मुखियों का है। इस ग्राम के 19 मुसलमान सूचनादाताओं में 8 सूचनादाता कर्जदार हैं जिसका प्रतिशत 42·11 है। तृतीय स्थान में पिछड़ावर्ग में 226 सूचनादाता है जिनमें 54 परिवार मुखिया कर्जदार है जिसका प्रतिशत 23·89 है। चतुर्थ स्थान में उच्च वर्ग में 68 सूचनादाता है जिनमें 10 सूचनादाता कर्जदार हैं जिसका प्रतिशत 14·71 है।

इस प्रकार इस ग्राम में सर्वाधिक गरीबी हरिजन वर्ग समूह में है। जो 44·83 प्रतिशत है। सर्वाधिक सम्पन्न वर्ग इस ग्राम का उच्च वर्ग है। ग्राम में कुल 400 सूचनादाताओं में 289 परिवार मुखिया किसी से कर्ज नहीं लेते। जिसका प्रतिशत 72·25 है। शेष 111 सूचनादाता कर्जदार है जिनका प्रतिशत 27·25 है जैसा कि

तालिका संख्या 21 में प्रदर्शित है।

ग्राम के बड़े भूस्वामी — भूमिहीन कृषि श्रमिकों को योजनाबद्ध ढंग से कर्ज देते हैं। कर्ज में ब्याज की दर इतनी उच्च होती है कि जिसे अदा करने हेतु उसे बन्धुआ मजदूर बनना पड़ता है। श्रमिक को अनाज के अभाव में खाने हेतु अनाज भी बड़े भूस्वामियोंसे कर्ज के रूप में लेना पड़ता है जिसे बड़े भूस्वामि प्रमाणित बाँटों के वजन से कम तौल में अनाज देते हैं और फसल आने पर दिये हुए अनाज का सवाया वसूल करते हैं। इस प्रकार भूमिहीन कृषि श्रमिक को बंधुआ मजदूर बनना पड़ता है।

<u>ग्राम छिबट के हरिजन श्रमिकों से बेगार (बिना पारश्रमिक दिये काम लेने)</u>

<u>करने के कारण</u>

ग्राम छिबट में हरिजन जाति समूह में 87 परिवार हैं। इन परिवार मुखियों से बेगार करने के निम्नांकित कारण उनके द्वारा साक्षात्कार शेड्यूल के अंकन से प्राप्त हुए —

साक्षात्कार द्वारा हरिजन सूचनादाताओं ने अधिकांश चार प्रकार के उत्तर दिये —

(1) भूमिधर एवं जमींदारों के दबाव एवं डर से।

(2) गरीबी के कारण हम भूमिहीन श्रमिक इन्कार नहीं कर सकते।

(3) हमारे मकान उनकी भूमि में निर्मित हैं।

(4) हम आर्थिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर हैं अतः उनसे संघर्ष न कर सकने के कारण काम करना पड़ता है।

इस ग्राम के 87 हरिजन परिवारों के मुखियों में से 6 उत्तरदाताओं ने बेगार करने का कारण उच्च जाति समूह या प्रजाति के बड़े भूस्वामी जमींदारों

तालिका संख्या 21

ग्राम डिंवट में ऋण लेने वाले सूचनादाताओं ने कितना ऋण लिया है विवरण जाति समूह के आधार पर

क्र0सं0	ऋण लेने वाले सूचनादाताओं का ऋण रुपया में	उच्चवर्गीय जातिसमूह	पिछड़ावर्गीय जातिसमूह	हरिजन समूह	योग	मुसलमान समूह	कुलयोग
1	100रुपया से कम	शून्य	9	11	20	2	22
		~~(5.98)~~	(3.98)	(2.64)	(5.25)	(10.54)	(5.50)
2-	100 - 200	शून्य	11	11	22	1	23
			(4.87)	(12.64)	(5.77)	(5.26)	(5.75)
3-	201 - 500	3	23	11	37	4	41
		(4.41)	(10.18)	(12.64)	(9.71)	(21.05)	(10.25)
4-	501 - 1000	3	7	5	15	1	16
		(4.41)	(3.09)	5.75)	(3.94)	(5.26)	(4.00)
5-	1001से अधिक	4	4	1	9	शून्य	9
		(5.89)	(1.77)	(1.16)	(2.36)	(शून्य)	(2.25)
6-	कर्ज न लेने वाले उत्तरदाता	58	172	48	278	11	289
		(85.29)	(73.11)	(55.17)	(72.97)	(57.89)	(72.25)
कुल योग —		68	226	87	381	19	400
		(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.0)	(100.00)

के दबाव एवं डर का कारण बताया। इनका प्रतिशत 6·89 है। सर्वाधिक 56 परिवार के मुखियों ने द्वितीय कारण पर जोर दिया कि गरीबी के कारण भूमिहीन कृषि श्रमिक बड़े भू स्वामियों के बेगार करने से इन्कार नहीं कर सकते। क्योंकि कृषक बड़े भूस्वामियों की ही वर्ष भर कृषि मजदूरी से जीविका उपार्जन होता है। अतः उनका कुछ बेगार भी करना पड़ता है जिनका प्रतिशत 64·37 है। 3 परिवार के मुखियों ने उच्च भूमिधरों के बेगार करने का तृतीय कारण यह बताया कि हमारे मकान उनकी भूमि में निर्मित हैं। अतः उनका काम न करने पर वे आवास से निकाल सकते हैं। 5 परिवार के मुखियों ने कहा कि हम आर्थिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर हैं। अतः संघर्ष नहीं कर सकते। वैधानिक मुकदमेबाजी में अत्यधिक आर्थिक व्यय उन्हें मजबूर कर देता है। ऐसे सूचनादाताओं का प्रतिशत 5·75 है। मात्र 17 परिवार के मुखियों ने अपना उत्तर दिया कि हम किसी का बेगार नहीकरते। इनका प्रतिशत 17·54है। बेगार न करने वाले ऐसे सूचनादाता अल्प भू सीमा वाले हैं और सहायक व्यवसायों से जीविका उपार्जन हेतु अर्थ कमा लेते हैं।

ग्राम डिघवट के 87 परिवार मुखियों में से 17(19·54) प्रतिशत सूचनादाता बड़े भू स्वामियों का बेगार नहीं करते हैं। एवं शेष 70 परिवार के मुखिया जिनका प्रतिशत 80·46 है जिन्हें सवर्ण भूमिधरों का बेगार करना पड़ता है। ये आंकड़े स्पष्ट प्रमाण देते है कि इस ग्राम के हरिजन वर्ग अधिकांश भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं। जैसा कि तालिका संख्या 22 में दर्शित है।

तालिका संख्या 22

क्र0सं0 आप बेगार क्यों करते हैं?	हरिजन जाति समूह
1- भूमिधर एवं जमींदारों के दबाव एवं डर से	6 (6·89)
2- गरीबी के कारण हम भूमिहीन श्रमिक इन्कार नहीं कर सकते -	56 (64·37)
3- हमारे मकान उनकी भूमि में निर्मित हैं -	3 (3·45)
4- हम आर्थिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर हैं -	5 (5·75)

क्रमशः

क्र०सं० आप बेगार क्यों करते हैं?	हरिजन जातिसमूह
5- हम बेगार नहीं करते हैं —	17 (19·54)
कुल योग —	87 (100·00)

ग्राम डिघवट के हरिजनों के बंधुआ मजदूर होने के कारण

ग्राम डिघवट में 87 हरिजन परिवार मुखिया हैं जिनसे उनके बंधुआ मजदूर होने के कारण पूछे जाने पर इनमें से 16 परिवार के मुखियों ने सवर्ण भूमिधरों के कर्ज न अदा होने के कारण पैसा अदा करने हेतु अपने बंधुआ मजदूर बनने का कारण बताया जिनका प्रतिशत 19·30 है। शेष परिवार के मुखियों ने कर्जदार न होने के बावजूद बंधुआ मजदूरी के अन्य कारणों को बताया। इन कारणों में इस ग्राम के भूमिहीन, अशिक्षा एवं उनके जातीय पेशा द्वारा पर्याप्त आय का न होना। कुछ उत्तरदाताओं ने साक्षात्कार में बताया कि इस वर्ग में पारिवारिक जनसंख्या में वृद्धि अधिक है। अशिक्षित होने के कारण इस वर्ग के लोग अपने बच्चों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा देने से वंचित रह जाते हैं। उन्हें आधुनिक तकनीकी व्यवसायों का प्रशिक्षण नहीं दे पाते। इनका परम्परागत जाति व्यवसाय अब मन्द पड़ गया है। अल्पतम मासिक मजदूरी प्रति परिवार के मुखिया को जो प्राप्त होती है उससे परिवार का मासिक खर्च वहन नहीं हो पाता। बंधुआ मजदूर बनने से बड़े भू स्वामी से जीवन की अनिवार्य आवश्यकता हेतु भोजन सामग्री पुरानी साख में उधार (कर्ज में) प्राप्त हो जाते हैं। सरकार ने इनके आर्थिक विकास हेतु अनुदान एवं कर्ज बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने का प्राविधान रखा है किन्तु इस वर्ग के सूचनादाताओं में अधिकांश अशिक्षित हैं। अतः

सरकारी-ऋण कर्ज व अनुदान लेने के वैधानिक प्राविधान को न जानने के कारण सरकारी कर्ज लेकर आधुनिक तकनीकी व्यवसायों का संचालन नहीं कर सके। भविष्य में नई पीढ़ी शिक्षित होकर इस दिशा में अग्रसर होकर आर्थिक प्रगति हेतु जागरूक है। (देखिए तालिका संख्या 21)

ग्राम डिघवट में 68 उच्च वर्गीय समूह के परिवार मुखिया हैं। जिनमें से 37 सूचनादाताओं ने ग्राम में बंधुआ मजदूरी कराये जाने की पुष्टि की जिनका प्रतिशत 45·59 है। इस तालिका से निर्गत आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम के 50 प्रतिशत से अधिक उच्च वर्ग के सूचनादाता ग्राम में बंधुआ मजदूर बनाये जाने की पुष्टि करते हैं जो उच्च वर्ग के बड़े भू स्वामियों के आतंक एवं तानाशाही के बर्ताव का प्रतीक है। यथा तालिका संख्या 23 में अंकित है।

<u>तालिका संख्या 23</u>

क्या आपके गाँव में बंधुआ मजदूर हैं। जातिगत समूह के अनुसार विश्लेषण वर्गीकृत सारणी में

क्र0सं0	क्या आपके गाँव में बंधुआ मजदूर हैं	उच्चवर्गीय जाति समूह
1-	हाँ	37 (54·41)
2-	नहीं	31 (45·59)
	कुलयोग —	68 (100·00)

निष्कर्ष

सम्बन्धित अध्ययन ग्राम डिघवट की आर्थिक संरचना के विश्लेषण करने से निम्नांकित निष्कर्ष निर्गत होते हैं —

(1) ग्राम में वर्ष 1972 से 1980 के तनावपूर्ण वातावरण में ग्राम की जजमानी व्यवस्था टूट चुकी थी। पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित वर्ग के श्रमिक वर्ग ने उच्च जाति समूह के आर्थिक शोषण प्रताड़न, अल्पमजदूरी एवं बेगार न करने का आंदोलन छेड़ दिया एवं अन्य शहरों में जाकर उच्च दर की मजदूरी पर जीवन यापन प्रारम्भ कर दिया था। अतः हमारे सर्वेक्षण काल में इस ग्राम में परम्परागत जजमानी व्यवस्था प्रायः समाप्त हो चुकी थी।

(2) ग्राम डिघवट के जाति समूहों के सूचनादाताओं के मुख्य व्यवसायों की तालिका संख्या 11 में देखने से स्पष्ट होता है कि ग्राम के कुल जाति समूह के सूचनादाताओं (परिवार मुखियों) की संख्या 400 है। उच्च जाति समूह में 18 परिवार मुखिया पिछड़े वर्ग में 226 तथा अनुसूचित वर्ग में 87 एवं मुस्लिम वर्ग में 19 परिवार मुखिया हैं। ग्राम का मुख्य व्यवसाय निजी कृषि, बटाई की खेतीः खेतिहर मजदूर है।

उच्च जाति समूह के 68 परिवारों में से 35 परिवार मुखिया निजीखेती 17 बटाई से खेती कराना, 1 खेतिहर मजदूर कुल 53 (77·94 प्रतिशत) कृषि व्यवसाय में संलग्न हैं। शेष में से वकील-1, विद्यालय शिक्षक 4, सैन्य सेवा में 5, मंदिर में पुजारी 2, एवं छोटे दुकानदार 2 हैं।

इसी प्रकार पिछड़े वर्ग के 226 परिवारों में से 137 निजी खेती करते हैं, 12 परिवार मुखिया बटाई से खेती, 38 खेतिहर मजदूर में संलग्न हैं। इस प्रकार कुल 187 परिवार मुखिया (82·74प्रतिशत) कृषि व्यवसाय से संबंधित हैं।

हरिजन जाति समूह के कुल 87 परिवार हैं जिनमें से निजी खेती 27, बटाई से खेती 4, खेतिहर मजदूर 34 कुल 65 परिवार मुखिया (74·72 प्रतिशत)

कृषि से संबंधित है।

इस ग्राम में मुस्लिम परिवार 19 है। निजी कृषि से संबंधित 7, परिवार मुखिया, खेतिहर मजदूर 11 कृषि से संबंधित कुल 18 परिवार मुखिया (94.74 प्रतिशत) हैं। एक परिवार मुखिया सिलाई का काम करता है।

कृषि व्यवसाय में संलग्न इस ग्राम के विभिन्न जाति समूहों में उच्च - जातिसमूह के 68 परिवारों में से कुल 53 हैं जिनका प्रतिशत 77.94 है। तथा पिछड़े वर्ग के 226 परिवार मुखियों में से कुल 187 परिवार मुखिया हैं, जिनका कृषि व्यवसाय का उच्चतम प्रतिशत 82.74 है। ग्राम के उच्च पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के अन्य परिवार नौकरी या व्यवसाय द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं।

(3)भूस्वामित्व की दृष्टि से इस ग्राम का कुल भूस्वामित्व 5551 बीघा है जो उच्च जाति समूह(तीन जाति) पिछड़ा वर्ग (16 जाति समूह) अनुसूचित वर्ग (4 जातिसमूह) के वर्गीकरण के अनुसार अध्ययन की दृष्टि से विभाजित किया है। उच्च जाति समूह - (ब्राह्मण बनिया, कायस्थ) के 68 परिवार मुखियों के पास 2501 बीघा(45.06 प्रतिशत भूमि है। पिछड़े वर्ग (16 जाति समूह) के 226 परिवार मुखियों के पास 2418 बीघा जो 43.54 प्रतिशत है। अतः उच्च जाति समूह एवं पिछड़ा वर्ग के कुल भूस्वामित्व में अति अल्पतम अन्तर व्यक्त होता है। इस ग्राम के गुटवाद के समाजशास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से सवर्ण जाति समूह के विरोध में सशक्त दल की संघर्षशील क्रान्तिकारी भूमिका अदा करने वाला पिछड़े वर्ग का मध्यम भू स्वामित्व रखने वाले पर्याप्त मुखियों का भूस्वामित्व एक महत्वपूर्ण कारक का कार्य करता है जो भूस्वामित्व के आकार की दृष्टि से 6.20 बीघा के अंतर्गत, उच्च वर्ग के 21(30.88 प्रतिशत) पिछड़ा वर्ग के 99 (43.81 प्रतिशत) विशेष महत्व पूर्ण सक्रिय समूह रहा। मध्यम 21 -100 बीघा के अंतर्गत उच्च जाति समूह में 42 (61.77 प्रतिशत) एवं पिछड़े जाति समूह में 19 (8.41 प्रतिशत) तथा वृहत् या लम्बी जोत सीमा 101 बीघा से अधिक के अन्तर्गत उच्च जाति समूह में 3(4.42 प्रतिशत) तथा पिछड़ा वर्ग में 1(.446) था।

हरिजन वर्ग(चमार, धोबी, कोरी, डोमार) का कुल भूस्वामित्व 503 बीघा मात्र 9·07 प्रतिशत था जिनमें 6–20 बीघा के अन्तर्गत 87 परिवारों में से 27 जिसका प्रतिशत 31·03 था एवं 21–100 बीघा के अंतर्गत 3 परिवार मुखिया 3·45 प्रतिशत का भी दलीय संघर्ष में महत्वपूर्ण सहयोग रहा। लंबी लम्बी जोत 101 बीघा से अधिक के अंतर्गत एक परिवार जिसका प्रतिशत 1·15 आते हैं, ग्राम के 19 मुस्लिम परिवारों के पास 120 बीघा भूमि जो 2·33 प्रतिशत भू-स्वामित्व व्यक्त करता है।

(4) व्यावसायिक गतिशीलता की दृष्टि से (देखिये तालिका संख्या 13) उच्च जाति समूह के 68 परिवारों में से परम्परागत व्यवसाय को 60 परिवार अपनाये हुए हैं, जो 88·23 प्रतिशत है तथा शेष 8 परिवार हैं, जिनकी व्यावसायिक भिन्नता 11·47 प्रतिशत है। पिछड़े वर्ग में कुल 225 परिवार हैं, जिनमें से 126 परिवार परम्परागत व्यवसाय करते चले आ रहे हैं जिसका प्रतिशत 55·76 है। शेष 100 परिवारों ने अपना व्यवसाय बदला है जिसका प्रतिशत 44·24 है। अनुसूचित वर्ग (धोबी, चमार कोरी, डोमार) के अंतर्गत 87 परिवार मुखिया हैं जिनमें से 26 परिवार परम्परागत व्यवसाय अपनाये हुए हैं, जिनका प्रतिशत 29·89 है। तथा 61 परिवारों ने अपना परम्परागत व्यवसाय बदल दिया है जिनका प्रतिशत 77·11 है।

इस ग्राम में 19 मुस्लिम परिवार हैं जिनमेंसे 15 परिवार(78·95%) ने परम्परागत व्यवसाय अपनाये हुए हैं मात्र 4 परिवारों(21·05 %) ने अपना व्यवसाय परिवर्तित कर दिया है।

इस ग्राम के विभिन्न जाति समूहों में व्यावसायिक गतिशीलता की दृष्टि से उच्च जाति समूह में 11·77 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग में 44·24 प्रतिशत एवं अनुसूचित वर्ग में सर्वाधिक व्यावसायिक गतिशीलता ~~१०~~ 70·11 प्रतिशत है। मुस्लिम

जाति समूह में मात्र 21·05 प्रतिशत है। यह अनुसूचित जाति समूह की सर्वाधिक व्यावसायिक गतिशीलता भूमिहीन श्रमिक होने के कारण जीवन यापन के हेतु उपलब्ध बल एवं अवसर किसी भी व्यवसाय में अपने आप के व्यवस्थापन जीवन हेतु व्यवस्थापन डार्विन के सिद्धान्त की पुष्टि करता है।

(5) व्यावसायिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से उत्तम व्यवसाय निजी कृषि, मध्यम व्यवसाय एवं निकृष्ट नौकरी माना जाता था किन्तु शैक्षिक महत्व से प्रशासिक पदों की गरिमा को भी अब महत्व प्रदान किया जाता है। ब्राह्मणों के कर्म में मंदिर में पुजारी का कार्य एवं कर्मकाण्डीय कार्य पवित्रता की दृष्टि से अब भी उच्च व्यावसायिक प्रतिष्ठा रखता है। डोमार, धोबी, चमार, नाई बारी का कार्य समाज में निम्न या हेय माना जाता है, अतः निम्नजाति के उच्च पदों में आसीन एवं राजपत्रित अधिकारियों ने अपने परिवारों के परम्परागत जातीय व्यवसायों में परिवर्तन अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप अन्य व्यवसायों का चयन कर अपना लिये हैं इस प्रकार जातीय परम्परागत व्यवसायों में अब आधुनिक समय में तीव्रता से गतिशीलता आ रही है। यथा समाज शास्त्रीय शोध अध्ययन ग्राम डिवट के तेल पेरने वाली जाति तेली (पिछड़ी जाति) के पिछड़े वर्ग के नेता जो ग्राम के प्रा0पा0 के शिक्षक हैं उनका सरकारी नौकरी के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय निजी कृषि है।

(6) ऋणग्रस्तता की दृष्टि से इस ग्राम के विभिन्न जाति समूहों की स्थिति (देखिये तालिका संख्या 18) निम्नवत है।

इस ग्राम के उच्च जाति समूह के 68 परिवारों में से 8 जमींदारों द्वारा (11·76 प्रतिशत), दो सरकारी समितियों द्वारा (2·95 प्रतिशत), कुल 10 परिवार (14·71 प्रतिशत) कर्ज लेते हैं शेष 58 परिवारों ने कर्ज नहीं लिया जो 85·29 प्रतिशत है।

पिछड़ावर्ग के 226 परिवार मुखियों में से जमींदारों द्वारा 51 (22·57 प्रतिशत) सरकारी समितियों द्वारा, 2 (·88प्रतिशत) जाति पंचायतकोष से, एक (·44 प्रतिशत) कुल 54 परिवार मुखियों (23·89 प्रतिशत) ने कर्ज लिया शेष 172 परिवार मुखिया (76·11 प्रतिशत) कोई कर्ज नहीं लेते।

इसी प्रकार 87 अनुसूचित परिवार मुखियों में से 39 परिवार मुखिया (39·83 प्रतिशत) कर्जदार हैं शेष 48 परिवार मुखिया (55·17 प्रतिशत) कोई कर्ज नहीं लेते।

इस ग्राम के 19 मुस्लिम परिवार मुखियों में से 8 (42·11 प्रतिशत) कर्जदार हैं शेष 11 परिवार मुखिया (57·89 प्रतिशत) कर्ज नहीं लेते।

पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के परिवार मुखियों ने यह कर्ज जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए लिया है। जुआ खेलने हेतु लिये गये कर्ज को वे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा में मानहानि समझकर व्यक्त नहीं करते जो कि अत्यधिक प्रतिशत में इन्हें कर्जदार बना कर बंधक मजदूर बनने को बाध्य कर देता है।

अनुसूचित वर्ग के 8 परिवार मुखियों में से 17 परिवार मुखियों (19·3 प्रतिशत) ने सवर्ण भूमिधरों के कर्ज न अदा कर पाने के कारण बंधक मजदूर बनने की पुष्टि की। शेष 70 परिवार मुखियों ने कर्जदार न होने की पुष्टि साक्षात्कार में दी। (देखिये तालिका संख्या 23)।

सवर्ण जाति समूह के 68 परिवार मुखियों में से 37 (54·41प्रतिशत) ने अनुसूचित वर्ग के धनहीन कर्जयुक्त श्रमिकों को बंधक मजदूर बनाने की पुष्टि की शेष 31 सवर्ण परिवार मुखियों (45·59 प्रतिशत) ने इससे इनकार किया। अतः बहुमत से पुष्टि इस सत्यता को सिद्ध करता है कि सवर्ण बड़े भूस्वामियों द्वारा पिछड़े एवं अनुसूचित वर्ग के अल्पभूमि एवं भूमिहीन श्रमिकों का अल्प मजदूरी में अधिक काल अवधि तक काम प्रताड़न एवं आर्थिक शोषण किया गया। ग्राम में सवर्ण समूह के विरोध में

पिछड़ा एवं अनुसूचित वर्ग के संघर्षशील गुट द्वारा क्रान्ति के पश्चात् इन्हें इस अमानवीय प्रताड़न से छुटकारा मिल सका।

ग्राम के विभिन्न जाति समूहों में वितरित भूस्वामित्व से ग्राम की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है जिससे सवर्ण समूह के पास ग्राम की कुल भूमि5551 बीघा का 2501 बीघा (45·06 प्रतिशत) भूमि का स्वामित्व पिछड़े वर्ग (16जातिसमूह) के पास 2418 बीघा (43·54 प्रतिशत) भूस्वामित्व है अतः इन दोनों सवर्ण एवं पिछड़ा वर्ग के भूस्वामित्व में अति अल्पतम अंतर है जो लगभग बराबर है तभी गुटीय संघर्ष में पिछड़ा वर्ग को अनुसूचित जातियों के संरक्षण में सफलता मिल सकी। पिछड़े वर्ग में भी 6·20 बीघा भू स्वामित्व वाले मध्यम भू सीमा वाले 99 परिवार मुखिया(43·81) जबकि उच्च वर्ग के इस वर्गान्तराल में 6-20 बीघा के अन्तर्गत 21 परिवार मुखिया है जिनका प्रतिशत 30·88 है। इन्हीं पिछड़े वर्ग के मध्यम भू स्वामियों ने सवर्ण जाति समूह के बड़े भू स्वामियों ने गुटीय संघर्ष में क्रान्तिकारी भूमिका अदा की। क्योंकि ये व्यक्ति सवर्ण बड़े भू स्वामियों के आश्रित नहीं थे और न ये पिछड़े एवं अनसूचित वर्ग का शोषण करते थे। अतः स्वतंत्र होने के कारण भूमिहीन अनुसूचित वर्ग के सवर्णों द्वारा आर्थिक शोषण बंधुआ मजदूरी एवं अल्प मजदूरी का विरोध कर न्यायसंगत व्यवस्था को कायम कर सके।

पंचम अध्याय

राजनैतिक संरचना

प्रस्तुत अध्याय राजनैतिक संरचना के अन्तर्गत हम सदर्भित अध्ययन ग्राम डिघवट की राजनैतिक संरचना का अध्ययन करेंगे। एवं इस शोध में विषय हेतु निर्मित की गयी उपपरिकल्पना 'राजनैतिक शक्ति तथा आर्थिक सुविधाओं का गाँव के समूहों में असमान वितरण ग्रामीण गुटवाद को जन्म देता है" जिसका परीक्षण डा० बी०एन०सेठ ने अपने शोध ग्रन्थ "हरिजन विद्रोह" 1982 में परीक्षक किया था। इस उपपरिकल्पना के परीक्षण का सत्यापन भी हम इस अध्याय में करेंगे एवं ग्राम पंचायत के चुनावों में 'राजनैतिक चेतना का प्रसार गुटवाद को जन्म देता है' इस उपपरिकल्पना का तथा 'गुटवाद ग्राम पंचायत के चुनाव के कारण विकसित होता है' इस उपपरिकल्पना का परीक्षण एवं सत्यापन भी प्रस्तुत अध्याय में करेंगे।

ग्रामीण शक्ति संरचना का अध्ययन भारत के अनेक समाजशास्त्रियों ने किये कुछ प्रमुख का संक्षिप्त निष्कर्ष निम्नवत है —

योगेन्द्र सिंह(1958) उद्धृत ए०आर० देसाई (1959 : 722)—

"भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के अनुसार — ने अपने ग्रामीण अध्ययन में ग्राम की कुछ विशेष प्रवृत्तियों को अंकित किया है जो ग्रामीण समुदाय की ग्रामीणशक्ति संरचना में गतिशीलता लाती है।

(1) कुछ ग्रामीण उच्च जातियाँ (राजपूत, ब्राह्मण, तथा भूमिधर) तथा वर्ग (भूमिधर तथा कर्मचारी) जिनके हाथों में ग्रामीण शक्ति संरचना निरंतर निर्भर करती है, एक गाँव से दूसरे गाँव में भिन्नता रखती है किसी गाँव में प्रत्यक्ष प्रभाव रखते है किसी में अप्रत्यक्ष प्रभाव या गुप्त रूप से प्रभावित करते हैं।

(2) ग्रामीण शक्ति के लिए उग्र प्रतियोगिता निम्नजातियों तथा वर्गीय समूहों में संगठन के आधार पर बनी। यह ग्रामीण प्रवृत्ति जो जातीय समूह के रूप में बनी वर्गीय समूह

से अधिक सत्यता रखती है। इस जातीय सहयोग ने पारिवारिक समूह का या पारि-वारिक दलों का रूप ले लिया जिससे ग्रामीण समुदाय छोटे छोटे उपसमूह या दलों में ही नहीं बदले बल्कि इससे गाँवों में सामाजिक तनाव एवं संरचनात्मक जीवन में समुदाय परिवर्तित होगये।

(3) अब भी ग्रामीण राजनीति निरंतरता रखती थी, जो गाँवों में जातीय समूह या वर्गों के शोषण पद्धति को प्रभावित एवं निश्चित रूप से चल रही थी ग्रामीण समूह परम्परावादी ग्रामीण समूहों में आर्थिक शोषण के नियंत्रण के पक्ष में आगाये एवं ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन एवं वृद्धि हेतु तथा ग्रामीण शक्ति संरचना की गतिशीलता हेतु लागू किये जा रहे है।

योगेन्द्र सिंह जी के ग्रामीण अध्ययन से जो निष्कर्ष मिले उनमें प्रथम कि कुछ ग्रामीण उच्च जातियाँ तथा वर्ग (भूमिधर तथा कर्जदाता) जिनके हाथों में ग्रामीण शक्ति संरचना निर्भर करती है, एक गाँव से दूसरे गाँव में भिन्न ता रखती है। तथा किसी गाँव में प्रत्यक्ष तथा में किसी में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।

अध्ययन हेतु सर्वेक्षित ग्राम डिघवट में भी उच्च ब्राह्मण बड़े भू स्वामी जमींदार द्वारा अनवरत देश की आजादी के बाद 1972 तक ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में प्रशासन रहा और अपने ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के अधिकारों का ग्राम की जनता पर प्रति रोध के बावजूद प्रयोग करता रहा। इस बात की पुष्टि आंद्रे बेते के ग्रामीण अध्ययन से भी सत्यापित होती है। आंद्रे बेते (1969 : 44-45) 'जाति वर्ग और शक्ति' — ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कुछ अधिकारों को रखता है, वह दूसरे लोगों के प्रतिरोध करने के बावजूद भी वह अपनी इच्छा को दूसरों पर लागू कर देता है। उन तरीकों द्वारा जो कानून द्वारा उसे प्राप्त हैं। इस प्रकार के कर्मचारी तंत्र के सदस्य विरोध के बावजूद अपना आधिपत्य रखते हैं।

गाँवों में ग्रामीण शक्ति संरचना उच्च जाति समूह तथा निम्न एवं पिछड़ी जातियों के मध्य ग्राम पंचायत में अपनी अपनी साझेदारी रखने हेतु पृथक पृथक संघर्ष समूहों में अक्सर विभाजित हो जाते है यही स्थिति प्रान्तीय दलों के चुनावों में भी प्रदर्शित होती है ऐसा आन्द्रे बेते भी अपने अध्ययन में स्वीकार करते हैं। यथा —
आंद्रे बेते (1969 : 45) ग्रामीण स्तर पर ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण का संघर्ष एक नये क्षेत्र का स्थापन करते हैं। जबकि पहिले वाले लोग स्वतंत्र पार्टी से संबंधित होते थे, और बाद वाले कांग्रेस या अन्य दल से संबंधित होते थे।"

सामाजिक जातीय स्तरीकरण में जातीय उच्च 'प्रभु एवं निम्न जाति वृहद् भू सीमा एवं लघु भूसीमा तथा भूमिहीन श्रमिक से पृथक ग्राम के दो महत्वपूर्ण जातीय संगठित समूहों (उच्च जाति समूह तथा हरिजन, पिछड़ी जाति समूह) का ग्रामीण शक्ति संरचना के विश्लेषण के लिए ग्राम पंचायत एवं जाति पंचायत को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ग्राम डिघवट के सूचनादाताओं के भू स्वामित्व एवं भूमि हीन परिवार मुखियों का जाति समूहों का विशद विवेचन अध्याय 4 ग्राम आर्थिकी में किया जा चुका है। अब संबंधित ग्राम की ग्रामीण शक्ति संरचना को ग्राम के दोनों संघर्षशील समूहों (प्रथम सवर्ण बड़े भू स्वामी एवं द्वितीय लघु भू सीमा अथवा भूमिहीन अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग के कृषि श्रमिकों का समूह) को प्रभावित करने वाले दोनों गुटों के ग्रामीण नेताओं और जाति नेताओं एवं तत्संबंधी राजनैतिक दल तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व रखने वाले बाह्य नेतृत्व कारी व्यक्तियों से संबंध जो ग्रामीण संघर्ष समूहों के सक्रिय क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं, विवेचन किया जा रहा है —

ग्रामीण शक्ति संरचना

ग्रामीण शक्ति संरचना का विश्लेषण ग्राम डिघवट के गुटवाद के विकास की एक बहुमूल्य अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है। ग्राम डिघवट की विगत दो पंचायतें प्रथम गुटबन्दी पूर्व 1967 से 1972 एवं द्वितीय 1972 से 1977 गुटबन्दी बाद के चुनावों में

विजित सदस्यों के जातीय विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ग्राम में गुटबन्दी पूर्व वर्ष 1951 से 1967 तक के चुनावों में परम्परागत बड़े भू स्वामी ब्राह्मण जमींदार का ही प्रभुत्वपूर्ण एकाधिकार प्रशासन रहा है। ग्राम पंचायत वर्ष 1967 गुटबन्दी पूर्व में भी 50 प्रतिशत सदस्य अर्थात् कुल 14 सदस्यों में 7 सदस्य ब्राह्मण ही थे जिसमें ग्राम-पंचायत के आधिकारिक पद ग्राम प्रधान एवं उपप्रधान पद पर ब्राह्मण ही आसीन रहे। ग्राम की संघर्षपूर्ण स्थिति में उक्त गुटीय गुटबन्दी के कारण पिछड़ी जाति एवं हरिजन वर्ग के संगठनात्मक विरोध के कारण 1972 के ग्रामीण चुनाव में 14 सदस्यों में से मात्र 3 ब्राह्मण एवं शेष 11 सदस्य पिछड़ी एवं हरिजन (9 - 2) सदस्य इसी वर्ग से विजयी हुए। जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी पद ग्राम प्रधान एवं उप प्रधान के पद पर क्रमशः एक लोहार जाति का एवं एक चमार जाति (हरिजन) का व्यक्ति चयनित हुआ। जिससे ब्राह्मण बड़े जमींदार के एकाधिकार वाले प्रभुत्वपूर्ण ग्रामीण शक्ति संरचना में प्रशासन का हस्तान्तरण प्रथम बार ग्राम में एक पिछड़ी जाति के लुहार नवयुवक के हाथ में आया जिससे इस दमित सर्वहारा समुदाय के गुट को राजनैतिक शक्ति का सम्बल प्राप्त हुआ। एवं आर्थिक शोषण बेगार तथा दमन पूर्ण उच्च वर्ग के अमानवीय ग्रामीण प्रशासन से हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के अल्प भूमि एवं भूमिहीन श्रमिकों का उत्पीड़न समाप्त हुआ। इस प्रकार निर्बल पराश्रित वर्ग को उच्च वर्ग से विरोध की शक्ति एवं इस ग्राम की ग्रामीण शक्ति संरचना में राजनैतिक गतिशीलता से वांछित ग्रामीण विकास हेतु राजनैतिक जागरूकता का सुअवसर प्राप्त हुआ।

ग्राम पंचायत :-

"शक्ति के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सामना करने हेतु 1959 में पंचायत राज की स्थापना की गयी। सामुदायिक विकास योजनाओं के पुर्नसुधार के लिए भी " ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष एवं ग्रामीण सदस्यों द्वारा ये ग्राम पंचायत कृषि

उत्पादन ग्रामीण उद्योगों चिकित्सीय सुविधाओं, महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु जच्चा-बच्चा गृह , सामान्य पशु चारागाह में ग्रामीण मार्गों एवं सड़कों तालाबों एवं कुओं और स्वच्छता की व्यवस्था कुछ स्थानों में यह प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण अभिलेखों भूमि की मालगुजारी (बाकी) के संग्रह के कार्यों को भी उत्तरदायित्वपूर्ण देखती है।" (भारत 1975) प्रकाशन विभाग भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा उद्धृत डा0 वी0एन0सेठ 1980)।

डा0वी0एन0सेठ 1980 —"हरिजन विद्रोह के अनुसार " वर्तमान समय में 2, 22054 ग्राम पंचायतें 41-51 करोड़ जन संख्या के विस्तार का संरक्षण देती हैं। ये समस्त केन्द्र शासित क्षेत्रों लक्षद्वीप, मिजोरम और पाडिचेरी को छोड़कर विस्तृत हैं। इसके अलावा यहाँ 4, 095 पंचायत समितियाँ और 232 परिषदें भारत में हैं। लेकिन कुछ चीजों में हमें सन्देह है कि ग्राम पंचायतें द्वारा ग्रामों की परम्परागत ग्रामीण शक्ति संरचना में कटाव पैदा हो गया है। हमें विश्वास है कि विरोधी तत्व के रूप में प्रारम्भिक ग्रामीण शक्ति संरचना की भाँति उच्च जाति के लोग प्रभुत्व को अनवरत प्राक्षित कर रहे हैं। जब हम ग्राम डिघवट के ग्राम पंचायत के विश्लेषण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस ग्राम के सन्दर्भ में चयनित ग्राम पंचायत के सदस्यों की जाति, भू स्वामित्व व्यवसाय और शिक्षा का विवेचन करेंगे। हम, ग्रामीण संरचना में शक्ति अर्जित समूहों की प्रकृति एवं प्रकार के विस्तृत विश्लेषण की विशेष अभिरुचि एवं जिज्ञासा रखते हैं। इसका अनुसंधान भी समान महत्व रखता है कि कि शक्ति संरचना अधिक और कम स्थिर है और कहाँ परिवर्तन प्रदर्शित करता है। यहाँ दोनों संघर्षशील जाति समूहों प्रथम भूमिधर सवर्ण एवं द्वितीय अल्प भूमि या भूमिहीन हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग समूह के लोगों का ग्रामीण शक्ति संरचना में अन्वेषण करके पता लगाने का हमारा प्रयास भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यही एक गुट सवर्ण भूमिधर धन सम्पन्न आक्रामक एवं आर्थिक शोषक भी है

जबकि दूसरा जातीय संगठन का गुट अल्प भूमि या भूमिहीन अस्पृश्य हरिजन निर्बल, दलित समूहों का तथा इनके संरक्षार्थ इनका सहयोगी पिछड़ी जाति समूह के व्यक्तियों का है।

वर्ष 1967 की ग्राम पंचायत में चयनित सदस्यों की पृष्ठभूमि का विश्लेषण वर्तमान ग्राम पंचायत के सदस्यों को निश्चित करता है। और यह एक चुनाव इसके तत्काल बाद वर्ष 1972 में सम्पादित हुआ। इसके बाद 1977 में ग्राम पंचायत का चुनाव सम्पादित होना था। किन्तु इसकी अवधि बढ़ती गयी और यह चुनाव 1982 मई जून में सम्पन्न हुआ।

जब हम ग्राम छिधवट के विगत दो ग्राम पंचायतों के चयनित सदस्यों की पृष्ठभूमि उनकी जाति वर्ग, भूमि व्यवसाय एवं शिक्षा के आधार विश्लेषण प्रस्तुत करते कर रहे हैं।

ग्राम छिधवट में अतीत काल से ब्राह्मण बाहुल्य होने के कारण इन ही ब्राह्मणों का ही ग्रामीण शक्ति संरचना में प्रभुत्व रहा है। ग्राम में उग्र संघर्षशील गुट निर्मित होने से पूर्व (1967 तक के ग्राम पंचायत के चुनाव में ग्राम के परम्परागत भूतपूर्व ग्राम प्रधान बड़े भू स्वामी उच्च जाति के ब्राह्मण जमींदार ही प्रमुख पूर्ण ग्राम प्रधान पद पर प्रतिष्ठित रहे हैं। ग्रामपंचायत 1972 के चुनाव में ग्राम के हरिजन एव पिछड़ा वर्ग समूह के संगठित विरोध के कारण ग्रामीण शक्ति संरचना में अमूल्य परिवर्तन हुआ। लोकतांत्रिक वैधानिकताओं के माध्यम हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग समूह ने परम्परागत ब्राह्मण ग्राम प्रधान के एकाधिकार शोषण पूर्ण अमानवीय प्रवृत्ति से त्रस्त होकर ग्रामीण शक्ति संरचना में स्वयं भागीदार होने का संघर्ष योजना बद्ध किया, क्योंकि ग्रामीण शक्ति संरचना का मुख्य प्रशासन शक्ति के विकेन्द्रीकरण लोकतांत्रिक सरकार की प्रणाली मेंग्राम प्रधान ही होता है औरवर्ष 1972 के ग्राम पंचायत के चुनाव में एक पिछड़ी जाति का 38 वर्षीय लोहार नवयुवक ग्राम प्रधान विजित हुआ। तथा परम्परागत

प्रराम्भिक ब्राह्मण ग्राम के सबसे बड़े जमींदार की 37 मतों से पराजय हुई।

ग्राम डिघवट में जमींदारी उन्मूलन के पूर्व ग्राम के सबसे बड़े जमींदार ब्राह्मण ही थे अतः इन्हीं के वंशजों के हाथ में ग्रामीण शक्ति संरचना संचालित होती चली आई तथा वर्ष 1967 तक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान पद पर आसीन रहे। ग्राम के पोस्ट आफिस का कार्यालय भी इन्हीं बड़े भू स्वामी ब्राह्मण के बड़े लड़के द्वारा क्रियान्वित होता रहा अतः ग्रामीण पत्राचार भी इन्हीं के हाथों में नियंत्रित रहा अपने विरोधियों के पत्र भी गुम कर देते रहे। अतः सरकारी प्रशासन के कर्मचारी भी इन्हीं से संबंधित एवं नियंत्रित होते रहे अतः ग्राम का स्वाधिकार पूर्ण प्रशासन प्रभुत्व पूर्ण ढंग से ये ही करते चले आये।

इस ग्राम में उच्च जाति के 68 परिवार मुखिया जो 17 प्रतिशत है, 54 ब्राह्मण 10 वैश्य 4 कायस्थ 16 जाति समूहों में जो 56.50 प्रतिशत है। हरिजन जाति समूह में 87 परिवार मुखिया जिनका प्रतिशत 21.75 है। 19 मुसलमान परिवारों के मुखिया जो 4.75 प्रतिशत है।

इस ग्राम के भूतपूर्व जमींदार ब्राह्मण ग्राम प्रधान अपने आर्थिक स्रोतों एवं सामाजिक व्यवहारों के कारण ग्राम पंचायत 1967 के चुनाव में कुल 14 सदस्यों में से 7 उच्च जाति के 6 ब्राह्मण, 1 बनिया, 6 पिछड़ा वर्ग समूह से संबंधित, अहीर 3, केवट 2, कुम्हार 1, और मात्र एक हरिजन जाति समूह का चमार 1 चुना गया। (यथा देखिए तालिका संख्या 24)।

ग्राम पंचायत का प्रधान एवं उप प्रधान दोनों उच्च वर्ग समूह ब्राह्मण जाति के है जो 162 एवं 50 बीघा भूमि स्वामित्व रखते हैं। प्रथम प्रधान के जमींदार के समय करीब 300 बीघा भूमि थी। भूमि आवंटन एवं भूमि के सीलिंग के पश्चात् अब वर्तमान समय में 162 बीघा भूमि नदी के अत्यन्त उपजाऊ क्षेत्र की शेष है। वर्ष 1967 के ग्राम प्रधान के चुनाव में लोकतांत्रिक प्रणाली के अनिवार्य कोटा की वैधानिकता पूर्ति

हेतु ही इस गाँव के हरिजन आरक्षित सदस्यता हेतु । चमार सदस्य को चयनित किया गया है। यह मात्र पंचायत राज ऐक्ट की वैधानिकता मात्र का ही प्रतीक है।

उपर्युक्त ग्राम पंचायत की संरचना ने ग्राम में उग्र गुटीय भावना का अभ्युदय किया। ग्रामीण शक्ति संरचना में उच्च जातिय ब्राह्मण के प्रभुत्व के विरोध में हरिजन एवं पिछड़ी जाति का संगठन अपने वर्ग के हितों के संरक्षण शनैः शनैः निर्मित होने लगा।

तालिका संख्या 24

वर्ष 1967 में ग्राम पंचायत के चुनाव में विजित सदस्य एवं कार्यालय कर्मचारियों का ग्राम बिधयट में जाति, शिक्षा का स्तर, भूस्वामित्व और व्यवसाय के अनुसार (ग्राम में गुटबन्दी पूर्वः विश्लेषण)।,—

क्र0सं0	जाति	कार्यालय कर्मचारी	शिक्षा का स्तर	भूस्वामित्व (बीघामें)	व्यवसाय
1-	ब्राह्मण	प्रधान	प्राथमिक	162	निजीखेती
2-	ब्राह्मण	उपप्रधान	प्राथमिक	50	निजीखेती
3-	ब्राह्मण	सदस्य	प्राथमिक	40	निजीखेती
4-	ब्राह्मण	सदस्य	प्राथमिक	75	निजीखेती
5-	ब्राह्मण	सदस्य	प्राथमिक	40	निजीखेती
6-	ब्राह्मण	सदस्य	प्राथमिक	50	निजीखेती
7-	बनिया	सदस्य	जू0हाईस्कूल	45	निजीखेती
8-	अहीर	सदस्य	प्राथमिक	8	निजीखेती
9-	अहीर	सदस्य	जू0हाईस्कूल	30	निजीखेती
10-	अहीर	सदस्य	प्राथमिक	40	निजीखेती
11-	केवट	सदस्य	निरक्षर	40	निजीखेती
12-	केवट	सदस्य	प्राथमिक	60	निजीखेती
13-	कुम्हार	सदस्य	निरक्षर	20	निजीखेती-मजदूरी
14-	चमार	सदस्य	निरक्षर	20	निजीखेती-मजदूरी

स्रोत :— ग्राम सर्वेक्षण के समय सूचनादाताओं से साक्षात्कार द्वारा।

ग्राम पंचायत शक्ति संरचना का बदलाव और गुटवाद

वर्ष 1967 की ग्राम पंचायत चुनाव तक ग्राम के सबसे बड़े ब्राह्मण जमींदार ही ग्राम प्रधान का चुनाव जीतते रहे एवं ग्राम के प्रशासनिक अध्यक्ष होने के कारण सरकारी अनुदानों का उपयोग अपने निजी हितों में करते रहे। क्षेत्रीय विकास अधिकारी तिवारी द्वारा 3000/- (तीन हजार रुपये) का अनुदान एक ग्राम के कुँआ निर्माण के लिए दिया था जिसका उपयोग ग्राम प्रधान ने अपने निवास के घर के कुँऐ के निर्माण मे किया इसी प्रकार वर्ष 1966 की नदी बाढ़ के कारण घरों के गिरने के कारण 80/- प्रति व्यक्ति बाढ़ में पीड़ितों की भवन क्षतिपूर्ति के लिए दिया गया जिसका आधा पैसा ही उन्हें दिया गया।

इन ग्रामीण गतिविधियों से हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के प्रबुद्ध नेतृत्व कारी व्यक्ति क्षुब्ध हो उठे है और इन सरकारी प्रशासनिक सुविधाओं का सही उप-योग करने हेतु ग्राम पंचायत में अपना आधिपत्य होने पर ही संभव है अतः इन हरि-जन एवं पिछड़ा वर्ग के असंतुष्ट समूह के लोगों से राजनैतिक ध्रुवीकरण की चेतना जाग्रत हुयी। इस उच्च जाति समूह के प्रभुत्वपूर्ण एवं एकाधिकार की ग्रामीण शक्ति संरचना में आमूल परिवर्तन लाकर ही सरकार द्वारा प्रदत्त ग्राम विकास के हेतु अनुदानों का उपयोग आर्थिक शोषण से बचाव उच्च वर्ग के जमींदारों के द्वारा भूमिहीन श्रमिकों पर अमानवीय वर्ताव, बेगार एवं बंधुआ मजदूरी को रोकने हेतु हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग समूह में संगठन एवं सहयोग की भावना दृढ़ होने लगी।

भूतपूर्व परम्परागत तीन पंच वर्षीय योजनाओं के चुने हुए ब्राह्मण प्रधान से असन्तुष्ट हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग समूह जो अनवरत आर्थिक शोष अमानुषिक उत्पी-ड़न से त्रस्त था इनके विरोध में हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग की ओर से वर्ष 1972 के ग्राम पंचायत के चुनाव में एक लोहार नवयुवक को ग्राम प्रधान हेतु खड़ा किया गया।

फलतः भूतपूर्व परम्परागत बड़े भू स्वामी ब्राह्मण 37 मतों से ग्राम प्रधान के चुनाव में पराजित हुए। उपप्रधान के पद में भी विगत ग्राम पंचायत के ब्राह्मण उप-प्रधान के स्थान में एक चमार उपप्रधान पद हेतु विजित हुए एवं ब्राह्मण व्यक्ति पराजित हुआ। नवीन ग्राम पंचायत की संरचना और चयनित ग्राम ग्राम डिधवट में वर्ष 1972 में ग्राम पंचायत के चुनाव में विजित सदस्य एवं कार्यालय कर्मचारी- जाति शिक्षा का स्तर, भू स्वामित्व, और व्यवसाय के अनुसार (गुटबन्दी के बाद) 25 में प्रदर्शित है।

तालिका संख्या 25

वर्ष 1972 में ग्राम पंचायत के चुनाव में विजित सदस्य एवं कार्यालय कर्मचारियों का ग्राम डिधवट में जाति, शिक्षा का स्तर, भूस्वामित्व और व्यवसाय के अनुसार

(ग्राम में गुटबन्दी के बाद) विश्लेषण

क्र0सं0	जाति	कार्यालयकर्मचारी	शिक्षा स्तर	भूस्वामित्व (बीघा में)	व्यवसाय
1-	लोहार	प्रधान	प्राइमिक	25	निजीखेती
2-	चमार	उपप्रधान	कक्षा - 4	150	निजीखेती
3-	चमार	सदस्य	निरक्षर	25	निजीखेती
4-	लोहार	सदस्य	कक्षा 8	60	निजीखेती
5-	लोहार	सदस्य	कक्षा 3	12	निजीखेती
6-	तेली	सदस्य	कक्षा 3	6	निजीखेती
7-	केवट	सदस्य	निरक्षर	40	निजीखेती
8-	केवट	सदस्य	निरक्षर	10	निजीखेती
9-	अहीर	सदस्य	कक्षा 6	25	निजीखेती
10-	अहीर	सदस्य	निरक्षर	26	निजीखेती
11-	कुम्हार	सदस्य	निरक्षर	25	निजीखेती
12-	ब्राह्मण	सदस्य	कक्षा 4	23	निजीखेती
13-	ब्राह्मण	सदस्य	कक्षा 4	4	निजीखेती
14-	बनिया	सदस्य	कक्षा 8	20	निजीखेती

स्रोत :- ग्राम सर्वेक्षण काल में सूचनादाताओं से साक्षात्कार द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जाति विश्लेषण एवं भू स्वामित्व उनके रेवेन्यु के आधार पर संकलित।

वर्ष 1972 की ग्राम पंचायत के चुनाव में चुने हुए पदाधिकारी एवं सदस्यों की संरचना से यह प्रत्यक्ष प्रदर्शित होता है कि विगत तीन पंच वर्षीय योजना से अनवरतता बनाये रहने वाले प्रभुत्वशाली ब्राह्मण जमींदार के एकाधिकार पूर्ण ग्रामीण शक्ति संरचना में ग्राम के पिछड़े एवं हरिजन वर्ग के संगठित जाति समूहों के द्वारा लोकतान्त्रिक मताधिकार पद्धति का उपयोग करके ग्रामीण शक्ति संरचना में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया गया। जिससे ग्रामीण नेतृत्व में परिवर्तन आया। और एक नवीन नेता द्वारा ग्रामीण नेतृत्व का अभ्युदय हुआ। ग्रामीण शक्ति संरचना का यह परिवर्तन ग्राम के परम्परागत प्रशासनिक नेतृत्व में अविच्छिन्नता के क्रम को प्रदर्शित करता है वर्ष 1967 से ग्राम पंचायत में ब्राह्मण सदस्यों एवं पदाधिकारियों की संख्या तालिका संख्या 24 में उच्च वर्ग समूह के 6 व्यक्ति चयनित थे। वर्ष 1972 के चुनाव में उच्च वर्ग की यह संख्या घटकर मात्र 3 (2 ब्राह्मण, एक बनिया) थी। इस प्रकार नवीन ग्राम पंचायत में उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व जो वर्ष 1967 में 9 सदस्य संख्या थी वह इस नवीन ग्राम पंचायत 1972 के चुनाव में उच्च वर्ग के सदस्यों की संख्या मात्र 3 रह गयी। एवं पिछडे वर्ग में 9 (अहीर 2, केवट 2, लोहार 3, तेली 1, कुम्हार 1, और हरिजन जाति समूह में सदस्य संख्या 2 चमार चुने गये। विगत ग्राम पंचायत के चुनावों की जातीय विश्लेषण को अवलोकित करते हुए यह प्रत्यक्ष प्रमाणित होता है कि लोहार 3, तेली 1, इन पिछड़ी जाति समूह के सदस्यों का ग्राम पंचायत में प्रथम बार ही प्रवेश हुआ है। यह एक आश्चर्यजनक जागरूकता इस वर्ग में इस ग्राम की शक्ति संरचना में प्रदर्शित करता है। देखिये तालिका संख्या 26)।

अतः गुटों के ध्रुवीकरण के पूर्व (1969) अ गुट सवर्ण भूमिधरों में सदस्य संख्या 7 एवं हरिजन तथा पिछडी वर्ग के ब गुट में 67(चमार पिछड़ी जाति 6) सदस्य है अतः दोनों गुटों के सदस्यों का ग्राम पंचायत (1969) में 50 प्रतिशत प्रत्येक गुट का प्रतिनिधित्व था।

तालिका संख्या 26

ग्राम डिघवट में गुटबन्दी के पूर्व (1967 के ग्राम पंचायत) एवं गुटबन्दी के बाद ग्राम पंचायत (1972) में चुने हुए सदस्यों का जातिगत विवरण :-

जाति वर्गीकरण	गुटबाद निर्माण के पूर्व 1967 ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या		गुटबाद निर्माण के बाद 1972 ग्राम पंचायत में सदस्य-संख्या	
उच्च जाति समूह				
1- ब्राह्मण	6	7	2	3
2- बनिया	1		1	
पिछड़ा वर्ग समूह				
अहीर	3	6	2	9
केवट	2		2	
लोहार	0		3	
तेली	0		1	
कुम्हार	1		1	
हरिजन जाति समूह				
चमार	1	1	2	2
योग —		14		14

स्रोत :: ग्राम सर्वेक्षण के समय सूचनादाताओं से साक्षात्कार के समय।

गुटों के ध्रुवीकरण के बाद (1972) में अ गुट के मात्र 3 सदस्य (2 ब्राह्मण, 1 चमार) अहीर 2, केवट 2, लोहार 2, तेली 1, कुम्हार 1, और हरिजन जाति समूह के 2 (दोनों चमार) इस प्रकार ब गुट में दोनों जाति समूह के सदस्यों की सम्मिलित संख्या 11 हो गयी जिसके ग्राम पंचायत (1972) में प्रतिनिधित्व का प्रतिशत 78·57 हो गया जो तालिका संख्या 28 में प्रदर्शित है —

तालिका संख्या 28

ग्राम डिघवट में राजनैतिक ध्रुवीकरण होने के पूर्व (1967) एवं राजनैतिक ध्रुवीकरण होने के बाद (1972) में ग्राम पंचायत में सदस्य संख्या द्वारा प्रतिनिधित्व —

वर्ग के अनुसार गुटों का विभाजन	गुटबन्दी निर्मित होने के पूर्व (1967) ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या द्वारा दोनों गुटों में प्रतिनिधित्व			गुटबन्दी निर्मित होने के बाद (1972) चयनित ग्राम पंचायत के सदस्यों का दोनों गुटों में प्रतिनिधित्व		
(अ) उच्चजाति समूह (अ गुट)						
1- ब्राह्मण	6		7 (50 प्रति0)	2		3 (21·43 प्रति0)
2- बनिया	1			1		
ब गुट में सम्मिलित वर्ग पिछड़ा						
1- अहीर	3	6	6 + 1 = 7 (50 प्रति0)	2	9	9 + 2 = 11 (78·57%)
2- केवट	2			2		
3- लोहार	0			3		
4- तेली	0			1		
5- कुम्हार	1			1		
हरिजनजाति समूह						
चमार	1	1		2	2	
योग-	14			14 (100 प्रतिशत)		

स्रोतः— ग्रामीण सर्वेक्षण के समय सूचनादाताओं द्वारा साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाओं द्वारा।

तालिका संख्या 29

ग्राम डिबबट में (वर्ष 1967) के पूर्व और (1972 में) ग्राम पंचायत सदस्यों का भूमि स्वामित्व :-

भूमि स्वामित्व बीघा में	ग्राम पंचायत में सदस्योंकी संख्या	
	गुटबन्दी के ध्रुवीकरण से पूर्व (1967)	गुटबन्दी के ध्रुवीकरण के बाद (1972)
भूमिहीन	शून्य	शून्य
0-10	1	2
11-50	10	10
51-100	2	1
101-300	1	1
योग —	14	14

स्रोत :— ग्राम के भूमि के रिकार्ड द्वारा एवं सूचनादाताओं से साक्षात्कार द्वारा प्राप्त सूचनाओं द्वारा।

अग्रिम राजनैतिक ध्रुवीकरण से पूर्व (1967) की ग्राम पंचायत के सदस्यों में शिक्षा स्तर का उच्चतम प्रतिशत में पाया गया कुल सदस्य संख्या 14 में से 11 सदस्य शिक्षित थे। तालिका संख्या 29) अग्रिम कुल सदस्यों में से 8 सदस्य प्राइमरी स्तर तक शिक्षा प्राप्त थे और 3 सदस्य जूनियर हाई स्कूल स्तर तक शिक्षा प्राप्त थे। जबकि राजनैतिक ध्रुवीकरण के बाद (1972) की ग्राम पंचायत के सदस्यों में शिक्षित सदस्यों की संख्या में 9 ही शिक्षित पाये गये अतः शिक्षित सदस्यों की कमी हो गयी। शिक्षित सदस्यों की संख्या में इस कमी का प्रमुख कारण इस ग्राम पंचायत में पिछड़ी जाति एवं हरिजन जाति समूह के सदस्यों की संख्या अधिक थी। इसके बावजूद ग्राम डिघवट की दोनों ग्राम पंचायतों में शिक्षित सदस्यों का बहुमत था। पर्याप्त रोचक अन्वेषण यह है कि ग्राम डिघवट की दोनों ग्राम पंचायतों के समस्त सदस्यों का व्यवसाय निजी कृषि ही था।

इन सब विषमताओं के साथ अध्ययन ग्राम की दोनों ग्राम पंचायत के सदस्यों में कुछ अत्यन्त प्रभावी समानतायें भी हैं। यथा दोनों चुनावों में विजित समस्त सदस्य शिक्षित एवं भूमिधर थे। इन दोनों ग्राम पंचायत के सदस्यों की भूमि, शिक्षा एवं व्यवसाय की संरचना के विश्लेषण पर दृष्टिपात रखते हुए जिन ग्राम पंचायत के सदस्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी एवं जो जितने अधिक शिक्षा के स्तर में उच्च थे उन सबका व्यवसाय निजी खेती करना ही था, ऐसे ही लोगों का प्रतिनिधित्व ग्रामीण शक्ति संरचना के प्रत्येक विजित सदस्यों का बहुमत इस ग्राम डिघवट के ग्राम पंचायती चुनावों के परिणामों से परिलक्षित होता है। (

तालिका संख्या 29

ग्राम डिघवट में राजनैतिक ध्रुवीकरण के पूर्व (1967) एवं राजनैतिक ध्रुवीकरण के पश्चात (1972) के ग्राम पंचायत के विजित सदस्यों की शैक्षिक पृष्ठभूमि :—

क्रमसं0	शिक्षा का स्तर	ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या	
		राजनैतिक ध्रुवीकरण के पूर्व (1967)	राजनैतिक ध्रुवीकरण के पश्चात (1972)
1-	साक्षर मात्र	शून्य	शून्य
2-	प्राथमिक स्तर तक	8	5
3-	जूनियर हाई स्कूल स्तर तक	3	4
4-	निरक्षर	3	5
	योग	14	14

वर्ष 1967 के ग्राम पंचायत के चुनाव में विजित 14 सदस्यों में 7 सदस्य उच्च जाति समूह के थे जिनमें 6 ब्राह्मण सदस्य एवं एक बनिया तथा 3 अहीर, 2 केवट, 1 कुम्हार, एवं 1 चमार अतः इस परिणाम से यह ज्ञात होता है कि 5 पिछड़ी जाति समूह से एवं 2 हरिजन जाति समूह से तथा 7 उच्च जाति समूह से रहे अतः उच्च जाति समूह एवं हरिजन तथा पिछड़ी जाति समूह दोनों का प्रतिशत 50 रहा जो समान विजय प्रदर्शित करता है।

राजनैतिक ध्रुवीकरण के कारण हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग में विशेष राजनैतिक जागरकता आई जिससे वर्ष 1972 के ग्राम पंचायत चुनाव में कुल 14 सदस्यों में उच्च वर्ग से मात्र 3 सदस्य दो ब्राह्मण एवं एक बनिया जिनका प्रतिशत 21·43रहा एवं हरिजन एवं पिछडे वर्ग के सम्मिलित प्रयास से इनकी सदस्य संख्या 9 रही जिनमें अहीर 2, केवट 2, लोहार 3, तेली एक एवं कुम्हार एक चमार 2 विजयी हुए। इस प्रकार इस चुनाव मे हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग से 9 सदस्य विजयी हुए। जिसमें पिछड़ा वर्ग से एक लोहार नवयुवक ग्राम प्रधान भी विजित हुआ। अतः ग्रामीण शक्ति संरचना अब उच्च वर्ग से हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्यों में आई जिससे उच्च वर्ग के आर्थिक शोषण, दमन एवं अमानवीय कृत्यों मे नियंत्रण का संबल अल्प भूमि वाले एवं भूमिहीन समूह के हरिजन एवं पिछड़े वर्ग को मिला। यह इस ग्राम की हरिजन एवं पिछडे वर्ग में राजनैतिक ध्रुवीकरण के कारण आया।

गुटबाद और नेतृत्व

ग्रामीण सामाजिक समुदाय ग्रामीण गुटों में विभक्त हुए गुट साधारणतः संघर्षी समूह के नाम से जाने जाते हैं। इनगुटों में बहुत से सक्रिय सदस्य समान हितों के उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं समान विचारों द्वारा संयोजित होते हैं। प्रत्येक गुट में एक प्रबुद्ध लोकतान्त्रिक वैधानिकताओं में विज्ञ जागरूक नागरिक कार्यकर्ता के रूप में जो

अवश्य अपने गुट को अपने गुटीय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संघर्ष का प्रेरणा स्रोत होता है, वही उस गुट का नेतृत्व करने वाला 'गुट नेता' के नाम से जाना जाता है। दल नेता अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं, योग्यताओं व प्रभावों के आधार पर जो उसने सामाजिक रचनात्मक कार्यों की सफलता से अर्जित की है, इन दलों का नेतृत्व नियंत्रण व मार्ग दर्शन करते हैं, गुट नेता उन्हें ही मान लिया जाता है। सामान्यतौर पर दल विभिन्न अन्तः क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले अनौपचारिक संगठन हैं, जिनमें 'अहं' की भावना होती है और समाज तथा निजी स्वार्थ व विचार संकीर्णता से ऊपर उठकर समाज हितों की कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर उस गुट विशेष के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहता है और समाज की प्रगति उचित नेतृत्व, स्वस्थ स्पर्धा व सहयोग तथा त्याग भावना के परिणाम स्वरूप ही होती है।

समाज शास्त्रियों ने नेतृत्व की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए नेताओं को तीन श्रेणियों में विभक्त किया है —

(1) वे व्यक्ति जो पारिवारिक स्थिति में सुदृढ़ व सम्पन्न व अधिक आयु के होते हैं, परम्परागत पद्धति के अनुसार गुट विशेष के नेता हो जाया करते हैं।

(2) वे व्यक्ति जो शैक्षिक योग्यता के कारण राजनैतिक क्षेत्रों या प्रशासनिक क्षेत्रों में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर लेते हैं निजी प्रभाव के कारण गुट के नेता बन जाते हैं।

(3) वे व्यक्ति जो गुट के कार्यों में स्वतः सहयोग देकर अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं एवं त्याग भावनाओं द्वारा विकास की रचनात्मक कार्य के कार्यान्वयन में सफलता प्राप्त के कारण नेतृत्व के योग्य मान लिये जाते हैं, नेता कहलाते हैं।

जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदारी प्रथा में जमींदारों के पास अधिक भूमि के भू स्वामित्व होने के कारण अनेक वर्गों में अपनी जीविका के लिए उसका नेतृत्व सबसे अधिक भूमिधर व्यक्ति या जमींदार ने किया। जैसा कि योगेन्द्र सिंह (1969:711-723) के अध्ययन के अनुसार जमींदारी उन्मूलन के समय भी उच्च वर्ग व निम्न वर्ग

के मध्य मतभेद भूमि के समान वितरण को ही आधार मानकर गुटों का जन्म हुआ। उच्च वर्ग जो समाज में सुदृढ़ स्थिति प्राप्त किये था, बड़े भूमिधर बने हुए है, उन्होंने यह आवाज उठाई कि जमीन रखने का अधिकार उसी को है, जो भूमिधर है। जिनके पास भूमि का स्वामित्व नहीं है, उन्हें भूमि रखने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार निम्नवर्ग ने भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई एवं उच्च वर्ग से प्रतियोगिता करने लगे, परिणाम स्वरूप दास प्रथा का उन्मूलन जमींदारी प्रथा का उन्मूलन व उच्च वर्ग के नेतृत्व की अवधारणा में परिवर्तन आया। धनी व निर्धन के मध्य संघर्षात्मक स्थिति के उत्पन्न हो जाने के कारण अनेक गुटों का जन्म हुआ।

उपर्युक्त अध्ययन योगेन्द्र सिंह (1969 : 711-723) से यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण समाज में भूमिधर एवं भूमिहीन श्रमिकों के मध्य 'आर्थिक विषमता' ने तनाव व द्वन्द्वात्मक विचारधारा ने भूमिधरों के सामन्त शाही बर्ताव एवं श्रमिको पर हुकूमत, बेगार, आर्थिक शोषण ने अल्पभूमि एवं भूमिहीन श्रमिकों में अपने-अपने हितों के लिए वर्ग बनाये, जिनमें वर्ग संघर्ष जाग्रत हुआऔर धनहीन श्रमिकों ने अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु नियामक बनाये जिनका गुट नेता द्वारा निर्णय एवं मार्गदर्शन किया गया।

पुनः जातीय गुटों में नातेदारी व्यवस्था की जड़ें सुदृढ़ होने लगी, जिसके परिणामस्वरूप पारिवारिक स्थिति के अनुसार, संस्कारों, उत्सवों एवं नातेदारी के स्तरों में श्रेष्ठता व निम्नता के कारण यह जातीय गुट भी विभाजित (खण्डात्मक जातीय समूह) होने लगे, जिन्हें उपजातीय गुटों की संज्ञा दी गयी। समानता प्राप्त करने की स्पर्धा से इन जातीय गुटों ने पड़ोसी गाँवों के गुटों का सहयोग व संरक्षण लेकर संघर्ष करना प्रारम्भ कर दिया, फल स्वरूप मुकदमें बाजी यौन अपराध व हिंसायें भी होने लगीं, इन गुटों ने उच्च स्थिति वाले रिश्तेदार या प्रतिष्ठित पड़ोसी व्यक्तियों का नेतृत्व स्वीकार किया, कालान्तर में इनका जातीय ढाँचा पुनः घट गया(पुरिये, आस्कर लुईस

1955: 148 : बलजीत सिंह 1961 : 15))

इस प्रकार निम्न वर्ग में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई एवं उच्च वर्ग से प्रतियोगिता करने लगे, परिणाम स्वरूप दास प्रथा का उन्मूलन, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन व उच्च वर्ग के नेतृत्व की अवधारणा में परिवर्तन आया। धनी व निर्धन के मध्य संघर्षात्मक स्थिति के उत्पन्न हो जाने के कारण अनेक गुटों का जन्म हुआ।

देश की स्वतंत्रता के बाद 35 वर्षों में लोकतांत्रिक संविधान का सामाजीकरण काफी हद तक हुआ किन्तु ग्रामीण समाज में उच्च वर्ग के प्रबल जातियों के लोगों में भूमिधरी की सामन्तशाही भावना उच्च प्रतिष्ठा का 'अहं भाव' आर्थिक स्वतंत्रता के के कारण बना रहा। आर्थिक, सामाजिक विषमता की आग समयानुसार समाज में प्रज्वलित होती रही। इन आर्थिक धनी उच्च जातीय सम्पन्न भू स्वामियों ने भूमिहीन श्रमजीवी निम्न एवं पिछड़ी जातिय समुदाय के व्यक्तियों को चन्द पैसे में कृषक मजदूर, शोषक, कम मजदूरी में अधिक घण्टे श्रम लेना, कम सुविधायें देकर अधिक उत्पादन हेतु अधिक श्रम लेना, यहाँ तक कि अपनी शक्ति के प्रभाव से कहीं कहीं भूमिहीन, दलित, निर्बल असहाय व्यक्तियों से बेगार भी मनचाहा लिया गया। गरीबी के अभिशाप एवं संवैधानिक अनभिज्ञता (न जानकारी) के कारण प्रशासन का संरक्षण उन्हें नहीं मिल सका। कालान्तर में कुछ जागरूक प्रबुद्ध संतति ने इन अमानवीय शोषण, अनाचार के विरूद्ध शासन तक अपनी आवाज उठाई। वर्ग संघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न होकर संघर्ष शील गुटों में लोकतांत्रिक संवैधानिक कानूनों की जागरूकता की चिंता से गुटीय संघर्ष किये फलतः संघर्ष के परिणाम स्वरूप सफलता भी काफी हद तक मिली एवं स्वस्थ प्रतियोगी गुटों का जन्म हुआ। निम्न वर्ग में संवैधानिक अधिकारों की जागरूकता ने नेतृत्व की भावना का उदय गुटीय संघर्ष एवं गुटीय, क्रान्ति से ही मिलती है, इसी प्रेरणा स्रोत ने उन्हें

आत्म विश्वास आत्मनिर्भरता की भावनाओं एवं उनकी नेतृत्व की क्षमताओं में चेतना जाग्रत हुई।

हरवंस सिंह ढिल्लों (1955) के विचार से भी "वैर या विरोध गुट का एक सामान्य लक्षण और अधिकांश गुटों का निर्माण विरोध के कारण ही होता है। किन्तु केवल विरोध को ही गुट की एक मात्र शक्ति नहीं कहा जा सकता। भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों के साथ या एक ही राजनैतिक दल के अन्तर्गत भिन्न भिन्न गुटों के साथ सम्बन्धित हो जाते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनैतिक संरक्षण गुटों को शक्ति प्रदान करता है और वे अपने गुट स्वार्थों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं।यही कारण है कि भारत में गुट को राजनीति के साथ जोड़ दिया जाता है। राजनैतिक दल भी विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय गुटों को अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं।"

हरवंस ढिल्लों (1955) के अपने उपर्युक्त ग्रामीण अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज मे सामाजिक (श्रेणात्मक स्तरीकरण) आर्थिक विषमता एवं शोषित शोषक वर्ग के द्वन्द्वात्मक संघर्ष से उद्भूत वर्ग संघर्षों ने गुटों का जन्म दिया, जिसमें सुविधा सम्पन्न धनी भू स्वामी एवं निर्धन अल्प भूमि अथवा भूमिहीन श्रमिकों के मध्य अपने अपने हितों, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लोकतांत्रिक प्रणाली में संवैधानिकताओं का आश्रय लेकर ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन करके राजनैतिक गतिशीलता द्वारा ग्रामीण शक्ति संरचना में अपना अपना आधिपत्य करके सामाजिक एवं आर्थिक वैषम्यता के नियमन का प्रयास किया गया, इस हेतु ग्रामीण दलों में नेतृत्व परिवर्तन हेतु संघर्ष किये गये, और इस प्रकार निम्न जाति के निर्धन श्रमिक भी उच्च जातीय सुविधा सम्पन्न भूस्वामियों के समान स्थितियाँ प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा निष्कर्ष बलजीत सिंह (1961) एवम् मनबोधन सिंह (1967 : 66-73) के अध्ययन से निहित होता है।

शिक्षा का अभाव भी अनेक दलों या गुटों को जन्म देता है, मनमोहनसिंह (1967) ने अपने जौनपुर के मसोती गाँव में गुटों की स्थिति का अध्ययन करके बताया कि " वहाँ दो प्रमुख गुट थे। प्रथम उच्च वर्ग जिसे मरकड़िया और दूसरा गैर मर-कड़िया कहा जाता था। मरकड़िया गुट शैक्षिक स्तर में काफी उच्च होते हुए भी गैर मरकड़िया गुट से आर्थिक स्थिति में निम्न था, क्योंकि वहां पर शिक्षितों के अनुकूल नौक-रियों का अभाव था एवम् अशिक्षित फैक्टरियों एवं मिलों में काम करते थे, जहां पर शिक्षा का कोई महत्व नहीं दिया जाता था। फलतः इन दोनों वर्गों में गुटों का जन्म हुआ। उच्च एवं निम्न वर्ग को लेकर अपने अपने गुटों का नेतृत्व करने लगे। "

गुटवाद में नेतृत्व द्वारा ऐसी समस्यायें व तथ्य उभरकर समष्टि के समक्ष आते हैं, जिन्हें समुदाय में कभी नहीं देखा था, गुटवाद इन सामाजिक व्यक्ति सम-स्याओं का अनुसन्धान करता है, जिनके उचित समाधान से प्रगति सम्भव होती है। समुदायों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन अर्थात् राजनैतिक गतिशीलता, विषमता, मतवैभिन्य वैचारिक द्वन्द्व का जन्म देती है, समाज की यह उग्र परिस्थितियाँ समष्टि को दो गुटों में बाँट देती हैं। तदनुसार किसी न किसी रूप में वर्ग संघर्ष (द्वन्द्वात्मकसंघर्ष) का अभ्युदय होता है। यह मूल भावना आदिकाल से उच्च निम्न, धनी-निर्धन, शोषक-शोषित, शासक-शासित या मालिक-मजदूर के मस्तिष्क में अपने अपने व्यावसायिक लाभों के लिए स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। आदर्श केवल सैद्धान्तिक स्वस्थ प्रतियोगिता के लिए कहे जा सकते हैं। स्वार्थ हेतु संघर्ष या विरोध समष्टि के प्रत्येक मानव मस्तिष्क में निहित होता है, व्यावहारिक निरीक्षण में यथार्थ अन्वेषण के तथ्यों में यही ग्रामीण अध्ययनों से प्रकाश में आया है, क्योंकि स्वार्थ मानव को आदर्शविहीन बना देता है, यदि कहीं स्वस्थ प्रतियोगी गुट हैं तो वे अपवाद के रूप में नगण्य या विरले ही सम्भव हैं। सामाजिक स्तरीकरण के खण्डात्मक विभाजन द्वारा एवं व्यावसायिक विषमता के कारण आर्थिक सुविधा सम्पन्न एवं सुविधाविहीन भू स्वामि एवं भूमिहीन मालिक

एवं श्रमिक के मध्य उत्पादन सम्बन्धों में आर्थिक लाभों के लिए जब परस्पर विरोधी वैचारिकी का आधार लेकर अपने अपने हितों के लिए टकराव करते हैं, तो ग्रामीण समूह पृथक पृथक गुटों या दलों में विभाजित हो जाते हैं और अपने गुटीय सदस्यों के हित के उद्देश्य के नियामकों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक गुट का गुट नेता जो उस गुट का नियंत्रण मार्ग दर्शन करता है, गुटीय संघर्ष का अभियान या आन्दोलन का संचालन करते हैं जो गुट सबल होता है, उसी के अनुरूप फल स्वरूप समष्टि में अपना प्रबल प्रभाव परिलक्षित करता है,। यद्यपि दल या गुट विचार संचार के स्रोत हैं इन गुटों में ऋणात्मक व धनात्मक प्रवृत्तियाँ देश, काल परिस्थिति के अनुसार अंकुरित हुआ करता हैं। सुविधाविहीन निर्धन श्रमिक गुट के सदस्यों के मानव मस्तिष्क की अवदमित भावनायें कुचले हुए अधिकारों की चिनगारी सम्पूर्ण समष्टि को अस्त व्यस्त कर देती हैं। स्वस्थ प्रतियोगिता वाला गुट लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूकता रखते हुए ऋणात्मक प्रवृत्ति की उग्रता को संयत या नियंत्रित करने का प्रयास करता है। किन्तु यह धनात्मक एवं ऋणात्मक प्रवृत्ति वाले गुटों की शक्ति एवं संगठन पर निर्भर करता है कि किस समुदाय के किस प्रवृत्ति के लोगों का गुट सबल है। अतः संघर्ष शीलता ग्रामीण गुटों की मूल प्रवृत्ति है(एच0एस0डिल्लो 1950),(आस्कर लुईस 1955), बलजीत सिंह1961) मनबोध सिंह 1967)(राधाकृष्ण मुकर्जी 1975) चाहे वह धनात्मक प्रवृत्ति वाला गुट हो या ऋणात्मक प्रवृत्ति वाला यद्यपि लोकतांत्रिक कानूनों का संरक्षण धनात्मक प्रवृत्ति के गुट कोप्राप्त है, किन्तु गुट विशेष के सक्रिय सदस्यों की संख्या एवं संगठन तथा नेता की शिक्षा क्षमता योग्यता एवं रचनात्मक कार्यों के क्रियान्वयन की सफलता उनके स्तरों एवं जागरूकता पर निर्भर करती है। सबल गुट की प्रवृत्तियों के अनुसार समष्टि विशेष को परिणाम प्राप्त होते हैं। अतः यह द्वन्द्वात्मक संघर्ष की प्रवृत्ति ही गुटीय भावना का मूल जन्मदात्री है जो अनादि काल से समष्टि में किसी न किसी रूप में सतत चली आ रही है।

राजनीतीकरण की प्रक्रिया

जमींदारी उन्मूलन के समय भी उच्च वर्ग व निम्न वर्ग के मध्य मतभेद होकर केवल भूमि के समान वितरण को ही आधार मानकर दलों का जन्म हुआ। उच्च वर्ग जो समष्टि में अपनी सुदृढ़ स्थिति प्राप्त किये था, ने आवाज उठाई कि भूमि को रखने का अधिकार उस व्यक्ति को है जिसके पास भूमि है, एवं जिसके पास भूमि नहीं रही है उसे भूमि रखने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार निम्न वर्ग में भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई एवं उच्च वर्ग से प्रतियोगिता करने लगे, परिणाम - स्वरूप दास प्रथा का उन्मूलन जमींदारी प्रथा का उन्मूलन व उच्च वर्ग के नेतृत्व की अवधारणा में परिवर्तन हुआ और धनी व निर्धन के मध्य संघर्षात्मक स्थिति के उत्पन्न हो जाने के कारण अनेक दलों का जन्म हुआ।

ग्राम पंचायतों के व न्याय पंचायतों के द्वारा भी ग्रामीण जीवन में दल वाद का जन्म हुआ, क्योंकि व्यक्ति में अपने वर्ग जाति व समूह के किसी व्यक्ति को चयन किये जाने की भावना होती है और चुनाव प्रचार के दौरान दूसरे वर्ग के प्रत्याशी के प्रति बनाये गये ईर्ष्यालु व संकुचित संघर्षात्मक दृष्टिकोणों के कारण प्रायः संघर्ष भी होने लगते हैं, तथा ये चयन कियेगये प्रत्याशी इन विरोध दलों का नेतृत्व भी करते हैं।

ग्राम डिहवट में ब्राह्मण जमींदार जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से रहे ये ही जमींदारी उन्मूलन से पूर्व वर्ष 1967 तक ग्राम प्रधान रहे। अतः ग्राम के प्रशासन के अध्यक्ष के रूप में सरकारी प्रशासन को भी प्रभावित कर निजी लाभ प्राप्त करते रहे। हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के अल्प भूमि एवं भूमिहीन कृषि मजदूरों को कम मजदूरी देकर एवं बंधुआ मजदूर बनाकर आर्थिक शोषण करते रहे इतना ही नहीं ग्राम विकास के अनुदानों तथा नदी की बाढ़ में पीड़ित व्यक्तियों को प्रदत्त सरकारी अनुदान को भी आधा देकर आधा रुपया स्वयं ले लेते रहे। ग्राम के प्रधान होने के के साथ-साथ पोस्टआफिस

का कार्यालय भी अपने घर में अपने लड़के द्वारा संचालित कराते रहे जिसमें अपने विरोधियों की तत्कालीन महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं पत्रों को छिपा लेते रहे एवं जला देते रहे। इस प्रकार इस ग्राम डिम्बट में भूतपूर्व ग्राम प्रधान के प्रशासन तंत्र से त्रस्त होकर ग्राम के हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग समूह के लोगों ने संगठन बनाया और वर्ष 1972 के चुनाव में उच्च जाति के बड़े भू स्वामियों को परास्त कर ग्राम पंचायत में बहुमत एवं अध्यक्ष पद पिछड़ी जाति के एक नवयुवक ने ग्रहण किया।

ग्राम में राजनैतिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया का शुरुआत तब हुआ जब 15 अगस्त 1972 को ग्राम के प्राइमरी के प्रधानाचार्य झण्डारोहण हेतु प्रभातफेरी में बालकों को ग्राम भ्रमण करा रहे थे, उस समय ग्राम प्रधान ने अपने व्यक्तियों द्वारा प्राइमरी के तेली शिक्षक को लाठियों से तीन चार व्यक्ति पीटे तब ये शिक्षक जान बचाकर निकट के घर में घुस गये। ये ग्राम प्रधान ग्राम के सबसे बड़े भू स्वामि ब्राह्मण प्रधान इन तेली शिक्षक से तिन्दवारी ब्लाक के ब्लाकप्रमुख से ग्राम प्रधान के सरकारी अनुदान के निजी प्रयोग की शिकायत कर चुके थे। यही प्रमुख कारण ग्राम प्रधान एवं तेली शिक्षक का परस्पर व्यक्तिगत वैमनस्य का हुआ।

राजनीतिकरण के कारण

(1) सरकारी अनुदान का घपला :-

ब्राह्मण जमींदार ग्राम प्रधान द्वारा 3000/- का क्षेत्रीय विकास अधिकारी तिन्दवारी बांदा द्वारा प्रदत्त अनुदान को जो ग्राम के एक कुआँ निर्माण के लिए आया था अपने निजी कुएँ में उपयोग किया जिसकी जाँच ग्राम के प्राइमरी शिक्षक एक तेली (पिछड़ी जाति) ने तिन्दवारी क्षेत्र के क्षेत्रीय विकास अधिकारी को सूचित करके कराई। इससे उच्च जाति के भूतपूर्व ब्राह्मण जमींदार ग्राम प्रधान ने अपनी प्रतिष्ठा का

प्रश्न समझ कर ग्राम के प्राइमरी पाठशाला के प्रधान अध्यापक तेली जाति के नवयुवक को मार डालने हेतु व्यक्ति 15 अगस्त 1972 में भेजे जिससे हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग में असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त हो गया।

(2) ग्राम के मंदिर की जायदाद :-

ग्राम के राम जानकी मंदिर में करीब 33 बीघा जमीन नाम थी जिसका लाभांश पुजारी के माध्यम से भूतपूर्व सबसे बड़े ग्राम के जमींदार ब्राह्मण ग्राम प्रधान लेते चले आ रहे है। कुछ वर्षों से प्राइमरी के प्रधान शिक्षक तेली जाति के इन नवयुवक ने मंदिर के पुजारी से मित्रता करके उस जमीन की उपज का लाभ एक अनाथ बालक आश्रम को रखकर तथा स्वयं मंदिर की व्यवस्था के संचालन के रूप में लेने लगा जिससे भूतपूर्व ब्राह्मण जमींदार ग्राम प्रधान ने इस मंदिर के पुजारी को हटा देने की धमकी दी कि इस मंदिर की जमीन हमारे पूर्वजों की है अतः इसकी आधी उपज हमें मिलना चाहिए। यदि हमें नहीं दिया तो तुम्हें पुजारी पद से मंदिर से हटा देंगे। एवं एक ग्राम पंचायत की मीटिंग करके उसे मंदिर के पुजारी पद से हटा दिया।

(3) आर्थिक शोषण :-

ग्राम के सबसे भूमिधरों ने ग्राम में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के भूमिहीन एवं अल्पभूमि वाले श्रमिकों से कम मजदूरी देकर काम लेने को मजबूर किया। उन्होंने शहर की मजदूरी की दरों पर काम करने की मांग की सवर्ण लोगों ने इन्कार कर दिया एवं अपने खेत व मेड़ों से श्रमिकों का निकलना बन्द कर दिया तथा एक दिन हरिजन औरतों को वस्त्रविहीन करके राइफल की नोक से बेइज्जती की जिसकी शिकायत ग्राम की हरिजन महिलाओं ने ग्राम के नव निर्वाचित एक लुहार (पिछड़ी) जाति के ग्राम प्रधान (1972 ग्राम पंचायत चुनाव) को सवर्णों के अत्याचार एवं बलात्कार के प्रयास जैसे दुर्व्यवहार की घटना को रोते हुए सुनाया। ग्राम प्रधान ने इस घटना के सुनने हेतु हरिजन एवं पिछड़ा

वर्ग के नेतृत्वकारी कुछ सुशिक्षित व्यक्तियों को भ सूचित करके बुला लिया जिनमें ग्राम पाठशाला के प्रधान अध्यापक तेली जाति के नवयुवक भी उपस्थित थे। यह प्रताड़न सवर्ण वर्ग के लोग भूमिहीन एवं अल्प भूमि वाले हरिजन एवं पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को कम मजदूरी लेकर काम करने को बाध्य करने के लिए करते थे। उस समय वर्ष 1970 - 72 के मध्य वे कृषि श्रमिकों को 1·50 प्रतिदिन महिलाओं को तथा 3-4 रु0 प्रतिदिन पुरुषों को प्रति दिन की मजदूरी देते थे जबकि शहर में मजदूरी की दर महिलाओं को 3-4 प्रतिदिन तथा पुरुषों को काम के अनुसार 5 से 8 रु0 प्रतिदिन थी। भूमिहीन हरिजन एवं पिछड़ी जाति के श्रमिकों ने शहर के समान मजदूरी की माँग की जो सवर्णों ने इन्कार कर दिया। यह माँग श्रमिकों ने बढ़ती महँगाई के कारण की थी।

हरिजन वर्ग के बसोर जाति की महिलाओं ने सड़क के मार्ग एवं मलमूत्र की सफाई हेतु परम्परागत एक रोटी प्रतिदिन प्रति घर के स्थान पर 2 रोटी की माँग की जिसे सवर्णों ने इनकार कर दिया तथा इन हरिजनों को गालियाँ तथा प्रताड़न की धमकी दी तथा इसी संघर्ष में एक डोमार को राइफल की गोली भी मार दी जिसकी पुलिस रिपोर्टों के अनुसार अग्रिम पृष्ठों में प्रमाण प्रस्तुत है।

(4) जुआँ खेलना :—

आर्थिक शोषण का एक अन्य तरीका सवर्णों द्वारा प्रसारित किया गया। यह कि हरिजन तथा पिछड़ी जाति के लोगों को जुआँ खेलने का प्रलोभन देकर सवाया ब्याज पर रुपया साहूकार के रूप में देते थे और समय पर न मिलने पर इन गरीब अल्पभूमि वाले श्रमिकों की जमीन, घर व चाँदी सोने के आभूषण (स्त्रियों) के अथवा जान वर गिरवीं रख लेते थे। एवं लम्बी ब्याज की दर में वसूलने के कारण इन्हें हड़प लेते थे। इस प्रकार हरिजन एवं पिछड़ी जाति के निर्धन श्रमिकों को बंधुआ मजदूर बनाकर पीढ़ी दर पीढ़ी कम से कम मजदूरी में अथवा बंधुआ बनाकर कृषि कार्य लेने की प्रथा इस गाँव में प्रचलित थी। इन कारणों से शोषित और शोषक वर्ग के मध्य तनाव एवं संघर्ष

पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। ये संघर्ष परिवार के साथ सगे संबंधियों, रिश्तेदारों मित्रों को भी बाँट कर रख देता है जो गाँव की राजनीति व्यक्तिगत वैमनस्य की सीमा यहाँ तक बढ़ा देती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हिंसात्मक घटनाओं तक का रूप ले लेती है।

[illegible]

अग्रिम अध्ययन ग्राम की दो ग्राम पंचायतों के चुनाव के दौरान ग्रामीण शक्ति संरचना का उच्च वर्ग से पिछड़े वर्ग एवं हरिजन वर्ग में हस्तान्तरण करने के बाद इस ग्रामीण शक्ति संरचना को प्रभावित करने वाले ग्रामीण दोनों दलों में सम्मिलित सक्रिय सदस्यों की संरचना का भी पता लगाकर विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस अध्ययन का विशेष महत्वपूर्ण अन्वेषण है(देखिये तालिका संख्या 24 व 25)।

ग्राम डिघवट में गुटबाजी के निर्माण होने की स्थिति का विवेचन करते हुए ग्राम डिघवट के थाना पैलानी के थाना इन्चार्ज ने दोनों गुटों के निर्माण की निम्न शब्दों में स्थिति की विवेचना की है। मु0अ0सं0 149/72 धारा 147/148/149, 320 302 120 बी0 इस गाँव में प्रधानी के चुनाव के बाद दो पार्टियाँ बन गयी हैं। एक पार्टी के लीडर (तेली) पिछड़ी जाति और दूसरी पार्टी के लीडर परम्परागत ग्राम प्रधान ग्राम के सबसे बड़े जमींदार ब्राह्मण हुए। तेली शिक्षक की पार्टी का वर्ष 1972 के ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान एक लोहार जीत गया और ग्राम के परम्परागत ग्राम प्रधान बड़े जमींदार हार गये। साहू प्रा0पा0 के शिक्षक एक सुसंगठित पार्टी के मेम्बर बने और सवर्ण जाति को नीचा दिखाने के लिए अपनी पार्टी में तमाम केवट हरिजनों को प्रोत्साहन दिया इससे केवट चमार लोहार भी उनके साथ शामिल हो गये और शाम सुबह बल्लम बरछी से लैस होकर गाँव की गलियों में घूम घूम कर ब्राह्मणों को दबाने के लिए यह कहते फिरे कि 'मार दिया या या छोड़ दिया जाये' ग्राम के प्रा0पा0 के शिक्षक (तेली) के [illegible] बन्धु के मकान मेंएक मीटिंग की गयी और बबेरा के जंगल के मंदिर में शंकर पार्वती की मूर्ति जिसे ग्राम का एक केवट और एक सुनार चुरा लाये थे। उस मूर्ति पर

इस पार्टी ने अपना अपना खून चीरकर (अंगुली का) मूर्ति पर टीके लगाये और मरने मारने का संकल्प लिया और दिनांक 29/9/72 समय चार बजे शाम जब वादी ग्राम के सबसे बड़े जमींदार ब्राह्मण के भांजे व उसका भाई भैंस को लेकर हार जा रहे थे कि मुल्जिमान साहू शिक्षक दो अन्य अपनी तेली जाति के व्यक्तियों के षडयन्त्र से मुल्जिमान वर्ष 1972 के ग्राम प्रधान (लोहार पिछड़ी जाति) और उसके भाई तथा एक अन्य साहू शिक्षक के लघु भ्राता तथा एक लोहार जाति का नवयुवक एवं एक केवट जाति का नेता ने बन्दूक से फायर करके ग्राम के बड़े जमींदार ब्राह्मण के भांजा की हत्या कर दी और मृतक के छोटे भाई को (ब्राह्मण) को जख्मी कर दिया जिसका मुकदमा अ0स0 149 धारा 14, 148/149/302/120 बी0 का कायम हुआ जिसकी विवेचना श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय थानाध्यक्ष पैलानी ने की। मुल्जिमान का चालान दिनांक 21-10-72 को जरिये सी0एस0नं0 59 लिया गया। मुकदमा जेर तजबीज अदालत है। इस ग्राम की सवर्ण हरिजन व पिछड़ी जातियों में आपस में काफी ना इत्तिफाकी हो गयी है, इनका चालान 107/117 जा0 में किया गया है और अदालत से दोनों पार्टियां पाबन्द भी हो चुकी है। इनकी देखभाल की सदैव आवश्यकता है। थानाध्यक्ष को खास तौर से ब्राह्मण थानाध्यक्ष को काफी सतर्क रहने की जरूरत है। घटना 4/12/72 नोट मुकदमा अ0 सं0302 धारा 302/307 आई0पी0सी0मु0अ0स0 49/72 धारा 147/148/149/302/120 बी0 का मुल्जिमान केवट नेता सेशन से जमानत पर छूटने के बाद घर आया और ब्राह्मणों की अच्छी खासी मुखालफत की। डोमारों से काम कराना बन्द करा दिया बदले की भावना से। मृतक ग्राम के बडे जमींदार ब्राह्मण के भांजा से संबंधित मुकदमा अ0नं0149 धारा 147/148/149/302/120 बी0 के सगे भांजे व रिश्तेदार एक ब्राह्मण जमींदार के भांजे का भांजा) ने गोली से मारकर हत्यावार दी और डोमार जाति के नेता को जो जोतसमय गलियारे में मिला था जिसने काम करना बन्द (जजमानी) बन्द कर दिया था गोली से मजरूब कर दिया था और एक केवट तथा एक लोहार को लाठी से व जूतों से मारा था। जिसका मुकदमा अ0नं0203/ धारा 302/307/323/

194 में कायम हुआ था जिसकी विवेचना सहायक थानाध्यक्ष इलियान अली ने की इसके बाद थानाध्यक्ष को हैंडओवर की गयी। वैसे भी सी0आई0डी0 इस मुकदमे की तफ्तीश में नियुक्त हुए। दिनांक 13-12-72 को पुलिस उप अधीक्षक सी0आई0डी0 जैदी साहब लखनऊ में तफ्तीस की मुकदमा चालान अदालत होकर पेर तजवीज है।' इस प्रकार इस अध्ययन ग्राम डिह्मट में पार्टी नम्बर -1 अथवा गुट (अ) हरिजन एवं पिछड़ीजातियों का संगठितसमूह दिनांक 7-9-72 धारा 107/117 के रूप में एवं पार्टी नम्बर अथवा गुट (ब) सवर्ण उच्च जातियों का संगठित समूह सी0आर0 13-10-72 धारा 107/117 के रूप में 56 व्यक्तियों का एक संगठित समूह निर्मित हुआ। इसी तिथि में गुट (अ) की संशोधित द्वितीय नामावली जिसमें मात्र 62 व्यक्ति रखे गये जबकि दिनांक 7-9-72 की संगठित सदस्यों की नामावली में 168 व्यक्तियों के नाम अंकित कराये गये थे। (देखिए तालिका संख्या 30 व तालिका संख्या 31)।

गुटों का विकास

तालिका संख्या 30 में 'अ' गुट में सम्मिलित सदस्यों की संख्या 30 है, एवं इनका भूस्वामित्व बीघा में पृथक पृथक दर्शाया गया है। इस गुट के सदस्यों की राजनीतिक स्थिति की जानकारी ग्राम में विरोध पूर्व 1967-1972 तक तत्पश्चात् विरोध के बाद 1972 से 1977 तक प्रान्तीय दलों में सम्मिलित सदस्य एवम् मतदाता के रूप में प्रदर्शित किया गया। अग्रिम प्रान्तीय राजनैतिक दलों से इन संगठित सदस्यों का राजनैतिक दल से सम्बन्ध सामान्य चुनाव 1980 में इनकी दलीय सदस्यता को भी इस तालिका में सुव्यवस्थित रूप से दर्शाया गया है। इसी स्थिति को (ब) गुट तालिका संख्या 31 से सदस्यों की राजनैतिक स्थिति का चित्रण किया गया है।

इस ग्राम के उग्र गुटीय संघर्ष के दोनों दलों में सशस्त्र संघर्ष में मुकदमा से सम्मिलित सदस्यों की जाति संरचना का विश्लेषण तालिका संख्या 32 में अंकित है। वैसे पुलिस रिकार्ड के अभिलेख में सर्वप्रथम लिस्ट में प्रथम दल (अ में धारा 307/117 में

तालिका संख्या 30

ब गुट

क्र0सं0	जाति	सदस्यों की संख्या	भूमि (बीघा में)	— राजनीतिक शक्ति — विरोधपूर्व (1967-72)	विरोध बाद (1972-77)	सामान्य चुनाव (1980) (1980)
1-	तेली	1	5	कांग्रेस	जनता	कांग्रेस आई
2-	तेली		5	कांग्रेस	कांग्रेस	कांग्रेस आई
3-	लोहार		6	कांग्रेस पार्टी	जनता(वर्तमान	कांग्रेस आई
4-	लोहार	3	6	कांग्रेस पार्टी	जनता	कांग्रेस आई
5-	लोहार		5	कांग्रेस पार्टी	जनता	कांग्रेस आई
6-	लोहार		50	कांग्रेस पार्टी	जनता	अनुपयोगी
7-	लोहार	4		कांग्रेस पार्टी	जनता	अनुपयोगी
8-	लोहार			कांग्रेस पार्टी	जनता	अनुपयोगी
9-	लोहार			कांग्रेस	जनता	कांग्रेस आई
10-	केवट		भूमिहीन	कांग्रेस	सदस्य-ग्रामपंचायत	अनुपयोगी
11-	केवट		5	अनुपयोगी	अनुपयोगी	अनुपयोगी
12-	केवट		30	कांग्रेस पार्टी	जनता	कांग्रेस आई
13-	केवट		6	कांग्रेस पार्टी	अनुपयोगी	लोकदल
14-	केवट		19	कांग्रेस पार्टी	अनुपयोगी	लोकदल
15-	केवट		15	कांग्रेस पार्टी	सदस्यग्रामपंचायत	अनुपयोगी
16-	केवट		15	अपुनयोगी	जनतापार्टी	लोकदल
17-	केवट		10	कांग्रेस पार्टी	जनतापार्टी	कांग्रेस आई
18-	केवट		30	कांग्रेस पार्टी	जनतापार्टी	कांग्रेस आई
19-	ब्राह्मण		30	कांग्रेस पार्टी	जनतापार्टी	अनुपयोगी

20- माली	25	कांग्रेस पार्टी	जनता पार्टी	कांग्रेस पार्टी
21- माली	20	कांग्रेस पार्टी	जनता पार्टी	कांग्रेस आई
22- यादव	35	कांग्रेस पार्टी	जनता पार्टी	कांग्रेस आई
23- आरख	1	कांग्रेस पार्टी	जनता पार्टी	अनुपयोगी
24- वैश्य	11	कांग्रेस पार्टी	जनता पार्टी	कांग्रेस आई0
25- कोरी	भूमिहीन	अनुपयोगी	अनुपयोगी	अनुपयोगी
26- चमार	16	कांग्रेस पार्टी	अनुपयोगी	कांग्रेस पार्टी
27- चमार	25	कांग्रेस पार्टी	अनुपयोगी	कांग्रेस पार्टी
28- डोमार	7	कांग्रेस पार्टी	अनुपयोगी	कांग्रेस पार्टी
29- चमार	150	कांग्रेस पार्टी	कांग्रेस पार्टी उपप्रधान	कांग्रेस आई0
30- केवट	18	अनुपयोगी	अनुपयोगी	अनुपयोगी

स्रोत :— पुलिस स्टेशन पैलानी कार्यालय से गुटों की नामजद रिपोर्टों के अनुसार गुटों में मुख्य सम्मिलित सदस्य तथा ग्रामीण सर्वेक्षण द्वारा। इन सदस्यों का प्रान्तीय दलों से संबंध।

तालिका संख्या 31

ब गुट

क्र0सं0	जाति	सदस्य संख्या	भूमि (बीघमें)	विरोध पूर्व (1967)	विरोध बाद (1972)	जनवरी के बाद 1980एम0 पी0चुनाव एम0 एल0ए0चुनाव
1	ब्राह्मण	161	161	कांग्रेस पार्टी, ग्राम प्रधान	कांग्रेस पार्टी	कांग्रेस पार्टी
2-	ब्राह्मण	1	25	कांग्रेस पार्टी	कांग्रेस पार्टी	कांग्रेस आई0
3-	ब्राह्मण	5	61	कांग्रेस पार्टी	जनता पार्टी	कांग्रेस आई0
4-	ब्राह्मण	1	63	कांग्रेस पार्टी	जनता पार्टी	कांग्रेस आई0
5	ब्राह्मण	2	50	कांग्रेस पार्टी	जनता पार्टी	कांग्रेस आई0
6-	ब्राह्मण	2	47 20	कांग्रेस पार्टी	अनुपयोगी	कांग्रेस आई0
7-	ब्राह्मण	2	भूमिहीन	कांग्रेस पार्टी	जनता पार्टी	अनुपयोगी
8-	लोहार	1	भू0 ही0	कांग्रेस पार्टी	अनुपयोगी	कांग्रेस आई0
9-	कुम्हार	1	भू0 ही0	कांग्रेस पार्टी	जनता पार्टी	कांग्रेस आई0
		16				

तालिका संख्या 32

ग्राम डिघवट के दोनों गुटों में सम्मिलित सक्रिय सदस्यों की जातिसंरचना

क्र०सं०	जाति अ.गुट में सम्मिलित सक्रिय सदस्य	सदस्य संख्या	क्र०सं०	जाति गुट ब में सम्मिलित जाति	सदस्यसंख्या
1-	तेली	2	1	ब्राह्मण	16
2-	लोहार	7	2	लोहार	1
3-	केवट	9	3	कुम्हार	1
4-	ब्राह्मण	1			
5-	माली	2			
6-	यादव	1			
7-	आरख	1			
8-	वैश्य	1			
9-	कोरी	1			
10-	चमार	2			
11-	डोमार	1			
योग		28	योग –		18

62 व्यक्ति एवं (ब) गुट (ब्राह्मण गुट) में 56 व्यक्तियों के नाम की तालिका दी गयी है किन्तु गुटों के संघर्ष शील क्रियाकलापों में विशेष प्रभावशाली सक्रिय सदस्यों का ही उल्लेख उक्त तालिका में किया गया है जिनका दो दशक के अपराधी कृत्यों में विशेष संगठित संघर्ष वर्ष 1972-1980 तक के पुलिस अभिलेख थाना पैलानी के अभिलेखों में प्रमाणित है।

अ- गुट में संघर्षशील सदस्यों की कुल संख्या 28 है जिन्होंने इस ग्राम के ब गुट (ब्राह्मण गुट) के आर्थिक शोषण एवं हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के प्रताड़न एवं बंधुआ मजदूरी की समाप्ति तथा मजदूरी की दरों की न्यायोचित मांगों के आन्दोलन से प्रारम्भ होकर संघर्षशील दल के रूप में कार्य किया। इनमें 2 तेली, 7 लोहार, 9 केवट 2 माली, 1 अहीर, 1 आरख, एवं 1 ब्राह्मण (पुजारी), 1 बनिया (उच्च वर्ग) तथा 1 कोरी दो चमार, 1 डोमार (हरिजन वर्ग) के व्यक्ति ग्राम के हरिजन एवं पिछड़ेवर्ग के संघर्षशील दल के सक्रिय सदस्य रूप में सम्मिलित हैं।

सम्बन्धित ग्राम के ब गुट (ब्राह्मण गुट) में विशेषकर 3-4 ब्राह्मण बड़े भू स्वामि परिवारों के सदस्यों की ही संघर्षशील गुटीय क्रिया कलापों में विशेष क्रियाशीलता रही जिन सदस्यों की संख्या मात्र 16 है अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम के अन्य ब्राह्मण परिवारों का भी सहयोग रहा किन्तु उपर्युक्त संघर्षशील सदस्यों का ग्राम के हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के विरुद्ध हिंसक अपराधों में पुलिस अभिलेख है। इस गुट में 1 कुम्हार एवं 1 लोहार व्यक्ति अ गुट के 1 लोहार नवयुवक से भूमि विवाद के कारण एवं अपने व्यक्तिगत विरोध के कारण ब गुट में सम्मिलित हो गये जिनकी भूमिका दलीय संघर्ष में उदासीन रही। वह व्यक्तिगत अपनी आत्मरक्षार्थ इस ग्राम के भू स्वामी के निवास स्थान में रहने लगे। इस ग्राम के हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह के अ गुट एवं ब्राह्मण जाति समूह के ब गुट के सदस्यों की जातीय संरचना को देखकर स्पष्ट होता है कि इन दोनों दलों में दल के नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु ही सक्रिय सदस्यों ने संघर्ष किया जातीयता की दृढ़ता का इस ग्राम की दलीय राजनीति एवं नेतृत्व में विशेष प्रभाव प्रभा-

षित नहीं होता।

तालिका संख्या 33

ग्राम डिप्पवट के दोनों गुटों में सम्मिलित सक्रिय सदस्यों का

भू स्वामित्व

भू स्वामित्व	अ गुट(हरिजन एवं पिछड़ावर्ग) में सम्मिलित सक्रिय सदस्यों का भू स्वामित्व (बीघा में)	ब गुट में सम्मिलित (ब्राह्मणगुट) सक्रिय सदस्यों का भू स्वामित्व (बीघा में)
1- भूमिहीन	2	4
2- 0 - 10	10	शून्य
3- 11 - 50	16	5
4- 51 - 100	शून्य	8
5- 101 से 300 तक	शून्य	1
योग -	28	18

अ गुट में सम्मिलित हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के संगठित सक्रिय सदस्यों की संख्या मुख्य रूप से 28 है जिनका भू स्वामित्व उपर्युक्त तालिका संख्या 33 में दर्शित है। जिनमें दो सदस्य भूमिहीन 0 –10 बीघा भू सीमा के अन्तर्गत, 10 सदस्य 11–50 बीघा के अन्तर्गत 66 सदस्य सर्वाधिक आते हैं। इस गुट के संघर्षशील सदस्य 51–100 एवं 101 से 300 बीघा भू सीमा के अन्तर्गत कोई सदस्य नहीं है।

ब गुट (ब्राह्मण गुट) के संघर्षशील सदस्यों की कुल संख्या 18 है। अप्रत्यक्ष रूप से वैचारिक सहयोग देने में तो ग्राम के बहुसंख्यक ब्राह्मण परिवार सम्मिलित हैं, किन्तु शारीरिक एवं आर्थिक अस्त्रों के साथ खूनी उग्र गुटीय संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से 18 सदस्य विशेष उल्लेखनीय है जिनका भू स्वामित्व उपर्युक्त तालिका संख्या 33 में दर्शित है। जिसमें 4 ब्राह्मण सदस्य इस ग्राम के भूमिहीन हैं जो ब्राह्मण ग्रामों के वासी हैं 0–10 बीघा भू सीमा के अन्तर्गत कोई सदस्य नहीं है। 11–50 बीघा भू-स्वामित्व रखने वाले 5 सदस्य हैं एवं 51 –100 बीघा भू स्वामित्व वाले सदस्यों की संख्या सर्वाधिक 8 है शेष 101 –103 भू स्वामित्व रखने वाले एक परिवार के सदस्य जो ग्राम के सबसे बड़े जमींदार ब्राह्मण है।

इस प्रकार दोनों अ गुट हरिजन एवं पिछड़ी जाति) के संघर्षशील सदस्यों का एवं ब गुट ब्राह्मण गुट के संघर्षशील सक्रिय सदस्यों के भू स्वामित्व के विश्लेषण के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि एक ओर अ गुट के संघर्षशील सक्रिय सदस्यों की सर्वाधिक संख्या प्रत्यक्ष रूप से 16 है जो 11–50 भू सीमा के अन्तर्गत आते हैं। जबकि ब गुट (ब्राह्मण गुट) के ~~सैका~~ संघर्षशील खूनी क्रान्ति के उग्र गुटीय सदस्यों की सर्वाधिक संख्या 8 है जो 51—100 भू सीमा के अन्तर्गत आते हैं। एवं एक सदस्य 101–300 बीघा भू सीमा के अन्तर्गत ग्राम के सबसे बड़े भू स्वामी हैं। अतः यह स्पष्ट दर्शित है कि ब्राह्मण गुट के संघर्षशील गुट के सदस्य वृहद् भू सीमा के अन्तर्गत के 50 प्रतिशत सदस्य आते हैं जब कि अ गुट (हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग) के 28 संघर्षशील सदस्यों में 2 भूमिहीन को छोड़कर शेष 26 सदस्यों में से 10 सदस्य 0 –10 बीघा भूसीमा के अन्तर्गत

आते हैं एवं सर्वाधिक 16 संघर्षशील सदस्य 11—50 बीघा भू सीमा के अन्तर्गत आते हैं। किन्तु इन सदस्यों में एक ही परिवार की भू सीमा 50 बीघा है शेष 11 बीघा के समीप ही अल्प भूसीमा के भूस्वामी हैं। अतः यह अल्प भूसीमा एवं भूमिहीन कृषि श्रमिकों के गुट की सामान्य आर्थिक स्थिति का द्योतक है।

तालिका संख्या 34

ग्राम डिघवट में दोनों गुटों में सम्मिलित सक्रिय सदस्यों की राजनैतिक संरचना राजनैतिक ध्रुवीकरण पूर्व (1967 – 72 एवं राजनैतिक ध्रुवीकरण का विश्लेषण :—

किसी राजनैतिक पार्टी से संबंध एवं ग्राम पंचायत के अधिकारी अथवा सदस्य	गुट के सक्रिय सदस्यों की संख्या		गुट के सम्मिलित सक्रिय सदस्यों की संख्या	
	गुट निर्माण पूर्व (1967-72)	गुट निर्माण बाद (1972-77)	गुट निर्माण पूर्व (1967-72)	गुट निर्माण बाद (1972-77)
ए-राजनैतिक पार्टी				
1-कांग्रेस	18	3	25	2
2-जनता	शून्य	11	शून्य	18
3- लोकदल	शून्य		शून्य	
4-कम्युनिस्ट	शून्य		शून्य	
5-अनुपयोगी	शून्य	4	5	10
योग।	18	18	30	30
बी0-ग्रामपंचायत के कार्यकर्ता रूप में				
1-प्रधान	1	शून्य	शून्य	1
2-उपप्रधान	शून्य	शून्य	1	1
3- सदस्य	6	3	6	9
	7	3	7	11

ग्राम डिघवट में दोनों गुटों में सम्मिलित सक्रिय सदस्यों की राजनैतिक शक्ति संरचना राजनैतिक ध्रुवीकरण के पूर्व (वर्ष 1967-1972) एवं राजनैतिक ध्रुवीकरण के बाद (1972-1977) का विश्लेषण तालिका संख्या 30 एवं 31 के आधार पर किया गया जिससे उपर्युक्त तथ्य निर्गत है। (अ) गुट (हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह) के सक्रिय संघर्ष शील उग्र गुटीय सदस्यों का प्रान्तीय राजनैतिक दलों से सम्बन्ध ग्रामीण गुट निर्माण पूर्व (1967-1972) तक कुल 18 सम्मिलित सदस्य कांग्रेस पार्टी के मतदाता ही ग्राम में गुट निर्मित होने के बाद उनका प्रान्तीय दलों से संबंध कांग्रेस विरोधी पार्टी के रूप में गैर कांग्रेस दलों की विलयन से निर्मित जनता पार्टी की लहर से प्रभावित होने के कारण इन सदस्यों ने 3 कांग्रेस आई0 के मतदाता है एवं 11 जनता पार्टी के मतदाता एवं 4 सदस्य किसी दल को मतदान न देकर प्रान्तीय दलों से उदासीनता ता0 संख्या 30 के अनुसार व्यक्त करते हैं।

इसी प्रकार (ब) गुट में सम्मिलित अधिकतम ब्राह्मण, संघर्षशील सदस्यों की राजनैतिक दलों से संबंधित जागरूकता तालिका संख्या 31 से प्रदर्शित है जिसमें ग्राम में राजनैतिक ध्रुवीकरण से पूर्व (1967-71) में कुल 30 सदस्यों में 25 सदस्य कांग्रेस पार्टी के मतदाता है। शेष 5 किसी भी प्रान्तीय दल के मतदाता नहीं है। अतः वह राजनैतिक जागरूकता नहीं रखते। ग्राम में राजनैतिक ध्रुवीकरण के बाद इस दल के संघर्षशील सदस्यों की राजनैतिक चेतना वर्ष 1972-77) के मध्य प्रान्तीय सामान्य चुनावों में दो सदस्य कांग्रेस आई0 के मतदाता हैं। 18 जनता दल की लहर से प्रभावित मतदाता है। शेष 10 प्रान्तीय राजनीति से उदासीनता व्यक्त कर किसी भी प्रान्तीय दल को मतदान नहीं देते।

ग्राम के राजनैतिक ध्रुवीकरण के पूर्व (1967-72) एवं ग्रामीण राजनैतिक ध्रुवीकरण होने के बाद (1972-77) तक के ग्राम पंचायत के चुनावों में दोनों गुटो ((अ-गुट (हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग समूह) एवं ब गुट (ब्राह्मण गुट) के विजित सदस्यों

के विश्लेषण को मध्य तालिका नं0 34 में प्रदर्शित किया गया है, आवलोकित करके इन दोनों गुटों की ग्रामीण शक्ति संरचना का स्पष्ट प्रभाव दर्शित होता है, अवलोकित करके इन दोनों गुटों की ग्रामीण शक्ति संरचना का स्पष्ट प्रभाव दर्शित होता है। ग्राम में राजनैतिक ध्रुवीकरण से पूर्व (1967-72) ग्राम के परम्परागत ग्राम प्रधान बड़े भू-स्वामी का ही प्रमुख पूर्ण प्रशासन रहा। वर्ष 1967-72 के चुनाव में भी ग्राम प्रधान अपने अलावा 6 ब्राह्मण सदस्यों को विजित कराकर 50 प्रतिशत बहुमत ग्रामीण शक्ति संरचना में अपनी दक्षता पूर्ण ग्रामीण राजनीति की कुशल जागरूकता परिचायक सिद्ध होता है ग्राम में हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग से ब्राह्मण समूह के बड़े भू स्वामियों के संघर्षशील उग्र गुटीय वातावरण निर्मित हो जाने के कारण हरिजन एवं पिछड़ा जाति समूह ने ग्रामीण शक्ति संरचना में अपना प्रभुत्व निर्मित करने हेतु ग्राम में बहुसंख्यक हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह द्वारा संगठित विरोध उच्च जाति समूह से किया। अतः ग्रामीण राजनैतिक ध्रुवीकरण के बाद (1972-77) के ग्राम पंचायत चुनाव में उच्च वर्ग के पास 3 सदस्य कुल 14 सदस्यों में विजित हुए शेष ग्राम पंचायत के उच्च पदाधिकारी ग्राम प्रधान के रूप में एक लोहार नवयुवक उपप्रधान के पद में एक हरिजन चमार बड़ा भूस्वामी शेष 9 सदस्य (2 अहीर, 2केवट, 3 लोहार, 1 तेली, 1 कुम्हार) पिछड़ीजाति समूह के विजित हुए यथा तालिका संख्या 26 में अंकित है। इस प्रकार (अ) गुट के हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह ने इस चुनाव में सदस्यता प्राप्त करके ग्रामीण शक्ति संरचना में हस्तान्तरित किया। या राजनैतिक गतिशीलता हरिजन एवं पिछड़ा जाति समूह की प्रबल राजनैतिक जागरूकता प्रदर्शित करती है।

ग्राम डिग्वट का नेतृत्व करने वाले मुख्य नेता :-

ग्राम डिघवट का नेतृत्व जमींदारी उन्मूलन पूर्व काल से ग्राम के सबसे बड़े भू स्वामी ब्राह्मण जमींदार द्वारा अनवरत वर्ष 1972 के ग्राम पंचायत चुनाव तक

रहा। इनके प्रमुख पूर्ण एकाधिकार प्रशासन में यहाँ के हरिजनों एवं पिछड़े वर्ग के बहुसंख्यक अल्प भूमि एवं भूमिहीन श्रमिकों ने शोषण एवं उग्र उत्पीड़न अनुभव किया। उचित पारिश्रमिक न मिलने पर संगठित इस वर्ग के लोगों ने उचित मजदूरी की दरों की माँग की। माँगों की पूर्ति न होने से एवं ग्रामीण विकास के अनुदानों में शोषण तथा गरीबों की सहायतार्थ सरकारी अनुदानों का शोषण एवं निजी स्वार्थ में उपयोग होने से अपने न्यायोचित अधिकारों की प्राप्ति हेतु इन वर्गों ने वर्ष 1972 के ग्राम पंचायत के चुनाव में उच्च वर्ग के हाथों से ग्रामीण शक्ति संरचना को भूतपूर्व ब्राह्मण ग्राम प्रधान को हराकर एक लोहार जाति के पिछड़े वर्ग के नवयुवक को ग्राम प्रधान के पद पर आसीन किया। इस प्रकार इस ग्राम में नवोदित नेताओं का अभ्युदय हुआ। एवं ग्रामीण शक्ति संरचना में गतिशीलता एवं हस्तान्तरण हुआ। ग्राम के इस उग्र गुटवाद की परिस्थितियों में निम्नांकित जाति के ग्रामीण नेता हुए। जिनकी जाति एवं भू स्वामित्व निम्न तालिका में अंकित है :—

तालिका संख्या 35

ग्राम के दोनों दलों के नेताओं की जाति एवं भू स्वामित्व का विश्लेषण

क्र०सं०	जाति (अ) गुट एवं (ब) गुट के प्रमुख एवं सहायक नेता	भूमि (बीघा में)
1-	ब्राह्मण (प्रमुख नेता ब गुट)	161
2-	ब्राह्मण (तृतीयक नेता ब गुट)	20
3-	ब्राह्मण	48
4-	ब्राह्मण (द्वितीयक नेता ब गुट)	63
5-	लोहार (प्रमुख नेता अ गुट)	6
6-	तेली (प्रमुख नेता अ गुट)	7
7-	तेली	5
8-	केवट (द्वितीयक नेता अ गुट)	25
9-	केवट	30
10-	केवट	15
11-	लोहार	7

संदर्भित ग्राम के मुख्य नेतृत्व कर्ताओं में उच्च वर्ग के ग्राम के सबसे बड़े भू स्वामी (161 बीघा) ब्राह्मण जमींदार अनवरत देश की आजादी के बाद से 1972 तक प्रभुत्वपूर्ण प्रशासक रहे, उनके सहायक द्वितीयक नेता के रूप में अन्य तीन ब्राह्मण भू-स्वामी जिनका भू स्वामित्व क्रमशः 63, 48, तथा 20 बीघा है।

इस ग्राम के पिछड़े वर्ग के प्रमुख नेतृत्व कर्ता के रूप में दो शिक्षित तेली बन्धु (पिछड़ी जाति) से प्रा0पा0 के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक हैं। जिनकी विशेष लोकतांत्रिक चेतना में उच्च वर्ग के द्वारा पिछड़ी एवं हरिजन जाति के अल्प एवं भूमिहीन कृषि श्रमिकों के आर्थिक शोषण एवं प्रताड़न तथा बन्धुआ मजदूरी समाप्ति हेतु इन दोनों वर्गों के संगठित संघर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। इनके अनुयायी के रूप में लोहार जाति के बहुसंख्यक परिवारों के एक नवयुवक के द्वारा ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में वर्ष 1972 के चुनाव में विजित होकर पिछड़ी एवं हरिजन वर्ग का नेतृत्व किया गया। इनका सहयोग इस ग्राम की अन्य पिछड़ी जाति के जातीय नेताओं यथा केवट (पिछड़ीजाति) डोमार (हरिजन) जाति समूह से द्वितीयक एवं तृतीयक नेता के रूप में सहयोग दिया गया। इस वर्ग के पिछड़ी जाति के एवं हरिजन जाति के प्रमुख नेताओं एवं सहायक द्वितीयक एवं तृतीयक नेताओं का क्रमशः भू स्वामित्व 6, 7, 5, 25, 30, एवं 15 बीघा तथा हरिजन जाति (डोमार) के नेता का भू स्वामित्व 7 बीघा है (देखिए तालिका संख्या 35)

ग्राम नेताओं का पृथक-पृथक गुटीय नेता के रूप में विभाजन

वर्ष 1972 के ग्राम प्रधान के चुनाव के पूर्व सवर्ण एवं हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग के मध्य व्याप्त मतभेद एवं सवर्ण भूमिधर भूतपूर्व प्रधान द्वारा ग्राम के शिक्षक साहू नेता को अपने व्यक्तियों द्वारा लाठियों आदि के मरणासन्न मार पीटने से उग्र गुटीय स्थिति का जन्म लिया। जिसका प्रभाव हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग में सघन

एकता पूर्ण संगठन के रूप में बहुमत से पिछड़े वर्ग के एक लोहार नवयुवक को प्रधान के रूप में एवं एक हरिजन चमार भूमिधर को उपप्रधान के रूप में एवं 9 अन्य हरिजन तथा पिछड़े वर्ग जाति के सदस्य के रूप में वर्ष 1972 के ग्राम पंचायत में निर्वाचित होकर ग्रामीण शक्ति संरचना का उच्च जातीय ब्राह्मण भूमिधर से पिछड़े एवं हरिजन वर्ग में हस्तान्तरित हो जाना जिससे उच्च जाति समूह में विशेष प्रतिशोध एवं विरोध की भावना का व्याप्त होजाना जिससे परस्पर विरोधी गुटों के प्रताड़न के कार्यों में वृद्धि होकर 10-12 स्थितियाँ दोनों गुटों में हो गयी। ऐसी उग्र गुटीय परिस्थितियों में इन गुटों का नेतृत्व करने वाले मुख्य एवं सहायक नेताओं का विश्लेषण तालिका संख्या 36 में वर्णित है :-

तालिका संख्या 36

ग्राम के दोनों गुटों के प्राथमिक एवं द्वितीयक, तृतीयक नेताओं का भूस्वामित्व

क्र0सं0	(अ) गुट के प्रमुख एवं सहायक नेताओं की जाति		भूस्वामित्व (बीघा में)	क्र0सं0	ब गुट के प्रमुख नेताओं एवं सहायक नेताओं का विश्लेषण	
					जाति	भूस्वामित्व (बीघा में)
1-	पिछड़ी तेली	प्रमुख नेता	7	1	उच्च ब्राह्मणप्रमुख	162
2-	जाति तेली	प्रमुख नेता	5	2	ब्राह्मण, द्वितीयक	61
3-	लोहार	प्रमुखनेता	6	3	ब्राह्मणद्वितीयक	63
4-	केवट	द्वितीयक	30	4	ब्राह्मण	20
5-	हरिजनचमार	द्वितीयक	7			

स्रोतः--जिला चकबन्दी कार्यालय द्वारा ग्राम के रेवेन्यू रिकार्ड द्वारा उद्धृत।

वर्ष 1972 से 1977 तक ग्राम डिघवट * उग्र गुटीय संघर्षमय परिस्थितियों का सामना कर रहा था। (अ) गुट हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग का गुट रहा। जिसका नेतृत्व मुख्य नेता के रूप में एक तेली जाति के प्राइमरी के प्रधान अध्यापक ने किया। एवं अन्य 5 सहायक नेताओं के रूप में उनके सहयोगी नेताओ के रूप में उनके सहयोगी नेता के रूप में यह भीषण गुटीय हिंसात्मक वातावरण में अपने विरोधी गुट से संरक्षणात्मक कार्य प्रणाली का संचालन करते रहे। इन पांच सहायक नेताओं जिनमें एक तेली शिक्षक का अनुज (छोटा भाई) वे भी प्राइमरी के शिक्षक हैं अन्य एक लोहार नव युवक ग्राम प्रधान एवं एक डोमार (हरिजन जातीय) तथा दो केवट में से एक केवट को उच्च वर्गीय गुट ने रायफल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसी के स्थान पर केवट जाति के इस द्वितीय नेता ने नेतृत्व किया। इस प्रकार इस हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व पिछड़ी जाति के नेता एवं एक हरिजन नेता ने किया। इस केवट नेता था को गोली मारने के पश्चात् डोमार नेता को भी तीन गोली से उच्च वर्गीय ब्राह्मण गुट) के तीन चार व्यक्तियों ने मारा किन्तु जिला अस्पताल बाँदा में दवा कराने के बाद वह बच गया। उग्र गुटीय संघर्षमय परिस्थिति में उच्च वर्ग के हिंसक विरोध का सामना करते हुए हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के सैनिक संगठन ने इन ब्राह्मणों का एक व्यक्ति भी खेत में भैंस चराते समय गोली से मार दिया गया। इस प्रकार यह हिंसात्मक रूप एवं विध्वंसात्मक स्थिति के रूप में हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग ने अपने संरक्षणात्मक रूप में उच्च वर्ग के दमन चक्र को नष्ट करने हेतु खलिहानों में भी ब्राह्मण जमींदारों के द्वारा लगोटी एवं खलिहान में मिलने वाले ब्राह्मणों को बुरी तरह मार पीट कर घायल कर दिया।

ब्राह्मण वर्ग का नेतृत्व ग्राम के सबसे बड़े भूमिधर भूतपूर्व, ग्राम प्रधान द्वारा होता था किन्तु गुटीय संघर्ष में उच्च जातीय ब्राह्मणों के चार परिवार विशेष सक्रिय थे। अतः शेष तीन ब्राह्मण परिवारों के मुखियों ने भ सहायक नेता के रूप में (ब) उच्च जातीय गुट का नेतृत्व किया। दोनों गुटों के गुटीय नेताओं के भू स्वामित्व को

भी उपर्युक्त तालिका में प्रदर्शित किया गया है। उनके भू स्वामित्व को वर्गान्तर तालिका में निम्नवत अल्पतम एवं अधिकतम जोत रखने वाले नेताओं का विश्लेषण तालिका संख्या 37 में अंकित है —

तालिका संख्या 37

ग्राम डिघवट के दोनों गुटों के नेताओं का भूस्वामित्व (बीघा में)

क्र0सं0	भूस्वामित्व (बीघा में)	(अ) गुट के नेताओं का भूस्वामित्व (बीघा में)	ब गुट के सवर्ण बड़े भूस्वामी नेता
1-	भूमिहीन	शून्य	शून्य
2-	0-10	4	शून्य
3-	11-50	2	1
4-	51-100	शून्य	2
5-	101-300	शून्य	1
योग —		6	4

स्रोत :— जिला चकबन्दी कार्यालय बांदा द्वारा ग्राम डिघवट का रेवेन्यू रिकार्ड द्वारा संकलित आंकड़ों द्वारा।

(अ) गुट हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग समूह के नेताओं की भूमि सीमा 0-10 बीघा वर्गान्तराल तक ही अति लघु भूमि है एवं मात्र दो नेताओं की भूमि सीमा 11-50 बीघा वर्गान्तराल के अन्तर्गत है। अतः इस वर्ग का नेतृत्व करने वाले अल्प भूमि एवं भूमिहीन श्रमिक एवं सुविधाविहीन वर्ग का नेतृत्व उनके हितों के संरक्षण हेतु करते हैं।

(ब) गुट उच्च जातीय भूमिधर एवं सुविधा सम्पन्न वर्ग है। इस वर्ग का नेतृत्व करने वाला सबसे बड़ा भूमिधर ब्राह्मण है जो 1951 से 1967 तक ग्राम का ग्रामप्रधान

रहकर वह समस्त ग्राम का नेतृत्व करता रहा। उनके शोषण एवं एकाधिकार के अधि-नायक वादी प्रशासन के कारण ग्राम में गुटबन्दी व्याप्त हुई। इनसे सहयोगी तीन नेता और भी हैं। इन नेताओं की जोत सीमा क्रमशः 0-10 वर्गान्तराल में शून्य 11-50 वर्गान्तराल के मध्य एक नेता, 51-100 बीघा भूमि के वर्गान्तराल सीमा के अन्तर्गत 2 नेता एवं 101- बीघा से 300 बीघा के मध्य एक सर्वाधिक भूमि स्वामित्व वाला नेता है। अतः यह वर्ग उच्च जाति अधिक भूमि सीमा वाला सुविधा सम्पन्न वर्ग का अपने आर्थिक हितों एवं श्रमजीवी हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के आर्थिक शोषण एवं दमन बेगार तथा कम मजदूरी देकर अधिक घण्टों मजदूरी से काम लेने एवं कर्ज युक्त श्रमिकों को बंधुआ मजदूरी हेतु बाध्य करने की व्यवस्था के लिए संघर्ष युक्त नेतृत्व करता रहा।

निष्कर्ष :—

प्रस्तुत अध्याय 5 राजनैतिक संरचना की विशद विवेचना से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि हमने इस शोध अध्ययन में जिन उपपरिकल्पनाओं का परीक्षण किया प्रथम 'राजनैतिक शक्ति तथा आर्थिक सुविधाओं का गाँव के समूहों में असमान वितरण ग्रामीण गुटवाद को जन्म देता है।' सत्यापित सिद्ध हुआ। हरिजन एवं पिछड़े पिछड़े वर्ग द्वारा सदर्भित अध्ययन ग्राम डिबवट में सभी सवर्ण व्यक्तियों से उनका संघर्ष नहीं था सवर्णों में भी बहुत से परिवार अल्प भूमि वाले एवं भूमिहीन थे जिनकी ग्रामीण दल गत राजनीति एवं ग्रामीण संघर्षों में तटस्थ भूमिका रही। तथा कुछ सवर्ण व्यक्ति हरिजन तथा पिछड़े समूह के साथ भी थे जैसा कि तालिका संख्या 30 से सिद्ध होता है तथा पुलिस थाना की रिपोर्टों में हरिजन तथा पिछड़ी जाति के गुट के साथ ब्राह्मण, सुनार आदि सवर्ण व्यक्तियों को भी 65 व्यक्तियों की थाना पैलानी की पुलिस रिपोर्ट में पाया। इसी प्रकार गाँव के सवर्ण वर्ग के गुट में ग्राम के समस्त सवर्ण नहीं सम्मिलित थे बल्कि बड़े भू सीमा वाले 4-6 परिवार अधिक सक्रिय रहे शेष अल्प भू सीमा एवं भूमिहीन सवर्ण वर्ग के व्यक्ति तटस्थ रहे। अतः इस ग्राम में जातीय समूहों का संघर्ष बाह्य रूप

से प्रतीत होता है किन्तु वास्तविकता ग्राम में भूमि की असमानता का वितरण ही है जिसकी वजह से बड़े भू स्वामियों ने भूमिहीन एवं अल्प भूमि वाले हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रताड़न एवं कम मजदूरी तथा बंधुआ मजदूरी के लिए बाध्य किया एवं अनवरत कई वर्षों से कई व्यक्ति सवर्णों के बंधुआ मजदूर अरखा, एवं केवट चमार रहे। जबकि बड़े भूमिधर हरिजन जैसे ग्राम का उपप्रधान जिसके पास 100-125 बीघा भू सीमा थी वह ग्रामीण दलगत राजनीति के संघर्ष में उदासीन तटस्थ भूमिका निभाता रहा।

हमारी दूसरी उपपरिकल्पना थी कि 'राजनैतिक चेतना का प्रसार गुटवाद को जन्म देता है।' वस्तुतः इस ग्राम की संघर्षशील गुटबन्दी का मूल कारण हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के शिक्षित नेतृत्वकारी व्यक्तियों में अनवरत प्रताड़न आर्थिक शोषण अमानुषिक दुर्व्यवहार, अल्प मजदूरी में अधिक घण्टों काम सवर्णों द्वारा लेना तथा जुआ खेलकर सवाया ब्याज की दर से रुपया वसूलने का आधार बनाकर निर्धन श्रमिकों को बंधुआ मजदूर बनाने जैसे दुर्व्यवहारों से त्रस्त होकर लोकतांत्रिक संवैधानिक आधार ग्राम पंचायत में विजित होकर ही ग्रामीण शक्ति संरचना को बदला जा सकता है अतः हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह में राजनैतिक चेतना जागृत हुयी इस [illegible] चेतना ने हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के समूह के रूप में अल्प भू सीमा तथा भूमिहीन श्रमिकों के समूह का निर्माण अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से किया एवं वर्ष 1972 में ग्राम पंचायत चुनाव में वर्ष 1967 की सवर्ण शक्ति बाहुल्य ग्राम पंचायत के स्थान पर वर्ष 1972 में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के ग्राम प्रधान सहित 14 ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों में 11 सदस्य ग्राम प्रधान सहित विजित होकर ग्राम पंचायत में अपना बहुमत प्राप्त किया तथा लोकतांत्रिक सरकार में समान अधिकारों एवं सुविधाओं की माँग को प्रस्तुत करने योग्य बन सके।

इस ग्राम की राजनैतिक जागरूकता के परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत चुनाव के लिए हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के गुट का निर्माण सवर्णों के विरोध में विकसित

होना हमारी तीसरी उपपरिकल्पना – कि गुटबाद ग्राम पंचायत के चुनाव के कारण विकसित होता है।' यह भी वर्ष 1972 के चुनाव में बहुमत से जीतने के परिणाम हेतु सवर्णों के विरोध में निर्मित हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के बहुसंख्यक समूह का संगठन जिसने सवर्णों के प्रताड़न, हिंसा को रोकने हेतु एक क्रान्तिकारी दल के रूप में कार्य किया ग्राम पंचायत चुनाव के कारण ही यह राजनैतिक चेतना जागृत हुयी, इस ग्राम के घटनाओं की व्याख्या एवं पुलिस इंचार्ज की रिपोर्टों से सिद्ध होता है।

षष्ठ अध्याय

जाति, वर्ग और दल

यह अध्याय गुटवाद के वास्तविक आधार का पता लगाने का प्रयत्न करेगा जैसा कि प्रस्तावना में गुटवाद से संबंधित अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि गुटवाद के मौलिक आधारों में जाति तथा वर्ग प्रमुख हैं। प्रस्तुत अध्ययन में हम इस शोध प्रश्न का उत्तर पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या डिबवट ग्राम में गुटवाद का मौलिक आधार केवल जाति है? या केवल वर्ग है? या जाति एवं वर्ग दोनो हैं? यदि जाति को हम आधार मानते हैं, तो हमें यह व्याख्या करनी चाहिए कि क्या उस जाति के सभी सदस्य गुट के सक्रिय सदस्य हैं? अथवा उस जाति में जो भी वे लोग जिनके पास अधिक भूमि है, या जिनके पास राजनैतिक सत्ता है वे हैं? इसी प्रकार से हमें यह भी व्याख्या करनी चाहिए कि यदि वर्ग गुटवाद का आधार है तो इस वर्ग में जिन जातियों के सदस्य प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, अभी तक के अध्ययनों में इस प्रश्न की स्पष्ट रूप से व्याख्या बहुत कम लोगों ने की है। अतः सर्व प्रथम जाति की विभिन्न व्याख्याओं के मतों की विवेचना और फिर वर्ग की अवधारणा का समीक्षात्मक मूल्यांकन किया जायेगा और फिर उन समाजशास्त्रीय अध्ययनों की चर्चा की जायेगी जिन्होंने जाति या वर्ग या जाति तथा वर्ग एवं सत्ता को गुटवाद का निर्णायक आधार माना है। इन अध्ययनों की सैद्धान्तिक समीक्षा की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत शोधकार्य के आंकड़ों का मूल्यांकन किया जायेगा।

जाति की अवधारणा

जे०एच०हट्टन (1951 : 47) 'भारत में जाति' — के अनुसार जाति को अंग्रेजी में कास्ट कहते हैं। यह शब्द पुर्तगाली कास्टा से बना है, जिसका अर्थ प्रजाति जाति या किस्म है' इस अर्थ के अनुसार जाति प्रथा एक ऐसी व्यवस्था है जिसका

आधार प्रजातीय भिन्नता अथवा जन्मजात भिन्नता है। पश्चिम के देशों में जाति शब्द का प्रयोग एक दूसरे से शारीरिक विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले मानव समूहों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह अर्थ भारत की जाति व्यवस्था के सही स्वरूप को स्पष्ट नहीं करता। वास्तव में जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द जातः से होने की सम्भावना की जा सकती है, जिसका अर्थ है जन्म, इससे स्पष्ट होता ह कि जाति का तात्पर्य किसी भी ऐसे समूह से है जिसके सदस्यों की सामाजिक स्थिति जन्म से निर्धारित होती है।

हट्टन (1951 : 15) 'भारत में जाति इतिहास' के अनुसार उद्धृत हरबर्ट रिजले ने जाति प्रथा को स्पष्ट करते हुए कहा है —' जाति परिवारों के समूह का संकलन है, जिसका एक सामान्य नाम होता है जो एक काल्पनिक पूर्वज (मानव या देवता) से अपनी वंश परम्परा होने का दावा करते हैं। एक ही परम्परागत व्यवसाय को करने पर जोर देते हैं और एक सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मान्य होते हैं। रिजले की परिभाषा में सबसे बड़ा दोष यह है कि उन्होंने जाति प्रथा एवं गोत्र में कोई भी भेद नहीं माना है। काल्पनिक पूर्वज से वंश की परम्परा एक गोत्र में मानी जाती है, जाति में नहीं।

हट्टन के अनुसार —' जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण समाज बहुत सी कई और एक दूसरे से पृथक इकाइयों में विभाजित होता है। इन इकाइयों के पारस्परिक संबंध ऊँच नीच पर निर्धारित होते हैं।

जाति की अवधारणा -

गोविन्द सदाशिव घुर्ये (1961 : 215) के अनुसार 'जाति वर्ग और व्यवसाय' जाति अपने उद्गम में व्यावसायिक नहीं है एक ही जाति के सदस्य भी भिन्न भिन्न व्यवसाय करते थे। फिर भी सैद्धान्तिक रूप से बहुत प्राचीन काल से न केवल वर्णानुसार व्यवसाय या व्यवसायों के समूह निर्धारित किये गये अपितु उनमें से अनेक जाति के अनुसार भी निश्चित हुए।'

ब्लंट (1969 : 5) के अनुसार 'जाति एक अन्तर्विवाही समूह है, जो एक समान नाम, जन्म से ही वंशानुगत सदस्यता रखते हैं। जिनके सदस्यों को वैवाहिक सम्बन्ध रखने के कुछ प्रतिबन्ध होते हैं।

(1) एक जाति के लोग परम्परागत व्यवसाय अपनाते हैं।

(2) समान वंश से जन्म का दावा।

(3) समान व्यवसाय और समान वंशजों से जन्म रखने वाले व्यक्ति समान समुदाय का निर्माण करते हैं।

इरावती कर्वे (1975 : 131) के अनुसार जाति की निम्न विशेषतायें हैं —

(1) जाति हिन्दू समाज का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सामाजिक समूह है।

(2) जाति एक अन्तर्विवाही समूह होती है जो सामान्यतः एक क्षेत्र विशेष में रहती पाई जाति है।

(3) अन्तर्विवाही समूह के रूप में जाति सदस्य रक्त या विवाह संबंधों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं।

(4) ये अन्तर्विवाही समूह अपने ही समान काम धंधा करने वाले अन्य समूहों जैसी सामाजिक परिस्थिति वाले होते हैं। कभी कभी एक सा काम धंधा करने वाले इन समूहों के नाम में भी पूर्णतया आंशिक समानता पाई जाती है।

कर्वे के विचारों से केतकर महोदय भी सहमत हैं यथा — हट्टन — (1946 : 48) ने अपनी पुस्तक 'भारत में जाति' में केतकर के निम्न विचार उद्धृत किये हैं। जाति को सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया है जिसके दो विशेषतायें बताई हैं2

(1) जन्म से जाति की सदस्यता निर्धारित होती है।

(2) जाति की सदस्यता दो भिन्न भिन्न समूहों में आपसी वैवाहिक संबंधो को निर्धारित करती है।

एस0वी0 केतकर (1979 : 5) के अनुसार —' जाति एक सामाजिक समूह है, जिसकी सदस्यता उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जिन्होंने उसी समूह में जन्म लिया हो तथा जिसके सदस्यों पर एक दृढ़ सामाजिक नियम के द्वारा अपने समूह से बाहर विवाह करने पर निषेध लगा दिया जाता है।"

हट्टन, ब्लंट, घूर्ये एवं दत्ता आदि ने लगभग समान विशेषतायें जाति की अवधारणा के लिए प्रस्तुत की हैं। आन्द्रे बेताई (1969) के अनुसार —' एक लघु और लोगों के नामिक समूह जो अंतर्विवाह, पैतृक सदस्यता और एक विशेष जीवन ढंग जो कभी कभी प्रथाओं के प्रोत्साहन द्वारा एक विशेष व्यवसाय से संबंधित होते हैं और अक्सर अल्प या अधिक रूप से स्तरीकरण की व्यवस्था में एक भिन्न संस्कारित स्तरों से संयुक्त रहते हैं।'

अतः भारत में जाति व्यवस्था में संस्तरण पाया जाता है, जिसका आधार सामाजिक व वैधानिक असमानता है।

उपर्युक्त परिभाषाओं से जाति की प्रमुख विशेषता जन्म के आधार पर एक समूह की सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत किसी भी सदस्य को अपनी जाति के बाहर जाने का अधिकार नहीं होता, इसीलिए जाति को कूले एवं मजूमदार व मदान ने 'एक बन्द वर्ग' कहा है और प्रत्येक जाति एवं उपजाति एक विशेष पेशे से संबंधित होती है। अतः जाति प्रथा की मूलतः विशेषतायें --

(1) जाति स्तरीकरण

(2) अंतर्जातीय विवाह

(3) निश्चित जातिय पेशा

(4) पैतृकता होती है।

वास्तविकता यह है कि जाति सामाजिक स्तरीकरण की वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अधिकार तथा कर्तव्य जन्म से निर्धारित होते हैं।

तथा किसी भी व्यक्ति को खान-पान, व्यवसाय, विवाह तथा सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में अपने जातिगत समूह से बाहर निकलने की स्वतंत्रता नहीं होती है।

भारतीय समाज और संस्कृति का 'विभिन्नता में एकता' का विवेचन काल्पनिक बोध प्रदत्त करता है। यह मान्यता भारतीय समाज में पूर्ण समानता, शान्ति और सामंजस्य विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों के मध्य व्यक्त करती है। किन्तु समाज में यह मान्यता समीक्षात्मक स्थिति पर आधारित नहीं है।

हिन्दू जातिव्यवस्था का विभिन्न समाज शास्त्रियों ने अपने अध्ययनों से समीक्षायें प्रस्तुत की हैं इन पहलू के आधार पर जाति व्यवस्था को निम्न वर्गीकरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है —

(1) जाति व्यवस्था — सामाजिक स्तरीकरण की वह व्यवस्था है जो हिन्दू समाज को पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर हिन्दू समाज में विभाजन उत्पन्न करती है।

(2) हिन्दू जाति व्यवस्था राजनैतिक और आर्थिक सम्पन्नता की दृष्टि से स्तरीकरण के शीर्ष एवं निम्न स्तर की जातियों में एक ओर उच्च जातियों की राजनैतिक आर्थिक सुविधा सम्पन्नता एवं दूसरे ओर निम्न जातियों में राजनैतिक आर्थिक सुविधा सम्पन्नता विहीनता एवं श्रमिक स्तर उत्पन्न करती है।

(3) कुछ समाज शास्त्रियों ने जाति व्यवस्था की विवेचना उपर्युक्त दोनों के सम्मिलित रूप से की है।

योगेश अटल (1968 : 6) ने जाति की 23 परिभाषाओं का सर्वेक्षण प्रतियोगी शोध छात्रों द्वारा किया और इन्हें तीन विस्तृत वर्गीकृत श्रेणियों में विभाजित किया। कुछ ने जाति की इन परिभाषाओं को जाति एक समूह के रूप में दूसरों ने सामाजिक व्यवस्था के रूप में, कुछ दूसरों ने इन दोनों श्रेणियों की परिभाषाओं के तत्वों को सम्मिलित कर तृतीय श्रेणी में विभाजित किया।

(अ) जाति एक समूह के रूप में —

इन परिभाषाओं की श्रेणी में जाति का वर्ग से संबंध अन्वेषित किया, जाति और वर्ग स्तरीकरण के प्रकरण के विभेदीकरण बनाते हैं। इस प्रकार डेविस (1958 : 325) जाति को परिभाषित करता है कि जाति द्वारा सामाजिक वर्गों का अंतर्गत अंतर्विवाह और वंशानुगत स्तर अर्जित होता है।(1958 : 325) उद्धृत येगिश अटल (1968 : 6)।

(ब) येगिश अटल (1968) ने अग्रिम अपने अध्ययन में जाति को आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के रूप में करने के महत्व को बताते हैं। येगि अटल के अनुसार —' जाति महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य रखती है। श्रम का विभाजन और विभिन्न दक्षता की विशेषीकरण द्वारा विभिन्न जाति समूहों की विशेषता भारतीय ग्रामों की आर्थिक परम्परा है। प्रत्येक जातिकुछ विशेष व्यवसायों से संयुक्त है कुछ ऐसे व्यवसाय भी होते हैं जिन्हें खुला व्यवसाय भी कहते हैं जिन्हें दोनों परम्परागत एवं नवीन व्यक्ति समान पूर्वक अपना लेते हैं और दूसरे व्यवसाय कुछ सीमित जातियों या एक जाति विशेष स्तर का व्यवसाय और सम्भारिक स्तरीकरण रखती है।

हारपर (1959:760) ने बहुत सही कहा है कि "कुछ जातियाँ विशेष व्यवसायों का विशेषीकरण रखती हैं और दूसरी अत्यधिक व्यवसायों का सामान्यीकरण। यहाँ कुछ बदल के समूहों की तरह व्यवसाय हैं जो सामान्यतया सभी जातियों से संयुक्त हैं जिन्हें जाति व्यवसाय के नाम से जाना जाता है।

आन्द्रे बेतेले (1959) ने जाति की व्याख्या 'एक लघु और लोगों के नामिक समूह जो अन्तर्विवाह पैत्रिक सदस्यता और एक विशेष जीवन ढंग जो कभी-कभी प्रथाओं के प्रोत्साहन द्वारा एक विशेष व्यवसाय से सम्बन्धित होते हैं और अधिक अल्प या अत्यधिक रूप से स्तरीकरण की व्यवस्था में एक भिन्न संस्कारित स्तरों से संयुक्त रहते हैं, परिभाषा दी है।

इस प्रकार परम्परागत व्यवसाय ग्रामों में प्रथम बन्द द्वितीय सीमित खुला तृतीय खुला श्रेणी में विभाजित है।

इस प्रकार समस्त ग्रामीण व्यवसायों को निम्नांकित श्रेणियों, उपश्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है –

(1) कृषक श्रेणी।

अ- भूस्वामी – ये कृषि क्रियाओं श्रमिकों द्वारा कराते हैं।

क- भूस्वामी स्वयं अपने कृषि प्रक्षेत्र में कृषि क्रियायें सम्पादित करते हैं।

ब - कृषि श्रमिक।

(2) गैर कृषक श्रेणी –

अ - कृषि उत्पादन से संबंधित आवश्यक कृषि सामग्री का कार्य करने वाले (हल, गाड़ी, चमड़े का चरसा और अन्य यन्त्र)।

ब - घरेलू उपयोग के आवश्यक उत्पादन के सामान।

स - घरेलू सेवायें।

द - पुजारी का कार्य।

य - अन्य।

उपर्युक्त व्यवसायों का सम्बन्ध हिन्दू सामाजिक व्यवस्था से संलग्न जाति व्यवसायों से है। इस प्रकार उच्च जातीय वृहद् भू - सीमा वाले कृषक एवं निम्न तथा पिछड़ी जातीय निर्धन श्रमिकों से कृषि क्रियाओं का सम्पादन निर्धारित मासिक या वार्षिक वेतन द्वारा लेते हैं। ये व्यवसाय भी हिन्दू समाज को विभिन्न स्तर के व्यावसायिक समूहों में विभक्त कर देते हैं। डिसूजा महोदय ने अपने अध्ययन में व्यावसायिक प्रतिष्ठा को जातीय स्तरीकरण के रूप में स्वीकार किया है।

आन्द्रे बेताई (1969 : 58-59) ने अपने अध्ययन दक्षिण भारत में तन्जोर जनपद के ब्राह्मण बाहुल्य श्रीपुरम् ग्राम का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है —
"ग्राम को प्रथम ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण दो भागों में विभक्त करते हैं और आदि द्रविण (जाति संरचना) द्वितीय भू स्वामि असामी और कृषि मजदूर (वर्ग व्यवस्था) तृतीय

विस्तृत शब्दों में शक्ति स्तराकरण जो अपेक्षाकृत प्रथम एवं द्वितीय से अधिक महत्त्वपूर्ण है। ये तीनों संक्षिप्त वर्गीकरण बहुत विचारणीय है। इस प्रकार ये ब्राह्मण (स्वामी) परम्परागत अभिजात वर्ग है वर्तमान अध्ययन काल में यहाँ के अल्पहीन भूमिहीन ब्राह्मणों और बहुसंख्यक गैर ब्राह्मण वर्ग के मध्य प्रतियोगी संघर्ष हुआ जिससे राजनैतिक शक्ति ब्राह्मणों से गैर ब्राह्मणों के हाथ राजनैतिक सत्ता हस्तान्तरित हुयी।

अन्द्रे बेतार्इ (1969 : 78-79) उन्नीसवीं शताब्दी से वर्तमान इक्कीसवीं शताब्दी तक शक्ति भारतीय और ग्रामीणों में कुछ परिवर्तित रूप में केन्द्रित रही। विगत काल से ग्रामों में शक्तिप्रभु जाति के रूप में प्रत्यक्ष हुई। शक्ति स्थिति में बहुत से परिवर्तन प्रभु जाति में हुए। इसका विश्लेषण दो भागों में सम्भव है। प्रथम में शक्ति – एक जाति समूह से दूसरे में हस्तान्तरित हुई और दूसरे में शक्ति स्वयं जाति संरचना में विभिन्न राजनैतिक अंगों और संस्थाओं के रूप में स्थानापन्न हुई। संदर्भ के रूप में पूर्व वर्णित तन्जोर जनपद के श्रीपुरम् ग्राम में शक्ति एक जाति समूह से दूसरे जाति समूह में हस्तान्तरित हुई यहाँ ब्राह्मणों ने परम्परागत अभिजाति वर्ग की रचना की थी, उन्होंने ग्राम में मुख्य निर्णय और सामूहिक क्रिया कलाप संगठित किये थे मध्य के 40 वर्षों तक ग्राम पंचायत में प्रशासन ब्राह्मणों द्वारा पूर्णरूपेण हुआ ग्राम पंचायत का प्रधान एक ब्राह्मण था और अग्राहरम् के अन्तर्गत पंचायत भवन था उसमें गैर ब्राह्मण सदस्य भी थे किन्तु उनका कार्य अल्प महत्त्व रखता था, स्वतंत्रता वर्ष 1947 में तीव्र परिवर्तन हुआ। आजकल गैर ब्राह्मणों द्वारा ग्राम पंचायत प्रशासित है। ग्राम प्रधान एवं उपप्रधान दोनों गैर ब्राह्मण है और पंचायत भवन अग्राहरम और गैर ब्राह्मण सड़क में उपयोग होता है। गैर ब्राह्मणों द्वारा ग्राम पंचायत में प्रशासन प्रगतिशील शक्ति को प्रदर्शित करता है जो लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजनाओं को अब कार्यान्वित करता है। ग्राम प्रधान एक न्याय पंचायत का सदस्य है और पंचायत कार्यालय का निरीक्षण क्षेत्र विकास अधिकारी तथा केंद्रीय एम०एल०ए० और प्रान्तीय सरकार के मंत्रियों द्वारा किया जाता है।

सैलिग एस0हैरीसन जून 1959 : 382 जाति और आन्ध्र कम्युनिस्ट अमेरिकन पालीटिकल साइंस रिव्यू) हरिसन का अध्ययन 'आन्ध्र राजनीति में दो प्रभु जातियों कम्मा और रेड्डी का है चित्रण प्रधान येद्धा के रूप में परम्परागत विरोधी जातियों के दलों के रूप में प्रदर्शित करता है।

(ब) जाति व्यवस्था :—

गाँव में सामान्यतया जाति स्तर को उच्च या हीन संस्कार क्रम पर आधारित माना है। मिल्वर वर्ग 1959 : 149) कास्टरेंस प्रइवेड स्टेटर्स वर्सस काट इररेलीवेन्ट रोल्स मेन इन इण्डिया वोल्यूम 39 न02) " किसी भी जाति विशेष में प्रत्येक हिन्दू व्यक्ति अपनी स्थिति अर्जित करता है जो अपेक्षाकृत दूसरी जाति क्षेत्रीय या विस्तृत भारत में प्रचलित प्रकृति है, उसी के अनुरूप अर्जित करता है" विभिन्न जातियों के मध्य जातिप्रतिक्रिया का ढंग उनके वास्तविक स्वीकारित प्रकृति के अनुसार प्रभावित होता है। ग्रामीण समुदाय की तत्काल संरचना बहुत सी जातियों की प्रकृति और स्वीकारित स्तर का उपयोग करते हैं यह अत्यधिक कठिन है कि हिन्दू जातीय स्तरीकरण को सभी जातियों द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार करना। किन्तु बहुत कठिनाइयों के बाद सामान्य तथा स्वीकृति स्तरीकरण के वर्गीकृत करने में चार महत्वपूर्ण कारकों द्वारा समस्या को तीव्र किया गया।

(1) विभिन्न क्षेत्र में जाति का स्तर सामान्य नामों से जाना जाता है।

(2) विभिन्न नाम की जातियाँ एक या विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य स्तर अर्जित करती हैं।

(3) जाति विभिन्नताओं के परिणामस्वरूप सभी जातियाँ अपना स्तर बनाती हैं।

(4) धुरये 1957 :7 जाति समूहों के अन्तर्गत ईर्ष्या की भावना होती है लेकिन यह भी है कि इस बिन्दु पर लोगों के विचार अनिश्चित या केन्द्रित रहते हैं, मिल्वर वर्ग 1959 : 157 एक ही गाँव में एवं औसतन पड़ोस के गाँवों की जाति स्तरीकरण में विभिन्नता पाई जाती है।

मैकिम मैरिट (1959: 92) ने अपने प्रारम्भिक दस्तावेज में जातीय स्तरीकरण के दो सिद्धान्तों (1) गुण समुच्चय सिद्धान्त) (2) प्रतिक्रियात्मक सिद्धान्त की विस्तृत व्याख्या की है।

(1) गुण समुच्चय सिद्धान्त :— इसमें समूह के संस्कारिक स्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित बातों पर आधारित होता है। (अ) कुछ व्यवहार के विशेष स्तर का अवलोकन जिनमें से सम्बन्धित व्यवसाय भोजन और शादी मुख्य रूप से पवित्रता की अवधारणायें, (ब) कुछ विशेष प्रथाओं के पालन करने का आधार (स्टीवेन्सन 1954 : 64)।

संस्कारित प्रतिक्रियावादी दो सिद्धान्त है —(1) संस्कारों को देना और भोजन प्राप्त करना (2) संस्कारित सेवाओं को देना और प्राप्त करना।

प्रथम प्रकार की प्रथम प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में केथलीनगफ (1959: 115) ने अपने अध्ययन में बताया कि उच्च संस्कारित लोग सामान्यतया शाकाहारी होते हैं जबकि मांसाहारी लोग इस स्तर के बाहर के होते हैं।

दूसरे प्रकार की संस्कारित प्रतिक्रिया — इसमें संस्कारित सेवाओं को देना और लेना ही बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही वैध है, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जातियों के सम्बन्धित स्तर को मूल्यांकित करने में सबसे ज्यादा वैध आधार है बहु संख्यक दस्तकार एवं सेवक जातियाँ जो किसी जाति को उसके उच्चतम संस्कारित स्तर की सेवा करते हैं।

डूमाण्ट महोदय (1960 : 43) ने पवित्रता और अपवित्रता के संस्कारों के आधार पर उच्च एवं निम्नता का आधार माना।

<u>(स) गुण समुच्चय के आधार पर जाति व्यवस्था :—</u>

बहुत से समाज शास्त्रियों ने जाति को एक इकाई के रूप में इसके विभिन्न गुणात्मक क्रम को निम्नवत व्यवस्थित किया है —

(1) जाति की मूल विशेषता अन्तर्विवाह है।

(2) पर्याप्त न्यायोचित गुणस्तरीकरण अ- जन्मजात सदस्य, ब- सामान्य व्यवसाय, स — जाति परिषद।

(3) वाह्यसीमा के गुण (परम्परागत श्रम का विभाजन) 1- नाम, 2- जाति संकेत (उद्धृत योगेश अटल 1968 : 14)।

इस संदर्भ में जीव 1960 : 5) ने ठीक ही कहा है कि जाति का अपना स्वयं का अस्तित्व नहीं है, जाति की मान्यता का आधार उसके सदस्यों को पूर्णरूपेण आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कारिक सम्बन्धों के निकटतम कार्यप्रणाली के आधार पर निर्मित माना गया है।

द्वन्द्वात्मक पहलु —

योगेश अटल 1968:1959-160 ने भी विभिन्न जातियों में परस्पर सहयोगी एवं तनावपूर्ण प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया, उसने अपने अध्ययन में जातियों में सहयोग स्थापित करने वाली 6 श्रेणियों को सम्बद्ध किया।

(1) जीवन संघर्षमय (2) दावत त्योहार एवं पूजा (3) आर्थिक गतिविधियों में (4) सामुदायिक गतिविधियों में। (5) संकटकाल में (6) अन्य।

जाति के मध्य तनाव :—

योगेश अटल ने जातियों के मध्य तनाव में जातियों के कार्य को इस प्रकार वर्णित किया है —' जब जाति एक महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करती है और ग्राम का संगठन अपूर्ण है और कार्य की इकाई के अन्य जातियों द्वारा उसे स्वीकृति नहीं मिलती तो ऐसी स्थिति में अन्तर्जातीय व्यवहारों, सिद्धान्तों में सामाजिक प्रतिक्रिया होने लगती है। (मिलर वर्ग 1959: 150) द्वंद्वात्मक पहलु के अन्तर्गत जो शक्ति और सुविधाओं

के क्षेत्र में बल देते हैं सम्मिलित हैं, जाति तनाव सुविधाओं के असमान वितरण के सन्दर्भ में सनवाल, वार्ड, ए0आर0देसाई, बैरेमैन, लिंच, हार्डग्रेव, जोलियट, रोडाल्फ और रु.डाल्फ के सिद्धान्त सम्मिलित हैं।

जिससे दलों का निर्माण होता है और कुटुम्ब के सदस्य आपस में उसी जाति में विभाजित अथवा अन्य जातियों से मिलकर अपनी रुचि व लक्ष्यों के अनुसार दलों में बँट जाते हैं और ये जाति समूहों से निर्मित दल पृथक-पृथक अपने दल के सुदृढ़ संगठन और सहयोगी समूहों के सदस्य अपने विरोधी दल के साथ विरोधी प्रति-क्रिया करने लगते हैं, येल्लिन बटल (1968: 168) ने अपने डोरी ग्राम के जाति समूहों के तनाव को दो वर्षों (1957- 59) के अन्तराल में चार संघर्षात्मक स्थितियों के घटने का वर्णन किया है।

एम0एन0श्रीनिवास (1976: 211) के अनुसार "जाति स्तरीकरण की व्यवस्था मूल स्तर से प्रारम्भ होती है, इसकी जटिल परस्पर स्तरीकरण व्यवस्था विभिन्न भूस्वामित्व पर निर्भर थी। जाति श्रेणी तथा भू स्वामित्व दो प्रकार से सम्बन्धित हैं, परम्परागत भू स्वामित्व तथा अधिकार प्रतिमान तक सीमित था। समय बीतने पर इस जाति श्रेणी ने विरोधी प्रतिक्रिया समय, उच्च संस्कार, जो जमींदारों द्वारा अगणित परिस्थितियाँ उत्पन्न कीं। जैसा कि पूर्व वर्णित है कि धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मण और गैर - ब्राह्मणों की अपेक्षा जो गरीब होते थे और समृद्ध लोगों के दान पर निर्भर रहते थे उनकी अपेक्षा या उनकी अपेक्षा अधिक सम्मान प्राप्त करते थे।

सामाजिक स्तरीकरण में जाति व्यवस्था के विभिन्न व्यवसायों ने व्यावसायिक प्रतिष्ठा के स्तरीकरण को जन्म दिया। इन व्यवसायों ने हिन्दू जाति समूहों में विभिन्न स्तर निर्मित किये। इस संदर्भ में मार्क्स एंगेल्स (संकलित रचनाएँ खण्ड एक भाग 2 पृ0 259) के अनुसार मार्क्स के विचार भारतीय जाति स्तरीकरण पर यह है " आधुनिक उद्योग पुश्तैनी श्रम विभाजन को खत्म कर देगा, जिस पर भारत की जाति-पाँति

व्यवस्था खड़ी है, और जो भारत की उन्नति तथा शक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है" (उद्धृत मार्क्स शतवर्षी अंक अप्रैल मई जून 1983, विष्णुदेव विवेकपूर्ण मानवतावादी संघर्ष पृ0 5) इस उद्धरण से स्पष्ट है कि भारत के जागरण और विकास की समस्याओं का कितना सूक्ष्म अध्ययन मार्क्स कर रहे थे। वर्ण और जाति से जुड़ा हुआ श्रम विभाजन भारत के विकास में आज भी बाधक है।

ए0आर0देसाई (1969: 111-112) देसाई ने जातिव्यवस्था में परस्पर अपने उत्पादन तरीकों में सम्बन्धों के साथ विश्लेषण किया। देसाई ने जातीय स्तरीकरण और सम्पत्ति स्वामित्व के सम्बन्धों का विश्लेषण किया। उसने अपनी अन्वेषण या शोध में एक उच्च जाति और सुविधाओं के मध्य एक ओर और निम्न जाति और सुविधाविहीनों के दूसरी ओर गहरे से सम्बन्धों का पता लगाया। देसाई ने अंकित किया है "भारतीय लोगों के सामाजिक जीवन का असंख्य शोध छात्रों द्वारा एक निरीक्षण किया जा चुका है कि यहाँ हिन्दू सामाजिक आदेश के स्तरीकरण में जाति स्थिति और इसके सदस्यों का धन आर्थिक क्रम, वर्ग स्थिति, राजनैतिक शक्ति और शिक्षा सुविधायें तथा संस्कृति -- का सम्माननीय स्तर में गहरा सह संबंध है। भारत में हिन्दू जातियों में एक उच्च सम्पत्ति आर्थिक संसाधनों का राजनैतिक शक्ति शिक्षा और सांस्कृतिक सुविधाओं की प्राप्ति में एकाधिकार रखते हैं, यह भी समस्या उठती है। वास्तव में बिना आर्थिक संरचना में मौलिक परिवर्तन के साधनों का प्रयोग किये क्या जाति व्यवस्था और जातीय स्तरीकरण का उन्मूलन सम्भव होगा।"

गेराल्ड बेरेमैन -- एक सर्वोत्तम पहुँचों में जाति का निकटतम विचार हमें दिया है। (1960, 1962, 1966, 1967, उद्धृत डा0 वी0एन0सेठ (1980) जो जाति को शक्ति और सुविधाओं की एक व्यवस्था के रूप में विचार करता है और जातियों के मध्य संघर्ष को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में विचारकरता है। बेरे मैन जातियों के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए सबल तर्क एवं पैरवी करता है। जैसे भेदक

संस्कृति एक विवाद इस यौगिक शब्द के लिए कारण है कि समाज विज्ञान ने अनिवार्य रूप से और पैतृकता से तुलनात्मक है।

व्याख्या :— बेवक संस्कृतियों की तुलना के लिए जाति का विश्लेषण स्तरीकरण बहुप्रतिक्रिया शब्दों के रूप में किया जा चुका है। बेवक संस्कृति के विचार से "एक जाति व्यवस्था जहाँ एक समाज जन्मजात समूह से बनती है, जो स्तरीकरण से अवेशित होती है और संस्कृतियों में विभिन्नता रखती है, स्तरीकरण विभिन्नता का मूल्यांकन पुरस्कार और दण्ड का पैतृकता से वशीहत का उत्तराधिकार प्रदान करती है।"

<u>जाति एक बहु व्यवस्था के रूप में :—</u>

बेरेमेन (1967) के विचारानुसार जातिव्यवस्था बहु समाज में बहु संस्कृतियों को अर्जित किए हुए है, एक समाज की जनसंख्या दो या अधिक भिन्न संस्कृतियों की विशेषताएँ रखती है। वह अपने अध्ययन में निरीक्षण करता है कि यहाँ जातियों के मध्य प्रधान सामाजिक मूल्यों और दृष्टिकोणों में सर्व सहमति की कमी है। जाति व्यवस्था सुविधाओं की हिस्से को स्थायित्व प्रदान करती है जब समूह स्तरीकरण का स्थान प्राप्त कर चुका है, तब स्थायित्व समूह की शक्ति सीमा द्वारा होना चाहिए। जो इसके स्तर के साथ स्थायित्व को सम्मानित करेगा।

जातिव्यवस्था में परिवर्तन शक्ति सम्बन्धों को परिवर्तन के फलस्वरूप है। उच्च सुविधा सम्पन्न जाति समूह समाज को आदेश को स्थायित्व प्रदान करते हैं। निम्न सुविधा विहीन समाज अपने स्तर में प्रगति हेतु संघर्ष करता है।" जो समूह शक्तिशाली है वे स्थायित्व रखते हैं जो समूह कमजोर बल संगठन में शक्तिशाली समूह के समान संघर्षशील नहीं है, अतः वे कमजोर हैं। शक्ति सम्बन्ध मजबूती प्रदान करते हैं और दृढ़ता प्रदान करते हैं। (बेरेमेन 1967 : 39)।

बेरे मेन निम्न जातियों के हेतु निर्देशित करता है कि निम्न जातियाँ दो साधनों से सुविधायें प्राप्त कर सकती हैं। (1) उच्चस्तरीय समूहोंमें सम्मिलित होकर (2)सही सुविधाओं के लिए राजनैतिक, आर्थिक, शारीरिक या दूसरी शक्तियों के लिए शक्ति संगठन द्वारा एक दावा उपयोग करके।

हमारे विचार से स्तर गतिशीलता संस्कृतीकरण की प्रक्रिया एवं स्पर्धा द्वारा नहीं लायी जा सकती। यह राजनैतिक शक्ति संचय और निम्नजातियों को सुविधायें प्रदान करके उनके स्तर में गतिशलता का स्थान प्राप्त करेगी।

बेरेमेन (1967 वोलुम 23 पृ0 41)नीग्रों के मध्य निम्न जातीय) हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह के श्रमिक) समूह के सदृश्य जागरूकता निर्दिष्ट करते हैं —
"समकालीन शक्ति के लिए दावा नीग्रो द्वारा दो बुराइयों के बीच की विषम स्थिति की या चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी मान्यता है कि बिना शक्ति के सुवि - धाओं के लिए संघर्ष एक स्वप्न मात्र है —— इस प्रकार काली शक्ति के लिए यह अनु- भव चालक का काम करता है। जहाँ अत्याचारी प्रभाव संचालित होता है शक्ति की अनुपस्थिति में प्रतियोगिता सामान्यतः सहायक स्तर के स्थायित्व का नेतृत्व करती है और परिवर्तन की दशा को प्रस्तावित करती है जो उस स्तर को परिवर्तित करेगा, जो उस व्यवस्था को चुनौती देगा जिस पर ये निर्भर करता है।"

बेरेमन ने उचित ही समझ की मान्यता दी कि एक अल्पसंख्यकों के जातीय स्तरीकरण में ऊर्ध्वगामी गतिशीलता दूसरे समूहों के शक्ति सम्बन्धों का प्रयत्न और संगठन करना एक मात्र आशा है। भारत मे निम्न जातियों के लिए और अमेरिका में काले लोगों के लिए उसका प्रभावित होना नितान्त सत्य है। अनिलभट्ट(1967:199)जाति वर्ग और राजनीति" भट्ट ने आधुनिक भारत में जाति वर्ग और राजनीति के मध्य संबंधों के मापन का प्रयास किया। उसने आर्थिक प्रभावों की सीमा और भारत में जाति स्तर पर राजनैतिक स्तर के प्रभावों का परीक्षण किया। उसने पता लगाया कि भारत में

सामाजिक स्तरीकरण की परम्परागत नमूने पर अधिक लम्बी सम्भावनायें नहीं हैं। उनका अध्ययन प्रगट करता है कि किसी एक व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन उसकी जातीय स्थिति द्वारा किसी सत्यापित मापन द्वारा पैतृक उत्तराधिकारी नहीं है।

अन्द्रे बेताई (1966:57) भारत में बन्द और खुला सामाजिक स्तरीकरण' सामान्यतया परम्परागत भारतीय समाज की प्रचलित पद्धति जाति एक बन्द व्यवस्था के रूप में है (मजूमदार व मदान: 221) दूसरे कारक जो भारत की समकालीन स्थिति का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। वर्ग और शक्ति स्वतंत्र चर के रूप में विचाराधीन हो चुका है। वास्तव में परम्परागत जाति प्रथा पूर्णतया दृढ़ नहीं है, किन्तु निजी स्रोतों द्वारा इसमें लचीलापन भी है। अर्थात् जातीय गतिशीलता भी है, यथा एम०एन०श्रीनिवास —"जाति व्यवस्था में गतिशीलता है" श्रीनिवास एवं बर्कले 1966' आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन' ऐसे कारक अतीत में संचालित हुए हैं, राजनैतिक व्यवस्था में प्रवाह और सीमित शक्ति की प्राप्ति ये दोनों कारक किसी जाति विशेष में उसकी जाति व्यवस्था में उच्च एवं निम्न गतिशीलता लाने में सक्षम हो।"

<u>वर्ग की अवधारणा :—</u>

प्रत्येक समाज में सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था अवश्य पायी जाती है। जाति व्यवस्था भी इसी स्तरीकरण का एक विशेष रूप है जिसमें सभी सदस्यों की सामाजिक स्थिति जन्म से ही निर्धारित होती है। स्तरीकरण का दूसरा रूप विभिन्न वर्गों के रूप में हमारे सामने आता है।

मैकाइवर और पेज (1974:348) के अनुसार 'वर्ग' व्यक्तियों का वह समूह है, जिसके सदस्यों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है।"

प्रत्येक समाज में सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था अवश्य पायी जाती है, जाति व्यवस्था भी इसी स्तरीकरण का एक विशेष रूप है, जिसमें सभी सदस्यों की सामाजिक स्थिति जन्म से निर्धारित होती है। स्तरीकरण का दूसरा रूप विभिन्न सामाजिक वर्गों के रूप में हमारे सामने आता है, यथा मैकाइवर और पेज(1974:348) के अनुसार वर्ग व्यक्तियों का वह समूह है जिसके सदस्यों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है। वर्ग की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए जिन्सवर्ग का कथन है कि "सामाजिक वर्ग को ऐसे व्यक्तियों का समूह कहा जा सकता है, जो व्यवसाय, धन शिक्षा, जीवन-यापन की विधियों, विचारों, भावनाओं, मानसिक प्रवृत्तियों और व्यवहारों में एक दूसरे के लगभग समान होते हैं तथा इन्हीं विशेषताओं के आधार पर अपने को एक समूह का सदस्य समझते हैं।" इस परिभाषा में दी गयी विशेषताओं के आधार पर वर्ग का जाति से भेद निम्नांकित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है —

(1) जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित है लेकिन वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण उसकी योग्यता और प्रयत्नों से होता है। व्यक्ति कभी भी अपनी योग्यता, कुशलता व धन के आधार पर ऊँचे या नीचे वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर सकता है।

(2) जाति प्रथा में व्यक्तिगत योग्यता का कोई महत्व नहीं होता जबकि वर्ग की सदस्यता का आधार ही व्यक्तिगत योग्यता है।

(3) जाति प्रथा में पेशे का चुनाव जन्म के आधार पर पहले से ही निश्चित होता है। वर्ग में परम्परागत पेशे का अधिक महत्व नहीं होता। व्यक्ति अपनी इच्छा और योग्यतानुसार किसी भी पेशे का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होता है।

(4) जाति प्रथा के अनुसार किसी जाति की सदस्यता एक बार मिल जाने के बाद उसे आजीवन परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर वर्ग में व्यक्ति अपनी सदस्यता को धन अथवा योग्यता के आधार पर परिवर्तित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि जातिगत स्तरीकरण बन्द प्रकृति का है। जबकि वर्गों द्वारा एक मुक्त स्तरीकरण का निर्माण होता है।

(5) विभिन्न वर्गों के बीच विवाह, खान-पान तथा सामाजिक सम्बन्धों पर उतना प्रतिबन्ध नहीं होता, जितना कि विभिन्न जातियों के बीच पाया जाता है।

(6) जाति प्रथा का एक स्थिर धारणा है। वर्गों में गतिशीलता पायी जाती है। धन, पेशा, शिक्षा आदि की सुविधाओं में परिवर्तन होने के साथ विभिन्न वर्गों की प्रकृति में भी परिवर्तन हो जाता है।

(7) जाति के नियम परम्परा से सम्बन्धित होते हैं और इसलिए उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि वर्ग के नियम समय की मांग के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं।

(8) विभिन्न जातियाँ सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होती है, दूसरी ओर वर्गों के बीच कोई सांस्कृतिक भिन्नता नहीं होती, तो भी उनके बीच सदैव प्रतियोगिता और संघर्ष होते रहते हैं।

एम०एन०श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक 'दी रिमम्बर्ड विलेज' (1979: 212) ने अपने अध्ययन में बताया कि "रामपुर क्षेत्र में 1948 --1960 के मध्य भू स्तरीकरण के सर्वाधिक निम्नस्तर पर भूमिहीन मजदूर थे। सभी मजदूर भूमिहीन नहीं होते थे। तकनीकी तथा नौकरी पेशा करने वालों के मध्य धोबी, डलिया बनाने वाले, सुअर पालने वाले तथा महात्माओं के पास स्वयं की भूमि नहीं होती थी और न कोई व्यापार होता था। भूमि स्तरण की शानदार विशेषता यह होती थी कि मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग के बीच कृत्रिम विभाजन था, कुछ भू स्वामी काश्तकार भी हुआ करते थे और कुछ काश्तकार श्रमिकों को मजदूरी भी दिया करते थे।"

योगेन्द्र सिंह -' सामाजिक स्तरीकरण और भारत में परिवर्तन" (1977 : 47-49) सामाजिक स्तरीकरण का समाज शास्त्र के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था) अभिजात्य वर्ग और भारत में सामाजिक स्तरीकरण) में परिवर्तनों के विश्लेषण के लिए अभिजात वर्ग के स्तरों का विशेष विश्लेषणात्मक कई श्रेणियों में विभाजन किया

गया है, किन्तु अधिकतर सदस्यों के तुलनात्मक प्रभाव या उस क्षेत्र विशेष में व्यक्ति के क्रियाकलापों के आधार पर सहमत हैं।

मैक्सवेबर (1968 : 27) के शब्दों में हम एक समूह को तब वर्ग कह सकते हैं, जब कि उस समूह के व्यक्तियों को जीवन के कुछ विशेष अवसर समान रूप से प्राप्त हों।" यथा दूसरे शब्दों में —" लोगों का कोई समूह जो समान वर्ग, स्तर या परिस्थिति या एक सामान्य जीवन के अवसरों को और वस्तुओं, आय या परिस्थिति या एक सामान्य जीवन के अवसरों को और वस्तुओं, आय और श्रम बाजार में समान आर्थिक रुचियों को रखने वाली लोगों की संख्या।" डी०ए०डावल(मैन इन पिमिटिव वर्ड : 415) ने लिखा है कि —" एक सामाजिक वर्ग एक समाज के अन्तर्गत वह समूह है जिसके सदस्यों की कतिपय सामाजिक स्थितियां सामान्य होती हैं, और जो इस स्थितियों से संबंधित कार्यों को करते हुए अपने कुछ ऐसे समाज हितों के सम्बन्ध में जागरकता विकसित कर लेते हैं जो कि दूसरे समूहों के हितों और लक्ष्यों से भिन्न होती हैं।"

रामकृष्ण मुखर्जी ने अपनी पुस्तक 'ग्रामीण समाज शास्त्र' (1975) के प्रथम अध्याय में विशेषकर कृषक वर्ग की संरचना में वर्गों के वर्गीकरण के लिए गुणों का आधार लिया है। इनके अनुसार कृषक वर्ग को तीन श्रेणियों में बाँटा है (1) निजी भूमि के भू स्वामी कृषक (2) असामि या बटाई की भूमि पर कृषि करने वाले कृषक (3) भूमिहीन कृषि श्रमिक।

डेनियल थार्नर ने अपने कृषक वर्ग के पूर्व कार्य में प्रतिक्रियावादी श्रेणियाँ यथा मालिक, मजदूर और कर्जदाता का उपयोग किया और वर्ष 1970 में एक अत्यधिक समीक्षा पूर्ण एवं व्यवस्थित वर्गीकरण जो सामाजिक आर्थिक इतिहास के आधार पर निर्मित किया। उसकी समीक्षा उत्पादन के विभिन्न तरीकों की समीक्षा यथा —

(1) आदिकालीन साम्यवाद (2) गुलामी का उत्पादन का ढंग, (3) प्राचीन या दास प्रथा का उत्पादन — उत्पादन का सामन्तवादी तरीका। (4) उत्पादन का पूँजीवादी तरीका (5) उत्पादन का समाजवादी ढंग। ये उत्पादन के ढंग विभिन्न ऐतिहासिक अवलोकन पर आधारित हैं। इनमें से कुछ आर्थिक इतिहासकारों, अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और समाज मानव शास्त्रियों ने व्यवस्थित प्रयास और गहन अध्ययन के आधार पर वर्गों की प्रतिक्रियावादी वर्गीकृत श्रेणियाँ मार्क्सवादी संरचना के संदर्भ में दी हैं। कार्ल मार्क्स के उत्पादन के ढंग के सिद्धान्त के आधार पर उद्धृत योगेन्द्र सिंह - (1977 : 111) प्रस्तावना सामाजिक स्तरीकरण और भारत में परिवर्तन।)।

कार्ल मार्क्स (1818 -1883 : 1031-1032) के तृतीय वोल्यूम —— 'दास कैपिटल' के अनुसार — वर्ग के स्वरूप का निर्माण 'उत्पादन के सम्बन्धों' के कारण हुआ, अपेक्षाकृत श्रम के आर्थिक विभाजन की एक परिस्थिति उत्पन्न होने से नहीं' मार्क्स के अनुसार 'आधुनिक समाज में तीन वर्ग (1) मात्र श्रम शक्ति का स्वामित्व रखने वाले (2) सम्पत्ति का स्वामित्व रखने वाले (3) भूस्वामित्व रखने वाले।

जिनकी आय का मुख्य साधन मजदूरी, लाभ और भूमि का किराया या लगान है। दूसरे शब्दों में मजदूर, श्रमिक, पूँजीपति, भू स्वामी ये तीनों आधुनिक समाज में बड़े वर्ग पाये जाते हैं। पूँजीपति के उत्पादन के विकास के नियमों और अनवरत प्रवृत्तियाँ उत्पादन के साधनों को अलग करती हैं। वितरित पूँजी के साधनों को एकत्रित और अधिक श्रम एवं अधिक श्रमिकों के समूह के रूप मे बदल जाता है। इस प्रवृत्ति के अनुसार श्रम और पूँजी से व्यक्तिगत भूमि का स्वतंत्र रूप से दूसरे हाथों में अलगाव हो जाता है। या सम्पूर्ण पूँजी या सम्पत्ति का भूमि के रूप में भूमि सम्पत्ति के रूप में स्थानान्तरण पूँजी उत्पादन के ढंग के अनुसार। कार्ल मार्क्स 1818-1883 : 1031-1032 वोल्यूम तृतीय दास कैपिटल उद्धृत स्टोरी बुक लिमिटेड एण्डकेलर स्टेट यूनिवर्सिटी आफ न्यूयार्क और समाज शास्त्रीय सिद्धान्त रोबिन वर्ग, अध्याय। 0 पृष्ठ 306)

प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि एक वर्ग क्या बनाता है और दूसरा ,प्रश्न प्राकृतिक रूप से इसका अनुगामी होता है। श्रमिक मजदूर क्या या कौन बनते हैं यह दूसरे प्रश्न का नाम श्रमिक मजदूर, पूंजीपति और भूस्वामी ये तीनों सामाजिक बडे वर्ग।

सर्वप्रथम दृष्टि में उनकी पूंजी या मालगुजारी देखनी चाहिए, उनकी आय के स्रोत क्या है? ये तीनों बडे सामाजिक समूह हैं, जिनके रचनात्मक तत्व व्यक्ति बनाते हैं। वे जो मजदूरी, लाभ और भूमि के किराये पर जीवित हैं। या श्रम शक्ति, पूंजी और अपनी निजी भूमि का प्रयोग करते हैं। इसी विचारधारा के अनुसार शारीरिकश्रम या कार्यालयों के कार्यरत समूह को दो वर्गों में विभाजित रूप है। इसी प्रकार पूंजीपति और भूस्वामी उदाहरण के लिए भूस्वामियों को – शराब का आंगन रखने वाले, कृषि क्षेत्र – जंगल, खाने और मछलियों के पालन के तालाब आदि रखने वाले भूस्वामियों के रूप में विभाजित किया जा सकता है।

आन्द्रे बेताई (1969:118) "जाति और वर्ग और शक्ति "कृषक की सामाजिक संरचना का अध्ययन" के अन्तर्गत "एक कृषक समाज में वर्ग की संरचना जोतदार का मामला के अनुसार 'वर्ग' एक प्रबुद्ध मस्तिष्क के द्वारा एक आर्थिक भिन्नता के साथ संयुक्त है। आर्थिक भिन्नता प्रत्येक समाज में पायी जाती है, जो समाज की जनसंख्या को कई श्रेणियों में विभक्त कर देती है, जिसका पृथक-पृथक समूह के रूप में परिचय होता है। ये आर्थिक भिन्नता समाज में विशेष महत्वपूर्ण है। ये समाज की आर्थिक भिन्नतायें जानना कठिन है। इस संदर्भ में प्रत्येक समाज के आर्थिक उद्गम और व्यवसाय के आधारों पर ध्यान देकर ही वर्ग को सन्निर्मित किया जा सकता है। जनसंख्या का विभाजन उच्च धनवान, मध्यम धनी और अल्पधनवान समूह के रूप में बाँटते हैं, इसी तारतम्य में कृषक जनसंख्या को सम्पन्न कृषक, मध्यम कृषक गरीब कृषक के रूप में विभाजन किया जा सकता है।"

इसी संदर्भ में डेहरडार्फ (1966 : 157-205) के विचार यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास न तो कुछ सम्पत्ति है और न कोई आय किन्तु वर्ग विभाजन का वास्तविक आधार उनकी शक्ति और अधिकार' द्वारा निर्मित होता है।" ध्यान देना आवश्यक है। (उद्धृत योगेन्द्र सिंह — सामाजिक स्तरीकरण और भारत में परिवर्तन)।

कार्लमार्क्स (दा एट्टीन्थ ब्रूमेयर आफ लिविस बोनापार्ट — मास्को एम0 डी : 1950:119) के अनुसार "यहाँ पर 'वर्ग' एक राजनैतिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक समझा गया है। वर्ग के राजनैतिक पक्ष में मार्क्स द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वर्ग की एकता अथवा इसकी स्वयं की वास्तविक अभिव्यक्ति राजनैतिक साधनों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, पर प्रकाश डाला गया है।"

इस संदर्भ के अनुसार 'वर्ग' को समझने हेतु हम विभिन्न कारकों यथा आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक को लेते हैं। किसी विशेष समाज में विशेष समय में आर्थिक कारक का सिद्धान्त तर्कपूर्ण नहीं है, इसी प्रकार सामाजिक और राजनैतिक कार्य भी वर्ग की अवधारणा के लिए जटिल है।

आन्द्रे बेताई(1969:118) के अनुसार 'कृषक समाज में भूमि एक ठोस आधार प्रदान करता है, विशेषकर भारतीय धान के क्षेत्र में बहुसंख्यक जनसंख्या भूमि-हीन है, वहाँ भू स्वामित्व रखने वाले उच्चतर जीवन स्तर रखते हैं, भूमिहीन या कम भूमि वाले कृषकों की तुलना में। इसी प्रकार कृषक समाज का स्तरीकरण एक भूस्वामित्व रखने वाले और दूसरे भूमिहीन के रूप में स्पष्ट तर्क प्रदान करते हैं, भू स्वामित्व रखने वाले सुविधायुक्त एवं भूमिहीन सुविधाविहीन के रूप में सम्बन्ध असमानता प्रदर्शित करते हैं।

वर्ग पर सैद्धान्तिक विवाद (समालोचनात्मक अध्ययन)

विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा अपने अध्ययनों के संदर्भ में 'वर्ग' पर की गयी अवधारणाओं का ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षण एवं विश्लेषण की समीक्षा के पूर्व 'वर्ग' की कुछ विशिष्ट अवधारणाओं के माध्यम इसकी प्रकृति पर प्रकाश डालना भी अति आवश्यक प्रतीत होता है। इस संदर्भ में आन्द्रे बेताई के विचार उद्धृत हैं। आन्द्रे बेताई (1969 : 4) 'जाति' वर्ग और शक्ति ' के अनुसार वर्ग से मेरा तात्पर्य उत्पादन व्यवस्था में एक विशेष स्थिति रखने वाले लोगों की एक श्रेणी से है।"

यद्यपि आन्द्रे बेताई विभिन्न वर्गों के मध्य तनाव के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं किन्तु वह वर्ग को परिभाषित करने में इसे अनिवार्य तत्व के रूप में इसे सम्मिलित नहीं करना चाहता, यह निरीक्षण उसके अध्ययन में एक रोचक विरोधाभास का विश्लेषण उसकी पुस्तक जाति वर्ग और शक्ति में (आन्द्रे बेताई 1969: 27) में उद्धृत है। यद्यपि विभिन्न कृषि वर्गों के मध्य तनाव पे किन्तु हैं, उनके परस्पर सम्बन्धों की विशेषताओं के साथ तनाव को एक अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना उचित नहीं होगा। वास्तव में तनाव की एक सत्य प्रकृति सविराम है, यह कभी भी अनवरत नहीं रहता और तनाव संघर्ष के एक अंश के रूप में नहीं देखा जाता किन्तु यह हमारे विचार से वर्गों के मध्य लय मय मधुर अनुकूलन स्थापित करता है। यह एक सामाजिक सत्यता का गहन चिन्तन पूर्वक निर्णायक प्रयास है।" (आन्द्रे बेताई 1969: 187 जाति, वर्ग और शक्ति' उद्धृत डा० बी०एन०सेठ , 1980 : 26 हरिजन विद्रोह)।

जिन स्थितियों में जाति व्यवस्था या वर्ग व्यवस्था संचालित होती है वह एक सांख्यिकीय मापन का आधार जाति और वर्ग का निर्देशक शब्द के रूप में 'दृढ़ता और गतिशीलता' मापन प्रस्तुत करता है।

उपर्युक्त आन्द्रे बेताई के विश्लेषण से जाति और वर्ग की प्रकृति स्पष्ट होती है। जाति की सदस्यता व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, अतः जाति सामाजिक स्तरीकरण एक बंद व्यवस्था है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात् जाति व्यवस्था में दृढ़ता का निर्देशक होता है।

वर्ग की सदस्यता व्यक्ति को जन्म से प्राप्त नहीं होती, बल्कि वह उसे अपनी कुशलता और योग्यता के आधार पर स्वयं प्राप्त करता है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग में अपनी योग्यता अनुसार आ और जा सकता है। अर्थात् वर्ग की प्रकृति गतिशीलता रखती है।

आन्द्रे बेताले (1969 : 4) ने अपनी पुस्तक 'जाति, वर्ग और शक्ति' इन तीन श्रेणियों में अध्ययन किया। इनके अनुसार 'वर्ग' से हमारा तात्पर्य उत्पादन व्यवस्था में एक विशेष स्थिति रखने वाले लोगों की एक श्रेणी से है।"

योगेन्द्र सिंह (1977 : 46) 'भारत में सामाजिक स्तरीकरण' के आधार पर —"लासवैल और जर्नर यह अनुमान करते हैं कि अभिजात्य वर्ग का स्तरीकरण प्रभाव और शक्ति को अपने में आत्मसात् करने के सिद्धान्त पर निर्भर करता है। अपने बहुमूल्य लाभ की परिधि की श्रेष्ठता को अपने अधिकार में अलग अलग किस्म के अभि - जात्य वर्ग रखते हैं। धन, शक्ति, ज्ञान समाज कल्याण, चातुर्य, सम्मान आदि के रूप में अभिजात्य वर्ग के ये बहुमूल्य लाभ हो सकते हैं। जब इन विशिष्ठ गुणों की अधिकतम संख्या चतुरता, शक्ति अधिपत्य के द्वारा अभिजात्य वर्ग की एक श्रेणी में आकर मिल जाते हैं तो वे समाज में शक्ति शाली अभिजात्य वर्ग का निर्माण करते हैं। इस अर्थ में शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की राजनीतिक अभिजात्य वर्ग से भिन्नता दिखाई देती है। शक्तिशाली - अभिजात्य वर्ग श्रेष्ठ अभिजात्य वर्ग का निर्माण करते हैं। क्योंकि उनका सभी प्रकार के अभिजात्य वर्ग के ऊपर 'शक्ति' के द्वारा अधिपत्य होता है।"

कार्लमार्क्स ने वर्ग की अवधारणा उत्पादन के प्रमुख साधनों के संबंध के आधार पर समझाई है। मार्क्स का कहना है कि उत्पादन के साधनों से जिन लोगों का एक सा संबंध होता है, वह एक सामाजिक वर्ग कहलाता है। एक ओर जो लोग उत्पादन के साधन का स्वामित्व करते हैं पर स्वयं उत्पादन नहीं करते वे एक सामाजिक वर्ग और दूसरी ओर जो उत्पादन की क्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले तमाम व्यक्ति जो उत्पादन के साधनों के ऊपर जीविकोपार्जन पर आधारित होते हैं, दूसरा वर्ग कहलाता है।(1976: 38 'द जरमन आइडोलाजी)।"

उत्पादन के साधन पर स्वामित्व करने वाला वर्ग न केवल शारीरिक सुविधाओं, शक्ति और साधनों से संयुक्त होता है, वरन् उत्पादनों के साधनों पर निर्भर तमाम श्रमिकों द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य का अपहरण करके उनका शोषण करता है। सबसे बड़ा विरोधाभास मार्क्स के अनुसार यह है कि जो वास्तविक रूप में उत्पादन करते हैं, वे उत्पादन के साधन का स्वामित्व नहीं करते, अपितु उस पर निर्भर रहते हैं और दूसरी ओर जो उत्पादन का स्वामित्व करते हैं वे उत्पादन नहीं करते हैं। मार्क्स का यह भी कहना है कि जिन विकसित पूंजीवादी अवस्था में उत्पादन की शक्तियाँ प्रौद्योगिकीकरण में विकास के साथ साथ अत्यधिक उन्नतिशील हो जायेंगी। जबकि उत्पादन के संबंध अभी भी व्यक्तिगत और पिछड़े रहेंगे। उत्पादन एक सामाजिक प्रक्रिया है और उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत जब होता है तो उत्पादन का सारा लाभ व्यक्तिगत निहित स्वार्थों की पूर्ति में लग जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया का यह विरोधाभास वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। यह वर्ग संघर्ष उत्पादन की प्रक्रिया से ही उत्पन्न होता है।

मार्क्स के सिद्धान्त के अनुसार विकसित पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष तीव्र और पैना हो जायेगा और पूरा समाज दो परस्पर विरोधी खेमों में विभाजित हो जायेगा।

और यह संघर्ष निर्णायक होगा, जिसमें एक ओर कतिपय पूँजीपति और दूसरी ओर एक वृहद् शोषित वर्ग जो कि संगठित होकर हिंसात्मक क्रान्ति के माध्यम से पूँजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकेगा। इसके बाद समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों का समाजीकरण हो जायेगा और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व हो जायेगा। अंतिम अवस्था साम्यवादी है, जो कि मार्क्स के अनुसार वास्तविक वर्गविहीन समाज होगा, जिसमें न तो सम्पत्ति का निजी अधिकार होगा और न सम्पत्ति का उत्तराधिकार होगा। वैसे विश्व के समाजों में जहाँ पर क्रान्ति हुई है, अभी समाजवादी अवस्था है, साम्यवादी अवस्था विश्व के किसी भी समाज में अभी तक नहीं है।

कुछ विचारकों ने मार्क्स की वर्ग की अवधारणा में केवल दो वर्गों की व्याख्या करने की कटु आलोचना की है, मैं बी०एन०सेठ की इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ जैसा कि उन्होंने इस संदर्भ में अपने शोधग्रन्थ 'हरिजन विद्रोह' (1982) में लिखा है कि "मार्क्स ने केवल दो नहीं बल्कि कई वर्गों के होने की बात कही है, अपने लेख 'फ्रेंच पीजेन्टी – द एट्टीन्थ ब्रूमेयर आफ लुइस बोनापार्ट' में मार्क्स ने दो नहीं बल्कि छः वर्गों में समाज को बाँटा है और अपनी महानतम 'पूँजी' (कैपिटल) में मार्क्स दो नहीं बल्कि तीन वर्गों की बात करता है, श्रम शक्ति के स्वामी पूँजी और भूमि के स्वामित्व के आधार पर वर्ग। डा० बी०एन०सेठ का कहना है कि जब मार्क्स ने वर्गों का वर्णन किया है तो वे कई वर्गों के होने की सम्भावना करते हैं, पर जब विवेचनात्मक व्याख्या करता है, तब दो ही परस्पर महत्वपूर्ण वर्गों के संदर्भ में करता है। मार्क्स के वर्ग की परिभाषा में 'वर्ग संघर्ष' निहित है। जब समाज में वर्ग संघर्ष होगा तो समाज के अन्य वर्ग इन्हीं वर्गों में आकर मिल जायेंगे।

मैक्स वेबर (1947) ने मार्क्स की सामाजिक स्तरीकरण की दो वर्गीय आधार पर व्याख्या की आलोचना की है और उन्होंने इस बात से असहमति व्यक्त की है, कि सामाजिक स्तरीकरण के निर्धारण में केवल आर्थिक कारक महत्वपूर्ण हैं।

मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक 'दि थ्योरी आफ् दी सोशल एण्ड इकनामिक आरगनाइजेशन' (1947) में स्तरीकरण के तीन मुख्य आधार बताये हैं। वे है — वर्ग, पद स्थिति और शक्ति। यद्यपि मैक्स वेबर ने वर्ग की परिभाषा करीब करीब मार्क्स के ही अनुसार की है पर मैक्सवेबर की वर्ग की परिभाषा में न तो शोषण और न वर्ग संघर्ष निहित है, बहुत से आलोचकों (एण्डरसन 1947:120, बी०एन०सेठ1982 38) ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या वर्ग, पद, स्थिति और शक्ति पारस्परिक निवारक श्रेणियाँ नहीं है? उनके अनुसार पद, स्थिति और शक्ति का स्वतंत्ररूप में कोई अस्तित्व नहीं है, अपितु वे वर्ग, स्थिति पर निर्भर हैं।

एम०एन०श्रीनिवास (1972 : 213) (स्मृत ग्राम)वर्ग और गुट के अनुसार रामपुर क्षेत्र में वर्ष 1949 से 1960 के मध्य एक आंदोलन हुआ इसका संचालन एक शिक्षित कृषक द्वारा किया गया था। भूस्वामियों के विपक्ष में एक असामी जोतकार को अधिक अधिकारों की माँग कर रहा था। वहाँ के निवासी भूमि स्वामियों की अपेक्षा इसमें अनुपस्थित भूमि स्वामियों(भूमिहीनों) को अधिक प्रभावित किया। चूँकि बहुत से कृषक ब्राह्मण थे, अतः वे सोचते थे कि आंदोलन उनके खिलाफ बताया गया है, श्री निवास पुरम से एक ब्राह्मण भू स्वामी के साथ एक समूह आया जिसने यह शिकायत की कि असामी कृषक काश्तकार फसल विभाजन के संबंध में परेशान कर रहे हैं।' इन वर्षों के मध्य इसी प्रकार की अन्य शिकायत भी सुनी गयी।'

रामपुर में 1949 में कृषकों के पास दूसरी जाति के लोगों की अपेक्षा अधिक भूमि थी। नाडू, गोण्डा तथा मलाया जाति के भू स्वामियों में तीन परिवार मुखिया बड़े भूस्वामी थे। लिंगायतों में से दो महेश्वर और बासेश्वर के पुजारी थे दीपावली के अवसर में वार्षिक मेला में अतिरिक्त आय अर्जित कर लेते थे।

डा०बी०एन०सेठ द्वारा तत्कालीन ग्रामीण अध्ययन 'जनपद बलिया (उ०प्र०) के ग्राम अलिहा और सिकटा में हरिजन विद्रोह का तुलनात्मक अध्ययन' में इन ग्रामों

से ग्राम डिकमट में हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के समूह ने सुविधाओं और शक्ति प्राप्ति के लिए सवर्ण जाति समूह से सैनिक संगठन द्वारा न्यायोचित सुविधाओं की प्राप्ति हेतु सैनिक आंदोलन अनवरत दो दशक किया, एवं लोकतांत्रिक संवैधानिक शक्तियों का प्रश्रय लेने हेतु ग्राम पंचायत में जो ग्रामीण शक्ति संरचना का विकेन्द्रीकरण का क्रम है अपने सबल संगठन द्वारा साझेदारी ही नहीं बल्कि ग्राम पंचायत के आगामी चुनाव में अपना बहुमत के साथ सवर्णों को चुनौती दी एवं विजय प्राप्त करके परम्परागत ब्राह्मण ग्राम प्रधान के स्थान पर पिछड़ी जाति के एक लोहार नवयुवक को ग्राम प्रधान के चुनाव में विजयी घोषित कराया इतना ही नहीं ग्राम पंचायत के सदस्यों में भी 14 में 9 सदस्य इनके वर्ग पिछड़ी जाति एवं हरिजन जातियों के ही चुने गये। इस अध्ययन में सवर्ण ब्राह्मण बड़े भूमिधर सुविधा सम्पन्न समूह का वर्ग था जो अल्पभूमि एवं भूमिहीन पिछड़ी एवं हरिजन जाति समूह के सुविधा एवं शक्तिविहीन वर्ग के लोगों का कम मजदूरी में 8 घण्टे से अधिक काम लेकर आर्थिक शोषण करता था एवं अकार बेगार लेता था तथा कुछ हरिजनों को परम्परागत बंधक मजदूर बनाये हुए थे। इन अमानवीय कृत्यों और आर्थिक शोषण के असहनीय परिस्थितियों में इस ग्राम के हरिजन एवं पिछड़ी जाति के लोगों ने संगठित समूह बनाकर अपने हितों की रक्षा हेतु सैनिक संगठन बनाया इस प्रकार ये दोनों कृषक वर्गों प्रथम सवर्ण सुविधा एवं शक्ति सम्पन्न बड़े भूमिधर ब्राह्मणों का शोषक समूह या वर्ग एवं दूसरा निर्धन या अल्पभूमिवाले हरिजन एवं पिछड़ी जाति के सुविधा एवं शक्तिविहीन शोषित वर्ग के मध्य वर्ग संघर्ष अनवरत दो दशक चला इनमें दोनों वर्गों ने संघर्ष शील परिस्थितियों में परस्पर हिंसाओं और अपराधों का क्रम भी लिया इस प्रकार दो दशक के कालान्तर में इतनी अपराधों में वृद्धि हुई कि दोनों गुटों के मध्य 10-12 हिंसायें भी हो गयीं। अतः गुटों की उग्र

संघर्षमय परिस्थितियों में अनेकों अपराध, अमानवीय कृत्य एवं परस्पर घटनायें घटित हुयीं।

हमारे अध्ययन का उद्देश्य 'बाँदा जनपद के ग्राम डिंगवट का समाज शास्त्रीय ग्रामीण गुटवाद का अध्ययन' के विचार से इस संक्षिप्त अध्याय जाति, वर्ग और गुट को सम्यक् रूप से समझने, निरीक्षण एवं विश्लेषण की दृष्टि से कुछ गहन चिन्तन से निम्नांकित शोध प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि ग्राम डिंगवट की उच्च जाति, पिछड़ी जातियों एवं निम्न या अछूत जातियों के मध्य ऐसी कौन सी क्रान्तिकारी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण उच्च जातियों ने समूह का निर्माण किया, एवं पिछड़ी जाति एवं अछूतजाति में परस्पर सहयोगी समूह का निर्माण हुआ। एवं शनैः शनैः इन परस्पर विरोधी समूहों ने वर्ग का रूप ले लिया, जो कालान्तर में दो परस्पर संघर्षशील वर्ग एवं संघर्षशील गुटों के रूप में परिवर्तित हो गये, दोनों परस्पर विरोधी वर्गों अथवा गुटों की क्या आर्थिक, राजनैतिक स्थिति थी, गुटों का निर्माण परस्पर विरोधी किन उद्देश्यों की प्राप्ति से इतने अधिक संघर्षशील उग्र रूप में परिवर्तित हो गये?

हिन्दू जाति व्यवस्था के सामाजिक स्तरीकरण की परम्परागत विशेषताओं का विशद विवेचन आगे जाति के समाजशास्त्रीय अध्ययन में किया गया है कि स्तरी - करण के उच्च वर्ग में विशेषकर ब्राह्मणों को अधिकतम आर्थिक सुविधाओं, शक्ति एवं आदर प्रतिमान की धार्मिक मान्यतायें प्रदान की गयी हैं, शेष पिछड़ी एवं निम्न अस्पृश्य जातियों को सेवा एवं परिश्रम एवं आर्थिक शोषित का काम दिया गया है, उन्हें आर्थिक सुविधायें एवं शक्ति तथा आदर प्रतिमान प्रदत्त नहीं है, अतः सवर्ण जातियों द्वारा अनवरत आर्थिक शोषण, अल्प मजदूरी बेगार एवं दासता का शिकार होना पड़ता है, इतना ही नहीं, निर्धनता के अभिशाप से इन दमित जातियों की महिलाओं को इन ब्राह्मण क्षत्रिय बड़े भूमिधरों के द्वारा बलात्कार का शिकार भी उत्पीड़न एवं आर्थिक

पराश्रिता के कारण होना पड़ता है इन जघन्य अमानुषिक कृत्यों की जब अनवरत शृंखला इन दलित समूह को झकझोर डालती है एवं न्याय एवं संरक्षा का प्रश्रय देने वाले चन्द व्यक्ति इनका सहयोग दे देते हैं तभी संघर्षशील परस्पर विरोध या सामना करने की शक्ति समूह में आती है। ठीक ऐसी ही परिस्थितियों से जूझते हुए असहनीय वेदनाओं का शिकार यहाँ इस गाँव का अछूत एवं गरीब निर्धन अल्पभूमि या भूमिहीन शोषित श्रमिक पिछड़ी जातियों का अधिकतर समूह था इन अमानवीय कृत्यों के नियंत्रण हेतु इन दोनों वर्ग के रूप में परिवर्तित पीड़ित जाति समूहों हरिजन जाति समूह एवं पिछड़ी जाति समूहों ने नियंत्रक वर्ग के रूप में परिवर्तित होकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति अर्थात् सवर्ण भूमिधरों से उचित मजदूरी की दरों के निर्धारण के लिए हड़ताल शांतिपूर्वक आंदोलन, आर्थिक शोषण के खिलाफ प्रशासन से शिकायतें एवं श्रमिक कृषकों का विद्रोह प्रारम्भ किया। वर्ग संघर्ष की संक्रमण कालीन स्थिति में सबल परम्परागत प्रशासन वर्ग अधिनायकवादी दमन नीति का प्रयोग करता है ऐसी ही विकराल परि-स्थित में सवर्ण भूमि धर वर्ग के लोगों ने दिन दहाड़े ग्राम की गलियों में अपने विरोधी वर्ग के दो नेताओं को राइफल की एक गोली से हरिजन एवं पिछड़ी जाति के एक केवट नेता को 8 बजे दिन में उसके द्वार में बैठे चबूतरे में गोलीमार दी तत्पश्चात् एक चमार नेता के तीन गोली उसी के घर के गलियारे में घुसते हुए मारी। किन्तु आहत होने के बाद राजकीय अस्पताल बाँदा में दवा कराने के पश्चात् उसका जीवन मृत्यु के गाल से बच गया। इसके पूर्व एक सवर्ण का भी गोलीकाण्ड हो चुका था जो दिनांक -- 29-9-72 को 4 बजे शाम भैंस चराते समय खेत के अंदर हुआ था जिसमें ब्राह्मणवर्ग सवर्ण वर्ग के गुट ने एक साहू अध्यापक नेता एवं उनके दोनों भाइयों के षड्यंत्र से तीन लोहार नवयुवक, एक तेली एवं एक केवट (पिछड़ी जात) नेता के नामजद रिपोर्ट की

गयी। रिपोर्ट थाना पैलानी के अनुसार) यह स्थिति परस्पर दोनों वर्गों मे दोनों विरोधी गुटों में बदलती जा रही है। अग्रिम सक्रत जाति से वर्ग एवं वर्ग से गुटों में परिवर्तित होने की परिस्थितियों एवं सामाजिक प्रक्रियाओं का पूर्ण विवेचन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ गुट निर्माण अग्रिम अध्याय7 में किया जायेगा। परस्पर दोनों गुटों की आर्थिक स्थिति का संक्षिप्त परिचय भी ऊपर बताया जा चुका है। यह गुटीय स्थिति अनवरत दो दशक रही जिसमें अनेकों घटनायें घटती ही रहीं। यहां इन प्रारम्भिक घटनाओं की पृष्ठभूमि के इंगित करने का उद्देश्य यह था कि सवर्ण वर्ग की अधिनायकवादी सैनिक हिंसाओं की दमन नीति के सामने हिंसाओं केपश्चात् भी अल्पभूमि एवं भूमिहीन श्रमिक हरिजन एवं पिछड़ी जातिसमूह के नियंत्रक वर्ग ने घुटने नहीं टेके एवं सैनिक संगठन का बराबर वर्ग या दल सवर्णों के विरोध संघर्षों का सैनिक संगठन के रूप में 'हिंसा के बदले हिंसा' का जवाब प्रतिशोध रूप में देता रहा, ग्राम की जजमानी व्यवस्था अनवरत कई वर्षों तक बन्द रही हरिजन एवं पिछड़ी जाति के लोगों ने सवर्णों का जजमानी एवं मजदूरी का काम बंद कर दिया, एवं अन्य गांवों में मजदूरी करके जीविका उपार्जन करने लगे भूखों तड़पते रहे, किन्तु स्वाभिमान नहीं छोड़ा। संघर्ष अनवरत उग्र संघर्षमय परिस्थितियों में बदलता ही गया।

जाति वर्ग का सहसम्बन्ध

सर्वेक्षित ग्राम डिंगवाट के उच्चजातीय बड़े भू स्वामी जजमानों ने निम्न एवं पिछड़ी जाति के अल्पभूमि एवं भूमिहीन बहुसंख्यक श्रमिकों को उनकी प्रतिदिन, मासिक षटमासिक अथवा वार्षिक यथोचित मजदूरी की मांग को प्रदत्त करने में अस्वीकृत कर दिया जिससे जजमान एवं मजदूर जाति समूह में परस्पर तनाव प्रारम्भ हुआ, यथा ग्राम के डोमार द्वारा प्रत्येक जजमान के द्वार की सफाई का प्रतिदिन का पारिश्रमिक

एक रोटी एवं दालसब्जी के स्थान में दो रोटी की माँग तथा एक रुपया प्रतिमाह के स्थान पर उचित पारिश्रमिक की माँग इसी प्रकार नाई, चमार, कुम्हार, कहार, धोबी आदि जातीय पेशा करने वाली समस्त जातियों ने देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार बढ़ती हुई मंहगाई वृद्धि के अनुसार निकटवर्ती – ग्रामों एवं शहरों की भाँति बढ़ी हुई मजदूरी के समान अपनी मजदूरी की माँगा, सवर्ण भूस्वामियों द्वारा अपने मजदूरों को उचित मजदूरी न प्राप्त होने के कारण हरिजन एवं पिछड़ी जाति के निर्धन भूमिहीन श्रमिकों द्वारा अपना जाति पेशा का काम बन्द कर दिया। इस प्रकार इस ग्राम में जातिय पेशा न करने के कारण बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि हुई यथा तालिका नम्बर में प्रदर्शित है। सवर्ण भू स्वामियों का हरिजन एवं पिछड़ी जाति के श्रमिको द्वारा जातीय पेशा न करने के कारण ग्राम में परस्पर दो विरोधी वर्गों का जन्म हुआ। दोनों गुटो में लगभग ग्राम की समस्त जाति के लोग विभाजित हो गये। सवर्ण उच्च जाति के वर्ग में अधिकतर ब्राह्मण एवं अन्य अन्य जाति के व्यक्ति मिल कर इस वर्ग में कुल 56 सदस्य सम्मिलित थे जिनमें 48 ब्राह्मण शेष 8 व्यक्तियों में 8 बनिया, 3 अहीर, एवं एक कायस्थ एवं एक लोहार सम्मिलित था इसी प्रकार पिछड़ी जाति एवं हरिजन जाति समूह में कुल 62 सदस्य थे जिनमें संघर्ष करने वालों में सवर्ण ब्राह्मणों के खिलाफ एक लोहार परिवार के तीन सगे भाइयों की इस ग्राम की खूनी क्रांति में विशेष भूमिका रही इन 62 सदस्यों में 17 केवट जाति के, 11 चमार, 9 लोहार, 7 अहीर, 4 तेली, 4 कुम्हार, 3 कोरी, 2 ब्राह्मण, एक बनिया, एक सोनार, एक नाई, एक पटवा इस प्रकार इस हरिजन एवं पिछडे वर्ग में 62 सदस्य सम्मिलित थे। (थाना पैलानी की रिपोर्ट के आधार पर।)

इन परस्पर दोनों विरोधी वर्गों की अन्तिम विशेषता यह थी कि वर्ग की संघर्षमय परिस्थितियों में बड़े भू स्वामी एक वर्ग में सम्मिलित थे क्योंकि हिन्दू जाति व्यवस्था ने आर्थिक सुविधायें, शक्तिसम्पन्नता और प्रतिमान, उच्च जाति वर्ग को ही प्रदत्त किया है। बड़े भू स्वामी अपने उत्पादन में अधिक लाभ लेने के उद्देश्य से भूमिहीन एवं अल्पभूमि वाले हरिजन एवं पिछड़ी जाति के मजदूरों का अधिक आर्थिक शोषण करते हैं अतः एक ओर यह शोषक वर्ग एवं उसके विरोध में निर्धन, दमित हरिजन एवं पिछड़ी जाति का शोषित श्रमिक वर्ग का संगठन बनकर गांव में दो सशक्त वर्गों का निर्माण हुआ। दोनों गुटों में सम्मिलित जातियों का विश्लेषण जाति एवं वर्ग की तालिका संख्या 38 एवं 39 में प्रस्तुत है। पिछड़ी एवं हरिजन जाति समूह में अल्पभूमि वाले दो ब्राह्मण, एक बनिया ही सम्मिलित हैं एवं इस वर्ग में 125 भूसीमा वाला एक चमार जो उपप्रधान पद में चुना गया है सम्मिलित है। ये आर्थिक सम्पन्न होने के कारण इस वर्ग में औपचारिकता हेतु ही सम्मिलित है। गुटीय संघर्ष में उसकी भूमिका तटस्थ रही। अतः स्पष्ट है कि इस ग्राम में गुटों का विभाजन आर्थिक सुविधा सम्पन्नता के आधार पर हुआ, जातीय आधार पर गुट आधारित नहीं है सवर्ण वर्ग में बड़े भू स्वामी जो मजदूरों का आर्थिक शोषण करते थे एवं बेगार तथा अल्पमजदूरी में अधिक घण्टों काम लेते थे, सम्मिलित थे। हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के अल्पभूमि, भूमिहीन, निर्धन वर्ग के मजदूर ही सम्मिलित थे। किन्तु इस वर्ग में 14 व्यक्ति मध्यम भू सीमा वाले एवं दो व्यक्ति वृहद् भू सीमा वाले भी सम्मिलित थे जो आत्म निर्भर थे। एवं उच्च वर्ग के विरोध में उनका सक्रिय योगदान रहा।

क्रमसंख्या	जाति	भू स्वामित्व (बीघों में)
40-	नाई	भूमिहीन
41-	ब्राह्मण	37
42-	कुम्हार	110
43-	कुम्हार	भूमिहीन
44-	कुम्हार	भूमिहीन
45-	कुम्हार	10
46-	पटवा	3
47-	कोरी	7
48-	कोरी	7
49-	कोरी	7
50-	चमार	भूमिहीन
51-	चमार	27
52-	चमार	16
53-	चमार	7
54-	चमार	10
55-	चमार	15
56-	चमार	भूमिहीन
57-	चमार	125
58-	चमार	7
59-	चमार	भूमिहीन

क्रमसंख्या	जाति	भूस्वामित्व (बीघों में)
60-	चमार	भूमिहीन
61-	चमार	भूमिहीन
62-	ब्राह्मण	47

अ गुट के पिछड़ी जाति एवं हरिजन जाति समूह के सदस्यों का योग एवं कुल जातिगत समूह का भूस्वामित्व निम्न तालिका संख्या 39 में प्रदर्शित है

क्रमसंख्या	जाति	प्रत्येक जाति के सदस्यों का योग	जातिगत कुल भूस्वामित्व (बीघा में)
1-	लोहार	8	143
2-	बनिया	2	16
3-	सुनार	1	21
4-	तेली	4	33
5-	केवट	17	311
6-	अहीर	7	18
7-	नाई	1	भूमिहीन
8-	कुम्हार	4	120
9-	पटवा	1	3
10-	कोरी	3	21
11-	चमार	12	207
12-	ब्राह्मण	2	84
	12 जाति समूह	62	977 बीघा भूस्वामित्व

तालिका संख्या 40

ब गुट(ब्राह्मण जाति समूह के गुट के सदस्यों की जाति एवं भूस्वामित्व

क्रमसंख्या	जाति	भूस्वामित्व (बीघा में)
1-	ब्राह्मण	162
2-	ब्राह्मण	
3-	ब्राह्मण	27
4-	ब्राह्मण	23
5-	ब्राह्मण	27
6-	ब्राह्मण	27
7-	ब्राह्मण	20
8-	ब्राह्मण	15
9-	ब्राह्मण	22
10-	ब्राह्मण	22
11-	ब्राह्मण	12
12-	ब्राह्मण	19
13-	ब्राह्मण	19
14-	ब्राह्मण	19
15-	ब्राह्मण	70
16-	ब्राह्मण	100(बेाहतरा)
17-	ब्राह्मण	23
18-	ब्राह्मण	47

क्रमसंख्या	जाति	भूस्वामित्व (बीघा में)
19-	ब्राह्मण	63
20-	ब्राह्मण	63
21-	ब्राह्मण	102
22-	ब्राह्मण	103
23-	ब्राह्मण	32
24-	ब्राह्मण	51
25-	ब्राह्मण	28
26-	ब्राह्मण	33
27-	ब्राह्मण	11
28-	ब्राह्मण	15
29-	ब्राह्मण	12
30-	ब्राह्मण	15
31-	ब्राह्मण	19
32-	ब्राह्मण	19
33-	ब्राह्मण	26
34-	ब्राह्मण	49
35-	ब्राह्मण	49
36-	ब्राह्मण	49
37-	ब्राह्मण	11
38-	ब्राह्मण	100
39-	ब्राह्मण	12

क्रमसंख्या	जाति	भूस्वामित्व (बीघा में)
40-	ब्राह्मण	30
41-	ब्राह्मण	100
42-	ब्राह्मण	100
43-	ब्राह्मण	40(पैहवरा)
44-	ब्राह्मण	50
45-	ब्राह्मण	61
46-	ब्राह्मण	61
47-	ब्राह्मण	50
48-	ब्राह्मण	50
49-	बनिया	35
50-	बनिया	25
51-	बनिया	27
52-	कायस्थ	66
53-	अहीर	14
54-	अहीर	15
55-	अहीर	14
56-	लोहार	4

ब गुट ब्राह्मण जाति समूह के गुट के जातिगत कुल सदस्यों की संख्या एवं प्रत्येक जाति के सदस्यों की भू सीमा का योग तालिका संख्या 40ब में प्रदर्शित है। यथा —

तालिका संख्या 40ब

क्रमसंख्या	जाति	प्रत्येक जाति के सदस्यों का योग	जातिगत कुल भूस्वामित्व (बीघा में)
1-	ब्राह्मण	48	1777
2-	बनिया	3	87
3-	कायस्थ	1	66
4-	लोहार	1	4
5-	अहीर	3	43
		56	1977 बीघा

यद्यपि डिघवट के संघर्षशील दोनों दलों में सम्मिलित विभिन्न जातियों के सक्रिय सदस्यों की जातियाँ दोनों दल सवर्ण बड़े भू स्वामियों का ब दल जिसमें कुल 56 व्यक्ति सम्मिलित हैं जिसमें पिछड़े वर्ग के भी अहीर —3, एवं लोहार 1, सम्मिलित होने की रिपोर्ट प्रमाण देती है। अतः इन दलों का संगठन जातियों के आधार पर नहीं था बल्कि अपने अपने कृषि व्यवसाय में आर्थिकोपार्जन एवं लाभ अर्जित करने की दृष्टि से था। यह सतही तौर पर दलों के नाम को जाति समूहों के आधार पर पुकारा गया। हाँ वास्तविकता यह है कि सवर्ण बड़े भूस्वामियों के दल में उनकी संख्या 48 अत्यधिक है शेष 8 सदस्यों की संख्या उनकी तुलना में कम है एवं ग्राम के क्रान्तिकारी संघर्ष में ब गुट के सवर्ण बड़े भू स्वामियों में मात्र बड़े

भू-स्वामी ब्राह्मणों के तीन चार परिवार के ही सदस्य अत्यधिक सक्रिय रहे शेष सम्मिलित अन्य जातियों के तटस्थ अथवा कम सक्रिय रहे। इस सवर्ण बड़े भू स्वामियों के ब दल में सम्मिलित व्यक्तियों का भू स्वामित्व 1977 बीघा भी अत्यधिक है। जबकि अ गुट के पिछड़े एवं हरिजन वर्ग के 62 व्यक्तियों का अधिक संख्या थी दल तथा अधिक जाति समूह भी सम्मिलित है जैसा कि तालिका संख्या 41 में दर्शित है इस दल में सवर्ण जाति के भी व्यक्ति सम्मिलित हैं किन्तु भू स्वामित्व की दृष्टि से पिछड़ी एवं हरिजन वर्ग के अ गुट में सम्मिलित 62 अधिक संख्या वाले दल के सदस्यों का भूस्वामित्व मात्र 977 बीघा है। (देखिये तालिका संख्या 39) जो सवर्ण बड़े भू स्वामियों के मात्र 56 व्यक्तियों के भू स्वामित्व से कम है।

ग्राम डिघवट के बड़े भूमिधर सवर्ण ब्राह्मणों का ब गुट एवं पिछड़ी एवं हरिजन जातियों का अल्पभूमि एवं भूमिहीन श्रमिक मजदूरों के अ गुट में सम्मिलित जाति के व्यक्तियों की संशोधित तालिका थाना पैलानी की रिपोर्ट दिनांक 29-9-72 एवं 13-10-72 के अनुसार जाति वर्गीकृत तालिका 41 में निम्नवत है —

तालिका संख्या 41

ग्राम डिघवट के दोनों गुटों के सदस्यों का जाति-विश्लेषण

क्रमसंख्या	जातियाँ जो दोनों गुटों से संबंधित हैं।	सवर्ण भूमिधर ब्राह्मणों के उच्चजातीय वर्ग (ब गुट) में सम्मिलित सदस्यों की जातिगत संख्या	पिछड़ी एवं हरिजन अल्प भूमि वाले एवं भूमिहीन श्रमिक वर्ग के (अ गुट) में सम्मिलित सदस्यों की जातिगत संख्या
1-	ब्राह्मण	48	2
2-	बनिया	3	2
3-	कायस्थ	1	शून्य
4-	लोहार	1	8

5-	अहीर	3	7
6-	सोनार	शून्य	1
7-	केवट	शून्य	17
8-	नाई	शून्य	1
9-	तेली	शून्य	4
10-	भरभूंजा	शून्य	1
11-	पटवा	शून्य	1
12-	कुम्हार	शून्य	4
13-	कोरी	शून्य	3
14-	चमार	शून्य	11
योग		56	62

थाना पैलानी की रिपोर्ट दिनांक 29-9-72 एवं 13-10-72 के अनुसार गुटबाज के समाजशास्त्रीय अध्ययन ग्राम डिघवट के बड़े भूमिधर सवर्ण ब्राह्मणों के ब गुट में ब्राह्मण 48 व्यक्ति, बनिया 3, कायस्थ 1, लोहार 1, सम्मिलित हुये हैं इस प्रकार ये कुल 56 व्यक्ति हैं। एवं हरिजन जातियों के मध्यम अल्प भू-स्वामित्व वाले एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूर अ गुट में कुल सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या 62 है। जाति विश्लेषण की दृष्टि से इस अ दल में ब्राह्मण 2, बनिया 2, लोहार 8, अहीर 7, सोनार 1, केवट 17, नाई 1, तेली 4, भरभूंजा 1, पटवा 1, कुम्हार 4 कोरी 3 एवं चमार 11 व्यक्ति सम्मिलित हैं।

उपर्युक्त दोनों दलों के जाति विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सतही तौर पर इन दलों को जाति समूह के नाम से पुकारा जाता है। वास्तविकता यह है

कि सवर्ण बड़े भू स्वामियों के 56 व्यक्तियों के ब गुट के साथ भी बड़ी भू सीमा के अहीर 3, काछी 1, लोहार 1, एवं बनिया 3 के नाम हैं कायस्थ 1, को छोड़कर शेष 7 व्यक्ति पिछड़े वर्ग के हैं।

इसी प्रकार मध्यम अल्प एवं खेतिहर मजदूर स्तर के विभिन्न जातियों के 62 व्यक्तियों के पिछड़ी एवं हरिजन वर्ग के अ गुट के साथ सवर्ण जातियों के ब्राह्मण 2, बनिया 2, सम्मिलित हैं। किन्तु इन सवर्ण जातियों के चारों व्यक्तियों का भू स्वामित्व मध्यम भू सीमा है जो पिछड़े एवं हरिजन वर्ग के शोषक नहीं थे, तथा सवर्ण बड़े भू स्वामियों के आश्रित भी नहीं हैं, आत्म निर्भर स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति हैं।

तालिका संख्या 42

ग्राम डिघवट के अ गुट (हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह) एवं ब गुट (सवर्ण उच्चजातीय ब्राह्मण गुट के) के सदस्यों का भू स्वामित्व विश्लेषण :—

क्रम	ग्राम डिघवट के दोनों गुटों में सम्मिलित सदस्यों का भूस्वामित्व (बीघा में)	अ गुट में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के सदस्यों की संख्या भूसीमा वर्गान्तराल के अनुसार	ब गुट के सदस्यों की संख्या अपने वर्गान्तराल के अन्तर्गत भूस्वामित्व के अनुसार
1-	भूमिहीन	10	शून्य
2-	0-5	5	1
3-	6-20	31	17
4-	21-100	14	34
5-	101-300	2	4
6-	300 से ऊपर	शून्य	शून्य
	योग	62	56

उपर्युक्त तालिका संख्या 42 के अनुसार अ गुट (हरिजन एवं पिछड़े वर्ग) में सम्मिलित 62 सदस्यों की भूसीमा के विश्लेषण के अनुसार 10 सदस्य भूमिहीन, 5 सदस्यों 5 बीघा भूसीमा के अन्तर्गत सर्वाधिक 31 सदस्य 6-20 बीघा भू सीमा के अन्तर्गत इस वर्ग में सम्मिलित हैं। ब गुट (उच्च जातियों का वर्ग) में सम्मिलित कोई भूमिहीन व्यक्ति नहीं है। 0-5 बीघा भूसीमा के अन्तर्गत 1 सदस्य है। 17 सदस्य 6-20 बीघा भू सीमा के अन्तर्गत एवं सर्वाधिक 34 सदस्य 21-100 बीघा भूसीमा के अन्तर्गत हैं, 4 सदस्य 101-300 बीघा भू सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित है।

इस प्रकार उपर्युक्त तालिका संख्या 42 के अनुसार स्पष्ट होता है कि ब गुट (सवर्ण जातियों का गुट) में 34 सदस्य 21-100 बीघा भूसीमा के अन्तर्गत बड़ी भू-सीमा में आपने वालों की संख्या है जबकि अल्पभूमि वाले हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के गुट में सम्मिलित सर्वाधिक 31 सदस्य 6-20 बीघा भूसीमा वाले सदस्यों से अधिक आर्थिक सम्पन्नता का गुट था।

अतः उपर्युक्त परस्पर गुटों के सदस्यों के जाति विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि एक गुट जो सवर्ण ब्राह्मणों का है उसमें बड़े भूमिधर सुविधा सम्पन्न, शक्ति-सम्पन्न ब्राह्मण ही सम्मिलित थे। अल्प या भूमिहीन ब्राह्मण या तो तटस्थ थे अथवा हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के गुट के साथ थे।

इस तालिका संख्या 42 से यह बात स्पष्ट होती है कि गुट अ में 14 परिवारों के पास 21-100 बीघा के मध्य भूमि थी ये वे परिवार है जो निजी पारिवारिक श्रम से खेती करते है, साथ ही ये मध्यम भू सीमा के कृषक हैं जो न तो बड़े भूस्वामियों पर निर्भर करते हैं और न खेतिहर मजदूरों का शोषण और इन्हीं मध्यम कृषक वर्ग ने गुट अ के गुटीय दल का नेतृत्व किया एवं संघर्ष में इसीलिए सक्षम थे कि ये बड़े भू स्वामियों पर निर्भर नहीं थे। गुटीय संघर्ष की आवश्यक दशा यह है कि जो उत्पीड़न के विरोध में विद्रोह कर रहे हैं उनमें संघर्ष लेने की क्षमता होनी चाहिए। यह शुरू

आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के कारण लम्बे समय तक चलने वाले संघर्ष में रत रह सकता था।

इसके अतिरिक्त अ समूह में 31 व्यक्ति 6-20 बीघा भू स्वामित्व के व्यक्ति थे एवं दो व्यक्ति 101-300 बीघा भू स्वामित्व के व्यक्ति थे, जो बड़े भूसीमा के व्यक्ति थे।

अतः स्पष्ट है कि एक ओर ब गुट में बड़े भू स्वामी एवं उच्च जाति के व्यक्ति थे एवं दूसरे दल अ गुट में भी पिछड़ी एवं हरिजन जाति समूह के मध्यम भू सीमा एवं अल्प संख्या में वृहद् भू सीमा के व्यक्ति थे जो उच्च जाति समूह के व्यक्तियों के शोषण प्रताड़न एवंअत्याचार पूर्ण व्यवहारों का विरोध पूर्ण संघर्ष एवं मुकाबला खूनी क्रांति के रूप तक लिया अर्थात् खून के बदले खून का जवाब देकर भूमिहीन कृषि मज-दूरों एवं श्रमिकों को बंधक बनाने एवं आर्थिक शोषण से मुक्त कर सके। एवं ग्राम में राजनैतिक चेतना जाग्रत कर ग्रामीण शक्ति संरचना का केन्द्र ग्राम प्रधान के चुनाव में भी बहुमत से विजयी हुए।

दोनों दलों की रिपोर्टों में कुछ मध्यम सवर्ण व्यक्ति पिछड़े एवं हरिजन जाति समूह के अ गुट में भी सम्मिलित सदस्य रिपोर्ट में थे किन्तु वे तटस्थ रहे। इसी प्रकार सबसे बड़े भू स्वामियों के ब दल में अहीर3, कायस्थ 1, बनिया 3 लोहार 1 का नाम सवर्ण बड़े भू स्वामियों के दल में सम्मिलित नाम अंकित है किन्तु इनमें से मात्र अहीर लोगों ने प्रा0प्रा0 के तेली हैसिक पर लाठियों से आक्रमणकरने का प्रयास किया। इसके बाद इस सवर्ण ब्राह्मण जमींदारों के ब गुट मे सम्मिलित सदस्यों ने जिनमें पिछड़ी जाति समूह के 4 व्यक्ति एवं सवर्ण जाति समूह के 4(3बनिया, 1कायस्थ) सदस्यों की भूमिका ग्राम के गुटीय संघर्ष की भूमिका तटस्थ रही। केवल इस ग्राम के सबसे बड़े भू स्वामी ब्राह्मणों के 3-4 परिवारों ने ही पिछड़ाएवं हरिजन वर्ग के मध्यम

एवं अन्य तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का आर्थिक शोषण एवं प्रताड़ना, आतंक के क्रिया कलाप किये हैं एवं परस्पर संघर्ष शील दलीय क्रांति में सक्रिय रहे हैं।

तृतीय नेतृत्व :—

दल नेता को स्पष्ट करने के पूर्व नेता का तात्पर्य समझना आवश्यक है। नेता ऐसे व्यक्ति को समझा जाता है जो मार्ग दर्शक, मुखिया, किसी विषय में कुशल, आज्ञा देने वाला अथवा व्यवहार कुशल हो। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से नेतृत्व का अर्थ ऐसी स्थिति से समझा जाता है जिसमें कुछ व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति के आदेशों का पालन कर रहे हों।

वास्तविकता यह है कि गांव में नेता अपने समूह की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को सबसे अच्छी तरह समझता है। इसीलिए वह सदस्यों को इस प्रकार निर्देश देता रहता है जिससे समूह का आन्तरिक संगठन बना रहे, श्याम नारायण पाण्डेय, तुमुलखण्ड काव्य के अनुसार नेता अथवा नायक "विनीत और मधुर व्यवहार वाला होता है, वह चतुर और प्रिय बोलने वाला होता है। वह जनता का प्यारा होता है, उसका कुल उच्च होता है, उसका चित्त स्थिर होता है, वह डावांडोल(अस्थिर) विचार का नहीं होता, वह वीर और पक्के निश्चय वाला होता है।विद्वान्, त्यागी और धार्मिक भी होता है।

प्रत्येक दल का नेता अपने दल के सक्रिय सदस्यों के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु नेतृत्व करता है जिससे उसके दल का विकास एवं निर्धारित योजनायें सफल हों। ये नेता चाहे दल नेता हों या जाति के नेता हों उनके कुछ सहयोगी नेता भी होते हैं जो सक्रिय सदस्यों के कार्यों एवं ग्रामीण समस्याओं की सूचना मुख्य नेता को देते रहते हैं। इस प्रकार दल समूह या जाति समूह के नेता निम्न प्रकार के होते हैं(ढिल्लन के अनुसार) (1)प्रथमिक (2) द्वितीयक (3)तृतीयक।

(1) प्राथमिक :-

ये प्रमुख नेता हैं इनका प्रभाव समूह के सदस्यों के ऊपर सर्वाधिक होता है। इन्हें ग्रामीण जीवन के उच्च श्रेणी के नेता माना जाता है ये महत्वपूर्ण कुटुम्बों के सदस्य होते हैं और आयु की दृष्टि से भी ये पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त किये होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति भी सम्पन्न होती है। तथा जनमत भी इनके साथ होता है। सामूहिक कार्यों तथा झगड़ों में इनकी राय ली जाती है।

(2) द्वितीयक :-

ये पद, प्रतिष्ठा, आयु की दृष्टि से प्राथमिक नेताओं से कम माने जाते हैं ये प्राथमिक नेताओं को सलाह देते हैं और विविध सामूहिक कार्यों में उनका हाथ बँटाते हैं।

(3) तृतीयक :-

ये भी द्वितीयक नेता की ही भाँति होते हैं जो समय समय पर अपने प्राथमिक नेता को सलाह एवं ग्राम की तत्कालीन समस्याओं से सूचित कराते रहते हैं तथा अपने दल के विविध सामूहिक कार्यों में अपने दल एवं नेता का साथ देते हैं।

गुटीय नेताओं की जाति :-

सन्दर्भित अध्ययन ग्राम डिघवट में सवर्ण उच्च जातीय भू स्वामियों के आर्थिक शोषण एवं हरिजन तथा पिछड़ी जाति के निर्धन श्रमिकों को उचित मजदूरी न देने तथा कर्ज को अमानुषिक ढंग से वसूल करने तथा बेगार लेने एवं प्रताड़न के कारण शतत पीढ़ियों से दमित समूह ने एक संगठित वर्ग का रूप धारण कर लिया। इसप्रकार इस ग्राम में सवर्ण उच्च जातियों का सधन सुविधा सम्पन्न एवं शक्ति सम्पन्न दल के विरुद्ध हरिजन पिछड़ी जाति के अल्प भूमि एवं भूमिहीन निर्धन दमित जाति समूहों का अपना संरक्षण करने हेतु एक सशक्त दल संगठित हुआ। प्रत्येक दल को संचालित

करने हेतु एक सम्मत दल संगठित हुआ। प्रत्येकदल को संचालित करने हेतु दलीय नेता की आवश्यकता होती है। अतः दोनों दलों का नेतृत्व करने वाले प्राथमिक नेता जो मुख्य नेता के रूप में गुटों का संचालन करते थे और द्वितीयक तथा तृतीयक नेता जो प्राथमिक नेता को दलीय समस्याओं तत्कालीन सूचनाओं के सम्बन्ध में सलाह एवं सुझाव देतेरहते थे। पृथक्-पृथक दोनों गुटों के नेताओं की जाति का विवरण निम्न तालिका संख्या 43 में अंकित है।

तालिका संख्या 43

क्रमसंख्या	नेताओं की जातियाँ	अ गुट(हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह का गुट) में सम्मिलित नेताओं की संख्या(जातिगत)	ब गुट(सवर्ण उच्चजातियों का गुट) में सम्मिलित नेताओं की संख्या (जातिगत)
1-	ब्राह्मण	शून्य	7
2-	लोहार	1	शून्य
3-	तेली	2	शून्य
4-	केवट	2	शून्य
5-	चमार	1	शून्य
6-	डोमार	1	शून्य
	योग —	7	7

अ गुट में सम्मत नेताओं का योग 7 है जिसमें प्राथमिक नेता के रूप में एक तेली(पिछड़ी जाति) एवं एकग्राम प्रधान लोहार जाति का मध्यस्थ से है। वे अपने दल का प्राथमिक रूप से संचालन करते हैं तथा द्वितीयक नेता के रूप में दो केवट, एक चमार तथा एक डोमार अपने प्राथमिक नेता को अपने दल की समस्याओं

को समय समय पर सूचित करते हैं तथा दलीय समस्याओं के निराकरण हेतु सलाह एवं सक्रिय सहयोग देते हैं। ये द्वितीयक और तृतीयक नेता अपने दल के समस्त सक्रिय सदस्यों से अच्छा सम्बन्ध बनाये रहते हैं तथा दलीय संगठन को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रयत्न शील रहते हैं तथा प्राथमिक नेता की मुख्य समस्याओं के सुलझाने में विशेष जागरूक सतर्क एवं सहयोगी का कार्य करते हैं। इसी प्रकार ब गुट (सवर्ण उच्च जातीय गुट) में प्राथमिक नेता के रूप में गांव का सबसे बड़ा भू स्वामी जमींदार एवं उसके मामा का लड़का मुख्य रूप से प्राथमिक नेता के रूप में दल का संचालन करते हैं तथा अन्य शेष पांच नेता द्वितीयक एवं तृतीयक नेता के रूप में अपने प्राथमिक नेता को अपने दल की समस्याओं, सूचनाओं के देने में सहयोग देते हैं। दलीय संगठन को मजबूत रखने में तथा दलीय समस्याओं के सुलझाने हेतु ये प्राथमिक नेता के प्रेरणा स्रोत होते हैं।

गुटीय नेताओं का व्यवसाय :--

ब गुट (उच्च जातीय गुट) के नेता ग्राम के बड़े भू स्वामी हैं इनका मुख्य पेशा कृषि है इसी प्रकार अ गुट (हरिजन एवं पिछड़ी जाति का गुट) के नेताओं का मुख्य व्यवसाय यद्यपि कृषि है किन्तु ये सवर्ण गुट के नेताओं से कम भू सीमा रखते हैं। आर्थिक सम्पन्नता का सन्तुलन करने हेतु ये जातीय व्यवसाय या अन्य सहायक व्यवसाय द्वारा अपनी आय में वृद्धि करते हैं। जबकि सवर्ण गुट के नेताओं का मुख्य व्यवसाय कृषि है। उनकी भू सीमा वृहद् है अतः वे सुविधा सम्पन्न हैं।

गुटीय नेताओं का भू-स्वामित्व :—

ग्राम डिघवट के ब गुट के सवर्ण ब्राह्मण भूमिधरों एवं अ गुट के अल्पभूमि वाले पिछड़ी जाति एवं अल्प भूमि एवं भूमिहीन हरिजन जाति समूह के गुटीय नेताओं का भू-स्वामित्व निम्न तालिका संख्या 44 में अंकित है —

तालिका संख्या 44

क्रमसंख्या	भूस्वामित्व (बीघायें)	अ गुट के नेताओं की संबंधित भूस्वामित्व में संख्या	ब गुट के नेताओं की संबंधित भूस्वामित्व में संख्या
1-	भूमिहीन	शून्य	शून्य
2-	0-5	1	शून्य
3-	6-20	4	2
4-	21-100	1	4
5-	101-300	1	1
6-	300 से ऊपर	शून्य	शून्य
योग ---		7	7

अ गुट में मुख्यरूप से प्राथमिक नेता एक है जो तेली जाति(पिछड़ीजाति) का है। जो 6-20 भूसीमा वर्गान्तराल के अन्तर्गत आता है। प्राथमिक नेता ही मुख्य रूप से अपने दल का संचालन करता है। अन्य सहायक 6 नेता अपने दल के प्रमुख नेता को सलाह, सुझाव एवं सहयोग प्रदान करते हैं। एवं अपने दल के सक्रिय सदस्यों का संगठन मजबूत बनाने में संलग्न रहते हैं। तथा दल की समस्याओं को प्राथमिक नेता को सूचित करते रहते हैं और ये द्वितीयक नेता प्राथमिक नेता की आज्ञा के अनुसार कार्य में संलग्न रहते हैं। शेष 6 द्वितीयक एवं तृतीयक नेता है जिनमें 6-20 बीघा वर्गान्तराल भूसीमा के अन्तर्गत चार नेता आते हैं 20-100 बीघा के अन्तर्गत एक नेता एवं 101-300 बीघा भूसीमा के अन्तर्गत एक हरिजन जाति(चमार) का नेता जो ग्राम का उपप्रधान है सम्मिलित है।

ब गुट सवर्ण भू स्वामियों का गुट है जिसमें प्राथमिक नेता के रूप में ग्राम का सबसे बड़ा जमींदार जिसका भू स्वामित्व 101-300 बीघा भू स्वामित्व के अन्तर्गत है ये ही अपने दल का मुख्य संचालन का कार्य करता है। शेष 6 नेता द्वितीयक एवं तृतीयक नेता के रूप में अपने प्राथमिक नेता को दलीय समस्याओं से संबंधित सलाह एवं सुझाव देते हैं तथा नेता द्वारा संचालित कार्यों में सतत सहयोग हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। इस दल में द्वितीयक नेता के रूप में दो नेता जिनकी भूसीमा 6-20 बीघा के अन्तर्गत है। इस गुट में कोई भूमिहीन नेता नहीं है मात्र एक नेता ही 0-5 बीघा भूसीमा वाला है।

इस प्रकार दोनों गुटों में पृथक पृथक 7 नेता भू स्वामित्व वाले हैं जिनके आर्थिक स्रोत का मूल आधार कृषि व्यवसाय है। तालिका संख्या 44 को देखने से स्पष्ट होता है कि सवर्ण जाति के ब गुट में सर्वाधिक संख्या के 4 नेता वृहद् भूसीमा 21-100 बीघा वाले बड़े भू स्वामी हैं जबकि जबकि अ गुट(हरिजन एवं पिछड़ी जाति) की सर्वाधिक नेताओं की संख्या 4 6-20 बीघा भूसीमा के अन्तर्गत है। अतः ये मध्यम सम्पन्न वर्ग के नेता है जबकि ब गुट के नेता अधिक आर्थिक सुविधा एवं शक्ति सम्पन्न गुट के नेता हैं और ब गुट के नेता हरिजन एवं पिछड़ी जाति के निर्धन, दमित अल्प भूमि वाले मजदूर दल का नेतृत्व करते हैं।

गुटवाद का आधार

संदर्भित समाजशास्त्रीय गुटवाद की राजनीति का अध्ययन ग्राम डिघवट के सभी जातियों की भूसीमा अभिलेखों का विश्लेषण अध्याय चार में ग्राम आर्थिकी में विश्लेषण करने से विदित होता है कि ग्राम की 50-60 प्रतिशत भूमि मात्र उच्च वर्ग अल्प परिवार मुखियों के अधीन है एवं शेष अधिकतम जनसंख्या वाले हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के पास मात्र 40 प्रतिशत भूमि है अतः उन्हें उच्च वर्ग के लोगों के ही कृषिश्रमिक बनकर जीविका उपार्जन के लिए बाध्य रहना पड़ता है। मार्क्सवादी विचारधारा के

अनुसार हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के सर्वहारा वर्ग के बहुसंख्यक मजदूर वर्ग का उच्च वर्ग के चन्द बड़े भू स्वामी जमींदारों की मजदूरी पर जीवन यापन करना पड़ता है। उच्च वर्ग कम मजदूरी देकर, गरीब वर्ग के भूमिहीन हरिजन एवं पिछड़े वर्ग से काम अल्प मजदूरी में आठ घण्टों से अधिक समय तक तथा बंधुआ मजदूर बनाने के अलावा उनकी महिलाओं से बलात्कार जैसी अमानवीय कार्य को बलात् करता है। अतः इस ग्राम में उच्च वर्ग एवं हरिजन जाति समूह एवं पिछड़ा वर्ग के मध्य एक ओर आर्थिक सुविधा सम्पन्न एवं ग्रामीण शक्ति संरचना की दृष्टि से राजनैतिक शक्ति रखने वाले वृहद् भू सीमा वर्ग उच्चजाति के प्रताड़न, अनाचार, आर्थिक शोषण के खिलाफ सर्वहारा वर्ग के भूमिहीन एवं अल्प भू सीमा वाले कृषि श्रमिकों का जो आर्थिक सुविधाओं से विहीन एवं ग्रामीण शक्ति संरचना में ग्राम पंचायत में पहले 1967 में मात्र 50 प्रतिशत साझेदारी रखते थे किन्तु इस वर्ग के शिक्षित नवयुवकों में राजनैतिक चेतना उच्च वर्ग के अत्याचारों एवं आर्थिक सुविधाओं की प्राप्ति हेतु तथा ग्रामीण शक्ति संरचना में अपना बहुमत प्राप्त करने तथा अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु सक्रिय संघर्ष का रूप लेना पड़ा एवं वर्ष 1972 के ग्राम पंचायत चुनाव में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोग समस्त ग्राम पंचायत के 14 सदस्यों में 9 सदस्य ग्राम प्रधान सहित विजयी हुये। इस ग्राम पंचायत में जो ग्रामीण शक्ति संरचना का आधार है, ग्राम प्रधान के पद में पिछड़ीजाति के लुहार नवयुवक का 37 मतों से परम्परागत ब्राह्मण ग्राम के सबसे बड़े जमींदार को हराकर ग्राम की ग्राम पंचायत में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की राजनैतिक शक्ति को स्थापित कर देने से ही उच्च बड़े भू स्वामी वर्ग ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर संघर्ष व प्रताड़न आर्थिक शोषण सर्वहारा वर्ग के (भूमिहीन खेतिहर मजदूर) व अल्प भूसीमा वाले हरिजन एवं पिछड़ी जाति के कृषि श्रमिकों पर प्रारम्भ कर दिया। सर्वहारा वर्ग ने भी बुर्जुआ वर्ग के मात्र बड़े भू सीमा वाले लोगों के आर्थिक शोषण अत्याचार एवं अनाचार का डट कर मुकाबला किया। अतः इस ग्राम के दलीय संघर्ष का कारण जाति समूहों

में विभाजन उच्च तथा हरिजन एवं पिछड़ी जाति नहीं है जैसा कि ग्राम के दोनों दलों की संरचना पुलिस रिकार्ड देखने से विदित है यथा तालिका संख्या 41 में प्रदर्शित है। इस ग्राम में वर्ग संघर्ष एक ओर उच्च जाति के चन्द बड़े जमींदार आर्थिक दृष्टि से सुविधा सम्पन्न एवं ग्रामीण शक्ति संरचना में राजनैतिक शक्ति रखने वाले एवं दूसरी ओर मध्यम भू स्वामित्व रखने वाले आर्थिक सुविधा एवं राजनैतिक शक्ति से सम्पन्न वर्ग का संघर्ष है जिसने दलों का रूप धारण कर लिया है। कृषि श्रमिक वर्ग के इन अल्पभूमि एवं भूमिहीन कृषि श्रमिकों का सर्वहारा वर्ग के सुविधा सम्पन्न एवं राजनैतिक शक्ति रखने वाल वर्ग या दल के कुछ लोगों से उचित मजदूरी, प्रताड़ना एवं आर्थिक शोषण महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे कार्यों को रोकने एवं उचित न्याय व्यवस्था एवं मजदूरी के लिए संघर्षशील दल निर्माण करना इस ग्राम में दलों के निर्माण का आधारभूत कारण है।

उपपरिकल्पना का सत्यापन

सर्वेक्षित ग्राम के अध्ययन हेतु कुछ उपपरिकल्पनायें निर्मित की गयीं थीं जिसमें से एक यह थी कि 'विभिन्न जाति समूहों में भूमि एवं आर्थिक सुविधाओं का असमान वितरण ग्रामीण गुटबाद का जन्म देता है।(मार्क्सवादी अर्थ में) प्रस्तुत अध्ययन में ग्रामीण दल निर्मित होने के कारणों से निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि इस अध्ययन ग्राम में दलों के निर्माण का कारण जाति व्यवस्था या स्तरीकरण अर्थात् उच्च जाति समूह एवं निम्न तथा पिछड़ी जाति समूह नहीं है यह मात्र बाहरी रूप से दलों में सम्मिलित संख्याओं में बहुमत है क्योंकि उच्च जाति समूह के साथ भी हरिजन एवं पिछड़े जाति के व्यक्ति सम्मिलित हैं तथा हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह के दल में मध्यम भू सीमा वाले पर्याप्त सदस्य एवं अन्य उच्च जाति के ब्राह्मण व्यक्ति भी सम्मिलित हैं (देखिए तालिका संख्या 41) जिसमें उच्चजातीय बड़े जमींदार (उच्च जाति के बड़े

भूस्वामी) मात्र 56 व्यक्तियों की पुलिस कार्यालय में रिपोर्ट दर्ज है जिसमें ब्राह्मणों की संख्या 48, तथा बनियों की संख्या 3, कायस्थ 1, लोहार 1, एवं अहीर जाति के तीन व्यक्ति सम्मिलित हैं। इसी प्रकार भूमिहीन एवं अल्पभूमि व कृषि श्रमिक वर्ग के आर्थिक एवं राजनैतिक सुविधा विहीन हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह के दल में कुल 62 व्यक्तियों की रिपोर्ट थाना पैलानी दिनांक 29-9-72 एवं 13-10-72 में अंकित है जिसमें ब्राह्मणों की संख्या 2, तथा बनियों की संख्या 2, लोहार जाति के सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या 8, अहीर 7, सुनार 1, केवट 17, नाई 1, तेली4 भरभूजा 1, पटवा 1, कुम्हार 4, कोरी 3, चमार जाति के सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या 11 थी

अतः ग्राम के दोनों दलों में प्रथम उच्चजातियों के बहुसंख्यक आर्थिक सुविधा एवं राजनैतिक शक्ति सम्पन्न दल जिसमें 48 ब्राह्मणों के साथ पिछड़े वर्ग के 3अहीर एवं 1 लोहार जाति का व्यक्ति सम्मिलित है। इसी प्रकार हरिजन एवं पिछड़ी जाति का दल जो वास्तव में आर्थिक एवं राजनैतिक सुविधाविहीन वर्ग है इसके 62 व्यक्तियों के दल में उच्च जाति के 2 ब्राह्मण तथा 2 बनिया सम्मिलित थे अतः इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम खिंचवट का दलीय संघर्ष उच्च एवं हरिजन तथा पिछड़ी जाति समूहों का संघर्ष नहीं था बल्कि यह वर्ग संघर्ष आर्थिक सुविधा सम्पन्न एवं ग्रामीण शक्ति संरचना में राजनैतिक शक्ति रखने वाले चन्द बड़े उच्च जाति के बड़े जमींदार समुदाय के बुर्जुआ वर्ग का हरिजन एवं पिछड़ी जाति तथा चन्द धनहीन ब्राह्मण अर्थात निर्धन भूमिहीन कृषि श्रमिक किसान के आर्थिक साधन एवं राजनैतिक शक्ति से विहीन भूमिहीन कृषि श्रमिकों का बुर्जुआ वर्ग अर्थात् बड़ी भू सीमा वाले जमींदारों के आर्थिक शोषण, अमानवीय बर्ताव, अधिक घण्टों तक काम लेना एवं कम मजदूरी देकर तथा जुआँ खेलने हेतु चन्द रुपये देकर सवाया ब्याज की दर वसूल करना पैसा वसूल न होने पर घर खेती की जमीन स्त्री के सोने चाँदी के कुछ आभूषण गिरवीं रख लेना तथा समय पर

पैसा न मिलने पर इन धनहीन कृषि श्रमिकों की सम्पत्ति हड़प लेना एवं जबरन शक्ति सम्पन्नता के बल पर उसे अनवरत कई वर्षों तक बंधुआ मजदूर बनाये रखना।

अतः इससे हमारी पूर्व निर्मित उपपरिकल्पना सत्यापित होती है कि ग्राम हिंघवट के विभिन्न जाति समूहों में भूमि एवं आर्थिक सुविधाओं का असमान वितरण ग्रामीण गुटवाद का जन्म देता है। (मार्क्सवादी अर्थ में)।

सप्तम अध्याय

ग्राम डिघवट में गुटवाद के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ग्राम डिघवट में गुटवाद के वास्तविक आधार और कारणों के विश्लेषण के पूर्व दोनों गुटों की स्थिति का वर्णन आवश्यक है। जैसा कि पूर्ववर्णित है कि हरिजन जाति समूह एवं पिछड़ी जाति समूह अल्पभूमि एवं भूमिहीन सुविधा एवं शक्ति विहीन श्रमिकों का गुट है जिसमें पिछड़ी जाति के कुछ मध्यम भूस्वामि भी हरिजनों कोसवर्ण ब्राह्मणों के आर्थिक शोषण एवं प्रताड़न से बचाने हेतु सम्मिलित हैं, जिससे यह निर्णायक या संरक्षक गुट संख्यात्मक रूप से विशेष प्रभुत्व शाली गुट के रूप मे डिघवट ग्राम में परिणत हो गया। (78·25 प्रतिशत) इसमें 18 जाति समूहहरिजन एवं पिछड़े वर्ग के सम्मिलित थे, जिसमें सोनार, लोहार, बढ़ई, माली, अहीर, गड़रिया, नाई, केवट, कहार भरभूजा, तेली, अरख, कुम्हार (पिछड़ी जाति समूह) एवं कोरी, धोबी, चमार, डोमार (हरिजन जाति समूह) पिछड़ी जाति समूह का कुल भू स्वामित्व सवर्ण उच्च जाति समूह के कुल भू स्वामित्व से अति अल्पतम ही है। पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति हरिजन जाति समूह से बहुत ही अच्छी है।

यहाँ ग्राम डिघवट के पिछड़ी जाति समूह में एक अन्य विशेष महत्वपूर्ण किन्तु यह है कि इस गुट में अत्यधिक संख्या में उच्चतम शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं। इनमें दो तेली (तेल पेरने वाली जाति) इसी ग्राम के राजकीय प्राइमरी पाठशाला के प्रधान अध्यापक हैं और दूसरा प्राइमरी पाठशाला में सहायक अध्यापक है, इन दोनों भाइयों की ग्राम डिघवट के गुटीय संघर्षों के विकास में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है। इन दो तेलियों के अलावा यहाँ बहुत से स्नातक एवं स्नातकोत्तर व्यक्ति पिछड़े वर्ग में हैं।

इस प्रकार डिघवट में सवर्ण उच्च जातीय गुट की तुलना में हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह के गुट में दोनों दृष्टि से संख्यात्मक एवं शैक्षिक स्तर में अधिक

उच्चतम स्तर के व्यक्ति हैं। आर्थिक दृष्टि से सवर्ण उच्चजातियों के गुट में लम्बी भूसीमा वाले बड़े भू स्वामी हैं। तथा कुल भूमि का योग (2551 बीघा) भी अधिक है। फिर भी पिछड़ी जाति समूह में बहुत से लोग मध्यम भू स्वामी हैं, जिनके पास 25-35 बीघा एवं 50-60 बीघा तक भूमि है। एक व्यक्ति पिछड़ी जाति (कुम्हार) 101-300 बीघा भू स्वामित्व के अन्तर्गत है। एवं हरिजनों में भी एक हरिजन जो उपप्रधान पद हेतु (1972) में चयन किया गया था वह भी 101-300 बीघा भूसीमा के अन्तर्गत भूस्वामित्व रखता है।

स्वतंत्र ब्राह्मण गुट की तुलना में पिछड़ा वर्ग लघु भू स्वामित्व एवं मध्यम भू स्वामित्व वाला था एवं ग्रामीण शक्ति संरचना की दृष्टि से पूर्ण दमित था। यद्यपि सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग अस्पृश्य नहीं था, किन्तु उच्च जातीय बड़े भू स्वामी ब्राह्मणों द्वारा इन्हें भी समान सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में अस्तित्व व समादर नहीं प्रदान किया जाता था। पिछड़े वर्ग की दो महिलाओं (कुम्हार विवाहित)। —— P.T.O

ग्राम डिघवट के हरिजनों की ग्राम में गुट निर्माण के पूर्व सुविधाविहीन स्थिति एवं सवर्ण बड़े भूस्वामियों द्वारा उन पर अत्याचार

इस अध्ययन में अत्याचार शब्द का प्रयोग उच्च जाति के बड़े भूस्वामियों द्वारा गरीब, असहाय, हरिजनों पर शारीरिक शक्ति के प्रयोग द्वारा शारीरिक दण्ड प्रताड़न अमानवीय बर्ताव के लिए प्रयोग किया गया है। सवर्णों के अत्याचार के विरोध में हरिजनों द्वारा कोई प्रतिरोध नहीं किया गया। इस संदर्भ में हम सवर्ण भूस्वामियों और हरिजनों के विषमता के सम्बन्ध को निम्नवत् प्रदर्शित करते हैं —

40 वर्ष उम्र, लोहार विवाहित 42 वर्ष उम्र) के साथ बलात्कार बड़े भूस्वामी ब्राह्मणों के द्वारा किये गये। दो कायस्थ विवाहित लड़कियाँ उम्र 20वर्ष,25वर्ष उम्र) एवं एक कोरी जाति की अविवाहित लड़कियाँ उम्र 15-20 वर्ष एवं एक लोहार जाति की 19 वर्षीय कुँवारी बालिका के साथ भी बलात्कार के मामले ग्राम में साक्षात्कार के समय प्रकाश में आये। जिन्हें इस वर्ग के पीड़ित व्यक्तियों द्वारा उन अपराधियों के प्रति रिपोर्ट न करने की अपनी असहाय स्थिति को प्रकट किया। ये सब जघन्य अपराधों का कारण इस वर्ग के लोगों की निर्बल आर्थिक एवं राजनैतिक शक्ति होनी है। जब तक पिछड़ा वर्ग ग्रामीण शक्ति संरचना में सबल एवं प्रभुत्वशाली नहीं होगा, तब तक ये सवर्ण बड़े भूस्वामी ब्राह्मणों के अमानुषिक अत्याचार सहने पड़ेंगे, इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, उच्च जातीय बड़े भूस्वामियों के इन अमानुषिक (पाशविक) कृत्यों के नियंत्रण हेतु हरिजन एवं पिछड़ी जातियों द्वारा ग्रामीण शक्ति संरचना में प्रभुत्व संगठित करना आवश्यक है। इस दिशा में नेतृत्व की प्रेरणा इस वर्ग को इन घटनाओं द्वारा प्राप्त हुई। इसी लिये हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह द्वारा बड़े भूस्वामी ब्राह्मणों का परिचय कराया गया। जो आर्थिक शक्ति एवं राजनैतिक शक्ति संरचना में एकाधिकार किये हुये थे। जो एक स्वतंत्र गुट के रूप में अधिनायकवादी नीति का अनुसरण कर रहा था। ग्रामीण शक्ति संरचना में पदाधिकारी के रूप में एवं शक्ति सम्पन्नों की दृष्टि से हरिजन जाति समूह एवं पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा सम्मिलित विरोधक या संरक्षक गुट के रूप में बहुत ही शानदार संगठन तैयार करके राजनैतिक चेतना का प्रमाण ग्राम प्रधान के चुनाव वर्ष 1972 में प्रदर्शित किया। जब कि विरोध में भूतपूर्व जमींदार ब्राह्मण 101-300 बीघा भूमि का भूस्वामित्व था एवं बहुत सा पशुधन एवं मशीनरी के कृषि यंत्र तथा ट्रैक्टर (जुताईहेतु) पम्पिंग सेट (सिंचाई हेतु) जीप (सवारी) आवागमन का साधन) आदि सम्पन्नता के साधनों से संयुक्त है, एवं उनके पास निवास तथा पशु निवास के अतिरिक्त बहुत बड़ा भवन था एवं परिवार भी संयुक्त बहु सम्मिलित परिवार वर्गों से संयुक्त है, जिसके कुछ भूस्वामित्व को अपने लड़कों, लड़कियों,भतीजों, भतीजियों एवं भाइयों के नाम भू-स्वामित्व करा दिया गया।

प्रस्तुत विषय वस्तु पर प्रकाश वास्तविक घटनाओं के सम्बन्धित पर डाला जाय जिनके कारण हरिजन एवं पिछड़े वर्ग समूह में विरोधक या संरक्षक गुट का निर्माण हुआ।

निवास का स्थान :—

ग्राम डिघवट के उच्चजाति के सदस्यों का हरिजन जाति से शारीरिक अलगाव इस ग्राम में स्पष्टतः दर्शनीय है। उनके मकान उच्चजातियों से दूर ग्राम के पश्चिम एवं पूर्व के कोने में झुण्ड रूप में निर्मित हैं। उच्च जाति और पिछड़े वर्ग (स्पृश्य जातियों) के निवास के मकान ग्राम के मध्य में स्थित हैं। ग्राम के अस्पृश्य जाति के डोमारों के घर ग्राम की बाहरी परिधि के दक्षिण पश्चिम के कोने में बिल्कुल पृथक निर्मित हैं। ग्रामीण गुटबन्दी के समय जब हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के मजदूरों ने ग्राम के सवर्ण बड़े भू स्वामियों का बेगार एवं जजमानी काम बन्द कर दिया था उन दिनों से सवर्ण भू स्वामियों के ग्रामीण रास्तों से गुजरना भी बन्द किये थे। एवं उनके खेतों की मेड़ों से निकलने में भी हरिजन महिलाओं एवं पुरुषों को सवर्ण बड़े भू स्वामियों का प्रताड़न एवं दुर्व्यवहार सहन करना पड़ता था ग्राम के 87 हरिजन परिवार मुखियों से इस संदर्भ में शेड्यूल में लिया गया साक्षात्कार तालिका संख्या 45 में निम्नवत वर्णित है।

तालिका संख्या 45

ग्राम डिघवट के हरिजन सूचनादाताओं का रहने का स्थान कहाँ है?

क्रमसंख्या	तुम्हारे रहने का स्थान कहाँ है?	हरिजनजाति समूह
1-	गाँव के बाहर	53 (60·92 प्रतिशत)
2-	गाँव के अंदर किन्तु उच्चजातियों से दूर	34 (39·08)
	कुलयोग	87 (100·00)

ग्राम डिघवट के हरिजन वर्ग समूह के प्रति ग्राम के उच्चजाति समूह में छुआ-भूत की भावना एवं प्रकृति की जानकारी उनसे लिए गये साक्षात्कार द्वारा तालिका संख्या 46 में अंकित आंकड़ों से हरिजन सूचनादाताओं के विचार निम्नवत स्पष्ट है -

तालिका संख्या 46

क्या ग्राम डिघवट के हरिजन गांव के अंदर के कुंए से पानी भर सकते हैं?

क्रमसंख्या	क्या आप गांव के अंदर के कुंए से पानी भर सकते हैं?	हरिजन जाति समूह
1-	हां	48 (55·17)
2-	नहीं	20 (23·00)
3-	उच्चजातियों के पानी भर लेने तक प्रतीक्षा के बाद	10 (11·49)
4-	अपने निजी कुयें द्वारा पानी भरते हैं	9 (10·34)
	कुलयोग	87 (100·00)

संदर्भित अध्ययन ग्राम डिघवट के हरिजनों का ग्राम के अन्य जाति समूह से सम्बन्धों की जानकारी हेतु उनसे साक्षात्कार में प्राप्त आंकड़े तालिका संख्या 47 में इनके ग्राम के अन्यजातियों से सम्बन्ध स्पष्ट करते हैं।

तालिका संख्या 47

हरिजन गांव की किन जातियों से स्वतंत्रतापूर्वक मिल सकते हैं?

क्रमसंख्या	हरिजन गांव की किन जातियों से स्वतंत्रतापूर्वक मिल सकते हैं।	हरिजन जाति समूह
1-	उच्चजाति के लोगों से	3 (3·49)
2-	पिछड़ी जाति के लोगों से	7 (8·05)
3-	अपनीजाति के लोगों से	21 (24·14)
4-	अपनी और पिछड़ी जाति के लोगों से	48 (55·18)
5-	समस्त जातियों से	8 (9·18)
	कुलयोग	87 (100·00)

सर्वेक्षित अध्ययन ग्रामडिघवट के 87 हरिजन परिवार मुखियों से ग्राम की अन्य जाति समूह से मिलने की प्रतिक्रिया एवं विचारों की जानकारी से उपर्युक्त तालिका संख्या 47 से ज्ञात होता है कि मात्र 3·49 प्रतिशत मिश्र हरिजन सूचनादाता उच्चजाति के लोगों से स्वतंत्रतापूर्वक मिल सकते हैं। 8·05 प्रतिशत पिछड़ी जाति के लोगों से एवं 24·14 प्रतिशत अपनी जाति के मध्य अक्सर मिलते हैं अपनी और पिछड़े वर्ग के मध्य सर्वाधिक सूचनादाता 55·18 प्रतिशत परस्पर मिलते हैं तथा 9·19प्रतिशत सदस्य ग्राम की समस्त जातियों से स्वतंत्रता पूर्वक मिल सकते हैं। अतः इस ग्राम के हरिजनों का उच्चतम प्रतिशत में जाति सम्बन्ध पिछड़े वर्ग से है।

उत्तर भारत के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड के बाँदा जनपद के अन्तर्गत ग्राम डिघवट के हरिजनों का उच्चजाति के आने पर उच्च एवं हीन भावना की अभिव्यक्ति तालिका संख्या 48 में प्रदर्शित है।

तालिका संख्या 48

क्या ग्राम डिघवट के हरिजनों को उच्चजाति के लोगों के आने पर खड़ा होना पड़ता है?

क्रमसंख्या	क्या उच्चजाति के आने पर आपको खड़ा होना पड़ता है?	हरिजनजातिसमूह
1-	निश्चितरूप से	48 (55·17)
2-	हाँ	28 (32·19)
3-	नहीं	11 (12·64)
	कुल योग	87 (100·00)

सदर्भित ग्राम डिघवट के हरिजनों से साक्षात्कार द्वारा उच्चजाति के लोगों के आगमन पर खड़े होने की सम्मानपूर्वक प्रतिक्रिया की पद्धति के अनुकरण के बारे में विचार उपर्युक्त तालिका के अनुसार निश्चित रूप से 55·17 प्रतिशत है स्वीकारोक्ति रूप में 32·19 प्रतिशत और नकारात्मक सूचनादाताओं का प्रतिशत 12·64 है।

तालिका संख्या 49

यदि उच्चजाति के सामने हरिजन खड़े न हों तो क्या परिणाम होते हैं ?

क्रमसंख्या	यदि आप खड़े न हों तो क्या परिणाम होता है?	हरिजनजातिसमूह
1-	वे मारते पीटते है	2 (2·29)
2-	गाली देते हैं या आँख दिखाते हैं	15 (17·24)
3-	गाँव एवं खेती की सुविधायें रोक देते हैं	4 (4·59)
4-	असंतुष्ट होते हैं या नाराज होते हैं	50 (57·48)
5-	कुछ नहीं कहते	16 (18·40)
	योग	87 (100·00)

ग्रामीण अंचल में उच्चजाति के हरिजनों के यहाँ आने पर खड़े होने की परम्परा अति प्राचीन है। सवर्णों द्वारा ऐसा हरिजनोंके पालन न करने पर होने वाली प्रतिक्रिया अनेक रूपों में यहाँ के हरिजनों द्वारा साक्षात्कार लेने पर विदित हुआ। एक हरिजन ने अपने साक्षात्कार में बताया कि ग्राम के बड़े भू स्वामि मजदूरी करने हेतु मुझे लेने आये थे, मैं चारपाई पर लेटा था उन्हें देख न सकने के कारणखड़ा नहीं हो सका उन्होंने लाठी के पिछले सिरे से मुझे धक्का मारा जिससे मैं खड़ा हो गया। इस प्रकार खड़ा न होने पर 2·29 प्रतिशत सूचनदाताओं ने मारने पीटने का उत्तर दिया। 17·24 प्रतिशत ने सवर्णों द्वारा गाली देने एवं आंख दिखाने का उत्तर दिया तथा 4·59 प्रतिशत ने सवर्णों द्वारउ उन्हें गांव तथा खेतों की सुविधायें रोक देने हेतु बताया तथा सामान्यतया अकारण ही 57·48 प्रतिशत ने सवर्णों के नाराज होने का उत्तर दिया। मात्र 18·40 प्रतिशत सूचनदाताओं ने कुछ प्रतिक्रिया न होने का उत्तर दिया।

हरिजनों पर ग्राम के सवर्ण बड़े भूस्वामियों द्वारा अत्याचार :-

सम्मिलित अध्ययन ग्राम डिघवट के 87 हरिजन परिवार मुखियों से साक्षात्कार द्वारा यह पूछने पर कि आपके परिवार में सवर्ण भूस्वामियों द्वारा कोई अत्याचार घटित हुआ है अथवा नहीं, तालिका संख्या 50 में उनका उत्तर अंकित है।

तालिका संख्या 50

क्या ग्राम डिघवट के हरिजन सूचनदाताओं के परिवारों में कोई अत्याचार घटित हुआ है-

क्रमसंख्या	क्या आपके (हरिजन सूचनदाताओं) के परिवार में कोई अत्याचार घटित हुआ है?	हरिजन जाति समूह
1-	नहीं	37 (42·53)
2-	नहीं	50 (57·47)
	कुलयोग	87(100·00)

इससे स्पष्ट होता है कि 57•47 प्रतिशत उत्तरदाता सवर्णों द्वारा उन पर अत्याचार का वर्ताव करने की पुष्टि करते हैं।

हरिजनों पर ग्राम के सवर्ण बड़े भूस्वामियों द्वारा अत्याचार

संदर्भित अध्ययन ग्राम डिघवट के 87 परिवार मुखियों से साक्षात्कार द्वारा यह पूछने पर कि उनके किन सदस्यों पर सवर्ण बड़े भू स्वामियों द्वारा अत्याचार किया जाता है। तालिका संख्या 51 में उनका उत्तर दर्शित है —

तालिका संख्या 51

किनके साथ अत्याचार किया जाता है —

क्रमसंख्या	किनके साथ अत्याचार किया जाता है?	हरिजन जाति समूह
1-	पुरूषों के साथ	44 (50•57)
2-	केवल औरतों के साथ	3 (3•45)
3-	दोनों के साथ	40 (45•98)
	कुलयोग	87 (100•00)

उपर्युक्त तालिका से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि 87 हरिजन सूचनादाताओं में से 44(50•57प्रतिशत) पुरूषों के साथ सवर्ण भूस्वामियों द्वारा अत्याचार करने की पुष्टि करते हैं। मात्र 3 सूचनादाता जिनका प्रतिशत 3•45 है ने औरतों के साथ अत्याचार के बर्ताव की पुष्टि की तथा पुरूष और महिलाओं दोनों के साथ ग्राम के बड़े भूस्वामियों द्वारा अत्याचार करने की पुष्टि की।

ग्राम डिघवट के पिछड़े वर्ग के सूचनादाताओं द्वारा इस ग्राम के सवर्ण बड़े भूस्वामियों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार किये जाने के संदर्भ में साक्षात्कार लेने पर निम्नांकित उत्तर तालिका संख्या 52 में अंकित है।

तालिका संख्या 52

ग्राम डिघवट के पिछड़े वर्ग की समझ में क्या हरिजनों पर अत्याचार किया जाता है?

क्रमसंख्या	क्या ग्राम डिघवट के हरिजनों के साथ अत्याचार किया जाता है?	पिछड़ा वर्ग जाति समूह
1-	हाँ	202 (89·38)
2-	नहीं	24 (10·62)
	कुलयोग	226 (100·00)

संदर्भित अध्ययन ग्राम डिघवट के 226 पिछड़े वर्ग के सूचनादाताओं द्वारा उच्च वर्ग के बड़े भूस्वामियों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार किये जाने के प्रश्न पर पिछड़े वर्ग के 202 (89·38) व्यक्तियों ने अत्याचार किये जाने की पुष्टि की। मात्र 24 (10·62 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने अत्याचार न किये जाने की पुष्टि की। जिनका प्रतिशत अतिअल्प है। अतः स्पष्ट है कि बहुमत द्वारा यह उत्तर प्राप्त हुआ कि ग्राम के सवर्ण बड़े भूस्वामी निर्धन, भूमिहीन हरिजनों पर अत्याचार करते हैं।

संदर्भित ग्राम डिघवट के सवर्ण वर्ग के 68 परिवार मुखिया हैं, इस वर्ग के लोगों द्वारा पूछे जाने पर कि आपके ग्राम के सवर्ण बड़े भू स्वामि हरिजनों पर अत्याचार का बर्ताव करते हैं अथवा नहीं। उनका उत्तर निम्न तालिका संख्या 53 में अंकित है।

तालिका संख्या 53

क्या आपके गांव में हरिजनों के खिलाफ कोई अत्याचार हुआ है?

क्रमसंख्या	क्या आपके गांव में हरिजनों के खिलाफ कोई अत्याचार हुआ है?	उच्चवर्गीयजातिय मुख
1-	कभी नहीं	19 (27·94)
2-	छुटपुट	34 (50·00)
3-	बहुत कम	8 (11·77)
4-	कालान्तर में	6 (8·82)
5-	कोई उत्तर नहीं	शून्य
6-	परस्पर अत्याचार के कार्य	1 (1·47)
	कुलयोग	68 (100·00)

ग्राम के उच्चजाति के 68 परिवार मुखियों में से 19 (27·94प्रतिशत) ने हरिजनों पर सवर्ण बडे भूस्वामियों द्वारा अत्याचार नहीं किये जाने की पुष्टि की किन्तु सर्वाधिक संख्या 34 (50·00प्रतिशत) ने छुटपुट अत्याचार किये जाने की पुष्टि की तथा 8(11·77 प्रतिशत) ने बहुत कम अत्याचार किये जाने का उत्तर दिया, 6(8·82 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने विगत समय में अत्याचार होने की पुष्टि की तथा एक (1·47 प्रतिशत) ने परस्पर अत्याचार किये जाने का उत्तर दिया। अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक संख्या 34 (50·00प्रतिशत) सूचनादाताओं ने सवर्ण बडे भू स्वामियों द्वारा छुटपुट अत्याचार किये जाने की पुष्टि की जिससे ज्ञात होता है कि उनके द्वारा लगातार

हरिजनों पर अत्याचार न होकर छुटपुट समय-समय पर होते चले आ रहे हैं।

अत्याचार की प्रकृति :---

सदिर्भित अध्ययन ग्राम डिबवट के 87 हरिजन परिवार मुखियों से उनके ऊपर सवर्ण बड़े भूस्वामियों द्वारा किये जाने वाले अत्याचार पूर्ण बर्ताव के प्रकृति पर पूछने पर उन्होंने अपने उत्तर तालिका संख्या 54 में व्यक्त किये हैं जिससे उन पर होने वाले अत्याचारों की प्रकृति का बोध होता है—

तालिका संख्या 54

ग्राम डिबवट के हरिजनों को कौन-कौन से अत्याचार सहने पड़ते हैं ?

क्रमसंख्या	ग्राम डिबवट के हरिजनों को कौन कौन से अत्याचार सहने पड़ते हैं?	हरिजन जाति समूह
1-	कुमारी स्त्रियों के साथ बलात्कार	11 (12·64)
2-	घरों में आग लगाना	8 (9·19)
3-	जमीन छीनना	57 (65·52)
4-	जानवर छीनना	7 (8·05)
5-	कत्ल करना	3 (3·45)
6-	अनुपयोगी	1 (1·15)
	कुलयोग —	87 (100·00)

सर्वेक्षित ग्राम डिघवट के 87 हरिजन परिवार मुखियों में से 11(12·64 प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि सवर्ण बड़े भूस्वामियों द्वारा हमारी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जाता है। तथा 8 (9·19 प्रतिशत) ने बताया कि सवर्ण बड़े भूस्वामी का बेगार न करने से वे हमारे घरों में आग लगा देते हैं तथा सर्वाधिक सूचनादाताओं 57 (65·52 प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि सवर्ण बड़े भूस्वामी ढोड़े से कर्ज के भुगतान न होने पर ऊँची दरों में ब्याज लगाकर खेती की जमीन अथवा निवास का मकान छीन लेते हैं, 7(8·05) हरिजन सूचनादाताओं ने बताया कि इन्हीं कारणों का आधार लेकर हमारे जानवर छीन लेते हैं। इनमें से 3(3·45) सूचनादाताओं ने बताया कि सवर्ण बडे भू स्वामी उपर्युक्त कारणों का आधार लेकर निर्धन, भूमिहीन हरिजनों की कत्ल कर देते हैं, मात्र 1(1·15 प्रतिशत) सूचनादाता ने तटस्थता का उत्तर दिया इससे प्रतीत होता है कि इस सूचनादाता की आर्थिक स्थिति ठीक है। जिन हरिजन सूचना-दाताओं की आर्थिक स्थिति दयनीय है एवं अपनी मजबूरियों के कारण जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सवर्ण बड़े भू स्वामियों से मजबूरी में आर्थिक सहायता लेनी पड़ती है उन्हें उपर्युक्त अमानवीय दुर्व्यवहार एवं अत्याचार सहन करने पड़ते हैं।

लैंगिक अपराध एवं बलात्कार(सवर्ण बडे भूस्वामियों द्वारा हरिजन महिलाओं के साथ)

हरिजन महिलाओं के साथ सवर्ण बडे भूस्वामियों द्वारा बलात्कार उनके शोषण का एक सामान्य सा तरीका उत्तरप्रदेश के बाँदा जनपद में है। दैनिक जागरण कानपुर 14 अगस्त 1983 के अनुसार देश के रोज 3 हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार' उ0प्र0 दूसरे नम्बर पर —' नई दिल्ली 13 जुलाई भारतीय देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की महिलायें ही बलात्कार की ज्यादा शिकार होती है। एक अध्ययन से पता चला है कि इस जाति की महिलाओं के साथ 2-3 तक बलात्कार के मामले प्रतिदिन होते हैं। 1981 के बाद इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है।

1981 में इन जातियों की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनायें 864, 1982 में इन जातियों की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनायें 886, 1983 में इन जातियों की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनायें 400 घटित हुईं। "आश्चर्य की बात है यह है कि ये बलात्कार केवल असामाजिक तत्वों द्वारा ही नहीं प्रभावशाली व्यक्तियों और पुलिस कर्मियों द्वारा भी इन महिलाओं के साथ किये गये।"

डा० बी०एन० सेठ (1980- 224) ने भी अपने अध्ययन "हरिजन विद्रोह" नामक शोध ग्रन्थ में इसी संबंधित ग्राम के अध्ययन में बताया कि डिघवट में हरिजन महिलायें जब बेगार करने से सवर्णों बड़े भू स्वामियों को इनकार कर देती हैं अथवा उनका कर्ज नहीं अदा कर पाती तो वे बलात्कार की शिकार हो जाती है। हमारे डिघवट के कुछ सूचनादाताओं ने साक्षात्कार में यह बताया कि सवर्ण बड़े भू स्वामियों द्वारा बलात्कार की गयी औरतों को अन्य गांवों में बेंच लिया जाता है अथवा अपराध को छिपाने के लिए उनकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार का मामला ग्राम के एक चमार महिला एवं एक सोनार महिला के साथ घटित हुआ। तथापि पिछड़े वर्ग में एक केवट परिवार की महिला के साथ ग्राम के जमींदार के भान्जा द्वारा किया गया तथा अपराध खुलने के भय से उसकी हिंसा कर दी गयी तथा एक अन्य घटना हरिजन महिलाओं के साथ उस समय घटी जब वे ब्राह्मण बड़े भू स्वामी के खेतों से गुजर रही थी। तब उनके साथ छेड़खानी की गयी एवं बलात्कार के लिए हमला हुए। इससे ग्राम में सवर्णों के विरोध में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग का गंठ नियमन हेतु निर्मित हुआ। किन्तु आश्चर्य की बात है कि सवर्ण बड़े भू स्वामियों द्वारा इस प्रकार किये गये अनेक जघन्य बलात्कार के अपराधों की पुलिस थाना में कोई रिपोर्ट नहीं की गयी यह उनके हतोत्साह एवं भयभीत होने का परिचायक है।

इस संदर्भ में ग्राम के हरिजन सूचनादाताओं से साक्षात्कार लेने पर उनके द्वारा प्रदत्त उत्तर को तालिका संख्या 55 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या 55

क्या आपकी जानकारी में किसी औरत के साथ उच्चजाति के लोगों ने बलात्कार किया है?

क्रमसंख्या	क्या आपकी जानकारी में किसी औरत के साथ उच्चजाति के लोगों ने बलात्कार किया है?	हरिजनजाति समूह
1-	हाँ	7 (8·05)
2-	अक्सर	12 (13·79)
3-	बहुतकम	41 (47·13)
4-	कभी नहीं	27 (31·03)
	कुल योग —	87 (100·00)

सर्वेक्षित ग्राम के 87 हरिजन सूचनादाताओं से साक्षात्कार लेने पर यह ज्ञात हुआ कि उच्च जाति के लोगों ने हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार करने के संबन्ध में 60 सूचनादाताओं जिनका प्रतिशत 62·97 है ने यह पुष्टि की कि उच्चजाति के बड़े भूस्वामियों द्वारा हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। 7(8·05प्रतिशत) ने हाँ के रूप में पुष्टि की। 12 (13·79प्रतिशत) ने अक्सर बलात्कार किया जाता है एवं 41 (47·13 प्रतिशत) ने बहुत कम के रूप में उत्तर की पुष्टि की मात्र 27 (31·03प्रतिशत) ने कभी नहीं उत्तर दिया। इस प्रकार 62·97 प्रतिशत(60)

सूचनादाताओं ने सवर्ण बड़े भू स्वामी द्वारा हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किये जाने की पुष्टि की।

सवर्ण बड़े भूस्वामियों द्वारा हरिजन वर्ग से बेगार लेना :-

बेगार लेने की प्रथा बाँदा जनपद के गाँवों में विशेष रूप से प्रचलित है। विशेष रूप से डिघवट ग्राम में सवर्ण बड़े भू स्वामियों द्वारा निर्धन हरिजनों से बेगार लिया जाता था उनके काम करने से इनकार करने पर उन्हें शारीरिक दण्ड की घटनायें प्रकाश में आयी हैं। तालिका संख्या 56 में हरिजनों द्वारा इस संदर्भ में साक्षात्कार के आँकड़े अंकित हैं -

तालिका संख्या 56

क्रमसंख्या	क्या आपसे भूमिधर वर्ग के लोग बेगार लेते हैं?	हरिजन जाति समूह
1-	कभी नहीं	19 (21·84)
2-	अक्सर	34 (39·08)
3-	बहुत कम	34 (39·08)
	कुलयोग	87(100·00)

उपर्युक्त तालिका के 87 हरिजन सूचनादाताओं में से 19 (21·84प्रतिशत) ने बेगार न लेने की पुष्टि की तथा सर्वाधिक सूचनादाता 34 (39·08) ने अक्सर बेगार लेने का उत्तर दिया तथा 34 (39·08)ने बहुत कम बेगार लेने की स्वीकृति दी।

इससे स्पष्ट होता है कि 68 (78·16 प्रतिशत) सूचनदाता सवर्ण भूमिधरों द्वारा बेगार लिए जाने की पुष्टि करते हैं। मात्र 19 (21·84 प्रतिशत) सूचनदाता बेगार न लिये जाने का उत्तर देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है अतः ये मजदूरी का कार्य नहीं करते हैं।

सवर्ण बड़े भूस्वामियों द्वारा हरिजनों का शारीरिक प्रताड़न :—

हरिजन वर्ग के श्रमिक वर्ग द्वारा सवर्ण बड़े भूस्वामियों के काम न करने से इनकार करने पर उन्हें शारीरिक प्रताड़न एवं दुर्व्यवहार सहने पड़ते हैं, इस संदर्भ में उनसे साक्षात्कार लेने पर निम्न उत्तर प्रदत्त होता है, जैसा कि तालिका संख्या 57 में अंकित है —

तालिका संख्या 57

क्रमसंख्या	क्या ग्राम डिग्वट के हरिजन लोगों को बड़ी के उच्चजाति के लोग उनका काम न करने पर शारीरिक यातना देते हैं?	हरिजन जाति समूह
1-	बहुत कम	22 (25·29)
2-	अक्सर	46 (52·87)
3-	कभी नहीं	19 (21·84)
	कुलयोग —	87 (100·00)

बेगार लेने के कारण :—

बेगार लेने के कारणों का संदर्भित ग्राम के हरिजन सूचनदाताओं द्वारा

'भय और शारीरिक शक्ति के प्रयोग' का प्रमुख पूर्ण कारण उनकी असहायता और गरीबी के कारण अनुकरणीय है। डा० बी०एन०सेठ(1980 : 221) ने इस संदर्भ में 28 व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जिसमें निम्न उत्तर प्राप्त हुए जो तालिका संख्या 58 में अंकित है।

तालिका संख्या 58

हरिजन जाति के सूचनादाताओं द्वारा बेगार करने के कारण :—

क्रमसंख्या	हरिजन जाति के सूचनादाताओं द्वारा बेगार करने के कारण	डिग्री
1-	गरीबी और असहाय स्थिति	4
2-	नौकरी छूटने का भय	2
3-	सवर्ण बड़े भूस्वामियों के शारीरिक दण्ड और हतोत्साह की शक्ति का भय	6
4-	कर्ज न अदा कर सकने के कारण	4
5-	हम बेगार करते हैं क्योंकि यह गाँवों में सामान्य प्रथा है जिसे सभी भूमिहीन मजदूर करते हैं	शून्य
6-	अनुपयोगी	12

उपर्युक्त न्यादर्श के 28 सूचनादाताओं में से 16 सूचनादाताओं में 4 ने बेगार करने का कारण गरीबी और अपनी असहाय स्थिति बताया, 2 सूचनादाताओं ने नौकरी छूटने का भय बताया तथा 6 ने सवर्ण बड़े भूस्वामियों के शारीरिक दण्ड एवं हतोत्साहन की शक्ति से भयभीत होने का कारण बताया तथा 4 ने कर्ज न अदा होने का कारण बताया मात्र 12 सूचनादाताओं ने अनुपयोगी उत्तर दिया। ये सूचनादाता आर्थिक स्थिति में सम्पन्न हैं अतः ये बेगार नहीं करते और अधिकांश 16 सूचनादाता

निर्धन स्थिति में है जो मजदूरी पर निर्भर है अतः उन्हें सवर्ण बड़े भूस्वामियों का बेगार करना पड़ता है।

ग्राम डिघवट के हरिजन वर्ग समूह पर कौन जाति समूह अत्याचार करता है ?

सर्वेक्षित डिघवट के 87 हरिजन परिवार मुखियों से उन पर अत्याचार करने वाले वर्ग (जातिसमूह) के बारे में पूछने पर निम्न उत्तर प्रदत्त किये गये जो निम्न तालिका संख्या 59 में अंकित है।

तालिका संख्या 59

क्रमसंख्या	उस जाति समूह का नाम जो ग्राम डिघवट के हरिजनों पर अत्याचार करते हैं।	हरिजन जाति समूह
1-	उच्चजाति के बड़े भूमिधर वर्ग के लोग	86 (95·85)
2-	उच्चजाति के बडे भूमिधर वर्ग लोग जो राजनैतिक शक्ति रखते हैं।	शून्य
3-	उच्चजाति के समस्त सदस्य	1 (1·15)
	कुलयोग	87 (100·00)

सर्वेक्षित ग्राम के 87 हरिजन परिवार मुखियों में से 86 (95·85 प्रतिशत) ने उच्चजाति के बडे भूमिधर वर्ग के लोग हमारे ग्राम के हरिजन जाति समूह के श्रमिक वर्ग पर अत्याचार करते हैं, उत्तर दिया तथा 1 (1·15 प्रतिशत) सूचनदाता ने उच्चजाति के समस्त सदस्य हरिजन जाति समूह पर अत्याचार करते हैं, उत्तर दिया। अतः स्पष्ट है कि बहुमत हरिजन सूचनदाता ग्राम के उच्च जाति के बडे भूमिधर वर्ग

के लोगों द्वारा ग्राम के हरिजन वर्ग के लोगों पर अत्याचार करने की पुष्टि करते है।

इसी संदर्भित ग्राम मे निवासित 226 पिछड़े वर्ग के परिवार मुखियों एवं 19 मुसलमान मुखियों से हरिजनों पर ग्राम के कौन व्यक्ति अत्याचार करते है पूँछने पर उक्त सूचनादाताओं के उत्तर तालिका संख्या 60 में अंकित हैं -

तालिका संख्या 60

ग्राम डिघवट के हरिजनों पर कौन अत्याचार करता है जातिगत समूह के अनुसार वर्गीकृत सारणी में -

क्रम	ग्राम डिघवट के हरिजनों पर कौन अत्याचार करता है?	पिछड़ावर्ग जाति समूह	मुस्लिम जातिसमूह	कुलयोग
1-	उच्चजाति के बड़े भूमिधर वर्ग	209 (92.48)	18 (94.74)	227 (92.65)
2-	उच्चजाति के बड़े भूमिधरवर्ग के लोग जो राजनैतिक शक्ति रखते हैं	1 (.44)	1 (5.26)	2 (.82)
3-	उच्चजाति के समस्त सदस्य	शून्य	शून्य	शून्य
4-	पिछड़ी जाति के लोग जैसे — यादव, जाट आदि प्रबलजाति के लोग	शून्य	शून्य	शून्य
5-	अन्य कोई विशेष कोई उत्तर नहीं	4 (1.77)	शून्य	4 (1.63)
6-	अनुपयोगी	12 (5.31)	शून्य	12 (4.90)
	कुलयोग	226 (100.00)	19 (100.00)	245 (100.00)

पिछड़े वर्ग के 226 सूचनादाताओं में से 209 (92·48) ने अत्याचार करने वाले व्यक्तियों में उच्चजाति के बड़े भूस्वामी वर्ग को बताया। मात्र 1(·44 प्रतिशत) सूचनादाता ने उच्चजाति के बड़े भूमिधर वर्ग के लोग जो राजनैतिक शक्ति रखते हैं उत्तर दिया। तथा 4(1·77 प्रतिशत) ने कोई उत्तर नहीं दिया इसी प्रकार 12 (5·34 प्रतिशत) ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। ग्राम के 19 सूचनादाताओं में से 18 (94·74प्रतिशत) ने भी अपना उत्तर ग्राम के हरिजनों पर अत्याचार करने वाले व्यक्तियों में उच्चजाति के बड़े भूस्वामी वर्ग को ही बताया, मात्र 1 (5·26प्रतिशत) ने उच्चजाति के बड़े भूमिधर वर्ग के लोग जो राजनैतिक शक्ति रखते हैं, उत्तर दिया।

इसी प्रश्न को ग्राम के सवर्ण वर्ग के 68 सूचनादाताओं से भी साक्षात्कार द्वारा हरिजनों पर अत्याचार करने वाले वर्ग एवं व्यक्तियों के बारे में पूछा, उनका उत्तर तालिका संख्या 61 में अंकित है।

तालिका संख्या 61

क्रम	आपकी जातिसमूह में कौन अत्याचार करता है?	उच्चवर्गीय जातिसमूह
1-	उच्चजाति के सभी सदस्य	6 (8·82)
2-	जो भूमिधर वर्ग में हैं	39 (57·35)
3-	जो राजनैतिक प्रभाव रखते हैं,	6 (8·82)
4-	दोनों	शून्य
5-	कोई नहीं	8 (11·77)
6-	कोई उत्तर नहीं	5 (7·35)
7-	अनुपयोगी	4 (5·89)
	कुलयोग	68 (100·00)

सर्वेक्षित ग्राम डिघवट के 68 सवर्ण परिवार मुखिया सूचनादाताओं ने भी हरिजनों पर उच्च वर्ग जाति समूह में हरिजनों पर कौन अत्याचार करता है इस प्रश्न के उत्तर में मात्र 6(8·82 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने उच्चजाति के सभी सदस्य उत्तर दिया, सर्वाधिक 39(57·35 प्रतिशत)सूचनादाताओं ने जो बड़े भूमिस्वामी वर्ग के व्यक्ति हैं, उन्हें हरिजनों पर अत्याचार करने हेतु उत्तरदायी बताया मात्र(8·82) सूचनादाताओं ने जो राजनैतिक प्रभाव रखते हैं उत्तर दिया तथा 8(11·77प्रतिशत) सूचनादाताओं ने सवर्ण वर्ग में कोई अत्याचार नहीं करता ऐसा भी उत्तर दिया मात्र 5(7·35प्रतिशत) सूचनादाताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार इस वर्ग के सर्वाधिक सूचनादाता 39(57·35प्रतिशत) ने भी हरिजनों पर ग्राम के बड़े भूस्वामी ब्राह्मणों को ही उत्तरदायी बताया।

ग्राम डिघवट के हरिजन सूचनादाताओं पर किये गये अत्याचारों की प्रकृति :-

क्रम	ग्राम डिघवट के हरिजन सूचनादाताओं पर किये गये अत्याचारों की प्रकृति	हरिजनजातिसमूह
1-	बेगार लेना, मारपीट आदि दुर्व्यवहार का वर्ताव	31 (35·65)
2-	यौन अपचार या बलात्कार का वर्ताव, चोरी डकैती कार्य	4 (4·59)
3-	भूमिधर या उच्चजाति के लोगोंद्वारा जुआ खेलना एवं नशीले पेय द्रव पिलाकर कर्जदार बनादेना, घर जमीन, जानवर गिरवीं रख लेते हैं।	5 (5·76)
4-	मकान, जमीन एवं पकी हुई फसल को जबरदस्ती गिरवीं रखना	6 (6·86)
5-	मकान एवं पकी हुई फसल में आग लगा देना(खलिहान जलाना)	1 (1·14)
6-	कत्ल करना या प्रयास करना	2 (2·29)
7-	अनुपयोगी	38 (43·68)
	कुलयोग -	87(100·00)

उक्त तालिका संख्या 62 के अनुसार ग्राम के 87 हरिजन परिवार मुखियों में से 31(35·65प्रतिशत)ने उन पर हुए अत्याचारों की प्रकृति के बारे में बताया कि उनसे सवर्ण बड़े भूस्वामी बेगार लेना, मारपीट आदि दुर्व्यवहार का बर्ताव करते हैं मात्र 4(4·59प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि यह वर्ग हरिजन मजदूर महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन अपचार अथवा चोरी डकैती का कार्य करते हैं। 5(5·76) सूचनादाताओं ने उत्तर दिया कि भूमिधर या उच्चजाति के लोगों द्वारा जुआ खेलाना एवं नशीले पेय द्रव्य पिलाकर कर्जदार बना देना, घर जमीन, जानवर गिरवीं रख लेते हैं, 6(6·89प्रतिशत) सूचनादाताओं ने उत्तर दिया कि मकान, जमीन एवं पकी हुई फसल को कर्ज न अदा करने पर जबरजस्ती गिरवीं रखते लेते हैं तथा 1(1·14प्रतिशत) सूचनादाता ने एक विशेष प्रकार का उत्तर यह दिया कि कर्ज न अदा करने पर बड़े भू स्वामी सवर्ण लोग हमारे मकान एवं पकी हुई फसल में आग लगा देते हैं एवं 2 (2·29प्रतिशत) सूचनादाताओं ने कत्ल करना या उनकी हिंसा का प्रयास करते हैं, इनमें से 38 (43·68प्रतिशत) सूचनादाताओं ने इस प्रश्न के उत्तर में कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार उत्तर न देने का कारण उनका सवर्ण बड़े भूस्वामी वर्ग से अत्यधिक आतंकित होना लक्षित होता है। फिर भी 3(35·65प्रतिशत) हरिजन सूचना-दाताओं ने बड़े भूस्वामी सवर्ण वर्ग द्वारा बेगार लेना मारपीट और उनके साथ दुर्व्यवहार का उत्तर सवर्णों के अत्याचार पूर्ण प्रकृति को प्रदर्शित करता है।

ग्राम के सवर्ण वर्ग के 68 सूचनादाताओं से साक्षात्कार के माध्यम से पूछने पर कि क्या आप अपने ग्राम में हरिजनों पर हो रहे अत्याचार पूर्ण बर्ताव पर प्रकाश डाल सकते हैं। इनमें से 47 (69·12 प्रतिशत) ने हाँ का उत्तर दिया मात्र 21 (30·88प्रतिशत) ने उत्तर देने से इनकार कर दिया, यथा तालिका संख्या 63 में अंकित है —

तालिका संख्या 63

क्रमसंख्या	क्या आप इन हरिजन अत्याचारों पर प्रकाश डाल सकते हैं?	उच्चवर्गीय जातिसमूह
1-	हाँ	47 (69·12)
2-	नहीं	21 (30·88)
	कुलयोग	68 (100·00)

०००

इसी संदर्भ में ग्राम के इन्हीं उच्च वर्ग के 68 सूचनादाताओं से इस प्रश्न के उत्तर में कि उच्चवर्गीय जाति समूह द्वारा हरिजनों के साथ किस तरह के अत्याचार घटित होते हैं? सूचनादाताओं ने जो उत्तर दिया वह वर्गीकृत सारणी के रूप में तालिका संख्या 64 में अंकित है।

तालिका संख्या 64

ग्राम डिघवट में उच्चवर्गीय जाति समूह द्वारा हरिजनों के साथ किस तरह के अत्याचार घटित होते हैं?

1-	बलात्कार सम्बन्धी	शून्य
2-	बंधुआ मजदूर बनाना	1 (1·47)
3-	उच्चजातीय लोगों द्वारा बेगार लेना	1 (1·47)
3-	कम मजदूरी एवं सुविधायें देकर अधिक काम एवं अधिक समय तक काम लेना	11

क्रमसंख्या	उच्चवर्गीय जाति समूह द्वारा हरिजनों के साथ किस तरह के अत्याचार घटित होते हैं?	उच्चवर्गीय जातिसमूह
5-	काम न करने पर मारपीट प्रताड़न, आँख दिखाना	22 (32·34)
6-	खेत की मेड़ों से न निकलने देना व घास न लेने देना	7 (10·29)
7-	कोई उत्तर नहीं	19 (27·95)
8-	कत्ल करना	5 (7·35)
9-	कर्ज समय पर न अदा होने पर ऊँची ब्याज दर पर जमीन जानवर गिरवीं रखना या छीन कर अपने आधीन करना।	1 (1·47)
10	अनुपयोगी	1 (1·47)
	कुलयोग	68 (100·00)

उपर्युक्त तालिका संख्या 64 में प्रदर्शित सवर्ण(68)वर्ग के सूचनादाताओं से पूछे गये प्रश्न की उच्चवर्गीय जाति समूह द्वारा हरिजनों के साथ किस तरह के अत्याचार घटित होते हैं, के उत्तर में 1(1·47प्रतिशत) ने हरिजनों को बंधुआ मजदूर बनाने का उत्तर दिया तथा 1(1·47प्रतिशत) सूचनादाता ने उच्चजातीय लोगों द्वारा हरिजनों से सवर्णों द्वारा बेगार लेने का उत्तर दिया, 11(16·19)सूचनादाताओं ने हरिजनों को कम मजदूरी एवं अल्प सुविधायें देकर अधिक काम एवं अधिक काल अवधि तक काम लेने का आरोप लगाया तथा सर्वाधिक सूचनादाता 22(32·34प्रतिशत) ने हरिजन श्रमिकों

के काम न करने पर मार पीट, प्रताड़न, अंग बिगाड़ना, दुर्व्यवहार करने को बताया 7(10·29प्रतिशत) सूचनादाताओं ने सवर्णों द्वारा हरिजन मजदूरों के काम न करने पर उन्हें अपने खेत की मेड़ों से न निकलने देना और न घास लेने देने के कठोर आदेश को बताया, 5(7·35 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने उनके काम न करने एवं कर्ज न अदा करने पर उनकी हिंसा करने का उत्तर दिया, मात्र 1(1·47प्रतिशत) सूचनादाता ने हरिजनों के सवर्णों का कर्ज समय पर अदा न होने पर ऊँची ब्याजदर लगाना, इस प्रकार कर्ज न दे सकने पर उनके घर, जमीन, जानवर गिरवीं रखने या छीन कर अपने आधीन कर लेने का आरोप लगाया। मात्र 20(29·42प्रतिशत) ने इस संदर्भ में अपना कोई उत्तर नहीं दिया।

अल्प मजदूरी :-

ग्राम हरिजन मजदूरों को शहर में प्रचलित मजदूरी की दर के अनुसार उन्हें ग्राम के सवर्ण भूस्वामियों द्वारा प्रदत्त की जाने वाली प्रतिदिन की मजदूरी की दरों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपने प्रभाव के अनुसार दरों में बहुत भिन्नता है यहां ग्राम के 68 सवर्ण सूचनादाताओं द्वारा लिये गये साक्षात्कार से तालिका संख्या 65 में प्रदर्शित है -

तालिका संख्या 65

आप(उच्चवर्गीय जाति समूह के लोग) हरिजनों को क्या मजदूरी देते हैं?विवरण वर्गीकृत सारणी में जाति समूह के अनुसार —

क्रमसंख्या	आप प्रतिदिन हरिजनों की क्या मजदूरी देते हैं? (रूपयों में, या अनाज किलोग्राम में)	उच्चवर्गीय जातिसमूह
1-	3 — 4 रूपया	21 (30·88)
2-	5 रुपया	25 (36·76)

3-	6रुपया	5 (7· 35)
4-	7रुपया	शून्य
5-	8रुपया	6 (8· 82)
6-	9 - 10रुपया	9 (13· 25)
7-	10रुपया से ऊपर	1 (1· 47)
8-	रुपयों के बदले में अनाज 3-4किलोग्रा. में	शून्य
9-	कटाई में खेत देते है(अर्थात् उपज का आधा पारिश्रमिक के रूप में) अथवा 2या3बीघा भूमि का उत्पादन वार्षिक मजदूरी के करने पर	1 (1· 47)
		68 (100· 00)

उपर्युक्त सारणी में 68 सूचनादाताओं द्वारा बताई गयी ब्याज दरों में अन्तर काल अवधि (एक दशक) में करीब दस वर्षों में हुए मजदूरी की वृद्धि को भी इंगित करता है। वस्तुतः वर्ष 72-74 में ग्रामीण गुटबाद के पूर्व प्रति मजदूर को 3 रुपया से 5 रुपया तक ही प्रतिदिन मजदूरी प्रदत्त की जाती थी , अन्दोलन के बाद ग्राम में क्रांति ने हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के मजदूरों की मजदूरी में अप्रत्याशित मजदूरी में वृद्धि उनके अन्दोलन की सफलता का प्रतीक है । तत्पश्चात् उन्हें 5 से 10रुपया प्रतिदिन तक भी मजदूरी प्रदत की जाने लगी। ग्रामीण गुटबन्दी की क्रांति के पूर्व 3-4 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी अति अल्प थी जिससे मजदूर परिवार अपनी जीविका नहीं चला पाता था अतः उसे जीवन सम्बन्धी अनिवार्य आवश्यकता(भोजन,) हेतु अनाज अथवा रुपया सवर्ण बड़े भू स्वामी, जमींदारी या साहूकार से मजबूरी में लेना पड़ता

था, इस मजबूरी में जमींदार हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के श्रमिक का अत्यधिक आर्थिक शोषण करता था तथा इस प्रकार वह ऊँची ब्याज दर में कर्ज वसूल करता था, कर्ज न अदा कर सकने पर मजदूरों को वे बंधक बना लेते थे और इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के भूमिहीन निर्धन मजदूरों से ब्याज में ही एवं अल्प पैसे में ही बंधुवा मजदूर बनकर काम करना पड़ता था।

ग्राम डिघवट के हरिजन मजदूरों को सवर्ण बड़े भूस्वामी साहूकारों का कर्ज समय पर अदा न कर सकने पर क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं ?

सम्बन्धित ग्राम डिघवट के उपर्युक्त प्रश्न के संदर्भ में साक्षात्कार लेने पर ग्राम के 68 सवर्ण परिवार मुखियों ने निम्न प्रकार प्रवत्त किये जो तालिका संख्या 66 प्रदर्शित हैं।

तालिका संख्या 66

कर्ज अदा न करने पर आप क्या करते हैं?

क्रमसंख्या	कर्ज अदा न करने पर कर्जदारों के साथ आप क्या करते हैं?	उच्चजाति समूह
1-	बंधुवा मजदूर बनाना	20 (29.41)
2-	जमीन मकान या जानवर गिरवीं रखना	12 (17.65)
3-	बंधुवा मजदूर बनाकर खेत जुतवाते हैं	27 (39.71)
4-	कर्ज जबरजस्ती वसूल करते हैं।	1 (1.47)
5-	ब्याज के सहित मूलधन वसूल करते हैं।	2 (2.94)

6-	न्यायोचित ढंग से शांतिपूर्वक किस्तों में	3 (4·41)
7-	अनुपयोगी	3 (4·41)
	कुलयोग	68(100·00)

उपर्युक्त तालिका संख्या 66 में ग्राम डिघवट के सवर्ण 68 सूचनादाताओं में से 20(29·41प्रतिशत) ने हरिजन मजदूरों द्वारा सवर्ण बड़े भूस्वामी साहूकारों के कर्ज न अदा करने पर उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने का उत्तर दिया मात्र12(17·63) प्रतिशत ने हरिजन मजदूरों द्वारा समय पर कर्ज न दे सकने पर सवर्ण बड़े भूस्वामियों द्वारा उनका जमीन, मकान या जानवर गिरवीं रखने का उत्तर दिया। इस ग्राम के सर्वाधिक सवर्ण 27(39 =71प्रतिशत) सूचनादाताओं ने भी हरिजन श्रमिकों द्वारा सवर्ण भूस्वामियों के कर्ज न अदा करने पर उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर खेत जुतवाने का काम लेते है। मात्र 1(1·47 प्रतिशत) सूचनादाता ने यह उत्तर दिया कि सवर्ण लोग हरिजन श्रमिकों से अपना कर्ज जबरजस्ती वसूल करते हैं तथा 2(2·94) ने यह उत्तर दिया कि बड़े भू स्वामी साहूकार निर्धन श्रमिकों से ब्याज सहित मूलधन एक मुश्त रकम के रूप में वसूल करते हैं। मात्र 3 (4·41) ने यह उत्तर दिया कि हम अपने हरिजन श्रमिक मजदूरों से न्यायोचित ढंग से शांतिपूर्वक किस्तों में कर्ज वसूल करते हैं तथा 3(4·41) सूचनादाताओं ने कर्ज न देने में और न वसूल करने की बात की पुष्टि की।

ग्राम डिघवट के हरिजनों पर सवर्ण भू स्वामियों द्वारा किये जा रहे अन्य अत्याचारों की प्रकृति-स्वरूप हरिजन तथा पिछड़े वर्ग समूह के सवर्ण वर्ग के विरूद्ध संगठित वर्ग के निर्माण के आधारभूत कारण या कारक-

(1)क्षेत्रीय विकास कोष के द्रव्य का भूतपूर्व जमींदार एवं ग्रामप्रधान द्वारा दुरुपयोगः-

ग्राम डिघवट के सबसे बडे भू स्वामी भूतपूर्व जमींदार ब्राह्मण द्वारा जो ग्राम पंचायत चुनाव में प्रथम चुनाव से अनवरत वर्ष 1967 से ग्राम प्रधान पद में चयन मे विजयी हुए एवं वर्ष 1972 के ग्राम प्रधान के चुनाव तक अनवरत परम्परागत ग्राम प्रधान के पद में अधिनायकवादी एकाधिकार पूर्ण ग्रामीण शक्ति संरचना का प्रतीक रहा जिसका ग्राम में अत्यधिक राजनैतिक प्रभाव प्रभुत्वपूर्ण रहा जैसा कि (1951 - 52 में मैकिम मेरिट 'ग्रामीण भारत' (1955) उद्धृत एम0एन0श्रीनिवास (1955 : 36)' आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन" ने अपने अध्ययन में बताया "एक गाँव केरानगढ़ी (दिल्ली से दक्षिण पूर्व 100 मील दूरी पर' का अध्ययन किया, वहाँ सनाढ्य ब्राह्मणों की प्रभुता थी उत्तर भारत में गाँव के लोग प्रभु जातियों को (अजगर) का नाम देते हैं जो दलित अल्पसंख्यक जातियों में आतंक का सूचक है।" उक्त भूतपूर्व जमींदार ग्राम प्रधान के ब्राह्मण जाति का होने के बावजूद इस अध्ययन ग्राम डिघवट में इस जाति की संख्या हरिजन एवं पिछडे वर्ग की तुलना में छोटे समुदाय के रूप में है। वह व्यक्ति अपनी दक्षतापूर्ण राजनैतिक कुशलता के कारण ग्रामीण शक्ति संरचना में ग्राम पंचायत के सदस्य एवं अधिकारी पदों में समस्त ब्राह्मणों को विजयी बना लेता था। भूतपूर्व ग्राम प्रधान ब्राह्मण जमींदार स्वयं और उसके कुटुम्बियों को हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह द्वारा घृणा और आर्थिक दृष्टि से देखा जाता था।

डिघवट ग्राम में हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह में उच्चजातीय बडे भू स्वामी ब्राह्मणों से परस्पर विरोधी गुट के रूप में संघर्ष के प्रमुख नेतृत्व की स्थिति का सामना ग्राम के तेली (तेल पेरने वाली जाति) राजकीय प्राइमरी पाठशाला के प्रधान अध्यापक ने क्षेत्रीय विकास अधिकारी द्वारा सार्वजनिक कुआँ के निर्माण हेतु ग्राम प्रधान को दी गयी अनुदान की धनराशि का अपने निजी निवास हेतु कुआँ के निर्माण में उपयोग

किये जाने की बात क्षेत्रीय विकास अधिकारी तिवारी द्वारा की गयी। जिसमें ब्राह्मण ग्राम प्रधान द्वारा 3000 रुपये की धनराशि जो क्षेत्रीय विकास अधिकारी तिवारी द्वारा सार्वजनिक कुँआ के निर्माण हेतु प्रदत्त की थी उसका सही उपयोग नहीं किया गया, (संबंधित ग्राम के सूचनादाताओं से साक्षात्कार द्वारा जानकारी प्राप्त की गयी एवं एवं उद्धृत बी०एन०सेठ (1980 : 248-250) हरिजन सरंक्षण शोध प्रबन्ध।"

अब अग्रिम अन्य अवसरों पर इस ग्राम के रा०प्रा०पाठशाला के प्रधान अध्यापक (तेली पिछड़ी जाति) द्वारा कई अवसरों पर विकास कार्यो हेतु प्रदत्त सरकारी धन का ग्राम विकास कार्यों में सही उपयोग न किया जाना पाया गया। पहिले से ही हरिजन एवं पिछड़ी जाति के निर्धन एवं दमित मजदूर वर्ग भूतपूर्व जमींदार ब्राह्मण प्रधान एवं उसके कुटुम्बियों से रूष्ट है और अब विकास कार्यों हेतु सरकारी प्रदत्त धनराशि का ग्राम विकास कार्यों में सही उपयोग न किये जाने के कारण ऐसे भ्रष्टाचार के कार्यों को देखकर ग्राम के राजकीय प्राइमरी पाठशाला के प्रधान अध्यापक ने ग्राम के हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूहों का समर्थन पाकर संबंधित उच्च अधिकारियों के यहाँ इस सरकारी धन के ग्राम विकास कार्यों में सही उपयोग न किये जाने की शिकायत क्षेत्रीय विकास अधिकारी तिवारी भेज दी, जिसमें ग्राम प्रधान के विरुद्ध जाँच में सफलता प्राप्त हुई। इस घटना का प्रसारण पड़ोसी गाँव में अग्रिम कई बार प्रसारित हो चुका है। अतः जाँच समिति से की गयी जिसमें ब्राह्मण जमींदार ग्राम प्रधान को दोषी पाया गया जिससे इन्हें आर्थिक दण्ड के रूप में समस्त सरकारी धनराशि को लौटाना पड़ा जो सार्वजनिक कुँआ के निर्माण के लिए ग्राम विकास अधिकारी तिवारी द्वारा प्रदत्त की गयी थी।

अतः एकाधिकार पूर्ण आधिपत्य रखने वाले भूतपूर्व बड़े जमींदार ब्राह्मण को जिसे कभी ग्राम में ऐसी चुनौती नहीं दी गयी थी, ग्राम विकास कार्यों हेतु प्रदत्त सार्वजनिक निर्माण कोष के पैसे के दुरुपयोग के सही साबित होने पर एक चुनौती दी गयी।

ग्राम प्रधान राजकीय प्राइमरी पाठशाला के प्रधान अध्यापक एवं उसके समर्थकों द्वारा तिरस्कृत हुआ, प्रतिशोध में 15 अगस्त 1969 में जब प्रधान अध्यापक प्राइमरी पाठशाला के छात्रों को साथ लेकर स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व का जुलूस निकाल रहा था ब्राह्मण भूतपूर्व जमींदार ग्राम प्रधान द्वारा प्रेषित उनके कुछ व्यक्तियों द्वारा लाठियों से इन्हें मारने हेतु इन पर आक्रमण कर दिया गया। गांव के बहुसंख्यक व्यक्तियों की उपस्थिति में ग्राम प्रधान के द्वार के सामने प्रधान अध्यापक पर आक्रमण किया गया। तेली प्रधान अध्यापक द्वारा इस घटना की रिपोर्ट ग्राम प्रधान और उसके व्यक्तियों के खिलाफ नामजद की गयी। ग्राम प्रधान पुनः दोषी पाया गया और आर्थिक दण्ड के रूप में अपराध से संबंधित प्रत्येक दोषी व्यक्ति को 55/- जुर्माना (बाना चार्ज पैलनी) द्वारा) किया गया। इस घटना ने स्वतंत्र ब्राह्मण गुट एवं पिछड़ी जाति तथा हरिजन जाति समूह के नियंत्रण गुट में हिंसात्मक संघर्ष के प्रमुख कारक के रूप में नेतृत्व किया जो घटना इस गुटीय हिंसात्मक संघर्ष के पूर्व घटित हुई थी वह सामाजिक प्रक्रिया निम्नत है —

(2) बाढ़ पीड़ितों को सरकारी अनुदान की अर्थ धनराशि का ब्राह्मण ग्राम प्रधान द्वारा हड़प किया जाना :—

वर्ष 1970-71 में ग्राम डिघघट की निकटस्थ केन नदी की भीषण बाढ़ से ग्राम के घर मकान एवं कृषि फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचा था जिसमें इन बाढ़ पीड़ित हरिजन एवं पिछड़ी जाति के लोगों को सरकारी सहायता के रूप में

प्रति परिवार के मुखिया को 80/- रुपये अनुदान के रूप में प्रदत्त किया गया था। ग्राम प्रधान को ग्राम के बाढ़ पीड़ितों की संख्या की तालिका के अनुसार 80/-रुपया प्रति व्यक्ति की कुल धनराशि ग्राम के बाढ़ पीड़ितों को वितरित करने हेतु दी गयी थी। जिसे ग्राम प्रधान द्वारा प्रति परिवार के मुखिया को 40/-- रुपया अर्थ धन-राशि ही वितरित की गयी जिससे ग्राम के हरिजन एवं पिछड़ी जाति के व्यक्ति परम्परागत ब्राह्मण ग्राम प्रधान जमींदार के इन भ्रष्टाचार एवं आर्थिक शोषण पूर्ण कार्य से रूष्ट हो गये।

(3) हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह के लोगों को जुआ खेलने का प्रलोभन देकर सवर्ण ब्राह्मण जमींदारों द्वारा आर्थिक शोषण :--

डिवबट के गुटीय संघर्ष में अन्य महत्वपूर्ण उत्प्रेरक कारक यह था कि ग्राम प्रधान ममेरे भाई (नात पक्ष के मामा के लड़के) ने हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह के आर्थिक शोषण का एक बौद्धिक ढंग निकाला। उसने एक जुयें का खेल प्रारम्भ किया(नाल लगाना) जिसमें निर्धन चमार, कोरी, केवट, आरख और पिछड़ी जाति के अन्य लोगों को जुआ खेलने को नकद रकम पहिले से कर्ज के रूप में पेशगी देना और उसी स्थान पर नकद कर्ज पाकर देहात के ये सीधे हरिजन एवं पिछड़े जाति के व्यक्ति जुआ खेलने को प्रेरित होकर उनके जाल में फंस गये। ये ग्राम प्रधान के मामा के लड़के सामान्यतया एक सौ रुपया नगद पेशगी अपने पीड़ित व्यक्ति को जुआं खेलने के लिए प्रथम किस्त में देता था। वह उस व्यक्ति को इतनी चवत से जुआ खेलाता था कि वह निश्चित रूप से उस धन को समाप्त कर देता था (हार जाता था)। जो व्यक्ति उसका 100/- रुपया जीतता है वह उस ब्राह्मण जमींदार का निजी सहायता प्राप्त व्यक्ति होता है। जो हरिजन या पिछड़ी जाति का व्यक्ति उस ब्राह्मण या साहूकार

व्यक्ति द्वारा लिया गया 100/- रुपया जुए के खेल में हार जाता है उसे पुनः वही 100/- रुपया की द्वितीय चक्कर में जो पुनः उस ब्राह्मण साहूकार को अपने सहायक जुआ खेलने वाले व्यक्तियों जीतकर उसकी जेब में आया उस जाल में फँसने वाले व्यक्ति को दोबारा 100 /- रुपया दूसरी नई कर्ज की किश्त के रूप में पेशगी तौर पर दिया जाता है, ये पेशगी तौर पर कर्ज देने के समय प्रति मिनट ब्याज की दर की गणना या हिसाब किया जाता है। दो या तीन दिन में पूर्ण वक्त से अर्जित धन-राशि भूतपूर्व जमींदार के भामा के लड़के की रकम का कुल योग 5 से 10 हजार प्राप्त करता है।

यह सम्पूर्ण रकम जुआ खेलने का कर्ज के रूप में सम्मिलित किया गया और संयुक्त ब्याज की दर के रूप में वसूल किया गया। उसके जाल में फँसे एवं पीड़ित व्यक्ति इस ग्राम डिवट में जुआ खेल में कर्ज की निम्नांकित राशि समाप्त कर चुके, उनका जुआ के खेल में जातिगत कर्ज की मात्रायें निम्नवत हैं :-- (उद्धृत ई०पी०डब्ल्यू० सेठ 1980 : 25 । 'हरिजन विद्रोह')।

(1) चमार-6 -- रुपया 5000/-, रुपया 210000/5, रुपया 10000/-, रुपया 7000/- रुपया 10000/- और रुपया 50000/-

(2) 10 लोहार -- रुपया 10,000 रुपया 7000/-, रुपया 3000, (2) रुपया 5000(6)।

(3) 4 लोहार रुपया 3000, रुपया 8000, रुपया 3000 और रुपया 5000,

ब्राह्मण प्रधान के भामा के इस लड़के का अगला कदम कर्जदारों को सताना था। उन हरिजन (दलित वर्ग) एवं पिछड़ी जाति के निर्धन कर्जदार लोगों द्वारा समय पर कर्ज न अदा कर सकने की असमर्थता के कारण उसने उनकी जमीन और अन्य संबंधित वस्तुओं और सम्पत्ति को छीन लिया। उसने उनके साथ दुर्व्यवहार

छेड़ना, लज्जित करना, यहाँ तक कि अपने कर्जदारों की महिलाओं के साथ बलात्कार तक किया। उसके इन अमानुषिक कृत्यों ने बहुत से हरिजन एवं पिछड़ी जाति के कर्जदारों को गाँव से बाहर निकालने में बल प्रयोग किया। नकद पेशगी के रूप में जुँआ खेलने के लिए लिये गये कर्ज को वापस लौटाने के प्रयास में उसने एक केवट से सम्बंधित 5 बीघा जमीन को छीन लिया। अग्रिम उसने उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया और अन्ततोगत्वा वह केवट और उसकी पत्नी गाँव छोड़कर दूर चले गये। इस तरह के बहुत से मामलों की शिकायतें की गयी थीं। अग्रिम इस तरह के कृत्यों ने वर्तमान स्थिति को विस्फोटक रूप में परिणित कर दिया।

(4) ग्राम के मन्दिर की सम्पत्ति एवं भूमि :-

बोवा करक ग्राम का मन्दिर है, जिसकी उर्वरक भूमि का कषि उत्पादन जिसके आकर्षण ने ग्राम में गुटबाद को जन्म दिया। ग्राम के राम जानकी मन्दिर के नाम 21-60 (38 बीघा भूमि, उद्धृत जनपदीय चकबन्दी कार्यालय बाँदा द्वारा डिघवट के भूमि अभिलेख से) उपजाऊ भूमि का स्वामित्व है, जिसका संरक्षण परम्परागत उसमें नियोजित प्रधान पुजारी करता है। भूमि का स्वामित्व हिन्दू देवता राम और सीता के नाम काबिज है और मंदिर की उपज मंदिर के पुजारी के संरक्षण में पुजारी को प्राप्त होती है। भूतपूर्व पुजारी के मरने के बाद तनाव उत्पन्न होता है। इस पुजारी ने मंदिर की भूमि की उपज का उपयोग मंदिर के सुधार एवं पुजारियों के वार्षिक भोजन आदि सामान्य खर्चों में किया। शेष मंदिर से आश्रित गरीब लोगों के पोषण में इस्तेमाल किया। मंदिर के प्रधान पुजारी की मृत्यु के बाद मंदिर की सम्पत्ति के संरक्षण हेतु एक विधि व्यवस्थापक नियुक्त कर दिया गया। इस विधि व्यवस्थापक ने मंदिर की भूमि को हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को बटाई की खेती के लिए सौंपकर हरिद्वार चला

गया। बाद में ग्राम प्रधान ने मंदिर की भूमि की खेती कराई और बटाईदारों से हिस्से की माँग की। हरिद्वार से वापस आने के बाद निधि व्यवस्थापक ने बटाईदारों से पूछा कि उसकी अनुपस्थिति में कृषि उत्पादन किसी को दिया तो नहीं है, तब तक यह उत्पादन मंदिर के निर्वाह के लिए था। ग्राम प्रधान ने दावा किया कि मंदिर की सम्पत्ति हमारे पूर्वजों की है। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत की एक बैठक बुलाई और सफलता पूर्वक मंदिर के पुजारी को दबावपूर्वक मंदिर से हटा दिया और अपने एक रिश्तेदार को पुजारी के पद (उस पुजारी के स्थान पर) पर प्रतिष्ठित कर दिया और इस प्रकार मंदिर की भूमि पर अपना कब्जा कर लिया। शनैःशनैः हरिजन और पिछड़े वर्ग के शिक्षित वर्ग को विभिन्न रूपों से स्पष्ट हो गया कि बिना ग्रामीण शक्ति संरचना में राजनैतिक शक्ति को अपने हाथों में लेने के इस आर्थिक प्रभुत्व सम्पन्न भूतपूर्व जमींदार ब्राह्मण से नहीं लड़ सकते। पिछड़े वर्ग के दो शिक्षित सदस्यों विशेषकर दो पिछड़ी जाति के प्राइमरी पाठशाला के शिक्षक (तेली) कच्छु और । केवट तथा हरिजन नेता एक चमार और एक डोमार) अपने जातीय सदस्यों को ग्राम के भूतपूर्व जमींदार ब्राह्मण के विरूद्ध संगठन को गतिशील करना प्रारंभ कर दिया जो कि राजनैतिक ग्रामीण शक्ति संरचना का स्वामी था।

(5) ग्राम पंचायत के चुनाव में भूतपूर्व जमींदार ब्राह्मण प्रधान की पराजय :-

हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों मे असंतोष और घोर निराशा के पूर्व षडयंत्रों से पीड़ित अपीलें इनके नेताओं के यहाँ पूर्व वर्जी थी और हरिजन एवं पिछड़े वर्ग ने शीघ्र ही अपने वर्ग को राजनैतिक साधनों की शक्ति से संयुक्त ब्राह्मण वर्ग के अत्याचारों के विरूद्ध नियंत्रक गुट को संगठित किया।(राजनैतिक साधनों के एकत्रीकरण की यह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया शीघ्र ही संनिय संगठित नियंत्रक गुट

के रूप में ब्राह्मण भूमिधर के उत्पीड़न के प्रतिरोध के लिए परिणित दिखाई देगी।

हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों में अल्पकाल में ही बड़ा द्रुतगति से राजनैतिक चेतना एक साथ संगठित होने की जागृत हो गयी और इस वर्ग ने परस्पर मिलकर ब्राह्मण ग्राम प्रधान के स्थान पर अपना व्यक्ति प्रधान पद हेतु प्रतिष्ठित करने का निश्चय किया। ग्राम डिघवट के इतिहास में यह सर्वप्रथम अवसर था जब हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के सम्मिलित संगठित समस्त सदस्यों ने ग्राम पंचायत के चुनाव में सक्रियता से परंपरागत भूतपूर्व जमींदार ब्राह्मण प्रधान का विरोध किया। यहां सदर्भित ग्राम के सूचनदाताओं से साक्षात्कार द्वारा परम्परागत ब्राह्मण ग्राम प्रधान के बदलने के कारणों पर प्रकाश डाला है यथा देखिये तालिका संख्या 67)

उक्त तालिका संख्या 67 में सूचनदाताओं के विभिन्न मतों के विश्लेषण से से यह निष्कर्ष निकलता है कि 68 सवर्ण सूचनादाताओं ने पुरानी परम्परागत प्रधान के ही समर्थक थे। तथा 226 पिछड़े वर्गीय सूचनादाताओं में से 98 (43.36 प्रतिशत) सूचनदाताओं ने पुरानी परम्परागत ब्राह्मण प्रधान के चयन के विरुद्ध में यह तर्क दिया कि वे ग्राम विकास में रुचि प्रगति नहीं करते थे। ऐसा ही मत 87 हरिजन वर्ग के सूचनदाताओं में से 38 (43.68 प्रतिशत) ने इसी तर्क का समर्थन किया। तदनुसार ग्राम के 19 मुसलमान परिवार मुखियों में से 5 (26.32 प्रतिशत) ने भी इसी तर्क का समर्थन किया।

अतः हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के संगठित और सम्मिलित गतिशीलता का परिणाम अत्यधिक आशातीत सफलता का प्राप्त हुआ। केवल परम्परागत भूतपूर्व जमींदार ब्राह्मण प्रधान ही नहीं बुरी तरह पराजित हुआ बल्कि 1972 के ग्राम पंचायत चुनाव में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग द्वारा समस्त पंचायत के विजित सदस्यों

तालिका संख्या 67

ग्राम डिप्यट के सूचनादाताओं ने वर्तमान ग्राम प्रधान के चयन में ग्राम प्रधान क्यों बदला? परम्परागत ग्रामप्रधान बदलने के कारणों पर प्रजाति जातिगत वर्गीकरण के अनुसार विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित है ---

क्रमसंख्या ग्राम डिप्यट के सूचनादाताओं ने	उच्चवर्गीय जातिसमूह	पिछड़ावर्गीय जातिसमूह	हरिजनवर्गीय जातिसमूह	योग	मुस्लिम वर्गीय जातिसमूह	कुल योग
1- वे ग्राम विकास में प्रगति नहीं करते थे।	2 (2·95)	98 (43·36)	38 (43·68)	137 (35·95)	5 (26·32)	142 (35·00)
2- वे ग्रामवासियों की समस्यायें हल नहीं करते थे।	2 (2·94)	25 (11·06)	11 (12·64)	39 (10·23)	1 (5·26)	40 (10·00)
3- वे सरकारी अनुदान का सही उपयोग या वितरण नहीं करते थे। रिश्वत या भ्रष्टाचार करते थे	4 (5·88)	13 (5·75)	13 (14·94)	30 (8·87)	2 (10·35)	32 (8·00)
4- वे ग्रामीण झगड़ों का सही न्याय नहीं करते थे अतः जनमानस की संगठित मांग ग्रा० प्रधान ने परिवर्तित की थी।	9 (13·23)	63 (27·88)	17 (19·54)	89 (23·35)	4 (21·05)	93 (23·25)
5- पुराने परम्परागत ग्राम प्रधान के [illegible]।	51 (75·00)	16 (7·08)	1 (1·15)	68 (17·87)	5 (26·32)	73 (18·25)
6- परम्परावादी पुराने प्रधान स्वयं स्वयं अत्याचार करते थे।	0 (शून्य)	11 (4·87)	6 (6·90)	17 (4·47)	1 (5·26)	18 (4·50)
7- अनुपयोगी	0	0	1 (1·15)	1 (·26)	1 (5·26)	2 (·50)
कुल योग	68 (100·00)	226 (100·00)	87 (100·00)	कुल 381 (100·00)	19 (100·00)	400 (100·00)

की संख्या ही अति न्यूनतम कर दी। एक लोहार (पिछड़ी जाति) का ग्राम प्रधान चुना गया। और एक चमार उप प्रधान चुना गया। ग्राम पंचायत के 14 सदस्यों में 12 सदस्य हरिजन एवं पिछड़े वर्ग से चुने गये। मात्र दो सामान्य सदस्य ब्राह्मण चुने जा सके। और ये ब्राह्मण बड़े भू स्वामी नहीं थे बल्कि वे मात्र 20 से 25 बीघा भूमि के स्वामी थे। (देखिये अध्याय)भूतपूर्व जमींदार ब्राह्मण प्रधान को 409 मत प्राप्त हुए एवं नवीन लोहार जाति के विजित प्रधान को 446 मत जिससे इन्होंने भूतपूर्व ब्राह्मण प्रधान को 37 मतों से पराजित किया। भूतपूर्व जमींदार ब्राह्मण के विरुद्ध इस समय तेज जनमत की लहर थी जिससे डिबवट में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की ओर परिस्थिति बदल गयी।

इस ग्राम की वर्ष 1972 के ग्राम प्रधान के चयन द्वारा ग्रामीण शक्ति संरचना में हुए परिवर्तन का विश्लेषण अध्याय 5 में कर चुके हैं। तालिका संख्या 25 में उद्धृत विजित सदस्यों की जाति एवं भू स्वामित्व को देखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि हरिजन एवं पिछड़े वर्ग द्वारा चुने गये अधिकांश सदस्य 20-40 भू सीमा के अन्तर्गत वाले ही थे। बड़े भू स्वामी उच्चजातीय सदस्यों को इस ग्रामीण शक्ति संरचना से बाहर हटा दिया गया। दो उच्च जाति के सदस्य जो विजित हुए उनका भू स्वामित्व भी हरिजन एवं पिछड़ी जाति के सदस्यों की ही भाँति था। निष्कर्ष यह सिद्ध होता है कि हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के दमित एवं मजदूरों का विरोध उन ब्राह्मणों से था जो बड़े भू स्वामी थे। वे श्रमिकों के आर्थिक शोषक थे।

उच्चजातीय बड़े भूमिधर ब्राह्मण गुटीय में ग्रामीण शक्ति संरचना में राजनैतिक शक्ति का ह्रास :— अत्याचारों में वृद्धि(सुविधाविहीन हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के गुट द्वारा राजनैतिक शक्ति संगठन में संगठित होने के परिणामस्वरूप :—

अब हम डिबवट के सुविधाविहीन हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के गुट द्वारा राजनैतिक शक्ति के संचय के परिणामों का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। यह हमारी मान्यता है कि "किसी भी सत्ता के शासकों के साथ जब बहुमत घट जाता है और सत्ता दूसरे विरोधी गुट के हाथों नियंत्रित होने की स्थिति आने के आसार दृष्टिगोचर होने लगती है तो पूर्व सत्ताधारी गुट अपनी अधिनायकवादी शक्तियों द्वारा दमन नीति से विरोधी गुट की शक्ति को कुचलने की समस्त शक्तियों और हिंसा का भी प्रयोग करता है।" यदि उसकी दमन नीति सफल होती है तो वह सत्ता को बनाये रखने हेतु सदस्यों को भी तोड़ फोड़कर अपने पक्ष में (2/3) बहुमत भारतीय लोकतांत्रिक संवैधानिकता के अनुसार लाने का प्रयत्न करके सत्ता को अपने हाथों में संभाले (कायम) रखता है, अतः ऐसी स्थिति में सत्ताधारी उच्च शासक वर्ग एवं शासित वर्ग अथवा निम्न दलों के संगठन के मध्य वर्ग संघर्ष होता है। इस वर्ग संघर्ष में जो विजित होता है। सत्ता उसी के हाथ में स्थानान्तरित हो जाती है। इस स्थिति में नियंत्रक गुट की प्रकृति एवं संगठन संकटपूर्ण एवं शक्ति परीक्षण की स्थिति में होता है। यदि नियंत्रक गुट अपर्याप्त, गतिशील संगठित और नेतृत्वकारी है तो वे कुचलने के लिए प्रतिबंधित हैं दूसरी ओर यदि वे अच्छी तरह सुदृढ़ संगठित हैं तो और उनमें अधिनायकवादी शक्तियों को नियंत्रित करने की शक्ति है तो वे शक्तिशाली विजित होते हैं, किन्तु यह एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। अधिनायकवादी गुट की प्रतिक्रिया जितनी अधिक गम्भीर हो, नियंत्रक गुट के प्रभुत्वशाली वर्ग द्वारा उतना ही शक्तिशाली दमन का प्रयोग करना होगा। नियंत्रक गुट को सैनिक संगठन द्वारा अथवा दलीय संगठन द्वारा अधिनायकवादी शक्तियों के दमन के समस्त साधनों

शारीरिक यहाँ तक कि हिंसा का भी प्रयोग होता है। हिंसा प्रायः द्वन्द्वात्मक परिस्थिति का एक परिणाम है।

भू. पूर्व ग्राम प्रधान का वर्ष 1972 के ग्राम पंचायत चुनाव में पराजित होना :-

हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह द्वारा ग्रामीण शक्ति संरचना में बहुमत बल से विजय प्राप्त हो जाने के बाद सवर्णों के अत्याचारों को नियंत्रित करने की उनमें राजनैतिक शक्ति संगठित हुई। इसके पश्चात् हरिजन एवं पिछड़ी जाति नेता एवं सक्रिय सदस्यों ने सवर्ण के संगठित दल द्वारा होने वाले अत्याचारों को नियंत्रित करने हेतु अपने सबल दल का संगठन निर्मित किया।

संदर्भित अध्ययन ग्राम डिंगवाट जनपद बांदा में भी ग्रामीण शक्ति संरचना का उच्चजातीय बड़े भू स्वामी वर्ग से हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के निर्धन अल्प भूमि वाले मजदूर संगठित वर्ग में स्थानान्तरित होने में गुटबाद की अधिनायकवादी संक्रमणकालीन स्थिति का सामाजिक इतिहास घटित हुआ। उच्चजातीय बड़े भू स्वामी ब्राह्मण गुट की ग्रामीण शक्ति संरचना में राजनैतिक शक्ति का जैसे ही ह्रास हुआ एक अत्यधिक अमानुषिक ढंग से प्रतिक्रिया हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को सताना, लज्जित करना पीड़ित करने के कृत्यों के रूप में घटित हुई। तत्पश्चात् अनवरत परम्परा वादी ग्राम प्रधान द्वारा शासित ग्रामीण शक्ति संरचना में परिवर्तन ग्राम पंचायत के 1972 के चुनाव में हुआ। एकाधिकार पूर्ण ग्रामीण प्रशासन तंत्र लोकतांत्रिक प्रशासन तंत्र के रूप में परिवर्तित हुआ वर्ष 1982 मई के ग्राम पंचायत के चयन में पुनः लोकतांत्रिक पद्धति का अनुसरण करने वाला ब्राह्मण ग्राम प्रधान चयनित हुआ। इस प्रकार इस ग्राम में कुछ अंशों में परेटो के अभिजात वर्ग के चक्रीय परिवर्तन के सिद्धान्त का इतिहास प्रगट होता है। (देखिये तालिका संख्या 24, 25 एवं 26)

तालिका संख्या 68

ग्राम डिघवट के इन हरिजन अत्याचारों का क्या कारण है?

क्रमसंख्या	ग्राम डिघवट के हरिजन अत्याचारों के क्या कारण है?	हरिजन जाति समूह
1-	हरिजन एवं पिछड़ी जाति के लोगों द्वारा भूमिधर वर्ग या जमींदारों की बेगार करने से इनकार करना	25
2-	उच्चजातीय भूमिधरों द्वारा श्रमिकों को कम मजदूरी एवं अधिक समय तक काम लेना	14
3-	श्रमिकों द्वारा उच्चजातीय भूमिधरों से उचित मजदूरी एवं सुविधाओं की मांग करना।	4
4-	भूमिधरों या जमींदारों द्वारा अक्षयाजर में जुआं डालने को पैसा देना एवं जबरजस्ती वसूल करना पैसा न देने पर जानवर मकान, जमीन छीन लेना या गिरवीं रख लेना।	3
5-	गरीबी एवं अशिक्षा	35
6-	शक्तिहीन होने के कारण आर्थिक एवं शारीरिकभय अतः सवर्णों की जबरजस्ती तानाशाही बर्दाश्त करना	3
7-	पुराने प्रधान का प्रधानी चुनाव में हार जाना	2
8-	आपसी ईर्ष्या एवं द्वेष से परस्पर गुटबन्दी होना	1
कुलयोग		87

उपर्युक्त तालिका के अनुसार सम्बंधित ग्राम के 87 हरिजन सूचनादाताओं में से 25 ने हरिजन एवं पिछड़ी जाति के लोगों द्वारा भूमिधर वर्ग या जमींदारों की बेगार करने से इनकार करना बताया, 14 ने अधिक समय तक काम लेना एवं सवर्ण बड़े भू स्वामियों द्वारा अल्प मजदूरी देने का कारण बताया। तथा 4 ने उचित मजदूरी एवं सुविधाओं की माँग की, 3 ने ऊँची ब्याजदर पर दिये गये कर्ज की वसूली समय पर न होने पर मकान जमीन छीनना या गिरवीं रखने का कारण बताया। मात्र 35 सूचनादाताओं ने गरीब और अशिक्षित होने का कारण बताया। मात्र 3 ने शक्तिहीन एवं निर्बल तथा निर्धनता बताया, 2 सूचनादाताओं ने इन अत्याचारों का कारण सवर्ण परम्परागत ग्राम प्रधान के चुनाव में 1972 में पराजय बताया मात्र एक ने विभिन्न जातियों के समूहों के मध्य परस्पर ईर्ष्या और द्वेष बताया। कुछ सूचनादाताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार हरिजनों को दिये पट्टे की जमीनें का सवर्णों द्वारा पुनः भूमि को छीनकर कब्जा किया जाना बताया। बेगार न करने पर शारीरिक दण्ड तथा उच्च-जातियों के आने पर खड़े होकर सम्मान न करने पर उन्हें अपमान जनक गाली एवं शारीरिक दण्ड दिया जाना तथा तिरस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाना बताया। अभिजात वर्ग के द्वारा अपनी सम्पन्नता से पुलिस अधिकारियों को प्रभावित कर लेने के कारण निर्धन हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा थाना में अपराधों की रिपोर्ट किये जाने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा हतोत्साहन किया जाना बताया।

<u>पुलिस अधिकारियों द्वारा हतोत्साहन :-</u>

जब कभी निर्धन हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोग उच्चजातियों के गम्भीर अपराधों की शिकायत पुलिस स्टेशन के अधिकारियों से करने जाते हैं तो उनसे वे गवाह और अन्य वैधानिकता को पूछते हैं, जिनके बारे में वे अनभिज्ञ हैं, और पुलिस के मनोवैज्ञानिक भय एवं पहिले से सवर्णों केअत्याचारों से पीड़ित होने के कारण

दूसरे यदि कोई शिकायत करने का साहस भी करता है तो उन्हें अधिकारियों से भी सहायता और साहस नहीं प्रदान किया जाता। अतः सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपराधों को घटाने एवं नियंत्रित करने हेतु उत्तरदायित्व पूर्ण मनोवैज्ञानिक तरीकों का यथा समय कठोर प्रशासनिक शक्ति के साथ यथोचित कार्यान्वयन नहीं किया जाता। मात्र अपराधों की क्षेत्र विशेष में संख्या घटाने हेतु रिपोर्ट न लिखकर अपराधों से पीड़ित रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को बिना रिपोर्ट लिखे भगा दिया जाता है। और इस कमी को पुलिस स्टेशन का अधिकारी अपने से बड़े अधिकारी से अपने अधिकार क्षेत्र के नियंत्रण हेतु पुलिस के सिपाहियों की कम संख्या का आधार प्रस्तुत करते हैं, अथवा सरकारी संसाधनों की कमियों का सहारा प्रदर्शित करते हैं, फलतः अपराधों की वृद्धि सतत होती जा रही है।

उपर्युक्तस्थितियों में सवर्ण एवं उपजातियों के द्वारा किये जा रहे अत्याचारों के विचार मंथन के बाद हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के अधिकतर सदस्यों ने बहुत समय से बढ़ते हुए अत्याचारों के कृत्यों को शान्तपूर्वक सहन करने के परिणाम के विरोध में अपनी सामूहिक सभा या बैठक भी आहूत की। हरिजन जाति के लोग सवर्ण अत्याचारों के विरोध में किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं, साक्षात्कार द्वारा जानकारी प्राप्त तालिका संख्या 69 के अनुसार लक्षित है।

तालिका संख्या 69

क्रम हरिजन जाति के लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं?	हरिजन जाति समूह
1- सभी हरिजनों का एक साथ प्रयत्न	37 (42.53)
2- केवल कुछ उपजातियों का एक साथ प्रयत्न	48 (55.18)
3- हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग का सहयोग	2 (2.29)
कुलयोग	87(100.00)

संबंधित ग्राम के 87 हरिजन परिवार मुखियों में से 37 (42.53 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने सभी हरिजनों का एक साथ प्रयत्न पर जोर दिया। 48 (55.18) कुछ जातियों के एक साथ सहयोग करने का जोर दिया तथा 2 (2.29 प्रतिशत ने हरिजन तथा पिछडे वर्ग के सामूहिक सहयोग के लिए जोर दिया और सामूहिक नियंत्रण और एकता के प्रतीक के रूप में प्रत्येक हरिजन और पिछडे वर्ग के सदस्यों ने सभा में एक एक बूंद खून का संग्रह (अपनी अपनी अंगुली चीरकर) एक कटोरे में किया और प्रतिज्ञा की कि ब्राह्मणों की सेवायें यहाँ तक कि जमीन की जुताई तक के काम को कोई नहीं करेगा। केवल अपवाद स्वरूप एक चमार था जो स्वयं 150 बीघा से अधिक का भू स्वामी था जो उपप्रधान भी था। केवल उसकी सभा में अनुपस्थिति स्पष्ट थी, किन्तु हरिजनों के संघर्ष में वह दूसरी तरफ नहीं था, वह तटस्थ स्थिति ग्रहण किये था क्योंकि वह एक बड़ा भू स्वामी था और वह सवर्णों की सेवा पर आश्रित नहीं था।

जब डोमार की लड़की को बलात् छुड़ा लिया गया था तब विस्फोट की स्थिति प्रज्वलित हो उठी थी। भूतपूर्व जमींदार ब्राह्मण का मामा का लड़का उनका नं०एक का शत्रु बन गया। यह भी स्मरणीय है कि इस व्यक्ति ने निर्दयता से निर्धन हरिजन और पिछडे वर्ग का आर्थिक शोषण जुआँ द्वारा किया है। और इस प्रकार यह पहले से ही अत्यधिक घृणित व्यक्ति है उसके इस अंतिम कृत्य ने जलती आग में घी का काम किया। तत्काल सामूहिक कि हरिजन एवं पिछडे वर्ग के सदस्यों ने प्रतिज्ञा की कि इस भूतपूर्व प्रधान के मामा के लड़के की प्रथम दुर्घटना हो।

29-9-72 को शाम चार बजे भैंस चराने को खेतों में दोनों भाई भूतपूर्व प्रधान के मामा के लड़के जा रहे थे तब थाना पैलानी में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर तीन लोहार, एक तेली प्रा०पा०का शिक्षक एवं एक केवट ने बन्दूक से फायर

करके इस ब्राह्मण के मामा के बड़े लड़के की हत्या कर दी एवं द्वितीय छोटे को घायल कर दिया। इस संदर्भ में थाना पैलानी के थानाध्यक्ष की रिपोर्ट 'नोट मु0 अ0सं0 179/72 धारा 147/148/302/120 बी के अनुसार " इस ग्राम में प्रधानी के चुनाव के बाद दो पार्टियाँ बन गयी हैं। एक पार्टी के लीडर रा0प्रा0पा0 के प्रधान अध्यापक (तेली) दूसरी पार्टी के लीडर ग्राम के सबसे बडे ब्राह्मण जमींदार हुए, रा0प्रा0पा0 के प्रधानाध्यापक की पार्टी का वर्तमान ग्राम प्रधान वर्ष 1972((लोहार नवयुवक) जीत गया और परम्परागत ग्राम के सबसे बडे ब्राह्मण जमींदार हार गये। हरिजन एवं पिछड़ी जाति के नेता तेली शिक्षक एक सुसंगठित पार्टी के मेम्बर बने और सवर्ण जाति को नीचा दिखाने के लिए अपनी पार्टी मे तमाम हरिजनों का प्रोत्साहन किया। इसमें केवट, चमार, डोमार भी इनके साथ शामिल हुए और शाम सुबह बल्लम, बर्छी से लैस होकर गांव की गलियों में ब्राह्मणों को दबाने के लिए यह कहते फिरे कि 'मार दिया जाय या छोड़ दिया जाय' हरिजन एवं पिछड़ी जाति के नेता प्रा0पा0 के प्रधानाध्यापक के मकान में एक मीटिंग की और चंदवारा के जंगल के मंदिर से लाकर पार्वती की मूर्ति जिसे एक केवट एवं एक स्वर्णकार नवयुवक चुरा लाये थे उस मूर्ति पर इस पार्टी ने अपना-अपना खून चीर कर मूर्ति पर टीके लगाये और मरने मारने का संकल्प किया और दिनांक 29-9-72 समय चार बजे शाम जब वादी ग्राम के सबसे बडे जमींदार के मामा के दोनों लड़के भैंस को लेकर हार में जा रहे थे कि मुल्जिमान हरिजन एवं पिछड़ी जाति के नेता तेली प्रधान अध्यापक एक लोहार नवयुवक एक तेली नवयुवक के षड्यंत्र से मुल्जिमान ग्राम प्रधान वर्ष 1972 के लोहार नवयुवक एवं उनके छोटे भाई तथा हरिजन एवं पिछड़ी जाति के नेता तेली शिक्षक के अनुज एक लोहार नवयुवक एवं एक केवट जाति के नेता ने बन्दूक से फायर

करके भूतपूर्व ग्राम के सबसे बड़े जमींदार के भाया के लड़के की हत्या कर दी और उसके छोटे भाई को जख्मी कर दिया जिसका मु0अ0सं0 149 धारा 147/148/302/120बी0 का कायम हुआ जिसकी विवेचना श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय थानाध्यक्ष पैलानी ने किया। मुल्जिमान का चालान दिनांक 21-10-72 को जरिये सी0एस0 59 किया गया। मुकदमा जेर तजवीज अदालत है।

इस गांव की सवर्ण व हरिजन व पिछड़ी जातियों में आपस में काफी नाइत्फाकी हो गयी है। इनका चालान 107/117 जा0फौ0 किया गया है और अदालत से दोनों पार्टियां पाबन्द हो चुकी हैं इनकी देखभाल की सदैव आवश्यकता है थानाध्यक्ष को खासतौर से ब्राह्मण थानाध्यक्ष को काफी सतर्क रहने की जरूरत है।"

उपर्युक्त सन्दर्भित ब्राह्मण की कत्ल दिनांक 29-9-72 को धारा 147/148/302/109/120 बी0 के 4 लोहार, 3 तेली, एक केवट नेता अभियोगी गिरफ्तार किये गये और एक माह बाद साक्ष्य के अभाव में बरी किये गये इन बरी किये गये अभि अभियोगियों में से केवट नेता को ब्राह्मण गुट के मृतक परिवार के तीन ब्राह्मण सदस्यों ने 4-12-72 एफ0आई0आर0203/307 धारा के अन्तर्गत राइफल(लाइसेन्सदार) की गोली से कत्ल कर दिया गया और लोहार नेता को भी तीन राइफल की गोली से मारा किन्तु सरकारी चिकित्सालय बांदा में चिकित्सा उपरान्त वह जीवित बच सका, इन तीन ब्राह्मणों में एक उपर्युक्त का पिता एवं दो उसके भन्जों का नाम रिपोर्ट में दर्ज है। थाना पैलानी के थानाध्यक्ष श्री त्रिलोकीनाथ पाण्डेय की रिपोर्ट के अनुसार विवेचना इस प्रकार है —

"4-12-72 नोट — मुकदमा अ0सं0203 धारा 302/307 आई0पी0सी0 मु0अ0सं0 149/72 धारा 147/148/302/120 बी0 का मुल्जिमान केवट नेता

सेसन से जमानत पर छूटने के बाद घर आया और ब्राह्मणों की अच्छी खासी भजारटी बनी। डोमार से कामकरना बन्द करा दिया बदले की भावना से मृतक सबसे बड़े ब्राह्मण जमींदार के भामा के लड़के की कत्ल से सम्बन्धित मुकदमा इ0नं0 149धारा 147/148/149/302/120 बी0 के सगे भान्जे व उनके एक रिश्तेदार ने तारीख 4-12-72 को सुबह 8-30 बजे जबकि केवट नेता अपने पड़ोस के एक लोहार परिवार मुखिया के दरवाजे पर धूप ले रहा था मृतक ब्राह्मण के भान्जे ने गोली से मारकर हत्या कार दी और डोमार नेता को जो उन्हें जाते समय अपने मकान के पास गलियारे में मिला था जिसने ग्राम के ब्राह्मणों का जातीय पेशा बन्द कर दिया था गोली से मज रू ब कर दिया था। और उसी के पास के रहने वाले एक लोहार नवयुवक एवं केवट व्यक्ति को लाठी से मारा था जिसका मुकदमा इ0नं0 203 धारा 302/307/323/194 में कायम हुआ था जिसकी विवेचना एस0एस0आई0 इस मुकदमें की तफ्तीश में थानाध्यक्ष को हैण्डओवर की गयी वैसे ही सी0आई0डी0 इस मुकदमें की तफ्तीश में नियुक्त हुए। तारीख 13-12-72 को बेदी साहब डी0वाई0एस0पी0, सी0आई0डी0 लखनऊ ने तफ्तीश शुरू की। मुकदमा चालान अदालत होकर जेर तजबीज है।" हस्ताक्षर

(त्रिलोकीनाथ पाण्डेय एस0ओ0)

जिन्हें न्यायालय ए0एस0जे0 तृतीय 21-6-76 से अभियुक्त मृतक ब्राह्मण के भान्जा व उसके भामा को 307 के तहत 10-10 वर्ष की आर0आई0 तथा मृतक अभियु अभियुक्त के दोनों भाई भान्जों पर 302/34 पर आजीवन कारावास की सजा हुई।

इस कत्ल के 7 दिन बाद हरिजन एवं पिछड़ी जाति के नेता प्रा0पा0 शिक्षक पर लिंक ब्राह्मणों ने रास्तें में आते समय उस पर लाठियों से हत्यावार किये। और उसे मरणासन्न समझ कर खेतों में चले आये। उपचारोपरान्त किसी प्रकार उसकी जान बच गयी।

ग्राम के सबसे बड़े जमींदार के मामा के लड़के (जो हरिजन एवं पिछड़ी जाति के लोगों को जुआँ खेलाते थे) की कत्ल के साक्ष्य के रूप में एक ब्राह्मण के बयान द्वारा इस कत्ल के अभियोगी एक लोहार नवयुवक और एक अरख नवयुवक लड़कों (दोनों की उम्र लगभग 19 वर्ष) को बनाया गया, 112 एफ0आई0आर0 9-8-73 एवं 10-8-73 की रिपोर्ट केअनुसार जिसमें 23-3-77 को केवल उपर्युक्त सम्मिलित एक अरख नवयुवक अभियुक्त निर्णय द्वारा सिद्ध हो सका। करीब 9माह के अन्तर्गत प्रथम ब्राह्मण की कत्ल में साक्ष्य देने वाले ब्राह्मण के लड़के को जब वह गांव में पड़ोस के किसी ब्राह्मण परिवार की लड़की की शादी में टीका देखने अपने ब्राह्मण मित्रगणों के साथ देखकर अपने घर आया और चारपाई पर सो गया तो उसे किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात में नौ बजे उन्हीं के निवास स्थान में सोते समय गोली से मार दिया गया। लड़की की शादी के अवसर पर टीका के समय बारूद के धमाकों के शोर के कारण परिवार के लोगों को यह ज्ञात नहीं हो सका कि गोली से यह लड़का कब मारा गया। सुबह प्रकाश हो जाने पर जब परिवार केलोगों ने उसे काफी विलम्ब के बाद भी चारपाई से जग कर उठता हुआ नहीं पाया तो रजाई को खोलकर देखा तो लड़के को मृत पाया गया। परिवार के संरक्षक ने इस घटना में चार व्यक्तियों को एफ0आई0आर0 दिनांक 27-5-74, 28-5-74 में धारा 302 के अन्तर्गत प्रथम ब्राह्मण की कत्ल के मुल्जिमान उसी लोहार नवयुवक का नाम पुनः इस अभियोग की रिपोर्ट में भी दर्ज करा दिया। जबकि यह ब्राह्मण परिवार मुखिया भूतपूर्व ग्राम प्रधान के मामा के लड़के की कत्ल का स्वयं साक्ष्य था। जिसमें इसी लोहार नवयुवक को पहले प्रथम ब्राह्मण की कत्ल में भी साक्ष्य दे चुके थे। एवं दूसरा अभियोगी तेली शिक्षक नेता तथा अपने मकान के सामने के रहने वाले दो मालियों का नाम भी दर्ज कराया, जिससे इनकी पुरानी वैमनस्यता चबूतरे के आकार विस्तार के सम्बन्ध में थी पुरानी

वैमनस्यता 3-3-74 की रिपोर्ट के अनुसार एफ० आई०आर० 51 धारा 307/323/504/506 के अन्तर्गत यादी मातों श्री ने इसी ब्राह्मण परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी इस अभियोग के मुल्जमानों को जब इस मामले में अपने अपने नाम रिपोर्ट में लिखाये जाने की जानकारी प्राप्त हुई तो इनमें से प्रथम ब्राह्मण की कत्ल के अभियोगी लोहार नवयुवक ने अपने अन्य साथियों को साथ लेकर अपने प्रथम मुकदमें में अपने विरुद्ध साक्ष्य देने वाले ब्राह्मण परिवार मुखिया जिनके लड़के की कत्ल रात में हुई थी उनके घर गये। और उनसे उन्होंने बात की कि आपने इस कत्ल में पुनः हमें झूठ कत्ल का अभियोगी क्यों लिखाया है? आप सत्यता का पता लगा कर सही व्यक्तियों को ही लिखाइये।" आप लोग झूठे मुकदमों में फंसाकर हमें बरबाद करना चाहते हैं। हम आप लोगों से अच्छी तरह अब निपटेंगे।' इसके बाद इस लोहार नवयुवक ने ग्राम तमाम हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के सदस्यों को सम्मिलित करके एक सशस्त्र संगठित समूह (बागी गैंग) का निर्माण करके गांव छोड़कर जंगल में वास बना लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव की सुरक्षा के लिए 18 पी०ए०सी० की टुकड़ी (दस्ता) गांव के मंदिर में तैनात कर दिया उपर्युक्त बागी गैंग ने भूतपूर्व ब्राह्मण जमींदार ग्राम प्रधान से प्रतिशोध की भावना से उसके खलिहान में जाकर रात्रि में लड़ने के लिए ललकारा, खलिहान में केवल उनके जन ही थे। भूतपूर्व ग्राम प्रधान ग्राम के सबसे बड़े जमींदार ब्राह्मण के परिवार के कोई व्यक्ति वहाँ नहीं गये। अतः वे उनके जनों को ही मार पीट कर तथा गेहूँ तथा चना और अन्य सूखी फसल में आग लगाकर चले आये। करीब एक हजार मन अनाज जलकर राख हो गया। परिवार का कोई व्यक्ति खलिहान में न आ सकने के कारण वे दुबारा आने का वायदा करके चले गये। पी०ए०सी० को सूचना मिलते ही वहाँ पहुंच गयी। तब तक ये व्यक्ति खलिहान से दूर भाग गये थे।

इस पिछड़े वर्ग एवं हरिजन जाति के सशस्त्र बागी समूह ने सबसे बड़े ग्राम के जमींदार भूतपूर्व ग्राम प्रधान के पशुशाला से जाने वाले रामजानकी मंदिर के प्रवेश द्वार को बन्द करने का कार्य किया। और यह कहा कि मंदिर सार्वजनिक सम्पत्ति है। मंदिर में समस्त जातियों को प्रवेश एवं भगवान के दर्शन एवं परिक्रमा का समान अधिकार है। ब्राह्मण जमींदार प्रधान को ही इसमें जाने का विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है जबकि ब्राह्मण गुट के नेता भूतपूर्व ग्राम प्रधान जमींदार एवं सवर्णों की मान्यता के अनुसार अस्पृश्य हरिजन जाति के विशेषकर डोमार) को मंदिर में प्रवेश वर्जित है, वे राम जानकी मंदिर के द्वार के फाटक के बाहर से दर्शन कर सकते हैं, किन्तु इसके विरोध में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के सशस्त्र संगठित बागी समूह ने उक्त गोली से घायल डोमार नेता को मंदिर में प्रवेश कराकर मंदिर के भगवान रामजानकी की परिक्रमा करने का आदेश दिया और परिक्रमा कराया। व जो सवर्ण इन्हें प्रवेश करने से वर्जित करेगा उससे इस समूह के व्यक्ति निपटेंगे। डोमार नेता ने उनकी आज्ञा का यथावत पालन किया जिससे उच्च जाति के ब्राह्मण गुट में आक्रोश छा गया। किन्तु इस हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के सशस्त्र संगठित बागी समूह का सामना करने की किसी को हिम्मत न हुयी। इस बागी समूह ने कई बार निवास स्थान में जाकर फायर करते हुए इन्हें आमने लड़ने के लिए ललकारा और गोली के वार भी किये जिसे वे बाल बाल बच गये। इन्हीं संघर्षशील परिस्थितियों में ग्राम के सबसे बड़े जमींदार ब्राह्मण प्रधान एवं उसके परिवार के व्यक्ति जब अपने महुये के बाग में खेतों का निरीक्षण करने गये थे, इस हरिजन एवं पिछड़ी जाति के बागी समूह ने उनके जाने की सूचना पाकर उन्हें घेरकर फायरिंग शुरू कर दिया। महुए के पेड़ों की आड़ लेकर ब्राह्मण दल की ओर से भी गोलियों की वर्षा शुरू हुई। ग्राम की ओर जाने वालों रास्तों की ओर यह हरिजन एवं पिछड़ीजाति का सशस्त्र दल नहीं था अतः इस मार्ग से ब्राह्मण दल गांव की

ओर बच कर निकल आया जब तक पी0ए0सी0 को सूचना मिली तब तक हरिजन एवं पिछड़ी जातियों का सशस्त्र दल अन्यत्र दूर गायब हो गया।

दिनांक 20-11-74 को भूतपूर्व ब्राह्मण प्रधान के मामा एवं इनके लड़के तथा दो भान्जों ने एफ0आई0आर0 187/165 धारा 147/148/325/323 में मुल्जिमान तेली शिक्षक (हरिजन एवं पिछड़ी जाति के नेता) की रिपोर्ट की गयी।

ब्राह्मण गुट के नेता ने खलिहान में आग लगाने एवं अपने ऊपर घटित अनेक विरोधी प्रतिक्रियाओं के करने वाले हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के सशस्त्र बागी समूह के मुल्जिमानों को एफ0आई0आर043 में दिनांक 3-3-75 में धारा 147/148 149/307 एवं दिनांक 6,-4-75 को धारा 147/148/324/435/307 आई0पी0 सी0 के अनुसार 19 मुल्जिमानों की रिपोर्ट थी जिनमें 3 लोहार 9 केवट एक आरख दो चमार, 3 कुम्हार, एक कोरी को उपर्युक्त अभियोग में दर्ज कराया गया।

ब्राह्मण गुट के साथ उपर्युक्त घटना के पूर्व हरिजन एवं पिछड़ी जाति के बागी दल के अगुवा लोहार नवयुवक के छोटे भाई ने ब्राह्मण गुट के भूतपूर्व प्रधान के मामा एवं उसके तीन भान्जों की रिपोर्ट धारा 307 के अभियोग के अन्तर्गत थाना पैलानी में दर्ज करायी थी। परस्पर इस प्रकार ब्राह्मण गुट एवं हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के दल के मध्य परस्पर विरोधी उग्र गुटीय संघर्ष की गम्भीर स्थिति में 'खून का का जवाब खून से और गोली का जवाब गोली से' वर्ष 1972 से वर्ष 1978 तक अत्यधिक क्रांति का रुप लिये रहा। हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के इस संगठित सशस्त्र दल ने अनवरत वर्षों से सवर्ण ब्राह्मणों द्वारा ढाये जा रहे हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के निर्धन मजदूरों पर अमानुषिक प्रताड़ना, दुर्व्यवहार एवं हिंसक, जघन्य कृत्यों के प्रति रोष में उन्हें नियंत्रण देने हेतु एवं इन गतिविधियों को मजबूर होकर संचालित करना पड़ा।

जब हम ग्राम डिघवट का समाजशास्त्रीय क्षेत्र हेतु गये तो हमेंइस गाँव की स्थिति सामान्य नहीं मिली। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान हम अपना समाजशास्त्रीय इस ग्राम के गुटवाद के शोध अनुसन्धान का कार्य प्रारम्भ करने पहुँचे तो हमारे सर्वेक्षण के दस दिन पूर्व मंदिर के पुजारी को डिघवट से घूरा होते हुए चित्ता बांदा रोड के घूरा नामक स्थान में ब्राह्मण दल के लोगों द्वारा गोली से फायर किया गया था। जिससे वे बाल बाल बच गये जब हम मंदिर उनसे साक्षात्कार लेने पहुंचे तो उन्हें पी०ए०सी० दल के साथ ताश खेलते हुए पाया। पुलिस दल ने हमें बताया कि यह पुजारी बिना लाइसेन्स का हथियार रखता है जिसकी रिपोर्ट थाना पैलानी में भूतपूर्व ग्राम प्रधान एवं उसके लड़के ने एफ०आई०आर० 30 दिनांक 3-3-75 धारा 25 आ० बिना लाइसेन्स दार हथियार रखने में ब्राह्मण पुजारी राम खेलावन दास पुत्र गयाप्रसाद के नाम दर्ज करायी गयी थी। इस पुजारी का अवैधानिक लैंगिक सम्बन्ध ग्राम के एक लोहार (जो ब्राह्मण गुट में सम्मिलित था की पत्नी से है) यह सूचना पुलिस दल ने दी तथा यह भी बताया कि मंदिर की भूमि अत्यधिक उपजाऊ है जिसकी आधी उपज ग्राम के सबसे बड़े जमींदार ले लेते हैं।

सामान्य चुनाव के समय मार्च 1977 में पी०ए०सी० का दस्ता चुनाव कार्यों में चला गया था इसके स्थान पर चार पुलिस का जत्था थाना पैलानी से तैनात कर दिया गया था। थाना पैलानी के कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार हरिजन एवं पिछड़े वर्ग समूह के बागी दल के लोहार नवयुवक दोनों सगे भाइयों को थाना पैलानी के पुलिस दल द्वारा डिघवट के निकट केन नदी के पश्चिमी तट में खैरी डेरा के जंगल में काउन्टर दिखाया गया। यद्यपि हमारे डिघवट के उत्तरदाताओं ने वास्तविक स्थिति से अवगत कराया कि यह बागी दल खैरी डेरा के एक केवट परिवार के यहाँ

निमंत्रण हेतु उनके घर गया था। जहाँ निमंत्रण के पूर्व उनके आग्नेय अस्त्रों को मकान के एक कमरे में रखवा दिया गया था। पुलिस की साजिश एवं सवर्ण दल की साजिश से इन्हें विषयुक्त भोजन दिया गया। अचेत अवस्था होने पर इन्हें एक को गोली के फायर से आहत किया गया और दूसरा भाई बन्दूक लेने के प्रयत्न हेतु जाते समय कुल्हाड़ी से आघात से मारा गया। तत्पश्चात् जंगल में मृत लिटाकर थाना पैलानी की पुलिस को सूचना दी गयी। थाने से पुलिस दो बजे रात्रि में आकर पुलिस मुठभेड़ के रूप में काउन्टर दर्ज किया गया। ग्राम की जनता ने इस असत्य पुलिस के नाटक की सी0आई0डी0 जाँच की माँग की। एस0पी0बाँदा को इस असत्य रिपोर्ट की जानकारी होने पर पैलानी थाना इन्चार्ज श्री एस0एन0खरे को बाँदा लाइन हाजिर कराया गया। जिन्हें इस काउन्टर में पुरस्कृत किया जा चुका था। उन्हें दण्डित करने हेतु प्रान्तीय सी0 आई0डी0 जाँच स्वीकृत हो चुकी थी। लखनऊ से सी0आई0डी0 के डी0वाई0एस0पी0 (श्री एस0एन0तिवारी) दिसम्बर 1979 में जाँच हेतु आये किन्तु जाँच में बहुत देरी होने के कारण इस थाना अध्यक्ष को विरोध दण्डित नहीं किया जा सका और इनका स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया गया। इस थानाध्यक्ष ने इस काउन्टर में केवट परिवारों से इस दल का करीब एक लाख का सोना, चाँदी का समान गुप्त रूप से बरामद कर लिया था।

इस गुटीय संघर्ष के दौरान प्रान्तीय सरकार द्वारा अनवरत वर्ष 1972 से वर्ष 1978 तक पी0ए0सी0 दल ग्रामीण सुरक्षा हेतु तैनात किया गया किन्तु इस कालान्तर में अपराधी घटनायें परस्पर दोनों विरोधी दलों में घटित होती ही रहीं। इस गुटीय संघर्ष के दौरान दिनांक 12-6-77 को 457/380 धारा के अन्तर्गत ग्राम के कायस्थ परिवार के अज्ञात बदमाशों ने डकैती एवं दोनों नौजवान लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना भी की। यह सब घटनायें किसी न किसी प्रकार ग्रामीण

गुटवाद से प्रेरित हैं। उपर्युक्त गम्भीर घटनाओं का ग्रामीण गुटबन्दी के संदर्भ में क्रम बद्ध वार्षिक उपर्युक्त विवेचन है। इसगुटबन्दी की काल अवधि में पशुओं की चोरी (बकरे, बकरियाँ) फसलों की चोरी, प्रतिवर्ष ग्राम में बराबर घटती ही रही।

इसग्रामीण गुटबन्दी के संघर्ष में दोनों दलों में कुछ वाह्य व्यक्तियों का भी अर्थात् इन दोनों दलों के सम्बन्धित रिश्तेदारों का भी सहयोग रहा। एवं गुटीय संघर्ष के दौरान ब्राह्मण गुट के दो ठाकुर एवं फतेहपुर जनपद के ब्राह्मण दल के सम्बंधियों की हिंसा भी हुई। डिघवट के इस परस्पर गुटीय संघर्ष ने दोनों दलों में मृतकों एवं घायलों की घटनायें जो प्रकाश में आयी हैं उनका विवरण निम्न तालिका संख्या 70 में अंक अंकित है —

तालिका संख्या 70

गुटीय संघर्ष में मृत एवं घायल पुरूषों की संख्या जाति समूह के अनुसार :—

क्रमसंख्या	जाति समूह	मृत या घायल
1-	भूस्वामी ब्राह्मण गुट	
1-	ब्राह्मण	मृत
2-	ब्राह्मण	मृत
3-	ब्राह्मण	मृत
4-	ब्राह्मण	घायल
5-	ठाकुर	घायल (मृत) बाहरी
6-	ठाकुर	मृत(बाहरी)
7-	ब्राह्मण	मृत(बाहरी)

हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग का गुट

8-	चमार	मृत
9-	चमार	मृत
10-	लोहार	मृत
11-	लोहार	मृत
12-	लोहार	घायल
13-	केवट	मृत
14-	डोमार	घायल

डिघवट में दोनों गुट हरिजन एवं पिछड़े वर्ग का नियंत्रक गुट एवं ब्राह्मणों का स्वतंत्र गुट का संघर्ष राजनैतिक एवं आर्थिक शक्ति सुविधाओं की प्राप्ति हेतु सदर्भित समूह के ब्राह्मणों का स्वतंत्र गुट अनवरत हरिजन एवं पिछड़े वर्ग को राजनैतिक एवं आर्थिक शक्ति प्रभुत्वहीन रखकर दमन एवं आर्थिक शोषण करना चाहता था और हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के नियंत्रक गुट ने लोकतांत्रिक संवैधानिक समान सुविधाओं के अवसरों की प्राप्ति का वैधानिक प्रश्रय लेकर सवर्णों के दमन एवं आर्थिक शोषण से बचाव एवं समयोचित सुधार हेतु नियंत्रक गुट के रूप में अनवरत दो पंचवर्षीय योजना काल तक संघर्ष किया। लिंच (1969) जब आगरा शहर के जाटवों का अध्ययन करते हैं तो वे जाटवों के नकारात्मक तीन संदर्भ समूहों — ब्राह्मणों, पंजाबी और पूंजी-पतियों का परिचय देते हैं। पुनः एम०एस०ए०राव (1977) 'विरोधी संदर्भ समूह का प्रयोग करते हैं। अल्प प्राप्त वस्तुओं पर एकाधिकार की सुविधाओं के प्रयास के लिए सुविधा विहीन एवं दलित वर्ग द्वारा प्राप्त प्रयत्न किया जाता है।

गुटीय संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण एक पहलू यह था कि हरिजन एवं पिछड़ी जातिसमूह के एक संगठित वर्ग का रूप ले लिया था यद्यपि हरिजन पिछड़े वर्ग के लिए भी अस्पृश्य है और पिछड़ी जाति समूह के लोग भी उनसे सामाजिक अंतर का पालन करते थे। लेकिन सवर्ण गुट के संघर्ष काल में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के नियंत्रक गुट के प्रारम्भ हो जाने से ऐसा नहीं था। दोनों वर्ग के लोग शोषित वर्ग के रूप में जाने जाते थे। इसी जागरूकता ने शोषक ब्राह्मण भू स्वामियों के शोषण से नियंत्रण हेतु नियंत्रक गुट का संगठन हुआ।

हमारे उत्तरदाताओं ने अपने विरोध को भूतपूर्व प्रधान एवं दूसरे बड़े ब्राह्मण भू स्वामियों के विरुद्ध जो वास्तव में अत्याचार एवं आर्थिक शोषण करते थे प्रकट किया। हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोग गरीब ब्राह्मणों के विरोधी नहीं थे। हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के उत्तरदाताओं ने हमें बताया कि संघर्ष काल में (क्रांति के समय) गरीब ब्राह्मणों ने बड़े ब्राह्मण भू स्वामियों का ही समर्थन किया। ग्राम के गरीब ब्राह्मणों के साक्षात्कार के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि संघर्ष में वे व्यक्तिगत नहीं सम्मिलित हुए थे शक्ति विहीन थे अतः गुटीय संघर्ष के दौरान इनकी भूमिका तटस्थ थी। केवल प्रभावशाली ब्राह्मण और पर्याप्त भूमि रखने वाले ब्राह्मणों ने सक्रिय समर्थन किया।

यह अध्ययन यह प्रकट करता है कि मात्र बड़े भू स्वामी ही वास्तविक नकारात्मक के संदर्भ समूह थे। इसी समूह ने भूमि एवं राजनैतिक शक्ति दोनों पर एकाधिकार किया था।

दो दशक के कालान्तर में समाजशास्त्रीय गुटवाद के शोध अध्ययन हेतु चयनित ग्राम संघर्षशील दोनों दलों में प्रथम सवर्ण बड़े भू स्वामियों से संयुक्त दल जो पिछड़ी जातिसमूह एवं हरिजन वर्ग के अल्प मध्यम एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का आर्थिक शोषण प्रताड़न बेगार लेना तथा अल्प मजदूरी देकर अधिक काल अवधि तक काम लेते हैं एवं जुआँ आदि खेलनेहेतु सवाये ब्याज दर पर कर्जदेकर उन्हें अत्यधिक

कर्ज से लाद देते हैं। ऊँचा ब्याज दर पर लिया हुआ सवर्ण बड़े भूस्वामियों का पैसा समय पर चुकता न होने पर इन पिछड़े और हरिजन वर्ग के मध्यम अल्प एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बंधुआ मजदूर बना लेते हैं। इन अमानवीय बर्ताव, प्रताड़न बेगार एवं बंधक मजदूरी से पिछड़े वर्ग एवं हरिजन वर्ग को मुक्त कराने हेतु उचित मजदूरी की मांग या जो शहर में तत्कालीन मजदूरों को प्राप्त थी, मांग की। सवर्ण बड़े भू-स्वामियों ने उनकी न्यायोचित मांगों को इनकार कर दिया एवं इन निर्धनों का दमन करने हेतु तथा परम्परागत बेगार एवं अल्प मजदूरी देकर काम लेने को मजबूर किया और न करने पर प्रताड़न, मारपीट, हिंसा का अस्त्र चलाया। कर्ज न अदा कर पाने एवं इनके खेतों से निकलने, फसल छीनने पर निर्धन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार (बलात्कार) जैसे जघन्य सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाने हेतु ग्रामीण शक्ति संरचना की धुरी ग्राम पंचायत चुनाव में बहुत से जीतने एवं 'जैसे को तैसा' जवाब देने हेतु अर्थात् 'खून का बदला खून' रूप में देने हेतु मध्यम भूसीमा वाले 6-20 बीघा 20-50 बीघा भूसीमा वाले पर्याप्त पिछड़े वर्ग के सक्रिय सदस्यों ने संगठित सैनिक संगठन हरिजनों के संरक्षण हेतु तैयार किया। फलतः इस ग्राम में दो दशक तक दोनों क्रान्तिकारी दलों में परस्पर अनेकों घटनायें घटीं। इन घटनाओं के माध्यम से वर्ष 1971 से 1981 तक मध्यम इस ग्राम की वार्षिक अपराधान्तर को पूर्णतया समझा जा सकता है।

(देखिये तालिका संख्या 71)

तालिका संख्या 71

ग्राम डिप्टी गंज बाँदा के वर्ष 1971 से वर्ष 1981

वर्ष	डकैती	राहजनी	कत्ल	307	308	बलवा	नकबजनी
1971	—	—	[illegible]	1	—	2	2
1972	—	—	2	2	—	—	—
1973	—	—	—	2	—	—	—
1974	—	—	1	2	—	—	1
1975	—	—	1	4	—	—	—
1976	—	—	—	—	—	—	—
1977	—	—	—	—	—	—	—
1978	—	—	—	2	—	—	—
1979	—	—	—	—	—	—	—
1980	—	—	—	—	—	—	—
1981	—	—	—	—	—	—	—
योग	—	—	५	13	—	2	3

वर्ष	चोरी साधारण	चोरी मवेशी	साइकिल	असलहा	आबकारी	जुआ अधि0नि0	आत्म अपराध	अन्य भूमि	आगजनी	अन्य
1971	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
1972	1	—	—	—	—	2	—	—	1	420 504 120बी0109
1973	1	—	—	2	—	1	—	—	—	
1974	2	1	—	—	—	2	—	—	—	—
1975	—	—	—	4	—	3	—	—	—	—
1976	—	—	—	1	—	—	—	—	—	रिश्वत लेने के मामले
1977	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1—1
1978	—	1	—	—	—	—	—	—	—	45/1
1979	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1980	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1981	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
योग	7	4	—	7	—	10	—	—	1	7

स्रोत : — थाना पैलानी पुलिस स्टेशन इंचार्ज द्वारा पुलिस अधीक्षक बाँदा की अनुमति से शैक्षिक उपयोग हेतु संकलित आँकड़ों के अनुसार।

सर्वेक्षित अध्ययन ग्राम डिघवट में गुट निर्माण के कारण :—

सर्वेक्षित अध्ययन ग्राम के विभिन्न जातिसमूहों के सूचनादाताओं से साक्षात्कार द्वारा सूचना लेने से कि उन्होंने गुट का निर्माण अपने निजी हितों के लिए बनाया अथवा सार्वजनिक ग्राम के विभिन्न जातिसमूहों के समस्त जनमानस के हित के लिए, उनके विचार तालिका संख्या 72 में अंकित हैं —

तालिका संख्या 72

क्या ग्राम डिघवट के सूचनादाताओं ने अपने निजी हितों के लिए कोई गुट बनाया है?

क्रमसं0	क्या ग्राम डिघवट के सूचनादाताओं ने अपने निजी हितों के लिए कोई गुट बनाया है?	उच्चवर्गीय जातिसमूह	पिछड़ावर्गीय जातिसमूह	हरिजनजाति समूह	योग	मुस्लिम	कुलयोग
1-	हाँ	8 (11·76)	70 (30·97)	19 (21·84)	97 (25·46)	2 (10·53)	99 (24·75)
2-	नहीं	60 (88·24)	156 (69·03)	68 (78·16)	284 (74·54)	17 (89·47)	301 (75·25)
कुलयोग		68 (100·00)	226 (100·00)	87 (100·0)	381 (100·0)	19 (100·0)	400 (100·0)

उक्त तालिका में दिये गये उत्तरों के अनुसार सवर्ण वर्ग के 68 परिवार मुखियों में से मात्र 8(11·76प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि ग्राम में सवर्णों का गुट अपने निजी हितों के लिए बनाया गया है। बहुमत में 60(88·24प्रतिशत)सूचनादाताओं ने उत्तर दिया कि गुट का निर्माण सवर्णों द्वारा निजीहित के लिए नहीं बनाया बल्कि कुछ बड़े भू-स्वामियों के एकाधिकार पूर्ण सामंतशाही प्रशासन को कायम रखने के लिए निर्मित हुआ है।

ग्राम के 226 पिछड़े वर्ग के परिवार मुखियों में से 70(30·97प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि हमने अपने निजी हितों के संरक्षण हेतु गुट का निर्माण किया है किन्तु बहुसंख्यक परिवार मुखियों ने 156 (69·03 प्रतिशत) उत्तर दिया कि हमने हरिजन समूह एवं पिछड़े वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के साथ सवर्ण बड़े भूस्वामियों द्वारा सतत दुर्व्यवहार प्रताड़न एवं अल्पमजदूरी देकर 8घण्टे से अधिक समय तक काम लेना एवं जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिये गये कर्ज में ऊँची ब्याजदर से वसूल करना, समय पर अदा न होने से उनसे बेगार लेना एवं उन्हें बंधक मजदूर बना लेना आदि सामाजिक बुराइयों के निवारण हेतु हमने हरिजनसमूह

एवं पिछड़े वर्ग के निर्धन अल्पभूमि वाले वंचित मजदूरों पर सवर्ण बड़े भू स्वामियों द्वारा किये जा रहे अमानुषिक वर्तावों नियंत्रण हेतु हरिजनों के आर्थिक शोषण एवं सुविधाविहीन स्थिति में उनकी सहायतार्थ गुट का निर्माण किया है।

ग्राम के 87 हरिजन परिवार मुखियों में से 19 (21.84प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि हमने अपने निजी हितों के संरक्षण हेतु गुट का निर्माण किया है। किन्तु 68 (78.16प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि हमने हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के अल्प मजदूरी पाने वाले एवं सुविधाविहीन मजदूरों के आर्थिक शोषण में सवर्णों पर नियंत्रण एवं उन पर किये जा रहे अमानुषिक दुर्व्यवहार में नियंत्रण एवं संरक्षण हेतु गुट का निर्माण किया है।

ग्राम के 19 मुस्लिम परिवार मुखियों में से 2(10.53 प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि हमने निजी हितों के लिए गुट में सम्मिलित हुए हैं। किन्तु 17 (89.47प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि हमने निर्धन मजदूरों को उचित मजदूरी प्रदान कराने एवं उनकी सुविधाविहीनता की स्थिति में सुधार हेतु तथा सवर्ण के द्वारा हरिजन एवं पिछड़ी जाति के निर्धन श्रमिकों से बेगार एवं दुर्व्यवहारों को समाप्त करने हेतु हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के गुट में सम्मिलित हुए हैं।

<u>ग्राम डिघिट में झगड़ों के विकास एवं गुट बनने के कारण :—</u>

संबंधित ग्राम के विभिन्न जाति समूहों के परिवार मुखियों से उनके ग्राम में इन झगड़ों के विकास के कारण गुट बनने के प्रमुख कारणों को पूछने पर उन्होंने अपने विचारों को तालिका संख्या 73 में प्रदर्शित किया।

तालिका संख्या 73

क्रम	आपके गांव में गुट बनने के कारण कौन कौन है?	उच्चजाति समूह	पिछड़ावर्ग समूह	हरिजनजाति समूह	योग	मुस्लिमजाति समूह	कुलयोग
1-	पिछड़ी एवं निम्न जातियों के लोगों द्वारा उच्चजाति के भूमिधरों का सामंतों जैसा सम्मान न देना एवं उनके पतवि का सहन करना।	8 (11·76)	8 (3·54)	2 (2·29)	18 (4·72)	शून्य	18 (4·5)
2-	जुआ खेलने या अन्य कार्यों हेतु जमींदारों द्वारा दिया गया कर्ज ऊंची ब्याज दर पर समय से न अदा होने पर मकान, जानवर या जमीन गिरवीं रखना, मारपीट एवं दुर्व्यवहार करना एवं बंधुवा मजदूर बनाना।	2 (2·94)	20 (8·85)	11 (12·64)	33 (8·66)	3 (15·789)	36 (9·00)
3-	कत्ल या अन्य अभियोगों में गलत व्यक्तियों को फंसाना एवं झूठ गवाही देना। ग्राम जनप्रतिनिधियों या भूमिधरों द्वारा सही न्याय न करने के कारण।	2 (2·94)	2 (8·85)	1 (1·15)	5 (1·31)	शून्य	5 (1·25)
4-	उच्चजाति के भूमिधरों द्वारा पिछड़ी एवं हरिजन जाति के लोगों को अपने अपने खेतों की मेड़ों से न निकलने देना एवं घास न छीलने देने का आदेश उच्चजातीय संगठन द्वारा देना श्रमिकों को उचित मजदूरी न देना आदि।	1 (1·47)	9 (3·89)	7 (8·045)	17 (4·46)	4 (21·05)	21 (5·25)
5-	निम्न एवं पिछड़ी जाति के लोगों द्वारा एकता एवं संगठन बनाकर उच्चजाति के लोगों का कामदारी या जातीय पेशा बन्द कर देना।	3 (4·41)	3 (1·33)	2 (2·29)	8 (2·09)	शून्य	8 2·00)
6-	मंदिर की जायदाद के लाभांश को लेने हेतु पुराने प्रधान एवं अन्य लोगों द्वारा टकराव एवं संघर्ष तथा पुजारियों का परिवर्तन	30 (44·11)	110 (48 =67)	33 (37·93)	173 (45·406)	4 (21·05)	177 (44·25)

1	2	3	4	5	6	7	8
11-	परम्परावादी ग्राम प्रधान का 1972 के चुनाव में हार जाना तथा दूसरे प्रधान का परिवर्तन।	8 (11·76)	41 (18·14)	15 (17·24)	64 (16·797)	5 (26·315)	69 (17·25)
12-	हरिजनों तथा पिछड़ी जातीय संगठन द्वारा काम बन्द कर देना एवं सवर्ण विरोधियों के साथ प्रति शोधपूर्ण अत्याचार प्रारम्भ कर देना।	4 (5·88)	शून्य	शून्य (	4 (1·049)	शून्य	4 (1·00)
13-	नेतृत्व के लिए संघर्ष।	2 (2·94) शून्य	शून्य	1 (1·15)	3 (·787)	शून्य	3 (1·75)
14-	छुआछूत की भावना उच्चवर्ग द्वारा निम्न जाति के लिए व्याप्त होना।	शून्य	शून्य	2 (2·29)	2 (1·52)	00	2 (·50)
कुलयोग		68	226	87	381	19	400

[illegible]	[illegible]						
1	2	3	4	5	6	7	8
7	प्राइमरी के प्रधानाचार्य का नियमित रूप से संस्था में पढ़ाने न जाने से लोगों का रूष्ट होना एवं 15 अगस्त 1972 को ध्वजारोहण के पूर्व प्रभात फेरी में परम्परावादी सवर्ण ग्राम प्रधान द्वारा तिरस्कार किया जाना।	3 (4·41)	2 (·88)	शून्य	5 (1·31)	शून्य	5 (1·25)
8-	ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी अनुदान (बाढ़पीड़ित हेतु) का सही वितरण न करके निजी हितों में प्रयोग करने से विरोधी व्यक्तियों द्वारा ब्लाक अधिकारी को शिकायत करना एवं जाँच कराना। इनके द्वारा ग्रामीण विवादों का उचित न्याय एवं समस्या समाधान न करने के कारण।	1 (1·47)	4 (1·77)	3 (3·448)	8 (2·09)	शून्य	8 (2·00)
9-	गरीब एवं अशिक्षित निम्न जातीय श्रमिकों को कम मजदूरी देकर जबरन काम लेना एवं पर्याप्त सुविधायें न देना। बंधुआ मजदूर बनाना।	1 (1·47)	2 (·88)	2 (2·29)	5 (1·31)	शून्य	5 (1·25)
10-	बेगार अधिक लेना, काम के घण्टे अधिक होना आपसी मतभेद के कारण, उच्चजाति वर्ग या प्रभु जातियों के अराजक तत्वों द्वारा गाँव में अपना एकाधिकार द्वारा फसलों की चोरी, खलिहानों में चोरी डकैती बलात्कार, खलिहानों में आग लगाना जैसे अभियोग करना तथा अपने विरोधियों के रिश्तेदारों को तंग करना या कत्ल करना।	3 (4·41)	25 (11·06)	8 (9·19)	36 (8·448)	3 (15·78)	39 (9·75)

सर्वेक्षित ग्राम डिघवट में उच्चजातीय बड़े भू स्वामियों एवं भूमिहीन निर्धन साधन विहीन हरिजन एवं पिछड़ी जाति के मजदूर दलों के मध्य परस्पर झगड़ों में वृद्धि फलतः दो विरोधी उग्र गुटों के निर्माण के कारणों को पूछने पर सर्वेक्षित ग्राम के 68 परिवार मुखियों में से 8 (11·76 प्रतिशत) ने पिछड़ी एवं निम्नजातियों के लोगों द्वारा उच्चजाति के भू स्वामियों को सामंतों जैसा सम्मान न देना तथा उनके एकाधिकारपूर्ण तानाशाही के बर्ताव को न सहन करना बताया। 2 (2·94 प्रतिशत) ने हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूहों के लोगों को जुआ खेलने अथवा अन्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिये गये कर्ज एवं उसके ब्याज को समय पर न अदा करने से उनके जानवर मकान गिरवीं करना एवं दण्डित करके उन्हें बंधुवा मजदूर बनाने का कारण बताया तथा 2 (2·94 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने कत्ल या अन्य अभियोगों [illegible] में परस्पर विरोधी व्यक्तियों को फँसाना झूठी गवाही देना, ग्राम जन प्रतिनिधियों या भू स्वामियों द्वारा सही न्याय न करने के कारण गुट के निर्माण होने का कारण बताया। तथा 1 (1·47 प्रतिशत) सूचनादाता ने सवर्ण भूमिधरों द्वारा हरिजन तथा पिछड़ी जाति के लोगों को अपने खेत की मेड़ों से न निकलने देने तथा कृषि की सुविधायें यथा घास छीलने से मना करना तथा उन्हें उचित मजदूरी न देने का कारण बताया, 3 (4·41 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने निम्न तथा पिछड़ी जाति के लोगों द्वारा एकता एवं संगठन बनाकर उच्च जाति के लोगों का जातीय पेशा बन्दकर देना बताया। सर्वाधिक सूचनादाता 30 (44·11 प्रतिशत) ने ग्राम के रामजानकी मंदिर की जायदाद के लाभांश को लेने हेतु पुराने प्रधान एवं हरिजन एवं पिछड़ी जाति के नेता का पुजारी के परिवर्तन के कारण तथा मंदिर की जायदाद के आर्थिक शोषण के हेतु परस्पर टकराव का कारण बताया। 3 (4·41 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने प्राइमरी पाठशाला

के खिलाफ (तेली पिछड़ी जाति) नेता द्वारा क्षेत्र विकास अधिकारी को इनकी शिकायत करके जाँच कराकर उन्हें दण्डित कराने का कारण बताया। 1(1·47 प्रतिशत) सूचना दाता ने गरीब एवं अशिक्षित हरिजन तथा पिछड़ी जाति के मजदूरों को अल्प मजदूरी एवं अल्प सुविधायें प्रदान करना तथा कर्जी बनाकर उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने की परम्परा के कारण गुट निर्माण हुआ। 3(4·41 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने सवर्ण बड़े भूस्वामियों द्वारा हरिजन तथा पिछड़ी जाति के मजदूरों से अधिक बेगार लेना, अधिक घण्टे तक काम लेना तथा उन पर एकाधिकारपूर्ण प्रशासन तथा निर्बल वर्ग की फसलों की चोरी, खलिहानों में फसल की चोरी तथा परस्पर डकैती, कत्ल, बलात्कार, जैसे अभियोगों को कारण बताया।)8(11·76 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने ग्राम के सबसे बड़े जमींदार परम्परागत ग्राम प्रधान के चुनाव में हार जाना एवं दूसरे प्रधान के बनने से उनके द्वारा अपनी मान हानि समझने का कारण तथा इस प्रतिशोध के कारण हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के निर्धन श्रमिकों की सुविधायें छीन लेना एवं उनके साथ दुर्व्यवहारों को शुरू कर देने का कारण बताया। 2(2·94 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने ग्राम मे सवर्ण और हरिजन तथा पिछड़ी जाति के समूहों में नेतृत्व के लिए संघर्ष बढ़ जाने से ग्राम में उग्र दलों का निर्माण हुआ।

सर्वेक्षित ग्राम के पिछड़े वर्ग के 226 परिवार मुखियों में से 8(3·54) ने पिछड़ी एवं निम्न जातियों के द्वारा ग्राम के सवर्ण भूमिधरों को सामंतों जैसा सम्मान न देने से उनके द्वारा हरिजन एवं पिछड़ी जाति के लोगों के साथ तानाशाही का बर्ताव जिसे हरिजन एवं पिछड़ी जाति के लोग सहन न कर सके और नियंत्रण हेतु संघर्ष गुट का निर्माण किया इनमें से 20 (8·85 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के निर्धन श्रमिकों को जुआ खेलने हेतु कर्ज देकर ऊँची ब्याजदर पर समय पर वसूली कर्ज न वसूल होने पर उनके मकान, जानवर, जमीन गिरवी रखना

अन्यथा उन्हें बंधुआ मजदूर होने का कारण बताया। 2(·88प्रतिशत)सूचनादाताओं ने भू स्वामियों द्वारा हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को झूठे अभियोगों में फंसाना तथा उनके साथ न्याय का वर्ताव न करने का कारण बताया। 9(3·98प्रतिशत)सूचनादाताओं ने सवर्ण जाति के भू स्वामियों द्वारा हरिजन एवं पिछड़ी जाति के श्रमिकों को उचित मजदूरी न देकर उनकी सुविधायें छीन लेना बताया तथा 3(1·33 प्रतिशत) सूचनादाताओं द्वारा हरिजन एवं पिछड़ी जाति के लोगों द्वारा सवर्णों के विरुद्ध संगठन बनाकर उनका जातीय पेशा बन्द करने का कारण बताया। सर्वाधिक 110 (48·67प्रतिशत) सूचनादाताओं ने ग्राम के सवर्ण बड़े जमींदार तथा हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के नेता शिक्षक का परस्पर टकराव बताया तथा पुराने पुजारी के परिवर्तन कर देने का कारण बताया। 2(·88प्रतिशत)सूचनादाताओं ने प्राइमरी पाठशाला के प्रधान अध्यापक का नियमित प्रतिदिन विद्यालय पढ़ाने के लिए न जाने का कारण बताया 4(1·77प्रतिशत)सूचनादाताओं ने सवर्ण ग्राम के सबसे बड़े जमींदार ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी अनुदान का निजी कुएँ के निर्माण में प्रयोग कर लेने तथा तेली शिक्षक द्वारा जाँच करने पर दोषी पाये जाने पर दोनों दलों का निर्माण होने का कारण बताया 2 (·88प्रतिशत) सूचनादाताओं ने हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के श्रमिकों को उचित मजदूरी एवं पर्याप्त सुविधायें सवर्णों के द्वारा न दिये जाने के कारण तथा उन्हें बंधुआ मजदूर होने का कारण बताया। 25(11·06प्रतिशत)सूचनादाताओं ने हरिजनों के बेगार तथा अधिक घण्टों तक काम लेने तथा फसलों की चोरी, डकैती, बलात्कार तथा परस्पर अभियोग करने के कारणों को बताया। 41(18·14प्रतिशत) सूचनादाताओं ने ग्राम के सबसे बड़े ब्राह्मण जमींदार के 1972 के ग्राम प्रधान चुनाव में हार जाना जिसके प्रतिशोध में ब्राह्मण जमींदार द्वारा हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक सुविधायें

छीन लेना तथा उनके साथ नाना प्रकार के अमानुषिक दुर्व्यवहारों के करने का कारण बताया।

ग्राम के 87 हरिजन मुखियों में से 2(2·29प्रतिशत)सूचनादाताओं ने पिछड़ी एवं निम्न जातियों द्वारा उच्च जाति के बड़े भू स्वामियों का सामंतों जैसा सम्मान न देना तथा उनके तानाशाही के बर्ताव योन कलित करने का कारण बताया। 11(12·64प्रतिशत) सूचनादाताओं ने सवर्णों द्वारा हरिजन तथा पिछड़ी जाति के निर्धन सुविधाविहीन मजदूरों को जुआ खेलने हेतु कर्ज देकर समय पर वसूल न होने पर उनके जानवर, घर, मकान को गिरवीं रखना छीन लेना तथा इस पर अदा न होने पर उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने की प्रक्रिया का कारण बताया। 1(1·15प्रतिशत) सूचनादाताओं ने उन्हें कत्ल तथा झूठे अभियोगों में फंसाना तथा सवर्णों द्वारा उन्हें सही न्याय न प्रदान करने का कारण बताया। 7(8·04प्रतिशत) ने सवर्णों द्वारा हरिजन एवं पिछड़ी जाति के लोगों को उचित मजदूरी न देकर उनकी सुविधायें छीन लेने का कारण बताया। 2(2·29प्रतिशत) सूचनादाताओं ने सवर्णों के जातीय पेशा को हरिजन तथा पिछड़ी जाति के निर्धन मजदूरों द्वारा बन्द किये जाने का कारण बताया सर्वाधिक 33(37·93प्रतिशत) सूचनादाताओं ने मंदिर की जायदाद के लाभांश को लेने हेतु पुराने परम्परावादी ब्राह्मण जमींदार एवं प्राइमरी पाठशाला के प्रधान अध्यापक का परस्पर टकराव बताया। 3(3·45प्रतिशत)सूचनादाताओं ने सवर्ण ब्राह्मण प्रधान द्वारा सरकारी अनुदान का निजी हितों में प्रयोग करना तथाउचित व्यक्तियों को वितरित न करने का कारण बताया। 2(2·29प्रतिशत)सूचनादाताओं ने सवर्णों द्वारा हरिजन एवं पिछड़ी जाति के समूहों के मजदूरों को अल्प मजदूरी एवं अल्प सुविधायें देकर काम लेना, कर्ज युक्त होने पर उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने का कारण बताया। 8(9·19) ने हरिजनों से सवर्णों द्वारा बेगार तथाअराजक तत्वों द्वारा उनके फसलों की चोरी

डकैती, बलात्कार जैसे अभियोगों को करते हुए छिपाये करने का कारण बताया। 15 (17·24प्रतिशत) सूचनादाताओं ने इस ग्रामीण गुटबन्दी का कारण वर्ष 1972 में ब्रह्मण जमींदार के ग्राम प्रधान के चुनाव में हार जाने का कारण प्रतिशोध में उनके द्वारा हरिजन एवं पिछडे वर्ग की सुविधायें छीनकर उन पर अत्याचार का बर्ताव किये जाने का कारण बताया। 1(8·15प्रतिशत) सूचनादाता ने ग्राम में सवर्ण तथा हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के दलों में गुट निर्माण एवं संघर्षों का कारण ग्रामीण शक्ति संरचना में नेतृत्व के कारक को बताया तथा 2(2·29प्रतिशत) सूचनादाताओं ने छुआछूत की भावना उच्चवर्ग द्वारा निम्नवर्ग के साथ विशेष व्यक्त होने से उनके साथ घृणा एवं असम्मान पूर्ण बर्ताव का कारण बताया।

ग्राम के 19 मुसलमान परिवार मुखियों में से 3(15·79प्रतिशत) ने सवर्ण और हरिजन तथा पिछडे वर्ग के मध्य गुट बनने का कारण उन्हें सवर्णों द्वारा जुआ खेलने हेतु कर्ज देकर ऊंची ब्याजदर पर जबरन वसूली बताया। 4(21·05) सूचनादाताओं ने ग्रामीण प्रधान के चुनाव में ब्राह्मण जमींदार के हार जाने के कारण हरिजन एवं पिछडे वर्ग के श्रमिकों को सुविधायें बन्द कर देना तथा अपने खेती की मेड़ों से निकलना बन्द कर देने तथाउचित मजदूरी न देने का कारण बताया। 4(21·05) ने ग्राम के रामजानकी मंदिर की जायदाद के लिए पुराने ब्राह्मण जमींदार प्रधान एवं हरिजन तथा पिछड़ी जाति के नेता का परस्पर टकराव का कारण बताया। 3(15·78) सूचनादाताओं ने सवर्णों द्वारा हरिजनों से बेगार लेने अल्प मजदूरी में अधिक घंटे काम लेने तथा अराजक तत्वों द्वारा फसलों की चोरी, डकैती, बलात्कार जैसे जघन्य कार्यों के करने से गुट के निर्माण होने का कारण बताया। 5(26·31प्रतिशत) सूचनादाताओं ने ग्रामीण गुट बंदी का कारण परम्परावादी ब्राह्मण ग्राम प्रधान के 1972 के ग्राम पंचायत के चुनाव में हार जाने के प्रतिशोध में हरिजन तथा पिछडे वर्ग के मजदूरों

पर अत्याचार पूर्ण बर्ताव का कारण बताया।

सम्बन्धित ग्राम के विभिन्न जातियों के परिवार मुखियों के विचारों को ध्यान में रखते हुए इस ग्राम में गुटबन्दी के निम्नांकित कारण मुख्यरूप से हैं —

(1) ग्राम में सवर्ण एवं निम्न जातियों के मध्य उच्च एवं हीन भावना, छुआछूत की भावना का व्याप्त होना, जिससे परस्पर समान सम्मान का सम्बंध या बर्ताव न होना।

(2) सवर्ण बड़े भू स्वामियों द्वारा निर्धन हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के श्रमिकों को पर्याप्त सुविधायें एवं मजदूरी न प्रदान करके उनका आर्थिक शोषण (जुआ खेलने हेतु कर्ज देकर ऊँची ब्याज दर पर वसूल करना) बेगार लेना तथा बंधुआ मजदूर बनाने की प्रथा का प्रचलन।

(3) ग्राम के राम जानकी मंदिर की जायदाद के लाभांश लेने के लिए ग्राम के सबसे बड़े जमींदार परम्परागत ब्राह्मण ग्राम प्रधान एवं हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के नेता प्रा0 पा0 के शिक्षक का परस्पर टकराव तथा इसी सन्दर्भ में परस्पर अन्य संघर्षों की वृद्धि।

(4) परम्परागत ग्राम प्रधान ग्राम के सबसे बड़े जमींदार ब्राह्मण का ग्राम पंचायत 1972 के चुनाव में हार जाने के कारण ग्रामीण शक्ति संरचना का पिछड़े वर्ग के नव निर्वाचित लोहार नवयुवक का ग्राम प्रधान पद पर चयन होने से पुराने ब्राह्मण प्रधान द्वारा प्रतिशोध की भावना से हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के श्रमिकों की सुविधायें छीनकर नाना प्रकार के अमानुषिक एवं अत्याचार पूर्ण बर्तावों का किया जाना।

(5) ग्रामीण नेतृत्व के लिए सवर्ण वर्ग एवं हरिजन तथा पिछड़े वर्गों का संगठन एवं दलीय राजनीति का जन्मदाता है।

(6) भूमि का वितरण ग्राम डिघवट में इस प्रकार का है कि जहाँ एक ओर उच्चजाति के लोग बड़े भू स्वामी हैं एवं दूसरी ओर भूमिहीन एवं अल्प भूमि वाले अधिकतर

अनुसूचित एवं कुछ पिछड़ी जातिके लोग हैं, मध्यम वर्ग के स्वतंत्र कृषक के रूप में पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या भी पर्याप्त है और गुटवादी संघर्ष के नेतृत्व में मध्यम श्रेणी के स्वतंत्र कृषक वर्ग अग्रणी रहे हैं।

डा० वी०एन०सेठ के शोध प्रबंध में एरिक उल्फ तथा हमजा अल्वी की उपकल्पनायें —" कि एक ग्रामीण संघर्ष में मध्यम वर्ग के स्वतंत्र कृषक जो न बड़े भूस्वामियों के आधीन है और न ही वे भूमिहीन श्रमिकों का शोषण करते हैं, क्योंकि वे स्वयं अपने पारिवारिक श्रम से अपनी भूमि को जोतते हैं विद्रोह में क्रांतिकारी नेतृत्व निभाने के लिए सक्षम हैं, सिद्ध की है।

मेरे अध्ययन में भी डिघवट की गुटवादी क्रांति में मध्यम वर्ग के स्वतंत्र कृषक विशेषतया से साहू परिवार के शिक्षक एवं लोहार ग्राम प्रधान इत्यादि तथा कुछ अन्य लोगों ने प्रमुख भूमिका निभाई है।

संक्षेप में इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ग्राम डिघवट में गुटवाद को जन्म देने वाले कारकों मे अन्य कारकों के अलावा सबसे प्रमुख विभिन्न जाति समूहों के आर्थिक सुविधाओं और राजनैतिक शक्ति का असमान वितरण है।

डिघवट मे सुविधा एवं शक्ति सम्पन्न सवर्ण एवं सुविधा एवं शक्ति विहीन निर्धन हरिजन तथा पिछड़े गुट के मध्य गुटीय संघर्ष(क्रांति) के पश्चात् सुविधा एवं शक्ति विहीन निर्धन हरिजन एवं पिछड़े गुट के मजदूरों की स्थिति :-

संदर्भित अध्ययन ग्राम डिघवट में सवर्ण शक्ति एवं सुविधा सम्पन्न गुट तथा सुविधा एवं शक्ति विहीन निर्धन हरिजन एवं पिछड़े गुट मे परस्पर गुटीय संघर्ष 1970 से 1980 तक विशेष उग्र रूप में क्रांति का रूप धारण किये रहा। वर्ष 1972 से 1974-75 तक विशेष उग्र स्थिति गुटों में रही तत्पश्चात् गुटीय संघर्ष के लक्ष्यों में

सफलता प्राप्त होने की स्थिति स्पष्ट दर्शित होती है, यथा साक्षात्कार द्वारा ग्राम के विभिन्न जाति समूहों के बार बार मुखियों से तालिका संख्या 74 के विचारों से विदित होता है। (देखिये तालिका संख्या 74)।

तालिका संख्या 74

ग्राम डिध्वट में विगत तीन वर्षों से किस प्रकार की गुटीय समस्याओं का सुलझाव किया गया है?

क्रमसंख्या	उच्चवर्गीयजाति जाति समूह	पिछड़ावर्गीय जातिसमूह	हरिजनवर्गीय जातिसमूह	योग	मुस्लिम	योग
1-सामाजिक कुरीतियों में सुधार की प्रयास करना	11 (16·18)	17 (7·62)	3 (3·45)	31 (8 13)	शून्य	31 (7·75)
2-सामाजिक विवाद बाल अपराधों में रुकावट करना	3 (4·41)	17 (7·62)	10 (11·49)	30 (7·87)	1 (5·26)	31 (7·75)
3-जमीन संबंधी विवादों का निपटारा उचित मजदूरी दिलाने हेतु संघर्षों का सुलझाव आर्थिक शोषण की समाप्ति का प्रयास	7 (10·29)	116 (51·33)	47 (55·19)	170 (44·64)	8 (42·10)	178 (44·50)
4-धार्मिक अंधरूढ़ियों को तोड़ना	शून्य	2 (·89)	1 (1·149)	3 (·787)	शून्य	3 (·75)
5-शैक्षिक समस्याओं का निराकरण	1 (1·47)	8 (3·54)	3 (3·45)	12 (3·15)	शून्य	12 (3·00)
6-कुछ नहीं	46 (67·65)	66 (29·20)	23 (26·44)	135 (35·43)	10 (52·63)	145 (36·25)
कुलयोग	68 (100·0)	226 (100·0)	87 (100·0)	381 (100·0)	19 (100·0)	400 (100·0)

तालिका संख्या 74 में ग्राम डिघवट के विभिन्न जाति समूहों के समस्त परिवार मुखियों के द्वारा उने ग्राम में तीन वर्षों के कालान्तर में किस प्रकार की गुटीय समस्याओं का गुटीय नेताओं द्वारा सुलझाव किया गया है। उनके विचारों की सहमति के अनुसार निम्न जातीय हरिजन एवं पिछड़े वर्गों के मजदूरों की स्थितियों में प्रगतिशील सुधार दर्शित होता है।

संदर्भित ग्राम के 68 सवर्ण परिवार मुखियों में से 11(16·18प्रतिशत) ने ग्राम की सामाजिक कुरीतियों में ग्रामीण गुटीय संघर्ष (क्रांति) के बाद सुधार आया है। इनमें से 3(4·41प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि सामाजिक विवाद ग्रामीण अपराधों एवं बाल अपराधों में पर्याप्त नियंत्रण हुआ है। 7(10·29प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि ग्राम के विभिन्न जाति समूहों के मध्य जमीन संबंधी विवादों का निपटारा एवं हरिजन तथा पिछड़ी जातीय सुविधा विहीन निर्धन मजदूरों को उचित मजदूरी प्राप्त करने के संघर्ष में पर्याप्त सफलता मिली है एवं उनके आर्थिक शोषण बेगार एवं बंधुवा मजदूरी में नियंत्रण होकर उनकी स्थिति में आशातीत सुधार हुआ है। 1(1·47)सूचना दाता ने बताया कि ग्राम की शैक्षिक समस्याओं में भी सुधार हुआ है एवं शिक्षा की दिशा में शिक्षण संस्थाओं में नवीन प्रगतिशील विकास हुआ है। इनमें से 46(67·65) सूचनादाताओं ने बताया कि ग्राम में अभी गुटीय समस्याओं में कोई सुधार नहीं हुआ है।

ग्राम के 226 पिछड़े वर्गीय जातिसमूह के 17 (7·62प्रतिशत)सूचनादाताओं ने बताया कि हमारे नेताओं द्वारा प्रगतिशील सामाजिक कुरीतियों में सुधार किया गया है। 17(7·62प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि हमारी सामाजिक विवाद की समस्याओं में सुधार एवं ग्रामीण अपराधों एवं बाल अपराधों में पर्याप्त नियंत्रण हुआ है। 116(51·33प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि हमारी जमीन संबंधी विवादों का सही निर्णय उचित मजदूरी मिलने हेतु संघर्ष में सफलता आर्थिक शोषण बेगार एवं

बंधुवा मजदूरी की प्रथा में नियंत्रण होकर हमारी प्रगतिशील दशा में सुधार हुआ है। 2(3·54प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि ग्राम की शैक्षिक समस्याओं का निराकरण होकर शिक्षा की दिशा में प्रगति हुयी है।

ग्राम के 87 हरिजन परिवार मुखियों में से 3(3·45) ने ग्राम में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों पर्याप्त सुधार हुआ है। एवं लोकतांत्रिक सुविधा समानता के अवसरों में अब प्रगति के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, 10(11·49) सूचनादाताओं ने बताया कि ग्राम के सामाजिक विवाद एवं अपराधों में नियंत्रण पर्याप्त हुआ है, 47 (55·19प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि हमारी जमीनसंबंधी समस्याओं में उचित निर्णय तथा उचित मजदूरी प्राप्त होने लगी है तथा आर्थिक शोषण बेगार एवं बंधुवा मजदूरी कराने की सवर्णों की प्रथा में नियंत्रण हुआ है, 1(1·45प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि ग्राम में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वास की प्रथायें टूटने लगी हैं तथा 3 (3·45) सूचनादाताओं ने बताया कि ग्राम की शैक्षिक समस्याओं का निराकरण होकर शिक्षा की दशा में प्रगति हो रही है।

ग्राम के 19 मुसलमान परिवार मुखियों में से 1(5·26प्रतिशत) ने सहमति दी कि ग्राम के सामाजिक विवाद एवं अपराधों तथा बाल अपराधों में नियंत्रण हुआ है। 8(42·10प्रतिशत) सूचनादाताओं ने बताया कि हमारे जमीन संबंधी मामलों का निपटारा तथा मजदूरों को उचित मजदूरी दिलाने हेतु संघर्ष में लघु सफलता मिली है, इससे मजदूरों को उचित मजदूरी आर्थिक शोषण बेगार एवं बंधुवा मजदूरी की दिशा में आशातीत सुधार हुआ है।

संदर्भित ग्राम के 400 विभिन्न जाति के परिवार मुखियों से साक्षात्कार द्वारा ग्राम के सुविधा एवं शक्ति सम्पन्न सवर्ण एवं सुविधा विहीन एवं शक्ति विहीन निर्धन हरिजन एवं पिछड़ी जातिसमूह के गुट के मध्य गुटीय संघर्ष के पश्चात् शक्ति

हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की स्थिति में एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। ग्रामीण शक्ति संरचना में सुविधा शक्ति सम्पन्न सवर्ण गुट के राजनीतिक शक्ति के ह्रास तथा सुविधा एवं शक्ति विहीन निर्धन मजदूर गुट के द्वारा सवर्ण गुट का हिंसात्मक संघर्ष में मुकाबला करने के फलस्वरूप ग्राम के सवर्ण जमींदार ब्राह्मणों ने हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के निर्धन शक्ति एवं सुविधाविहीन मजदूर वर्ग के प्रति अपने दृष्टिकोण तथा व्यवहार में परिवर्तन किया है। इस गुटीय संघर्ष की क्रांति के पश्चात् ग्राम में एक अब सुविधा एवं शक्ति विहीन निर्धन हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ क्रूरता एवं अत्याचार का अमानुषिक बर्ताव नहीं दिखाई देता। ग्राम मे हरिजन एवं पिछड़े वर्ग समूह की स्थिति में निम्नलिखित सुधार उपर्युक्त सूचनादाताओं की स्वीकृति से प्रकाश मे आये हैं —

(1) अछूत जाति के लोग जो पहले उच्च जाति के निर्मित कुंओं से पानी निकालने से एक ब्राह्मणदूषित हो जाता था एवं अपने कुंए से पानी भरने को मना करता था। अब हरिजन स्वतंत्रता पूर्वक स्वेच्छा से उसी कुएं से पानी खींच सकते हैं किन्तु डोमार जाति के लिए अब भी निषेध जारी है।

(2) डिघवट के ब्राह्मण जमींदार ग्राम के हरिजन एवं पिछड़ी जाति के निर्धन एवं वंचित हरिजन को अशिष्ट एवं अपमान जनक भाषा में जैसा क्रांति के पूर्व पुकारते थे "ओ रे डोमार कहाँ जात हौ" अब वे पहले की तरह पुकारते नहीं हैं बल्कि शिष्ट भाषा में —' हरिदास कहा जा रहे हो?'

(3) अब डिघवट में निर्धन हरिजन एवं पिछड़ी जाति के औरतों का अपहरण एवं बलात्कार नहीं होता। पिछले तीन वर्षों से एक भी अपहरण का मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(4) हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के मजदूरों की मजदूरी में भी वृद्धि हुई है अब उन्हें

एक महीने में 100 रुपया या 120 रुपया तक ले या जाता है अथवा इसके विकल्प में 3 बीघे की उपज और 20 रुपया प्रतिमाह ले सकते हैं।

(5) काम के घण्टों में भी कमी हुई है अब वे प्रतिदिन 8-9 घण्टे ही काम करते हैं जबकि उन्हें पहले कम से कम प्रतिदिन 12 घण्टे काम करना पड़ता था।

(6) अब उन्हें ब्राह्मण जमींदार के खेतों में पहले ब्राह्मणों की बेगार करने के बाद अपने खेतों को जोतने की अनुमति थी अब वे उनकी अनुमति के बिना समय पर अपने खेतों की जुताई कर सकते हैं।

(7) ग्राम में गुटीय संघर्ष(क्रांति) के पूर्व सवर्ण बड़े भू स्वामियों के यहाँ एक या दो हरिजन एवं पिछड़ी जाति का निर्धन मजदूर कर्ज के कारण बंधुवा मजदूर था शनैः शनैः अब उन्हें बंधुवा मजदूरी से छुटकारा मिल चुका है अब वे मासिक अथवा वार्षिक उचित निर्धारित मजदूरी में काम करते हैं।

(8) भूमिहीन हरिजन एवं पिछड़ी जाति के लोगों को सवर्ण भू स्वामियों द्वारा पहले 4 बीघा से 7 बीघा तक की उपज वार्षिक मजदूरी रूप में दी जाती अब उनकी आवश्यकतानुसार बटाई के रूप में अथवा उसकी पारिश्रमिक क्षमता के अनुसार आवश्यकतानुसार उसे भूमि प्रदान की जाती है जिससे ये निर्धन मजदूर अपनी आर्थिक दशा में सुधार एवं कर्ज से मुक्त हो सके।

(9) गुटीय संघर्ष के पश्चात् हरिजनों ने ब्राह्मणों को अपने यहाँ आते देखकर चारपाई से खड़ा होना, हाथ जोड़कर प्रणाम करना आदि क्रियायें भय के कारण जो पहले करते थे छोड़ दिया है। स्वाभाविक रूप से वे आपस में मिलते हैं।

(10) ब्राह्मण जमींदार अब हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के विवाह तथा अन्य उत्सवों में सम्मिलित होते हैं। ऊंच एवं हीन भावनाओं के विचारों में लोकतांत्रिक आधुनिक परम्पराओं का विकास हुआ है। अब सवर्ण लोग उन्हें घृणा एवं अस्पृश्य की दृष्टि से

बर्ताव न कर मानवता का समान बर्ताव की दिशा में अग्रसर हुए हैं।

(11) हिंसात्मक गति विधियों में नियंत्रण लाने हेतु पुलिस के निर्धन सुविधा एवं शक्ति विहीन हरिजन एवं पिछडे वर्ग के संरक्षण हेतु उनकी समस्याओं में रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया है। पुलिस प्रशासन को भी भारत सरकार के गृहमंत्रालय की रिपोर्ट1981-82 के अध्याय 2 कानून और आदेश — हरिजन जातियों के विरुद्ध अपराध " हरिजन जातियों के विरुद्ध अपराध अनवरत बढ़ने से 19 मार्च 1980 को गृहमंत्रालय ने प्रांतीय सरकारों को विस्तृत निर्देश इस दिशा में सुधार हेतु स्वीकृत किये, विशेषकर अपराधी जनपदों में भ्रष्ट तरीकों से लाइसेन्स के आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग में नियंत्रण जैसे डकैती के अवसरों पर जनता को प्रदत्त अधिकारों पर नियंत्रण एवं परीक्षण के कठोर आदेश दिये।" अतः भारत सरकार भी अपने नियम कानूनों के आदेशों द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही द्वारा हरिजन एवं पिछडे वर्ग के निर्धन मजदूरों पर होने वाले अपराधों पर पर्याप्त नियंत्रण का प्रयास कर रही है।

अष्टम अध्याय

सदर्भित शोध अध्ययन ग्राम डिघवट में ग्रामीण गुटवाद के समाजशास्त्रीय अध्ययन द्वारा डिघवट ग्राम में गुटनिर्माण के आधारभूत कारणों के अन्वेषण हेतु अभी तक के अध्यायों में जो निष्कर्ष एवं तथ्य प्रकाश में आये, उनका समावात्मक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत अध्याय में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है।

सामाजिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त विवरण :-

(अ) जनसंख्या की दृष्टि से :-

शोध अध्ययन ग्राम डिघवट में समस्त जातियों के कुल 400 परिवार निवास करते हैं, जिनमें 68 परिवार उच्चजाति समूह के अन्तर्गत ब्राह्मण 54, वैश्य 10, कायस्थ 4, सम्मिलित हैं, जो ग्राम के कुल परिवारों के 17 प्रतिशत हैं।

पिछड़े वर्ग समूह के अन्तर्गत 16 जातियों के 226 परिवार (56.50%) निवास करते हैं जिनमें सुनार 4, अहीर 38, बढ़ई 6, माली 8, लोहार 21, कहार 3, केवट 54, नाई 5, तेली 7, दर्जी 3, भरभूँजा 3, आरख 13, पटवा 4, कुम्हार 48, कलार 1, गड़रिया 8, हैं। हरिजन जाति समूह के मात्र 87 परिवार (21.75 प्रतिशत) जिनमें कोरी जाति के 17, चमार 66, धोबी 1, बेमार 3 हैं। इसके अतिरिक्त इस ग्राम में 19 मुसलमान जाति के परिवार भी हैं जिनमें शेख 9, फकीर 1, बेहना 9 निवास करते हैं, जिनका प्रतिशत 4.75 है।

अध्ययन की दृष्टि से संदर्भित ग्राम को तीन जाति समूहों के अन्तर्गत अध्ययन किया गया है, जिसमें सर्वाधिक जाति समूहों में परिवारों की संख्या 226 परिवार (56.50 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत 16 जाति समूह के हैं। यद्यपि अतीत काल में यह ब्राह्मण बाहुल्य गाँव था तथा उच्चजाति समूह के ब्राह्मण परिवारों की ही जमींदारी अनवरत शुरू से रही है, वे ही गाँव के एकाधिकार पूर्ण प्रशासक रहे,

एवं ग्रामीण शक्ति संरचना का नियंत्रण भी उन्हीं के हाथ रहा।

जनगणना 1971 बांदा जनपद के अनुसार इस गाँव की जनगणना 2,417 थी जिसमें 1245 पुरूष, 1172 स्त्रियाँ थीं। हमारे अध्ययन काल 1977-78 तक इसमें वृद्धि होकर 2569 आँकी गयी। जिसमें 712 पुरूष, 745 स्त्री, 1112 बच्चे पाये गये, अतः 1971 से 1977-78 तक कुल 152 सदस्यों की नई संतति की वृद्धि हुई।

ग्राम की पूर्ण जनसंख्या 2569 है जिनमें सवर्ण जाति समूह 495 (19·26 प्रतिशत) पिछड़ा जाति समूह के 1416 (55·11 प्रतिशत) और हरिजनजाति समूह के 548 (21·33 प्रतिशत) मुस्लिम परिवारों के 110 (4·35 प्रतिशत) परिवार हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक गाँव की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की 16 जाति समूहों की 1416 (55·11 प्रतिशत) है।

ग्राम का शैक्षिक स्तर :–

शिक्षा का स्तर ही सामाजिक विकास का मुख्य साधन एवं मापदण्ड है। शैक्षिक विकास की प्रक्रिया ही मानव समाज में जागरूकता, बौद्धिकता एवं दक्षता प्रदान करता है। शिक्षित समाज का वर्ग ही समाज में समाज स्वीकृत प्रतिमानों (नैतिक मूल्यों) की प्रतिष्ठा, नागरिकता के अधिकार, कर्तव्य एवं न्याय तथा समानता की माँग करता है, सरकार से सामाजिक अपराधों (पुरूष एवं महिलाओं से संबंधित) एवं अनाचारों के प्रतिरोध एवं नियंत्रण की माँग एवं इस दिशा में यथोचित वैधानिकताओं के पालन की प्रेरणा देता है।

जनगणना 1971 के अनुसार संबंधित अध्ययन ग्राम डिघवट की जनगणना 2417 थी जिसमें साक्षर 493 थे, 385 पुरूष एवं 108 महिला सदस्य थे। साक्षरता का प्रतिशत 20·39 था, निरक्षर सदस्यों की संख्या 1924 थी। इस निरक्षरता का

प्रतिशत 39•61 था। इस अध्ययन में इस गाँव की 1978 में जनगणना हमारे सर्वेक्षण के अनुसार 2, 569 थी, जिसमें 782 सदस्य साक्षर है, जिसका प्रतिशत 30•44है, एवं निरक्षर सदस्यों की संख्या 1787 हैजिसका प्रतिशत 69•56 है। 1971 के पश्चात् व्यक्तियों में कुछ ही वर्षों में (1977-78 तक) साक्षरता की दिशा में 10•05प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं जनसंख्या में 152 सदस्यों की वृद्धि हुई।

जातीय समूहों के अनुसार इस ग्राम का शैक्षिक स्तर उच्चजाति समूह के 68 परिवारों में कुल सदस्य संख्या 495 है, जिनमें निरक्षर 149(30•10प्रतिशत) है, एवं साक्षर346 है जिसका प्रतिशत 69•90 है, पिछड़े जाति समूह के 226 परिवारों में सदस्यों की कुल संख्या 1416 है जिसमें निरक्षर 1068 हैं जो 75•43प्रतिशत है, एवं साक्षर 348 जो 24•57 प्रतिशत है। हरिजन जाति समूह के 87 परिवारों में कुल 548 सदस्य हैं जिनमें निरक्षर 467 जिसका प्रतिशत 85•22 है, तथा साक्षर 81 सदस्य जो मात्र 14•78 प्रतिशत है।

इस ग्राम में 19 मुसलमान परिवारों में मात्र 110 सदस्य है जिनमें निरक्षर 103 सदस्य हैं जो 93•64 प्रतिशत हैं तथा साक्षर 7 सदस्य हैं जो मात्र 6•36 प्रतिशत हैं।

किन्तु सर्वेक्षण काल में ग्राम निरीक्षण से यह विदित हुआ कि उच्चवर्ग के शिक्षित व्यक्ति ग्राम से सुदूर कुछ जनपद बाँदा में वकालत एवं अन्य पेशों में संलग्न हैं। पिछड़े वर्ग एवं हरिजन वर्ग का साक्षरता प्रतिशत उच्च वर्ग से कम होने के बावजूद भी इस वर्ग के अधिकांश सदस्य ग्राम के निकट प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षक एवं ग्राम में पर्याप्त संख्या में उच्च शिक्षित व्यक्ति अन्य सेवाओं में संलग्न हैं ग्रामीण सामाजिक एवं शैक्षिक विकास की दिशा में (सेवाश्रम जूनियर हाई स्कूल के संस्थापक ग्राम के एक तेली पिछड़ी जाति शिक्षक) एवं एक लोहार (पिछड़ीजाति) प्रधान शिक्षक एवं लोहार ग्राम प्रधान अत्यधिक जागरूक मिले।

उच्चजाति समूह की दमनकारी, शोषक एवं आतंकवादी गतिविधियों का विरोध संगठित हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के मध्यम भूसीमा वाले व्यक्तियों ने राजनैतिक ध्रुवीकरण की चेतना जागृत कर दोनों वर्गों का एक संगठित दल निर्माण कर संवैधानिक लोकतांत्रिक समानता के कानून पालन की दिशा में उच्चजाति के अपराधी प्रवृत्तियों के नियंत्रण में इस ग्राम के शिक्षित नवयुवकों का ही तन मन धन से समर्पणकारी नेतृत्व रहा।

शैक्षिक प्रबुद्धता की चेतना ने इन्हें लोकतांत्रिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण द्वारा ग्राम प्रशासन में पंचायती राज एक्ट द्वारा ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान एवं सदस्यों की कार्यपालिका में अपने दल के सदस्यों के बहुमत की सहभागिता द्वारा ही ग्राम विकास योजनाओं को प्रदत्त सरकारी अनुदान का सदुपयोग, ग्राम प्रशासन को हस्तान्तरित करने से ही सम्भव है।

हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के सदस्यों के सम्मिलित दल के संगठन नेता ने ग्रामीण विकास की समस्याओं एवं दलगत समस्याओं के निदान हेतु ऐसी एक नवीन दिशा का मार्गदर्शन किया।

ग्राम की आर्थिक संरचना :--

भूस्वामित्व की दृष्टि से इस ग्राम की कुल कृषि भूमि 5,551 बीघा है। जिसमें से उच्चजाति समूह के 68 परिवार मुखिया जो ग्राम के कुल परिवार मुखिया 400 का मात्र 17 प्रतिशत है, इनके पास 2,501 बीघा भूस्वामित्व है जो ग्राम की कुल भूस्वामित्व का 45.06 प्रतिशत है, कुछ ही सवर्ण बड़े जमींदारों के हाथ में केन्द्रित है।

पिछड़े वर्ग के 16 जाति समूह के 226 परिवार मुखियों के सर्वाधिक जनसंख्या वाले (56.50 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग के पास 2,418 बीघा भूस्वामित्व है,

जिसका प्रतिशत 43·54 है जो उच्चजाति समूह के कुल भूस्वामित्व से अति अल्प अन्तर प्रदर्शित करता है। इस वर्ग में मध्यम भू स्वामित्व वाले व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या है, यथा 6-20 बीघा भूस्वामित्व वाले 31 सदस्य, 21-100 बीघा भू स्वामित्व वाले 14 सदस्य एवं वृहद् भू स्वामित्व वाले 101-300 बीघा भू स्वामित्व वाले सदस्यों की संख्या 2 है। इस प्रकार पिछड़े वर्ग के मध्यम भू स्वामित्व रखने वाले ये वे कृषक हैं, जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। ये उच्च वर्ग के बड़े भू स्वामियों के अधीनस्थ नहीं हैं, ये अपने पारिवारिक श्रम द्वारा अपने खेतों की कृषि क्रियायें सम्पन्न करते हैं, अतः उच्च वर्ग पर आश्रित नहीं हैं और न ये भूमिहीन हरिजन खेतिहर मजदूरों का आर्थिक शोषण करते हैं।

हरिजन जाति समूह के 87 परिवारों (21·75 प्रतिशत) के पास 503 बीघा भू स्वामित्व है, जो 9·07 प्रतिशत अति अल्पतम भूमि का द्योतक है, अधिकांश भूमिहीन एवं अल्प भू स्वामित्व वाले खेतिहर मजदूर उच्चजाति समूह के खेतिहर मजदूर के रूप में ही जीवन यापन हेतु बाध्य हैं, अन्यथा गाँव के बाहर अन्य गाँवों या शहरों में मजदूरी पर जीवन यापन कर एवं सेवा पर निर्भर हैं।

ग्राम में मात्र 19 मुस्लिम परिवार हैं, जिनका प्रतिशत 4·75 है, इनके पास 120 बीघा भू स्वामित्व है, जो ग्राम की कुल भूमि का 2·33 प्रतिशत अतिअल्प है।

पिछड़े वर्ग के मध्यम भू सीमा वाले आत्मनिर्भर सदस्यों ने ही हरिजनवर्ग के निर्धन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के संरक्षण हेतु सवर्ण बड़े जमींदारों के आर्थिक शोषण अत्याचारों में नियंत्रण हेतु लम्बे कर्जों से दमित बंधक मजदूरों को इन सामाजिक बुराइयों से निराकरण हेतु संगठित नियंत्रक दल निर्मित कर सक्रिय सहयोग किया।

ग्राम की व्यावसायिक स्थिति एवं व्यावसायिक गतिशीलता

अध्ययन की दृष्टि से ग्राम के 400 परिवारों को तीन जाति समूहों में वर्गीकृत किया गया है, उच्चजाति समूह के 68 परिवारों में से 35 निजी खेती करते हैं, 17 बटाई से खेती कराते एवं कृषि श्रमिक हैं। इस प्रकार कुल 53 परिवार कृषि व्यवसाय में संलग्न हैं जिनका प्रतिशत 77·95 है। उच्च वर्ग के 68 परिवार भूमियों में सभी भू स्वामित्व रखते हैं।

पिछड़े वर्ग में कुल 226 परिवार हैं जिनमें से 137 निजी खेती, 12 बटाई से खेती कराते हैं एवं मात्र 38 कृषकों के पास अति अल्प भू स्वामित्व के कारण कृषि श्रमिक के रूप में कृषि व्यवसाय से संबंधित हैं। इस प्रकार कुल 187 परिवार जिनका प्रतिशत 82·74 है, कृषि व्यवसाय में संलग्न हैं। इस वर्ग में मात्र एक परिवार (कलार) भूमिहीन है।

हरिजन वर्ग समूह में 87 परिवार हैं, जिनमें 27 निजी खेती करते हैं, बटाई से खेती कराने वालों की संख्या 4 है एवं 34 परिवार कृषि श्रमिक के रूप में कृषि व्यवसाय पर आश्रित बड़े भू स्वामियों के खेतिहर मजदूर हैं, इस जाति समूह में इनकी संख्या सर्वाधिक है जो इनकी निर्धनता व्यक्त करती है इस प्रकार 87 परिवारों में से 65 परिवार जो 74·72 प्रतिशत हैं, कृषि व्यवसाय पर निर्भर हैं।

इस ग्राम में 19 मुस्लिम परिवार हैं, जिनमें से 7 निजी परिवार मुखिया निजी खेती करते हैं एवं 11 कृषि श्रमिक के रूप में कृषि व्यवसाय में संलग्न हैं, कुल 18 परिवार 94·74 प्रतिशत कृषि व्यवसाय पर निर्भर हैं।

सरकारी नौकरी, वकालत, विद्यालय में शिक्षक, सैनिक आदि सरकारी गैर सरकारी सेवा के रूप में सहायक व्यवसाय में उच्चजाति समूह के 12परिवार मुखिया (17·65 प्रतिशत) पिछड़े वर्ग में 7 परिवार मुखिया (3·09प्रतिशत) एवं अनुसूचित जाति समूह के 2 परिवार मुखिया (2·29 प्रतिशत) नौकरी पर निर्भर हैं।

दूकानदारी के व्यवसाय मेंग्राम के उच्चजाति समूह के 2 परिवार मुखिया (2·14 प्रतिशत), पिछड़े वर्ग के 7 परिवार मुखिया (3·09 प्रतिशत), हरिजन में शून्य एवं मुस्लिम में 9 परिवार (2·25 प्रतिशत) दूकानदारी के सहायक व्यवसाय में संलग्न हैं।

दक्ष व्यवसाय के रूप में जातीय व्यवसाय से संबंधित उच्चजाति समूह में शून्य, पिछड़े वर्ग में 23 परिवार मुखिया (19·19प्रतिशत), अनुसूचित वर्ग के 20 परिवार मुखिया (22·99प्रतिशत) चमड़ा रंगने के काम में निर्भर रहते हैं। मुस्लिम जाति समूह का एक मुसलमान सिलाई का काम (5·26प्रतिशत) करता है।

अदक्ष व्यवसाय के रूप में जैसे जल भरना, पशु चराना एवं चौकीदारी का काम उसमें उच्चवर्ग से एक बनिया परिवार का मुखिया चौकीदार (1·07प्रतिशत) पिछड़े वर्ग से एक कहार परिवार जल भरने का एवं एक अहीर परिवार पशु चराने का काम करता है। इस प्रकार कुल 2 परिवार (·89 प्रतिशत) इन कार्यों के व्यवसाय से संबंधित है।

<u>व्यावसायिक गतिशीलता</u> :—

ग्राम के उच्चजाति समूह पिछड़ा वर्ग एवं हरिजन वर्ग में व्यावसायिक गतिशीलता दादा की पीढ़ी में, पिता की पीढ़ी में या स्वयं के काल में किस पीढ़ी में अधिक गतिशील हुई यह ज्ञात करने हेतु तीनों समूहों की व्यावसायिक गतिशीलता

प्रदर्शित है।

उच्चजाति समूह के 68 परिवार मुखियों की दादा की पीढ़ी में व्यवसाय परम्परागत रहे, पिता की पीढ़ी में एक परिवार मुखिया ने व्यवसाय बदला जो 1.47 प्रतिशत व्यावसायिक गतिशीलता व्यक्त करता है। स्वयं की पीढ़ी में 7 परिवार मुखियों ने व्यवसाय बदला जिसका प्रतिशत 10.29 है। शेष 60 परिवार मुखिया(88.24 %) परम्परागत व्यवसाय पर ही निर्भर हैं। पिछड़े वर्ग के 226 परिवार मुखियों में से 40 परिवार मुखियों ने अपना व्यवसाय बदला जो 17.69 प्रतिशत व्यावसायिक गतिशीलता व्यक्त करते हैं। पिता की पीढ़ी में 37 परिवार मुखियों ने परम्परागत व्यवसाय बदला जिनकी व्यावसायिक गतिशीलता 16.37 प्रतिशत है, एवं स्वयं की पीढ़ी में 23 परिवार मुखियों ने अपना परम्परागत व्यवसाय बदला जिसकी व्यावसायिक गतिशीलता 10.18 प्रतिशत है। इस प्रकार उच्च वर्ग की तुलना में पिछड़े वर्ग में व्यावसायिक गतिशीलता अधिक तीव्रता से आ रही है। शेष 126 परिवार मुखिया परम्परागत अपने व्यवसाय को अपनाये हुए हैं जिनका प्रतिशत 55.76 है।

हरिजन वर्ग में 87 परिवार मुखियों के परिवार निवास किए हुए हैं। जिनमें से दादा की पीढ़ी में 26 परिवार मुखियों ने अपना परम्परागत व्यवसाय बदला जिसका प्रतिशत 29.89 है अतः इस वर्ग की व्यावसायिक गतिशीलता सर्वाधिक है। स्वयं की पीढ़ी में व्यवसाय बदलने वालों की संख्या 15 है जिन परिवार मुखियों ने व्यवसाय बदला वे 17.24 प्रतिशत हैं। मात्र 26 परिवार मुखियों ने परम्परागत व्यवसाय का अनुकरण किया इनका प्रतिशत 29.89 है, ये परम्परागत व्यवसाय अपनाये हुए हैं, जो समस्त जाति समूहों से न्यूनतम है।

इस प्रकार व्यावसायिक गतिशीलता बौद्धिक विकास एवं चेतना की तीव्रतर गति को व्यक्त करने वाले परिवार मुखियों का इस ग्रामीण अंचल का एक प्रमुख कारक यह है कि यहाँ उच्चजाति समूह एवं पिछड़े वर्ग के परिवार मुखियों के पास पर्याप्त भूमि है हरिजन जाति समूह के परिवार भूमिहीन एवं अल्प भू-स्वामित्व रखने वाले हैं।

उच्चजाति समूह की व्यावसायिक गतिशलता 11.76 प्रतिशत है, इससे अधिक पिछड़े वर्ग के अल्प भू-सीमा वाले परिवार मुखियों की 44.24 प्रतिशत है एवं इनसे अधिक अनुसूचित जाति के अल्प एवं सर्वाधिक भूमिहीन परिवार मुखियों की व्यावसायिक गतिशीलता उच्च एवं पिछड़ी जाति समूह से अधिक 70.11 प्रतिशत है जो इस जाति समूह के लोगों द्वारा जीवन में व्यवस्थापन हेतु जीविका उपार्जन हेतु संघर्ष शील परिस्थितियों में विभिन्न व्यवसायों में गतिशील होकर जीवित रहने हेतु व्यवसायों में अनुकूलन स्थापित किया, यह निर्धन भूमिहीन हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की बौद्धिक जागरूकता प्रगतिशीलता का द्योतक है। (देखिये तालिका संख्या)।

गुटीय संघर्ष का कारण

संदर्भित अध्ययन ग्राम किचवट के शिक्षित हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के नवयुवकों ने सवर्ण बड़े भू स्वामी शोषक वर्ग संयुक्त हिन्दू जाति व्यवस्था की दृढ़ता को समझने का प्रयास किया।

संदर्भित अध्ययन ग्राम के हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के भूमिहीन, निर्धन दमित एवं शोषित समूह में लोकतांत्रिक वैधानिकताओं की जानकारी द्वारा उनमें समानता की सुविधाओं और अधिकारों की जागरूकता एवं चेतना का संचार हुआ, उन्होंने लोकतांत्रिक वैधानिकताओं का प्रश्रय लेकर सवर्ण भूमिधरों के दमनकारी प्रताड़न का एवं आर्थिक शोषण को अनवरत बहुत वर्षों से सहन करने के पश्चात् अपनी कुछ

न्यायोचित वैधानिक माँगें सवर्ण उच्चजाति समूह के समक्ष जो हिन्दू जाति व्यवस्था में व्यावसायिक प्रश्रय देने वाले जजमान को कहे जाते हैं, अपनी माँगे रखीं। उच्चजाति समूह ने उनकी माँगों को स्वीकार नहीं किया। उनकी माँग बढ़ती हुई महँगाई की परिस्थितियों में उचित मजदूरी एवं तत्सम्बन्धी सुविधायें थीं। उच्चजाति समूह के एकाधिकार पूर्ण शोषक दमनकारी नीतियों के विरुद्ध हरिजन एवं पिछड़े वर्ग ने आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया।

सवर्ण उच्चजातीय बड़े भूमिधरों ने अपने कृषि व्यवसाय में अधिक लाभांश (अधिक आर्थिक उत्पादन) लेने के उद्देश्य से हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के श्रमिकों अथवा जजमानों का जातिय पेशा करने वाले (कमीन) वर्ग से प्रतिदिन आठ घण्टों से अधिक काल अवधि तक काम, अल्प वेतन अथवा कम मजदूरी देकर लेना या कराना। समय- समय पर आवश्यकतानुसार बेगार लेना (मुफ्त काम लेना) अथवा बंधक मजदूर बनाने की प्रथा को अपना वैधानिक आदर्श प्रतिमान स्वीकृत करना और उनके द्वारा निर्धारित इन प्रतिमानों या मानदण्डों को हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के अल्प कृषि एवं भूमिहीन श्रमिक या कमीन जाति समूहों द्वारा उन्हें अनवरत वर्षों से स्वीकार किया गया है। अब स्वीकार न करने पर उन्हें अनुत्तरदायी (गैर जिम्मेदार) काम से जी चुराने वाले और वैधानिकताओं को न करने वाले आरोंं से सम्बोधित किया। हरिजन जाति एवं पिछड़ी जाति समूह के द्वारा भारत के असंख्य गाँवों में सवर्णों के उपर्युक्त सामाजिक प्रतिमानों को सतत मानते चले आना यह उनकी पराश्रितता एवं असहाय होने की दशा प्रतीत होती है। यह उनकी गरीबी, राजनैतिक चेतना एवं राजनैतिक संगठन की कमजोरी प्रदर्शित करती है। जिसे वे अपनी बिना इच्छा से जबरन इस अन्यायपूर्ण शोषण पूर्ण उनकी वैधानिकता को स्वीकार करते चले आ रहे हैं। किन्तु भारत के समस्त गाँवों में इस सामाजिक आर्थिक विषमता को सभी गाँव स्वीकार नहीं कर सके।

सवर्ण उच्चजाति के बड़े-बड़े भूमिधरों के अन्याय, अमानुषिक प्रताड़न, आर्थिक शोषण की व्यवस्था बंधक मजदूर बनाने की कुप्रथाओं में विभिन्न रूपों में शताब्दियों से परिवर्तन भी आये, जिससे हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह के लोगों में तनाव, अंतर्क्रिया, विरोधी हिंसा के प्रतिरोधी स्वरूप भी किन्हीं किन्हीं गांवों में प्रदर्शित हुए। सवर्ण बड़े भू स्वामियों के इन अमानुषिक प्रताड़न एवं आर्थिक शोषण व्यवस्था के अन्यायपूर्ण बर्ताव में वैधानिक सुधार एवं नियंत्रण के प्रयास भी बहुत से गांवों में देखे गये। बांदा जनपद भोडधवट एक ऐसा ही ग्राम है, जिसने समकालीन समय में सवर्ण उच्चजातीय बड़े भू स्वामियों के अनुचित एवं अमानुषिक कृत्यों, अन्याय, भ्रष्टाचार आर्थिक शोषण पूर्ण व्यवस्था में सुधार, नियंत्रण हेतु दमित शोषित कृषि - मजदूर हरिजन जातियों एवं पिछड़ी जातियों का प्रश्रय देने वाले पिछड़ी जाति के पर्याप्त मध्यम भूस्वामियों से संयुक्त वर्ग ने विरोधी सैनिक संगठन युक्त गुट का निर्माण करके सवर्ण उच्चजातीय गुट के विरुद्ध हरिजन एवं पिछड़ी जातीय अल्प भूमिहीन एवं मध्यम भू सीमा वाले वर्ग द्वारा संगठित सैनिक गुट के क्रांतिकारी संघर्ष का इतिहास ग्रामीण गुटवाद का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। उच्चजातीय बड़े भू स्वामी शोषक वर्ग तथा हरिजन एवं पिछड़ी जातीय शोषित वर्ग के मध्य सामाजिक आर्थिक विषमता एवं आर्थिक शोषण के विरुद्ध क्रांतिकारी गुटीय संघर्ष में दो दशकों के कालान्तर में 12 व्यक्तियों की हिंसा हुई।

विगत सदर्भित अध्याय में हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह के अल्पभूमि भूमिहीन, निर्बल, निर्धन, दमित समूह एवं पर्याप्त मध्यम भूस्वामित्व रखने वाले सुविधाविहीन किन्तु स्वतंत्र, स्वयं आश्रित पिछड़े वर्ग के गुट ने हरिजन वर्ग के संरक्षण हेतु सैनिक संगठन के गुट तथा सवर्ण उच्चजातीय वृहद् भू सीमा वाले ब्राह्मणों द्वारा एकाधिकारी सामन्तशाही पूर्ण सुविधा सम्पन्न एवं राजनैतिक शक्ति सम्पन्न

अधिनायकवादी गुट के परस्पर गुटीय संघर्षों की पृष्ठभूमि के आधार एवं उन कारणों पर विवाद एवं विवेचन तथा सत्य घटनाक्रम प्रस्तुत किये जो इस ग्राम के गुटों के निर्मित होने एवं गुटों के निर्माण के आधारभूत कारकों पर पर्याप्त प्रकाश डाल चुके है। गुट निर्माण के पूर्व से वहाँ की परस्पर वैयक्तिक दुश्मनी जाति एवं भूमि और यौन अपराधों से संबंधित तनाव, जिन्होंने क्रांतिकारी परस्पर विरोधी भावनाओं द्वारा संघर्षशील गुटों का प्रादुर्भाव किया। परिणाम स्वरूप अपराधों में परिणित होकर गुटों की प्रवृत्ति सवर्ण उच्चजातीय बड़े भू स्वामियों द्वारा अधिनायकवादी नीति का अनुसरण करने वाला स्वतंत्र गुट तथा हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूहों का अल्पभूमि, भूमिहीन एवं पर्याप्त मध्यम एवं वृहद् भू सीमा वाले स्वयं आश्रित सकल स्वतंत्र विचारधारा वाले न्याय संयुक्त राजनैतिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया द्वारा बहुसंख्यक हरिजन एवं पिछड़ेवर्ग के सबल गुट का निर्माण कर राजनैतिक चेतना जागृत कर जिन्होंने परम्परागत ब्राह्मण बड़े भूस्वामी को एवं उसकी ग्राम पंचायत (1967) के बहुमत विजयी सदस्यों की ग्रामीण शक्ति संरचना को चुनौती देकर ग्रामीण प्रशासनिक शक्ति संरचना के केन्द्र ग्रामीण पंचायत के प्रधान पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी के सदस्यों सहित अत्यधिक बहुमत के साथ वर्ष 1972 में विजयी हुए एवं उच्चजातीय ब्राह्मण जमींदार के हाँथों से ग्रामीण शक्ति संरचना के पद ग्राम प्रधान स्वयं बहुमत में सदस्यों के साथ विजयी होकर हस्तान्तरित कर अपने हाँथों में संचालन लोकतांत्रिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण की वैधानिकताओं का प्रश्रय लेकर किया। तत्पश्चात् उच्चजातीय बड़े भू स्वामियों के प्रतिशोध की आतंकवादी एवं हिंसात्मक दमननीति का बदला खून के बदले खून के रूप में लिया एवं उनके आतंकवाद को समूल नष्ट कर दिया एवं ग्राम में सामान्य स्थिति कायम की।

आर्थिक असमानता

(अ) भूमि का असमान वितरण :-

भारत के ग्रामीण अंचल में ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि व्यवसाय में उत्पादन भूमि की उर्वरा शक्ति तथा भू सीमा पर उत्पादन की मात्रा निर्भर करती है।

सदंर्भित अध्ययन ग्राम डिघवट में ग्राम के समस्त जाति समूहों के कुल 400 परिवार हैं जिनमें से सवर्ण जाति समूह के 68 परिवार मुखिया हैं जो न्यूनाधिक मात्रा में समस्त भूस्वामी हैं। इनमें ब्राह्मण 54 परिवार मुखिया, बनिया 10, एवं कायस्थ 4 परिवार मुखिया हैं। इस प्रकार इनका प्रतिशत 17 है, इस सवर्ण जाति समूह में ब्राह्मणों के 4-5 परिवार बड़े जमींदार हैं, जिनके पास 100-300 बीघा भूसीमा है। ग्राम की कुल भूमि 5,551 बीघा है जिसमें से 2,571 बीघा भूमि सवर्ण जाति समूह के 68 परिवार मुखियों के पास है जो कुल भूमि का 45.06 प्रतिशत है। पिछड़े वर्ग समूह की 16 जातियों के 226 परिवार मुखियों (56.57 प्रतिशत) के पास 2418 बीघा भूमि है जो कुल भूमि का 43.54 प्रतिशत है।

हरिजन वर्ग में मात्र चार जातियाँ — धोबी, चमार, कोरी, डोमार — इस गाँव में निवास करती हैं। इनकी कुल परिवार संख्या 87 है जो ग्राम की कुल परिवार संख्या का 21.75 प्रतिशत है। इस वर्ग के पास 503 बीघा कुल भू स्वामित्व है, जो 9.07 प्रतिशत अति अल्पभूमिस्वामित्व प्रदर्शित करता है।

इस ग्राम में मात्र 19 परिवार मुखियों या 4.75 प्रतिशत मुस्लिम जाति समूह भी निवास करता है, जिनका भूस्वामित्व कुल 120 बीघा है जो कुल ग्राम की भूमि का 2.33 प्रतिशत अति अल्पतम है।

ग्राम में ग्राम की कुल भूमि का ग्राम के विभिन्न जाति समूहों में वितरण अत्यधिक विषमता प्रगट करता है जैसा कि उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है। उच्चवर्ग के मात्र 68 परिवार मुखियों (17प्रतिशत) में से 3-4 ब्राह्मण बड़े जमींदारों के पास ही सर्वाधिक बड़ी जोत सीमा (वृहद् भू स्वामित्व) के भूमिधर हैं शेष सवर्ण जाति समूह के परिवार मुखिया मध्यम भू सीमा वाले हैं, इस प्रकार मात्र 68 सवर्ण जाति के परिवार मुखियों के पास ग्राम की कुल भूमि 5551 बीघा का 2571 बीघा भूमि जो 45.06 प्रतिशत है, भूस्वामित्व इस जाति समूह के एकाधिकार में है।

पिछड़े वर्ग के 16 जाति समूह के 226 परिवार मुखियों(56.50 प्रतिशत) के पास भी 2418 बीघा जो 43.54 प्रतिशत भू स्वामित्व है, उच्च वर्ग की तुलना में अति अल्पतम अंतर प्रगट करता है किन्तु जनसंख्या की दृष्टि से ग्राम का सर्वाधिक जनसंख्या वाला यह जाति समूह है।

हरिजन वर्ग के 87 परिवार मुखियों (21.75 प्रतिशत) के पास मात्र 503 बीघा (9.07 प्रतिशत) भूमि जिनमें एक चमार भू स्वामी के पास 100-300 बीघा सर्वाधिक भूमि इस जाति समूह में रखता है शेष अति अल्प एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का यह जाति समूह है, इन वर्ग के पास मात्र 9.07 प्रतिशत अति अल्पतम भू स्वामित्व इनकी दयनीय दशा प्रकट करता है। भू सीमा की दृष्टि से यह समुदाय ग्राम का सबसे निर्धन अल्प भू सीमा वाला जाति समूह है जिसमें खेतिहर मजदूर ग्राम के अन्य जाति के समूहों की तुलना में सर्वाधिक है।

इसी प्रकार ग्राम के 19 मुस्लिम परिवार (4.75प्रतिशत) के पास 120 बीघा भूमि जो 2.33प्रतिशत है, नगण्य है। इस जाति समूह में भी पर्याप्त कृषि मजदूर हैं।

अतः ग्राम में एक ओर धनी सुविधा सम्पन्न सवर्ण ब्राह्मणों के चन्द परिवारों के पास ग्राम की करीब आधी भूमि केन्द्रित है। दूसरी ओर 50 प्रतिशत भूमि बहुसंख्यक पिछड़े वर्ग के 16 जाति समूहों में मध्यम भूसीमा के भूमिधरों को प्रदर्शित करती है। इस वर्ग में भी पर्याप्त परिवार अल्प भू सीमा एवं एक कलार परिवार भूमिहीन है।

अतः अति अल्प भू सीमा वाले पर्याप्त परिवार पिछड़े वर्ग में एवं सर्वाधिक अति अल्प भू सीमा एवं निर्धन भूमिहीन परिवारों की संख्या सर्वाधिक अनुसूचित जाति समूह के अंतर्गत है, जो आर्थिक साधन एवं सुविधा विहीन वर्ग की निर्धनता को प्रगट करती है।

अतः ग्राम में भूमि का असमान वितरण एक ओर सवर्ण जातियों को आर्थिक साधन एवं सुविधा सम्पन्नता प्रदान करता है तो दूसरी ओर पिछड़े वर्ग के पर्याप्त अल्पभूमि एवं अनुसूचित वर्ग के अत्यधिक अल्प भू सीमा एवं भूमिहीन परिवार मुखियों की निर्धनता प्रगट करता है।

उपर्युक्त आँकड़ों से प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट होता है कि ग्राम में भूमि का असमान वितरण सवर्ण जाति समूह के मात्र 68 परिवार मुखियों (17प्रतिशत) के पास ग्राम की 2571 बीघा (45·06 प्रतिशत) भूमि का भू स्वामित्व इनकी अति धनी साधन सुविधा सम्पन्नता का आधार है। एवं पिछड़े वर्ग के 16 जाति समूह के 226 परिवार मुखियों (56·50 प्रतिशत) के पास 2418 बीघा (43·54 प्रतिशत) भू स्वामित्व इस वर्ग के पर्याप्त परिवारों के पास मध्यम एवं कुछ परिवारों के पास वृहद् भू सीमा का होना उनकी मध्यम आर्थिक सम्पन्नता स्वतंत्र जीवन यापन का अवसर प्रदान करती है। इस वर्ग में भी कुछ अति अल्प भू सीमा वाले परिवार हैं तथा हरिजन वर्ग में 87 परिवारों के पास 503 बीघा भूमि 9·07 प्रतिशत भू स्वामित्व है अति

अल्प भू सीमा वाले पर्याप्त परिवारों का परिचायक है एवं पर्याप्त भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का होना प्रकट करता है जो उनकी पराश्रितता, जीविका हेतु उन्हें सवर्ण जमींदारों के खेतिहर मजदूर बनने को बाध्य कर देती है। उनकी इस आर्थिक दयनीय दशा का लाभ सवर्ण जमींदार उठाते हैं। इन्हें अल्प मजदूरी देकर अधिक घण्टों (8घण्टे से अधिक) तक प्रतिदिन काम लेते हैं, बेगार कराते हैं। जीवन की संकट कालीन दशा में जैसे — बीमारी, शादी आदि अवसरों पर कर्ज के रूप में पैसा देकर एवं अन्न खाने के लिए देकर सवाया ब्याज लगाकर उन्हें बंधक मजदूर पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते चले जाते हैं।

(ब) आर्थिक विषमता की सामाजिक स्थिति :—

ग्राम में एक ओर बड़ी भू सीमा वाले सवर्णजाति समूह के लोग हैं जो आर्थिक साधन सुविधा सम्पन्न हैं। दूसरी ओर पिछड़े वर्ग के कुछ अल्प भूमि वाले कृषक एवं अनुसूचित जाति समूह के पर्याप्त संख्या में अल्पभूमि एवं भूमिहीन निर्धन खेतिहर मजदूर जो आर्थिक दृष्टि से साधन एवं सुविधा विहीन स्थिति के हैं, सवर्ण बड़े भू स्वामियों के कर्जदार हैं।

एक ओर सवर्ण बड़े भू स्वामी कृषि उत्पादन से ही धनी सम्पन्नता रखते हैं एवं धन का उपयोग सहायक पेशों में करके भी धन का दुगना चौगुना धनोपार्जन कर के आर्थिक सम्पन्नता में वृद्धि करते हैं। दूसरी ओर भूमिहीन कृषि श्रमिक इन सवर्ण जमींदारों का 8 घण्टों से अधिक काम एवं बेगार करता है तथा उनकी अशिक्षा के कारण वह बैंकों व सहकारी समितियों से कर्ज न लेकर अपने जमींदारों से ही ऊँची ब्याज की दर पर कर्ज ले अपने जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जैसे — परिवार के भोजन, वस्त्र, शादी-विवाह, स्वास्थ्य चिकित्सा बीमारी, मुकदमेबाजी आदि कार्मों के लिए लेता है जिसे वह ऊँची ब्याज दर पर अदा करता है,

निश्चित अवधि में अदा न कर पाने पर ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा वह बंधक मजदूर पीढ़ी दर पीढ़ी बनते चले जाते हैं। भारतीय श्रमिकों के लिए यह कहावत सत्य चरितार्थ होती है कि "भारतीय श्रमिक कर्ज में ही जन्म लेता है, कर्ज में जीवन यापन करता है और कर्ज में ही मर जाता है।" जिससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य बंधक मजदूर होता है।

अध्ययन ग्राम डिघवट में कुछ सवर्ण जमींदारों ने पिछड़े वर्ग एवं हरिजन वर्ग के निरक्षर अशिक्षित लोगों को जुआँ खेलने का प्रलोभन दिया एवं उन्हें प्रारम्भ में कुछ धन देकर जुआ खेलना सिखाया। जुएँ में रुपये हारने पर उन्हें और रुपया दिया इस प्रकार अनेकों व्यक्तियों को 5 हजार से 10 हजार के मध्य कर्जदार बना दिया। उन पर सवाया रुपया प्रतिदिन की ब्याज दर पर एवं ब्याज पर ब्याज लगाकर काफी कर्जदार बनाया। समय पर रुपया माँगा, न मिलने पर इनके कृषि भूमि, औरत के सोने चाँदी के आभूषण, दूध देने वाले पशुओं को गिरवीं रखा इस प्रकार इनकी अति दयनीय दशा हो गयी। प्रताड़ना की सीमा यहाँ तक बढ़ गयी कि ऋणग्रस्तता के आतंक द्वारा उन्हें बंधक मजदूर बनाकर अधिक घण्टों प्रतिदिन काम लेने लगे। कम वेतन में काम लेना, एवं उनके साथ तथा उनकी महिलाओं के साथ अमानुषिक बर्ताव (बलात्कार) आदि की घटनायें भी साक्षात्कार के समय प्रकाश में आयीं।

राजनैतिक चेतना :--

देश की आजादी के पूर्व काल से अनवरत संदर्भित अध्ययन ग्राम डिघवट में ग्राम के सबसे बड़े जमींदार ब्राह्मण का ही परम्परागत एकाधिकारपूर्ण प्रशासन रहा वे ही ग्रामीण शक्ति संरचना के प्रशासक ग्राम प्रधान पद पर आसीन रहे। इन्होंने एवं इनके संबंधियों ने अपने सामन्तशाही रवैये द्वारा हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के भूमिहीन एवं अल्पभूमि वाले कृषि श्रमिकों से अल्प मजदूरी में अधिक घण्टों काम कराते

रहे, सवर्ण बड़े जमींदारों ने ही हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के निर्धन भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बंधुआ मजदूर बनाया। ऊँची ब्याज दर पर इन्हें इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु चिकित्सा, विवाह आदि संकटकालीन स्थिति में एवं जुआँ खेलने का प्रलोभन देकर सवाये ब्याज दर एवं ऊँची ब्याज दर पर रुपया देकर कर्जदार बनाया। समय पर पैसा वसूल न होने पर दुर्व्यवहार पूर्ण प्रताड़न तथा कृषि भूमि, मकान, दूध देने वाले पशु, और के सोने चाँदी के आभूषण गिरवीं रखकर उन्हें त्रस्त किया। ग्राम के अन्य उच्चजातीय जमींदारों ने भी इसी परम्परा का अनुकरण किया। ग्राम के अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों ने बढ़ती हुई महँगाई में शहरों के समान उचित मजदूरी की माँग को सवर्ण बड़े भू स्वामियों के समक्ष प्रस्ताव रखा। ग्राम में पंचायत हुई जिसमें सवर्ण बड़े भू स्वामियों ने परम्परागत मजदूरी की दरों में ही काम करने को बाध्य किया एवं इन हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के खेतिहर मजदूरों की माँग को ठुकरा दिया। तब इस दोनों वर्ग अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग ने सवर्ण जाति समूह का कार्य करना बंद कर दिया। इस आंदोलन में एक डोमार ने सवर्ण जमींदारों के घर की सफाई का का कार्य बंद करके प्रारम्भ किया इसका अनुकरण ग्राम की अन्य जातीय पेशा करने वाले जाति समूहों ने जैसे कहारों ने पानी भरना, नाई ने अपना कार्य, इसी प्रकार लोहार बढ़ई एवं चमारों ने मृत जानवरों को जजमानों के घर से उठाकर गाँव से बाहर फेंकने का काम बंद कर दिया। इन दोनों हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के सामूहिक आंदोलन से त्रस्त होकर सवर्ण बड़े भू स्वामियों ने हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के खेतिहर मजदूरों को अपने खेतों से घास लेना एवं अपने खेतों की मेड़ों से निकलना बंद कर ने की घोषणा गाँव में करा दी। किन्तु हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के कुछ लोगों के खेतों का रास्ता सवर्णों की कृषि भूमि के मध्य मेड़ों से निकल कर ही कृषि क्रियाओं को करने के रास्ते पहले से है अलग से चकबन्दी से पूर्व चकरोड नहीं बने थे। अतः एक

दिन हरिजन महिलायें अपने खेत की मेड़ों से घास लेकर आ रही थीं सवर्ण एक जमींदार ने अपने 3-4 सहयोगियों के साथ इन महिलाओं को अपने खेत की मेड़ों से निकलने में छेड़ा एवं वस्त्रविहीन कर राइफल के बल पर अपमानित किया। रोती हुई महिलायें पिछड़े हुए वर्ग के मध्यम भू सीमा के नेताओं से यह दुर्व्यवहार की घटना न्याय की पुकार हेतु कह सुनाई, इस घटना ने ग्राम के अनुसूचित एवं पिछडे वर्ग में सवर्णों के इन दुर्व्यवहारों का सामना करने हेतु पिछडे वर्ग के मध्यम भू सीमा वाले तेली जाति के एक नवयुवक प्राइमरी पाठशाला के शिक्षक ने अन्य अन्य आत्म निर्भर शिक्षित नवयुवकों में चेतना जागृत कर हरिजन जाति समूह एवं पिछड़े वर्ग के भूमि हीन अल्प भूमि वाले इन खेतिहर मजदूरों के प्रताड़न, बंधक मजदूरी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, बलात्कार जैसे अमानवीय कृत्यों से छुटकारा पाने हेतु ग्राम में अनुसूचित जाति समूह एवं पिछड़े वर्ग के बहुसंख्यक सदस्यों के महत्व कोशक्ति के विकेन्द्रीकरण की वैधता को आधार बनाकर सबसे पूर्व ग्रामीण शक्ति संरचना के केन्द्र ग्राम पंचायत के आगामी चुनाव वर्ष 1972 में ग्राम प्रधान पद एवं सदस्यता में बहुमत से विजय हेतु अपने इन दोनों वर्गों का संगठित समूह बनाकर खड़ा किया एवं पुरानी परम्परागत ग्रामीण पंचायत जिसमें सतत ग्राम के बडे भू स्वामी उच्चजातिसमूह के ब्राह्मणों का बहुमत से एकाधिकार था जिनकी जन संख्या के अनुपात में अल्प संख्या थी, चुनौती दी। वर्ष 1967 के ग्राम प्रधान के चुनाव में 14 सदस्यों में से उच्चजाति समूह से 7 सदस्य यथा — ब्राह्मण 6, बनिया 1, कुल 7 विजित थे जिनका प्रति शत 50 था शेष पिछड़े वर्ग से अहीर 3, केवट 2, कुम्हार 1, कुल 6 व्यक्ति एवं हरिजन जाति समूह से 1 चमार व्यक्ति जो बड़ा भू स्वामी था यह भी सवर्ण बडे भू-स्वामियों का पक्षधर अथवा तटस्थ भूमिका अदा करता था क्योंकि यह बड़े भू स्वामियों से त्रस्त नहीं था, आत्म निर्भर था। इस प्रकार इनका भी 50 प्रतिशत बराबर बहुमत था।

वर्ष 1972 के ग्राम पंचायत के चुनाव में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के संगठित समूह ने उच्चजाति समूह के विरोध में अपना बहुसंख्यक अनुपात का महत्त्व समझकर विरोध में अपने वर्ग में राजनीतिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया का प्रसार किया। फलस्वरूप वर्ष 1972 के ग्राम पंचायत चुनाव में 14 सदस्यों में से 11 सदस्य पिछड़े वर्ग एवं हरिजन वर्ग से ग्राम प्रधान पिछड़े जाति के एक लोहार नवयुवक (35वर्ष) शक्ति विजयी हुए। उच्चजाति समूह का परम्परागत ग्राम का सवर्ण बड़ा भू स्वामी 37 मतों से पराजित हुआ। उच्चजाति समूह से मात्र 3 सदस्य विजित हुए जिनमें ब्राह्मण 2, बनिया 1, इनका प्रतिशत 21 होता है जो 2/3 से कम होता है। पिछड़े वर्ग से 9 सदस्य अहीर 2, लोहार 3, केवट 2, तेली 1, कुम्हार 1, विजयी हुए। हरिजन वर्ग से भी चमार 2 विजयी हुए इस प्रकार पिछड़े एवं हरिजन वर्ग से कुल 9 — 2 = 11 सदस्यों की बहुमत से विजित ग्राम पंचायत ने सवर्णों के बहुमत वाली परम्परागत ग्रामीण शक्ति संरचना को उखाड़ फेंका। ग्रामीण शक्ति संरचना का उच्चजातीय ब्राह्मण बड़े भू स्वामी से पिछडे एवं हरिजन वर्ग मे हस्तांतरित हो जाने से सवर्ण बडे भू स्वामी जमींदारों में विशेष प्रतिशोध की भावना जागृत हुई जिससे परस्पर विरोधी गुट के प्रताड़न, आर्थिक शोषण एवं अपराधों में वृद्धि हुई। गुटों की संघर्षशील प्रतिक्रिया के फलस्वरूप दोनों गुटों में घायल एवं मृतकों की संख्या 7-7 हो गयी। उक्त गुटीय परिस्थितियों में सवर्ण जाति समूह का नेतृत्व सवर्ण गुट के प्राथमिक एवं द्वितीयक नेताओं ने किया तथा पिछड़े एवं हरिजन वर्ग का नेतृत्व भी पिछड़े एवं हरिजन वर्ग के प्राथमिक एवं द्वितीयक नेताओं ने किया।

उठाये गये सैद्धान्तिक प्रश्न एवं निर्मित की गयी उपकल्पनाओं का सत्यापन

प्रस्तुत अध्ययन डिघवट के गुटीय तनाव के समाज शास्त्रीय अध्ययन से संबंधित है। इस अध्ययन के प्रारम्भ में कुछ महत्वपूर्ण उपकल्पनायें प्रस्तावित की गयी थीं। ग्राम डिघवट के समाज शास्त्रीय गुटवाद के शोध अध्ययन के लिए हमने निम्नांकित उपकल्पनायें निर्मित की थीं।

( )राजनैतिक शक्ति तथा आर्थिक सुविधाओं का गाँव के समूहों में असमान वितरण ग्रामीण गुटवाद को जन्म देता है।(डा0वी0एन0सेठ) 1982 का पुनः परीक्षण उप-कल्पना संख्या 1)।

(2)केवल जाति संस्तरण ही ग्रामीण गुटवाद को जन्म देता है।(उपकल्पना संख्या 2)

(3)केवल आर्थिक विषमतायें गुटवाद को जन्म देती हैं।(मार्क्सवादी दृष्टिकोण, उप-कल्पना संख्या 3)।

(4)भूमि का असमान वितरण ग्रामीण गुटवाद कोजन्म देता है। (उपकल्पना संख्या 4)।

(5)राजनैतिक चेतना का प्रसार गुटवाद को जन्म देता है।(उपकल्पना संख्या 5)। अध्ययन के आधार पर उपकल्पनाओं का परीक्षण किया जायेगा।

हमारी एक उपपरिकल्पना यह थी 'भूमि का असमान वितरण ग्रामीण गुटवाद को जन्म देता है।(उपपरिकल्पना संख्या 4)। चतुर्थ अध्याय जो कि डिघवट के आर्थिक ढाँचे का विवरणात्मक व्याख्या करता है, से स्पष्ट है कि गाँव में विभिन्न जाति के मध्य असमान वितरण उच्चजाति समूह जिसमें विशेष रूप से ब्राह्मण आते हैं, जमींदारी उन्मूलन के पूर्व वे ही ग्राम के प्रशासक एवं बड़े जमींदार थे। इनके पास ग्राम की कुल भूमि 5,551 बीघा में से 2,501 बीघा भू स्वामित्व है, जो ग्राम की कुल भूमि का 45.06 प्रतिशत है, जो ग्राम के सवर्ण 68 परिवार, जो ग्राम की कुल जनसंख्या के 17 प्रतिशत हैं, भू स्वामी हैं। जबकि ग्राम के बहुसंख्यक पिछड़े वर्ग के

226 परिवार मुखियों (56•50 प्रतिशत) के पास 2,418 बीघा जो 43•54 प्रतिशत है। तथा अनुसूचित जाति के 87 परिवार मुखियों (21•75 प्रतिशत) के पास 503 बीघा भू स्वामित्व है। जिसका प्रतिशत मात्र 9•75 है। इस प्रकार ग्राम के विभिन्न जाति समूहों में भूमि के वितरण से स्पष्ट है कि उच्चजातियों में विशेषकर ब्राह्मणों के पास सबसे अधिक भू स्वामित्व है और अनुसूचित जातियों के अधिकांश भूमिहीन एवं खेतिहर मजदूर हैं। जैसा कि गुटीय संघर्ष के इतिहास (अध्याय 7) में बताया जा चुका है कि प्रमुख रूप से ब्राह्मण गुट ब — जिसमें कि सवर्ण जातियों के भूस्वामी विशेष रूप से एक ब्राह्मण परिवार जो कि पूर्व जमींदार था, आते हैं। जिनके पास अभी भी ग्राम की अधिकांश भूमि पर स्वामित्व है। इस वर्ग के विरोध में वर्ग अ में प्रमुख रूप से अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों के भूमिहीन , अल्पम कृषक वर्ग आते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है कि जब इन जमींदार वर्ग सवर्णों के द्वारा गांव के अंदर भूमिहीन निम्न पिछड़ी जातियों का शोषण बढ़ने लगा तो गुटीय विद्रोह की भावना प्रज्वलित होने लगी दोनों गुटों की भूमि के वितरण से यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति गुट ब में ऐसा नहीं था जो बड़ा भू स्वामी न हो और न ही गुट अ में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके पास अधिक भूमि हो। अतः हमारी यह उपकल्पना कि 'गुटीय संघर्ष भूमि के असमान वितरण से होता है' प्रस्तुत अध्ययन से सिद्ध होती है।

इस उपकल्पना का पुनः सत्यापन इस तथ्य से होता है कि गांव के मंदिर की भूमि जो कि पुराने पुजारी ने तीर्थ यात्रा (बद्रीनाथ धाम की यात्रा) के जाते समय कुछ अनुसूचित जाति के लोगों को बटाई पर इस आशय से दी थी कि वे उपज का आधा हिस्सा स्वयं एवं आधा मंदिर के 'ट्रस्ट' में जमा करेंगे (विस्तृत विवरण के लिए देखिये अध्याय 7) लेकिन जैसा कि वर्णन किया जा चुका है कि पूर्व जमींदार वर्ग के ब्राह्मण परिवार के मुखिया ने जबरदस्ती इस भूमि पर अधिकार कर लिया और जो

जिसका मंदिर को मिलना चाहिए था वह स्वयं हड़प गया और बटाई करने वाले अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के कृषकों को निकाल दिया या हटा दिया। यह घटना चिनगारी के तरीके से फैल गयी और अभी तक शोषणकर रहे इस बड़े भू स्वामी ब्राह्मण परिवार के लोगों ने शोषित वर्ग को जो मुख्य रूप से अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग का था उसे उनके विरोध में संगठित होने का एक मौका मिल गया।

इस अध्ययन से एक और बात स्पष्ट होती है कि केवल शोषण गुटवाद को जन्म नहीं देता। शोषण गुटवाद विकसित करने की आवश्यक दशा तो हो सकता है पर जब तक शोषित वर्ग संगठित न हो गुटवादी संघर्ष विकसित नहीं होता। ग्राम छिबवट में बहुत वर्षों से भूमिहीन किसानों का शोषण होता चला आ रहा था, किन्तु वे संगठित नहीं थे। किन्तु जब ये शोषित वर्ग को संगठित होने का अवसर मिला तो न केवल गुटवाद ही उत्पन्न हुआ बल्कि उसने उग्र रूप धारण कर लिया।

इस ग्राम के जातीय वर्गीकरण को जो तीन जाति समूहों में विभाजित है, उनमें भू स्वामित्व के वितरण एवं उनमें व्यावसायिक प्रतिष्ठा को देखते हुए ग्राम की कुल भूमि 5,551 बीघा में से सवर्ण जाति समूह के 68 परिवार मुखियों (17.6) के पास 2,501 बीघा जो ग्राम की कुल भूमि का 45.06 प्रतिशत है) एवं सवर्ण जाति समूह के समस्त 68 परिवार मुखिया भू स्वामी हैं एवं इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, व्यावसायिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से सवर्ण जाति के 53 परिवार प्रत्यक्ष रूप से कृषि व्यवसाय में संलग्न है जिनका प्रतिशत 77.94 है। व्यावसायिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से सर्वाधिक है(विशेष विवरण हेतु देखिये अध्याय 4 तालिका संख्या 10 व 11)।

ग्राम के बहुसंख्यक पिछड़े हुए वर्ग के 16 जाति समूहों के 226 परिवार मुखियों (56.50 प्रतिशत) का कुल भू स्वामित्व 2418 बीघा जो 43.54प्रतिशत

भू स्वामित्व प्रदर्शित करता है सवर्ण जाति समूह की तुलना में अल्प अन्तर लगभग समानता व्यक्त करता है। इनमें से 137 निजी खेती, 12 बटाई से खेती एवं 38 कृषि श्रमिक इस प्रकार कुल 187 परिवार जिनका प्रतिशत 82·74 प्रतिशत है, कृषि व्यवसाय में संलग्न हैं। इस वर्ग में मात्र एक कलार परिवार भूमिहीन है। यद्यपि इस वर्ग की व्यावसायिक प्रतिष्ठा सवर्ण जाति समूह से भी अधिक है किन्तु भू सीमा की दृष्टि से सवर्ण वर्ग के पिछड़े वर्ग से अत्यन्त कम परिवार मुखियों की भू सीमा के अनुपात में प्रति परिवार अत्यधिक है।

अनुसूचित वर्ग के 87 परिवार मुखियों (21·75 प्रतिशत) के पास मात्र 503 बीघा भू स्वामित्व जो मात्र 9·07 प्रतिशत है। उपर्युक्त दोनो जाति समूहों की तुलना में नगण्य है।

पिछड़े वर्ग के पर्याप्त व्यक्ति मध्यम भू सीमा के एवं दो एक परिवार बड़ी जोत सीमा के हैं। कृषि की भू स्वामित्व की दृष्टि से आत्म निर्भर हैं एवं इनका मुख्य व्यवसाय भी कृषि होने के कारण इनकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा भी पर्याप्त लोगों की उच्च है। किन्तु इस वर्ग में भी अल्प भू सीमा एवं भूमिहीन काफी परिवार हैं जो सवर्ण बड़े जमींदारों की बटाई की खेती एवं कृषि श्रमिक के रूप में (12 बटाई से खेती एवं 38 कृषि श्रमिक) जीविका उपार्जन करते हैं। शेष 39 व्यक्ति अन्य सहायक व्यवसाय दूकानदारी, नौकरी, जातीय पेशा आदि द्वारा जीविका उपार्जन करते हैं।

हरिजन वर्ग के 87 परिवार मुखियों में से 27 निजी खेती एवं बटाई से खेती कराने वालों की संख्या 4 एवं कृषि श्रमिक के रूप में 34 परिवार परोक्ष रूप से कृषि व्यवसाय में संलग्न हैं। इस प्रकार 87 परिवार में से 65 परिवार जिनका प्रतिशत 74·72 है कृषि व्यवसाय पर निर्भर हैं शेष 22 परिवार भूमिहीन निर्धन

मजदूरी तथा जातीय व्यवसाय एवं अन्य व्यवसायों में काम करके जीविका उपार्जन करते हैं। अतः इस वर्ग के अधिकांश निर्धन मजदूरों की व्यावसायिक प्रतिष्ठा निम्नतर है।

इसके अतिरिक्त यदि हम गाँव के सूचनादाताओं की व्याख्या करें तो हम देखते हैं (देखिये अध्याय 4 ग्राम की आर्थिक संरचना तालिका संख्या 16) कि ग्राम के 400 परिवार मुखियों में से अनुसूचित जाति के 87 परिवार मुखियों (21·75 प्रतिशत) में 38 परिवार मुखिया निर्धन भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं जो अपनी जीवन यापन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सवर्ण जमींदारों द्वारा ऋण लेते हैं, जिनका प्रतिशत 43·68 है। इस वर्ग के प्रौढ़ एवं वृद्ध अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित हैं अथवा अति अल्प साक्षर हैं अतः सरकारी सहकारी समितियों एवं बैंक द्वारा ऋण नहीं ले पाते उन्हें कर्ज लेने के नियमों कीजानकारी न होने के कारण सरकार द्वारा कम से कम 9 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण लेने के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस वर्ग के मात्र एक सदस्य ने सरकारी समिति से कर्ज लिया जो मात्र 1·15 प्रतिशत होता है, शेष अनुसूचित वर्ग के 87 परिवार मुखियों में से 38 ने कर्ज सवर्ण बड़े जमींदारों से ऊँची ब्याज दर पर जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं जैसे शादी विवाह हेतु अन्न एवं नकद रुपया, बीमारी में चिकित्सा हेतु लिया। एवं इस वर्ग के अनेक व्यक्ति सवर्ण जमींदारों के जुआँ खेलाने के प्रलोभन के जाल में फँस कर भी प्रति वर्ष सवाया ब्याज में कर्जदार हैं। कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 100 रुपया का 125 की ब्याज पर जुआ खेलने हेतु पैसा देते हैं, इस नियम से अनेक पिछड़ी एवं हरिजन वर्ग के व्यक्ति 500/- से 10,000/- तक कर्ज दार हैं जिसे वे रिकार्ड रूप में बताने से इनकार करते हैं।

पिछड़े वर्ग के 12 जाति समूह के 226 परिवार मुखियों में से 51 उत्तरदाता जो 22·57 प्रतिशत हैं, उन सवर्ण जमींदारों से कर्ज लेते हैं, जिनकी वे बटाई की खेती करते हैं। इनमें से सरकारी समितियों द्वारा मात्र 2 (·88 %) एवं जाति पंचायत कोष द्वारा एक व्यक्ति (·44 प्रतिशत) ने कर्ज लिया। इन्हें भी सवर्ण जमींदारों को सवाया व्याज एवं अधिक वर्षों तक अदा न होने पर 56·40 प्रतिशत या चक्रवृद्धि व्याज अदा करना पड़ता है, समय पर रुपया अदा न करने पर कृषि भूमि, पशुधन, मकान और के सोने चांदी के आभूषण गिरवीं कर लेते हैं एवं नाना प्रकार से पुरुष प्रताड़ित एवं महिलायें दुर्व्यवहार के शिकार होती हैं। इस वर्ग के अनेक व्यक्तियों की कर्ज की सीमा 1000 से 10,000/- तक करीब 1·45 प्रतिशत पाये गये।

सवर्ण वर्ग के 68 परिवार मुखियों में से अन्य जाति समूहों से कम व्यक्ति कर्जदार हैं। इस वर्ग के मात्र 10 परिवार मुखिया अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर्ज लेते हैं जिनमें 8 परिवार मुखिया (11·76 प्रतिशत) जमींदारों द्वारा, 2 परिवार मुखिया (2·95 प्रतिशत) सरकारी समितियों द्वारा कर्ज लेते हैं। सवर्ण जमींदार अपने वर्ग से निम्न दर में व्याज लेते है जबकि अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग से 25 प्रतिशत तक उच्च व्याज दर में कर्ज वसूल करते हैं।

उपर्युक्त कर्ज की मात्रा का ग्राम के विभिन्न जाति समूहों में अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति समूह के परिवार मुखिया सर्वाधिक ऋण - ग्रस्त तत्पश्चात् पिछड़े वर्ग के एवं सबसे कम सवर्ण जाति समूह के व्यक्ति हैं। इससे एक ओर अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग की निर्धनता आर्थिक साधन सुविधाविहीनता एवं दूसरी ओर सवर्ण जाति समूह के साधन एवं सुविधा सम्पन्नता से युक्त है।

ऋण के पैसे के उपयोग की दृष्टि से अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के अल्प भूस्वामित्व एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूर अपने सवर्ण जमींदारों से ऋण जीवन की

अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जैसे भोजन हेतु अन्न, शादी विवाह हेतु, बीमारी में चिकित्सा हेतु लेते हैं। कुछ अशिक्षित लोग सवर्ण जमींदारों द्वारा जुआ खेलने में लाभ का प्रलोभन देकर जमींदार के निजी खिलाड़ियों द्वारा छलछद्म के जाल में पड़कर अपनी रूपयों को जुएं के खेल में हारकर गवाये, दुगुने रूपये ऊँची ब्याज दर के कर्ज के कारण अनुपयोगी रूप से कर्जदार बना दिये जाते हैं और जिसका इन्हें 25% से 36 प्रतिशत तक ब्याज अदा करना पड़ता है। जबकि सवर्ण जाति समूह के लोग सहकारी समिति से कृषि के उपयोग जैसे ट्यूबवेल के लगवाने हेतु, बैल खरीदने के लिए कर्ज लेते है जिसे वे सस्ती ब्याज दर 9 प्रतिशत में अदा कर देते हैं। यह उनकी उपयोगी समग्र कृषि व्यवसाय में अत्यधिक उपयोगी एवं आर्थिक सम्पन्नता में वृद्धि करने में सहायक होती है।

इस ग्राम के 87 अनुसूचित वर्ग के सूचनादाताओं में से 17 परिवार मुखिया सवर्ण जमींदारों का बेगार (बिना मजदूरी दिए जबरन काम लेना) नहीं करते क्योंकि ये मध्यम भू स्वामी हैं, आत्म आश्रित हैं, अपने पारिवारिक श्रम से अपनी खेती कर लेते हैं किन्तु इसके अतिरिक्त 70 सूचनादाताओं द्वारा सवर्ण जमींदारों की बेगार करनी पड़ती है जिनका प्रतिशत 87.5 है। यह पूछने पर कि अनसूचित जाति के पुरूष एवं महिलायें सवर्ण जमींदारों का बेगार क्यों करते हैं? इसका उत्तर 56 सूचनादाताओं ने गरीबी के कारण हम भूमिहीन श्रमिक इनकार नहीं कर सकते, यह बताया। जिनका प्रतिशत सर्वाधिक 64.37 है। 9 उत्तरदाताओं (6.89 प्रतिशत) ने यह उत्तर दिया कि सवर्ण जमींदारों के दबाव एवं डर के कारण करना पड़ता है। 3 उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया कि हमारे मकान उनकी भूमि में निर्मित हैं एवं 5 उत्तरदाताओं (5.75प्रतिशत) ने उत्तर दिया कि हम आर्थिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर हैं। इन उत्तरों से 87 अनुसूचित परिवार मुखियों में 70 उत्तरदाताओं

(87·5 प्रतिशत) की आर्थिक दयनीय दशा, निर्धन खेतिहर मजदूरों की बड़े भू-स्वामियों की पराश्रितता का बोध होता है।

अनुसूचित जाति के 87 परिवार मुखियों से इस वर्ग के पर्याप्त लोग सवर्ण जमींदारों के बंधक मजदूर क्यों हैं? इस वर्ग के उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया कि इसके 87 परिवार मुखियों के पास ग्राम की कुल भूमि में से मात्र 503 बीघा भू-स्वामित्व है जो ग्राम की भूमि का मात्र 9·907 प्रतिशत अति अल्पतम है अतः अधिकतर अति अल्प भू सीमा एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं। अशिक्षित हैं, जातीय पेशा (चमड़ा रंगने एवं जूता बनाने आदि, टोकरी बनाना, मुर्गी व सुअर पालन) से पर्याप्त आय नहीं होती, हमारी पारिवारिक जनसंख्या अत्यधिक है, अतः जीवन यापन हेतु अन्न भूमिधरों से कर्ज में लेना पड़ता है, अत्यधिक कर्ज हो जाने के कारण बंधुआ मजदूर बनना पड़ता है।

सवर्णों के 68 परिवार मुखियों से हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों को सवर्ण जमींदारों के बंधक मजदूर बनने के लिए बाध्य किया जाता है। पूछे जाने पर इनमें से 37 उत्तरदाताओं ने स्वीकृति दी जिनका प्रतिशत 54·41 है। एवं शेष 31 सूचनादाताओं ने सवर्ण भूमिधरों द्वारा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के खेतिहर मजदूरों को बंधक बनाये जाने से इनकार किया जिनका प्रतिशत 45·59 है। अतः बहुसंख्यक सवर्ण सूचनादाताओं ने भी अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के खेतिहर मजदूरों को सवर्ण बड़े भू स्वामियों द्वारा बंधक मजदूर बनाने की पुष्टि की।

ग्राम की आर्थिक संरचना का मूलाधार ग्राम का भू स्वामित्व है जो कुल ग्राम का भू स्वामित्व 5,551 बीघा है जिसका सवर्ण जाति समुदाय के 68 परिवार मुखियों (17 प्रतिशत) के पास 2,501 बीघा, जो कुल भूमि का 45·06 प्रतिशत है। एवं पिछड़े वर्ग की 16 जाति समूह के बहुसंख्यक 226 परिवार मुखियों –

(56·50 प्रतिशत) का भू स्वामित्व 2,418 बीघा जो 43·54 प्रतिशत होता है सवर्ण जाति समुदाय के कम परिवारों के भू स्वामियों से अति अल्प अंतर प्रगट करता है किन्तु अनुसूचित वर्ग के 87 परिवार मुखियों (21·75 प्रतिशत) के पास मात्र 503 बीघा भूमि जो अति अल्प अंतर प्रगट करता है, जो कि 9·07 प्रतिशत है। अति अल्पतम है अतः इस वर्ग के अधिकतर परिवार मुखियों के पास अति अल्पतम भू सीमा एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूर बनना पड़ता है। इस ग्राम में 19 मुस्लिम परिवारों (4·75 प्रतिशत) के पास मात्र 120 बीघा (2·33 प्रतिशत) भूमि भी अल्पतम है।

इस प्रकार ग्राम में भू स्वामित्व का वितरण सवर्ण जाति समूह को आर्थिक सम्पन्नता प्रदान करता है एवं अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग को भूमिहीन, निर्धन सुविधा विहीन बनाता है। निर्धनता वश सवर्ण बड़े भू स्वामी इन्हें अल्प मजदूरी देकर घण्टों से अधिक काम लेते हैं, ऊँची ब्याज दर पर लिये गये ऋण के बढ़ जाने पर और यथा समय अदा न हो सकने के कारण सवर्ण बड़े भू स्वामी इन निर्धन खेतिहर मजदूरों को प्रताड़ित करते हैं एवं इनके पशुधन कृषि भूमि और चाँदी व सोने के आभूषण गिरवी कर लेते हैं एवं पुरुष को बंधुआ मजदूर बना लेते हैं कुछ मामले इनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार (बलात्कार) के भी प्रकाश में साक्षात्कार के समय आये, जिसे वे अपनी असहाय दशा के कारण मूक भाषा में सहन कर लेते हैं। थाना में रिपोर्ट भी करने की हिम्मत उनमें नहीं है। आर्थिक निर्धनता एवं सशक्त बड़े भू स्वामियों का प्रताड़न का भय अनवरत कई वर्षों से सहन करना पड़ा किन्तु वर्ष 1972 में अनुसूचित जाति की महिलाओं को घास लाते समय सवर्ण बड़े भूस्वामी द्वारा वस्त्रविहीन कर बेइज्जती का प्रतिशोध हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के मध्यम भू-स्वामियों को संगठित करने में विद्रोह की आग को भड़काने में सवर्णों कोचुनौती दे सका

एवं पिछड़े वर्ग के मध्यम भू स्वामियों ने हरिजन वर्ग के भूमिहीन निर्धन दलित वर्ग के संरक्षण का कार्य सशक्त गुट बनाकर तन मन धन से किया। ये पिछड़े वर्ग के वे भू स्वामी हैं जो सवर्ण बड़े भू स्वामियों के आश्रित न होकर आत्म आश्रित हैं एवं स्वतंत्र हैं तथा बड़े भू स्वामियों के शोषण के शिकार नहीं है और न ये निर्धन भूमिहीन पिछड़े एवं अनुसूचित वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं बल्कि हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के निर्धन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के साथ सवर्ण बड़े भू स्वामियों के प्रताड़न दुर्व्यवहार बंधक एवं अल्प मजदूरी की दर से इन्हें मुक्त कराने हेतु तथा बेगार लेने के अनुचित एवं मानवता के प्रति अन्याय आदि सामाजिक बुराइयों के निराकरण हेतु संघर्षशील गुट का निर्माण कर क्रान्तिकारी आन्दोलन द्वारा दो दशक बाद इनसे मुक्ति मिलने में समर्थ हो सके।

उपर्युक्त विवेचन से पूर्व निर्मित उपकल्पना संख्या 3 कि 'केवल आर्थिक विषमतायें गुट को जन्म देती हैं, स्वयं सत्यापन सिद्ध होता है।

हमारी एक अन्य उपकल्पना संख्या 5 यह थी कि 'राजनैतिक चेतना का प्रसार गुटबाद को जन्म देता है।'

जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से संदर्भित शोध अध्ययन ग्राम डिघवट में सवर्ण जाति के सबसे बड़े जमींदार का ही पूर्ण वर्चस्व रहा। वे ही ग्रामीण शक्ति संरचना के संचालक एवं प्रशासक वर्ष 1972 के ग्राम पंचायत के चुनाव के पूर्व तक रहे, इससे विगत ग्राम पंचायत 1967 के ग्राम पंचायत के चुनाव में सवर्ण वर्ग से 7 सदस्य (ब्राह्मण 6 तथा बनिया 1) ग्राम प्रधान सहित विजित हुए। एवं पिछड़े तथा अनुसूचित वर्ग से कुल 7 सदस्य (अहीर 3, केवट 2, कुम्हार 1, चमार 1) कुल मिला कर बराबर अनुपात में विजित हुए। यद्यपि इस ग्राम पंचायत के चुनाव में सवर्ण ग्राम पंचायत का सर्वोच्च श्रेष्ठ एवं प्रशासन का पद ग्राम प्रधान का पद होता है।

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शक्ति के विकेन्द्रीकरण हेतु देश की एक छोटी इकाई के रूप में स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रणाली के संचालन में ग्राम पंचायत के प्रधान को ग्राम के प्रशासन एवं व्यवस्था निर्माण का पूर्ण अधिकार होता है। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा क्रियान्वित विकास कार्यक्रम में सरकारी अनुदानों का ग्राम विकास के कार्यों में सदुपयोग का दायित्व ग्राम पंचायत के प्रधान का होता है। वर्ष 1972 के, ग्राम पंचायत के पूर्व तक इस ग्राम के सवर्ण वर्ग के सबसे बड़े जमींदार के पक्ष में सदस्य बहुमत से विजित होते रहे। इस प्रकार सवर्ण वर्ग के इन बड़े जमींदारों एवं इनके अन्य सहयोगियों द्वारा अपनी इच्छाओं के अनुसार गांव का प्रशासन एकाधिकारपूर्ण सामन्तशाही तरीके से होता रहा। इसका प्रथम कारण इनका ग्राम की बड़ी भूसीमा में स्वामित्व तथा राजनैतिक शक्ति सम्पन्नता का अपने हाथों में सतत केन्द्रित किये रहना। सवर्ण बड़े जमींदार ग्राम प्रधान के प्रशासनकाल में परम्परागत तरीके से अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के निर्धन भूमिहीन खेतिहर मजदूरोंसे प्रति माह अल्प मजदूरी देकर 8 घंटे से भी अधिक समय तक प्रतिदिन काम लेने की प्रथा रही। प्रतिदिन काम करने वाले खेतिहर मजदूरों से भी अल्प मजदूरी की दर से काम लिया जाता रहा एवं इनसे बेगार भी कराया जाता रहा जिसे वे इनकार नहीं कर सकते थे। क्योंकि ये निर्धन भूमिहीन खेतिहर मजदूर सवर्ण बड़े भू स्वामियों के ही आश्रित थे अतः इनका आर्थिक शोषण इनकी निर्धनता एवं दयनीय दशा का प्रतिफल है। जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं के हेतु इनसे ही कर्ज लेते रहे अतः अत्यधिक कर्जदार हो जाने पर इन्हें बंधुआ मजदूर बनाया गया। 5-7 मामले ग्राम में साक्षात्कार के समय प्रकाश में आये। कर्ज के लेन देन में ऊँची ब्याज दर के कारण अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से निर्धारित तिथि में कर्ज के अदा न कर सकने के कारण पुरुषों का प्रताड़न एवं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार (बलात्कार जैसे जघन्य अपराध) के कृत्य भी घटित हुए। सवर्ण जमींदारों की पराश्रितता के कारण पुलिस स्टेशन में भी इन

सामाजिक अपराधों की रिपोर्ट भी करने में समर्थ नहीं थे। कर्ज के अदा न होने पर इनसे कृषि भूमि, मकान , पशुधन, एवं औरतों के सोने चाँदी के आभूषण भी गिरवी रख लिये जाते रहे। इसके अतिरिक्त अन्य सामाजिक प्रक्रियाएँ भी क्रमशः घटित होती रहीं। जो सवर्ण बड़े भू स्वामियों के आर्थिक शोषण के विरोध में पिछड़े एवं हरिजन वर्ग में संगठित दल के निर्माण में प्रेरक का कार्य करती हैं।

(1)सरकारी अनुदान का ग्राम प्रधान द्वारा दुरूपयोग :-

ग्राम विकास योजनाओं द्वारा क्षेत्र विकास खण्ड तिवारी द्वारा ग्राम के कुओं के निर्माण जीर्णोद्धार हेतु सवर्ण बड़े जमींदार ग्राम प्रधान को 3000/- का अनुदान दिया जिसका उपयोग इन्होंने अपने निजी कुएँ के जीर्णोद्धार में किया इसकी शिकायत पिछड़ी जाति के (तेली) राजकीय प्राइमरी पाठशाला के शिक्षक ने विकास अधिकारी तिवारी से की, मामले की जाँच होने पर इन्हें 3000/- जुर्माना अदा करना पड़ा। एकाधिकारपूर्ण आधिपत्य रखने वाले भूतपूर्व सबसे बड़े जमींदार ब्राह्मण ग्राम प्रधान को ऐसी चुनौती कभी नहीं दी गयी थी। ग्राम विकास कार्य हेतु प्रदत्त सार्वजनिक निर्माण के पैसे के दुरूपयोग के सही साबित होने पर एक चुनौती दी गयी।

ग्राम प्रधान राजकीय प्राइमरी पाठशाला के प्रधान अध्यापक एवं उसके समर्थकों द्वारा तिरस्कृत हुआ। प्रतिशोध में 15 अगस्त 1969 में जब प्रधान अध्यापक जुलूस निकाल रहे थे (प्राइमरी पाठशाला के छात्रों को लेकर स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में) ब्राह्मण भूतपूर्व जमींदार ग्राम प्रधान द्वारा कुछ व्यक्तियों को लाठियों से इन्हें मारने हेतु इन पर आक्रमण कर दिया गया। तेली प्राइमरी अध्यापक द्वारा इस घटना की रिपोर्ट ग्राम प्रधान और उसके व्यक्तियों के खिलाफ नामजद की गयी, ग्राम प्रधान दोषी पाया गया और आर्थिक दण्ड के रूप में 155/- थाना इंचार्ज

पैलानी द्वारा जुर्माना प्रत्येक अभियोगी को किया गया। इस घटना ने स्वतंत्र ब्राह्मण गुट एवं पिछड़ी जाति तथा हरिजन जाति समूह के नियंत्रक गुट मे हिंसात्मक संघर्ष के प्रमुख कारक के रूप में नेतृत्व किया।

(2) बाढ़ पीड़ितों को सरकारी अनुदान की आई धनराशि का ब्राह्मण ग्राम प्रधान द्वारा हड़प किया जाना :-

वर्ष 1971 में ग्राम ज़िवट के तटवर्ती केन नदी में भीषण बाढ़ से ग्राम के घर, मकान एवं कृषि फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा। ग्राम के पिछड़ी एवं हरिजन वर्ग के इन बाढ़पीड़ितों को प्रति परिवार 80/- रूपये राहत धनराशि कुल नामांकित परिवार संख्या की तालिका के अनुसार प्रदत्त की गयी जिसकी आधी राशि 40/- रूपये इन पीड़ितों को दी गयी जिससे ग्राम के पिछड़ी एवं हरिजन वर्ग के व्यक्ति परम्परागत ब्राह्मण ग्राम प्रधान जमींदार के इन भ्रष्टाचार एवं आर्थिक शोषण पूर्ण कार्यों से रूष्ट हो गये।

(3) हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को जुंआ खेलने का प्रलोभन देकर सवर्ण ब्राह्मण जमींदारों द्वारा आर्थिक शोषण ग्राम प्रधान ब्राह्मण जमींदार के ममेरे भाई (मामा के लड़के) ने हरिजन एवं पिछडे वर्ग के कई लोगों को सवाये ब्याज में रूपया देकर जुंआ के खेल का प्रसारण गाँव में करके अपने निजी व्यक्तियों का साँठ-गाँठ से ग्राम के भूमिहीन निर्धन चमार केवट आरख कोरी आदि पिछड़ी जाति के अन्य लोगों को सैकड़ों एवं हजारों रूपये का कर्जदार बौद्धिक ढंग से बना लिया एवं प्रतिदिन सवाया ब्याज वसूल करने के ढ़ंग से उनकी कृषि भूमि मकान पशुधन जबरन छीन लेता था तथा औरतों के सोने चाँदी के जेवर भी गिरवीं रख लेता था तथा कर्ज न चुकने पर उन्हें बंधक मजदूर बना लेता था इस प्रकार इस वर्ग का अनेक प्रकार से प्रताड़न करता था जिससे एक केवट दम्पत्ति गाँव छोड़कर चला गया। इन कृत्यों ने इस गुटीय संघर्ष की

वर्तमान स्थिति को और विस्फोटक रूप प्रदान किया। (विस्तृत विवरण हेतु देखिए अध्याय 7)।

(4) ग्राम के मंदिर की सम्पत्ति एवं भूमि :-

ग्राम के रामजानकी मंदिर के स्वामित्व में 38 बीघा भूमि का स्वामित्व एवं उसके उत्पादन के आकर्षण ने ग्राम में गुटवाद का जन्म दिया। यह ग्राम में गुटवाद का चौथा विस्फोटक कारक है। भूमि का स्वामित्व हिन्दू देवता राम सीता के नाम काबिज है और मंदिर की उपज मंदिर के पुजारी के संरक्षण में पुजारी को प्राप्त होती है। भूतपूर्व पुजारी के मरने के बाद तनाव उत्पन्न होता है। मंदिर के प्रधान पुजारी के मर जाने के बाद मंदिर की सम्पत्ति के संरक्षण हेतु एक निधि व्यवस्थापक नियुक्त कर दिया गया। निधि व्यवस्थापक मंदिर की जमीन को ग्राम के पिछड़े एवं हरिजन वर्ग के कुछ लोगों को बटाई में सौंप कर हरिद्वार तीर्थ यात्रा हेतु चला गया। बाद में ग्राम प्रधान ने भूमि की खेती कराई और बटाईदारों से हिस्से की माँग की। हरिद्वार से आने के बाद निधि व्यवस्थापक ने बटाईदारों से मंदिर की भूमि की के हिस्से को किसी को दिया तो नहीं, पूछा। क्योंकि यह उपज मंदिर के निर्वाह के लिए है। ग्राम प्रधान ने दावा किया कि मंदिर की सम्पत्ति हमारे पूर्वजों की है, ग्राम पंचायत की एक मीटिंग बुलाकर सफलतापूर्वक मंदिर के पुजारी को बलात पूर्वक हटा दिया और अपने एक रिश्तेदार को पुजारी के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। इस प्रकार मंदिर की भूमि पर कब्जा कर लिया गया।

अब हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के शिक्षित वर्ग को विभिन्न रूपों से स्पष्ट हो गया कि बिना ग्रामीण शक्ति संरचना में राजनैतिक शक्ति को अपने हाथों में लिए इस आर्थिक प्रभुता सम्पन्न ब्राह्मण जमींदार से नहीं लड़ सकते। पिछड़े वर्ग के दो तीन

शिक्षित सदस्यों विशेषकर प्राइमरी पाठशाला के शिक्षक (तेली जाति) 2, लोहार नेता एक, केवट नेता एक, हरिजन नेता एक चमार और एक डोमार ने अपने सदस्यों को ग्राम के भूतपूर्व जमींदार ब्राह्मण के विरूद्ध संगठन को गतिशील करना प्रारम्भ कर दिया जो कि राजनैतिक ग्रामीण शक्ति संरचना का स्वामी था।

(5) भूतपूर्व ग्राम के सबसे बड़े जमींदार ग्राम प्रधान की वर्ष 1972 के ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के चुनाव में पराजय :--

हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों में असंतोष, घोर निराशा के पूर्ण षड्यंत्रों की अपील, इनके नेताओं के यहाँ पूर्व से दबी थी अतः हरिजन एवं पिछड़े वर्ग ने अपने वर्ग को राजनैतिक साधनों की शक्ति से संयुक्त ब्राह्मण वर्ग के अत्याचारों के विरूद्ध हरिजन एवं पिछड़े वर्ग का बहुसंख्यक गुट को राजनीतीकरण की प्रक्रिया द्वारा संगठित किया। राजनैतिक साधनों के एकीकरण की यह शांतिपूर्ण और लोक - तांत्रिक प्रक्रिया शीघ्र ही सैनिक संगठित गुट के रूप में ब्राह्मण भूमिधर के उत्पीड़न के प्रतिशोध के लिए परिणित दिखाई देगी।

हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों में अल्पकाल में ही बड़ी तेजी से राज- नैतिक चेतना एक साथ संगठित होने की जागृत हो गयी और इस वर्ग ने परस्पर मिलकर ब्राह्मण ग्राम प्रधान के स्थान पर अपना व्यक्ति प्रधान पद हेतु प्रतिपादित करने का निश्चय किया। ग्राम डिबट के इतिहास में यह सर्व प्रथम अवसर था जब हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के सम्मिलित संगठित समस्त सदस्यों ने ग्राम पंचायत के चुनाव में सक्रियता से परम्परागत भूतपूर्व जमींदार ब्राह्मण का विरोध किया एवं उनके कार्यकाल में ग्राम विकास का कार्य नहीं किया गया, उसके कार्यकाल के विकास कार्यों की आलोचना

उनके समय में विकास कार्यों हेतु प्राप्त सरकारी अनुदान का निजी कुएं के निर्माण में उपयोग, बाढ़ पीड़ितों को प्रति हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के परिवार मुखिया की सरकारी बाढ़-पीड़ित राहत अनुदान का 40/- आधा अनुदान ही प्राप्त होना, आधा रूपया स्वयं हड़प जाने की शिकायत आदि विस्फोटक कारकों पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर उन्हें चुनाव में पराजित कर पिछड़ी जाति के एक लोहार नवयुवक को ग्रामप्रधान के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़ा करने का निश्चय कर लिया गया। इस लोहार जाति के नवयुवक के करीब 21 परिवार आर्थिक रूप से मध्यम भू स्वामित्व वाले आत्म-निर्भर थे। शारीरिक शक्ति के रूप में भी सबल हैं। जाति स्तरीकरण में आदि काल से श्रीमान् ब्राह्मण के रूप में पौराणिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठालब्ध प्रमाण होने के कारण इनमें आत्मबल भी था क्योंकि विशेषकर भारत जैसे देश में जातीय स्तरीकरण के कारण ब्राह्मण अपने समस्त कार्यों को अनुचित रूप से करके भी अपने को पूज्य मानने को हरिजन एवं पिछड़े वर्ग को बाध्य करता है, जाति स्तरीकरण में सर्वोच्च स्थान का दावा करते हैं। हरिजन एवं पिछड़े वर्ग में मनोवैज्ञानिक हीन भावना को उनकी मानसिकता उद्भूत कर उन पर शासन की प्रवृत्ति अपना जन्मजात अधिकार मानते हैं।

उपर्युक्त ग्रामीण स्थिति को समझकर ग्राम के सबसे बड़े जमींदार ब्राह्मण भूतपूर्व ग्राम प्रधान को वर्ष 1972 का ग्राम पंचायत का चुनाव हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के बहुसंख्यक 16 जाति समूहों द्वारा चुनौती का चुनाव बन गया। फलतः इस ग्राम पंचायत के चुनाव के 14 सदस्यों में से 11 सदस्य ग्राम प्रधान सहित पिछड़े वर्ग एवं हरिजन वर्ग से विजित हुए। मात्र 3 सदस्य सवर्ण जाति समूह के विजित हुए। सवर्ण जाति समूह से जो तीन सदस्य विजित हुए वे मात्र मध्यम भूसीमा के अन्तर्गत आते हैं। इनका व्यवहार ग्राम के समस्त जाति समूहों से तटस्थ रहा, यही कारण था

कि इनका विरोध ग्राम के बहुसंख्यक हरिजन एवं पिछड़े वर्ग ने नहीं किया। ग्राम के कुल 400 परिवार मुखियों में से सवर्ण जाति समूह की परिवार मुखिया संख्या 68 अति अल्प संख्यक समूह है, कैसे विजित हो सकता था जबकि ग्राम में हरिजन जाति समूह में परिवार मुखिया की संख्या 87 (21·75 प्रतिशत) तथा पिछड़े वर्ग के 16 जाति समूह के परिवार मुखियों की सर्वाधिक संख्या 226 (56·50 प्रतिशत) है तथा दोनों जाति समूह की सम्मिलित परिवार संख्या 313 है जो 78·25 प्रतिशत है। पिछड़े वर्ग एवं हरिजन जाति समूह के शिक्षित राजनैतिक चेतना रखने वाले नेताओं ने अपने बहुसंख्यक जनसंख्या के मतदान का सदुपयोग लोकतांत्रिक वैधानिक ग्राम पंचायत के चुनाव में करके परम्परागत सवर्ण ग्राम के सबसे बड़े जमींदार को एवं बहुमत से विजित होने वाले उनके सदस्यों की कार्यकारिणी को चुनौती देकर विजय प्राप्त की स्वयं सवर्ण जमींदार 37 मतों से ग्राम प्रधान चुनाव में पराजित हुआ एवं मात्र उनके तीन सदस्य सवर्ण जाति समूह से विजित हुए। इस प्रकार पिछड़े हुए एवं हरिजन वर्ग के हाथों में ग्रामीण शक्ति संरचना का केन्द्र ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी बहुमत से इनके पक्ष में हस्तान्तरित हो गयी।

ग्राम पंचायत 1972 के चुनाव में ग्राम के सवर्ण सबसे बड़े जमींदार ने इस पराजय को अपनी बेइज्जती एवं मानहानि समझा तथा प्रतिक्रियास्वरूप अपने आक्रोश को पिछड़े एवं हरिजन वर्ग के अल्प भू सीमा एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को अपने खेत की मेड़ों से निकलने एवं घास न लेने की घोषणा गाँव में करा दी। पिछड़े एवं हरिजन वर्ग ने सवर्णों की इस प्रतिक्रिया का जवाब जातीय पेशा एवं खेतिहर मजदूरों की बढ़ी हुई समय की महँगाई को देखते हुए उचित मजदूरी की माँग का प्रस्ताव अपनी पंचायत की मीटिंग में रखा जिसे इन दोनों वर्गों की पंचायत से

बहुमत से समर्थन दिया किन्तु सवर्ण बड़े जमींदारों ने इनकार करते हुए परम्परागत मजदूरी की दर को ही कायम रखने पर दृढ़ रहे एवं इनकी माँगों को ठुकरा दिया फलस्वरूप हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के जातीय पेशा करने वाले व्यक्तियों ने सवर्णों का काम बंद कर दिया। जैसे -- डोमार ने घर की सफाई, कुम्हार ने घड़ा देने का काम नाई ने बाल काटने का काम, कहार ने पानी भरने का काम, लोहार बढ़ई ने हलों के बनाने का व सुधारने का काम एवं कृषि यंत्रों का काम करना बन्द कर दिया इन दिनों ग्राम की जजमानी व्यवस्था पूर्णतया टूट चुकी थी। पिछड़े एवं हरिजन वर्ग के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों ने अन्य गाँवों या शहरों में मजदूरी करना शुरू कर दिया था।

सवर्ण जमींदारों ने तृतीय उग्र चेतना के इस काल में सवर्ण जमींदारों में कुछ आतंकवादी व्यक्तियों ने हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के जजमानी कार्य बन्द कर देने के प्रतिशोध में उन पर आतंकवादी दमन नीति द्वारा अधिनायकवादी रवैयाअपनाया एक दिन हरिजन जाति की कुछ महिलायें अपने खेतों से घास लातेसमय सवर्ण जमींदारों के खेतों की मेंड़ से गुजर रही थी (क्योंकि चकबन्दी के पूर्व चकरोड अलग से खेतों के मध्य नहीं बने थे) उन्हें छेड़ा और राइफल की नोक पर भयभीत कर वस्त्रविहीन कर गाली गलौज से अपमानित किया एवं बेइज्जती पर अमादा हुए। वे भाग कर पिछड़े वर्ग के नेताओं से रोती हुई पहुँचकर अपनी इस घटना को कहा। इस विस्फोटक घटना ने हरिजन एवं पिछड़े वर्ग को सैनिक संगठन के रूप में सवर्ण जमींदारों का मुकाबला करने को बाध्य कर दिया। पिछड़े वर्ग में मध्यम भू सीमा वाले आत्मआश्रित समूह जो सवर्णों का आश्रित नहीं था और न वह पिछड़े वर्ग हरिजन वर्ग के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का आर्थिक शोषक था इस पिछड़ी जाति के पर्याप्त सबल समूह ने निर्धन

भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के संरक्षण हेतु तन मन धन से सवर्ण बड़े भू स्वामियों के आग्नेयास्त्र धारी दल का खून के बदले खून के क्रांतिकारी ढंग से मुकाबला किया दोनों वर्गों के प्राथमिक एवं द्वितीयक नेताओं ने इन दोनों जाति समूहों का नेतृत्व किया। संघर्षशील गुटों की क्रान्तिकारी गुटीय राजनीति के दौर में सवर्ण एवं पिछड़े तथा हरिजन वर्ग के दो दलों में करीब दो दशक की अवधि में 14 हिंसायें तक घटित हुईं। तत्पश्चात् ग्राम की सामान्य स्थिति आई। सवर्णों द्वारा पिछड़े एवं हरिजन वर्ग का आर्थिक शोषण एवं प्रताड़न समाप्त हो गया।

<u>दलीय नेताओं का नेतृत्व :-</u>

अ गुट — हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह का दल है। इस दल का नेतृत्व प्राथमिक नेता के रूप में पिछड़ी जाति (तेली) के प्राइमरी पाठशाला के प्रधान अध्यापक एवं उनके भाई ने किया। द्वितीयक नेता के रूप में लोहार (ग्राम प्रधान) केवट एक, तथा तृतीयक नेता के रूप में केवट एक, चमार एक, डोमार एक, इसी प्रकार ब गुट को सवर्ण बड़े जमींदारों के दल के रूप में संबोधित किया गया है। इसमें प्राथमिक नेता के रूप में ग्राम के सबसे बड़े जमींदार भूतपूर्व ग्राम प्रधान ने नेतृत्व किया एवं द्वितीयक नेता के रूप में उनके मामा के लड़के एवं उनके रिश्तेदार एक परिवार के प्रमुख 5-6 व्यक्तियों ने किया।

अ गुट के हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के नेता समूह भू स्वामित्व की दृष्टि से 6-20 बीघा भूस्वामित्व वाले 4 नेता, 0-5 बीघा भू स्वामित्व वाले प्राथमिक नेता 21- 100 बीघा के अन्तर्गत एक नेता (पिछड़ा वर्ग केवट) तथा तृतीयक 101-300 बीघा के अन्तर्गत एक हरिजन नेता आता है।

इनकी तुलना में सवर्ण बड़े भू स्वामि समूह का ब गुट का नेतृत्व करने

वाले नेता भू स्वामित्व की दृष्टि से अधिक सम्पन्न हैं। क्योंकि 21—100 बीघा भू-स्वामित्व वाले नेताओं की संख्या इनकी 4 है, 6-20 बीघ भू स्वामित्व के अन्तर्गत 2 नेता आते हैं। 101-300 बीघा भू स्वामित्व के अन्तर्गत भूमि रखने वालों की संख्या दोनों गुटों में एक-एक है।

अतः आर्थिक दृष्टि से ब गुट सवर्ण जाति समूह के नेता अधिक सुविधा सम्पन्न हैं जबकि अ गुट हरिजन एवं पिछड़ी जाति समूह के नेता मध्यम भू स्वामित्व वाले मात्र आत्म-निर्भर हैं तथा सहायक व्यवसायों द्वारा अतिरिक्त आय प्राप्त करते हैं जैसे सरकारी नौकरी आदि इस प्रकार ये सवर्णों के आश्रित न होकर आत्मनिर्भर हैं तथा हरिजन एवं पिछड़ा जाति समूह के आर्थिक शोषक नहीं हैं बल्कि उनके संरक्षक का कार्य करते हैं।

शिक्षा की दृष्टि से हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के समस्त नेता उच्च शिक्षा प्राप्त राजनैतिक चेतना द्वारा अधिक प्रबुद्ध हैं एवं लोकतांत्रिक वैधानिकताओं के प्रति अधिक जागरूक हैं। सवर्ण समूह के नेताओं का कांग्रेस पार्टी के जनपदीय उच्च नेताओं से सम्पर्क है तथा पिछड़ी जाति के तेली जाति के नेता का जनपद के लोकदल के बड़े नेता जो इनकी ही जाति का था घनिष्ट सम्पर्क था एवं प्रान्तीय स्तर के मंत्री स्तर के नेताओं से भी दोनों दलों के नेताओं के सम्पर्क रहे।

सदर्भित अध्ययन ग्राम डिघवट के समाजशास्त्रीय गुटवाद के अध्ययन से दोनों परस्पर विरोधी दलों के नेताओं के नेतृत्व से निष्कर्ष रूप में दोनों दलों के लक्ष्य अथवा नीति निरोधक तत्व निर्गत होते हैं जो निम्नवत हैं —

सवर्ण बड़े भू स्वामियों के नेता अपने ब गुट के बडे भू स्वामियों के मुख्य व्यवसाय कृषि में अधिक लाभ प्राप्ति हेतु भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से अधिक घण्टों तक काम, अल्प मजदूरी देना उनकी असहाय निर्धन दशा से पराश्रित बनाकर बेगार

लेना, कर्ज देकर उनसे ऊँची दर पर ब्याज बढ़ाकर अत्यधिक ऋणी बनाकर बंधुआ मजदूर बनाकर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने व्यवसाय की दृढ़ता पैदा करने का प्रयास अपनी परम्परागत विरासत बनाने का प्रयास करते हैं। इस कार्य हेतु वे एकाधिकार की सामन्त शाही दमन नीति का प्रयोग करते हैं।

अ गुट के अल्पभूमि एवं भूमिहीन पिछड़ी एवं हरिजन जाति समूह का नेतृत्व करने वाले मध्यम भू सीमा के कुछ नेता सवर्ण बड़े भू स्वामियों के आतंकवा-- दियों के दमन में नियंत्रण करने हेतु पिछड़े एवं हरिजन वर्ग के बलद्वारा खेतिहर मजदूरों का संरक्षण सवर्ण बड़े भू स्वामियों की सामाजिक उपर्युक्त बुराइयों को दूर कर स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था न्याय संगत मानवीय मूल्यों की स्थापना, शांतिमय आन्दो- लन की मांग द्वारा प्रयास करते हैं और संतुलित व्यवस्थापन हेतु संघर्ष भी करते हैं, इस क्रांतिकारी सामाजिक व्यवस्थापन की प्रक्रिया में डार्विन के सिद्धान्त के अनुसार जो सामाजिक मानवीय मूल्यों से व्यवस्थापन कर पाते हैं, जीवित बच जाते हैं एवं (10 से 14) इस खूनी क्रांति में दोनों दलों से हिंसा की अग्नि में प्रज्वलित हो जाते हैं। गुटीय दलवाद हिंसा के पश्चात् सामान्य सामाजिक मूल्यों को प्राप्त कर स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था का संचालन कर पाता है। तात्पर्य यह दृष्टिगोचर हुआ कि इस अध्ययन काल में सामाजिक मानवीय मूल्यों की स्थापना हेतु नेताओं ने गांधीवादी विचार- धारा के मार्ग 'अहिंसा परमो धर्मः' द्वारा सामाजिक व्यवस्था में संतुलन का प्रयास किया किन्तु उग्र गुटीय गतिविधियों के फलस्वरूप मार्क्सवादी सिद्धान्त द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति हिंसा के पश्चात् ही उपलब्ध हो सकी।

शिक्षा एवं राजनैतिक चेतना की दृष्टि से अ गुट के हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक मतदान की शक्ति का संगठित उपयोग कर ग्रामीण

शक्ति संरचना का केन्द्र ग्राम पंचायत में बहुमत से 14 सदस्यों में से 11 सदस्यों सहित अपनी कार्यकारिणी का चयन कराया जो इनकी विजय एवं सवर्ण बड़े भू स्वामियों की पराजय सिद्ध करता है।

ग्राम के दलीय राजनैतिक इतिहास से उपकल्पना का सत्यापन स्वयं सिद्ध होता है कि ग्राम में 'राजनैतिक चेतना का प्रसार गुटवाद को जन्म देता है।'

हमारी सबसे प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण उपपरिकल्पना ग्राम डिघवट के गुटवाद के समाज शास्त्रीय शोध अध्ययन में यह थी कि राजनैतिक शक्ति तथा आर्थिक सुविधाओं का गाँव के समूहों में असमान वितरण ग्रामीण गुटवाद को जन्म देता है। (डा0वी0एन0सेठ, 1982)।

जैसा कि हम पूर्व उपकल्पना में 'राजनैतिक चेतना का प्रसार गुटवाद को जन्म देता है' में बता चुके हैं कि डिघवट के 400 परिवार मुखियों की जनसंख्या में सवर्ण जाति समूह के मात्र 68 परिवार हैं, जिनमें से ग्राम के सबसे बड़े ब्राह्मण जमींदार का जमींदारी उन्मूलन से वर्ष 1972 के ग्राम पंचायत चुनाव के पूर्व तक ग्राम पंचायत का ... अध्यक्ष एवं बहुमत से सदस्यों सहित इनकी कार्यकारिणी का वर्चस्व इन्हीं के पक्ष में विजित होता रहा बड़ा आश्चर्य व्यक्त करता है। जबकि ग्राम में अनुसूचित वर्ग के 87 परिवार (21·75 प्रतिशत) एवं पिछड़े वर्ग की 16 जाति-समूहों के बहुसंख्यक 226 परिवार (56·50 प्रतिशत) कुल मिलाकर 21·75 — 56·50 = 78·25 प्रतिशत के बहुसंख्यक वर्ग पर सवर्ण जाति समूह के अल्प संख्यक मात्र 68 परिवार (17 प्रतिशत) अपना आधिपत्य ग्रामीण शक्ति संरचना के केन्द्र ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी में ग्राम प्रधान सहित बहुमत से सदस्यों को विजयी अपने पक्ष में बनाकर ग्राम में आधिपत्य बनाये रहा। इस प्रकार अन्य सवर्ण बड़े भू स्वामियों

ने इस ग्राम के पर्याप्त पिछड़े एवं हरिजन वर्ग के अल्प भू सीमा एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का आर्थिक शोषण, प्रताड़न एवं अनुग्रहत बनाकर बंधुआ मजदूर बनाकर बेगार एवं 8 घण्टों से अधिक काम लेते रहे। इतना ही नहीं इनकी आर्थिक दयनीय दशा में दमन एवं आतंकवाद कर इनकी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार (बलात्कार) भी करते रहे, जिसे वे सतत सहते चले आये।

पिछड़े वर्ग (तेली जाति) के प्राइमरी पाठशाला के प्रधान शिक्षक द्वारा ग्राम के सबसे बड़े ब्राह्मण जमींदार के जुल्मों का विरोध के कारण उत्पन्न वैमनस्य ने ग्राम में पिछड़े एवं हरिजन वर्ग में संगठन को राजनैतिक ध्रुवीकरण की चेतना जागृत की गयी। एवं लोकतांत्रिक संवैधानिक बहुसंख्यक मतदान की शक्ति के महत्व की ओर मार्ग दर्शन कर वर्ष 1972 के ग्राम पंचायत चुनाव में सदुपयोग कराकर 14 सदस्यों वाले ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान पिछड़े वर्ग (लोहार नवयुवक) को विजयी बनाकर 11 सदस्यों के बहुमत से विजय प्राप्त की। जबकि वर्ष 1987 ग्राम पंचायत चुनाव में सवर्ण जाति समूह का ही प्रधान ग्राम का सवर्ण सबसे बड़ा जमींदार विजित था एवं उसके पक्ष से 7 सदस्य विजयी हुए था यथा (ब्राह्मण 6, बनिया एक) यद्यपि इतने ही पिछड़े एवं हरिजन वर्ग से 7 सदस्य अहीर 3, केवट 2, कुम्हार एक, तथा अनुसूचित वर्ग से चमार एक, कुल 7 सदस्य विजयी हुए थे। यद्यपि इस ग्राम पंचायत के चुनाव में सवर्ण जाति समूह एवं पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित वर्ग दोनों का अनुपात 50 प्रतिशत बराबर रहा किन्तु ग्राम पंचायत का सर्वोच्च प्रशासन का पद ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान सवर्ण पक्ष का ही सबसे बड़ा जमींदार विजित हुआ था अतः ग्राम पंचायत का कार्यालय उन्हीं के घर में रहा एवं ग्राम प्रशासन का कार्य भी उन्हीं के हाथों संचालित होता रहा।

ग्राम के पिछड़े वर्ग (तेली) राजकीय प्राइमरी पाठशाला के प्रधान अध्यापक में पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति समूह के नेतृत्व के सम्यकगुण विद्यमान है वह मध्यम भू सीमा का कृषक था एवं सहायक पेशा के रूप में राजकीय प्राइमरी पाठशाला का शिक्षक सरकारी नौकरी द्वारा मासिक वेतन द्वारा आत्म निर्भर था उसने अपनी सूझ-बूझ से पिछड़े वर्ग से लोहार नवयुवक जो 21 परिवारों का सबल व्यक्ति था ग्राम प्रधान पद हेतु वर्ष 1972 में खड़ा करके विजयी हुआ एवं ग्रामीण शक्ति संरचना अपने हाँथों में केन्द्रित की सवर्ण जाति समूह से ग्रामीण राजनैतिक शक्ति का हस्तान्तरण करके इन्होंने सवर्णों द्वारा व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने का आंदोलन छेड़ा सवर्ण बड़े भू स्वामियों द्वारा पिछड़े एवं हरिजन वर्ग के अल्प एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को अल्प मजदूरी में बेगार कराना, 8 घण्टों से अधिक काम लेना, बंधक बनाये गये मजदूरों को मुक्त कराने में जो संवैधानिक कानून के रूप में निर्धन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का सवर्ण बड़े भू स्वामियों द्वारा आर्थिक शोषण एवं प्रताड़न कानूनी अपराध एवं अन्याय है। पिछड़े वर्ग के नेताओं ने सवर्ण जमींदारों के विरोध में राजनैतिक चेतना एवं न्याय हेतु सतत संघर्ष छेड़ा एवं पर्याप्त सुधार कर सके।

आर्थिक दृष्टि से ग्राम का अल्प संख्यक सवर्ण जाति समूह साधन एवं सुविधा सम्पन्न वर्ग था। ग्राम की कुल 5,551 बीघा में 2, 501 बीघा (45·06 प्रतिशत) भूमि सवर्ण 68 परिवार मुखियों (17 प्रतिशत) के स्वामित्व में थी जबकि पिछड़े वर्ग की 16 जाति समूह के 226 परिवार मुखियों के पास 2,418 बीघा (43·54 प्रतिशत) भू स्वामित्व था जो सवर्ण जाति समूह के अल्प जनसंख्या वालों से अल्पतम अंतर लगभग समान था। अनुसूचित वर्ग के 87 परिवार मुखियों (21·75 प्रतिशत) के पास 503 बीघा (9·07 प्रतिशत)अति अल्प भू स्वामित्व ग्राम के

समस्त जाति समूहों में भूमि का असमान वितरण व्यक्त करता है। अतः हरिजन वर्ग में भूमि का अल्प होना एवं भूमिहीन होना उन्हें खेतिहर मजदूर बनाता है। अतः भूमि का असमान वितरण एक ओर सवर्ण जाति समूह में साधन सम्पन्नता एवं पिछड़े तथा हरिजन वर्ग के अल्प एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में निर्धनता साधन विहीनता उत्पन्न करता है। अतः उक्त उपपरिकल्पना कि 'राजनैतिक शक्ति तथा आर्थिक सुविधाओं का गाँव के जाति समूहों में असमान वितरण ग्रामीण गुटवाद को जन्म देता है' उपर्युक्त विवरण से स्वयं सत्यापन सिद्ध होता है।

ग्राम डिधवट के समाज शास्त्रीय गुटवाद के शोध अध्ययन हेतु प्रस्तावित उपपरिकल्पना संख्या 3 केवल जाति संस्तरण ही ग्रामीण गुटवाद को जन्म देता है' के परीक्षण हेतु अध्याय 5 'राजनैतिक संरचना' में' अध्ययन ग्राम डिधवट में संघर्षशील परस्पर विरोधी दो दलों में सम्मिलित सदस्यों के नाम एवं जाति की तालिका पुलिस स्टेशन थाना पैलानी के पुलिस रिकार्ड में अंकित रिपोर्ट के अनुसार दलों की संरचना निम्नवत थी। ब गुट जो सवर्ण बड़े भू स्वामियों के दल के नाम से इस अध्ययन में संबोधित किया गया है इसमें 16 सदस्य सम्मिलित थे। जिनमें ब्राह्मणों की संख्या 14 लोहार 1, कुम्हार 1, (देखियें अध्याय 5 राजनैतिक संरचना तालिका संख्या 31)। अ गुट जिसे पिछड़ी जाति समूह एवं अनुसूचित जाति समूह का सम्मिलित दल के नाम से संबोधित किया गया है, इसमें सम्मिलित सदस्यों की संख्या मुख्यतया 30 थी यद्यपि इन दोनों दलों में सदस्य संख्या और अधिक थी यथा ब गुट के सवर्ण दल में 56 एवं पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति समूह के अ गुट में 62 सदस्य जिसका विस्तृत विवरण अध्याय 5 में अंकित है, किन्तु गुटवादी संघर्ष में विशेष सक्रिय सदस्य दोनों दलों में उक्त ही थे, पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति समूह के अ गुट में निम्नांकित 30 सदस्य थे

जिनका जाति वर्गीकरण — तेली(पिछड़ी जाति) 2, लोहार (पिछड़ी जाति) 7, केवट (पिछड़ी जाति) 9, पुरुष एक महिला =10, माली(पिछड़ी जाति) 2, ब्राह्मण (उच्चजाति) 1, वैश्य(उच्चजाति) 1, यादव (पिछड़ी जाती) 1, अरख (पिछड़ीजाति) 1, अनुसूचित जाति समूह में कोरी 1, चमार 3, डोमार 1, सम्मिलित है। (देखिये अध्याय 5 तालिका संख्या 30)।

दलों का नामकरण जो जाति समूह के रूप में संबोधित किया गया है, वह मात्र बाह्य रूप से ही प्रतीत होता है जबकि दोनों दलों में सम्मिलित सदस्य सभी जाति समूह के हैं।

ब गुट जो सवर्ण बड़े भू स्वामियों का है उनमें सम्मिलित 16 सदस्यों में से यद्यपि अधिकांश 14 सदस्य ब्राह्मण बड़े भूमिधर ही है इसी से सवर्ण समूह के रूप में पुकारा जाता है, तथापि इसमें भी दो पिछड़ी जाति समूह के व्यक्ति एक कुम्हार एवं एक उनके आश्रित लोहार जाति का सदस्य सम्मिलित है। अतः ब गुट का निर्माण जाति स्तरीकरण (उच्चजाति समूह) का नहीं बनता है।

इसी प्रकार अ गुट जिसे पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति समूह के दल से संबोधित किया जाता है वह भी उनकी दल में अधिकांश संख्या होने के कारण किन्तु इस दल की रचना में भी पूर्ण पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के ही समस्त सदस्य न होकर उसमें भी उच्च जाति समूह के दो सदस्य सम्मिलित हैं — एक ब्राह्मण और एक बनिया ब गुट में जो सवर्ण बड़े भू स्वामियों के दल के रूप में जाना जाता है इसमें अधिकांश बड़े भू स्वामियों के 3-4 परिवार के सदस्य ही गुटीय संघर्ष में अधिक सक्रिय रहे, इस दल में दो पिछड़ी जाति के सदस्य थे इनमें कुम्हार भी बड़ी भू सीमा का व्यक्ति था। तथा लोहार अल्प भू सीमा का जो सवर्ण बड़े जमींदार भूतपूर्व ग्राम प्रधान का निजी आश्रित व्यक्ति था अतः दलीय राजनीति में इनकी भूमिका सामान्य रही।

अ गुट जो पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति समूह का था वे मध्यम भू सीमा वाले आत्म निर्भर कृषक है जो सवर्ण बड़े भू स्वामियों के आश्रित नहीं है किन्तु ये पिछड़ी एवं अनुसूचित वर्ग के अल्प भूमि वाले एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के आर्थिक शोषक नहीं है, सवर्णों के द्वारा पिछड़ी एवं अनुसूचित वर्ग के निर्धन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का आर्थिक शोषण प्रताड़न, बंधक मजदूर बनाना एवं बेगार कराने संबंधी सामाजिक बुराइयों एवं सवर्णों के इस वर्ग की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को समाप्त कराने हेतु इस वर्ग से उनके संरक्षक दल या नियंत्रक दल की संघर्षशील भूमिका अदा की है। इन्होंने तन मन धन से इनका संरक्षण किया है, यद्यपि मध्यम भू सीमा वाले अ दल में जो सामाजिक न्याय हेतु संघर्षशील दल था मात्र पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति समूह के व्यक्ति ही सम्मिलित नहीं है बल्कि ग्राम में सवर्ण बड़े भू स्वामियों के उक्त वर्णित पिछड़ी एवं हरिजन वर्ग के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के उत्पीड़न एवं आर्थिक शोषण के नियंत्रण हेतु न्याय हेतु सवर्ण वर्ग के मध्यम भू सीमा वाले (20 - 30) (30-40 बीघा) एक ब्राह्मण एवं एक वैश्य ने भी इस दल में सक्रिय सहयोग किया। जबकि इसी दल के बड़े भू स्वामी (101-300 बीघा) एक हरिजन (चमार) की भूमिका तटस्थ रही क्योंकि वह स्वयं सवर्णों के आर्थिक शोषण का शिकार नहीं था वह आत्म आश्रित था एवं स्वतंत्र था अतः दल में सम्मिलित तो रहा किन्तु दल की खूनी क्रान्ति के संघर्षशील क्रिया कलापों में वह तटस्थ रहा सक्रिय नहीं रहा।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम डिधवट में गुटों का निर्माण जाति स्तरीकरण से प्रभावित नहीं है बल्कि एक दल बड़े भू स्वामियों का है जो आर्थिक सुविधाओं एवं साधनों से सम्पन्न है, अतः वह अल्प भूमि एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का अपने व्यवसाय में अधिकतम आर्थिक लाभ हेतु शोषण प्रताड़न करता है, बड़ा भूस्वामी चाहे किसी जाति समूह का हो वह समान व्यावसायिक संबंध रखता है एवं दूसरा दल

जिसमें अधिकांश पिछड़ी एवं अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति हैं एवं मध्यम भू सीमा वाले उच्च जाति समूह के सदस्य भी सम्मिलित हैं, आर्थिक सम्पन्नता की दृष्टि से आर्थिक सुविधा एवं साधन विहीन सदस्यों का दल है जिसमें अधिकतर अल्प भू-सीमा एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूर ही हैं इनके संरक्षण वाले समस्त सामाजिक बुराइयों में सुधार सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाला दल मध्यम भू सीमा वाले समस्त जाति समूहों के व्यक्ति हैं जो आत्म निर्भर हैं, सवर्ण बड़े भू स्वामियों के आश्रित नहीं हैं, स्वतंत्र विचार धारा एवं सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं ये पिछड़ी एवं हरिजन जाति समूह के आर्थिक शोषक नहीं हैं। यद्यपि इस अ गुट में मध्यम भू सीमा के 23 सदस्य पिछड़ी जातिसमूह के उच्चजाति समूह के 2, एवं अनुसूचित जाति समूह के 5 सदस्य सम्मिलित हैं।

उपर्युक्त विवेचन से संदर्भित अध्ययन ग्राम डिघवट के समाज शास्त्रीय प्रस्तावित उपपरिकल्पना संख्या 2 'केवल जाति संस्तरण ही ग्रामीण गुटवाद को जन्म देता है' सत्यापित नहीं होती।

यद्यपि ग्रामीण गुटवाद को जन्म देने वाले विभिन्न कारक जो विभिन्न समाज शास्त्रीय अध्ययनों से निकले हैं — वे हैं, भूमि का बँटवारा सम्पत्ति का बटवारा भूमि का उत्तराधिकार, तथा जाति संस्तरण। प्रस्तुत अध्ययन ग्रामीण गुटवाद को जन्म देने वाला प्रमुख कारक गाँव में राजनैतिक शक्ति तथा आर्थिक सुविधाओं के असमान वितरण को मानता है। क्योंकि परम्परागत रूप से उच्च जातियों का भूमि और राजनैतिक शक्ति पर एकाधिकार रहा है, गुटवादी संघर्ष मुख्य रूप से जाति के आधार पर ही माना गया है। पर इस अध्ययन से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया कि जब डिघवट में उच्च जाति समूह के बड़े भू स्वामी गुट की पिछड़े एवं निम्न जाति समूह के मध्यम तथा भूमि हीन कृषकों में जब हिंसात्मक संघर्ष हुआ तो अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के जो एक दो बड़े भू स्वामि थे वे अपना तदात्म्य उच्च जाति के बड़े भू स्वामी से करते थे और वे

अपने स्वयं के जाति समूह के साथ नहीं रहे। उसी तरह जो कुछ सवर्णों में ब्राह्मण और बनिया गरीब थे या उनके पास बहुत अल्प भूमि का स्वामित्व था, उनका सवर्ण गुट के साथ संघर्ष में साथ नहीं था, उनकी सहानुभूति पिछड़े एवं निम्न वर्ग के साथ थी, यद्यपि वे खुले रूप में सामने नहीं आये। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उच्च जातियों का अधिकांश ग्रामों में भूमि और ग्राम पंचायत दोनों पर एकाधिकार रहा है और पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों में राजनैतिक शक्ति और आर्थिक सुविधाओं का अभाव रहा है।

सतही रूप में गुटीय संघर्ष प्रायः सवर्ण एवं निम्न जाति के मध्य दिखाई पड़ता है। परन्तु प्रस्तुत शोध स्पष्ट रूप से इस बात पर बल देता है कि गुटीय संघर्ष का मुख्य कारण आर्थिक और राजनैतिक शोषण करने वाले जाति समूह और शोषित जाति समूहों के मध्य होता है।

बहुत से गांवों में उच्च जाति समूह जो बड़े भू स्वामि तथा राजनैतिक शक्ति पर वर्चस्व रखते हैं, भूमिहीन तथा राजनैतिक शक्ति अभावग्रस्त निम्न जातियों का शोषण करते हैं पर शोषण का विरोध करने की क्षमता निम्न जाति समूह में नहीं होती। यद्यपि यहां पर कुछ गुट होते भी हैं तो गुटीय संघर्ष उग्र रूप धारण नहीं करता। लेकिन यह अध्ययन यह बताता है कि जब शोषित गुटों में राजनैतिक चेतना का प्रसार हो और उनको संगठित करने वाला नेतृत्व हो तो यह शोषित समूह शोषण करने वो वाले समूहों का विद्रोह करते हैं और फलस्वरूप हिंसात्मक संघर्ष भी हो जाता है।

एक प्रश्न जो इस अध्ययन से निकलता है कि क्या यह गुटीय संघर्ष वर्ग संघर्ष में परिणित हो सकता है? यद्यपि हिंसात्मक संघर्ष में एक ओर बड़े भू स्वामी और पूर्व ग्राम प्रधान थे और दूसरी ओर भूमिहीन तथा अल्प भू स्वामि थे, पर यह संघर्ष विशुद्ध रूप से वर्गीय आधार पर नहीं था। केवल एक छोटे से गांव के अध्ययन

के आधार पर वर्ग संघर्ष को नहीं समझाया जा सकता।

जाति भारतीय समाज की आज भी सामाजिक वास्तविकता है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। मैं बी०एन०सेठ (1982) के शोध परिणाम से पूर्ण सहमत हूँ कि यद्यपि राजनैतिक और आर्थिक संघर्ष वर्ग आधार पर लड़ा जा रहा है पर सांस्कृतिक जीवन जाति के आधार पर है।

बाँदा जिले के एक गाँव डिंगवट में गुटीय संघर्ष का निष्कर्ष मौलिक रूप से राजनैतिक शक्ति और आर्थिक सुविधाओं का असमान वितरण गुटीय संघर्ष को जन्म देती है। इस प्राक्कल्पना का व्यापक रूप से भविष्य में अन्य गाँवों के शोध अध्ययनों में परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि ठोस समाज शास्त्रीय सिद्धान्त को विकसित करने की सम्भावनाएँ हो सकें।

परिशिष्ट

अटल, योगेश ।1968:6। "दि चेन्जिंग फ्रन्टियर्स ऑफ कॉस्ट" नेशनल पब्लिशिंग हाउस 2/35। अनसारी रोड, दरयागंज, दिल्ली-6 ।इण्डिया।

ए0आर0देसाई।1959। "रूरल सोशयालॉजी इन इण्डिया" पॉपुलर प्रकाशन बम्बई:

------------।1959। "ट्रॉन्जीशन इन इण्डिया" पॉपुलर प्रकाशन, बम्बई :

एलविन0एल0बरट्रेन्ड।1958।"ग्रामीण समाजशास्त्र" ।रूरल सोशयालाजी।कोआपरेशन एण्ड अपोजीशन इन रूरल सोसाइटी, मैक्ग्रॉहिल बुक कम्पनी, न्यू यार्क आई0एल0सी0

कर्वे, इरावती ।1961। "किनशिप ऑरगनाइजेशन इन इण्डिया" डीकन कालेज पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इन्सटीट्यूट, पूना

---------- ।1975।

कूबर, डब्लू0एन0।1973। "डॉ0अम्बेदकर-ए क्रिटिकल स्टडी"नई दिल्ली प्यूपिल्स पब्लिशिंग हाउस उद्धृत-पी0एन0सेठ, 1981"हरिजन विद्रोह"शोध ग्रन्थ ।अप्रकाशित।

केतकर, एस0वी0।1979। "हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट इन इण्डिया", ए0एम0कोरनेल रावत पब्लिकेशन जयपुर : 5

कोठारी, रजनी ।1970। "कॉस्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स" ओरियन्ट लॉग मैन लिमिटेड

कोलर ।ए0लिखित।1957। "फंडामेन्टल ऑफ फैशनलिज्म एण्ड नेचर" मैकमिलन पब्लिकेशन पृ0सं0199-203

गफ, कैथालीन ।1963-1979।"कॉस्ट इन तंजौर विलेज", ई0आर0लीच ऐस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट इन साउथ इण्डिया सीलोन एण्ड नार्थ वेस्ट पाकिस्तान आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, पृ0 सं0 19-60

घुर्ये, गोविन्द सदाशिव।1950, 1957, 1961।"जाति वर्ग और व्यवसाय"पॉपुलर बुक डिपो, बम्बई ,पृ0सं0 215,241-250.

--------------।1961।डी0सूजा।1962।"व्यावसायिक संरचना" ।आक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। पॉपुलर बुक डिपो, बम्बई .

चौहान, एस0के0 ।1980। "कॉस्ट स्टेटस एण्ड पावर "कोशिकल पब्लिशिंग, नई दिल्ली

डी०सूजा, पिक्टर ॥1961॥ "जाति पद क्रम" ॥कॉस्ट रैंकिंग॥ उद्धृत डा० वी०एन०सेठ, हरिजन विद्रोह॥1981॥ यूनीवर्सिटी आफ कीसे वॉल्यूम 10 नं०।

डूमॉन्ट, लेइस॥1970॥ "होमो हायरार्किकस" पवित्रता अपवित्रता ॥प्योरिटी एण्ड पॉल्यूशन, दिल्ली विकास पब्लिकेशन, पृ०सं० 43.

----------॥1966॥ "ए फैन्डामेन्टल प्राब्लम इन दि सोशलॉजी आफ कॉस्ट" कन्ट्रीब्यूशन्स टू इन्डियन सोशलॉजी, नव09 दि01966:43. दिल्ली पब्लिकेशन्स

डेविस, सौन ॥1970॥ "सोशल मोबीलिटि एण्ड पॉलिटिकल चेन्ज" लैंन्डन मैकमिलन कं01970

ढिल्लन, एच०एस०॥1955॥ "दक्षिण भारत के समूहों में नेतृत्व-" दिल्ली योजना आयोग मूल्यांकन संगठन . दिल्ली.

---------- ॥1955॥ "हाजीपुर गांव में दलवाद व नेतृत्व के सम्बन्ध में" साम्प्रदायिक मूल्यांकन योजना के अन्तर्गत अध्ययन, दिल्ली .

थॉर्नर, डेनियल ॥1956॥ "दि एग्रेरियन प्रोस्पेक्ट इन इण्डिया" दिल्ली.

दुबे, एस०सी० ॥1955, 1961॥ इण्डियाज चेन्जिंग विलेजिज" लंदन रॉटलेज एण्ड कीगन पॉल लिमिटेड ।

----------॥1961॥ "डीकन ग्राम का अध्ययन" पूना

दैनिक जागरण, कानपुर - 14 अगस्त, 1983.

दैनिक चित्रकूट, बांदा - जून 3-4, 1976.

नेसफील्ड, जॉन०सी०॥1885॥ ब्रीफ विव आफ दि कॉस्ट सिस्टम ऑफ नार्थ वेस्टर्न प्रोवेन्सिस" ए० ओझा, इलाहाबाद.

नेशनल हेराल्ड, कानपुर - जून 3-4, 1976.

निकोलस रॉल्फ०डब्लू०॥1973॥ "सोशल एण्ड पॉलिटिक्स मूवमेन्टस" एन्यूवल रेव्यू आफ एन्थ्रोपोलॉजी .

------------ ॥1968॥ "स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स इन विलेज आफ सदर्न एशिया" कोटेड के०रंगाराव, 1968 ग्रामीण राजनीति, पृ०सं०-148.

निकायान, एन0के0 ।1971। "आक्यूपेशनल मोबिलिटि एण्ड पॉलिटिकल डिवलपमेन्ट सम प्रिलिमिनरी फाइन्डिंग्स इकोनामिक एण्ड पालिटिकल वीकली एन्यूअल नम्बर 1971.

पॉकाक, डी0एफ0- "समाजशास्त्र के ब्रिटिश जरनल बुफारात में गुटों के आधार के अनुसार गुट का तात्पर्य. एन्थ्रोपोलोजी वौल्यूम 13 नं0 1 स्प्रिंग 1957 पृ0 सं0 24-25.

पाल, आर0 ब्रास ।दिस0 1968। "फैक्शनल पालिटिक्स इन ए इन्डियन स्टेट"- लन्दन कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी प्रेस .
।दल व्यवस्था में गुट -उत्तरी भारत में राजनैतिक विलियन । पृ0सं0 1167-1174.

बेते, आंद्र ।1959।1966, 1968। "कास्ट क्लास एण्ड पावर" चेन्जिंग पैटर्न आफ स्टेटीफिकेशन इन ए तन्जोर विलेज" आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ।बम्बई। प्रेस पृ0 1,4,1-18,57.

-----------।1969। "कास्ट ओल्ड एण्ड न्यू" ।ऐसेज इन सोसल स्ट्रक्चर एण्ड सोसल स्ट्रेटीफिकेशनस एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई.

-----------।1969। "सोशल इन इक्वालिटी" ।सेलेक्टेड रीडिंग्स हारमोन्स वर्थ मिडिल सेक्स पेनग्विन बुक्स लिमिटेड। पृ0 78-79,118.

बेली, एफ0जी0।1957। "एन ओरिया हिल विलेज" - मानचेस्टर यूनीवर्सिटी प्रेस

-----------।1957। "दि बाड आउट कॉस्ट इन कॉस्ट एण्ड इकोनामिक फ्रन्टियर मॉनचेस्टर , मानचेस्टर यूनीवर्सिटी प्रेस.

बेरेमेन, गेराल्ड डी0।1967। "कॉस्ट एज सोशल प्रोसेस वेस्ट जरनल आफ एन्थ्रोपोलोजी

-------------।1960। कॉस्ट इन इण्डिया एण्ड यूनाइटड स्टेटस अमेरीकन जरनल आफ सोशालॉजी वौल्यूम एल0के0-6.
।इनक्लूडस कमेरिरियन आफ द इन्डियन अनोचित एण्ड अमेरिकन नीग्रो।

बोटोमोर, टी0बी0।1962। "सोशालॉजी" अनविन यूनीवर्सिटी बुक्स .

भट्ट, अनिल ।1963। "कॉस्ट , क्लास एण्ड पॉलिटिक्स" देहली मनोहर बुक सर्विस.

मदान एण्ड मजूमदार, डी०एन० ॥1969॥ "सामाजिक मानवशास्त्र की प्रस्तावना" इन्ट्रोडक्शन ऑफ सोशल एन्थ्रोपोलॉजी इन रिफरेन्स आफ कमीशन स्टडी, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, पृ०सं०-221.

मजूमदार, डी०एन० ॥1969॥ "मोहाना गाँव का अध्ययन" एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, पृ०सं०-82-85.

माडरन पेनर ॥1957॥ "पार्टी पॉलिटिक्स इन इण्डिया" इडिटिड बाइ इकबरल नारायण, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ.

मार्क्स, कार्ल० ॥1818-1883॥ "दास कैपिटल" तृतीय वोल्यूम, पृ०सं० 2031-2032. दि एट्टीन्था आँफ लिविस बोनापार्ट, मॉस्को एम०डी०.

मार्क्स, कार्ल० एण्ड एन्जिल ॥1952॥ "मैनीफेस्टो ऑफ दिकम्युनिस्ट पार्टी " मास्को प्रोग्रेस पब्लिशर्स .

मार्क्स, कार्ल० एण्ड एन्जिल फेडरिक ॥1818-1883॥ " दि जरमन आइडोलॉजी" न्यूयार्क इण्टरनेशनल पब्लिशर्स.

मार्क्स, कार्ल० एण्ड एन्जिल ॥1948॥ "कॉन्सेप्ट ऑफ दि क्लास" ॥कोटेड- सिन्थ वुड ॥1977:113॥ कोटेड डॉ०वी०एन० सेठ "हरिजन प्रोटेस्ट" 1982 ॥अप्रकाशित॥ शोधग्रन्था .

मार्क्स, कार्ल० ॥1975॥ "दि पॉवर्टी ऑफ फिलोसोफी" प्रोग्रेस पब्लिशर्स, मास्को .

मेयस, वेबर ॥1947, 1968॥ "पार्टी बिल्डिंग इन न्यु नेशन" क्लासस्टेट्स पार्टी गर्थ एच० एच० एण्ड मुल्स स्स० डब्लू० ॥ड॥ ऐसेय इन लन्दन रॉटलेज एण्ड कीगन पाल, पृ० सं०-27.

मेकाइवर एण्ड पेज ॥1974:348॥ "सोसायटी" एन इन्ट्रोडक्शरी स्नालाइसिस मेकमिलन इण्डिया लिमिटेड, दिल्ली, बम्बई , कलकत्ता, मद्रास .

मेहता, आर०एस० ॥1972-1977॥ "रूरल डेवलपमेन्ट पॉलिटिक्स एण्ड प्रोग्राम्स" नई दिल्ली बाहरी पब्लिकेशन्स, प्रा०लिमिटेड.

-------------- ॥1972॥ "द्वन्वाद के तकारात्मक पक्ष" बाहरी पब्लिकेशन्स, प्रा०लि०, दिल्ली.

--------- ----॥1972॥ "इमर्जिंग पैटर्न ऑफ रूरल लीडरशिप नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड ऐजूकेशन, नई दिल्ली ॥1972॥.

मारविन, डंकन ।1950। "ग्रुप डॉयनामिक्स"।दि साइकोलॉजी ऑफ स्माल ग्रुप बिहेवियर। टाटा मैक्ग्रा हिल पब्लिकेशन कं0 लि0 नई दिल्ली कोटेड - कार्ट राइट एण्ड येन्डर।1968। "ग्रुप एनालाइसिज.

मैरिट, मैक्किम ।1955। "दि लिटिल कम्युनिटी" इन एन इन्डीजीनस सिविलीजेशन इन मैक्किम मैरिट ।इड। "विलेज इण्डिया" -शिकागो: यूनीवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस वोल्यूम 39 पी0 127-147.

-----------।1955:31,56,121,154,165,225। "ग्रामीण भारत" शिकागो यूनीवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस 1955 उद्धृत-बलजीत सिंह ।1961। :6 ।भारत में अग्रिम कदम।

-----------।1959। "इण्टर एक्शनल एण्ड एट्रीब्यूशनल थ्योरीज.इन कॉस्ट रैंकिंग- मैन इन इण्डिया" वोल्यूम 39, पृ0 127-147.

मैण्डिल बाम, डेविड0जी0।1965। "सोसायटी इन इण्डिया- एलिस्टिस एण्ड सेक्शन्स विदु इन कास्ट" यूनीवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया प्रेस, पृ0 सं0-241.

आर,बेण्डिक्स ।1964। "राष्ट्र निर्माण और नागरिकता : 254 . राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण ।नेशनल सैम्पुल सर्वेक्षण । ।1953-54। पब्लिशिंग इन न्यू यार्क .

प्रो0 रामकृष्ण मुखर्जी ।1969:28।"रजिस्टेन्स एण्ड रिवोल्ट इन साउथ इण्डिया - पीजेन्ट स्ट्रगल इन इन्डो- आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, इन ए0आर0देसाई ।इड।

-------------।1969। "दि डायनामिक्स ऑफ रुरल सोसायटी" बर्लिन ।1958

-------------।1969। एकाडेमिक विलेज - "डायनेमिक्स इन रुरल इण्डिया - आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस .

-----------।1975। रुरल सोसालॉजी : 75 आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस

राम आसरे रॉय ।1975। डिफेक्शन पॉलिटिक्स ।भारत के प्रान्तीय दलों में - बिहार में कॉंग्रेस के राजनैतिक विभाजन का मामला । यूनीवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया , बर्कले लन्दन.

रस्तोगी परमात्मानन्द ।1971। "दि नेचर एण्ड डायनामिक्स ऑफ फैक्शनल कॉनफ्लिक्ट" आई०आई०टी० कानपुर.

रंगाराव, के० ।1968। "विलेज पॉलिटिक्स" ।ए लॉगीट्युडनल स्टडी। बाम्बे पॉपुलर प्रकाशन.

रूपिन, रस०बरट्रेन्ड ।1958। "रूरल सोसालॉजी:-कोआपरेशन एण्ड अपोजीशन इन रूरल सोसायटी. मैकग्रा हिल बुक कं० न्यू यार्क, आई०एन०सी०

लेविस, ऑस्कर ।1955। "स्टडी ऑफ फैक्सन : ए नार्थ" इण्डियन विलेज - स्टडी इन ए डेहली विलेज । अरबन यूनीवर्सिटी ऑफ इलीनाइज प्रेस पृ० सं० 113-114, 148.

------------।1953-54।"विलेज लाइफ इन नार्दन इण्डिया" ग्रुप डॉयनामिक्स ए स्टडी ऑफ फैक्शन्स विद इन स्टेट ।अरबन यूनीवर्सिटी आफ इलीनाइज प्रेस। पृ० 113-154.

लेविस, ए० कोसर।1957। "सोशलॉजिकल थ्योरी" दि मैकमिलन कं० पब्लिश्ड इन कनाडा ।1957। पृ० 199-203.

लैस्की, गेहार्ड०ई०।1960। "पावर एण्ड प्रिविलेजिज" ए न्यू थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटीफिकेशन न्यू यार्क मैकग्रा हिल कं०.

वर्मा, एच० एस० ।1972। "पोस्ट इनडिपिनडेन्स, चेन्ज इन रूरल इण्डिया" ।स्वतन्त्रतावाद ग्रामीण भारत में परिवर्तन -रसूलपुर में परिवर्तन के प्रमाण इन्टर इण्डिया पब्लिकेशन्स दिल्ली 110035.

वाइजर, डब्लू०एच०।1936।"दि हिन्दू जजमानी सिस्टम" बर्कले यूनीवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया प्रेस.

विष्णुदेव ।1983:5। "मार्क्स का शतवर्षी अंक" मार्च, अप्रैल, मई,1983- मुद्रित भारती प्रिन्टर्स खजान्ची रोड, पटना-4.

विलियम, मैकॉरमेक ।1959:438-444।"ग्रामीण भारत" ।मैसूर के एक गाँव का अध्ययन शिकागो यूनीवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस- 1955.

बी०के०आर०वी० राव ।1964:10। "इम्प्लायमेन्ट ऑफ शिड्यूल कॉस्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट बुलेटिन उदयपुर वॉल्यूम -1 नं0-1 अक्टूबर.

वेबर, मैक्स ।1968। "रिलीजन ऑफ इण्डिया:- दि सोशियालॉजी आफ हिन्दूइज्म एण्ड बुद्धिज्म, एच0 एच0 गर्थ एण्ड डॉन मारटिन्डैल ।न्यूयार्क। दि फ्री प्रैस पेपर बैक इडीशन.

शर्मा, एस0 एस0 ।1979।"रूरल इलीटूस इन इण्डिया" स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्रा0 लिमिटेड न्यू देहली- 110016.

सिल्वर, कर्न जेम्स ।एड।।1959:149। कॉस्ट्स ग्राइव्ड स्टेट्स फ्रॉम कॉस्ट इरेलीवेन्ट सेल-" मैन इन इण्डिया" वोल्यूम 39, नं0-2.

---------------।1968। "सोशल मोबीलिटि इन कॉस्ट्स सिस्टम इन इण्डिया, दि हेग कम्परेटिव स्टडीज. इन सोसायटी एण्ड हिस्ट्री सप्लीमेन्टस 3- मॉटन .

सिंह, योगेन्द्र ।1969।669-688। " दि चेन्जिंग पावर स्टेक्चर ऑफ विलेज कम्युनिटी - ए केस स्टडी ऑफ सिक्स विलेज इन ईस्टर्न यू0पी0 1969. ।इड। देसाई , ए0आर0-रूरल इण्डिया 711-723.पब्लिश्ड बाई -रमेश जैन फार मनोहर बुक सर्विस-2, अन्सारी रोड दरियागंज- न्यू देहली - 110002.

---------------।1977।"सोशल स्ट्रेटीफिकेशन एण्ड चेन्ज इन इण्डिया " पब्लिश्ड बाई रमेश जैन फॉर मनोहर बुक सर्विस 2, अन्सारी रोड दरियागंज, न्यू देहली -110002. पृ0 सं0 -46,47,49.

सिंह गनबीर।1967। "स्टडीज-ऑन-फैक्टर्स-इन-रिलेशन-टू-कम्यूनिटी-डिवलपमेन्ट-प्रोग्राम सबमिटेड इन पारसियल फुलफिलमेन्ट आफ दि रिक्वायरमेन्ट-फॉर दि वार्ड आफ दि डिग्री आफ मास्टर आफ साइन्स इन ऐग्रीकल्चर, ऐग्रीकल्चर एक्सटेन्शन यूनीवर्सिटी ऑफ आगरा 1967। अप्रकाशित । पृ0 सं0 66-73.

---------------।1967। "जौनपुर जनपद के भालोली ग्राम में सामुदायिक विकास" यूनीवर्सिटी आगरा .

सिंह, बलबीत ।1961। "नेक्स्ट स्टेप इन विलेज इण्डिया"- एशिया पब्लिशिंग हाउस बम्बई . पृ0 -145.

श्रीनिवास, एम०एन० ॥1959, 1967॥ "आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन" बम्बई एशिया पब्लिकेशन - पृ० 1-11, 1-16.

------------ ॥1972, 1979॥ "दि रिमेम्बर्ड विलेज" राजकमल प्रकाशन प्रा० लि० 8-फैज बाजार दिल्ली -6, पृ० 212- 213.

सेठ, वी०एन० ॥1980, 82॥ "हरिजन प्रोटेस्ट" ॥अप्रकाशित॥ शोधग्रन्थ, पीएच०डी० समाजशास्त्र .पृ०सं० 20, 153, 165, 176, 224.

हट्टन, जे० एच० ॥1961॥ "भारत में जाति" कास्ट इन इण्डिया- ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस बम्बई, पृ०-47.

हारपर ॥1959, 1968॥ " ए कम्परेटिव एनालाइसिस ऑफ कॉस्ट" दि यूनाइटेड स्टेटस एण्ड इण्डिया इन स्ट्रक्चर एण्ड चेन्ज इन इण्डियन सोसायटी इडीटेड बाई मिल्टन सिंगर एण्ड बरनार्ड कोहन शिकागो, सेडिन.

हावेल, मासवेल ॥1967॥ " आरटिकिल -1 फरवरी 1967 लन्दन टाइम्स .

हैराल्ड, लासवैल० ॥1931॥ "फैशन इन साइक्लोपीडिया ऑफ दि सोशल साइन्सेज वोल्यूम -4 न्यू यार्क .

------------ ॥1931॥ "पार्टी बिल्डिंग इन नेशन" न्यू यार्क .

त्रिपाठी बी०डी० ॥1967॥ "ऑन मिनीमाइजिंग सोशल डिस्टेन्स इग्जिस्टिंग बिटवीन दि अपर कॉस्ट एण्ड हरिजन इन इण्टर डिसिप्लिन" काशी विद्यापीठ बनारस समाजशास्त्र विभाग.

------------ ॥1980॥ "मैक्स वेबर ऑन कॉस्ट" आर्टिकिल 23/24 फरवरी 1980 प्रथम बुन्देलखण्ड समाजशास्त्र स्थापना सम्मेलन पं० जे० एन० कालेज, बांदा .

।1। गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ।1929। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ दि यूनाइटिड
प्रॉविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड औंध
वॉल्यूम- xxI बांदा इलाहाबाद दि सुपरिन्टेन्डेन्ट
गवर्नमेन्ट प्रेस यूनाइटिड प्रॉविन्सेज.

।2। 1971 सी० सेन्सस ऑफ इण्डिया डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन सेक्शन x-बी० बांदा
पृ० -11, डिग्राफट पृ० सं० 14.

।3। रिपोर्ट 1981-82 गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नई दिल्ली.

======

-: ग्राम डिघवट के गुटवाद का समाजशास्त्रीय अध्ययन :-

व्यक्तिगत परिचय :-

१- परिवार के मुखिया का नाम :-

२- उम्र :-　　　　३- जाति :-　　　　उपजाति :-

४- धर्म :-

५- ग्राम में निवास की अवधि :　　　　६- शिक्षा :

७- पारिवारिक पृष्ठभूमि :

क्र०सं०	परिवार के मुखिया से सम्बन्ध	आयु	लिंग	वैवाहिक स्थिति				व्यवसाय	शिक्षा
				विवाहित	अविवा०	विधुर	पराश्रित		

-: आर्थिक स्तर :-

८- आपका व्यवसाय क्या है ?

९- आपके मुख्य व्यवसाय के अलावा अन्य कौन-कौन से सहायक व्यवसाय हैं ?

१०- आपका प्रथम व्यवसाय क्या है ?

११- आपके पिता जी का व्यवसाय क्या है ?

१२- आपका परम्परागत व्यवसाय क्या है ?

१३- यदि आपका व्यवसाय परम्परागत जाति व्यवसाय से भिन्न है, तो आपने किस पीढ़ी में परिवर्तित किया है :　　　　दादा/पिता/स्वयं

१४- आपके कितने बीघा जमीन है, कि नहीं ?

१५- आपकी मासिक आमदनी कितनी है ?

१६- आपकी मासिक बचत कितनी है ?

१७- क्या आपने कर्ज लिया है ?　　　　हां/नहीं

१८- यदि हाँ तो कितना ?

१९- आपने किससे कर्ज लिया है :　　जमींदार/ सहकारी समिति/ जातीय पंचायत कोष/ अन्य ।

२०- आपने किस कार्य के लिये कर्ज लिया है :

क्रमशः पृष्ठ २ पर ... ...

२१- यह कर्ज किस प्रकार अदा करेंगे :

२२- अदा न करने पर क्या परिणाम होगा ?

२३- अपनी जातियों के साथ उठना-बैठना पसन्द करते हैं :

२४- आप किन जातियों के उत्सव, विवाह, जन्म, मृत्यु, भोज में सम्मिलित रहते हैं :

२५- आप किन जातियों का नामदारी, जातीय पेशा करते हैं :

२६- आप किस जाति का हुक्का, पानी, चिलम पी सकते हैं :

२७- उस जाति समूह का नाम, जिसने आपकी संकट में, बीमारी में मदद की थी :

२८- आप अपनी जातियों के अलावा किन जातियों से मिलते हैं :

२९- उच्च जाति के लोगों का व्यवहार आपके साथ कैसा है :

सामान्य/घृणा पूर्ण/सहयोग पूर्ण/छुआछूत पूर्ण/शत्रुता/अन्य विशेष ।

ग्राम शक्ति सँरचना :-

(नेता की प्रकृति एवं प्रकार)

३०- आपके गाँव के प्रमुख नेता कौन हैं :

क्र०सं०--नाम -जाति -शिक्षा -जमीन -व्यवसाय -संबंध

३१- गाँव के नेता कौन सी समस्यायें सुलझाने में मदद करते हैं : कोई नहीं/हां/विशेष

३२- आपको किसके नेतृत्व पर विश्वास है : (१) अपनी जाति या उपजाति का नेता ।
(२) किसी जाति का नेता जो प्रभावशाली हो और सबके लिये काम करता हो ।
(३) अन्य कोई बताइये ।

३३- क्या आप कोई राजनैतिक पार्टी के सदस्य हैं : हाँ/नहीं ।

३४- यदि हाँ तो कौन सी पार्टी के सदस्य हैं । यदि नहीं तो बताइये क्यों ?

३५- क्या गांव के किसी नेता ने आपकी समस्या में सहायता की थी :

जाति- राजनैतिक पार्टी से सम्बन्ध-

३६- आपने पिछले विधानसभा के चुनाव में किस राजनैतिक पार्टी का समर्थन किया था :

-: जाति पँचायत एवँ ग्राम पंचायत तथा उनका परस्पर सम्बन्ध :-

३७- क्या आपके गाँव में जाति पँचायत है ? हाँ/नहीं

३८- जातीय पंचायत चयन का क्या आधार है : उम्र में ज्येष्ठता/आर्थिक स्तर/शिक्षा स्तर/राजनीतिक प्रभाव/नेतृत्व के गुण ।

३९- यदि हाँ तो जातीय नेता या मुखिया का विवरण दीजिये :

नाम- शिक्षा- जमीन- व्यवसाय-

४०- आपकी जातीय पंचायत के सदस्य कौन हैं :

क्रमशः पृष्ठ ३ पर ... ...

४१- यदि कोई व्यक्ति जातीय पंचायत के न्याय को नहीं मानता, तब आप क्या करते हैं :

१– ग्राम पंचायत में समस्या को ले जाते हैं :
२– न्याय पंचायत में समस्या को ले जाते हैं :
३– जाति से बहिष्कृत कर देते हैं :
४– थाने या कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं :
५– अन्य .

४२- गांव में आपकी जाति पंचायत ने कौन सी समस्यायें पिछले तीन सालों में सुलझायी है :
कोई नहीं / यदि हाँ तो बताइये :

४३- वर्तमान चुनाव में आपने ग्राम प्रधान क्यों बदला है ?

४४- आपके गांव में ग्राम प्रधान के चयन के क्या आधार हैं ?

४५- आप अपना मत ग्राम प्रधान के चयन के लिये निर्णय कैसे करते हैं : मेरी उपजाति/ अन्य/ जातीय नेता/ हरिजन नेता/पिछड़ी जाति के नेता/ उच्च जाति के भूमिधर वर्ग/ राजनैतिक पार्टी ।

४६- आप वोट कैसे देते हैं ? स्वतन्त्रता पूर्वक/ भूमिदारों के दबाव में/ डर के कारण ।

४७- क्या आपके गांव की समस्या के नेतृत्व में गांव के अलावा बाहर के लोग भी नेतृत्व में भाग लेते हैं : हां/नहीं ।

४८- यदि हाँ तो कौन कौन लोग :

नाम : पता : पद : पार्टी से संबँधित :

४९- गाँव में आपकी ग्राम पँचायत ने पिछले तीन वर्षों में कौन सी समस्यायें सुलझाई हैं ?

–: गुट की प्रकृति एवँ प्रकार :–

५०- क्या आपके गाँव में सभी जातियों के लोगों के आपसी सम्बन्ध अच्छे हैं ? हाँ/नहीं

५१- यदि नहीं तो क्या कारण है ?

५२- क्या आपके गांव में विभिन्न जातियों के आधार पर अलग अलग गुटों का निर्माण हुआ है ? हाँ/नहीं

५३- यदि हाँ तो आपके गांव में कितने प्रमुख गुट बन चुके हैं ? गुट का नाम/ गुट में सम्मिलित जातियाँ
(१)
(२)

५४- प्रत्येक गुट के नेताओं का विवरण दीजिए :

गुट : नेता का नाम : जाति : शिक्षा : व्यवसाय : राजनैतिक स्थिति :
(अ)
(ब)

५५- आपके गाँव में गुट बनने के कौन कौन से कारण हैं ?

५६- क्या आपने अपने निजी हितों के उद्देश्य से कोई समूह बनाया है ? हाँ/नहीं

५७- आपके निजी हितों में कौन रुकावट डालते हैं ? (१) व्यक्ति विशेष (२) अधिकारी (३) पड़ोस के लोग, (४) उच्च जाति के लोग (५) अछूत जाति के लोग

५८- आपके गाँव के मुख्य झगड़े क्या हैं ?

५९- झगड़ों के विकास के क्या कारण हैं ?

६०- क्या गुटीय नेता अपने ही गुट की समस्याओं को सुलझाने का कार्य करते हैं ? हां/नहीं

क्रमशः पृष्ठ ४ पर ...

६१- यदि [illegible] वर्ष में किस प्रकार की गुटीय समस्याओं का सुलझाव किया गया है :

६२- क्या गांव में [illegible] के कोई नेता आपकी समस्याओं में मदद करते हैं :

नाम : जाति समूह : राजनैतिक पार्टी से सम्बन्ध :

—: केवल हरिजन (अछूत) जातियों के लिए :—

[दुर्व्यवहार की प्रकृति, हतोत्साहन, अत्याचार सम्बन्धित कार्य]

६३- तुम्हारे र[illegible] गांव के बाहर/ गांव के अन्दर, किन्तु उच्च जातियों से दूर ।

६४- क्या आप गांव के अन्दर के कुएं से पानी भर सकते हैं : हां/नहीं, लेकिन उच्च जातियों के पानी भर लेने तक प्रतीक्षा के बाद/ अपने [illegible] कुएं द्वारा पानी भरते हैं ।

६५- क्या अ[illegible] जातियों के शादी-विवाह में पिछड़ी जाति के लोग सम्मिलित होते हैं : हां/नहीं

६६- आप किन जाति समूहों से स्वतन्त्रता पूर्वक मिल सकते हैं :

६७- आप किन जातियों से स्वतन्त्रता पूर्वक नहीं मिल सकते हैं :

—: अमानवीय वर्ताव :—

६८- क्या आपसे भूमिधर वर्ग के लोग बेगार लेते हैं : कभी नहीं/ अक्सर/ बहुत कम ।

६९- आप बेगार क्यों करते हैं ?

७०- क्या आप अथवा आपके परिवार के लोग कर्ज न अदा करने के कारण बँधुवा मजदूर है : हाँ/नहीं

७१- क्या आपकी जानकारी में किसी औरत के साथ उच्च जाति के लोगों ने बलात्कार किया है : हाँ/अक्सर/बहुत कम/कभी नहीं ।

७२- क्या उच्च जाति के लोग शारीरिक यातना (पिटाई) देते हैं : अक्सर/बहुत कम/कभी नहीं/विशेष

७३- क्या उच्च जाति के आने पर आपको खड़ा होना पड़ता है : निश्चित रूप से/ हाँ/ नहीं/ आवश्यक

७४- यदि आप खड़े न हो तो क्या परिणाम अनुभव करना पड़ता है :

७५- इस गाँव के हरिजनों को कौन कौन से अत्याचार सहने पड़ते है : हमारी स्त्रियों के साथ बलात्कार/ घरों में आग लगाना/ जमीन छीनना/ जानवर छीनना/ कत्ल करना/ अन्य विशेष ।

७६- उस जाति समूह का नाम जो इस गाँव के हरिजनों पर अत्याचार करते हैं :

जाति समूह – व्यवसाय – और जमीन –

७७- क्या इस जाति समूह के सभी ससस्य अथवा कुछ सदस्य आप पर अत्याचार करते हैं, उनकी क्या विशेषतायें हैं : सभी सदस्य/ बड़े भूमिधर-वर्ग के लोग/ राजनैतिक शक्ति वाले नेता/ अन्य ।

७८- उन व्यक्तियों के नाम बताइये जिन्होंने तीन वर्ष से आपके गाँव में अत्याचार किया है :

नाम – जाति समूह – व्यवसाय – भूमि – राजनैतिक स्थिति –

७९- किनके साथ अत्याचार किया जाता है : केवल आदमियों के साथ/ केवल औरतों के साथ/ या दोनों के साथ ।

८०- जब कोई अत्याचार होता है तो व्यक्तिगत आप क्या करते हैं :

१– हम अत्याचार रोकने के लिए जातीय सँगठन बनाते हैं ।

२– आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर एवं हथियार विहीन होने के कारण अत्याचार सह लेते हैं ।

३– कोई उत्तर नहीं :

४– अन्य :

क्रमशः पृष्ठ ५ पर ... ...

८१- इन अत्याचारों का क्या कारण है ?

१ : हमारे जाति समूह के लोग बेगार करने से इनकार करते हैं ।

२ : परिस्थि... देना । ३ : उचित सुविधाओं की माँग स्वीकार न करना

३ : भूमि... खिलाने को पैसा देते है किन्तु ऊंचे ब्याज पर वसूलते हैं ।

४ : अन्य :

८२- आपके विचार से अत्याचार कैसे दूर किये जा सकते हैं ?

१ : भूमिधर वर्ग के इन अत्याचारों को सरकारी कठोर प्रशासन एवँ पुलिस सुरक्षा द्वारा रोका जा सकता है ।

२ : भूमिधर वर्ग के ... के बर्ताव को रोककर । ३ : भूमिधर वर्ग के द्वारा पर्याप्त एवं उचित मजदूरी दिलाकर ।

४ : ... एवं बलात्कार जैसी प्रवृत्तियों को रोककर । ५ : भूमि सम्बन्धी विवादों को शान्तिपूर्वक हल करके ।

६ : ... वर्ग द्वारा बेगार रोक कर । ७ : बंधुवा मजदूरों की ऋण ग्रस्तता को दूर कर उन्हें मुक्त करके ।

८ : अन्य --

८३- क्या आपके परिवार में कोई अत्याचार घटित हुआ है : हां/नहीं ।

८४- यदि हां तो अत्याचार की प्रकृति :

१ : दुर्व्यवहार, २ : अत्याचार, ३ : जुआं खिलाकर व भूमिधर वर्ग द्वारा शराब पिलाकर कर्जी बनाना, ४ : भूमि, मकान, जानवरों को गिरवी रखकर कर्ज वसूल करना, ५ : मकान एवँ पकी फसलों में आग लगा देना, ६ : अन्य

८५- किसने अत्याचार किया है : जाति समूह का सदस्य-   व्यवसाय-   जमीन-

८६- क्या आप बचाव (सुरक्षा) करते हैं : हां/नहीं

८७- यदि हाँ तो बचाव की सही प्रकृति बताइये :

१- थाना में रिपोर्ट द्वारा पुलिस सुरक्षा । २- जातीय संगठन द्वारा सुरक्षा की माँग एवँ सहयोग लेकर ।

३- ग्राम प्रधान और गाँव के सम्पन्न व्यक्तियों से बचाव की माँग करके । ४- आक्रामक हथियारों एवँ जनशक्ति द्वारा रोक एवँ मुकाबला करना

५- अन्य—

८८- यदि नहीं तो बचाव न कर सकने के क्या कारण हैं ?

-: हरिजनों के साथ समता और विषमता :-

९- क्या आप अपने गाँव में अपनी उपजाति के साथ शादी कर सकते हैं : हाँ/नहीं

१०- क्या आप अक्सर अपनी उपजाति के लोगों के साथ मिलते रहते हैं : हां/नहीं

११- क्या इस गांव के सभी हरिजनों की समान समस्यायें हैं : हां/नहीं

१२- यदि हां तो कौन कौन सी समस्यायें हैं :

१- भूमिहीनता एवं गरीबी । २- निरक्षरता, अल्प शिक्षा ।

३- अपर्याप्त मजदूरी और सुविधायें भूमिधर वर्ग द्वारा प्रदान करना ।

१३- हरिजन जाति के लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं : सभी हरिजनों का एक साथ प्रयत्न/ केवल कुछ उपजातियों का एक साथ प्रयत्न/ अन्य :

१४- क्या पिछड़ी जाति के लोग भी हरिजनों की समस्याओं प्रतिक्रिया करते हैं :

उदासीन/ सहानुभूति पूर्ण/ सक्रिय सहयोग/ अन्य दूसरे प्रकार से विरोध :

१५- आपके तीन अच्छे मित्र कौन हैं :

नाम--   उपजाति-   व्यवसाय-

१६- आपके परिवार में शादी विवाह एवं बीमारी के समय आपके घर आने वाले कौन कौन से शिष्ट व्यक्ति हैं :

नाम-   जाति समूह-   पेशा-

क्रमश: पृष्ठ ६ पर ... ...

—: केवल उच्च जाति के सदस्यों के लिये :—

९७- क्या हरिजन आपके गांव में समस्या है ? हां/नहीं, यदि हां तो विवरण :

९८- आपके विचार में इस गांव के हरिजनों की क्या समस्यायें हैं :

९९- क्या आपके गांव में हरिजनों के खिलाफ कोई अत्याचार हुआ है ?
कभी नहीं/ छुटपुट/ बहुत कम/ कालान्तर में ।

१००- यदि हां तो किस प्रकार के अत्याचार :

१०१- क्या आप इस अत्याचार के कारणों पर प्रकाश डाल सकते हैं ?

१०२- आपकी जाति समूह में कौन अत्याचार करता है : उपजाति के सभी सदस्य/ जो भूमिधर वर्ग में है/ जो राजनैतिक प्रभाव रखते हैं/ दोनों/ अन्य ।

१०३- क्या आप हरिजनों के घर जाते हैं ? बीमारी में— हाँ/नहीं । शादी विवाह में— हाँ/नहीं । मृत्यु में— हाँ/नहीं :

१०४- आप हरिजनों को क्या मददूरी देते हैं :

१०५- कर्ज न अदा करने पर आप क्या करते हैं :

१०६- क्या आपके गांव में कोई बंधुवा मजदूर है ?

—: केवल पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए :—

१०७- क्या इस गांव के हरिजनों के साथ अत्याचार किया जाता है ? हां/नहीं ।

१०८- हरिजनों पर कौन अत्याचार करता है : जातिसमूह का नाम— व्यवसाय एवं जमीन— राजनैतिक स्थिति—

१०९- क्या आप हरिजनों के साथ बचाव करते हैं ? हां/नहीं ।

११०- यदि हाँ तो बचाव की प्रकृति बताइये :

१११- यदि नहीं तो कारण बताइये :

११२- क्या आप हरिजनों के घर (निरीक्षण) जाते हैं ? बीमारी में— हाँ/नहीं । शादी में— हाँ/नहीं । मृत्यु में— हां/नहीं ।

११३- उच्च जाति के लोगों का आपके जाति समूह के साथ कैसा बर्ताव है : सहयोगपूर्ण/ उदासीन या/ तटस्थ/ घृणापूर्ण/ अन्य ।

११४- ग्राम प्रधान के चयन में आप वोट कैसे देते हैं : हरिजनों के साथ/ उच्च जातियों के साथ/ स्वतन्त्रता पूर्वक ।

११५- आपकी जाति के अलावा उस जाति समूह का नाम लिखिये जो आपकी समस्याओं में मदद करते हैं :

११६- उस जाति समूह का नाम लिखिये जिसकी समस्याओं में आप मदद करते हैं :

* ० * ० * ० * ० * ० * ० *